मौलिक भारत के आठ वर्ष

उद्देश्य, संघर्ष और उपलब्धियां

- सरकार पर जनता की कमान
- विकेन्द्रिकरण, सहकारिता, पारदर्शिता, व सुशासन बने देश की पहचान
- बाजारूपन, अश्लीलता व नशे की रोकथाम
- भ्रष्टाचार, कालेधन पर लगाम
- हर युवा को काम, नारी को सम्मान
- तकनीक में स्वदेशी और विदेश नीति में स्वहित व आत्मसम्मान
- शिक्षा, स्वास्थ्य व न्याय सबको एक समान
- किसान को सही दाम, सैनिक का मान, पर्यावरण-संरक्षण का ध्यान
- ध्यान, योग, आध्यात्मक को जीवन में प्रमुख स्थान

राष्ट्रीयता का बोध - भारतीयता से ओतप्रोत

मौलिक भारत

राष्ट्र के नवनिर्माण व व्यवस्था परिवर्तन हेतु आन्दोलन

A Movement for the Change In System

Head Office/ केन्द्रीय कार्यालय

306/ए, 37-38-39, अंसल बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स,
डॉ मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

306/A, 37-38-39, Ansal Building, Commercial Complex,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

वेबसाइट : www.maulikbharat.co.in, E-mail : maulikbharat@gmail.com

सम्पर्क सूत्र : 011-27652829, 9811424443

मौलिक भारत

मौलिक भारत के सदस्यों के लिए

दस आवश्यक सुझाव

1. क्या अपने मौलिक भारत के 'नीति पत्र' को पूर्णतः समझ लिया है?
2. क्या आपने अपने मित्रों, परिचितों व प्रबुद्ध लोगों को इसके बारे में बताया है?
3. क्या आपने अपनी संस्था, वेबसाईट, ई-मेल व फेसबुक व अन्य सामाजिक नेटवर्किंग साईटों के माध्यम से 'मौलिक भारत' के बारे में प्रचार-प्रसार करना शुरू कर दिया है?
4. क्या आपने अपने जिले के जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध लोगों व प्रशासनिक अधिकारियों की सूची, नाम, पते, ई-मेल व फोन आदि मुख्य कार्यालय को मेल करने शुरू कर दिए हैं?
5. क्या आपने कम से कम ग्यारह लोगों को 'मौलिक भारत' के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जोड़कर अपनी-अपनी जिला समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है?
6. क्या आपने जन घोषणा पत्र व जन नेताओं के निर्माण के लिए जनसंसदों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी हैं?
7. क्या आपने 'मौलिक भारत' के 'नीति पत्र' के मुद्दों पर लेख लिखने, अखबारों को पत्र लिखने, आरटीआई डालने, पीआईएल डालने, विचार गोष्ठियों व सामूहिक वाद विवाद आयोजित करने प्रारम्भ कर दिये हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी दखल बढ़ानी प्रारम्भ की दी है?
8. क्या आपकी प्रचार सामग्री में मौलिक भारत का प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित हो रहा है?
9. क्या आपने अपने जन प्रतिनिधियों-पंचायत सदस्यों, ब्लाक समिति के सदस्यों, जिला पंचायत के सदस्यों, नगरपालिका के सदस्यों, विधान सभा, विधान परिषद व संसद सदस्यों की कार्य प्रणाली व क्षमताओं, उपलब्धियों व कमियों का आंकलन शुरू कर दिया है?
10. क्या आपने सभी सरकारी खर्चों की सोशल ऑडिटिंग हेतु जननिगरानी तंत्र के विकास व नये नेतृत्व के निर्माण हेतु - कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण शिविर लगाने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है?

औद्योगिक क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन

विकास के मायने तो औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देना ही है, विशेषकर जीडीपी आधारित वर्तमान व्यवस्थाओं में, तो फिर हमने अपने देश के विकास में इस महत्वपूर्ण कारक को क्यों उपेक्षित किया हुआ है? देश में प्रकृति केन्द्रित विकास, ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था आदि की बातें करने वाले बहुत से संगठन, समूह व वर्ग हावी हैं, क्या वे पूरी तरह सही हैं? दुनिया में पूंजीवाद तो औद्योगिक क्रांति के कारण ही पनपा। साम्यवाद औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के विकारों को दूर कर इस पर जनता के नियंत्रण हेतु एक हिंसक क्रांति था और समाजवाद इसी साम्यवाद का लोकतांत्रिक रूप है यानी आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं का अस्तित्व औद्योगीकरण के इर्द-गिर्द ही टिका है और यह भी कह सकते हैं कि इनकी उत्पत्ति ही औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुई है। औद्योगिक विकास और इसके कारण सभ्यताओं के विकास व मानव को मिलने वाले लाभ से कोई इंकार नहीं कर सकता। हम सभी इसका मजा ले रहे हैं। यद्यपि औद्योगीकरण से होने वाले प्रकृति के क्षरण को प्रकृति प्रेमी व पर्यावरणविद गंभीरता से लेते हैं और अबाध औद्योगीकरण का विरोध करते हुए इसकी गति सीमित करने की मांग करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोचने पर यह सही लगता है किन्तु क्या भारत के संदर्भ में यह सही है? क्या हम पूर्णतः औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और हमारे यहां पर्यावरण के मानकों पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है? क्या भारत के उद्योग जनता के लिए बोझ बन गये हैं?

शायद ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में औद्योगिक क्षेत्रों की आधे से अधिक जमीनें खाली पड़ी हैं। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से जमीनें महंगी हैं। देश के लोग बहुत सी कानूनी बाधाओं के कारण उद्योग लगाने से हिचकिचाते हैं। देश की जरूरतों का बड़ा हिस्सा हम आयात करते हैं और इतना अधिक आयात कर रहे हैं कि आयात-निर्यात घाटा 10 से 25 हजार करोड़ रुपये प्रतिदिन के बीच है। देश विदेशी सामानों से भरा पड़ा है और विदेशी कम्पनियां अपने माल को खपाने के लिए अपनी संस्कृति भी परोस रही हैं। यह सब अपने आप नहीं हो रहा बल्कि एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जो अपनी भाषाओं की अपेक्षा अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन देता है। अपने शोध संस्थानों को निष्क्रिय कर विदेशी तकनीक आयात करता है। अपने माल का निर्माण न कर विदेशों से आयात करता है। अपने कच्चे माल को विदेशों में सस्ते में बेच वापिस उसे कई गुना दामों पर विदेशों से खरीदता है। मुद्रा का अवमूल्यन कर विदेशी मुद्राओं को पनपाता है। अपने हथियारों का उत्पादन न कर विदेशों से हथियार लेता है। अपने ऊर्जा तंत्र का विकास न कर विदेशों से तेल आयात करता है। अपनी खेती को संरक्षण नहीं देता है और बाहर से महंगा अनाज मंगवाता है। यह कैसी व्यवस्था है? यह कैसे इसको चलाने वाले हैं और ये कैसे प्रकृति केन्द्रित विकास की बात कर देश की सम्पत्ति को बाहर किये जाने की बात करने वाले हैं?

> भारत में औद्योगिक क्षेत्रों की आधे से अधिक जमीनें खाली पड़ी हैं। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से जमीनें महंगी हैं। देश के लोग बहुत सी कानूनी बाधाओं के कारण उद्योग लगाने से हिचकिचाते हैं। देश की जरूरतों का बड़ा हिस्सा हम आयात करते हैं और इतना अधिक आयात कर रहे हैं कि आयात-निर्यात घाटा 10 से 25 हजार करोड़ रुपये प्रतिदिन के बीच है। देश विदेशी सामानों से भरा पड़ा है और विदेशी कम्पनियां अपने माल को खपाने के लिए अपनी संस्कृति भी परोस रही हैं।

बिल्कुल, हमारे पर्यावरणीय मानकों व किसान-मजदूरों-आदिवासियों के हितों का संरक्षण होना चाहिए किन्तु देश को एक औद्योगिक क्रांति की तत्काल आवश्यकता है। इसे कमीशनखोर राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और हराम की एवं सट्टे की खाने वाले उद्योग व व्यापार जगत को समझना होगा, देश की गरीबी, भूखमरी व बेरोजगारी के निवारण के लिए औद्योगिक क्रांति अपरिहार्य है। हम अगर आयात बंद कर देंगे तो न तो विदेशी संस्कृति के आयात की मजबूरी होगी और न ही अंग्रेजी की अनिवार्यता। न ही व्यवस्था के ब्रिटिश व अर्थव्यवस्था के अमेरिकी मॉडल की और न ही अरब देशों से तेल के आयात की मजबूरी में आयातित आतंकवाद व साम्प्रदायिकता झेलने की मजबूरी होगी। चीन व रूस से पोषित नक्सलवाद को ढोने की मजबूरी से भी हमें निजात मिल जाएगा।

हमारे देश में करोड़ों शिक्षित नौजवान अधकचरी शिक्षा लेकर बेरोजगार बने हुए हैं और यह राजनीतिज्ञों की सोची-समझी कुटिल नीति के भुक्तभोगी है। मोटे कमीशन व पैसे कमाने की अंधी दौड़ में वे अपने जमीर से सौदे पर सौदे करते जा रहे हैं और उनकी गद्दारी से नई पीढ़ी ही नहीं, पूरे देश का भविष्य अंधेरे में जा चुका है। हम एक 'भ्रम' में जी रहे देश के नागरिक हैं, जिसका इस देश से कोई अनुराग नहीं रहे, इसी कारगुजारी में सत्ता लगी हुई है। ऐसे में देश में व्यवस्था परिवर्तन, सुधार व बदलाव के लिए संघर्षरत सभी लोगों को एकजुट होकर वस्तुस्थिति का विश्लेषण करना होगा और औद्योगिक क्रांति की अपरिहार्यता को स्वीकारते हुए इसके जन केन्द्रित व मानवीय स्वरूप के ढांचे के विकास पर शोध कर सुझाव देने होंगे और निरन्तर दबाव बना रहे राजनीतिक दलों से इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने की मांग करनी होगी। तभी देश में रोजगार पैदा होंगे, संस्कृति का संरक्षण होगा, रचनात्मकता तथा शोध को सम्मान मिलेगा।

सन् 1991 की उदारीकरण की नीतियां और 'विश्व व्यापार संगठन' का सदस्य बनने की हमारी जिद एक बड़ी मूर्खता थी। यह सिर्फ और सिर्फ चंद गद्दारों के फायदे का खेल था जिसमें देश की जनता ठगी गई व देश लुट गया। इस विकृति और बेहूदेपन को रोकने के लिए किसी भी हद तक विरोध करना सच्ची देश सेवा है और एक देशभक्त होने के नाते हमें ऐसा करना चाहिए। कृपया आंदोलनों में भेद करना सीखिए। किसी एक मुद्दे वाले या एक प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले आंदोलन हमेशा विदेशी शक्तियों से फंडेड क्यों होते हैं और मीडिया उन्हें जरूरत से ज्यादा क्यों कवरेज देता है? यह समझना भी जरूरी है। देश की अधिकांश जनता अब अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। संस्कृति के क्षरण का खतरा तो पिछले एक हजार वर्षों से बना हुआ है और दुर्भाग्य से आजादी के बाद कई गुना बढ़ गया है और ऐसा देश में सुशासन के अभाव के कारण हुआ है। इन तीनों संकटों से मुक्ति ही बनायेगी मौलिक भारत।

मौलिक भारत अभियान - संक्षिप्त परिचय

मौलिक भारत की अवधारणा लगभग दो वर्ष पूर्व अक्टूबर 2012 में पहली बार सामने आयी थी तथा फरवरी 2013 में इसकी औपचारिक शुरूआत हुई। दो वर्षों के चिंतन, मंथन एवं कार्यों से अब इस अभियान का स्वरूप पूर्णत: स्पष्ट हो गया है। देश में मई 2014 में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है और अब देश में पूर्व के मुकाबले एक बेहतर, जनकेन्द्रित एवं राष्ट्रवादी सरकार है, किन्तु अभी भी बहुत से मुद्दों पर सरकार की नीतियों व नीयत का परीक्षण बाकी है। ऐसे में एक 'दबाव समूह' एवं 'संवेदनशील समाज' के रूप में मौलिक भारत की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। यह सुखद है कि देश में हुए सत्ता परिवर्तन में 'मौलिक भारत' ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है और वर्तमान सरकार के दृष्टिपत्र एवं घोषणापत्रों में मौलिक भारत के दृष्टिपत्र से बहुत सारे बिन्दुओं/मांगों व सुझावों को स्वीकार किया है। नये परिप्रेक्ष्य में 'मौलिक भारत' के स्वरूप एवं आगे की कार्ययोजनाओं को स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है।

मौलिक भारत समान मानसिकता के ऐसे लोगों व संगठनों का समूह है जो भारत के लोगों की जीवनशैली, मानसिकता व सरकार की नीतियों में भारतीयता एवं मौलिकता को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। हम थोपी हुई संस्कृति व जीवनशैली के विरूद्ध हैं। हम भारतीय भाषा, जीवनशैली, संस्कृति व सभ्यता के अनुरूप जीवन जीते हुए स्वाभाविक व मौलिक विचारों के प्रोत्साहन व समर्थन के लिए संघर्षरत हैं। हम भारतीय/सनातन/वैदिक व सार्वभौमिक जीवन मूल्यों के अनुरूप मानव व प्रकृति के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत हैं। अपने अभियान को कार्य रूप देने के लिए हम तीन स्तरीय सांगठनिक ढांचा बनाकर कार्य करते हैं –

1. चिंतन व प्रशिक्षण विभाग
2. राजनीतिक विभाग
3. सामाजिक-सांस्कृतिक विभाग

- चिंतन व प्रशिक्षण विभाग का कार्य वैकल्पिक नीतियों/चिंतन व साहित्य का विकास तो है ही साथ ही कार्यकर्ताओं व नेतृत्व का प्रशिक्षण भी है। राजनीतिक व सामाजिक विभाग को नेतृत्व व कार्यकर्ताओं की आपूर्ति इसी विभाग से की जाती है।
- राजनीतिक विभाग का कार्य राजनीतिक व व्यवस्था में भारतीयता के विकास व हमारे नीतिपत्र के क्रियान्वयन हेतु आमूलचूल परिवर्तन के लिए संघर्ष करना है। इसके लिए संगठनात्मक ढांचा व सभी संभव लोकतांत्रिक तरीकों से अभियान चलाना है।
- सामाजिक विभाग का कार्य समाज में फैली ऐसी बुराईयों के खिलाफ संघर्ष व जागरूकता फैलाना है जिससे व्यक्ति के 'मौलिक विकास' में बाधा आती हो और भारतीय संस्कृति का क्षरण होता हो।

ृ इर्ण्ई षड्ड ध्फ्रड्डरव्र्ड्डि

- लगभग 4500 संगठनों को एक साथ लाना व राष्ट्रवादी स्वरूप एवं स्वीकार्यता बनाना।
- देश में वैकल्पिक व राष्ट्रपरक नीतियों को लागू करने हेतु एक नीतिपत्र का निर्माण किया गया।
- इन नीतियों के संवर्धन व विकास के लिए अनेक कार्यशालाओं, चिंतक समूहों, बैठकों व सेमिनारों का देशभर में आयोजन किया गया।
- राजनीतिक विभाग की सक्रियता दबाव समूह की भूमिका में रहकर अपने नीतिपत्र को विभिन्न दलों द्वारा स्वीकार करने के लिए अभियान चलाने, मतदाता जागरूकता अभियान चलाने, चुनाव सुधार व चुनाव आयोग में सुधार करने में रही है।
- सामाजिक-सांस्कृतिक विभाग द्वारा शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्रों में फैली अराजकता, नशाखोरी, अश्लीलता व नारी उत्पीड़न के खिलाफ जन संघर्ष।

ऊ्रप ध्ड्डरव्रड्डऋ

- हाल ही में सत्ता में आयी भाजपा/एनडीए की सरकार द्वारा हमारे नीतिपत्र की 50 प्रतिशत से अधिक मांगों को स्वीकार करना।
- चुनाव सुधारों व राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र हेतु हमारे संगठन का संसदीय समितियों में प्रस्तुतिकरण व सुझाव।
- चुनाव आयोग की कार्यशैली व पारदर्शिता

हेतु हमारे संघर्ष से चुनाव आयोग में बड़े बदलाव व उच्चतम न्यायालय व केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा हमारे द्वारा लगाये गये आरोपों व खुलासों की पुष्टि।

- देश में चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा फर्जी शपथ पत्र दाखिल करने के संदर्भ में पहला मुकदमा हमारी संस्था ने दर्ज कराया एवं पहली बार चुनाव आयोग ने विशेष अभियान चलाकर मतदाता से शपथपत्रों की जांच कर वोट डालने की अपील की। साथ ही शपथपत्रों की जांच के लिए कार्ययोजना बनाने के लिए प्रयासरत हुआ।
- देशभर के 4500 से अधिक संगठनों को एक साथ लाया गया व संस्था का राष्ट्रवादी स्वरूप बनाया गया।
- हमारे मतदाता जागरूकता अभियान को समग्रता में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा स्वीकार किया गया और मिलता-जुलता अभियान लोकसभा चुनावों से पूर्व देशभर में चलाया गया।
- हमारे नशाखोरी/अश्लीलता के विरूद्ध अभियान को राष्ट्रवादी समर्थन मिला एवं सरकार ने टीवी/रेडियो व संचार माध्यमों में चलने वाले अश्लील विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया। एसोचेम ने हमारी तम्बाकू पदार्थों की उत्पादन/बिक्री पारदर्शी तरीके से करने की मांग का समर्थन किया एवं सरकार ने तम्बाकू पदार्थों के उत्पादन का रकबा धीरे-धीरे घटा कर समाप्त करने की योजना की घोषणा की। इन उत्पादों पर अधिक कर व जुर्माना तथा इनके पैकेटों के 85 प्रतिशत स्थान पर नुकसानों की जानकारी देना अनिवार्य किया।
- बहुत से विभागों व मंत्रालयों ने हमारे नियमित मिलने वाले सुझावों के अनुरूप अपने यहां नीतिगत परिवर्तन किये व अनियमिताओं पर रोक लगायी।

ङ्पहमभ् षड्डरव्रभ् रव्रज्ञीङ्

- नेतृत्व व कार्यकर्ताओं के नियमित प्रशिक्षण के लिए स्थायी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।
- नीतियों को अधिक भारतपरक व मौलिकता के विकास हेतु अनुसंधान केन्द्र की स्थापना।
- संस्था के अपने प्रकाशन की शुरूआत करना।
- राजनीतिक व सामाजिक/संस्कृति इकाईयों का अलग-अलग व व्यवस्थित राष्ट्रव्यापी ढांचा खड़ा कर व्यापक जन अभियान चलाना।
- साथी संगठनों से समन्वय बढ़ा कर विलय करना अथवा मोर्चे का निर्माण करना।
- सरकार की नीतियों व नीयत पर पैनी नजर रखना और प्रतिक्रिया देना।
- पुराने अभियानों को अधिक तीव्रता व प्रभावी तरीके से चलाना, ताकि हमारी मांगें पूर्णरूप से पूरी हों।
- स्थायी कोष का निर्माण कर उसके ब्याज से संस्था की गतिविधियों को चलाना।
- ग्रामीण भारत एवं किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष का सूत्रपात करना।
- विभिन्न सरकारी समितियों व पदों पर संगठन के लोगों की नियुक्ति की कोशिश करना ताकि हमारे विचारों का क्रियान्वयन व कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो सके। समान मानसिकता वाले राजनीतिक दलों से सहयोग, समर्थन व सामंजस्य बैठाना, ताकि बिखरे व अक्षम विपक्ष के स्थान पर सक्षम व राष्ट्रवादी-राजनीतिक दल का उदय हो सके तथा देश में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हो सके। ■

मौलिक भारत की ओर ...

भारत की राजनीति में यह तथ्य निर्विवाद रूप से माना जाता है कि वही पार्टी व नेता ही सत्तारूढ़ होते हैं जिन्हें अमेरिका-इंग्लैंड लॉबी का समर्थन मिलता है। मतलब जिस दल व नेता के समीकरण अमेरिका-यूरोप की कम्पनियों, लॉबिंग एजेंसियों, चर्च अंतर्राष्ट्रीय फंडिग एजेंसियों व बड़ी एनजीओ के साथ ठीक ठाक होते हैं वही सत्तासीन हो पाता है। थोड़ा बहुत घूम-फिर कर यही कहानी लगभग हर विकासशील देश में दोहराई जाती है। तात्कालिक रूप से नरेन्द्र मोदी सरकार की विदेश नीति में भी यही तत्व खोजे जा सकते हैं।

पश्चिमी सैन्यबल, कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर एकाधिकार, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, तकनीक, प्रौद्योगिकी, अथाह धन व कुटिल व्यावसायिक बुद्धि ने ऐसा संजाल बुन रखा है कि तमाम राष्ट्रवाद व राष्ट्रहितों की बातें करने वाले दलों व उनके नेताओं को अन्दरखाने पश्चिमी देशों से तालमेल बैठाने ही पड़ते हैं। भारत की पुरातन व निरन्तरता लिए अपनी संस्कृति, जीवनशैली व विचारधारा है। अमूमन सभी राजनीतिक दल अपनी राजनीति का तानाबाना इसी के इर्दगिर्द बुनते हैं किन्तु सत्ता में आने के बाद नीतियों में बड़ी बेईमानी की जाती है। जुबानें बदल जाती हैं, इरादे पलट जाते हैं। प्रत्येक भारतीय राजनेता जो केन्द्र की राजनीति करता है इसी दोहरे चेहरे व दोहराव की राजनीति के बीच जीता है। विकास के नाम पर सबने शनैः शनैः देश की मूल संस्कृति, विचारधारा, व्यापार-उद्योगों, जीवन शैली, शिक्षा, स्वास्थ्य पद्धति सबको नष्ट किया है। हम पर हमारे ही नेतृत्व ने पश्चिमी तकनीक के नाम पर पश्चिमी जीवन शैली को थोपा है। ग्लोबलाइजेशन के नाम पर हमने हर वह चीज आयात की जो हम स्वयं बना सकते थे। हमारे उद्योग धंधे मर गये। हमारे शिक्षा संस्थानों के पास सारे अनुसंधान व संसाधन आयातित है, सो वे भी कुछ नया नहीं कर सकते, अतः कबाड़ फैक्टरी में बदल गये। हमारी नयी पीढ़ी को न अंग्रेजी ढंग से आती है, न ही अपनी भाषा। हमारी होनहार व एन्टरप्रेनर बन सकने वाली पीढ़ी दलाल, सट्टेबाज व व्यापारी बन चुकी है। वैज्ञानिक, श्रेष्ठ खिलाड़ी, अध्यापक, इंजीनियर, राजनेता अथवा कुछ भी विशिष्ट हमारे पास नहीं। हमारी नीतियां देश में बेरोजगारी पैदा कर रही है और अमेरिका में नौकरियां। हमारे उद्योग-धंधे मंद है और हमारा चीन से आयात बढ़ रहा है। हमारे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल आदि ब्रांचों के इंजीनियर सिर्फ और सिर्फ आईटी क्षेत्र व बीपीओ में नौकरी कर पा रहे हैं। बाकी ब्रांचों में तकनीकी व बना बनाया सामान आयातित हो रहा है तो ये लोग क्या करें?

यक्ष प्रश्न

पिछले 25 सालों में सरकार के संचालन से उसके दर्शन व कार्यक्रमों को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। यह पूर्णतः बाजारवादी व उपभोक्तावादी दर्शन है जहां पाश्चात्य जीवन शैली, खुलापन, नशा-हथियारों की होड़, अश्लीलता, भ्रष्टाचार व घोटाले, बेतरतीब विकास, सामंती शासन प्रणाली के साथ अमीरों के पक्ष में नीतियां और गरीबों के लिए ऋण माफी, नरेगा, वजीफा व नकद राशि जैसे प्रावधान हैं। कांग्रेसी नीतियां गरीब को गरीब बनाये रख वोट बैंक बनाये रखने की है और उसे इनके सहारे चुनाव जीतने आते हैं।

मुख्य मुद्दा भारतीय बनाम पाश्चात्य जीवन शैली तथा बहुसंख्यकवाद बनाम अल्पसंख्यकवाद का है। एनडीए खुलेपन व अश्लीलता का विरोध करता है किन्तु बाजारवादी नीतियों में यूपीए व एनडीए मे कोई विरोध नहीं दिखता।

किन्तु यक्ष प्रश्न राष्ट्र का है। हमारे संवैधानिक मूल्यों, नीति निर्देशक तत्वों व मूल कर्तव्यों को स्थापित करने का है। सच्चाई यह है कि सत्ता की होड़ में यूपीए व एनडीए दोनों ही संविधान की मूलभूत भावनाओं के मौलिक दर्शन को छोड़ चुके हैं। हमारे नेता पश्चिमी देशो की नीतियां, कानूनों, प्रणालियों व दबावों के प्रभाव में हैं। बाकी कसर दलों की आपसी गुटबाजी, व्यक्तिगत अहम् एवं शीघ्र सफल होन के लिए हर हथंकडा प्रयोग करने की मानसिकता निकाल देती है।

वास्तव में संसदीय शासन व्यवस्था मात्र गुटों का ही प्रतिनिधित्व करती है व्यक्तियों व आम जनता का नहीं। क्या मोदी या राहुल देश को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने का कोई प्रस्ताव जनता के सामने रखेंगे? क्या वे दलों में आंतरिक लोकतंत्र को लागू करने की कार्यप्रणाली विकसित करेंगे? क्या उनके पास सुशासन के साथ संवैधानिक संस्थाओं की विश्वासबहाली, कानून के शासन, संविधानवाद व कारपोरेटवाद के बीच संतुलन, भारत की शाश्वत संस्कृति, चिन्तन धारा, सभ्यता और जीवन शैली भारतीय अध्यात्म, विज्ञान व कलाओं का विकास व विश्व बाजार में भारत की महत्वता की पुनर्स्थापना हेतु कोई कार्यक्रम है? क्या वे हमारे मीडिया, फिल्मों, जनसंचार व शिक्षा संस्थानों को भ्रम फैलाने के काम व पश्चिमी प्रभावों से मुक्त करा 'मौलिक भारत' की स्थापना की ओर अग्रसर कर सकेंगे? क्या वे गम्भीर हैं ऐसे देश के विकास के लिए जहां भूख, गरीबी अशिक्षा व अपमान नहीं होगा? स्त्री, बच्चों व बुजुर्गो को सम्मान व बराबर का हक होगा? ऐसी व्यवस्था जो सौ प्रतिशत भारतीय होगी व भारत को दिशाहीन विश्व के सामने एक प्रतिमान के रूप में स्थापित कर सकेगी। हमें नये विकल्प तलाशने होंगे।

निजीकरण ने प्राकृतिक व खनिज संसाधनों की लूट मचा दी है। सरकारें व व्यवस्था में बैठे लोग स्पष्ट पारदर्शी व व्यवस्थित नियम, कायदे व कानून बनाने के स्थान पर उद्योगपतियों के साथ लूट सांझा कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एफडीआई की आड़ में सभी राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों व खनिजों पर काबिज होने की तैयारी कर रही हैं तथा भारतीय उद्योगपतियों के साथ उपक्रम लगा रही है। कुछ सिविल सोसाइटी आंदोलन भी इसी कारपोरेट गठजोड़ का शातिर खेल हैं (जिसको अमेरिका-यूरोपीय भारतीय कंपनियों से भारी मात्रा में पैसा मिल रखा है)। देश विशुद्ध कारपोरेट जंग का शिकार है जिसमें कारपोरेट, सिविल सोसाइटी को हथियार बनाकर छद्म युद्ध खेल रहे हैं। निजीकरण ने देश को 'बनाना रिपब्लिक' बना दिया है। हमारे पास गैस, लोहा कोयला व अन्य खनिज सबके अकूत भंडार हैं किन्तु निजीकरण ने इनके दामों में तो आग लगा दी है पर उत्पादन शून्य है। आश्चर्यजनक यह है कि निजीकरण की आड़ में चल रहे क्रोनी-केपिटलिज्म व अमानवीय सट्टे के खेल को रोकने की मांग कहीं नहीं उठ रही? अगर हम उदारीकरण के साथ कानून के शासन, नियमीकरण, कारपोरेट गवर्नेंस व सुशासन की व्यवस्था नहीं कर सकते तो पुनः इन संसाधनों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर दिया जाना चाहिए?

विश्व बदल रहा है और पुनः अन्तर्राष्ट्रीयवाद से राष्ट्रवाद की ओर मुड़ रहा है, ऐसे में सच तो यह है कि अंततः हमें अपनी जड़ों की ओर ही लौटना होगा। हम अमेरिका-यूरोप के राष्ट्रीय हितों के प्रति चिंतित होने की जगह अपने राष्ट्रीय हितों के प्रति जागरूक हों। अमेरिका-यूरोप की संस्कृति व जीवन शैली अपनाने की जगह अपनी संस्कृति व जीवन शैली की ओर वापस लौटें। ग्राम स्वराज, स्वभाषा एवं प्रौद्योगिकी, स्वरोजगार से ही हमारी पीढ़ियों का भला होगा। पिछले दो सौ वर्षों में हमने अपने आत्मनिर्भर देश, जहां प्रत्येक व्यक्ति सम्मानित जीवन जी रहा था, को शाश्वत संघर्ष व फजीहत की जिंदगी में धकेल दिया है। आइये, फिर से मिलें, विचार करें, एकजुट हों और लौटें अपने उसी मौलिक भारत की ओर, आत्मसम्मान की ओर, राष्ट्र स्वाभिमान की ओर।

मौलिक भारत

दूसरे चरण की ओर ...

तीन फरवरी, 2013 से प्रारंभ हुए आंदोलन 'मौलिक भारत' को अब लगभग 9 माह हो चुके हैं। आंदोलन की स्थापना के साथ ही संकल्पना, वैकल्पिक नीतियों का निर्माण, दृष्टिकोण प्रपत्र, संगठन का स्वरूप एवं कार्ययोजना सभी का ढांचा तैयार होता गया है। अभी तक 40 से अधिक छोटी-बड़ी बैठकों व कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस चिंतन व मंथन से मौलिक भारत का जो स्वरूप निकल कर आया है वह कुछ इस तरह का है-

- **राष्ट्र प्रथम :** मौलिक भारत एक भारतीयता से ओतप्रोत राष्ट्रवादी आंदोलन है तथा हम अन्तर्राष्ट्रीयता का विरोध नहीं करते किन्तु प्रत्येक स्तर पर भारत के ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, योग व अध्यात्म की प्रधानता के अनुरूप विदेश नीति के पक्षधर है। हम राष्ट्र की समृद्धि व मानव संसाधनों की निकासी की नीतियों के विरुद्ध हैं तथा राष्ट्रहित में राष्ट्र के सभी संसाधनों के प्रयोग के पक्षधर हैं।
- राजनीतिक जागृति का सामाजिक आंदोलन मौलिक भारत सीधे राजनीतिक लड़ाई का आंदोलन नहीं है। हम तीन स्तरों पर कार्य करने जा रहे हैं-
  प्रथम - वैकल्पिक नीतियों के निर्माण व वर्तमान नीतियों की समीक्षा के लिए चिंतक समूह के रूप में।
  द्वितीय - वैकल्पिक कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए जनजागरण हेतु देश भर में मौलिक चिंतन जन संसदों का आयोजन।
  तृतीय - देश भर में 'मौलिक भारत' के चिंतन के अनुरूप मानसिकता वाले नेतृत्व व समर्थकों का ढांचा खड़ा करना।
- **स्पष्ट व पारदर्शी आर्थिक स्रोत**- 'मौलिक भारत' अपने सदस्यों की सहायता एवं अंशदानों से पल्लवित होने वाला आंदोलन है और हम किसी बाहरी विदेशी, राजनीतिक अथवा अदृश्य स्रोतों से संचालित आंदोलन नहीं है।
- विदेशी फंडिंग व राजनीतिक दलों से परे हम न तो किसी विदेशी फंडिंग का समर्थन करते हैं और न ही किसी राजनीतिक दल की कठपुतली हैं। हम निरंतर सत्ता की राजनीति से सत्य को सामने रख राष्ट्रहित में परिस्थितियों का अवलोकन कर तटस्थ दृष्टिकोण सामने रखने के लिए दृढ़संकल्पित हैं।
- हमारे साथ विविध क्षेत्रों में कार्य करने वाली संस्थाएं, समूह व एनजीओ जुड़े हैं जिनकी विचारधाराएं व कार्यशैली अलग-अलग हैं किन्तु वे इसी शर्त पर हमारे साथ हैं कि उनकी नीतियां 'राष्ट्र प्रथम' की प्राथमिकता पर आधारित हैं।
- हम सामूहिक नेतृत्व की अवधारणा, सबकी सहमति, सबके विचार व सुझावों को आत्मसात करने की नीति पर चलते हैं।
- हम ऐसे किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं करते जो आंदोलन का उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति अथवा निजी महत्वाकांक्षा को निबटाने में करें।
- हम किसी भी राजनीतिक दल, चिंतन, विचारधारा अथवा समूह के विरुद्ध खड़े नहीं हुए हैं वरन हम अद्यतन और समग्र रूप से मौलिक हैं। यद्यपि हमारी कोशिश है कि हमारा दृष्टिकोण पत्र देश के प्रत्येक दल, समूह, संगठन, सिविल सेवकों व समाजसेवियों तक पहुंचे और वे इसे समझें, मानें व स्वीकारें।

अच्छे दिनों के लिए जरूरी 21 कदम

देश की जनता मोदी सरकार के साथ अच्छे दिनों की शुरूआत को महससूस करने लगी है। नरेन्द्र मोदी की अथक मेहनत, जीवंतता, दूरदर्शी सोच एवं सिद्धान्तों व नीतियों को व्यवहार में उतारने की ललक ने देशवासियों में आशा की किरण पेश की है। मोदीजी अनेक स्तर पर सक्रिय हैं। देश हम सबका है और सबकी समान भागीदारी के बिना यह उठ खड़ा नहीं हो सकता। यह भावना मोदी देशवासियों में भरने में सफल हो गये हैं। 'ना खाऊंगा न खाने दूंगा' की उनकी घोषणा अनेक संदर्भ, गहराई व अर्थ लिए हुए है। इसी सूत्र वाक्य को आधार बनाकर हम उनकी घोषणाओं के अतिरिक्त इक्कीस ऐसे छेद बता रहे हैं जिनको भरे व सिले बिना सुशासन की चादर नहीं बिछाई जा सकती है। यक्ष प्रश्न यह है कि क्या मोदी इन बिन्दुओं को संज्ञान में लेकर कोई कार्य योजना बनाते हैं या नहीं। ये कड़ी कसौटियां और इन पर सरकार की आगामी रणनीति, सोच, कार्ययोजना व परिणाम अपने आप बताने के लिए पर्याप्त होंगे कि देश में अच्छे दिन आने वाले हैं कि नहीं। **अनुज अग्रवाल** का एक विश्लेषण

1 देशभर में जमीनों/संपत्तियों के बाजार मूल्यों एवं रजिस्ट्री के सरकारी मूल्यों में कई गुना अंतर है और यह अंतर लाखों करोड़ों का काला धन पैदा करता है। क्या मोदी सरकार के पास इस भ्रष्टाचार को रोकने की कोई कार्ययोजना है? इसके अतिरिक्त औद्योगिक व आवासीय क्षेत्रों की जमीनें जब उद्योगपतियों व जनता को आबंटित होती है तब उसमें अरबों रुपयों के घोटाले/रिश्वत ली जाती है। सारे विकास प्राधिकरणों के कर्मचारी एफएआर बढ़वाने व गलत नक्शे स्वीकृत करने के नाम पर अरबों रुपये रिश्वत लेते हैं। क्या मोदी सरकार के पास इसे रोकने का कोई उपाय है?

2 किसानों से भूमि अधिग्रहण के समय कम मुआवजा देना, पुनर्वास प्रक्रिया व रोजगार देने के वादे ठीक से नहीं निभाना, अधिग्रहण के समय बंजर व बेकार जमीनों के स्थान पर कृषि भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया रोकने की मोदी सरकार की अभी कोई भी स्पष्ट नीति नहीं है।

3 मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के गैर प्रशिक्षित लोगों के हितों, न्यूनतम मजदूरी व मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक व्यवस्थित नीति का अभी भी अभाव है। क्या मोदी इस दिशा में कोई ठोस पहल करेंगे?

4 विभिन्न प्रकार के ड्रग्स, नशे, शराब, तम्बाकू आदि ने देश की जनता को जकड़ रखा है और प्रतिवर्ष 15 से 20 लाख करोड़ रुपयों का अपव्यय इस लत में देशवासी करते हैं। इसे बढ़ावा देने वालों व इससे जुड़े पेशों में लगे लोगों पर लगाम कसने के लिए मोदी क्या करने जा रहे हैं? इस क्षेत्र में 80-90 प्रतिशत तक व्यापार गैर कानूनी रूप से होता है। इस व्यापार व उत्पादन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने व 100 प्रतिशत राजस्व वसूली की मोदी सरकार के पास क्या योजना है?

5 कृषकों को मिलने वाली सुविधाएं यथा सस्ते बीज, जैविक खाद, उन्नत तकनीक, सस्ता ऋण, गोदाम/प्रशीतलन गृह, बेहतर सड़कें व यातायात के साधन, सही दामों पर अनाज के वितरण के लिए कोई स्पष्ट नीति अभी तक मोदी सरकार ने घोषित नहीं की है। वायदा कारोबार का लाभ सिर्फ कुछ प्रतिशत व्यापारी उठाकर 60 प्रतिशत कृषि आधारित आबादी के हक को मारते रहे हैं। इसमें कृषकों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की क्या व्यवस्था मोदी सरकार पर है? बाढ़ व सूखा से किसानों के हितों की रक्षा व उनको रोकने के स्थायी उपाय क्या मोदी जी के पास है?

6 देश में 90 करोड़ मोबाईल धारक व 20 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं व 4-5 लाख करोड़ का व्यापार प्रतिवर्ष इस क्षेत्र में हो रहा है। किन्तु हमारी निर्भरता विदेशी सर्वरों, विदेशी नेटवर्किंग साइटों व विदेशी तकनीक पर क्यों है? कौन इस खेल में मोटा माल कमाकर देश को चूना लगा रहा है। इन सर्वरों पर उपलब्ध अश्लील साहित्य से हमारी पीढ़ियों को खोखला कर रहा है और नारी की गरिमा को चोट पहुंचा रहा है। इनको रोकने के लिए मोदी सरकार कोई उपाय क्यों नहीं करती?

7 हमारे मीडिया समूह व प्रकाशन निष्पक्ष नहीं है और न ही उन पर परोसी जाने वाली सामग्री स्तरीय है। इस पर धनपतियों व निजी स्वार्थी तत्वों का नियंत्रण है। इस सम्बन्ध में ट्राई की हाल ही की सिफारिशों को लागू करने में मोदी सरकार को क्या आपत्ति है जो राजनीतिक दलों व कारपोरेट घरानों को इस क्षेत्र से बाहर करने व स्वायत्त आयोग बनाने के सम्बन्ध में है?

8 समाज सेवी संस्थाओं को विदेशी फंडिंग एक विवादास्पद प्रश्न है और इसको जायज ठहराने के लिए व्यापार उद्योगों में विदेशी फंडिंग के प्रावधान होने की आड़ ली जाती है। अब भारत एक समृद्ध देश है और अपने सामाजिक क्षेत्र का भार उठाने में सक्षम भी। ऐसे में विदेशी अनुदान की हमें आवश्यकता ही नहीं है और अगर कोई देना चाहे तो वो सीधे भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय को दें न कि किसी संस्था को। क्या मोदी सरकार ऐसा करेगी?

9 देश में अवैध आव्रजन की समस्या पर मोदी सरकार की कोई स्पष्ट दिशा नीति नहीं आयी है। बांग्लादेशी घुसपैठ, जो सामाजिक कम धार्मिक मसला अधिक है, के निदान की दिशा में क्या मोदी सरकार कोई ठोस उपाय कर पायेगी? कश्मीरी पंडितों की कश्मीर घाटी में बहाली की घोषणा तो जरूर की गई है किन्तु यह कब और किस प्रकार की जायेगी इस पर मोदी सरकार चुप ही है।

10 शिक्षा व स्वास्थ्य प्रत्येक की मूलभूत आवश्यकताएं हैं किन्तु ये दोनों क्षेत्र ही अति अराजकता का शिकार है। सरकारी शिक्षा व स्वास्थ्य केन्द्र जहां भ्रष्टाचार का अड्डा है वहीं निजी शिक्षा व स्वास्थ्य केन्द्र लूट का। बहुस्तरीय शिक्षा व स्वास्थ्य प्रणाली ने देश में सामाजिक विभाजन की बहुत सी रेखाएं खींच दी हैं। सबको एक सी दर पर एक सी व अच्छी सेवाएं देने की जिम्मेदारी क्या मोदी सरकार ले पायेगी? खेलों का समुचित विकास व इसमें सट्टेबाजी पर रोक के लिए मोदी सरकार क्या कदम उठा रही है?

11 निजीकरण के बाद प्राकृतिक संसाधनों व खनिज पदार्थों की लूट ने घोटालों के पहाड़ से खड़े कर दिये हैं। इस क्षेत्र की समृद्धता में जनता को भागीदारी मिल ही नहीं पाई है। इस क्षेत्र में पारदर्शी नीतियों व निगरानी तंत्र का आगाज, अपराधियों को सजा, लूटे धन की वापसी व जनता को उसका लाभ क्या मोदी दिला पायेंगे? शेयर बाजार में काले धन को सफेद करने का रास्ता बाकी है जो बिना अर्थव्यवस्था में सुधार के उपर जा रहा है। क्या उपाय है मोदी सरकार के पास इस खेल को रोकने का?

12 देश का केन्द्र व राज्य सरकार एवं सरकारी निगम व सार्वजनिक क्षेत्र लाखों-करोड़ों की खरीददारी करता है। अक्सर वह खरीददारी बाजार रेट से कहीं ज्यादा कीमत पर की जाती है। कई मामलों में कई गुना तक। क्या मोदी सरकार प्रत्येक वस्तु की खरीद के सरकारी रेट व उस खरीद के तहत मिलने वाली गारंटी अवधि तक प्रदाता कंपनी की जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया विकसित करेगी?

13 ठेकेदारी की पद्धति में भी बड़ी खामियां हैं। ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया अभी भी सीमित रूप से ही लागू है। प्रत्येक विनिर्माण की निविदा चाहे वो सड़क हो, पुल हो, भवन हो या अन्य कुछ, 10 से 100 प्रतिशत तक अधिक दामों पर उठायी जाती है। यानि कुल आबंटित बाजार को अगर सही तरीके से खर्च किया जाये तो वर्तमान से दुगना कार्य कराया जा सकता है। किन्तु यह खेल घोर भ्रष्टाचार का शिकार है। ठेकेदारों व अधिकारियों की जवाबदेही स्पष्ट ही नहीं है और कानून में उनके बच कर निकलने के बहुत से रास्ते बना दिये गये हैं। क्या मोदी कर पायेंगे इसे ठीक?

14 खनिज तेलों के दामों पर देश में भारी असंतोष है। इसमें केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा मूल कीमत से बहुत अधिक कर लिये जा रहे हैं जिससे जनता ठगा महसूस कर रही हैं। हमारी ऑटोमोबाईल नीति अरब, यूरोप व अमेरिकी देश निर्धारित कर रहे हैं। क्या करेंगे मोदी इस दिशा में, यह देखने की बात है।

15 निजी क्षेत्र अपनी साख के दम पर जिस क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं होता उस क्षेत्र में भी सरकार से काम लेकर आगे अगली कम्पनी को आउटसोर्स कर देता है जो सरासर धोखा और भ्रष्टाचार है। इससे जहां लागत बढ़ती है वहीं सेवाएं मिलने की संभावनाएं क्षीण हो जाती है। क्या मोदी इसे रोकने के लिए कुछ उपाय करेंगे? निजी क्षेत्र को मिलने वाले बैंक ऋणों, कर छूट व उनकी वसूली के लिए भी कोई पारदर्शी व्यवस्था बना पायेंगे मोदी? यह क्षेत्र हर साल लाखों-करोड़ों रुपये लील जाता है। क्या उसका लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मिलने का कोई पारदर्शी, वैज्ञानिक व स्वीकृत पैमाना है मोदी सरकार के पास?

16 सड़कों के निर्माण की बीओटी योजना जनता से धोखा है। जब जनता खनिज-तेलों पर इतना कर देती है तो टोल टैक्स लेना अपराध है। टोल बूथों पर लगी लंबी लाईनें तेल व समय का इतना नुकसान कर देती है कि टोल टैक्स से उसकी वसूली संभव नहीं है। इसे तुरन्त बंद कर सकेगी मोदी सरकार?

17 निजीकरण ने मानव संसाधनों की गत बना दी है। प्रत्येक कम्पनी सीधे भर्ती न कर या तो निविदा पर कर्मचारी रखती है या फिर आउटसोर्स कर फर्जी कम्पनियों के माध्यम से कार्य करती है। काम के घंटों, वेतन व मानवाधिकारों का इस खेल में खुला हनन होता है। क्या इसे रोकने के लिए मोदी कोई उपाय करेंगे?

18 देश में जितने भी सरकारी/सार्वजनिक कार्य आबंटित किये जाते हैं उनकी व्यवस्था पारदर्शी नहीं है और उसमें नौकरशाहों, राजनीतिज्ञों व उनके चहेतों/रिश्तेदारों का बोलबाला व भीषण भ्रष्टाचार है। इसकी पारदर्शी व्यवस्था मोदी जी कब सामने लायेंगे?

19 सरकारी कर्मचारी यानि गैर जिम्मेदार व गैर जवाबदेह। इस प्रवृत्ति को रोकने, उनकी क्षमताओं का अधिकतम निष्पादन करने व उन्हें जवाबदेह बनाने की क्या योजना मोदी जी के पास है?

20 राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र, चंदे की पारदर्शी व्यवस्था, कालेधन की वापसी, चुनाव सुधार, पुलिस सुधार, प्रशासनिक सुधार व न्यायिक सुधारों पर मोदी की रणनीति का खुलासा क्या हो पायेगा?

21 सबसे बड़ी बात, भारतीय संस्कृति व भारतीय भाषाओं के अनुरूप देश की शिक्षा व संचार माध्यमों का कदम ताल स्थापित करने के लिए मोदी जी कब तक स्पष्ट व प्रभावी रणनीति बना लेंगे?

इंडिया से भारत की ओर ...

जितना मैंने अध्यात्म पढ़ा है उससे यह समझ आया है कि देशकाल से व्यक्ति का भविष्य जुड़ा होता है। व्यक्ति के भविष्य से देश भले ही उन्नत न हो पाए किन्तु देश का भविष्य खतरे में होगा तो व्यक्ति का भी हो जाएगा। इसीलिए केवल अपने भविष्य की चिंता बंद कर दें।

देश के लिए अभी भी कई लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनके कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता किन्तु जो अच्छे नहीं हैं वो देश के लिए घातक हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता चला गया। भ्रष्टाचार को एक लीगल फ्रेमवर्क देने का प्रयास और चल गया। भ्रष्ट लोग आरटीआई के दायरे से बाहर आने शुरू हो गए।

आज युवाओं को जागरूक किए जाने की जरूरत है क्योंकि 2020 तक हमारा देश युवाओं का देश होगा और इसकी बागडोर उनके हाथों में होगी। किन्तु जब मैं देश के युवाओं को देखता हूं तो दुख होता है कि जिसे भारत का ज्ञान नहीं है वो इस देश को कैसे चलाएंगे। जिन्हें भारत की परंपरा, संस्कृति की समझ नहीं है वो देश को कैसे संभालेंगे? जिन्हें संविधान व कानून का ज्ञान नहीं वो कैसे कानून व्यवस्था कायम करेंगे? इन पीढ़ी को कौन बना रहा है यह सोचने का विषय है। कहीं यह पीढ़ी 'इंडिया' की तो नहीं है? जबकि आज 'भारत' की पीढ़ी की आवश्यकता है।

इस देश में योग, ज्योतिष, आयुर्वेद और आध्यात्म हैं जिनके माध्यम से बच्चों व युवाओं के तन-मन-चरित्र पर काम किया जा सकता है। युवाओं को कुछ भी जबरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता लेकिन बताया जा सकता है, एक माहौल बनाया जा सकता है।

इंडिया की समझ रखना बुरा नहीं है किन्तु बनना भारत जैसा पड़ेगा, अन्यथा जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं वो और बढ़ेंगी। जुलाई 1995 से मैं लगातार कह रहा था कि अपने व अपने परिवार के बारे में सोचो लेकिन राष्ट्र को अपने जीवन लक्ष्यों में शामिल करके चलो वरना हालात बहुत कठिन हो जाएंगे और आज वो स्थिति आ गई है। एक मां अपने बच्चे को दूध पिला रही है या सेब खिला रही है तो वह दावे से नहीं कह सकती कि यह शुद्ध हैं। आज यदि कोई आगे बढ़ता है तो अपने साथ किसी को आगे नहीं बढ़ाता। हम जिस देश की संस्कृति का अंधानुकरण करते हैं, एक बार उस देश की संस्कृति में झांक कर तो देख लो, वह अपने साथ अपने राष्ट्र को भी आगे बढ़ाते हैं। वो अपने व्यापार को राष्ट्र के व्यापार से जोड़कर चलते हैं। इसी वजह से वो अन्य देश कब्जाते थे और आज भी कब्जा रहे हैं। यदि हम आज नहीं चेते तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। इसीलिए हमें भारत की मौलिकता को समझना होगा और भारत की ओर चलना होगा। जिस दिन भारतीय होने का अहसास हमें हो गया उस दिन भारत की तस्वीर बदल जाएगी।

मैं तीन विषयों पर बात करना चाहता हूं कि भारत क्या था, क्या हुआ और कैसे वापिस भारत बनाया जाना चाहिए। भारत एक बेहद उन्नत और बेहद विशाल देश था। 180 से पहले के नक्शे में यदि आप पूर्वी हिस्से को देखेंगे तो सबसे बड़ा भूखंड भारत दिखेगा। उसके अतिरिक्त बहुत छोटे-छोटे प्रांत थे। एक इतना विशाल देश जिसके भूखंड को नापना भी मुश्किल था, वहां चन्द्रगुप्त थे, सूर्यवंशी थे, चन्द्रवंशी थे, कोई श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान व मंगोलिया नहीं थे। एक ऐसा विशाल खंड जहां भारत की लौ जलती थी। भारत में ज्ञान था और ये दोनों ज्ञान थे- लौकिक भी व परालौकिक भी। संगीत, कला, साहित्य, दर्शन के प्रति हमारी गहन रूचि थी। भारत में हर कला पल्लवित हुई, फूली फली। आज जिन हार्मोन्स की बात की जाती हैं वो 10 हजार वर्ष पूर्व भारतीयों को पता थी। कई बीमारियों के उल्लेख भी सुश्रुत संहिता में पहले से ही मौजूद हैं जिनकी खोज का दावा 17वीं शताब्दी के बाद से किया जाता है। भारत में विशालता और महानता के साथ ही गुण और मौलिकता भी थी।

हमारे पास जो ज्ञान है आप वैज्ञानिक रूप से उसी तरह प्रस्तुत कर सकते हैं जिस तरह से बड़े-बड़े वैज्ञानिक कार्यशालाओं में प्रस्तुत करते हैं। हमें फिल्मों व सीरियलों ने भटका दिया। हमें बहुत से धर्म गुरूओं ने भी भटका दिया क्योंकि उन्होंने चमत्कार के नाम पर सही राह नहीं दिखाई। भारतीय समाज जातियों से निरपेक्ष था व वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता था। समाज समानता में विश्वास रखता था। मैं दावे से कह सकता हूं कि हिन्दू धर्म और समाजवाद अलग नहीं हो सकते। हिन्दू धर्म में कभी भी पूंजीवाद नहीं आया। हिंदू धर्म ने जिस बांह से बंसी बजाना सीखा था, उसी बांह से बंदूक चलाना भी सीखा। हिन्दू समाज में शांति का वातावरण था किन्तु शांति इस बात पर नहीं थी कि तुम आओ, कुछ भी करो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। श्रीकृष्ण ने भी कहा था कि दुष्टों का विनाश होना चाहिए। ऐसे भगवान जिन्होंने यह दर्शन दिया और ऐसा हिन्दू समाज जिसने धर्म में अपनी आस्था दिखाकर इसका अनुपालन किया, आज वह यह सब भूल रहे हैं और इसीलिए धर्मनिरपेक्षता का नारा बार-बार दिया जाता है जिसका कोई आधार नहीं है।

अर्थव्यवस्था की बात करें तो मैं श्रीकृष्ण का जिक्र करना चाहूंगा। वह गवैये या रसिया नहीं थे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक व अर्थशास्त्री थे। मटकी फोड़ने के बहाने वो स्वदेशी उपभोग की बात करते थे। उनका मानना था कि तुम्हारा मक्खन पहले तुम अपने घर के बच्चों व गांव के लोगों में तो बांट दो, बाद में कंस की सेना को बेचने जाना। आज एफडीआई को बढ़ावा देकर अच्छी चीजें निर्यात और बुरी चीजें आयात करके यहां बेची जा रही हैं। भारत ने हमें कृषि की अर्थव्यवस्था दी। श्रीकृष्ण का जो गौ प्रेम था उसे साधारण मत समझिएगा। वो गाय के पीछे बैठकर बांसुरी राधा के लिए नहीं बजाते थे। बांस से निकलने वाली आवाज से शरीर की वायु शांत होती है और गाय ज्यादा दूध देती है। श्रीकृष्ण अपने भाई के साथ घर छोड़कर ऐसे रास्ते से भागे थे जहां शिशुपाल की सेना उन्हें देख सके जिससे बाकी लोगों को वो सेना मारे नहीं। हम दो मर जाएंगे देखा जाएगा, बाकी लोग तो सुरक्षित रहेंगे। ये होता है हुक्मरान, न कि वो जो सुरक्षाकर्मियों के साथ चले। ऐसी हमारी जबरदस्त व्यवस्था और सैन्य शक्ति थी। हम जानते थे धनुष किस प्रकार दूर तक मार कर सकता है। जो दूसरे देशों ने युद्ध की रणनीतियां अपनाई वो श्रीकृष्ण और अभिमन्यु जानते थे। हमने उस वैज्ञानिक धर्म को समझने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया।

धीरे-धीरे देश में मुगल आने लगे। वो जानते थे कि भारत को कब्जाने के लिए भारत के धर्म पर प्रहार करना होगा क्योंकि भारत ने राजनीति, अर्थशास्त्र, रक्षा नीति सब धर्म से सीखा था। हमारा धर्म केवल मंदिरों तक सीमित नहीं था इसीलिए उन्होंने धीरे-धीरे पहले धर्म को काटना शुरू किया। उन्होंने हमें धर्म से अलग करना शुरू किया और चापलूसों की एक फौज खड़ी कर दी। आज की राजनीति में भी चापलूस देखे जा सकते हैं। भारत में पुर्तगाली, डच व अंग्रेज भी भारत आएं।

आक्रमणकारी सबसे पहले संस्कृति और अर्थव्यवस्था को ही जड़ से काटने का प्रयास करता है। वह सबसे पहले अर्थव्यवस्था पर प्रहार करता है और यदि वह चूक जाता है तो संस्कृति पर प्रहार करता है जिसमें भाषा, वेशभूषा, पूजा-पाठ पद्धति, लौकिक, परालौकिक ज्ञान आदि आते हैं। अंग्रेज परेशान थे कि भारत को कैसे काबू में किया जा सके। गांव उनके साथ समन्वय नहीं करते थे। उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया जो बहुत खतरनाक था और जो हममें से आज कई लोग अख्तियार करे बैठे हैं। इससे बचने की जरूरत है। हमें सिखाया गया कि आप बंजारे लोग हैं। आपका कोई धर्म नहीं था और हमारे अस्तित्व को लेकर भी बहस छेड़ दी। कोई कहता था हम स्विट्जरलैंड से आए हैं और कोई कहता था जर्मनी से आए हैं। चंगेज खां मुसलमान नहीं थे, मंगोलियन थे।

उन्होंने कहा कि जो पढ़े-लिखे लोग हैं वो वहां से आए हैं। एक थ्योरी यह भी कहती है कि रूस के कुछ लोग कश्मीर व गंगा किनारे आकर बस गए। हमारे अस्तित्व पर अंग्रेजों ने प्रहार किया। युवाओं व बच्चों को सिखाया गया कि तुम्हारा कोई इतिहास, भूगोल नहीं है और तुम्हें पालना पोसना व शिक्षित करना अंग्रेजों का दायित्व है। वो एक दिन की नहीं बल्कि सौ साल तक की नीतियां बनाते थे। नालंदा व तक्षशिला में हमारे धर्म, इतिहास व दर्शन आदि की पुस्तकें जला दी गई और फिर हमारे धर्म व इतिहास पर प्रश्न उठाया गया। वहां ऐसा अद्भुत विज्ञान था जो जन्म लेने से बूढ़े होने तक बताता था कि व्यक्ति को कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। हिन्दू अर्थव्यवस्था से संबंधित सारा साहित्य खत्म कर दिया गया। 'सो कॉल्ड मॉडर्न इंडिया' ने हमें केवल यह बताया कि आप कबीले के लोग हैं और आपकी कोई संस्कृति, इतिहास नहीं है, कोई विज्ञान नहीं था, कोई भाषा नहीं थी। आप पत्थरों की मूर्तियां बनाकर उसकी पूजा करते हैं। उन्होंने यह सारी चीजें किसानों व अनपढ़ों को नहीं बताई बल्कि बुद्धिजीवियों को बताई। आज वो मैकॉले तो चला गया किन्तु कई मैकॉले इस देश में पैदा हो गए। हमने किताबों में अंग्रेजों की 'डिवाइड एन्ड रूल' की नीति पढ़ी है। यह डिविजन केवल हिन्दू-मुस्लिमों में नहीं था बल्कि हमारे व हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति के साथ भी था। इससे मध्ययुगीन इंडिया बनता चला गया जो मॉडर्न इंडिया में तब्दील हो गया। हमारा भारत अपनी मौलिकता के साथ कहीं खो गया है। वो भारत हमारे बीच ही है किंतु वह मॉडर्न इंडिया से डरकर छिप गया है। बहुत सारे लोग इसके लिए चिंतित भी हैं।

1991 की विदेश नीति के बाद जो दोहरी अर्थव्यवस्था बनाई गई है वह एकदम से टूटेगी और भारत की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजरेगी। इंडिया से भारत की ओर जाने के लिए 55 करोड़ युवा आबादी पर ध्यान देना होगा। आज 90 प्रतिशत युवा इंडिया को जानते हैं, भारत को नहीं। भारत की ओर जाने के लिए बच्चों व युवाओं को शिक्षा प्रदान करनी होगी जिसका आधार होगा विज्ञान। इसके लिए अपने व अपने परिवार से ऊपर उठकर जिम्मेदार व्यक्तियों को आगे आना होगा।

राजनीति देश को दिशा दिखाती है। मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को राजनीति को गंदा न बताएं और उन्हें राजनीति में भेजें। श्रीकृष्ण भी एक राजनीतिज्ञ थे। कोई भी देश राजनीति के बिना नहीं चल सकता। हमें राजनीति में जाना होगा किन्तु हमें षड्यंत्रों व षड्यंत्रकारियों से बचना होगा। देश को बेचने वाला व षड्यंत्र करने वाला बुरा है जिससे बचने की जरूरत है डरने की नहीं। मैं विश्व बंधुत्व को राष्ट्र हित के बाद मानता हूं। देश का पुनर्निर्माण केवल आध्यात्म और शिक्षा करेगी। अध्यात्म चरित्र बनाता है। आज जिस तरह की शिक्षा भारत में है ये इंडिया को भारत नहीं बना सकती। यह इंडिया को सबल इंडिया भी नहीं बना सकती। बच्चों को सिखाया नहीं जा सकता बल्कि बताया जा सकता है। आज बच्चों को सकारात्मक माहौल देने की जरूरत है और उसके लिए खुद को बदलना होगा। राम चाहिए तो स्वयं दशरथ बनना होगा। शिक्षकों के रूप में भी वह लोग हो जिन्हें भारत के बारे में पता हो।

मौलिक भारत क्या और क्यों?

अनुज अग्रवाल

रामानुज मिशन ट्रस्ट के 13वें वार्षिकोत्सव पर चेन्नई में आयोजित व्याक्ख्यानमाला में मौलिक भारत के राष्ट्रीय समन्वयक **अनुज अग्रवाल** द्वारा दिया व्याक्ख्यान-

मौलिक भारत से हमारा आशय निश्चित रूप से अपने उस पुरातन से वह सभी सारगर्भित लेना है जिसके कारण हमारा देश भारतवर्ष एक बौद्धिक-आध्यात्मिक-सांस्कृतिक त्रयी के साथ ही आर्थिक व वैज्ञानिक रूप से भी समृद्ध स्वरूप ले पाया था। हम भारतीयों की उस महान परम्परा को पुनर्जीवित करने के पक्षधर हैं जिसमें भृगु, मनु एवं वेद परम्परा के माध्यम से प्रकृति के साथ मानव के रिश्ते को समझने, मनन करने व तूलिका बद्ध कर जीवन सूत्र बनाने की वैज्ञानिक परम्परा सदियों तक चली। जिस कारण हमारा देश अनेकों उपनिषदों व जीवन दर्शनों के साथ ही जीवन के हर पहलू की विषद, वैज्ञानिक व व्यावहारिक परिभाषा दे पाया। हम मौलिक भारत में उस सनातन संस्कृति के अनुरूप मानसिकता वाले समाज की स्थापना करने के पक्षधर हैं जिसमें कोई सम्प्रदाय, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होते थे और मानव समाज प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करता हुआ धर्म (कानून) के अनुरूप अर्थ व काम का उपभोग करता हुआ आत्मसाक्षात्कार के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति को अपने जीवन का ध्येय समझता था। निश्चित रूप से वह समय अर्द्धशहरी व ग्रामीण - कृषि व व्यापार आधारित संयुक्त परिवार की त्रयी पर आधारित था और प्रकृति-गाय-गंगा के इर्द-गिर्द केन्द्रित था।

हम समझते हैं कि औद्योगिकीकरण, नगरीय ढांचों, एकल परिवार व कृत्रिमता ने आधुनिक परिदृश्य को बदल दिया है, गाय से निकल कर अर्थव्यवस्था डॉलर के इर्द-गिर्द आ गयी है और' भारत की शिक्षा गुरूकुल से निकल विद्यालयों, स्वास्थ्य आयुर्वेद से निकल एलोपैथी व न्याय पंचायतों से निकल बहुस्तरीय अदालतों की ओर केन्द्रित होता गया है। समाज उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र व कृषि क्षेत्र में बंटता गया। इस बदलाव के क्रम में हमारी निर्भरता विदेशों पर बढ़ती गयी और हम एक षड्यंत्र की तहत अपनी जांची, परखी व आजमायी हुई जीवन पद्धति से एक संदिग्ध व शोषण पर आधारित जीवन पद्धति की ओर धकेल दिये गये। भारत के गुरूकुल जो निरंतर संवाद, शोध व नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करते थे, अब समाप्त हो चुके हैं। भारतीय मंदिर जो राजाओं को धर्म आधारित शासन प्रणाली को लागू करने के लिए सलाह देते थे व खजाने के रूप में उपयोग होते थे, को वर्तमान राज व्यवस्था ने अनुपयोगी मान लिया है। देश में मुगल-अंग्रेजी राज में स्थापित नये शासन तंत्र ने भारतीय समाज की धार्मिक-सांस्कृतिक व शैक्षिक जीवंतता को अपने लिए खतरा समझ, इसका शनैः शनैः क्षरण किया और शोषण की एक नयी व्यवस्था स्थापित की जो भारत की समग्र बौद्धिक क्षमता व संसाधनों की निरंतर निकासी की प्रक्रिया है। यह निकासी आबादी के 67 वर्ष बाद भी उसी प्रकार से जारी है और हमारी राजनीतिक शक्तियों, नौकरशाह व उद्योग व्यापार समूह सभी मिलकर इसे और अधिक गति, रूप और प्रकारों से जारी रखे हुए हैं जिसका कारण भारत का आम भारतीय आज भी मुख्य धारा से अलग-थलग हाशिये पर पड़ा अस्तित्व के संघर्ष में रत है। हम पुरातन व आधुनिक भारत के बीच समन्वय, सामंजस्य व पुल बनाने के लिए संघर्षरत हैं।

कितना दुखद है कि हमारे यहां हजारों उच्च शिक्षा के संस्थान होने के बाद भी शोध व अनुसंधान में हमारी हिस्सेदारी नगण्य है। हमारे यहां के औद्योगिक विकास को ध्वस्त कर हमारी सरकारें विदेशों से आयात को बढ़ावा देती जा रही हैं। देश प्रत्येक दिन 15 से 20 हजार करोड़ रूपयों की बाहरी देशों को निकासी कर देता है। इस कारण नयी पीढ़ी बेरोजगार है अथवा सेल्स, मार्केटिंग व दलाली जैसे कार्य कर रही है और उद्योग विनिर्माण के स्थान पर एसेम्बलिंग। अभी हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में 85 हजार भर्तियों के लिए 1.60 करोड़ युवकों ने हिस्सा लिया जो हमारी सरकार के रोजगार उत्पादन व शिक्षित बेरोजगार नौजवानों के बीच बढ़ते भयावह फासले को बता रहा है। टूटती मर्यादाओं, एकलवाद व परिवारों के बिखराव के बीच भारत का 25-30 करोड़ कुंठित युवा देश के लिए एक धरोहर होने की जगह भार बनता जा रहा है और देश में बड़ी अस्थिरता अथवा गृहयुद्ध के संकेत दे रहा है। हमारे प्रत्येक मंत्रालय व विभागों में गलत नीयत के लोग ऐसी नीतियां बना रहे हैं जो उनके अपने स्वार्थ व लूट के साम्राज्य का पोषण करती रहें। ये लोग देश की जनता से कटे हुए हैं व व्यवस्था ही देश पर बोझ बन चुकी है।

हम समझते हैं कि हमारे सपनों का मौलिक भारत तभी बन सकेगा जब देश-विदेशों से सामान आयात करना बंद कर अपने औद्योगिक उत्पादन को बढ़ा निर्यात करना शुरू कर देंगे। हमारी निर्भरता तेल पर खत्म होकर देश में उपलब्ध परम्परागत व नये उर्जा स्रोतों पर होती जायेगी। साथ ही हम अपने सभी प्रकार के हथियारों का स्वयं उत्पादन करना प्रारम्भ कर सकेंगे। हम किसी भी गैर सरकारी व धार्मिक संस्था को किसी भी तरह की विदेशी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहायता को बंद करने की मांग करते हैं क्योंकि भारत में अव्यवस्था व असंतोष भड़काने में यह धन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम अपनी टेक्नोलॉजी, अपने शोध, अपनी संस्कृति, अपना ज्ञान, अपना विज्ञान व जीवन के हर क्षेत्र को भारतीय मापदंडों से निर्धारित करने के लिए संघर्षरत हैं और रहेंगे। हम भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य व न्याय के आर्थिक स्तरीकरण का विरोध करते हैं व इसकी संयमित व्यवस्था को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम चाहते हैं कि भारत के किसानों को पुराना सम्मान व फसल के सही दाम मिलना देश के समग्र विकास के लिए अपरिहार्य है। साथ ही महिलाओं की गरिमा व परिवार संस्था का संरक्षण दोनों ही आवश्यक है। हम आधुनिकता के नाम पर देशवासियों पर थोपी जा रही पाश्चात्यता, अंग्रेजी भाषा, अश्लीलता, नशा व सट्टे की संस्कृति का विरोध करते हैं और इसे रोकने की मांग करते हैं। हम हमारे फिल्म, टीवी और मीडिया द्वारा भारतीयता परक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक मानते हैं।

मौलिक भारत मानता है कि पुरातन व नवीन जीवन पद्धतियों व संस्कृतियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए सतत शोध व अध्ययन आवश्यक है और इस दिशा में हम एक शोध संस्थान स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। हम देश में विभिन्न विभागों की नीतियों को राष्ट्रीय हित में व हमारी संस्कृति के अनुकूल करने की प्रक्रिया विकसित करने हेतु एक शोध संस्थान व उन नीतियों को लागू करने हेतु एक दबाब समूह व चिंतक समूह के रूप में भी मौलिक भारत को स्थापित करने की प्रक्रिया में लगे हैं। इस क्रम में हम निरंतर प्रेसवार्ता, लेखन, PIL/RTI, चर्चा समूह, सेमिनार, संगठन का नेटवर्क, सभाओं, साहित्य का प्रकाशन, पत्रिकाओं/अखबार का संचालन अथवा लेखन, आंदोलनकारी गतिविधियों को करने के लिए संकल्प बद्ध हैं। इसी क्रम में हम सभी समान मानसिकता व विचारों के लोगों, समूहों व संस्थाओं को एक मंच पर लाने के लिए प्रयासरत हैं।

मौलिक भारत यह मानता है कि वर्तमान नीतियों को लागू करने में व्यवस्था की असफलता के पीछे वहां बैठे लोगों की गलत नीयत है। हम गलत नीयत वाले लोगों के चयन की प्रक्रिया यानी चुनाव व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। दलों में आंतरिक लोकतंत्र, चरणबद्ध तरीके से पंचायत से केन्द्र तक नेतृत्व की प्रोन्नति, उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण तथा उनकी स्पष्ट जवाबदेही आवश्यक है। सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी, सार्वजनिक व गैर सरकारी नियुक्तियों में भी यही प्रक्रिया आवश्यक व अपरिहार्य है।

हम मानते हैं वर्तमान नेतृत्व चाहे वह राजनीतिक हो अथवा सरकारी नौकर, भ्रष्ट व अनुपयोगी हो चुका है और उसे बदलना आवश्यक है। सत्ता परिवर्तन से अब किसी भी प्रकार का सुधार संभव नहीं है। अत: निम्न तीन कदमों की आवश्यकता है-

- जनकेन्द्रित व भारतीयतापरक नीतियां
- पूर्णत: लोकतांत्रिक व पारदर्शी ढांचा
- प्रशिक्षित व जवाबदेह नेतृत्व

इस व्यवस्था को एक दिन में लागू करना संभव नहीं है। इसके लिए प्राथमिक आवश्यकता विश्वसनीय नेतृत्व के विकास की है। हम काम कर रहे हैं नये नेतृत्व के प्रशिक्षण की प्रक्रिया व आयामों पर। इसके लिए एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम व प्रशिक्षक तैयार करना हमारा प्राथमिक लक्ष्य है तथा एक आदर्श प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण भी। हम सभी वर्तमान लोकसेवकों व भविष्य में लोकसेवा के लिए उत्सुक लोकसेवाओं के सतत् प्रशिक्षण की मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि पंचायत से लेकर केन्द्र तक देश भर में प्रशिक्षण केन्द्रों का राष्ट्रव्यापी ढांचा हो जो जनकेन्द्रित नीतियों पर आधारित हो और जन संवाद व जनसंसद के माध्यम से बनायी जाये व शोध केन्द्रों द्वारा बताये गये तरीकों से प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित नेतृत्व द्वारा लागू की जाये। इस प्रकार से हम देश के क्रमबद्ध विकास का एक ढांचा भी तैयार कर रहें हैं जिससे अगले कुछ वर्षों में क्रमबद्ध तरीके से लागू कर भारत को भारतीयता से ओत-प्रोत एक समृद्ध, विकसित, सभी वर्गों के समान विकास वाले व विश्व के लिए एक आदर्श राष्ट्र के रूप में खड़ा किया जा सके। ■

भारतवर्ष की समस्त समृद्धि तथा प्रतिभा की

'सम्पूर्ण निकास एवं पलायन प्रणाली' आखिर क्यों ?

जसबीर सिंह

भारतवर्ष एक सफल 'समस्त धन, समृद्धि तथा प्रतिभा की सम्पूर्ण निकास एवं पलायन प्रणाली' से पीड़ित है जिसके परिणामस्वरूप उनके कठोर परिश्रम के फल का विकसित देशों में संपूर्ण निकास कर भारतवासियों को इस फल से पूर्णतः वंचित रखा जाता है।

भारतवर्ष प्राकृतिक सम्पदा एवं प्रतिभावान व्यक्तियों से परिपूर्ण है और इन दोनों को ही अत्यधिक सफलतापूर्वक विकसित देशों के निवासियों की ओर अधिक उन्नति एवं बढ़ोतरी के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।

निम्नलिखित वास्तविकताओं से ज्ञात होता है कि कैसे विदेशी भारतवासियों के कठोर परिश्रम का लाभ उठाते हैं तथा कैसे अधिकांश भारतवासी स्वयं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में - शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थय, पोषण, यातायात, सुरक्षा, क्रीड़ा, संस्कृति, मनोरंजन, वातावरण आदि की उच्च कोटि की सुविधाओं से वंचित रहकर निम्न कोटि का जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हैं?.

1 **भारत से निरन्तर** निम्नलिखित वस्तुओं का अत्यधिक सस्ते दामों पर निर्यात किया जाता है।

- कच्ची धातुएं
- फल, मसाले, मेवे
- अत्यंत निम्न आय के व्यक्तियों द्वारा तैयार किए गए वस्त्र
- अति निम्न आय के व्यक्तियों द्वारा बनाए गए हीरों के आभूषण
- अन्य निम्न आय के व्यक्तियों द्वारा निर्मित अन्य वस्तुएं

देश की प्राकृतिक सम्पदा का अति सस्ते दामों पर निर्यात देश की सम्पत्ति को व्यर्थ गवाना है तथा अत्यंत निम्न आय के व्यक्तियों द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात उन व्यक्तियों के जीवन स्तर को सदैव अति निम्न श्रेणी का रखेगा क्योंकि उनकी आय अत्यंत कम है।

2 **अत्यधिक उच्च कोटि** की शिक्षा कुछ चुने हुए लोगों को बहुत कम दाम पर उपलब्ध की जाती है। इस उच्च कोटि की सस्ती शिक्षा के लिए धन भवन एवं सड़क निर्माण में लगे श्रमिकों, शिक्षा-संस्थानों के कर्मचारियों, अध्यापकों, कृषकों, घरों की सफाई तथा अन्य घरेलू कार्यों में सहायता करने वाले लोगों को अत्यल्प आय देकर एकत्र किया जाता है। यूरोप में एक इन्जीनियर को बनाने का खर्चा लगभग 6 करोड़ रुपए है। अधिकांश प्रशिक्षित इन्जीनियर तथा चिकित्सक भारत छोड़ कर विकसित देशों में काम करने और रहने के लिए चले जाते हैं और विकसित देशों को बिना कोई प्रयत्न एवं खर्च किए हुए निःशुल्क बने-बनाए इन्जीनियर तथा चिकित्सक मिल जाते हैं। इस प्रकार विकसित देशों का न तो केवल इन्जीनियर तथा चिकित्सक बनाने का धन बचता है अपितु उन्हें दोहरा लाभ होता है क्योंकि उन्हें ये निःशुल्क मिल जाते हैं।

फलस्वरूप भारत का उच्च-शिक्षित नागरिकों पर लगाया गया सारा धन व्यर्थ हो कर विकसित देशों के उपयोग में आता है। स्पष्ट है कि प्रशिक्षित इन्जीनियरों तथा चिकित्सकों का भारत छोड़ कर चले जाना तो भारत की हानि है ही।

3 **मध्यम श्रेणी के श्रमिक** भारत छोड़ कर सिंगापुर, अरब एवं अफ्रीकी देशों में काम करने के लिए चले जाते हैं। वे वहां अत्यधिक अल्प आय पर कठिन परिस्थितियों में कठोर परिश्रम कर वहां के नागरिकों के जीवन-स्तर को उच्च श्रेणी का बनाने और बनाए रखने के लिये काम करते हैं।

इस प्रकार अल्प आय पर कार्य करने वाले भारतीयों के कठोर परिश्रम के

फलस्वरूप विदेशों में विदेशियों का जीवन उच्च कोटि का बनता है।

4 **पिछले कुछ वर्षों से** भारतीय व्यावसायिक उद्योगपतियों द्वारा विकसित देशों को सस्ती साफ्टवेयर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन उद्योगों के लिये भव्य भवन, सड़कें बनाने, इत्यादि एवं अन्य कार्यों के लिये अत्यधिक अल्प आय के श्रमिकों का उपयोग किया जाता है। ये भारतीय उद्योग अपने अल्प आय के कर्मचारियों के कठोर परिश्रम के फलस्वरूप अत्यधिक लाभ कमाते हैं और फिर उस लाभ से विकसित विदेशों में अन्य उद्योग खरीदते हैं।

अल्प आय के कर्मचारियों का सारा धन इस तरह दो प्रकार से विदेशियों का जीवन बेहतर बनाता है - प्रथम, विदेशियों को सस्ती सेवायें प्रदान करके जो कि कर्मचारियों की आय अति निम्न रख कर उपलब्ध की गईं तथा द्वितीय, उन देशों की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर जहां पर भारतीय उद्योगपतियों ने विदेशी उद्योग खरीदे क्योंकि वे खरीदे हुए उद्योग स्थानीय व्यक्तियों को कार्य उपलब्ध कराते हैं।

5 **विशाल भारतीय उद्योगपति** अपने उद्योगों, जैसे कि चाय की पत्तियां इकट्ठी करने के उद्योग में अति निम्न आय के श्रमिकों से काम लेकर अत्यन्त लाभ कमाते हैं। उन श्रमिकों की दशा एवं स्थिति में पिछले 50 वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि उनकी आय आज भी उतनी ही कम है जितनी कि 50 वर्ष पहले थी परन्तु उनके मालिकों ने विकसित देशों में जगुआर कार के विशाल उद्योग खरीद लिये हैं।

अत्यधिक अल्प आय के श्रमिकों के कठोर परिश्रम के फलस्वरूप कमाए गये लाभ का धन विदेशों में भारतीय उद्योगपतियों द्वारा खरीदे गये उद्योगों में कार्यरत विदेशियों के हित मे प्रयुक्त किया जाता है।

6 **भ्रष्ट भारतीयों द्वारा एकत्र** किया हुआ काला धन स्विटजरलैंड के बैंकों में जमा हो कर विकसित देशों की आर्थिक अवस्था को और अधिक अच्छा बनाने और वहां रहने वाले विदेशियों के हित में लगाया जाता है। इस प्रकार भारतीयों के कठोर परिश्रम का धन, जो कि रिश्वत के रूप में भ्रष्ट व्यक्तियों द्वारा जमा किया गया, विकसित देशों की आर्थिक गतिविधियों में लगकर वहां के निवासियों का जीवन श्रेष्ठतर बनाने के लिये काम आता है।

7 **विकसित देश भारत से** सस्ते दामों में कच्ची धातुएं आयात कर उन धातुओं से भारत में निर्धन और वंचित जनता के पैसे से शिक्षित और वहां निःशुल्क दान में आए हुए भारतीय इन्जीनियरों की सहायता से विशाल, जटिल एवं आधुनिक यन्त्र बनाते हैं जो कि भारत उन से काफी ऊंचे दामों पर खरीदता है।

इस प्रक्रिया में भारत को चार प्रकार से भयंकर हानि होती है। सर्वप्रथम, कच्ची धातु सम्पदा को सस्ते दामों पर बेच कर, द्वितीय, निर्धन और वंचित जनता के पैसे से शिक्षित इन्जीनियरों को बाहर जाने दे कर उस पैसे को खो देना, तृतीय, उन प्रशिक्षित इन्जीनियरों का विकसित देशों को निःशुल्क दान, एवं चतुर्थ, विदेशों में बने यन्त्र खरीद कर जो कि भारत से खरीदी गई सस्ती कच्ची धातुओं से और निःशुल्क प्राप्त भारतीय इन्जीनियरों द्वारा बनाये गये।

8 **भारतवर्ष में बहुराष्ट्रीय** उद्योग सस्ते इन्जीनियर एवं श्रमिकों से काम ले कर भारी लाभ कमाते हैं।

इस प्रकार भारतवासियों के कठोर परिश्रम के फलस्वरूप कमाया हुआ लाभ विदेशी उद्योगों के मालिकों, हिस्सेदारों और विदेशी सरकारों व नागरिकों के काम आता है।

सारांश यह है कि उस भारतीय धन का, जिस पर कठोर परिश्रम करने वाले भारतीयों का अधिकार है परन्तु वह उन्हें नहीं मिलता, विकसित देश निम्नलिखित ढंग से लाभ उठाते हैं:

1. भारतीय भ्रष्टाचार के फलस्वरूप प्राप्त धन को उद्योगों और विकास कार्यों में लगाकर
2. भारतीय उद्योगपतियों, जो अपने भारतीय उद्योगों में कठिन परिश्रम करने वाले भारतीयों को अति अल्प आय देकर एकत्रित किये गये धन से विदेशों में विदेशी उद्योगों को खरीदते हैं, द्वारा लगाए गये धन का लाभ उठाकर
3. निम्नलिखित ढंग से अपना धन बचाकरः
   क. भारत से सस्ता कच्चा माल खरीद कर
   ख. भारत से शिक्षित एवं अनुभवी व्यक्तियों, जिन्होंने अति अल्प आय के श्रमिकों के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की, का निःशुल्क आयात कर
   ग. भारत से अति निम्न आय के श्रमिकों का आयात कर एवं उनसे निम्न आय पर कठोर परिश्रम का कार्य लेकर
4. भारतीय व्यावसायिक सेवा उद्योगों, जोकि भारत में कार्य करनेवालों को निम्न आय देते हैं, द्वारा प्रदान की गई सस्ती सेवाएं का लाभ उठाकर
5. भारत को अति उच्च दामों पर ऐसे यन्त्र बेचने से अत्यधिक लाभ कमाकर जोकि ऐसे भारतीयों द्वारा विकसित किये एवं बनाए गये जो
   क. या तो उन्हें निःशुल्क मिले
   ख. या उन्हें भारतीय सेवा उद्योगों द्वारा सस्ते मिले
   ग. या उन्होंने भारत में अपने उद्योगों की शाखाएं खोलकर निम्न आय देकर काम पर लगाये

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में 'समस्त धन, समृद्धि तथा प्रतिभा की सम्पूर्ण निकास एवं पलायन प्रणाली' कितनी सफलता से कार्यान्वित है। इसके फलस्वरूप अधिकांश भारतीय जनता निर्धनता, क्षुधा और अभावों से भरा हुआ अत्यन्त निम्न कोटि का जीवन व्यतीत करती है जबकि उसके कठोर परिश्रम का सुफल विकसित देशों को पहुंचता है। 'समस्त धन, समृद्धि तथा प्रतिभा की सम्पूर्ण निकास एवं पलायन प्रणाली' से निश्चित ही उत्तम सुविधायें समस्त भारतीयों को नहीं अपितु केवल कुछ गिने-चुने भारतवासियों को ही मिलती हैं।

परिणामस्वरूप हमारे प्रिय भारत का स्थान है

- संयुक्त राष्ट्र की (180 देशों की) मानवीय विकास 2009 सूची में 134वां (जितना अधिक अंक, उतनी बुरी स्थिति)
- भूमण्डलीय (84 देशों की) क्षुधा 2009 सूची में 65वां (जितना अधिक अंक, उतनी बुरी स्थिति)
- स्वच्छ वातावरण की (149 देशों की) 2008 सूची में 120वां (जितना अधिक अंक, उतनी बुरी स्थिति)
- भ्रष्ट (180 देशों की) देश 2009 सूची में 84वां (जितना अधिक अंक, उतनी बुरी स्थिति)
- शिशु मृत्यु दर (193 देशों की) 2008 सूची में 49वां (जितना कम अंक, उतनी बुरी स्थिति)
- शौचालय अनुपस्थिति (11 देशों की) 2010 सूची में सर्वप्रथम (जितना कम अंक, उतनी बुरी स्थिति)

इसके विपरीत, विकसित देशों के नागरिकों का जीवन-स्तर अत्युत्तम है क्योंकि भारतवासी उनके उच्च जीवन-स्तर की बेहतरी और बढ़ोतरी के लिए कार्यरत हैं।

हमें इस 'समस्त धन, समृद्धि तथा प्रतिभा की सम्पूर्ण निकास एवं पलायन प्रणाली' को सम्पूर्ण रूपान्तरण कार्यक्रम द्वारा पूर्णतः बदलना होगा जिससे जनता के परिश्रम का पूर्ण फल उसे मिले और समस्त भारतवासियों का जीवन-स्तर अत्युत्तम हो।

असफल राजव्यवस्था और

पिछले कुछ वर्षो से देश में कई सारे आंदोलन चल रहे हैं। ये आंदोलन इस बात के प्रतीक हैं कि देश में एक प्रकार का असंतोष व्यापक पैमाने पर चल रहा है। परंतु ये आंदोलन इस असंतोष को सकारात्मक दिशा दे पाने में असफल हो रहे हैं। ऐसे में जरूरत है देश को उसकी जड़ों यानी मौलिक भारत की ओर वापिस ले जाने की। कैसा स्वरूप होगा मौलिक भारत का और उसे कैसे पाया जा सकेगा, यह गहन चिंतन का विषय है।

पिछले दो दशकों में देश व्यापक बदलावों के कुचक्र का शिकार रहा। इस समय में बाजारवाद, उदारवाद, व पूंजीवाद के नाम पर एक साजिश के तहत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, भारतीय कारपोरेट, विकसित देशों एवं भारत की राष्ट्रीय राजनीति कर रहे दलों, चर्च एवं अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ ने देश को एक 'पिलपिले लोकतंत्र' में बदल दिया है। हथियारों, ड्रग्स, पोर्नोग्राफी एवं सट्टे के साथ पुरानी विदेशी तकनीक का डम्पिंग ग्राउंड बन गया हमारा देश। खुली अर्थव्यवस्था ने हमारी संस्कृति, सांस्कृतिक मूल्यों, विरासत, हमारे ग्रामीण कृषि कुटीर, सहकारी अर्थव्यवस्था, संयुक्त परिवार, शिक्षा, स्वास्थय व भाषा सभी को तहस-नहस करने की पुरजोर काशिश की है। देश के संसाधनों विशेषकर खनिज पदार्थो को सत्तारूढ़ सरकारों ने खुलेआम लूटा है। देश की अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार है। बेरोजगारी चरम पर है। पिछले दस वर्षो में मात्र 20 लाख नये रोजगार सृजित हुए है। यद्यपि जनसंख्या 25 करोड़ बढ़ चुकी है।

बाजार 20-25 प्रतिशत सिकुड़ चुका है किंतु मंहगाई बढ़ाकर तथा प्रत्येक क्षेत्र में आंकड़ों में फर्जीवाडा कर झूठी तस्वीर जनता को दिखाई जा रही है। पिछले एक दशक में देश की 15-20 प्रतिशत आबादी मध्य वर्ग से पुन: निम्न मध्यम या निम्न वर्ग में आ चुकी है। पिछले चार वर्षो से भारत के उद्योगपतियों ने एक भी पैसा देश में नहीं लगाया है। उनका सारा निवेश अफ्रीका, यूरोप व अमेरिका आदि में हो रहा है। देश में विदेशी निवेश के नाम पर मॉरीशस व सिंगापुर रूट से कालाधन ही सफेद होकर वापिस आ रहा है। देश की सफेद अर्थव्यवस्था काली अर्थव्यवस्था की एक चौथाई मात्र है। सत्ता व उद्योगपतियों का कॉकटेल देश को लूट रहा है। हम एक अराजक देश के नागरिक हैं। अपराध आम बात है। बच्चों, वृद्धों व महिलाओं के आत्म सम्मान की रक्षा अब मुश्किल होती जा रही है। अलगाववाद, साम्प्रदायिकता, आतंकवाद व क्षेत्रवाद का बोलबाला है। पड़ोसी देशों से हमारे संबंध ठीक नहीं हैं और सीमाओं पर हमेशा तनाव रहता है। सैन्य खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। देश में हर समय कहीं न कहीं चुनाव एवं स्थानान्तरण होना आम बात है। राजनीतिक दल गिरोह बन चुके हैं और इन पर परिवारों का कब्जा है और आंतरिक लोकतंत्र शून्य है। आम जनता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थय, रोजगार एवं न्याय की जद्दोजहद से ही निकल नहीं पा रही है। आम भारतीय के पास आत्म सम्मान जैसी कोई चीज नहीं है। देश एक स्लम में बदलता जा रहा है। प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन की कोई प्रभावी व्यवस्था ही नहीं है। हमारी संवैधानिक संस्थाओं को खोखला किया जा है एवं उनकी गरिमा नष्ट की जा रही है। देश को सामंतवादी व मुगलकालीन राजतंत्र के ढर्रे पर चलाया जा रहा है, जहां चापलूसी एवं चमचागिरी का राज है देश का संवैधानिक ढांचा पुनर्विचार एवं पुनर्गठन की मांग कर रहा है और केन्द्र राज्यों के संबंधों में भी भारी तनाव है। इन पर गंभीर पुनर्विचार एवं बदलाव आवश्यक है। राज्यों का पुनर्गठन समय की मांग है तो सत्ता व संसाधनों का विकेन्द्रीकरण भी जरूरी है, किन्तु राजव्यवस्था इसके प्रति उदासीन है। देश दलालों, सट्टेबाजों एवं बड़े व्यपारियों का स्वर्ग बन गया है। इसके बहुआयामी विकास को अनदेखा किया जा रहा है। हमारा आंदोलन इस व्यवस्था को बदल, आगे दिये गये दृष्टिपत्र के अनुरूप देश का पुनर्निर्माण करने के लिए है। हम मात्र सुशासन की पुनर्स्थापना ही नहीं वरन राष्ट्र हित में नीतियों में भी प्रबल बदलावों के पक्षधर हैं।

इन विकट स्थितियों में हमारी मांगें हैं -

- राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं चुनाव सुधार।
- पूरे देश में शिक्षा को पुनर्परिभाषित करे तथा एक समान शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था सरकारी खर्च पर।
- भूमि अधिग्रहण कानून को आवश्यक सुधारों के साथ तुरन्त लागू करना।
- शहरों की सीमाओं की हदबंदी तथा शहरी ग्रामीण क्षेत्रों का स्पष्ट बंटवारा।
- अनिवार्य बैंक अकाउंट व पहचान पत्र प्रत्येक नागरिक को।
- खनिज एवं प्राकृतिक संसाधनों पर जनता का हक एवं सरकार मात्र उसकी कस्टोडियन एवं जनहित में ही उसका दोहन।
- राष्ट्रीय जननिगरानी तंत्र का विकास।
- सट्टे व वायदा कारोबार पर नियंत्रण।
- व्यापक पुलिस एवं प्रशासनिक सुधार।
- सस्ता, सुलभ व त्वरित न्याय।
- स्थानीय निकायों का आर्थिक सशक्तिकरण व अधिक अधिकार।
- भारतीय भाषाओं में सभी प्रकार की शिक्षा व प्रतियोगिताऐं।
- मीडिया/मनोरंजन जगत एवं पोर्नोग्राफ्री साइटों के लिए स्पष्ट गाइडलाइन।
- स्पष्ट युवा नीति जिसमें बेरोजगारी उन्मूलन हेतु प्रावधान हो।
- हमारी राष्ट्रीय व्यवस्था में 'लोकसेवकों के दायित्व एवं जनता के अधिकार' नामक विचारधारा का समावेश हो।

संकल्प पत्र

- हम विशुद्ध राष्ट्र आधारित व भारतीयता के पक्षधर हैं।
- हम किसी शक्ति/ राजनीतिक दल से प्रायोजित नहीं हैं।
- हम अपने-अपने क्षेत्रों में अपने-अपने स्तर पर राष्ट्र निर्माण के लिए कार्यरत हैं।
- हम व्यक्तिगत अहम का शिकार नहीं हैं और समाज सेवा हमारे लिए धंधा नहीं है।
- हम मानते हैं कि सामूहिक प्रयासों से ही उपरोक्त समस्याओं का समाधान संभव है।
- हम अपनी-अपनी संस्था की स्वतंत्र पहचान के साथ ही मौलिक भारत अभियान के दृष्टिपत्र से पूर्णतः सहमत हैं।
- हम अपनी संस्था की सभी प्रचार सामग्री में मौलिक भारत अभियान का 'लोगो' प्रयोग करेंगे तथा अपने दर्शन व संस्था के उद्देश्यों को मौलिक भारत अभियान के समरूप करेंगे।
- हम आवश्यकता पड़ने पर तन-मन-धन सभी से इस अभियान को अपना सहयोग देंगे।
- हम सामूहिक शक्ति द्वारा राजनीति के मुद्दों व माहौल को बदलने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आगामी चुनाव हमारे दृष्टिकोण पत्र में वर्णित मुद्दों के इर्द-गिर्द ही हो।
- हम हमेशा मौलिक भारत अभियान की केन्द्रीय संचालन समिति के निर्णयों को व्यवहार में लाने के लिए प्रयासरत रहेंगे।

नए नेतृत्व की विशेषताएं

नए नेतृत्व के विकास की बात सामने आते ही यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि गांव से केंद्र तक नए उभरने वाले नेतृत्व में क्या गुण होने चाहिए। यहां पर इस पक्ष पर प्रकाश डाला जा रहा है -

संपूर्ण देश में समान विचार व मानसिकता के लोगों व संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम के विकास व प्रसार की रूपरेखा बनाई जा रही है। परस्पर विचार विमर्श से जो महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर आया है उसमें नेतृत्व करने वाले नेता के गुणों की स्पष्ट व्याख्या देना जरुरी माना गया है। अव्यवस्था व भ्रष्टाचार से भरे माहौल में बड़ी जरुरत ऐसे लोगों के चयन की है जो ग्राम, वार्ड, ब्लॉक, तहसील, जिले, राज्य और अंततः केंद्रीय स्तर पर नेतृत्व देने की क्षमता रखते हों। सामान्यतः यह माना जाता है कि जिले स्तर तक के नेतृत्व करने वाले लोगों को स्थानीय मुद्दों की समझ, बेहतर जनसंपर्क, लगातार जनता से संवाद, साधारण वक्तव्य क्षमता और लगातार व्यवस्था की गलतियों को उजागर करना और सुधार के लिए दबाव बनाए रखना होता है। वास्तविकता यह है कि केंद्र से व राज्यों से प्रस्तावित योजनाएं जिलों और ब्लॉकों तक आते-आते दम तोड़ चुकी होती हैं। योजनाओं के बारे में जनता तो क्या, नेताओं तक को ही ढंग से पता नहीं होता और दलों की जिला इकाईयां इसका व्यवस्थित अध्ययन भी नहीं करती हैं। अगर योजनाओं, उनमें आवंटित धन व क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में ग्राम, ब्लॉक, तहसील व जिले के स्तर पर स्पष्ट जानकारी हो तो उसके संबद्ध व सही क्रियान्वयन की पारदर्शी व्यवस्था की जा सकती है। ऐसा तभी संभव है जब निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं व नेताओं को इसका संपूर्ण ज्ञान हो। विकास तभी दिखेगा जब वह निचले स्तर पर कार्यान्वित होगा। सचिवालयों एवं निदेशालयों के गलियारों से निकलकर वह अंततः जिलों के कार्यालयों की फाइलों में ही दम तोड़ देता है और अगर कार्यान्वित होता भी है तो आधा-अधूरा और भारी बंदरबाट के साथ।

अतः ग्राम व ब्लॉक स्तर की लीडरशिप इतनी सक्षम हो जो स्वयं ईमानदार हो, सुचिता में विश्वास रखती हो और प्रत्येक आने वाली योजनाओं व धन की पाई-पाई का हिसाब रख सकती हो, उसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुझाव दे सकती हो और अपने हाथ में नेतृत्व के आ जाने के बाद उसके वास्तविक क्रियान्वयन की क्षमता भी रखती हो। स्थानीय दबावों यथा परिवारवाद, वंशवाद, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, उद्योग, व्यापार समूहों व अन्य हित समूहों के दबावों के बीच सबके संविधान सम्मत विकास की अवधारणा को वास्तविकता में लाने की क्षमता रखती हो। परस्पर संवाद, सामूहिक विचार-विमर्श, पारदर्शिता आदि के गुण इसमें अपरिहार्य हैं।

राज्यों व केंद्र की राजनीति में आने के लिए अर्थव्यवस्था, प्रशासन, टेक्नोलॉजी, आईटी , कूटनीति व राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की व्यापक समझ व गहरी प्रशासनिक क्षमता व नेतृत्व के गुण आवश्यक हैं और उससे भी ज्यादा जरुरी है सार्वभौमिक मूल्यों, भारतीय संस्कृति, राष्ट्र के प्रति प्रेम, देश के लिए आत्मसम्मान की भावना और टिकाऊ विकास की अवधारणा पर काम करने की मानसिकता। ईमानदारी, पारदर्शिता एवं सामूहिक नेतृत्व की भावना और मात्र राष्ट्र हित में निर्णय लेने की मानसिकता इससे भी ज्यादा जरुरी है।

आन्दोलन का श्रीगणेश

देश के नवनिर्माण एवं व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प

हम सभी आज यह अनुभव कर रहे हैं कि देश में वर्तमान व्यवस्था पूरी तरह असफल सिद्ध हो चुकी है। मामला भ्रष्टाचार का हो या देश की सुरक्षा का, देश का शासन हर मोर्चे पर असफल सिद्ध हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों से देश में कई आंदोलन चल रहे हैं जो इस बात के प्रतीक हैं कि देश में एक प्रकार का असंतोष व्यापक पैमाने पर पनप रहा है। परंतु ये आंदोलन इस असंतोष को सकारात्मक दिशा दे पाने में असफल रहे हैं। ऐसे में जरूरत है देश को उसकी जड़ों यानी मौलिक भारत की ओर वापस ले जाने की। कैसा स्वरूप होगा मौलिक भारत का और उसे कैसे पाया जा सकेगा, यह गहन चिंतन का विषय है। ऐसे में देश के अनेक प्रबुद्ध लोग देश में एक व्यवस्था परिवर्तन व देश के नवनिर्माण का रचनात्मक कार्य खड़ा करने के लिए एक मंच पर आए हैं, जिसका नाम है, मौलिक भारत।

गांधी शांति प्रतिष्ठान में गांधी के देखे हुए सपनों को हकीकत की जमीन पर उतारने के लिए प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एस्ट्रो अंकल पवन सिन्हा, आईपीएस अमिताभ ठाकुर, प्रसिद्ध कवि गजेंद्र सोलंकी, से.नि. मेजर संगीता तोमर, लोकराज अभियान के अमरनाथ ओझा, अनंत त्रिवेदी, पर्यावरणविद अरूण तिवारी, जनसंसद की संकल्पना पर अभियान चलाने वाले नेपाल सिंह तोमर, आध्यात्मिक प्रणाम आंदोलन की प्रमुख मीनाजी, डायलॉग इंडिया के संपादक अनुज अग्रवाल सहित अनेक प्रमुख लोगों ने मिलकर गत 03 फरवरी, 2013 को मौलिक भारत की स्थापना की घोषणा की।

इस अवसर पर मौलिक भारत के संयोजक पवन सिन्हा ने कहा कि देश भर में एक बेचैनी है, हमारी वर्तमान सरकार सभी क्षेत्रों में असफल रही है। आज जरूरत है देश में एक नया नेतृत्व खड़ा करने की और यह हमें कई दशकों में नहीं, कुछ वर्षों में ही पूरा करना है। ऐसा हमारा संकल्प है। यह संकल्प पूरा करने की समय सीमा कम से कम करना हमारे हाथ में हैं। इसका रास्ता गुरु गोविंद सिंह ने बता रखा है- 'सवा लाख से एक लड़ाऊं' तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। हमारे भी गुरु गोविंद सिंहजी हैं। अगर हम भी 'सवा लाख से एक लड़ाऊ' बन पाए व उनके साथ 'सवा लाख से लड़ाऊ' वाले और भी नेता-कार्यकर्ता जोड़ पाए तो यह समय सीमा हम न्यूनतम करने में सफल होंगे।

मौलिक भारत के स्थापना दिवस पर पचास से अधिक संस्थाओं ने इस अभियान से जुड़ कर इसे सफल बनाने में पूरा सहयोग करने का संकल्प लिया।

संकल्पना, लक्ष्य एवम् कार्ययोजना

संकल्पना

'भारतीयता' मौलिक भारत की संकल्पना का मूलाधार है।

'भारतीयता' उन दस लक्षणों का संगम है, जिन्हें लगभग सभी धर्म व संप्रदायों में धर्म का लक्षण माना गया है। इन दस लक्षणों की पालना न करना अधर्म कहा जाता है :

धृति, क्षमा, दमोस्तेयं, शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मं लक्ष्णम्।।

कहना न होगा कि 'भारतीयता' गुण, विचार व व्यवहार का एक ऐसा संगम है, जो राष्ट्र के सम्मान को अपना संकल्प और विश्व के प्रत्येक प्राणी के कल्याण को अपना अंतिम लक्ष्य मानता है। गौरतलब है कि प्रत्येक प्राणी का मतलब सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि प्रकृति का रचा प्रत्येक जीवन है; साथ ही विश्व का मतलब सिर्फ सभी देश नहीं, पूरी प्रकृति है।

लक्ष्य

भारतीयता के इसी गुण, विचार और व्यवहार को हासिल करना 'मौलिक भारत' का लक्ष्य है।

'मौलिक भारत' का ऐसा विश्वास है कि भारत के नागरिकों के भीतर 'भारतीयता' के मूल गुणों के विकास मात्र से ही भारत की वर्तमान कई सामाजिक, राजनैतिक व व्यवस्था संबंधी समस्याओं से निजात मिल जायेगा। 'भारतीयता' का विकास ही अंततः व्यवस्था, राजनीति व हमारे मानस में अपेक्षित व्यापक बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगा। उसका यह भी ऐसा भी विश्वास है कि आज समस्याओं का चक्र इतना व्यापक व अनवरत है कि उनका समाधान अकेले किसी भी शासन या प्रशासन के बूते की बात नहीं है। इसके लिए समाज को जिम्मेदार भूमिका में आना ही होगा।

पहला पायदानः 'मुमकिन है' का भरोसा

'कुछ नहीं हो सकता' की जगह 'मुमकिन है' का भरोसा कायम करना 'मौलिक भारत' का पहला कदम है। नकारात्मक सोच के वर्तमान दौर में सकारात्मक और रचनात्मकता के वातावरण विकसित करना लक्ष्य की सीढ़ी चढ़ने की दिशा में पहला पायदान हो सकता है।

तीन कार्य

मौलिक भारत अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तीन तरह के कार्यों को आवश्यक मानता है :

- सकारात्मक व रचनात्मक गतिविधियों को प्रकाश में लाना, ताकि 'मुमकिन है' का भरोसा लोगों में कायम हो सके।
  'मौलिक भारत' का विश्वास है कि इस भरोसे का कायम होना, लोगों को सकारात्मकता व रचनात्मकता के लिए प्रयास हेतु प्रेरित कर सकेगा। इन दोनों के फैलने से नकारात्मकता और विनाशक शक्तियां व प्रवृतियां स्वतः ही नियंत्रित होने लगेंगी।
- सकारात्मक-रचनात्मक शक्तियों की गतिविधियों और उनके उठाये मुद्दों के प्रति समर्थन जुटाना.... उन्हे सशक्त करना और तद्नुसार शासन-प्रशासन को निर्णय व नीति निर्माण के लिए विवश करना। 'मौलिक भारत' का ऐसा विश्वास है कि ऐसा कर हम सकारात्मक व रचनात्मक शक्तियों को एकजुट करने के एक ऐसे दायित्व का निर्वाह करेंगे, जिसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। ''ज्यों-ज्यों होय धर्म कै हानी...'' के जरिए तुलसीदास से जिस प्रभु के अवतरण की बात कही है, वह कुछ और नहीं प्रभावी रचनात्मक शक्तियों का अवतरण ही है। विविध रचनात्मक शक्तियों को एकजुट करने तथा

मर्यादित क्षमता प्रदान करने के कारण ही राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। महत्व के मुद्दों पर भारतीयता के अनुकूल, स्पष्ट व सकारात्मक राय का निर्माण कर सशक्त तरीके से शासन-प्रशासन को प्रस्तुत कर उसे तद्नुसार निर्णय व नीति निर्माण को विवश करना।

- समझदार, सक्षम, संकल्पित और भारतीयता के मानदंडों पर खरे नेतृत्व का विकास करना।

कहने को आज भारत में जनतंत्र है, लेकिन क्या यह सच नहीं कि आज हमारे जनप्रतिनिधि स्वयं को हमारा शासक समझते हैं? 'मौलिक भारत' का ऐसा विश्वास है कि संसद, विधानसभा, जिला-ग्राम पंचायतों, टाउन एरिया कमेटी आदि सही मायने में सत्ता नहीं, जनप्रतिनिधित्व का आइना बन सकें, इसके लिए भारतीयता की संकल्पना के अनुरूप जनप्रतिनिधियों की टीम तैयार करना जरूरी है। इसी तरह सामाजिक - प्रशासनिक - वैज्ञानिक व अन्य क्षेत्रों में भी भारतीयता की सोच वाले नेतृत्व विकास का काम भी जरूरी है।

अच्छा नेतृत्व

मौलिक भारत की निगाह में 'मौलिक भारत' मानता है कि सच्चा और अच्छा नेतृत्व वह होता है.....

- जो युवा हो (गौरतलब है कि 'युवा' तन नहीं, मन की अवस्था है।);
- जो उन्हें बखूबी समझता हो, जिनका नेतृत्व उसे सौंपा गया है;
- जो भारतीयता के गुणों से परिपूर्ण हो;
- जो अपने प्रति अपने साथियों के मन में गहरी आस्था व अपनापन जगा सके;
- जो खुद बोलने की जरूरत न हो, उसका काम बोले;
- जो खुद इस बात पर यकीन करता हो और जन-जन को यह यकीन दिलाने में सक्षम हो कि हमारे आस-पास बहुत कुछ सकारात्मक घट रहा है;
- जिसकी अपनी दृष्टि होती है, दूरदर्शिता होती है, लेकिन उसमें जन फैसले के सम्मान की उदारता और अपनी सफलताओं/कार्यों का श्रेय खुद की बजाय दूसरों को देने की हिम्मत हो;
- जिसमें सकरात्मक जनमत निर्माण की क्षमता हो;
- जो जनमत को लागू करा सके।

जनसंसदों का आयोजन व गठन : पहला कदम

उक्त तीन कार्यों को अंजाम देने के लिए प्राथमिक दौर में मौलिक भारत के पूरे भारत में जनसंसदों के आयोजन और गठन का इरादा रखती है।

आयोजन का मकसद

समस्याओं के समाधान व सकरात्मकता के प्रसार में सबसे बड़ी बाधा है - संवादहीनता। जनसंसद का सबसे पहला मकसद है कि संवादहीनता समाप्त कर संवाद के सक्रिय, साझे व रचनात्मक मंचों का विकास करना।

दूसरा महत्वपूर्ण मकसद महत्व के मुद्दों पर रायशुमारी के साथ-साथ सकरात्मक शक्तियों व गतिविधियों की पहचान करना है।

तीसरा मकसद है जब और जिस स्तर पर समस्या हो, तब और उसी स्तर पर और प्रभावितों की राय से समाधान प्रस्तुत करना।

गठन का मकसद

सकारात्मक शक्तियों को एकजुट कर उन्हें भारत व भारतीयता के विकास व नेतृत्व में योगदान के लिए तैयार करना है। जनता की राय को सरकार हल्के से न ले, इसके लिए एक सशक्त फोरम तैयार करना भी जनसंसद के गठन का अन्य महत्वपूर्ण मकसद है।

जनसंसद : गठन का स्वरूप

प्रत्येक न्यायपंचायत-जनसंसद की ग्राम पंचायत, प्रत्येक तहसील-जनसंसद की जिला पंचायत/पार्षद स्तरीय इकाई, प्रत्येक जिला जनंससद का विधानसभा क्षेत्र होगी। क्रमशः प्रत्येक स्तर के प्रतिनिधियों का नेतृत्व अगले स्तर का प्रतिनिधि होगा। विधानसभा का नेतृत्व करने वाले राष्ट्र स्तर पर गठित संसद में प्रतिनिधित्व करेंगे। सकारात्मक व जमीनी काम के जरिए प्रदेश/राष्ट्र के स्तर पर अपनी अच्छी पहचान कायम कर चुके लोग संसद/विधानसभा के दूसरे सदन में प्रतिनिधित्व करते हुए वैचारिक व मार्गदर्शक शक्ति की भूमिका निभायेंगे।

स्तर में आवश्यकतानुसार बदलाव के साथ वैज्ञानिक, शैक्षिक, आर्थिक जनसंसदों आदि का भी गठन किया जायेगा। ■

संवैधानिक सुधारों हेतु दृष्टिपत्र

यह सर्वविदित है कि भारत का संविधान मूलत: ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए ढांचे, नियमों व कानूनों तथा कुछ अन्य देशों के संविधान से की गयी व्यवस्थाओं का सम्मिलन है। संविधान के व्यवहार में, क्रियान्वयन में अनेकों खामियां/कमियां व सुझाव संविधान विशेषज्ञों/न्यायपालिका, बुद्धिजीवियों व सांसदों आदि द्वारा दिया गया है। राष्ट्रहित में इन सुझावों के अनुरूप संविधान को पुनर्गठित एवं संशोधित करने हेतु एक संविधान समीक्षा आयोग का गठन तुरन्त प्रभाव से किया जाना आवश्यक है।

- हम देश का प्रशासनिक आधार पर पुनर्गठन आवश्यक समझते हैं तथा अधिक छोटे अथवा अधिक बड़े राज्यों के विरूद्ध हैं।
- संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को व्यवहार में लाना अब समय की आवश्यकता है। दु:खद है हमारी सरकार इन आदर्शों को व्यवहार में लाने के लिए संवेदनशील नहीं है। हम नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक-कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता देने की मांग करते हैं।
- संविधान ने सुविधा की दृष्टि से राज्यों व केन्द्र के कामों का बंटवारा किया था। व्यवहार में केन्द्र सरकारें अपने प्रभुत्व को दिखाती हुई पक्षपात करनी दिखती है और समवर्ती सूची से संबंधित विषयों में अत्यधिक सक्रियता दिखा रही है जिससे स्थानीय हितों पर कुठाराघात हो रहा है। हम देश के राज्यों का प्रशासनिक दृष्टि से पुनर्गठन, तुलनात्मक रूप से छोटे राज्यों, समवर्ती सूची का राज्य सूची में विलय और केन्द्रीय सूची के कम महत्वपूर्ण कार्यों को भी राज्यों को सौंपे जाने की मांग करते हैं।
- भारत में न्याय तंत्र में खासी विषमता, जटिलता व बिखराव है। हम सम्पूर्ण न्यायपालिका, सभी कानूनों व व्यवस्थाओं के पुनर्गठन व समसामायिक संदर्भों में पुनर्व्यवस्था व संसोधन की मांग करते हैं, हम चाहते हैं हमारी न्याय प्रणाली स्वायत्त, निष्पक्ष त्वरित, प्रभावी एवं जवाबदेह हो।
- भारत में सार्वजनिक पद पर चुने व्यक्तियों के लिए मापदंडों को पुन: पारिभाषित करना बहुत आवश्यक है। अधिकांश पदों पर व्यावसायिक मानसिकता अथवा पक्षपाती प्रवृत्ति के लोगों का बोलबाला है, इससे जनहित में होने वाले कार्यों की मात्रा घटी है और समाज में असंतोष फैलता जा रहा है। इसे दूर करने की प्रभावी व्यवस्था हमारी मांग है।
- भारत के सभी लोक सेवक, जनप्रतिनिधि व सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही शून्य है। ये सामंतवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं। इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्त करने, इसे जनकेन्द्रित व जबावदेह बनाने की स्थायी व्यवस्था आवश्यक है। लोकसेवकों के सेवानिवृत हो जाने के बाद की सक्रियता पर स्पष्ट प्रभावी व जवाबदेह नीति हमारी मांग है।
- भारतीय आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था व पुलिस प्रशासन की कार्यशैली एवं इससे संबधित कानून सवालों के घेरे में हैं, पुलिस की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिह्न हैं, पुलिस सुधारों पर विभिन्न आयोगों के सुझावों को तुरन्त प्रभाव से लागू करना जनहित में एवं राष्ट्र हित में अत्यावश्यक है।
- सभी सरकारी/सार्वजनिक/राजनीतिक पदों व लोकसेवकों पर लगे आरोपों की समयबद्ध स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच व कठोर दंडों के प्रावधानों को तुरन्त लागू किया जाना चाहिए। इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की निष्पक्ष व पारदर्शी स्थानांतरण नीति होनी चाहिए।
- संवैधानिक रूप से सभी लोक सेवकों, राजनीतिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की किसी भी प्रकार की विशिष्ट शक्तियों की समाप्ति की जानी चाहिए।
- भारतीय संसद का पुनर्गठन आवश्यक है। इसके सदस्यों की संख्या तीन गुनी होना आवश्यक है। राज्य सभा के सदस्यों के चयन की मूल प्रणाली लागू होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य होना चाहिए। सांसद निधि व सांसदों को कारपोरेट घरानों से मिल रहे अवैध धन पर रोक की व्यवस्था होनी चाहिए।
- केन्द्र राज्यों के बीच वित्तीय बंटवारे में लगातार पक्षपात की शिकायतें हैं, इसकी पारदर्शी व निष्पक्ष व्यवस्था होनी चाहिए। योजना आयोग का वित्त मंत्रालय में विलय होना चाहिए। नदी जल बंटवारे के लिए स्थायी रूप से स्वायत्त आयोग का गठन होना चाहिए।
- प्रत्येक जिले में चुनाव लड़ने वाले एवं चुने गये जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए।

राजनीतिक सुधारों हेतु दृष्टिपत्र

- पूरा देश हमेशा होते रहने वाले चुनावों से ग्रस्त है जिससे विकास के कार्यों में खासी रूकावट आ रही है। ऐसे में सरकारी खर्च पर पंचायत, जिला परिषद, विधान सभाओं व संसद के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष व सभी उपचुनाव व 'राइट टू रिकाल' का प्रावधान दो वर्षों पर उपयोग का होना चाहिए। मतदान अनिवार्य हो। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों पर पुनर्विचार हो। दलों में आंतरिक लोकतंत्र के संवैधानिक प्रावधान हों। चुनाव आयोग स्वायत्त हो व सभी सुझाये गये चुनाव सुधार प्रभावी रूप से तुरन्त लागू किये जाये, उम्मीदवारों की घोषणा चुनावों से एक वर्ष पूर्व की जाये। कुलमतों का 51 प्रतिशत पाये उम्मीदवार का चयन ही किया जाये। उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता का मापदण्ड हो। स्थानीय निकायों के चुनाव दलीय राजनीति से परे हों। विधान सभा व संसद में स्थानीय निकायों में चुने गये व्यक्तियों के ही चुनाव लड़ने की अनिवार्यता हो। दल बदल पार्टी व्हिप पर प्रतिबंध हो।
- देश के रक्षा तंत्र में गंभीर खामियां हैं। हमारी विदेशी हथियारों व तकनीक पर निर्भरता बढ़ रही है। रक्षा क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों ने व्यापक भ्रष्टाचार फैला रखा है, जो आत्मघाती है। हमारे बड़े सैन्य अधिकारी नित भ्रष्टाचार के आरोपों में फंस रहे हैं और इससे सारी सेनाओं में असंतोष है। देश की रक्षा सेनाओं में स्वदेशी तकनीक व समयबद्ध आधुनिकीकरण समय की मांग है। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा व बांग्लादेश से हमें निरतंर चुनौतियां मिल रही हैं। मजबूत, सीलबंद व सुरक्षित सीमाएं ही इसका एक मात्र विकल्प है। हमारे रक्षा तंत्र को राजनीति से बाहर रखा जाना जरूरी है। रक्षा संबंधी सौदों में पारदर्शिता व ऑडिट जरूरी है।
- हमारी सीमाएं लगातार अवैध आव्रजन का शिकार है। देश में अवैध प्रवासियों की संख्या 3-4 करोड़ तक हो सकती है। इस प्रक्रिया से देश के संसाधनों पर घातक असर पड़ा है। बेरोजगारी, विषमताएं व संघर्ष बढ़े हैं। इन प्रवासियों की समयबद्ध वापसी की प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- हमारे देश के नाम, भाषा, कानूनों, भवनों, स्मारकों आदि में गुलामी के प्रतीक चिन्हों की छाप है जिससे देश के नागरिक में राष्ट्र के प्रति जुड़ाव व आत्मसम्मान की भावना नहीं पनप पाती है। इन प्रतीक चिन्हों की समाप्ति अति आवश्यक है।
- देश के सभी संवैधनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति के स्पष्ट प्रावधान आवश्यक है।
- राजनीति से सेवानिवृति व नये लोगों के प्रवेश की उचित व्यवस्था समय की मांग है। इसके लिए आवश्यक कदम उठाये जायें।
- रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ स्वच्छ पर्यावरण तथा प्रत्येक नागरिक का आध्यात्मिक विकास यह सरकार का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। इसे लागू करने हेतु जनकल्याणकारी, जनकेन्द्रित, पारदर्शी, संवेदनशील, कानून के शासन में विश्वास रखने वाली, सुशासन युक्त, भारतीय संस्कृति व विविधता को सम्मान देने वाली राजव्यस्था की स्थापना हमारी मांग है ।
- हमारी विदेशी नीति व लक्ष्य स्पष्ट नहीं हैं। हमें 'बनाना गणतंत्र'(पिलपिला) कहा जाता है। पड़ोसी देश हमें शंका की दृष्टि से देखते हैं। हम स्पष्ट राष्ट्र हितों के संवर्धन व विश्वशांति के संरक्षण वाले दृष्टिकोण के पक्षधर हैं। हम राष्ट्रवादी, स्वदेशी व भारत की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका के बढ़ाये जाने के पक्षधर हैं किन्तु अन्तरराष्ट्रीयवाद के विरोधी नहीं हैं। हां, राष्ट्र की कीमत पर विदेशी हितों की पूर्ति हमें स्वीकार्य नहीं। हम चाहते हैं कि भारत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक रूप से विश्व के अन्य देशों के सामने एक मापदण्ड बने व आपसी सौहार्द्र की एक मिसाल भी।
- हम विभिन्न समूहों, संगठनों, आंदोलनों व दबाव समूहों की निष्पक्ष व आवश्यक मांगों की तुरन्त सुनावाई के लिए एक विशिष्ट कार्यप्रणाली विकसित करने का मांग करते हैं, जिससे देश को निरन्तर होने वाले बड़े, प्रदर्शन, मांगों व हिंसा से छुटकारा मिल सके।
- सभी संवैधानिक संस्थाओं में विभिन्न पदों पर निष्पक्ष एवं प्रभावी व्यक्ति का चयन एवं उनकी स्वायत्तता बनाये रखना वर्तमान में चुनौती है। हम देख रहे हैं कि सरकारें इन संस्थाओं की स्वायत्तता, निष्पक्षता व गरिमा से खिलवाड़ कर रही है। इसे रोकने के उपाय करना हमारी मांग है।
- चुनाव बाद के किसी भी गठबंधन पर प्रतिबंध होना चाहिए तथा पार्टियों के व्हिप जारी करने के अधिकार समाप्त होने चाहिए।
- जांच एजेंसी सीबीआई की स्वायत्तता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- अपराधी प्रवृत्ति के लोगों व धनबल पर चुनाव लड़ने वालों पर प्रतिबंध होना चाहिए।
- सरकारी पद पर रहते हुए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए।

सामाजिक सुधारों हेतु दृष्टिपत्र

- देश में विभिन्न दलों, संगठनों व संस्थानों को मिलने वाले सीधे विदेशी अनुदानों पर प्रतिबंध होना चाहिए। इसके स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय अनुदान कोष होना चाहिए जो संसद के निर्देशों के अनुरूप कार्य करे।
- देश की शिक्षा व्यवस्था में बहुत विषमताएं, अराजकता व बिखराव हैं इसका एकीकरण कर 6 वर्ष से अधिक के सभी बच्चों को आवासीय विद्यालयों में दसवीं तक नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। इस क्षेत्र में गुणवत्ता, नियंत्रण, कौशल उन्नयन, रोजगारपरक व उच्च शिक्षा के लिए भी स्पष्ट नीतियां बनें। कोचिंग व ट्यूशनों पर प्रतिबंध लगे। शिक्षा में स्वदेशी अनुसंधान नवोन्मेष एवं स्वरोजगार पर जोर होना चाहिए।
- धार्मिक संगठनों को विदेशी अनुदान, भारतीय सिविल सोसाईटी के कुछ धड़ों, चर्च, राजनीतिक दलों, विदेशी शक्ति व मीडिया के बीच राष्ट्रविरोधी गठजोड़ पर तुरन्त प्रभाव से रोक के लिए कानूनी प्रावधान व कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। अल्पसंख्यकवाद के स्थान पर मानवतावाद व समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ना चाहिए।
- मीडिया व अन्य संचार के संसाधन अपनी प्रभावी भूमिका निभाने में असमर्थ रहे हैं। ये अक्सर राजनीतिक दलों, विदेशी कम्पनियों व कारपोरेट घरानों की कठपुतली बन जाते हैं। इनके लिए स्वायत्तता, उचित वित्तीय पोषण, स्पष्ट जिम्मेदारियों व जवाबदेही के साथ सोशल ऑडिट की भूमिका भी दी जानी आवश्यक है। सरकार व जनता के बीच संवाद का माध्यम बनने के लिए इन्हें और प्रभावी बनाना आवश्यक है।
- हमारे शिक्षा संस्थानों विशेषकर उच्च शिक्षा के संस्थानों का क्षेत्रीय विकास में प्रभावी भूमिका को नजरअंदाज किया गया है। इनको स्पष्ट व प्रभावी भूमिका देने की कार्यप्रणाली विकसित करना आवश्यक है। ये जिला स्तर पर समाजसेवियों, लोकसेवकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों व जागरूक लोगों, विभिन्न सरकारी योजनाओं व कार्यालयों के बीच तालमेल के अभिकरण बन सकते हैं। विकास के लिए आवश्यक सर्वेक्षण, अनुसंधन व डाटा उपलब्ध करा सकते हैं तथा राज्यों व केन्द्र सरकार को योजना निर्माण व क्रियान्वयन में स्थानीय प्रेस, मीडिया व जिला प्रशासन के माध्यम से शुद्ध व सही सुझाव/डाटा आदि पहुंचा सकते हैं। नयी पीढ़ी की सोच व आवश्यकता को श्रंखलाबद्ध करने में भी इनकी प्रभावी भूमिका हो सकती है। शिक्षा में योग व अध्यात्म का समावेश आवश्यक है।
- हमने घातक रूप से अपनी स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण कर दिया है और सरकारी सेवाएं निम्न स्तर की व अविश्वसनीय हैं। जीने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है और स्वास्थ का सही रहना इसकी कुंजी। इस अवधारण पर नि:शुल्क व प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान सरकार का दायित्य हो। भारतीय स्वास्थ्य पद्धतियों आयुर्वेद को बढ़ावा भी इसी का एक आयाम होना चाहिए।
- जनसंख्या का विकराल होता रूप हमारे संसाधनों को खाता जा रहा है व व्यवस्था को लाचार बना रहा है। जनसंख्या नियंत्रण समय की आवश्यकता है। प्रभावी जनसंख्या नीति, जनसंख्या राशनिंग, एक परिवार, एक या दो संतान की नीति को सीमित समय के लिए अनिवार्य करना आवश्यक है।
- छात्रवृत्ति, अनुदानों, पेंशनों, सब्सिडी, कर छूट आदि को प्रतिबंधित कर, कम करों वाली प्रणाली एवं सबको रोजगार की नीति अपनानी चाहिए। एक परिवार एक रोजगार का प्रावधान हो तथा परिवार को व्यक्ति व समष्टि के बीच महत्वपूर्ण व कानूनी इकाई के रूप में मान्यता मिलना जरूरी है।
- अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व ने भारतीयों में खासी हीन भावना का प्रसार किया है। दुनिया के सभी विकसित देश अपनी-अपनी भाषाओं में ही विकास कर सके हैं इस तथ्य को ध्यान रख भारतीय भाषाओं में सभी तरह की शिक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है। यद्यपि हम अंग्रेजी की महत्वता को नकार नहीं रहे हैं, किन्तु इसकी स्थिति द्वितीय स्तर पर ही होना चाहिए।
- देश के ग्रामीण समाज के हितों पर लगातार कुठाराघात हुआ है। कृषि उत्पादों के मूल्यों पर नियंत्रण कर किसानों की आय को रोका गया है। यह नियंत्रण हटाना जरूरी है। कृषि पदार्थों को बेचने के लिए मंडी तथा संग्रहण के लिए गोदामों/ प्रशीतलन गृहों की प्रत्येक ग्रामपंचायत में उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं का विकास, अच्छी सड़कें व कृषि आधारित उद्योग, जैव कृषि का विकास बहुफसली पद्धतियों का विकास, सहकारिता, कुटीर उद्योगों को जोर देकर ग्रामीण समाज की आय में कई गुना वृद्धि की जा सकती है।
- ग्राम स्वराज की भावना के विकास हेतु पंचायतों का कानूनी व आर्थिक सशक्तिकरण व स्वायत्तता अनिवार्य है। भूमि अधिग्रहण की स्पष्ट नीति, कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर प्रतिबंध, अधिग्रहण की स्थिति में 90 प्रतिशत मालिकों से सहमति की अनिवार्यता के प्रावधान होने चाहिए। जल, जंगल जमीन के पर्यावरणीय संतुलन को बनाये रखने, इस पर रहने वालों के मौलिक व मूलभूत अधिकारों के संरक्षण के प्रावधन स्पष्ट व प्रभावी होने चाहिए। हमारे पशुधनों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था व नदियों के संरक्षण व संवर्धन के लिए स्पष्ट, स्थायी व दूरगामी नीतियों व बाह्यकारी कानून आवश्यक है।
- पंचायतें आज सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की कमीशन ऐजेंट बनकर रह गयी हैं। इस चलन ने ग्रामीणों को भी भ्रष्ट बनाया है। योजनाओं को ग्रामपंचायतों के जरिये लागू करने हेतु ग्रामसभाओं को जागरूक, सक्रिय, सक्षम व जिम्मेदार बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

- सभी प्रकार के आरक्षणों, विशेषाधिकार व संरक्षणों की समाप्ति होनी चाहिए।
- सभी पदों निजी/सरकारी/सार्वजनिक पर चयन के उपरान्त गहन व दीर्घकालिक प्रशिक्षण अनिवार्य हों। पदोन्नति अथवा सेवा काल को बढ़ाना कार्यकुशलता के आधार पर हो।
- महिलाओं के समान अधिकारों, विकास, गरिमा व सम्मान का प्रभावी संरक्षण, उनकी सार्वजनिक जीवन में प्रभावी व निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने के प्रावधान भ्रूण हत्या, देहज, महंगी शादियों पर पूर्ण प्रतिबंध, वेश्यावृत्ति की समाप्ति के लिए व वेश्याओं के पुनर्वास के लिए प्रभावी उपाय। बूढ़ों, बेरोजगारों, घरेलू विधवाओं व अशक्तों, विकलांगों, मनोरोगियों, विशेष बच्चों आदि के संरक्षण व विकास के लिए स्पष्ट व प्रभावी कार्य।
- देश में आंतरिक सुरक्षा तंत्र की चुनौती बने सभी कारकों यथा सीमावर्ती राज्यों में आतंकवाद, खनिज पट्टी में नक्सलवाद, भाषा, देश, जाति व धर्म पर आधारित आंदोलनों से निपटने के लिए स्पष्ट नीति व कार्ययोजना के पक्षधर हैं तथा इन राष्ट्रविरोधी मांगों को राजनीतिक रूप देने की अनेक दलों की योजना पर प्रतिबंध की मांग करते हैं। सभी धार्मिक/सामाजिक संस्थाओं की शैक्षिक गतिविधियों को सरकारी क्षेत्र में लाकर पूरे देश मे समान शैक्षिक व्यवस्था के समर्थक हैं जिसके संचालन की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों के पास हो।
- सीमापार आंतकवादी शिविरों को सैन्य कार्यवाही द्वारा नष्ट करने तथा देश पर होने वाले प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष हमले का कड़ाई से जवाब देने की नीति की हम मांग व समर्थन करते हैं।

जन संसद, जन नेता, जनघोषणा पत्र

- मौलिक भारत राष्ट्र के प्रति स्पष्ट सोच वाले व्यक्तियों, समूहों व संगठनों का साझा मंच है जो अपनी-अपनी निजी पहचान, अहम् व स्वार्थों को परे रख राष्ट्रीय हितों व भारतीयता के विकास के लिए एक साथ आये हैं।
- मौलिक भारत मानता है कि यदि कोई व्यक्ति, समूह या संगठन राष्ट्र के प्रति समर्पित हो तो अपने संगठन की सीमाओं से पार जाकर भी वह उसे समर्थन दे सकता है।
- मौलिक भारत भारत के संविधान के मूल दर्शन में पूर्ण आस्था रखता है और यह जानता है कि हमारी राज-व्यवस्था कतिपय कारणों व अपनी कमजोरियो के कारण भटकाव का शिकार हो गयी है और संविधान के मौलिक स्वरूप व आदर्शों को मूर्तरूप नहीं दे पा रही है। निश्चित रूप से यह हमारे नेतृत्व की असफलता है। अत: हम पंचायत से लेकर संसद तक देश में नये नेतृत्व के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ करना चाहते हैं।
- हम ऐसा नेतृत्व विकसित करना चाहते हैं जो ग्राम से लेकर केन्द्र तक एक विकल्प के रूप में स्थापित हो, जिसको अपने पद की जिम्मेदारियों का सम्पूर्ण रूप से ज्ञान हो, जो साखयुक्त हो जिसमें नेतृत्व के गुण हों और जो समग्र चिन्तन रखता हो। ऐसे व्यक्तियों का समूह ही देश में समग्र व्यवस्था परिवर्तन कर सकता है और संविधान को भी अधिक व्यावहारिक, लोकतांत्रिक, भारतीय, जन केन्द्रित, समसामयिक संदर्भों में प्रासंगिक बना सकता है।
- नये नेतृत्व के विकास के मौलिक कार्य को व्यवहार में लाने के लिए 'मौलिक भारत' पंचायत, ब्लॉक, जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर 'जनसंसद' का गठन करेगा। अनेक वर्षों के चिंतन, मनन व अध्ययन के उपरांत 'मौलिक भारत' ने एक 'दृष्टिकोण पत्र' प्रस्तुत किया है। हम इसे लेकर जनता के बीच जायेंगे।
- जन संसदों में जनता इन मुद्दों पर गंभीर व सारगर्भित बहस करते हुए इस दृष्टिकोण पत्र को संशोधित करेगी। इन संशोधनों व मंथन के निष्कर्ष के रूप में प्राप्त अंतिम 'जन घोषणा पत्र' को व्यवहार में लाने के लिए हम राजव्यवस्था पर लोकतांत्रिक तरीके से दबाब डालेंगे।
- हमारे प्रयास रहेंगे कि अगले कुछ वर्षों में सम्पूर्ण देश में नये नेतृत्व का विकास हो सके तथा जनसंसदों द्वारा स्वीकृत दृष्टिकोण पत्र से स्वीकृत मुद्दों के इर्द गिर्द ही राजनीति हो। ऐसी राजनीति देश को एक बौद्धिक एवं आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर देगी जो पूर्णत: लोकतांत्रिक, जन केन्द्रित एवं समग्र होगा।
- अपने परिपक्व रूप में जन संसदें जन निगरानी तंत्र, जन लोकपाल व सामाजिक अंकेक्षण का कार्य भी करने लगेगी। साथ ही प्रत्येक जन संसद एक सहायता नंबर एवं पोर्टल भी चलायेगी जो सभी शिकायतों एवं सुझावों को संबधित व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, मीडिया, सरकारी, गैर सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाकर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतु सतर्क करेगी।
- विभिन्न जनससंदों से आने वाले सुझावों को अधिक स्पष्ट, व्यवस्थित एवं बहु आयामी करने के लिए ई-संसद की शुरूआत केन्द्रीय जनसंसद करेगी।
- प्रारभ में मौलिक भारत की केन्द्रीय राज्य जिला व ब्लॉक इकाईयां जनसंसदों का गठन करेंगी।

आर्थिक सुधारों हेतु दृष्टिपत्र

- देश जी.डी.पी. आधारित विकास दर के मापदण्डों पर बढ़ रहा है, विकास कर रहा है किन्तु यह व्यक्ति के विकास को इंगित नहीं करता। राष्ट्र की जी.डी.पी. बढ़ रही है किन्तु आम व्यक्ति (70-80 प्रतिशत लोगों) की आय में खास बढ़ोत्तरी नहीं है। वर्तमान विकास मात्र 10-20 प्रतिशत लोगों की संवृद्धि का वाहक बन गया है। हम इकाईवाद के समर्थक हैं तथा जी.डी.पी. के साथ आय व अवसरों के समान वितरण व ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स (मानव संतुष्टि मानक, एच.एच. आई) के समर्थक हैं। अत: हम आर्थिक नीतियों में जनकेन्द्रित बदलावों की मांग करते हैं।
- हम भारत को एक बड़ी संख्या वाले राष्ट्र के रूप में देख रहे हैं जो 100 प्रतिशत शहरी हो ही नहीं सकता। हमारी 60-65 प्रतिशत जनता कृषि व ग्रामीण व्यवस्था के इर्दगिर्द है। अत: हमारी मांग है कि राष्ट्र के संसाधनों का बंटवारा जनसंख्या के अनुरूप हो। शहरीकरण की तथा शहरों के विकास की सीमाएं लागू हों। अधिकतम 50 प्रतिशत जनसंख्या का ही शहरीकरण किया जाये। विकास की हदबंदी हो, शहरों के फैलाव की हदबंदी हो और जनसंख्या के शहरीकरण की हदबंदी हो। देश की आर्थिक नीतियां शहरी व ग्रामीण दृष्टिकोण से अलग-अलग बने व इसके लिए आवश्यक कानूनी व संवैधानिक प्रावधान हों। 5 लाख से अधिक आबादी के शहरों के विकास पर प्रतिबंध होना चाहिए।
- देश के विकास का जन-निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल विफल साबित हो चुका है। सार्वजनिक निगमों व सरकारी सम्पत्तियों, खनिज व प्राकृतिक संसाधनों की लूट ने निजीकरण व पूंजीवादी व्यवस्था की कलई खोल दी है। हमारे मंत्रालयों के अधिकारियों ने काम करना बंद कर दिया है और नीति निर्माण का कार्य विदेशी कम्पनियों, अन्तरराष्ट्रीय कूटनीतिज्ञ व 125 परामर्शदाता कम्पनियां व कारपोरेट मिल कर रहे हैं। यह पूर्णत: जनविरोधी व संविधानविरोधी है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम बाजारविरोधी नहीं हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्षधर हैं। हम सहकारिता को बढ़ावा दिये जाने के पक्षधर हैं और प्राकृतिक व खनिज संसाधनों पर जनता के हक को सही मानते हैं और सरकार को इसके कस्टोडियन (संरक्षक) की भूमिका में देखते हैं और इसे लागू करने हेतू संवैधानिक प्रावधानों की मांग करते हैं। देश में सरकारी व निजी क्षेत्र के साथ-साथ विभिन्न उद्योग समूहों, धार्मिक व सामाजिक संगठनों व जमीदारों के पास बहुत सारी अनुपयोगी भूमि पड़ी है। हम इस सभी भूमि का राष्ट्र हित में अधिग्रहण कर भूमि-बैंक बनाने के पक्षधर हैं ताकि आगामी योजनाओं हेतु कृषकों से भूमि अधिग्रहण करने के स्थान पर इस भूमि का उपयोग किया जा सके। भूमि अधिग्रहण की स्थिति में पुनर्वास, उचित मुआवजा व समयबद्ध क्रियान्वयन की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए।
- बेतरतीब शहरीकरण के कारण शहर कुव्यवस्था, स्लम संस्कृति, अपसंस्कृति व बिल्डरों के व सरकारी अधिकारियों व नेताओं के लूट तंत्र की मिसाल बन चुके हैं। सभी स्लमों का सुविधाओं से सम्पन्न कालोनियों में परिवर्तन, बिल्डरों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कानून, विकास प्राधिकरणों की प्रभावी भूमिका व अधिक शहरीकरण पर रोक के प्रावधान समय की मांग है।
- देश कारपोरेट घरानों के मकड़जाल में है। एक-एक कर ये घराने सारे संसाधन हड़पते जा रहे हैं। ये नीति निर्माण प्रक्रिया को अपने हित में बदलने में सफल रहे हैं। दुर्भाग्य से ये खुले बाजार के प्रावधानों व मापदंडों पर खरे नहीं उतरते। इनकी प्रवृत्ति सामंतवादी व अधिनायकवादी है। आश्चर्यजनक रूप से इन कम्पनियों के 80-90 प्रतिशत शेयरों पर इसके प्रमोटरों का कब्जा है जो विश्व के विकसित देशों उदारवाद के मानकों के विरूद्ध है जहां यह शेयर 10 से 25 प्रतिशत तक ही हैं तथा अन्य शेयर धारकों की संख्या लाखों या करोड़ों में है। इन कम्पनियों ने नियमों में फेर बदल कर बाय-बैक पद्धति से धीरे -धीरे अपने शेयर वापिस खरीद कर पूरी कम्पनी पर कब्जा कर लिया और उदारवाद को लूटतंत्र में बदल दिया है।
- कारपोरेट घरानों की कार्यप्रणाली संदिग्ध है व देश के विरूद्ध भी। ये विदेशी निवेश (मॉरिशस रूट, मलेशिया रूट व सिंगापुर रूट) के नाम वह भारी मात्र में कालेधन को वापिस अपने उद्योगों में लगा रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से पिछले 5 वर्षों में उद्योगों द्वारा लिए 14 लाख करोड़ रूपये के ऋण का अधिकांश भाग विदेशी निवेश व विदेशों में सम्पत्तियों, खानों व कम्पनियों के अधिग्रहण में लगा दिया था। आर्थिक मंदी के नाम पर भी ये उद्योग, सरकार से 13 लाख करोड़ रूपयों की कर छूट ले चुके हैं। देश में पिछले कुछ वर्षों में सामने आए लाखों करोड़ के घोटालों में इनकी सत्ता तंत्र के साथ नापाक गठजोड़ का लगातार खुलासा हुआ है। इन्होंने पिछले आठ वर्षों में भारी ऋण लेने के बाद भी मुश्किल से 20 लाख रोजगार भी पैदा नहीं किये। जिस कारण देश के युवाओं में व्यापक बेरोजगारी व असंतोष फैला हुआ है। हम इस कारपोरेट लूट व गठजोड़ को रोकने व इस पर प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करते हैं।
- हम कालेधन की अर्थव्यवस्था, सरकारी तंत्र की लूट व कारपोरेट अराजकता के विरूद्ध एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की मांग करते हैं। इसे प्रभावी बनाने के लिए ''एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/ एनजीओ - एक बैंक खाता'' की मांग करते हैं। यह बैंक खाता, पहचान पत्र व सभी वित्तीय लेन देन के स्रोत के रूप में कार्य करे, यह हमारी मांग है।
- हम सट्टा, जुआ, वायदा कारोबार, शेयर बाजार, नशे की अर्थव्यवस्था, जमीनों के बेनामी सौदों के खिलाफ हैं। अगर किसी स्तर पर यह सीमित मात्रा में अनिवार्य हो तो इन पर उचित प्रतिबंध, नियमन, व स्पष्ट कानून व पारदर्शी नियंत्रण तंत्र होना चाहिए। साथ ही देश और विदेशों में मौजूद कालेधन की वापसी के पुख्ता एवं समयबद्ध उपाय लागू होने चाहिए।
- हम प्राकृतिक व खनिज संसाधनों पर समाज का हक व नियंत्रण मानते हैं व सरकार की भूमिका इसके संरक्षक की समझते हैं। इस अवधारणा को कानूनी रूप देना अनिवार्य है।
- हम करों, कर प्रणाली के सरलीकरण व सीमितकरण की मांग करते हैं व कर चोरी के सभी रास्तों पर प्रतिबंध के प्रावधानों को लागू करने की मांग करते हैं।

- उपभोक्ता संरक्षण के लिए कठोर कानूनी प्रावधान व प्रत्येक ब्लॉक में अदालतें तथा उनमें योग्य न्यायाधीश व समयबद्ध निर्णयों का प्रावधान हो।
- हम निजीकरण के विरोधी नहीं हैं किन्तु निजी क्षेत्रों के नियंत्रण के नियमीकरण की स्पष्ट व प्रभावी व्यवस्थाएं व इसके रोजगारपरक होने की मांग करते हैं। हम सी.एस.आर. फंड को लाभ का 5 प्रतिशत करने की मांग करते हैं व इसको एक संसदीय कोष द्वारा एकत्र कर सामाजिक हितों में खर्च करने की मांग करते हैं।
- हम तकनीक, प्राद्यौगिकी, अनुसंधान, शोध व उपभोक्ता सामान सभी में स्वदेशी की मांग करते हैं तथा भारतीय शिक्षा संस्थानों में पढ़े लोगों की विदेश जाने पर राष्ट्रीय हित में एक नीति पत्र की मांग करते हैं। हम उच्च शिक्षा में विदेशी निवेश व संस्थानों के प्रवेश के खिलाफ हैं।
- हम रिटेल, पेंशन-बीमा, मीडिया, शिक्षा, स्वास्थ्य व संचार में विदेशी निवेश के खिलाफ हैं।
- आर्थिक विकास को समग्र विकास की ओर मोड़ने के लिए उत्पादन व उपभोक्ता के बीच की दूरी घटना आवश्यक है। जिसके लिए विभिन्न के बीच में तालमेल की जिम्मेदारी को केन्द्रित करना तथा क्रियान्वयन को विकेन्द्रित करना जरूरी है।
- हम प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल की चक्रीय व्यवस्था अपनाने के पक्षधर हैं। सीमित उपयोग, उपयोग से हुई क्षतिपूर्ति की भरपाई और फिर सीमित मात्रा में उपयोग। जिससे हम अनन्त समय तक पृथ्वी पर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अस्तित्व को बनाये रख सकें।

बिजली, पानी जंगल, खनन, औद्योगिक उत्पाद सबके उपयोग की सीमाएं निर्धारित करना जरूरी है। प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक स्थानीय नागरिकों का हो व उनकी इसके अनुरूप शिक्षा व प्रशिक्षण हो।

- भू-संसाधनों का जंगल हेतु 33 प्रतिशत आरक्षण किया जाना सरकारी नीति है, ऐसे ही कृषि भूमि, नदी भूमि, पहाड़, जलसंचयन ढांचा क्षेत्र, चारागाहों आदि के भू-क्षेत्र का निर्धारण भी जरूरी है। इसे फॉरेस्ट रिजर्व (संरक्षित वन) के अनुरूप एग्रोरिवर कॉमन रिजर्व एरिया' के रूप में नोटिफाई किया जा सकता है।
- शहरीकरण व नगर विकास का स्पष्ट ढांचा बनाना होगा व सभी शहरों का पुनर्निर्माण इसी के अनुरूप हो। ग्रामीण, शहरी, औद्योगिक, संस्थागत, रिहायशी, हरित सभी क्षेत्रों का आबादी व भूगोल के अनुसार स्पष्ट बंटवारा जरूरी है।
- आबादी के अनुरूप ही सभी संसाधनों का विकास जरूरी है। प्रकृति कितने मानवों का भार वहन कर सकती है, विकास के समय यह जरूरी शर्तें होनी चाहिए। विकास ऐसा हो कि लोग शहरोन्मुखी न हों, ग्रामोन्मुखी हों तब संतुलन बना रहेगा। इसके लिए ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं जो गुणवत्तापूर्ण हों, का विकास आवश्यक है।
- जल यातायात, गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के तीव्र विकास की योजनाएं बनें।
- 100 प्रतिशत सरकारी, सार्वजनिक व सरकारी निजी भागीदारी वाली योजनाओं, आमदनी व खर्च का सरकारी व सामाजिक व ऑडिट का प्रावधान होना चाहिए।
- हम सभी बैकों व वित्तीय तंत्र द्वारा किसी भी प्रकार के ऋणों के वितरण की व्यवस्था की पारदर्शी व श्रेष्ठ मापदण्डों पर आधारित प्रक्रिया चाहते हैं व पिछले सभी ऋणों के वितरण की समीक्षा की मांग करते हैं।
- देश में जाली नोटों के प्रसार के पीछे के कारण व निवारण की प्रणाली विकसित करने की मांग करते हैं।
- हम सीएजी के अधिकारों में वृद्धि की मांग करते हैं तथा सौ प्रतिशत सरकारी, निजी-सार्वजनिक भागीदारी की सभी योजनाओं तथा सभी सरकारी खरीद व खर्चों की सीएजी द्वारा ऑडिट की मांग करते हैं।

वस्तुत: उपरोक्त सभी कार्य व सुधार करने के बाद ही हम विकसित देश बनने की तरफ अग्रसर हो सकेंगे। इस स्थिति में पहुंचने के बाद हमने तीसरे व अंतिम दौर के दृष्टिकोण पत्र के रूप में विस्तृत रूप से अपनी वेबसाईट http://www.maulikbharat.org पर दिया है जिसके पूर्णत: परिपालन के उपरान्त भारत विश्व का सबसे सुखी, विकसित व विकेन्द्रित व प्रकृति केद्रित विकास का उदाहरण बन जायेगा। हमारा उद्देश्य राजनीति तंत्र व आर्थिक तंत्र की तर्क आधारित कार्यप्रणाली तथा सामाजिक तंत्र व धार्मिक तंत्र की भावनाओं पर आधारित जीवन शैली के बीच विशिष्ट समन्वय स्थापित करना है।

भारत निर्माण की पूर्ण रणनीति

जसबीर सिंह

किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सही रणनीति का चुनाव अत्यंत आवश्यक है। साथ ही रणनीति का पूर्ण होना भी आवश्यक है। अपूर्ण रणनीति लक्ष्य को पाने का आभास तो देती है परंतु वास्तव में लक्ष्य काफी दूर होता है। इस अपूर्ण रणनीति से लक्ष्य कभी भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब रणनीति में छूटी बातों को समाविष्ट करके उसे पूर्ण बनाया जाए। इसके बिना भ्रष्टाचार और काले धन का मुद्दा आंशिक तौर पर नहीं सुलझाया जा सकता। रणनीति का यह बचा हुआ भाग देश के कुछ साहसी, दृढ़प्रतिज्ञ और समर्पित युवाओं द्वारा तैयार किया गया है। उनका यह प्रयास अनेक शानदार परिवर्तन लाएगा। यह भ्रष्टाचार, भूख, अपराध, कर चोरी आदि को एक निश्चित समय सीमा में समाप्त करेगा।

भ्रष्टाचार, भूख, अपराध, कर चोरी आदि वास्तविक समस्या के केवल लक्षण मात्र ही हैं। हमें समस्या के मूल यानी कि हमारे जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति उदासीनता पर चोट करना होगा। हम इसका एक जबरदस्त विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, खेल, रोजगार, तकनीक, कृषि, पोषण, सुरक्षा, मनोरंजन, पर्यावरण आदि सभी आयामों पर 50 बड़ी परियोजनाओं वाला एक समेकित परावर्तन कार्यक्रम शामिल है। यह समस्त देशवासियों को काफी कम समय में सभी प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी।

भारत का भविष्य – समस्त भारतीय जनता का जीवन स्तर 100 गुना बेहतर बनाना जिससे संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास सूची में भारत का स्थान वर्तमान 134 से प्रथम 10 में हो.

क. लक्ष्य समस्त जनता के जीवन स्तर में भारी उत्थान - भारत में रहने वाले सभी भारतीयों का जीवन 100 गुना बेहतर

1. भारत में शून्य भ्रष्टाचार जिससे ईमानदार देशों की सूची में भारत का प्रथम स्थान - 2 माह
2. समस्त भारतीय जनता के रहने के लिए 24 घन्टे विद्युत, जल तथा गैस सहित आरामदेह एवं आधुनिक आवासगृहों की उपलब्धि - 10 वर्ष
3. निम्न 80 प्रतिशत आयधारियों की क्रय शक्ति में 10 गुना वृद्धि - 10 वर्ष
4. समस्त जनता की औसतन आयु मे 20 वर्ष की वृद्धि तथा 80 प्रतिशत लघुतम लंबाई के लोगों की लंबाई में 15 सेंमी की वृद्धि - 15 वर्ष
5. 200 ओलंपिक स्वर्ण पदक, संसार के 100 श्रेष्ठतम टेनिस, बैडमिंटन, टेबलटेनिस खिलाड़ी प्रत्येक तथा संसार के सर्वप्रथम हाकी, फुटबाल, एथलेटिक्स, वालीबाल, तैराकी दल - 15 वर्ष
6. 10 नोबल पुरस्कार - 15 वर्ष
7. स्वचालित यन्त्रों सहित जल संकलन, निकास जाल द्वारा विस्तृत बाढ़ एवं अकाल नियन्त्रण प्रणाली तथा मौसम (कोहरा, वर्षा,आँधी, आर्द्रता) नियन्त्रण प्रणाली का निर्माण-10 वर्ष
8. 100 गुना बेहतर सार्वजनिक यातायात व्यवस्था तथा कठोर यातायात नियन्त्रण नियमों सहित विस्तृत सड़क जाल का निर्माण - 5 वर्ष
9. समस्त जनता के लिये सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा, सेवानिवृत्ति-वेतन, चिकित्सा सुरक्षा एवं 55 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए उनके घर में चिकित्सक द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच (जोकि युरोप में भी उपलब्ध नहीं है) - 2 वर्ष
10. आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा तथा जल, थल एवं वायु सेना में भारत की विशालता एवं जनसंख्या के अनुसार 10 से 50 गुना वृद्धि - 2 वर्ष
11. शिक्षा सुधार, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए योग, कला, भाषाएं (प्रान्तीय, विदेशी) तथा खेल, 100 प्रतिशत साक्षरता, व्यवसायिक शिक्षा, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं की शिक्षा, समस्त शिक्षा उच्च कोटि की एवं निःशुल्क - 3 वर्ष
12. कर प्रणाली में सुधार जिससे नागरिकों का धन उन्हीं के कल्याण के लिए उपयोग में लाया जाय न कि अत्यधिक धनी देशों के लाभ के लिए - 3 वर्ष
13. समस्त भारत मे लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की सामान्य जनता के साथ शनिवार तथा रविवार को सार्वजनिक सभाएं, जनता द्वारा निगरानी एवं निर्देशन तथा सुझावों पर तुरन्त कार्यवाही - 3 महीने
14. राजनैतिक प्रणाली सुधार, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राज्यपाल, आदि जिससे सार्वजनिक धन व्यर्थ न गंवाया जाय - 2 वर्ष
15. 100 गुना बेहतर स्वच्छता, 2 लाख गुलाब तथा अन्य पुष्प उपवन - 2 वर्ष
16. प्राकृतिक विपत्ति जैसे बाढ़, भूकम्प आदि की दशा में तुरन्त सहायता, बाढ़, गर्मी की लू या ठण्ड से कोई मृत्यु नहीं - 2 वर्ष
17. शून्य अपराध तथा 100 गुना बेहतर न्याय प्रणाली - 3 वर्ष
18. आरक्षण समस्या के 100 गुना बेहतर समाधान से आरक्षण नीति का उन्मूलन - 2 वर्ष
19. सभी प्रकार के प्रदूषण जैसे शोर, औद्योगिक एवं अन्य की मात्रा में 100 गुना घटाव तथा कठोर नियन्त्रण - 5 वर्ष
20. ऊर्जा, सूचना, संचार, स्वास्थ्य, औषधीय, वैमानिकी, यातायात, जैव प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, बुद्धिमान यन्त्र, भारी यन्त्र, अर्द्धचालक आदि के क्षेत्र में उच्च-स्तरीय अनुसन्धान केन्द्र-3 वर्ष
21. 1 हजार मनोरंजन क्रीडावन - 5 वर्ष

22. 20 गुना अधिक कृषि उत्पादन - 5 वर्ष
23. शून्य काला धन एवं शून्य कर चोरी - 2 वर्ष
24. पूर्व गुलामों के राष्ट्रमंडल समूह का त्याग - 3 माह
25. भारतीय रूपया संसार की सर्वप्रथम मुद्रा - 10 वर्ष

ख. लक्ष्य प्राप्ति के उपाय => समस्त स्वदेशी अनुसंधान, विकास एवं उत्पादन सुविधाओं द्वारा रुपये का 50 गुना उन्मूल्यन -

1. युद्धयान, पनडुब्बी, टैंक, प्रक्षेपास्त्र, वायुयानवाहक, सभी रक्षा सामग्री वर्तमान उच्च तकनीक से अधिक उन्नत - 10 वर्ष
2. 500 आसन तथा 3000 किमी. प्रति घंटा की तीव्रगति वाला वायुयान - 10 वर्ष
3. 600 किमी. प्रति घंटा की तीव्रगति वाली गाड़ी, कश्मीर से कन्याकुमारी तथा अमृतसर से इंफाल तक की यात्रा प्रत्येक 5 घंटों में-10 वर्ष
4. ब्रह्मांड में अन्य सूर्य मंडल की मानवीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला द्वारा खोज, माध्यमिक गंतव्य स्थान मंगल ग्रह - 15 वर्ष
5. 50 प्रतिशत सौर ऊर्जा, 50 प्रतिशत नाभिकीय संघटन ऊर्जा तथा अन्य ऊर्जा स्रोतों की खोज, 300 नाभिकीय रिएक्टर - 10 वर्ष
6. दूरसंचार अनुसंधान द्वारा सभी स्वदेशी दूरसंचार उपकरण एवं सभी घरों में प्रकाशिक तन्तु से स्थापित संबन्ध का निर्माण - 5 वर्ष
7. स्वदेशी वैयक्तिक गणक एवं महागणक - 5 वर्ष
8. 200 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, 200 भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान, 200 भारतीय प्रबंधक संस्थान, 50 हजार निम्न माध्यमिक कुशलता के व्यावसायिक विद्यालय - 5 वर्ष
9. 1 लाख बालकों, युवाओं तथा वृद्धों के क्रीड़ा-स्थल एवं क्रीड़ा-गृह - 2 वर्ष
10. 10 हजार अत्युच्च कोटि के चिकित्सालय - 5 वर्ष
11. नवीन उपकरणों का विकास जैसे चक्रवात निवारण, जलवायु नियन्त्रण, भाविष्यिक यात्रा से संबन्धित - 10 वर्ष
12. भारतीय उच्च कोटि की कार, सुविधापूर्ण बस - 10 वर्ष
13. विश्व का विशालतम नक्षत्रदर्शक यन्त्र - 15 वर्ष

14. सूक्ष्म एवं अति सूक्ष्म चिप अवयवों का विकास तथा उत्पादन - 5 वर्ष
15. सभी अत्याधुनिक चिकित्सा यन्त्रों एवं उपकरणों का विकास तथा उत्पादन - 5 वर्ष
16. सभी भारी औद्योगिक यन्त्रों जैसे सड़क निर्माण, भारोत्तलन, गणक नियन्त्रित संख्यात्मक यन्त्रादि का विकास एवं उत्पादन - 10 वर्ष
17. उपभोक्ता इलैक्ट्रोनिक उपकरण - 10 वर्ष
18. कूड़ा गंदगी एवं वातावरण प्रबन्ध - 2 वर्ष
19. 20 हजार प्राकृतिक विपत्ति तथा आकस्मिक दुर्घटना में शीघ्र सामान्य स्थिति की प्राप्ति के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित सहायता केन्द्र - 2 वर्ष
20. न्यायिक व्यवस्था की सुविधाओं, न्यायालयों, न्यायाधीशों, न्याय कर्मचारियों आदि में 50 गुना वृद्धि - 3 वर्ष
21. नवीन कर, कार्य, शिक्षा, आन्तरिक सुरक्षा तथा आवास से संबद्ध सामाजिक कल्याण विभाग, 60 हजार राष्ट्रखंड एवं 12 उत्तरदायी, सभी वीडियो वी पी एन से जुड़े हुए - 1 वर्ष
22. 60 हजार भारतीय शास्त्रीय (दक्षिणी, उत्तरी, रबीन्द्र संगीत) पश्चिमी शास्त्रीय (पिआनो, वाद्य यन्त्र समूह) संगीत विद्यालय - 2 वर्ष

23. 20 लाख अत्यन्त स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय जिसमें से 1 लाख 10 बड़े शहरों में प्रत्येक - 2 वर्ष
24. कृषि अनुसंधान एवं सुधार, श्रेष्ठतर एवं उन्नत कृषि कार्य प्रणाली, किसानों को आर्थिक सहायता - 3 वर्ष
25. 60 हजार अल्पमूल्यिक, विशाल, उच्चकोटि के व्यापारगृह जिससे कीमतें नियन्त्रित रहें तथा 10 हजार दुग्धालय - 3 वर्ष
26. निरंतर कार्यरत सुरक्षित और विश्वसनीय भुगतान व्यवस्था, तीस लाख निरंतर कार्यरत भुगतान सहायता केन्द्र तथा एक लाख बीस हजार बैंकों शाखाओं की स्थापना, सभी व्यक्ति, व्यापारी तथा दुकानदारों का बैंक खाता अनिवार्य, समस्त लेनदेन भुगतान बैंक मुद्रा पत्रक द्वारा, एक माह में बैंक से एक हजार रूपये से अधिक नगद नहीं - 2 वर्ष ■

क्यों नहीं लागू होते नीति निर्देशक तत्व ?

1. अनु. 39(ख) समुदाय के भौतिक संसाधानों के स्वामित्व व नियन्त्रण के इस प्रकार के वितरण को सुनिश्चित करने की अपेक्षा राज्यों से करता है, जिससे सामूहिक हित को सर्वोत्तम तरीके से साधा जा सके और अनु. 39 (ग) में आर्थिक व्यवस्था के इस रूप में संचालन पर जोर देता है, ताकि आर्थिक संकेन्द्रण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। 25वें संविधान संशोधन के द्वारा अनु. 31 ग जोड़ते हुए अनु. 39 (ख) और (ग) को अनु. 14 में उल्लेखित मूलाधिकारों पर वरीयता दी गई। संसद के इस रूख को केशवानन्द भारती वाद के निर्णय में न्यायपालिका ने भी स्वीकार किया और इसी से उत्साहित होकर 44वें संविधान संशोधन द्वारा सम्पति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर वैधानिक अधिकारों का दर्जा दिया गया।

2. अनु. 39 (घ) पुरूष और स्त्रियों के लिये समान कार्य के लिये समान वेतन की बात करता है। इस दिशा में कदम उठाते हुए, राज्य के द्वारा अधिकाधिक स्तर पर लोक-नियोजन में इस संकल्पना को लागू किया गया। अनु. 39 समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता का उपबन्ध करता है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य गरीब और अभावग्रस्त लोगों को, जो अपने लिए विधिक सहायता उपलब्ध करवा पाने में असमर्थ हैं, नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराता हैं। किंतु व्यवहार में अभी बहुत कुछ किया जाना है।

3. अनु 40 ग्राम पंचायतों के गठन और उनके सशक्तिकरण की अपेक्षा राज्य से करता है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों को वैधानिक ढांचा प्रदान किया गया और उनमें कमजोर व वंचित वर्ग के लोगों की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। किंतु पंचायतों के आर्थिक सशक्तिकरण के अभाव में इनकी प्रासंगिकता बहुत कम है।

4. अनु. 41 कुछ दशाओं में काम, स्वास्थ्य और लोक सहायता पाने के अधिकार का उल्लेख करता है। अनु. 45 अपने मूल रूप में राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वह 6-14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों की अनिवार्य व नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में अनु. 21 जोड़ते हुए अनिवार्य व नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा को मूलाधिकार का दर्जा दिया गया। इसी आलोक में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। इससे पूर्व 1992 के मोहित जैन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को अनु. 21 से जोड़कर देखते हुए, मूलाधिकार का दर्जा दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि में अनु. 31 के अन्तर्गत गरिमामय जीवन का अधिकार समाहित है और प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध करवाये बिना गरिमामय जीवन को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार जीवकोपार्जन के अधिकार की अनु. 21 के परिप्रेक्ष्य के व्याख्या करते हुये न्यायपालिका ने यह स्पष्ट किया कि किसी को न्यूनतम मजदूरी न देना अनु. 21 का उल्लंघन है। सरकार के द्वारा कई रोजगारपरक कार्यक्रम आरंभ से ही चलाये जा रहे हैं। विशेष रूप से 1970 के दशक और उसके बाद ऐसे कार्यक्रमों की संख्या बढ़ती चली गई। 2005 में सरकार ने नरेगा (अब मनरेगा) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की विधिक गारंटी प्रदान की और ऐसा न कर पाने की स्थिति में क्षतिपूर्ति के रूप में बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करवाए जायेंगे। इसी प्रकार कमजोर, वंचित और अशक्त लोगों को राज्यों की ओर से लोक सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है। किंतु व्यापक भ्रष्टाचार के कारण ये असरहीन है।

5. अनु. 42 राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वह न्याय के लिए न्यायसंगत व मानवोचित दशा उपलब्ध कराए। इस आलोक में राज्य की ओर से कई कदम उठाए गए हैं, किंतु और अधिक उपायों की आवश्यकता है।

6. अनु. 46 अनुसूचित जातियों व जनजातियों के साथ-साथ अन्य दुर्बल वर्गों व शोषित-उत्पीड़ित समुदाय के आर्थिक हितों के संरक्षण व संवर्धन की अपेक्षा राज्यों से करता है। इस आलोक में लोक-नियोजन के साथ-साथ शिक्षण-संस्थाओं में राज्यों की ओर से आरक्षण प्रदान किया गया है। अनुसूचित जाति व जनजाति के शोषण व अपमान, उपेक्षा व तिरस्कार से रक्षा के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं और उन्हें गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यह व्यवस्था व्यापक बदलाव की मांग करती है।

7. अनु. 47 पोषण-स्तर को बनाए रखने व जीवन-स्तर को ऊंचा करने के साथ-साथ लोकस्वास्थ्य में सुधार हेतु राज्य की पहल की अपेक्षा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में 1993 में मिड-डे मील स्कीम को देखा जा सकता है, जिसके जरिए पोषकता और शिक्षा दोनों को एक-दूसरे से संबंधित किया गया। साथ ही, पिछले दशक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की भी शुरूआत की गई, जिसे मनरेगा से जोड़ने की पहल की जा रही है। किंतु इसकी अपेक्षा अनुरूप परिणाम नहीं मिले हैं अत: इसमें आमूल चूल परिवर्तन जरूरी हैं।

8. अनु. 4 पर्यावरण संरक्षण और वन्य-जीव संरक्षण की अपेक्षा राज्य से करता है। एम.सी. मेहता वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्वस्थ रहने के अधिकार की अनु. 21 के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करते हुए यह कहा कि अच्छे पर्यावरण का अधिकार भी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अन्तर्गत आता है। इसी आलोक में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित किया गया है। दिल्ली में सीएनजी आधारित परिवहन प्रणाली को लागू किया गया है और शहरी क्षेत्रों से उद्योगों को हस्तांतरित किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। व्यवहार में भारत में पर्यावरण संरक्षण मजाक बन गया है।

9. अनु. 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। इसे संविधान के अन्य उपबन्धों के जरिए सुनिश्चित किया गया है। किंतु वर्तमान समय में इस नीति पर अनेकों प्रश्नचिन्ह खड़े हो गये हैं।

10. अनु. 51 राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा के लिए प्रयास करे। इसे पिछले 60 वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत की सक्रियता और पंचशील व गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्तों के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। किंतु भारत कुछ खास प्राप्त नहीं कर पाया है।

संविधान संशोधन और नीति-निदेशक तत्व :

बयालीसवें संविधान संशोधन के जरिए भाग चार में निम्न अनुच्छेद जोड़े गए-

(अ) समान न्याय एवं नि:शुल्क विधि की सहायता का अधिकार (अनु. 39 क)।

(इ) बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से रक्षा तथा स्वतंत्रता तथा गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास का अवसर पाने का अधिकार (अनु. 39 च)

(ब) उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना (अनु. 43 क)।

(क) पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य-जीवों की रक्षा (अनु. 48 क)।

फिर 44वें संविधान संशोधन के जरिए अनु. 38 (2) जोड़ते हुए यह उपबंध किया गया कि राज्य व्यक्तियों तथा समूहों के बीच आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा।

86 वें संशोधन के जरिए अनु. 45 में उल्लिखित प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को प्रतिस्थापित करते हुए यह उपबंध किया गया कि प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा को उपलब्ध करवाना राज्य का दायित्व है।

व्यवहार में नीति निर्देशक तत्वों के अनुपालन में बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

लानी है अर्थक्रान्ति ...

अतुल देशमुख

अर्थक्रान्ति प्रस्ताव' यानी आर्थिक आजादी का प्रस्ताव लागू क्यों होना चाहिए? पढ़कर जरुर जानिए और सब लोगों को इसे समझाइये जिससे भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाया जा सके!

आर्थिक आजादी के मुख्य बिंदु

- 50/- रुपए से बड़े नोट यानि 100, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएं और सारे बड़े नोट सरकार वापस ले ले।
- आयात कर को छोड़कर बाकी सभी कर समाप्त कर दिए जाएं।
- सिर्फ 2 प्रतिशत का अंतरण कर (ट्रांजेक्शन टैक्स) लगाया जाये जो बैंक के द्वारा उपभोक्ता को प्राप्त धन पर काटा जायेगा।
- 2000-3000 रुपये से बड़े अंतरण चेक या ड्राफ्ट से किये जाये और नकद अंतरण पर कोई टैक्स नहीं होगा।
- हर गांव में बैंकों का प्रभावी जाल बनाकर करीब एक करोड़ अतिरिक्त युवाओं को नौकरी दी जाये जिससे चेक लेन-देन में दिक्कत न हो।

क्या होगा यदि 100, 500 और 1000 के नोट बंद हो जाते हैं?

- हर प्रकार का नकद लेन देन वाला भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा क्योंकि घूसखोरी में बड़े नोट ही लिए जाते हैं।
- कालाधन समाप्त होगा। जो बड़े नोट बोरों में भरकर छुपाया गया है वह बेकार हो जायेगा, सोना चांदी और जमीन की महंगाई कम होगी।
- एक नोट को प्रिंट करने का खर्च 39/- रुपये आता है, इसलिए 39/- रुपये में 50/- रुपये का नोट छापकर फर्जी नोट चलाना अपने आप बंद हो जायेगा क्योंकि यह घाटे का सौदा होगा। भारत सरकार ने कुल नोटों का 93 प्रतिशत नोट 100, 500 और 1000 रुपयों का छापा है।
- फर्जी नोट बंद होने और सारा बड़ा लेन देन बैंक से होने पर आतंकवाद मिट जायेगा। अपहरण और फिरौती तो तुरंत बंद हो जायेगी, 60 लाख में खरीदी जमीन की रजिस्ट्री 60 हजार में दिखाकर नहीं हो पायेगी। हर काम चेक/डीडी से ही हो सकेगा।

क्या होगा जब सभी टैक्स बंद कर दिए जायेंगे और बड़े लेन देन बैंको द्वारा किया जायगा?

- सारी उपभोक्ता वस्तुओं पर 35 से 52 प्रतिशत तक टैक्स लगाये जाते हैं, टैक्स हटाने से चीजे सस्ती हो जायेंगी, कृषि लागत कम होगी।
- सस्ती होने से चीजों की खपत बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ेगा, ज्यादा रोजगार का सृजन होगा। टैक्स समाप्त होने से खरीदने में चीजे सस्ती होने से लोगों के पास धन बचेगा। स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा देकर भारत में ही रोजगार के कई करोड़ अवसर पैदा किये जायेंगे।
- टैक्स समाप्त होने पर भ्रष्टाचार रुकेगा और गुणवता की होड़ लगेगी, अच्छी चीजें मिलेंगी, व्यवसायी को सरकारी दखल से मुक्ति मिलेगी।
- उपभोक्ता वस्तुओं पर सरकारी पकड़ खत्म होगी और चोरी नहीं होगी। लाइसेंस राज समाप्त होगा। जांच के नाम पर वसूली से मुक्ति।
- सभी टैक्स समाप्त होने पर सब लोग हर हाल में 2 प्रतिशत अंतरण कर देने के लिए राजी होंगे जो 15 लाख करोड़ से 40 लाख करोड़ होगी।
- टैक्स समाप्त होने से जनता की खरीद शक्ति में बढ़ोत्तरी होगी, कृषि लागत कम होने से किसान का फायदा बढ़ेगा।

क्या होगा जब 2 प्रतिशत अंतरण कर लागू हो जायेगा?

- भारत में आज बैंक अंतरण रोज 2.5 लाख करोड़ और सालाना 750 लाख करोड़ है। 2 प्रतिशत अंतरण टैक्स लगाने पर सरकार को 15 लाख करोड़ राजस्व प्राप्त होगा। बैंक नेटवर्क बढ़ेगा और करीब 1 करोड़ नये रोजगार पैदा होंगे।
- सभी टैक्स बंद होने और बड़े नोट बंद होने से बैंक अंतरण 3 से 4 गुना बढ़ जायेगा और सालाना अंतरण कम से कम 2000 लाख करोड़ हो जायेगा जिससे 2 प्रतिशत अंतरण कर के रूप में सरकार को 40 लाख करोड़ का राजस्व मिलेगा। इस दशा में यह टैक्स 1 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत किया जा सकता है। अभी इस समय सरकार अपनी इतनी बड़ी कर व्यवस्था से भी 13 लाख करोड़ का राजस्व इकठ्ठा नहीं कर पा रही है।
- अंतरण कर से सरकार का टैक्स बेस बढ़ेगा और गरीब लोग अपने आप कर दायरे से बाहर हो जायेंगे। जिसकी जितनी कमाई होगी उतना टैक्स देना होगा। नकद लेन-देन पर कोई टैक्स नहीं होगा, किसान को कोई टैक्स नहीं होगा।
- अंतरण पर 2 प्रतिशत कर लेने की व्यवस्था से नौकरीपेशा लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी और जो लोग पैसा कमाते हुए भी टैक्स नहीं दे रहे हैं वे भी टैक्स के दायरे में आ जायेंगे यानि टैक्स देने वालो की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी हो जायेगी।
- सरकार चाहे तो आपदा काल में एक ही पॉइंट पर कर की दर बढ़ाकर कुछ समय के लिए अतिरिक्त राजस्व ले सकती है और राजस्व पर पूरा नियंत्रण होगा, जैसे 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.15 प्रतिशत कर दे आदि। कर विभागों में लगे लोगों को बैंकिंग में लगाया जा सकता है।
- आयकर विभाग और अन्य विभागों की कर में लूट और छूट दोनों ही बंद हो जायेंगे।

यह भी जानिए

- उदाहरणस्वरुप 2 प्रतिशत अंतरण कर में से केन्द्र सरकार 0.80 प्रतिशत, राज्य सरकार 0.70 प्रतिशत, स्थानीय निकाय 0.40 प्रतिशत और बैंक व्यवस्था 0.1 प्रतिशत ले सकते हैं।
- शराब, गुटखा, सिगरेट आदि बेचकर कर कमाने की जरुरत नहीं होगी।
- पैसा कमाने के लिए सरकार को गाय के मांस का निर्यात करने की जरुरत ही नहीं होगी।
- सरकार इसके साथ ही हर साल 10-15 लाख करोड़ रुपये भू-सम्पदा के दोहन से कमा सकती है जिसमें अभी गैर सरकारी लोगों द्वारा अंधाधुंध लूट मची हुई है।
- घूसखोरी बंद होने पर सरकारी सेवाओं में लोग कामकाज पर ध्यान देंगे और जनता की परेशानी समाप्त होगी। सेवा निवृत्ति की उम्र 62 साल से 58 साल करके उसी खर्चे में 14 प्रतिशत नए लोगों को नौकरी दी जा सकती है।
- राजस्व अधिकता से रोजगार सृजन बढ़ेगा और आरक्षण की जरुरत समाप्त होगी।
- मुफ्त शिक्षा और देश की भाषा में सामान शिक्षा से अच्छे नागरिक पैदा किये जा सकेंगे।
- कर की वजह से ही 35/- रुपये लीटर का पेट्रोल 78/- रुपये लीटर में बिक रहा है और 7/- रुपये का साबुन 18/- रुपये में बिक रहा है।
- जो कोयला बाजार में 8 हजार से 10 हजार रुपये टन बिक रहा है, सरकार उसे गैर सरकारी लोगों को 100/- रुपये टन बेच रही है।
- कालाधन रखने वाले भ्रष्टाचारियों ने सोने और चांदी की कीमत को आसमान पर पहुंचा दिया है क्योंकि बोरो में भरे नोट बेकार हो जाने के डर से यह लोग सोना,चांदी, जमीन आदि किसी भी रेट में खरीद रहे हैं और भाव बढ़ा रहे हैं।

नये नेतृत्व के निर्माण के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम

देश व्यापक बदलाव के दौर में है। यानी यों कहें कि ये समय संक्रमणकाल का भी है, लेकिन नया सूरज भी इन्हीं प्रतिकूल हालात से निकालेगा। मौलिक भारत संस्था ऐसे दौर में नये नेतृत्व के निर्माण में अपना योगदान देना चाहती है, जिसके जरिए समर्थ क्षमता वाले लोग देश की निर्णय प्रक्रिया में भागीदार हो। वर्तमान में यदि भ्रम का जाल हटा दिया जायें तो सत्य यही निकल कर आता है कि देश उदारवाद की आँधी में बह रहा है। बुद्धिजीवी, चिंतको और विश्लेषकों के साथ आध्यात्मिक गुरूओं का भी यही मानना है। देश में व्यापक सारी बुराईयों के जड़ में पूंजीवाद ही छुपा है। देश व्यापक बदलावों के दौर में है और प्रत्येक व्यक्ति अंधी दौड़ में है। विश्लेषक मानते हैं कि विकासशील से विकसित होने के दौर में यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और अन्य विकसित देशों ने भी अपने-अपने समाजों में मूल्यों का व्यापक क्षरण देखा है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। सच तो यही है कि एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के सभी विकासशील देश इसी प्रकार के बदलावों से गुजर रहे हैं।

माना यह जा रहा है कि कुराज से सुराज, कुव्यवस्था से सुव्यवस्था और अराजकता से कानून के शासन, अविकसित व विकासशील से विकसित और स्वार्थी से बौद्धिकता की तरफ बढ़ती मानवता की इस यात्रा में आने वाले समय में पुरानी राजनीतिक संस्थाएं, नेता एवं दलों का भी क्षरण होगा और समय के इस संक्रमण काल, विचारधाराओं और सभ्यताओं के टकराव के मंथन से नयी, अधिक स्थिर व्यवस्थाओं, विचारधाराओं व नेतृत्व का उदय होगा और इससे सुशासन, कानून के शासन, विकसित एवं समृद्ध समाज का उदय संभव हो सकेगा।

अपनी बौद्धिक और नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए मौलिक भारत इस संक्रमण काल में नये नेतृत्व के विकास में अपना योगदान देना चाहता है। हम आह्वान कर रहे हैं कि देश के प्रत्येक प्रबुद्ध और जागरूक नागरिक व गैर राजनीतिक संस्थाओं से जो अपने अपने स्थान पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कर्तव्यनिष्ठा से निभा रहे हैं, एक दूसरे के साथ श्रृंखलाबद्ध हों, सहयोगी बने और सांझा कार्यक्रम बनाकर राष्ट्रनिर्माण के कार्य को वृहद रूप में करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे दबाव समूह के रूप में स्वयं को रूपान्तरित करें कि आपके सुझावों और विचारों का राजनीतिक शक्तियां/व्यवस्था सम्मान करें, स्वीकार करें और क्रियान्वित करें। संक्रमण के समय के देश को सहज अवस्था तक ले जाना हम सबका दायित्व है। मौलिक भारत एक सूत्रधार, एक कड़ी है जो कहीं पर भी स्वयं नेतृत्व नहीं करना चाहता वरन् नेतृत्व करने में सक्षम लोगों व संस्थाओं को पहचान देने, उनमें आपसी समझ व समन्वय स्थापित करने, सामूहिक सोच, पहल व कार्यक्रम तैयार कराने में उत्प्रेरक की भूमिका अदा करना चाहता है।

हमारा लक्ष्य है ...

- सकारात्मक व समान मानसिकता के लोगों व संस्थाओं को श्रृंखलाबद्ध करना।
- एक वेब पोर्टल का विकास करना जिसमें देश के सभी मुद्दों पर विभिन्न सुझावों व विचारों के मंथन से उभरा वास्तविक समाधान 'समग्र दर्शन' सभी तथ्यों व आयामों के साथ उपलब्ध हो।
- राष्ट्रव्यापी नेतृत्व का विकास करना जिसका एक मात्र आधार ग्राम/वार्ड एवं ब्लॉक हों। प्रत्येक ग्राम से 4-5 व्यक्ति चुनकर जिनमें नेतृत्व की क्षमता हो व नैतिक गुणों से युक्त हो और उन्हें मिलाकर प्रत्येक ग्राम स्तर पर समिति का गठन और उनमें से 8-10 व्यक्तियों को चुनकर ब्लॉक स्तर पर नेतृत्व देने की क्षमता वाले व्यक्तियों की समिति बनाना।
- देश के लगभग 6000 ब्लॉकों से 50 से 60 हजार लोगों का चयन जो ब्लॉक, तहसील, जिलापंचायत, विधान सभा, लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर सकने की क्षमता रखते हों।
- पोर्टल द्वारा इन 50 से 60 हजार लोगों को नेतृत्व का प्रशिक्षण, वैचारिक मंथन द्वारा उभरी नीतियों पर सामूहिक रूप से प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर मीडिया में प्रेस विज्ञप्तियां देना। ग्राम स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और दबाव के माध्यम से व्यवस्था को दिये गये सुझावों को अपनाने के लिए विवश करना।
- ग्राम/वार्ड ब्लॉक तहसील जिला, राज्य व केन्द्र स्तर की समस्याएं उठाना, आवंटित सरकारी योजनाओं के लिए आवंटित धन व क्रियान्वयन पर कड़ी नजर रखना और अनियमितताओं पर तुरन्त आवाज उठाना ग्राम/वार्ड समिति का कार्य होगा।
- ब्लॉक स्तर पर यही कार्य ब्लॉक समिति करेगी किन्तु वह ब्लॉक तहसील, जिला, राज्य व केन्द्र सभी से संबंधित मुद्दों को उठाएगी।
- ब्लॉक समितियों द्वारा दिये गये सुझावों व कार्यक्रमों का विवरण साप्ताहिक रूप से पोर्टल पर विभिन्न भाषाओं में जारी किया जायेगा। पोर्टल का संचालन ब्लॉक समितियों द्वारा चयनित केन्द्रीय समिति करेगी।
- किसी भी व्यक्ति को कोई पद नहीं दिया जायेगा, सभी समितियों के सभी सदस्य समान स्तर पर होंगे, ब्लॉक समिति का सदस्य उच्चतम पद होगा। केन्द्रीय समिति मात्र पोर्टल के संचालन व विचारों के व्यवस्थित प्रदर्शन व साप्ताहिक प्रेस विज्ञप्ति बनाने के लिए कार्य करेगी।
- ब्लॉक समिति ही ग्राम पंचायत/वार्ड व केंद्रीय समिति को प्रेस रिलीज जारी करेगी।
- इस प्रक्रिया में प्रथम दो तीन वर्षों में पूरे देश में ग्राम, ब्लॉक व केन्द्रीय समितियों का निर्माण व कार्यक्रमों व नीतियों का निर्धारण किया जायेगा।
- इसके पश्चात 2014 के राष्ट्रीय चुनावों में सामूहिक मंथन व सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित कार्यक्रमों को राजनीतिक दलों द्वारा अपनाने हेतु दबाव बनाया जायेगा। साथ ही ग्राम पंचायत, नगरपालिका, विधान सभा, ब्लॉक प्रमुख, जिलापंचायत, लोकसभा, राज्य सभा तथा अन्य सभी लोकतांत्रिक चुनावो में मौलिक भारत की ग्राम/वार्ड व ब्लॉक समितियों के सदस्यों को आदर्श उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा। कोशिश की जायेगी कि राजनीतिक दल अधिकतम संख्या में मौलिक भारत के सदस्यों को पार्टी का टिकट दें।
- इस प्रक्रिया में मौलिक भारत के सदस्यों की पैठ व्यवस्था में की जायेगी और वे सुशासन, सुव्यवस्था, न्याय और कानून के शासन की दिशा में कार्य करेंगे।
- नेटवर्क 2014 से 2016 के बीच अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर लेगा। एक राजनीतिक दल के रूप में विधिवत रूप से परिवर्तित हो जायेगा।
- 2016 से 2019 के मध्य सशक्त राजनीतिक आंदोलन के माध्यम से देश की सत्ता पर लोकतांत्रिक तरीके से चुना जायेगा और अपने कार्यों व नीतियों के सम्पूर्ण क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर देश को को एक विकसित राष्ट्र के रूप में बदल देगा जहां सुशासन, सुव्यवस्था और कानून का शासन वास्तविक अर्थों में क्रियान्वित किया जायेगा।

लक्ष्य प्राप्ति के लिए- न्यूनतम संगठन

1. हमारा संगठन - लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक आंदोलन।
2. हमारा लक्ष्य - व्यवस्था परिवर्तन वर्तमान राज्य व अर्थ व्यवस्था में परिवर्तन।
3) व्यवस्था परिवर्तन का परिणाम - दो
   (1) प्रत्येक व्यक्ति को ईमान की रोटी और इज्जत की जिंदगी।
   (2) भारत विश्व में गौरवशील पद पर पुन:स्थापित।
4) आंदोलन की सफलता के तीन कारक-
   (1) साखयुक्त नेतृत्व
   (2) परिस्थितियों की परिपक्वता और
   (3) औजार के रूप में न्यूनतम संगठन।
   हमारे पास साखयुक्त नेतृत्व है। उनके साथ अन्य साखयुक्त नेताओं को जोड़ना भी संभव। परिस्थितियों की परिपक्वता। समाज में बैचेनी व असंतोष का सभी जगह दर्शन। उस असंतोष को सही दिशा में मोड़ने की देरी।
   नेतृत्व भी उपलब्ध है समाज में असंतोष के कारण परिस्थितियां भी पकने के तरफ बढ़ रही है। क्या आंदोलन की सफलता का औजार हमारे पास है? नहीं है।
   अत: आंदोलन की सफलता का औजार - न्यूनतम संगठन बनाना हमारी प्राथमिकता।
5. न्यूनतम संगठन का अपेक्षित स्वरुप-
   (1) राष्ट्रीय कार्यसमिति = 31 सदस्य की संचालन समिति + 120 सदस्य = 151 सदस्य
   (2) प्रांत कार्यसमिति = 21 सदस्य की संचालन समिति + 80 सदस्य = 101 सदस्य 101×36 प्रांत = 3636 सदस्य
   (3) जिला कार्यसमिति = 11 सदस्य की संचालन समिति + 40 सदस्य = 51 सदस्य 51×610 प्रांत = 31110 सदस्य

कुल कार्यकर्ता 34897 सदस्य (35 हजार सदस्य)।

6) संगठन से जुड़े सदस्यों के तीन प्रकार -
   (1) नेता
   (2) कार्यकर्ता
   (3) समर्थक
   नेता अर्थात् नेतृत्व गुणों से संपन्न। जो स्वयं कार्य करे और औरों को भी कार्य करने की प्रेरणा देने में सफल हो।
   कार्यकर्ता अर्थात् जो हमारी विचारधारा से सहमत होकर संगठन का कार्य करे।
   समर्थक जो विचारधारा से सहमत हो और सूचना मिलने पर कार्यक्रम में शामिल हो। जो 35 हजार हम जोड़ना चाहते हैं वे नेता और कार्यकर्ता प्रकार के हों।
7) संगठन के चार अंग-
   (1) कार्यकर्ता
   (2) कार्यालय
   (3) कोष और
   (4) कार्यक्रम
   कार्यालय अर्थात संगठन की गतिविधियों का केन्द्र।
   कोष अर्थात् संगठन को चलाने का ईंधन।
   संगठन के लिए कोष चाहिए कोष के लिए संगठन नहीं। गाड़ी में पेट्रोल टैंक जितना महत्व। पेट्रोल का टैंकर मतलब कोष नहीं।
   कार्यकर्ता और कार्यक्रम की परस्पर पूरक भूमिका। कार्यकर्ताओं के आधार पर कार्यक्रम आयोजन और कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ता निर्माण।
8) कार्यक्रमों के प्रकार-
   (1) संगठनात्मक गतिविधियां
   (2) आंदोलनात्मक आयोजन
   गतिविधियां : बैठक-प्रवास-प्रशिक्षण

   आयोजन : धरना, प्रदर्शन, जनसभा, पदयात्रा, आर.टी.आई, पी.आई.एल., जनजागरण अभियान।
9. परिवर्तन या क्रांति में समाज का योगदान-
   ऐतिहासिक निचौड़ - विश्व भर जितने महान क्रांतियां, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक हुई हैं- उस में समाज के सक्रिय लोगों का प्रतिशत -0.01 प्रतिशत से कम।
   बाकी समाज मे जनजागरण के परिणाम से समाज का जागृत, सुप्त या ऐच्छिक या अनैच्छिक समर्थन मिला।
10. व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति में हस्तक्षेप अनिवार्य होगा। इसमें सभी को स्पष्टता। हस्तक्षेप का स्वरूप क्या होगा अभी कहना अधपका परोसना होगा।
   राजनीति में यह हस्तक्षेप न तो इतनी जल्दी हो कि जल्दबाजी हो जाए और न इतना कच्चा हो कि समयपूर्व हो जाये, यह नेतृत्व जरूर ध्यान रखेगा।

चुनाव सुधार : अब जरूरी

पांच साल में एक बार लोग वोट डालने जाते हैं और अपने नेता का चुनाव करते हैं। लेकिन इसके बाद इनका अख्तियार खत्म हो जाता है। इनके प्रतिनिधि अपने लोगों के साथ या देश के साथ कैसा भी सलूक करें, ये लोग कुछ नहीं कह सकते। इन्हें इसका हक ही नहीं है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे आप शादी करें और शादी करने के बाद आपको यह पता चले कि आपका जीवनसाथी आपके साथ बेवफाई कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपके पास उसे तलाक देने का भी हक नहीं है। यानि लोगों के पास अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का हक ही नहीं है। लोगों के पास जनमत संग्रह की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जिसके जरिए वे यह कह सकें कि उनके लिए बनाया जा रहा कानून उन्हें पसंद है या नहीं। किसे चुना जाए, इसका विकल्प व्यवहार में धन और राजनीतिक दलों के प्रभाव की वजह से सीमित हो गया है। देश के 156 सांसदों पर गंभीर आरोप वाले फौजदारी मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से कुछ जेल में हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो जेल जाने के पात्र हैं। लेकिन एक सच तो यह भी है कि घूस लेने वाले सांसदों की वजह से अक्सर ही सरकारें गिरते-गिरते बचती हैं। ऐसी स्थिति में क्या हमारी सरकार जनता द्वारा, जनता की, जनता के लिए सरकार लगती है? नहीं लगती।

हमारे वोट से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वे किसी न किसी दल से आते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी दल के इतने प्रत्याशी जीत जाते हैं कि उसे बहुमत मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में शायद अच्छी से अच्छी स्थिति में उसके पास 30-35 फीसदी लोगों का समर्थन होता है। और अगर संसद त्रिशंकु निकल कर आती है, तब तो दलों को और भी कम लोगों का प्रतिनिधित्व मिल पाता है। इसका नतीजा यह है कि कई-कई बार कुल वोटरों के दस फीसदी से कम वोट पाने वाले दल का नेता देश देश चलाने की स्थिति में पहुंच जाता है। क्या आपको यह सोच कर आश्चर्य नहीं होता कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसे देश के 90 फीसदी वोटरों का समर्थन नहीं होता।

भारतीय चुनाव व्यवस्था

हमारे यहां चुनावों के लिए एफपीटीपी (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट) व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि सबसे अधिक वोट पाने वाला व्यक्ति विजयी घोषित होता है। लेकिन यह व्यवस्था वाकई गलत और अनुचित है। हमारे यहां आजादी के बाद से लेकर अब तक के विभिन्न चुनावों में बार-बार यह साबित हुआ है कि किसी चुनाव क्षेत्र में 10 फीसदी से कम वोट हासिल करने वाले लोग विजयी हो जाते हैं। साल 2009 के संसदीय चुनावों में 543 में से 145 सीटों पर विजयी रहने वाले लोग 20 फीसदी से कम वोट पाकर भी जीत गए। केवल पांच सांसद ऐसे रहे जिन्हें 50 फीसदी से अधिक वोट मिले। 2009 के चुनाव में औसतन हर सांसद को 25 फीसदी वोट हासिल हुए।

लेकिन ऐसी गलतियों के साथ जीने के हम इतने आदी हो गए हैं कि अधिकांश लोग तो यह जानते भी नहीं कि इसके अलावा चुनाव की कोई और व्यवस्था भी हो सकती है। भले ही हम आजादी के बाद से जहां के तहां पड़े हुए हों लेकिन दुनिया के बहुत सारे लोकतंत्रों ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपना लिया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था में हर दल को उस अनुपात में सीटें दी जाती हैं जिस अनुपात में उन्हें वोट हासिल होते हैं। दलों को मिलने वाले वोटों का प्रतिशत और उनको मिलने वाले सीटों के प्रतिशत में कोई अंतर नहीं होता।

चुनाव सुधारों की आवश्यकता

पिछले कुछ वर्षो से देश में चुनाव सुधारों के लिए प्रतिबद्ध नागरिकों का एक आंदोलन बन रहा है। यह आंदोलन कभी-कभी राजनीतिक द्वेष की बीमारी का शिकार हो जाता है, फिर भी कुल मिलाकर इनके प्रयास से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्थक बदलाव की गुंजाइश बढ़ी है। टीम अन्ना रालेगण में कोर कमेटी की बैठक के बाद ऐलान कर चुकी है कि उनके एजेंडे में अब चुनाव सुधार ही है। एक ओर चुनाव सुधार के मुद्दे पर टीम अन्ना की ओर से मुहिम आगे बढ़ाए जाने का ऐलान किया गया है और दूसरी ओर सरकार इस मुद्दे पर चौकस हो गई है। इसके मद्देनजर अगले महीने सरकार ने चुनाव सुधार के मसले पर चर्चा के लिए सभी पार्टियों की बैठक बुलाई है।

इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आइए यह जान लेते हैं कि चुनाव सुधार क्या होते हैं? चुनाव की प्रणाली में करने योग्य उन परिवर्तनों को चुनाव सुधार कहते हैं जिनके करने से जनता की आकांक्षाएं न केवल चुनाव परिणामों बल्कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में साफ-साफ दिखने लगें। सवाल है कि आखिर किन चीजों को चुनाव सुधार में शामिल किया जाता है। चुनाव सुधारों के मुद्दों की सूची में शामिल हैं- निष्पक्ष निर्वाचन आयोग का गठन, चुनाव खर्चों का निर्धारण एवं उस पर नियन्त्रण, चुनाव प्रचार एवं आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन, मतदाताओं के लिये भयमुक्त वातावरण, घूस देकर, शराब पिलाकर या जबरदस्ती मत डलवाने के विरुद्ध नियन्त्रण और अवैध मतदान पर रोक। इसके अलावा मत-पत्र के प्रयोग के बजाय इलेक्ट्रानिक मशीन द्वारा मतदान, स्वैच्छिक मतदान के बजाय अनिवार्य मतदान, चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाने या बुलाने की व्यवस्था, मत-गणना की सही विधि का विकास, स्त्रियों एवं कमजोर समूहों के लिये सीटों का आरक्षण, प्रत्याशियों के लिये समुचित आवश्यक

योग्यता एवं अर्हताएँ निर्धारित करना, मतदाता के लिये अर्हताओं में परिवर्तन और चुनाव क्षेत्रों का सम्यक निर्धारण भी चुनाव सुधार के मुद्दों में शामिल हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कानून मंत्रालय को कहा है कि वह अपराधियों को चुनाव-राजनीति से दूर रखने के मुद्दे पर जल्द से जल्द राजनीतिक सहमति बनाए। साथ ही, चुनाव से काला धन दूर रखने के उपायों पर भी बात हो। कानून मंत्रालय कैबिनेट को पहले ही एक नोट भेज चुका है। इसमें मौजूदा कानून में बदलाव की सिफारिश की गई है, ताकि वैसे उम्मीदवारों पर चुनाव लड़ने की पाबंदी लगे जिनके खिलाफ अदालत से ऐसे मामले में आरोप पत्र तय हो गया हो, जिसमें कम से कम पांच साल कैद की सजा का प्रावधान हो।

ऐसा नहीं है कि देश में चुनाव सुधारों के लिए प्रयास नहीं किए जाते। जब भी इस पर हो-हल्ला मचता है, सरकार एक कमेटी बना देती है। फरवरी 2011 में भी सरकार ने चुनाव सुधार पर एक और कमेटी बना दी। ऐसी खबर से न कोई हैरानी होती है, न किसी के मन में डर पैदा होता है ना ही कोई आस बंधती है। आम आदमी और तंत्र के बीच लगातार गहराते फासले को कागजी रपटों से पाटने की कई कवायदें पहले भी हो चुकी है। ऐसी कवायदों में ऐसा कुछ नहीं होता, जिससे कुछ नया होने की कोई उम्मीद हो। असल में इस समिति में एक भी शख्स ऐसा नहीं, जिसने खुद चुनाव लड़ा हो या जिसे चुनावी राजनीति की कोई समझ हो।

वैसे तो इस समिति ने अपने एजेंडे में वो सब विषय शामिल किये हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। मसलन, चुनावों में धन और बल का बढ़ता असर, राजनैतिक दलों को मर्यादित करने की जरूरत, चुनाव में राजकीय कोष, चुनावी प्रक्रिया को ज्यादा सुचारु बनाना, चुनावी विवादों का बेहतर निपटारा, दल-बदल विरोधी कानून को बेहतर बनाना। लेकिन पिछले दो दशक से चुनावी सुधारों की कवायद इन्हीं मुद्दों के इर्द-गिर्द हो रही है।

चुनाव में पैसे के सवाल की बात करें तो हर कोई यह मान कर चलता है कि राजनीति में असली समस्या इस पर होने वाले काले धन के असर को रोकना है। इसलिए सारा ध्यान काले धन पर पाबंदी लगाने वाले कानूनों पर रहता है। अगर ये कानून असरदार हो पायें तो जरूर कुछ फायदा होगा, लेकिन काले धन को रोकना सिर्फ चुनावी कानूनों और चुनाव आयोग के बस की बात नहीं है, यह मामला पूरी आर्थिक व्यवस्था को बदलने से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसके इतिहास पर नजर डालें तो असल में सरकार द्वारा चुनाव खर्च उठाने की बहस बहुत पुरानी है। दिनेश गोस्वामी समिति (1990) ने भी ऐसी ही संस्तुतियां की थीं। विधि आयोग ने भी चुनाव सुधारों की रिपोर्ट (1999) में आंशिक चुनाव खर्च की सिफारिश की थी। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी ऐसी ही बातें कहीं थीं। चुनाव आयोग ने भी विभिन्न पहलुओं पर 2006 में सभी दलों से विचार-विमर्श किया था, लेकिन व्यापक चुनाव सुधारों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई। इसके बहुत पहले जयप्रकाश नारायण ने भी चुनाव सुधारों की मांग की थी। प्रत्याशी और दलों को अतिरिक्त खर्च से रोककर ही सरकारी खर्च पर चुनाव की व्यवस्था सफल हो सकती है।

सही दिशा में चुनाव सुधार न किए जाने से भारत का प्रजातंत्र एक अजीब तरह के जाल में फंस गया है। हमारी संसद और हमारी विधान सभाओं में

पार्टी व्हिप: दलों के हाथ में चाबुक

हमारे देश में जनप्रतिनिधियों को संसद में अपने दल की व्हिप के मुताबिक चलना पड़ता है। किसी सांसद का किस विषय पर क्या पक्ष होगा, यह तय करने का अधिकार उसे नहीं होता। उसे दल के मुताबिक ही चलना पड़ता है, वरना उसे निष्कासित कर दिया जाता है। एक ओर भारतीय संविधान कहता है कि सांसद और विधायक जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन दूसरी ओर उनके खुद के राजनीतिक दल उन्हें जनता के प्रतिनिधि के बजाय पार्टी का एक प्यादा भर मानते हैं। इस प्यादे को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पार्टी व्हिप का। जब कोई विधेयक पारित होने की प्रक्रिया चल रही होती है और राजनीतिक दल को लगता है कि उसके दल के सदस्य पार्टी लाइन के खिलाफ जा सकते हैं तो ऐसे में वह व्हिप जारी कर देता है। अगर वह विधेयक जनविरोधी होता है तो वोटिंग के समय उसके सामने दो विकल्प होते हैं- या तो वह सच का साथ दे यानि जनता की आवाज सुने या अपने दल की बात माने।

राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर वोटिंग से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों को इस सभा में व्हिप जारी कर अपने सांसदों को वोट देने के लिए बाध्य करना पड़ा। असल में दलों को पहले से ही पता था कि उनके सांसदों का बहुमत महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ है। इस तरह का व्हिप तभी जारी किया जाता है, जब सांसद अथवा विधायक के पार्टी लाइन से बाहर जाने का खतरा हो। दोनों के अलावा किसी अन्य पार्टी ने व्हिप जारी नहीं किया।

पार्टी व्हिप जारी होने के बाद नेतृत्वकर्ताओं के पास दो विकल्प होते हैं, अगर वह दल की बात मानता है और उसका दल गलत बात का समर्थन कर रहा है तो उसे इसका हिसाब अगले चुनाव में चुकाना होगा। दूसरी ओर अगर वह प्रतिनिधि सच की या न्याय की आवाज सुनता है और कानून के विरोध में वोट करता है तो उसकी सदस्यता ही खत्म हो जाती है।

कुछ साल पहले की बात है। सरकार के कार्यकाल के अंतिम साल में विश्वास प्रस्ताव लाया गया और हालात ऐसे थे कि दलों को इसके लिए व्हिप जारी करना पड़ा। दोनों ही तरफ से सांसदों ने अपनी-अपनी पार्टी के आदेश के खिलाफ जाकर वोट किए। कुल 51 सांसद ऐसे थे, जिन्होंने पार्टी के व्हिप को नहीं माना। कुछ सांसदों को जब दूसरे दलों से आश्वासन मिल गया तो उन्होंने विश्वास मत के दौरान पार्टी व्हिप के उल्लंघन में देर नहीं लगाई। पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले दूसरी श्रेणी उन सांसदों की भी थी जो जानते थे कि उन्हें उनका दल अगले चुनाव में फिर से प्रत्याशी नहीं बनाएगा। पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले जानते थे कि यदि उन्हें उनके दल ने बाहर भी कर दिया तो आम चुनाव ज्यादा दूर नहीं हैं। लेकिन यही सांसद लोकसभा कार्यकाल के पहले या दूसरे वर्ष में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सकते, क्योंकि अगले चुनाव में तीन-चार साल बाकी होते हैं।

यदि आपका सांसद पार्टी व्हिप आदि का हवाला देते हुए गलत बात का समर्थन कर देता है तो क्या आप ठगा हुआ नहीं महसूस करते? क्या गलत बात का समर्थन करने के लिए ही इन्हें भेजा गया है। न जाने कितने बार यही नेता अपने निहित स्वार्थों के वशीभूत होकर पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर डालते हैं। आखिर हमारे जनप्रतिनिधि क्यों नहीं सोचते कि अपने क्षेत्र के ही नहीं बल्कि देश की जनता की भलाई के नेक काम के लिए किया जाये । यदि किसी सांसद नें ऐसा किया हो (यानी पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया हो), तो हो सकता है कि अभी तो उसे अपने दल का कोपभाजन बनना पड़े लेकिन एक बार जनता की पसंद बन जाने पर उसे बार-बार संसद जाने से कोई भी नहीं रोक सकता।

खारिज करने का अधिकार

लोकतंत्र के बेहतर स्वास्थ्य के लिए यह निहायत जरूरी है कि वोटर को राइट टू रिजेक्ट (खारिज करने का अधिकार) हासिल हो। अगर उसे मौजूदा प्रत्याशियों में से कोई भी पसंद नहीं आ रहा तो उसके पास सभी प्रत्याशियों को खारिज करने का अधिकार होना चाहिए। यानि वोटर को बटन दबाने के लिए एक और विकल्प मिलना चाहिए- इनमें से कोई नहीं। दूसरी बात, अगर इनमें से कोई नहीं वाले विकल्प को 25 फीसदी से अधिक वोटरों का समर्थन मिलता है तो उस चुनाव क्षेत्र का चुनाव यह सुनिश्चित करने के लिए निरस्त कर दिया जाना चाहिए कि काफी कम संख्या में वोट पाकर कोई व्यक्ति उस क्षेत्र का प्रतिनिधि न बन जाए। तीसरी बात, इस तरह से खारिज किए गए उम्मीदवारों से एक पूरे संसदीय कार्यकाल यानि पांच साल के लिए देश में कहीं से भी चुनाव में खड़ा होने का अधिकार छीन लेना चाहिए। ऐसा इसलिए कि बार-बार वही पराजित उम्मीदवार चुनाव में न खड़े हो जाएं।

State	Total candidates	Analysed	With criminal cases	Crorepatis	Richest
UP	6,850	2,195	759 (35%)	1,046	Najir Ahmed (Cong) Rs 141cr
GOA	215	129	30 (23%)	29	Dinar Tamar (MGP) Rs 211.76cr
PUNJAB	1,078	408	61 (15%)	256	Karan Kaur (Cong) Rs 128.4cr
UTTARAKHAND	788	278	53 (19%)	88	Rajesh Shukla (BJP) Rs 26cr
MANIPUR	279	258	3 (1.2%)	33	T N Haokip (Cong) Rs 10cr

Source: ADR-NEW

आपराधिक चरित्र वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी होने लगी है। इन लोगों के पराक्रम और दबदबे की वजह से हमारे देश में ऐसे लोगों के जीतने के आसार काफी अधिक होते हैं और राजनीतिक दल इन्हीं कारणों से इन्हें टिकट देते रहते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने शायद यह कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत में प्रजातंत्र की ऐसी दुर्दशा हो जाएगी। अगर सांसदों को वापस बुलाए जाने का डर रहेगा तो वे गलतियां करने से और गलत बात का साथ देने से बचेंगे। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट जैसी बातों को जल्द से जल्द चुनाव प्रक्रिया में शामिल किया जाए। साथ ही संसद और विधानसभाओं में व्हिप को खत्म किया जाए, ताकि देश के प्रजातंत्र को परिपक्व होने का मौका मिल सके। जब तक संसद और विधानसभाओं में व्हिप को नहीं हटाया जाएगा और जब तक राजनीतिक दलों में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं होगा, तब तक देश का प्रजातंत्र यूं ही चंद लोगों की जागीर बना रहेगा। ☐

फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (एफपीटीपी) पद्धति की खामियां अब चुभने लगी है। साल 1950 में संविधान लागू करते समय हमने यही पद्धति अपनाई थी। एफपीटीपी पद्धति में जिसको सबसे ज्यादा मत मिलते हैं (चाहे वह कुल मतदान का बहुत ही कम प्रतिशत हो) विजयी माना जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 101 मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं और ग्यारह उम्मीदवारों में से दस उम्मीदवारों को नौ-नौ वोट मिले हैं लेकिन एक को दस वोट मिले हैं तो दस वोट पाने वाला विजयी घोषित होगा।

एफपीटीपी पद्धति में इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि ऐसा व्यक्ति विजयी हो गया है जिसे 98 प्रतिशत मतदाताओं ने पसंद नहीं किया है। पंद्रहवीं लोकसभा में 145 सांसद ऐसे हैं जिनको 20 प्रतिशत से कम वोट मिले हैं और तीन ऐसे हैं जिनको दस प्रतिशत से भी कम वोट मिले हैं जबकि चौदहवीं लोकसभा में 95 सांसद 20 प्रतिशत से कम वोट पाकर जीते थे। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि एफपीटीपी पद्धति की वजह से हमारे संसद की प्रातिनिधिक प्रकृति लगातार खत्म होती जा रही है।

लेकिन यह इस पद्धति की अकेली गड़बड़ी नहीं है। एफपीटीपी पद्धति की वजह से और कई दिक्कतें आ रही हैं। असल में देश की राजनीति द्विदलीय या द्विध्रुवीय न होकर बहुदलीय और बहुध्रुवीय है। विविधता के कारण कई बार एक पहचान विशेष के मतदाता कुछ चुनाव क्षेत्रों में किसी विशेष दल को अधिक वोट दे देते हैं या तीखे तरीके से इसके खिलाफ हो जाते हैं। ऐसे में नतीजा यह होता है कि कई बार किसी एक पार्टी को मत ज्यादा मिलते हैं लेकिन सीटें कम आती हैं या सीटें ज्यादा आती हैं और मत कम मिलते हैं।

हमारे पास वैकल्पिक चुनाव पद्धति के रूप में कई विकल्प मौजूद हैं और इसमें सबसे आसान है वैकल्पिक मतदान (अल्टरनेटिव वोटिंग), जिसमें मतदाता को अपनी वरीयता के हिसाब से अपनी पसंद को क्रमवार रखना होता है। अगर किसी प्रत्याशी को 50 प्रतिशत वोट नहीं मिलते तो जो प्रत्याशी मतदाताओं की पसंद में सबसे नीचे के स्तर पर है, उसको बाहर करके उसके वोट मतदाताओं की दूसरी पसंद के वोट में बांट दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि किसी एक प्रत्याशी को 50 फीसदी से ज्यादा मत न मिल जाएं। विश्व के कई देशों में और अमेरिका के कई राज्यों में इसी पद्धति का प्रचलन है।

- चुनाव आयोग विभिन्न इच्छुक लोगों को निर्धारित शर्तों के तहत राजनीतिक दल बनाने की स्वीकृति देता है।
- ये राजनीतिक दल अपनी विचारधारा व कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राज्य, क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का ढांचा खड़ा करते हैं।
- पार्टियां पंचायत से लेकर ब्लाक, तहसील, जिला, राज्य व केन्द्रीय स्तर तक कार्यकारिणियों का गठन करती हैं।
- निचले से ऊँचे स्तर तक विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के तहत होने वाले चुनावों में ये दल अपने-अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं।
- जनता संबंधित सीट के लिए खड़े विभिन्न उम्मीदवारों में से किसी एक को 'मत' देती है। जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा मत प्राप्त करता है विजयी घोषित होता है।

कहाँ-कहाँ होती हैं गड़बड़ियाँ

- अक्सर दलों में किसी एक या कुछ परिवारों का ही कब्जा हो जाता है और ये परिवार विभिन्न पदों पर अपने ही परिवार के लोगों को टिकट देते हैं।
- नीचे से लेकर ऊपर तक विभिन्न कार्यकारियों के चुनाव ही नहीं होते और राज्य/केन्द्रीय इकाई द्वारा पदाधिकारी या तो थोप दिये जाते हैं या नामित किये जाते हैं, जिस कारण पार्टी में तानाशाही प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं।
- विभिन्न दल क्षेत्र विशेष में अपराधी छवि वाले बाहुबली या धनपति को टिकट देना पसंद करते हैं ताकि साम दाम दंड भेद से चुनाव जीत लिये जायें।
- बहुत से दलों में टिकट वितरण के समय बाकायदा पैसों का लेन देन होता है।
- उम्मीदवारों के चयन में उसकी शिक्षा, नेतृत्व के गुण, संविधान के प्रावधानों की जानकारी, ईमानदारी, चुनाव क्षेत्र से परिचय, सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों की जानकारी आदि नहीं परखे जाते वरन उम्मीदवार के पार्टी हाईकमान से रिश्ते, जाति/धर्म/क्षेत्र/भाषा के अनुरूप जीतने की क्षमता, धन व बल शक्ति, चापलूसी की क्षमता आदि मापदंडों के आधार पर चयन होता है।

- सामान्यतः चुनावों में पर्ची बनवाने, पोलिंग एजेंट बनने, फर्जी मतदान कराने, यातायात के साधनों का प्रबंध कर सकने वाले, बूथ कैप्चरिंग की क्षमता वाले, लड़-भिड़ सकने वाले, उत्तेजना फैलाने वाले, शराब व पैसे बंटवा सकने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है।
- 90 प्रतिशत पंजीकृत राजनीतिक दल डमी उम्मीदवार खड़े कर सक्षम व रुकने वाले उम्मीदवारों से पैसा लेकर उनके पक्ष में बैठने का धंधा करते हैं। बहुसंख्यक निर्दलीय उम्मीदवारों का भी यही धंधा है।
- देश में लगभग सभी दलों में दो भाग हैं पार्टी हाईकमान (प्रदेश व केन्द्रीय स्तर पर) व निचले स्तर के नेता व कार्यकर्ता। स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं का अपना वोट बैंक प्रभाव क्षेत्र व चुनावी कला कौशल होता है और विभिन्न हाईकमान अपनी-अपनी गोलियां खेलते हुए अपने अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। इस संदर्भ में विभिन्न आक्षेप, आरोप-प्रत्यारोप, घोटालों को खोलना, छोटे/बड़े नेताओं से पाला बदलवाना, पार्टियों को तोड़ना, सरकारें बनाने गिराने का खेल खेलना और किसी भी तरह सत्ता हथियाना और फिर लंबे चौड़े घपले घोटालों की कहानियां खड़ी करना। अधिकांश स्थानीय नेता व कार्यकर्ता किसी भी स्थायी विचारधारा के नहीं होते और जिस दल या नेता की हवा बन रही होती है उससे तारतम्य बैठाकर अपना अपना धंधा पानी चलाते रहते हैं। कुल मिलाकर जो गुट सत्ता पा जाता है उसके नेता जिला/राज्य/केन्द्र में अपनी-अपनी मठाधीशी/सत्ता चलाते रहते हैं।

अनिवार्य मतदानः

चुनाव सुधारों के मोर्चे पर आगे बढ़ते समय जिस लक्ष्य को सबसे पहले हासिल किए जाने की जरूरत है, वह है अनिवार्य मतदान। दुनिया भर के अनेक देशों में मतदान करना अनिवार्य है। इस विचार में कुछ भी मौलिकता या नवीनता नहीं है। किसी न किसी रूप में यह विचार 33 देशों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इनमें कुछ देशों में तो यह एक सदी से भी पहले से लागू है। इनमें से प्रमुख हैं बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अर्जेंटीना, आस्ट्रिया, साइप्रस, पेरू, ग्रीस और बोलीविया। अनिवार्य मतदान के संबंध में हमें इन तमाम देशों में लागू कानूनी प्रावधानों का अध्ययन कर भारतीय स्थितियों के अनुकूल प्रावधान तैयार करने चाहिए। यदि हम पीछे मुड़ कर देखें तो 1892 में मतदान को अनिवार्य कर बेल्जियम ने इस दिशा में पहला कदम उठाया। 1924 में आस्ट्रेलिया ने इसे लागू किया।

इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर लगाया जाने वाला जुर्माना हर देश में अलग-अलग है। उदाहरण के लिए, आस्ट्रेलिया में मतदान से विमुख रहने वालों पर बीस से पचास डालर का जुर्माना लगाया जाता है। जो लोग जुर्माना अदा नहीं करते, उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। स्विट्जरलैंड, आस्ट्रिया, साइप्रस और पेरू में भी मतदान से गैरहाजिर रहने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है। बोलीविया में मतदान में भाग न लेने पर वेतन कट जाता है जबकि ग्रीस में मतदान से मुंह चुराने वाले लोगों को पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में कड़ी शर्तों का पालन करना पड़ता है। बेल्जियम में चुनाव से अनुपस्थिति की गलती दोहराए जाने पर नागरिकों को मतदान अधिकारों से वंचित भी किया जा सकता है। सिंगापुर में जो लोग वोट नहीं डालते उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। फिर से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

शासन के प्रकार

- लोकतंत्र- जनता द्वारा, जनता की, जनता के लिए सरकार
- राजतंत्र- एक अकेले शासक (जैसे राजा, रानी, बादशाह) की सरकार
- अभिजाततंत्र- विशिष्ट जनों की सरकार
- अल्पजनतंत्र- कुछ लोगों की सरकार
- धर्मतंत्र- ईश्वर की सरकार (असल में इसका मतलब होता है धार्मिक नेताओं की सरकार)
- तानाशाही- उन लोगों की सरकार जिन्होंने जबरन सत्ता हासिल कर ली हो (आम तौर पर सेना की तानाशाही)

लोकतंत्र को दें आधार : करें चुनाव सुधार

आदमी की जिन्दगी में पाँच साल का जो महत्व है वही महत्व देश की जिन्दगी में सौ साल का होता है। हमारे देश में पंच वर्षीय योजना की शुरुआत लोक सभा एवं विधानसभाओं के पांच साल से सह सम्बद्ध है। अर्थात पांच वर्ष की योजना केंद्र सरकार द्वारा पांच साल की लोकसभा के माध्यम से कार्यान्वसन किये जाने की संकल्पना है। बस यहीं चूक हो गयी। एक सरकार ने अपनी सुविधा के हिसाब से पांच हिसाब की योजना बनाई और उसको लागू करवा दिया। और उसके बाद आने वाली सरकार ने अपने नेता और पार्टी की इच्छा अनुसार कुछ पुरानी नीतियों को लागू रखा और जो सुविधाजनक नहीं लगी उन्हें बदल दिया। ऐसा करने पर देश की दिशा में क्या परिवर्तन होगा, लगे हुए कितने पैसे ख़राब हो जायंगे, जनता के ऊपर इसका परिणाम क्या होगा इसकी चिंता करने का समय और इच्छा दोनों शक्ति की कमी हमारे नेताओं में रही है। जिसका नतीजा देश दिशाहीन होकर कहां जा रहा है इसकी जवाबदेही भी शायद ही किसी की है। ऐसा कब तक ऐसे ही चलने दिया जाये? क्या कुछ किया जा सकता है।आइए इस पर विचार करे। देश गणतंत्र की 64वीं जयन्ती मनाने को तैयार है, अत: इस पर विचार करना आवशयक है ताकि हम आने वाली पीढ़ी के लिये जो भारत बनाए उस पर उसे गर्व हो, ताकि वह पढ़ लिख कर किसी तरह अच्छी नौकरी पाकर या विदेश में जा कर बसने का लक्ष्य न बनाने के बजाए देश में रहने और इसकी सेवा करने में गर्व महसूस करे। हमारे इस विषय में सुझाव है -

देश की अगले सौ सालों की जरूरतों का आंकलन किया जाये और उसको 5 वर्षो में प्राप्त किये जाने योग्य भागों में बांट कर लागू करने की योजना बनायीं जाये।

देश की योजनाओं को दो हिस्सों में बांटा जाये, एक वह जो नेताओं और पार्टी हितों के ऊपर देश हित में हो और नेताओं अथवा पार्टी के आने -जाने से उन नीतियों के प्रभावी कार्यान्वन प्रभावित न हो। जैसे देश की शिक्षा नीति क्या होगी, विदेश नीति अथवा रक्षा नीति क्या होगी अथवा बुनियादी ढांचे को बनाने की नीति क्या हो यह पार्टी अथवा नेताओं से प्रभावित न हो और यह अपनी दीर्घकालीन आवश्यकताओं के अनुसार चले ताकि एक निश्चित समय में हमारे देश की दीर्घकालीन आवश्यतायें पूर्ण होना निश्चित हो जायें।

बचे हुए क्षेत्रों की नीतियां पांच वर्ष की आवश्यकताओं के हिसाब से बनाई जाये जिसको चुनी हुई सरकार अपनी नीतियों के हिसाब से बना कर लागू कर सके।

सरकार के द्वारा वस्तुओं के दाम बढ़ाये जाने अथवा अन्य किसी प्रकार भी परिवर्तित किये जाने की मियाद एक साल में एक बार ही हो। ताकि एक बार नीति निर्धारण हो जाने के बाद आम आदमी और देश का व्यापारी उन नियमों के हिसाब से अपनी योजना बना सके और जीवन यापन की व्यवस्था कर सके। साल में कई बार बीच -बीच में महंगाई बढ़ जाने से आम आदमी की कमाई अथवा वेतन वृद्धि नहीं होती अत: उसके लिए जीवन दुश्वार हो जाता है। इसलिए बार-बार वृद्धि से बचा जाना चाहिए। किसी आपातजनक स्थिति में संसद में तीन चौथाई बहुमत से उसका निर्णय किया जाये।

किसान से ख़रीदे जाने का दाम साल में एक बार तय होता है तो फिर उसके खेत में लगने वाले सामानों जैसे खाद, डीजल इत्यादि के दामो में साल में कई बार वृद्धि करने से उसे निरंतर नुक्सान होगा और वह अपने काम को छोड़ने में ज्यादा रूचि रखेगा बजाय काम करने में, यह अच्छा चिन्ह नहीं है। भारत देश जिसकी अर्थव्यस्था कृषि आधारित है, ऐसे में किसानों का लगातार अनादर देश की ऐसी क्षति करेगा की उसकी पूर्ति मुश्किल है।

राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों में निर्णय लेने में आम जनता की राय इलेक्ट्रोनिक सुविधाओं का इस्तेमाल कर संसदीय क्षेत्रानुसार करवा कर सांसदों का अपने क्षेत्र की राय के हिसाब से ही समर्थन देना अनिवार्य हो। उदहारण के लिए एफ डीआई के मामले में क्षेत्रीय पार्टियों ने जिस तरह का व्यवहार किया वह वास्तव में जनतंत्र का अपमान है। ऐसे मुद्दों पर जनता की राय

क्या बदलेगा यह सब?

अब पार्टियों के टिकट लेना बड़ा खेल बन गया है। टिकट के इच्छुक व्यक्ति को अनेक जनसभाएं, कार्यक्रम, भोज, चंदा बांटना, शराब पिलाना, पार्टी फंड में चंदा देना, प्रमुख नेताओं के घरों पर चक्कर काटना, उन्हें नकद धनराशि देना, स्थानीय स्तर पर चमचों-समर्थकों को पाल कर रखना, वोट बनवाना, विरोधियों के दांव-पेंच काटने के उपाय करना, चुनाव के समय वोटरों को नकद पैसे, शराब, भोजन इत्यादि देना, पोस्टर, बैनर, झंडे, बोर्ड, अखबारों-टीवी आदि में विज्ञापन देना, पत्रकारों को खरीद कर 'पेड न्यूज' छपवाना, विभिन्न प्रभावी समूहों, जाति समूहों आदि को अपने पाले में करना, सरकारी मशीनरी को अपने पक्ष में करना जैसे तिकड़म करने पड़ते हैं। इन सब के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। मात्र उत्तर प्रदेश के चुनावों में चुनाव आयोग ने दस हजार करोड़ से ज्यादा काला धन खर्च होने का अनुमान लगाया है। क्या कोई है इसे रोकने वाला?

क्या ट्रांस्फर-पोस्टिंग का धंधा बंद हो सकेगा? जानकार मानते हैं कि पीसीएस अधिकारी मलाईदार पोस्टरों के लिए 10 से 20 लाख रुपये सत्तारूढ़ सरकार के मुखिया को देते हैं, वहीं आईएएस अधिकारियों के मामलों में यह राशि करोड़ों रुपये होती है। अधिकांश राजनीतिक पदों (निगमों, निकायों के पदाधिकारियों) की तो खुली बोली लगती है। जाति-धर्म व परिवार के लोगों को प्रमुखता दी जाती है। भर्ती बोर्डों की परीक्षाओं में राजनीतिक आकाओं के इशारे पर धांधलियां की जाती हैं तथा अराजपत्रित पदों तक की भर्तियां 5 से 10 लाख रुपये तक लेकर की जाती हैं। भ्रष्ट रास्तों से पहुंचे लोगों से कैसे सुशासन की अपेक्षा की जा सकती है। क्या हमारे नये नेता इसे बदल सकेंगे?

येन केन प्रकारेण चुनाव जीता प्रत्याशी अगले पांच साल अपनी लागत वसूली, अगले चुनाव का खर्च, व्यक्तिगत लाभ और पार्टी फंड व नेताओं को हिस्सा देने के उपायों में लग जाता है। विधायक निधि सामान्यत: 30 से 50 प्रतिशत कमीशन लेकर जारी की जाती है। विधान सभा क्षेत्र के सभी थानों में विधायक की दलाली चलने लगती है। हत्या, डकैती, बलात्कार, जमीन व औद्योगिक विवादों में विधायक व पुलिस मिल कर कमाते हैं, क्षेत्र के सभी उद्योगों व व्यापारियों से मासिक वसूली की जाती है, सभी मंडी समितियों, अनाज खरीद केन्द्रों व सस्ते राशन की दुकानों पर विधायक अपना स्वाभाविक हक समझता है और किसानों से सीधा व सस्ता अनाज आदि खरीदकर ऊंचे दामों पर इन केन्द्रों को बेचता है और सब्सिडी वाले सामान की फर्जी बिक्री दिखाकर इन्हें बाजार के ऊंचे दाम पर बेच कर बड़ी कमाई करता है। विवादित सम्पत्तियों, ग्राम सभा की जमीनों व गरीब/छोटे किसानों की जमीनों पर जबरन कब्जे किये जाते हैं। विभिन्न समाज कल्याण की योजनाओं में अफसरों के साथ मिलकर भारी फर्जीवाड़े किये जाते हैं। सभी सरकारी ठेके अपने लोगों को दिलाना, ठेकेदारों से कमीशन वसूलना, विकास कार्यों के लिए आये धन में

जानना आवाश्यक हो। और इसकी मॉनीटरिंग चुनाव आयोग स्वयं करे। और सांसदों के लिए उनके क्षेत्र की जनता का निर्णय मानने की बाध्यता होनी चाहिए।

सरकार जब भी किसी चीज पर दाम बढ़ाती है तो साथ ही बताना चाहिए की उसका बढ़ा हुआ पैसा कहा खर्च करेंगे। और बढ़ी कमाई तथा खर्च दोनों में आपस में सम्बन्ध होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि सड़क पर नियम तोड़ने के लिए जुर्माना बढ़ाते है तो उसका निवेश सड़क के गड्ढों को पाटने में ,सड़क बत्तियों को ठीक करने में लगाया जाये।

जब भी सब्सिडी देने की घोषणा सरकार करती है तो उसे यह बताना चाहिए की इसकी भरपाई कहां से करने वाली है। किस तरह के अतिरिक्त टैक्स इत्यादि लगाये जाने प्रस्तावित है। ताकि आम जनता को पता चले की किस कीमत पर किसको लाभ पहुंचाया जा रहा है। यह उचित नहीं की एक बार सब्सिडी दी जाये और फिर थोड़े दिन बाद घाटे के नाम पर दाम बढ़ाये जाये या टैक्स लगाये जाये।

जब कोई पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र में अर्थ सम्बन्धी घोषणायें करती है तो उसे भी यह बताना आवश्यक हो की खर्च का उपयोग कैसे होगा और धन कैसे आयेगा। जैसे किसान का कर्ज माफ़ किया जायेगा तो इस पैसे की व्यवस्था कैसे होगी। हम बैंक में घाटा करके इसकी नीति कैसे बना सकते हैं। और फिर उसको पूरा करने लिए नए टैक्स लगाये या दाम बढ़ाये, यह उचित नहीं।

सभी उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक हो कि वह जन प्रतिनिधि बने रहने के दौरान अपनी माली हैसियत के बारे में स्पष्ट घोषणा करे और बताये कि उनकी कमाई में वृद्धि किस तरह अर्थात कितनी वृद्धि सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन के कारण हुयी है और कितनी कमाई के कारण।

यदि कोई उम्मीदवार अपने सुरक्षा कारणों से एक से ज्यादा जगह से चुनाव लड़ता है तो उसे अतिरिक्त सीटों पर उपचुनाव करवाने का खर्च चुनाव आयोग के पास जमा करवाना चाहिए। यदि उम्मीदवार एक से अधिक स्थान से जीत जाता है तो छोड़े जाने वाली सीट पर उपचुनाव का खर्चा उस उम्मीदवार से लिया जाये न की सरकारी खजाने से। पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 10000 करोड़ रुपये लोकसभा की 540-542 सीटो पर खर्च हुए थे। जिसके अनुसार करीब 20 करोड़ रुपये एक सीट का खर्च होता है। यदि यही चुनाव एक साथ न होकर अलग अलग होता है तो खर्च लगभग दोगुना अर्थात उपचुनाव में 40-50 करोड़ होता है। इतना पैसा बैंक में जमा करवा कर ही एक से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाये। किसी उम्मीदवार को चुनाव में विजयी होने की सुरक्षा जनता के पैसे से नहीं दी जा सकती।

चुनाव में आचार संहिता का तोड़ा जाना एक आम बात है। ज्यादातर मामलों में चुनाव आयोग चेतावनी दे कर उम्मीदवार को छोड़ देता है। इस सम्बन्ध में नियम स्पष्ट होना चाहिए। एक बार चेतावनी देने के बाद दुबारा गलती होने पर उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास होना चाहिए और चुनाव आयोग इस पर सख्ती से अमल करे इसके लिए सभी पार्टियों के एक-एक प्रतिनिधियों का अधिकरण बने जो इस विषय पर बहुमत से अपनी राय निर्धारित दो-तीन दिन में दे और चुनाव आयोग उसे सख्ती से लागू करे।

यदि कोई नेता किसी दूसरी पार्टी के बारे में आपत्तिजनक अथवा भद्दी टीका-टिप्पणी करता है तो उसे इसके लिए पर्याप्त सबूत देने चाहिये। इसके बिना यह कहना की ''मैंने तो आरोप लगा दिया है अब आरोपी इसको गलत सिद्ध करे'' अथवा अदालत में जाये उचित नहीं है। क्योंकि ज्यादातर मामलों में यह केवल बदनाम करने की साजिश होती है जो आम आदमी को गुमराह करने के लिए की जाती है।

सभी राजनैतिक पार्टियों द्वारा लिए जाने वाला पैसा व खर्च का ब्यौरा इनकी बैलेंस शीट में हो और वह वेब साईट पर आम आदमी के लिए उपलब्ध हो ताकि पच्चीस हजार से ज्यादा दान देने वाले का नाम और पता उसी तरह जांचा जा सके जैसे समाज सेवी संस्थाओं को दिया जाने वाला धन जांचा जाता है। दिए जाने वाले धन पर 20-25 प्रतिशत टैक्स वसूलना भी ठीक रहेगा। ताकि काले धन को चुनाव के माध्यम से सफेद करने के काम पर रोक लग सके।

जो पब्लिक लिमिटेड कंपनिया दान देती हैं यह केवल उन्हीं को इजाजत होनी चाहिए जिन्होंने अपनी सालाना बैठक में ऐसा प्रस्ताव पास किया हो। यह केवल 2 प्रतिशत शेयर रखने वाले और मालिकों की तरह कम्पनी चलाने की मन मर्जी से नहीं होना चाहिए।

जिन कंपनियो पर सरकारी देनदारी बाकी हैं उन्हें दान देने की इजाजत तब तक न दी जाये जब तक वह देनदारी दे नहीं दें अथवा उतना पैसा सरकारी खजाने में जमा न कर दे। ताकि सरकारी पैसा देने के बजाय दान देकर जीतने वाली पार्टी की सरकार बनने के बाद दान की दुहाई दे कर सरकारी खजाने को चूना न लगा सके।

बंदरबांट करना आदि स्थानीय आमदनियां हैं। एक शातिर विधायक 100 करोड़ रुपये सालाना तक बना सकता है, है कोई इसे रोकने वाला?

यदि विधायक सत्तारूढ़ दल का है और किसी मंत्रिमंडलीय समिति, निगम, बोर्ड, संघ आदि का सदस्य बन गया तो बल्ले-बल्ले और मंत्री बन गया तो चाँदी ही चाँदी। लूट-खसोट, माल बनाना और फर्जी कम्पनियां बनाकर पैसे ठिकाने लगाना। शेयर, सोना, जमीन, मॉल आदि में निवेश तो पुरानी बातें हैं। अब अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान, बड़ा उद्योग, व्यापार आदि खोलकर एक 'कारपोरेट हाउस' के रूप में खड़ा हो जाना आम बात है। कोई है जो इस कुचक्र को तोड़ सके?

सारे प्रदेश (कुछ शहरों को छोड़ कर) अव्यवस्था, कुशासन व खराब आधारभूत ढांचे के शिकार हैं। बेरोजगारी, अशिक्षा व अंधविश्वास, जाति, धर्म, भाषा व क्षेत्रों के आधार पर बंटा समाज एक कड़वा सच है। आधी जनता कुपोषित है और नारी, पुरुष की अधिनायकवादी मानसिकता का शिकार, गुलामों सी जिंदगी जी रही है। जनता का बौद्धिक विकास निम्न स्तर का है और स्कूल व अस्पताल नेता-अफसर गठजोड़ की खुली लूट का जीता जागता उदाहरण है। यह गठजोड़ विकास की राह में आगे बढ़ने को इच्छुक समाज को भ्रष्ट बनने के लिए प्रेरित करता है। फिर अपने जाल में उसे फंसा कर भ्रष्ट बना देता है और यह स्थापित करने की कोशिश करता है कि जनता ही भ्रष्ट है, हम क्या कर सकते हैं? कौन पहल करेगा इसे बदलने की?

राज्यों में मुख्यमंत्री तानाशाह के रूप में राज कर रहे हैं। ये लोग प्रदेश के बदहाल ढांचे को सुधारने की जगह नये प्रोजेक्टों, मोटे कमीशन, खनिज, जमीन व अन्य संसाधनों को खुली लूट में संलग्न एक संगठित गिरोह के मुखिया जैसे लगते हैं। लाचार व बिकी हुई नौकरशाही व मीडिया उनकी इन्हीं कारगुजारियों को विकास की नई दिशा, रचनात्मक बदलाव व दूरगामी नीति, सोशल इंजीनियरिंग, आधारभूत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आदि-आदि नामों से सुशोभित कर जनता को भरमाता रहता है। कोई है इस नियति से जनता को निकालने वाला?

राज्यों में किसी भी दल की सरकार या गठबंधन हो, सबका केन्द्र में सत्तारूढ़ दलों से एक गोपनीय समझौता होता है और इसके तहत बड़े सौदों, प्रोजेक्ट, ठेके, योजनाओं आदि में हित व कमीशन साझा किये जाते हैं। यहां पर बंदरबांट व खेल लाखों करोड़ों में पहुंच जाते है और फिर एक बड़ी नामावली सामने आती है जैसे कालाधन, मनी-लांडरिंग, स्विस बैंक, हवाला, संदिग्ध सौदे, सट्टा, शेयर बाजार, मैच फिक्सिंग के खेल, मुद्रा बाजार, शेयर, सोने व जमीन के दामों में उतार-चढ़ाव और पैसे से पैसा कमाने के खेल में आतंकवादी गतिविधियों, ड्रग्स, पोर्नोग्राफी, स्मग्लिंग, हथियारों व रक्षा सौदे, दूसरे देशों में अस्थिरता पैदा करना, सरकारें बनाना-गिराना, अन्तरराष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं के दाम बढ़ाने गिराने का खेल चल निकलता है। कौन दिलायेगा मुक्ति?

सच तो यही है कि भारत में लोकतंत्र का व्यावहारिक अर्थ सुशासन व कानून का शासन नहीं है। यह दबंगों के संगठित गिरोहों की आपसी लड़ाई को नियंत्रित करने का उपकरण मात्र है ताकि सब बारी-बारी से लूट सकें।

जन से दूर जनतंत्र कारण-निवारण?

यदि भारत में जनतंत्र है, तो इस जनतंत्र के स्वरूप, कार्यतंत्र, व्यवस्था आदि का निधार्रण जननीति के द्वारा होना चाहिए या राजनीति के द्वारा? यदि निर्धारण का अधिकार जननीति के द्वारा होना चाहिए तो इसके लिए हमें जननेता चुनने चाहिए या राजनेता? प्रस्तुत हैं कुछ ज्वलंत सवाल

संवैधानिक तौर पर भारत एक जनतंत्र या राजतंत्र?

यदि भारत में जनतंत्र है, तो इस जनतंत्र के स्वरूप, कार्यतंत्र, व्यवस्था आदि का निधार्रण जननीति के द्वारा होना चाहिए या राजनीति के द्वारा? यदि निर्धारण का अधिकार जननीति के द्वारा होना चाहिए तो इसके लिए हमें जननेता चुनने चाहिए या राजनेता? जननेता यानी जनाधार वाला नेता अर्थात सही मायने में जनप्रतिनिधि। राजनेता यानी जो राज करना चाहता हो, जिसकी मानसिकता राजतांत्रिक हो।

जननेता का चुनाव हो, इसके लिए भारत में चुनाव व्यवस्था है; कायदे-कानून हैं और उन्हे अंजाम देने के लिए चुनाव आयोग है। बावजूद इसके क्या आज हम वाकई जननेता चुन पा रहे हैं?

चुने जाने के बाद जनप्रतिनिधियों पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं रहता। यह स्थिति किसी एक स्तर पर नहीं, कमोबेश हर स्तर पर है। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, शहरी निकाय और विधानसभा से लेकर लोकसभा तक, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक। पंचायत स्तर पर पंचायत प्रधान को वापस बुलाने के अधिकार के बावजूद परिदृश्य अनियंत्रित जैसी ही है। क्या यह सच नहीं है कि हम अपने ही द्वारा चुने हुए 'जनप्रतिनिधि' द्वारा शासित हो रहे हैं?

यदि हां, तो खामी कहां हैं? हमारे चुनने में या चुनाव प्रणाली या चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में? इसका जवाब तलाशना चाहिए। संभवत: सुधार की जरूरत तीनों स्तर पर है।

चुनाव की चुनौतियां

मतदान जागरुकता के तमाम अभियानों के बावजूद क्या यह सच नहीं है कि हमारे मतदान का आधार जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग और निजी लाभ, प्रलोभन के इर्द-गिर्द सिमट गया है?

क्या यह सच नहीं है कि धर्म-जाति-वर्ग-वर्ण आदि की छूत लगाये बगैर सत्ता में आना किसी भी दल के लिए असंभव हो गया है?

प्रश्न यह है कि मतदान के चुनाव का आधार क्या हो, यह चुनाव आयोग तय करता है, उम्मीदवार या मतदाता?

क्या यह सच नहीं है कि आज की पूरी चुनाव प्रक्रिया धनबल, बाहुबल, मीडिया और संवेदनशील मुद्दों के जरिए प्रभावित की जा रही है?

क्या यह सच नहीं है कि भारतीय जनतंत्र जनता नहीं, अपराधी, धनपति और कट्टर ताकतों द्वारा संचालित किया जा रहा है? जन, जननेता और जननीति तो कहीं प्रभावी भूमिका निभा ही नहीं पा रहे।

तो दोषी कौन है?

खैर! इस बात को काफी शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद की जिम्मेदारियों को लेकर मतदाताओं को जागरुक व सशक्त करने के काम को पूरे पांच साल और संगठित तरीके से करने की जरूरत है। यह कैसे हो सकता है?

क्या पूरे देश में मतदाता परिषदों का गठन और उन्हे चुनाव आयोग द्वारा अधिकारिक मान्यता की मांग इस दिशा में पहली सीढ़ी हो सकती है?

यदि हां, तो कैसे और किन सावधानियों के साथ किया जाना चाहिए? इस पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए।

सुधार की दूसरी जरूरत चुनाव प्रणाली और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में है। यह बात नई नहीं है। कई संगठनों द्वारा की गई शुरुआत जनमांग कैसे बने? जनसंसद इसमें अहम भूमिका निभा सकती है।

चुनाव सुधार के मुद्दे

वर्तमान चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी खामी क्या है?

क्या यह प्रणाली धनबल, बाहुबल, परिवारवाद, जातिवाद जैसे अलोकतांत्रिक कदमों पर रोक लगाती है? क्या यह विवेकपूर्ण मतदान को प्रोत्साहित करती है? क्या यह जनता तथा संविधान के प्रति जनप्रतिनिधियों को कर्तव्यनिष्ठ और जवाबदेह बनने के लिए बाध्य करने में सक्षम है? क्या यह राजनीतिक अस्थिरता, दलबदलू प्रवृति आदि अनैतिक प्रवृतियों को रोकने में कारगर है? यदि नहीं तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसे बदल जाना चाहिए? यदि हां! तो इसका सही विकल्प क्या है?

धनबल कैसे रुके?

चुनावी खर्च कैसे कम हो? पैसा देकर टिकट लेना; पैसा देकर वोट हासिल करना कैसे खत्म हो? क्या इस दिशा में कोई उपाय किए गये हैं? क्या वे कारगर साबित हो रहे हैं? क्या सरकार द्वारा उम्मीदवार का खर्च वहन करने से यह संभव है? क्या उम्मीदवार की बजाय दल चुनने का सुझाया फार्मूला इसमें सहयोगी हो सकता है?

परिवारवाद कैसे रुके?

क्या परिवारवाद रुकना चाहिए? यदि हां। तो क्या इसके लिए राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र कायम करना एक कदम हो सकता है? क्या एक परिवार से एक ही सदस्य को चुनाव लड़ने की अनुमति से यह हो सकता है? क्या एक परिवार के एक ही सदस्य को दल का पदाधिकारी

का प्रावधान होने से कुछ नियंत्रण होना संभव है? क्या यह लोकतांत्रिक होगा?

यदि हां! तो क्या ऐसा करने की कमान चुनाव आयोग को सौंपी जानी चाहिए या और किसी संवैधानिक संस्था की जरूरत महसूस होती है? क्या पार्टी व्हिप जैसे कदम किसी भी दल के आंतरिक लोकतंत्र के खिलाफ व्यवस्था हैं? क्या इस पर रोक लगनी चाहिए?

अपराधियों का प्रवेश कैसे रुके?

जिन पर आरोप पत्र दाखिल कर दिया हो, क्या उन सभी की चुनाव में उम्मीदवारी प्रतिबंधित हो या इस में भी कुछ सीमा बनाई जानी चाहिए। जैसे यदि आरोप पत्र ऐसे अपराध के लिए दाखिल किया हो, जिसकी सजा न्यूनतम पांच वर्ष हो आदि आदि। क्या ऐसे प्रतिबंध पंचायत से लेकर हर स्तर के चुनाव पर होने चाहिए? क्या स्वयंसेवी, सामाजिक, सहकारी संगठनों में भी इनकी उम्मीदवारी पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? प्रतिबंध सिर्फ उम्मीदवारी के लिए होने चाहिए या ऐसे लोगों को मतदान व आम सदस्यता से ही वंचित किया जाना चाहिए?

चुनाव पश्चात् जनप्रतिनिधियों पर मतदाता का नियंत्रण कैसे हो?

क्या 'राइट टू रिकाल' इस दिशा में सही कदम है? इस कदम का कोई व्यापक दुष्प्रभाव तो नहीं है? क्या जनघोषणा पत्र इस दिशा में सहयोगी हो सकता है? यदि हां! तो जनघोषणा लागू करने के लिए चुने गये जनप्रतिनिधि को बाध्य करने के लिए किन संवैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता होगी? ग्रामसभा से लेकर लोकसभा स्तर तक मतदाता परिषदों का संवैधानिक ढांचा बने। मतदाता परिषदें अपने-अपने स्तर पर अगले पांच वर्ष के काम व योजना तय करें और जनप्रतिनिधि तथा अधिकारियों को उस स्तर पर उसी योजना के क्रियान्वयन की इजाजत हो। मतदाता परिषदों को उनके इलाके में खर्च हुए हर पैसे के 'पब्लिक ऑडिट' का अधिकार हो। क्या यह व्यवस्था होनी चाहिए? क्या इससे लक्ष्य मिल जायेगा?

पांच वर्ष से पहले दोबारा चुनाव कराने की नौबत न आये। यह कैसे हो? क्या एमएमपीएस इसका उपाय है? क्या बहुदलीय सरकारों के स्थान पर एकदलीय सरकारें होनी चाहिए? यदि हां, तो कैसे हो? क्या राज्य और राष्ट्र स्तरीय दलों की मान्यता के लिए तय मानदंडों में बदलाव से यह संभव है? क्या एमएमपीएस से यह संभव होगा? क्या चुनाव पश्चात् गठबंधन पर रोक लगनी चाहिए? यदि हां! क्यों और कैसे?

क्या चुनाव में सीटों का आरक्षण होना चाहिए?

विवेकपूर्ण मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े? क्या मतदान से पहले और बाद जागरुकता के सतत् अभियान चलाने से बात बन सकती है? क्या नो कैंडिटेट वोट इसका सही उपाय है? क्या आवश्यक मतदान इसका उपाय है? क्या मतदान न करने वाले मतदाता को कुछ अति आवश्यक सुविधाओं से वंचित करके उसे मतदान के लिए बाध्य किया जाना चाहिए? यदि हां ! तो किन-किन सुविधाओं से? विवेकपूर्ण मतदान के मद्देनजर क्या चुनाव की आचार संहिता लागू होने के दौरान उसके उल्लंघन के दोषी उम्मीदवार के साथ-साथ उससे निजी लाभ लेने वाले मतदाता को घूस लेने का दोषी मानकर दंडित किया जाना चाहिए?

क्या मतदान का वर्तमान तरीका और माध्यम ठीक व पर्याप्त है? क्या मतदाता की न्यूनतम उम्र ठीक है? एक साथ अधिसूचित चुनावों के लिए मतदान एक ही दिन में होने चाहिए या कई दिन में? मतदान के लिए मतदाताओं को एक ही दिन दिया जाना चाहिए या एक से ज्यादा दिन में किसी एक दिन आकर मतदान का विकल्प देने से कोई फायदा होगा? ■

बीस सूत्र

कैसे मूल्यांकन करें अपने जनप्रतिनिधि का?

1. क्या आपका जनप्रतिनिधि अपने पद की गरिमा व जिम्मेदारी समझता है?
2. क्या उसकी शिक्षा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पर्याप्त है?
3. क्या उसने अपने चुनाव के समय चुनाव खर्चों के लिए निर्धारित धन से अधिक धन का उपयोग तो नहीं किया?
4. उसकी आय के स्रोत क्या हैं?
5. क्या वह पैसे/शराब व दावतों के बल पर चुनाव जीता है?
6. क्या वह अपनी पद प्रतिष्ठा का प्रयोग अपने-अपने परिजनों, रिश्तेदार व दोस्तों के काम कराने के लिए तो नहीं करता?
7. क्या उसकी संपत्ति अवैध धन/भूमि व्यापार आदि में आश्चर्यजनक वृद्धि तो नहीं हो रही?
8. क्या वह स्थानीय हित व जनता की मांगों के लिए सरकारी अधिकारियों व सदन में आवास उठाता है?
9. क्या वह चुनावी व पार्टी खर्चों के लिए चेक द्वारा जनता से दान लेता हे अथवा नकद धन स्वयं या व्यापारियों, उद्योगपतियों द्वारा लेता है?
10. क्या वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के घर जन्म, विवाह आदि समारोह में नकद पैसे बांटता है? यदि हाँ तो उसके इन पैसों का स्रोत क्या है?
11. क्या उसने पैसे देकर तो टिकिट नहीं खरीदा था?
12. क्या चुनाव से पूर्व भी निरंतर जनता के सम्पर्क में रहता था और जनहित के मुद्दों पर संघर्ष और अपनी प्रभावी भूमिका निभाता रहा?
13. क्या उसमें नेतृत्व के पर्याप्त गुण अथवा अपने पारिवारिक सम्बन्धों, धन, बाहुबल आदि के दम पर राजनीति में उतरा है?
14. क्या उसे सरकारी योजनाओं, उनमें आवंटित धन तथा जनता तक उसकी निरन्तर पहुँच की जानकारी है?
15. क्या उसने जनता की मूल समस्याओं और उनके समाधान की कोई रूपरेखा तैयार की है?
16. कहीं वह धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर तो वोट नहीं मांगता?
17. कहीं वह ठेकों में, सदन में मत देते समय तथा अपने द्वारा आवंटित विशेष निधि में कमीशन तो नहीं मांगता?
18. क्या वह अपने राजनीतिक दल में आंतरिक लोकतंत्र की स्वायतता के प्रति संवेदनशील है और सामूहिक नेतृत्व, सबसे सलाह लेते हुए काम करना पसन्द करता है?
19. क्या वह कार्यकुशल व क्षमतावान कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करता है तथा चमचागिरी व चापलूसी को अधिक महत्व देता है?
20. कहीं वह राष्ट्रविरोधी नीतियों व गुटों को तो परोक्ष समर्थन व सहयोग तो नहीं दे रहा है?

मौलिक भारत ट्रस्ट द्वारा देश में किसानों व भूमिहीन किसानों मजदूरों व वनवासियों के हित में भारत सरकार को मांग पत्र

माननीय प्रधानमंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली

यह सुखद है कि विश्व व्यापार संगठन के मंच पर भारत सरकार ने किसानों व गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए सबको खाद्य सुरक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न फसलों के सरकार द्वारा समर्थित समर्थन मूल्यों को हटाने से इंकार कर दिया और सरकार की इस मांग को डब्ल्यू.टी.ओ. में अमेरिका द्वारा समर्थित होने के बाद स्वीकार कर लिया गया है। किन्तु इस वर्ग की खराब स्थिति को देखते हुए यह कदम पर्याप्त नहीं है। हम इस दिशा में निम्न कदम उठाने की मांग करते हैं-

1. कृषि जीवन का आधार है, यह मात्र व्यापार नहीं हो सकता, अत: भारत सरकार को कृषि संबंधी मुद्दों पर विश्व व्यापार संगठन से बाहर आ जाना चाहिए। साथ ही देश में सहकारिता के आंदोलन को पुन: जीवित किया जाना चाहिए।
2. देश में रेल बजट की भांति कृषि के लिए अलग से बजट प्रत्येक वित्त वर्ष में लाना चाहिए।
3. देश में कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों को प्रमुखता से बढ़ावा देना चाहिए तथा इसके क्षेत्र को किसान परिवारों के लिए ही अरक्षित किया जाये।
4. किसानों के परिवारों को आधुनिक कृषि प्रबंधन, वित्त वायदा कारोबार आदि का पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षण देने हेतु देशभर में इससे संबंधित शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थानों की शृंखला का निर्माण किया जाये।
5. कृषि व पशुपालन की परम्परागत पद्धतियों पर पर्याप्त शोध कर उन्हें पुनर्स्थापित कर क्रमिक रूप से पूरे देश में लागू किया जाये तथा रासायनिक खादों, कीटनाशकों व जीएम बीजों पर क्रमिक रूप से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। सभी फलों, सब्जियों व अनाजों की शुद्धता सुनिश्चित की जाए, उगाते समय भी एवं विपणन व व्यापार के समय भी।
6. जनवरी 2015 से प्रस्तावित कृषि चैनल के कार्यक्रमों व नीतियों का निर्धारण सभी किसान संगठनों के सुझावों के अनुरूप किया जाए।
7. किसानों की जमीनों के अधिग्रहण पर प्रतिबंध हो तथा यदि यह देश हित में अति आवश्यक हो तब अधिग्रहण के समय पर्याप्त मुआवजे के साथ ही कृषक परिवार का मासिक किराया तथा प्रस्तावित प्रोजेक्ट में मालिकाना हक भी दिया जाए।
8. सरकार, संस्थाओं व उद्योग व्यापार समूहों के पास पड़ी अतिरिक्त कृषि भूमि को वापिस किसानों को लौटाया जाए।
9. स्मार्ट सिटी व विशेष औद्योगिक कॉरीडोर बनाने से पहले सरकार देश में उद्योगों के लिए अभी तक कुल अधिग्रहित जमीन पर एक श्वेत-पत्र जारी करे तथा यह भी स्पष्ट करे की कुल अधिग्रहित व आवंटित जमीन/प्लॉट में से कितने प्रतिशत अभी उपयोग में नहीं है या उन पर उद्योग नहीं चल रहे है और उन पर उद्योगों का संचालन कितने समय में प्रारम्भ हो जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट करे कि पहले से अधिग्रहित जमीन के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही नये अधिग्रहण की संभावनाओं पर विचार करेगी तथा इसे लिए बंजर, पठारी व अन्य उपजाऊ जमीनों को प्राथमिकता से आधार पर उपयोग करेगी।
10. सरकार अपने शहरीकरण की नीति भी स्पष्ट करे। नई स्मार्ट सिटी बनाने से पहले वर्तमान शहरों, कस्बों व गांवों के आधारभूत ढांचे को विकसित करने की उसकी क्या योजना है? सरकार यह भी स्पष्ट करे कि एक तरफ वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की योजना बना रही है जिससे ग्रामों से शहरों की ओर पलायन रूक जायेगा, तो ऐसे में स्मार्ट सिटी में कौन रहेगा? साथ ही शहरों में एक करोड़ से अधिक खाली पड़े मकानों में लोगों की बसावट न हो पाने के बाद भी स्मार्ट सिटी बनाने की क्या जरूरत है?
11. सरकार जल, जंगल, जमीन पर इसके परम्परागत रूप से रहने वाले लोगों का मालिकाना हक स्वीकार करे और इनके प्रयोग के लिए अधिग्रहण की स्थिति में उसके मालिकों को मुआवजा, मासिक किराया व लाभांश देना स्वीकार करे तथा यह सरकार, उत्खनन करने वाली संस्था व जमीन के वास्तविक मालिक के बीच बराबर-बराबर बांटा जाए।
12. देश में कृषि पर आधारित आबादी कुल जनसंख्या की 50 प्रतिशत से कम किसी भी हालात में नहीं हो तथा सभी कृषि उत्पादों एवं मजदूरी का समर्थन मूल्य तत्काल दोगुना किया जाए।
13. ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे, गोदाम, सड़कों का जाल, बाजार/मंडी, बैंक वित्त व अन्य सभी आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाए तथा इनका संचालन कृषक सहकारी समितियों को दिया जाए।
14. किसानों को उनकी फसलों की खरीद के समय ही भुगतान किया जाए तथा उनको सस्ते ऋण व अनुदान ढांचे को और व्यापक बनाया जाए।
15. देशभर में किसान न्यायालयों की स्थापना की जाये ताकि किसानों की समस्याओं से संबंधित मामलों का तुरन्त निबटारा हो।
16. देश में सभी भूमि रिकॉर्ड व दस्तावेजों का डिजिटलीकरण कराकर उसे कृषि पोर्टलों पर उपलब्ध कराया जाये ताकि जमीनों के मालिकाना संबंधी विवाद उत्पन्न ही न हों।

17. जिन शहरों में गांवों की जमीन को अधिग्रहित कर उन गांवों को वार्ड में शामिल कर पंचायतें समाप्त कर दी गयी हैं, वहां शहर के सर्किल रेट के हिसाब से ही भूमि की कीमत तय हो।
18. शहरों में आने वाले ग्रामीणों को स्लमों में ही जगह मिलती है। इन स्लम बस्तियों को पक्के फ्लैटों/ मकानों में बदल व्यवस्थित कालोनियां बनाई जाए।
19. सांसद आदर्श ग्राम योजना का विस्तार देश के प्रत्येक ग्राम में किया जाए तथा केन्द्र व राज्य सरकारों के सभी मंत्रालय अपनी योजनाएं इसी के अनुरूप बनाये।
20. कृषि ऋणों के नाम पर कृषि पर आधारित उद्योगों को कुल कृषि ऋणों का 94 प्रतिशत तक दिया जा रहा है। यह धोखा बंद होना चाहिए एवं क्षेत्रों को अलग-अलग वर्गीकृत कर स्पष्टता व पारदर्शिता लाकर कृषि ऋणों में दस गुनी वृद्धि की जानी चाहिए।
21. देश में खेती, किसान व बागवानी से जुड़े सम्पूर्ण व्यापार तंत्र, संग्रहण, विपणन एवं उस पर आधारित उद्योग व व्यापार क्रमिक रूप से कृषकों अथवा उनके द्वारा संचालित सहकारी समितियों के द्वारा संचालित की जानी चाहिए।
22. नशीले पदार्थों की खेती पर सरकार द्वारा क्रमिक रूप से प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव का प्रारूप एवं कार्य योजना स्पष्ट की जाये।

मौलिक भारत के समर्थन से होगा
'बाहरी दिल्ली विकास मंच' का गठन

यह सरासर अन्यापूर्ण, धूर्तता से प्रेरित और कपटपूर्ण नीति है कि देश का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जो अब 272 वार्डों, 70 विधानसभा क्षेत्रों व 7 संसदीय क्षेत्रों में बंटा है उसमें 442 ग्रामों का अस्तित्व मौजूद होने के बाद भी उनकी ग्राम पंचायतों के अस्तित्व को मिटा दिया गया है और उन्हें शहरीकृत ग्राम घोषित कर दिया गया है किन्तु उनमें भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों वाले ही हैं, शहरी क्षेत्र वाले नहीं। दिल्ली के दो तिहाई हिस्से (भू-क्षेत्र) व तीन चौथाई जनता ग्रामीण, पिछड़ी व स्लम (अधिकृत, गैर-अधिकृत) बस्तियों को दिल्ली की सरकारों व नौकरशाही ने जिस तरह से लूटा व शोषण किया है वह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुंह पर एक थप्पड़ सा है।

जब पूरी दिल्ली नगरनिगमों के अधीन आ चुकी है तो फिर बाहरी व स्लम क्षेत्रों का विकास नगर के मापदण्डों पर क्यों नहीं किया जा रहा है यह विचारणीय है। आधारभूत ढांचे व प्राथमिक आवश्यकताओं की कमी से जुझता यह क्षेत्र अपने आप में दिल्ली की ग्रामीण व मजदूर जनता के शोषण का दस्तावेज है।

मौलिक भारत की राष्ट्रीय कार्यकारणी ने मई 2014 में यह संकल्प लिया था कि अब दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सघन अभियान चलाया जायेगा व संगठनात्मक ढाचा खड़ा किया जायेगा। इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली के ग्रामीण व स्लम क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों व संस्थाओं से पिछले दो माह में मौलिक भारत की टीम ने सघन सम्पर्क कर पारस्परिक सहयोग व विश्वास का माहौल कायम किया है तथा दिल्ली की वास्तविक समस्याओं का गहराई से अध्ययन, मनन व चिंतन किया है।

बाहरी व स्लम क्षेत्र दिल्ली में उपेक्षित क्षेत्र हैं और इस क्षेत्र में काम करने के लिए विशिष्ट संस्था व समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर कार्य करना होगा। इसे ध्यान में रखकर मौलिक भारत व अन्य संगठनों व लोगों ने मिलकर 'बाहरी दिल्ली विकास मंच' का गठन करने का प्रस्ताव किया है। 'बाहरी दिल्ली विकास मंच' में पूरी दिल्ली के हर गांवों व 272 वार्डों से प्रतिनिधित्व होगा व जमीनी स्तर पर सामाजिक आंदोलन चलाया जायेगा। इस मंच की घोषणा के औपचारिक कार्यक्रम की आप सभी को यथाशीघ्र सूचना दी जायेगी। इस मंच का कार्य निम्न मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डालने वाला होगा।

1. बाहरी दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थापना की मांग।
2. बाहरी दिल्ली को 'स्मार्ट सिटी' घोषित करा उसके अनुरूप समयबद्ध व समग्र विकास की मांग।
3. दिल्ली के सभी भूमि कानूनों को ग्रामीण श्रेणी से हटाकर शहरी करने की मांग।
4. स्लम बस्तियों के स्थान पर पक्की बहुमंजली इमारतों के परिसरों का निर्माण कराने की मांग जिसमें सरकार लीजरेंट द्वारा अपना निवेश वसूले।
5. भू-अधिग्रहण की स्थिति मुआवजे की उपयुक्त दरों के साथ हो। उस भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट से होने वाले लाभ में भागीदारी व मासिक आधार पर ताउम्र भुगतान किये जाने की मांग।
6. जिन ग्रामों का 'स्मार्ट सिटी' की तर्ज पर विकास संभव नहीं वहां 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' के अनुरूप विकास किया जाये।
7. सभी लंबित भूमि विवाद, मुआवजे के दावे व अन्य मामले 'फास्ट ट्रैक' अदालतों के मध्यम से एक वर्ष के अंदर निबटाये जायें।

इस सात सूत्री मांगों को लेकर हमारा आंदोलन यथाशीध्र शुरू किये जाने की योजना है तथा इसे इसके उपरान्त एनसीआर के जिलों यथा गुड़गाव, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, गाजियाबाद व गौतमबुद्ध नगर में भी प्रारम्भ किया जायेगा। क्योंकि इन जिलों की स्थिति भी कमोबेश दिल्ली के बाहरी इलाकों जैसी ही है।

लघु उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को एक पत्र

आदरणीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, मंत्री महोदय,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन,
नई दिल्ली।

जब यह मंत्रालय लघु उद्योग मंत्रालय के नाम से प्रसिद्ध था, तब 2003-08 में प्रकाशित आंकड़ों के हिसाब से भारत में एक करोड़ पांच लाख लघु उद्योग इकाईयां भारत के 26 राज्यों में कार्यरत थी। तब लागत के हिसाब से इन में अपनी ही पूंजी एक करोड़ तक सीमित थी। तीन करोड़ लागत वाली इकाईयों को इस क्षेत्र में मंजूर नहीं किया गया था।

सरकार बदल गई। कानून नहीं बदला। नई सरकार ने आते ही पहला काम किया कि उन सभी इकाईयों की केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1988 के अधीन छूट की क्षमता जो एक करोड़ तक सीमित थी, उसको एक करोड़ पचास लाख कर दिया। लोगों को लगा कि सरकार छोटे लोगों को सहायता करेगी। यह भूल हम स्वीकार करते हैं। सरकार छोटे श्रमिकों के विरूद्ध काम कर रही थी। किन्तु हुआ इसका उलट। सरकार ने वह सब बड़े उद्योगों को, जिनकी लागत पूंजी दस करोड़ तक थी, उनको भी इस क्षेत्र में जगह प्रदान कर दी, जबकि उनके पास उद्योग बढ़ाने के साधन आज भी नहीं के बराबर है। वह केवल अपनी खुद की पूंजी बढ़ा सकते हैं, उद्योग नहीं। आज भी उन पर जनता के कर्जे का बोझ है, वे केवल कर्जा बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

इस मंत्रालय का नाम बदल दिया गया। सूक्ष्म-लघु एवं मध्यम उद्यमी मंत्रालय। वह भी 2 अक्टूबर 2005 से। वह दिन महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिन माना जाता है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हमारे पास इतनी पूंजी भी नहीं थी, हम इनका विरोध कर सके।

हम उद्यमियों से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। हमारी संख्या एक करोड़ पांच लाख से बढ़ा कर तीन करोड़ साठ लाख बना दी गयी। इनमें खादी व ग्रामीण उद्योग, क्वार आधारित उद्योगों को जोड़ दिया गया। इस प्रकार लघु उद्योगों को समाप्त करने का काम सरकार ने कर दिया। अब भी हम केवल जिंदा हैं तो अपनी मेहनत के बल पर। अपने आत्मविश्वास के आधार पर।

आज आप की सरकार ने उन लघु उद्यमियों को मंत्रालय की सूची से निकाल दिया है, जो इस देश में सबसे अधिक उत्पादन कम पूंजी के आधार पर करते हैं।

झाड़ू बनाने का कार्य अब तक छोटे उद्यमी ही करते हैं। स्वच्छ भारत के लिये झाड़ू बनाने वाले कारपोरेट नहीं हैं। कचरा उठाने के काम आने वाले उपकरण, सफाई में काम आने वाले सभी उपकरण केवल सूक्ष्म उद्योग ही विनिर्माण करते हैं। चाहे वह आसाम हो या दिल्ली और मुंबई, कानपुर, देवरिया, गोरखपुर, काशी, प्रयाग कोलकता। सबका कच्चा माल आज भी चेरापूंजी से ही आता है। बास की उपज वहीं अधिक होती है।

आज भी वह सूक्ष्म उद्यमी आठ से कम कामगारों के लिए पर्याप्त काम देने में सक्षम है। उनको किसी सरकारी बैंक या वित्तीय सहायता की कभी जरूरत नहीं पड़ी, कारण वह अपनी मेहनत और मजदूरी पर विश्वास करते हैं। वह अपने कारोबार में लेखा अधिकारी, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेट, जैसे सफेद कालर का उपयोग करके अपनी कार्यशाला बंद नहीं करना चाहते।

मिट्टी के दीये, मूर्तियां, घड़े, बर्तन, पैरों में लगाने वाली लाल स्याही, कपड़े धोने का साबुन, लेखन सामग्री, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीवन शास्त्र, पैरो में पहनने के सभी प्रकार के जूते, मौजे, सिर ओढ़ने व स्त्रियों के बालों को संवारने के अनेक प्रकार के साधन, बटन, तरकारी व अन्य काम में आने वाले असंख्य उपकरण कम कीमत में वे अच्छे बनाने का काम यह सूक्ष्म उद्योग ही करते हैं। इनका बनाया गया माल कभी भी खराब नहीं होता है। वह कभी भी गंदगी नहीं फैलाता।

आज भी इनकी संख्या तीन करोड़ से अधिक है। हम आप को इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को यदि गिनाना शुरू करें तो आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जायेंगे कि बी.आई.एस. के अंदर इनका ही अधिक बोल बाला है। बड़े उद्योग भी इन पर ही आश्रित हैं।

हम चाहते हैं कि सूक्ष्म उद्यमियों को आपका मंत्रालय कुछ जगह अवश्य प्रदान करें।

हमारे बड़े उद्योगपति जिनके पास जनता का धन है, जिनके पास बहुत से सफेद कॉलर व्यक्ति काम करते हैं, वह सूक्ष्म उद्यमियों का मुकाबला आज भी नहीं कर सकते।

आप की चाय के बर्तन आज भी सूक्ष्म उद्योग चलाने वाले के पास आते हैं। बच्चों के स्लेट, तख्ती, कलम दवात, रबर, खेलने के खिलौने। हम

State-Wise Distribution Of Principal Characteristics (Fourth All India Census of MSME: Registered Sector)

Sl.No.	State/UT	Number of Working Enterprises	Employment (Person)	Original value of P & M (Value in Crore)	Market value of Fixed (Value in Crore)Assets	Gross Output (Value in Crore)	Total Input (Value in Crore)	Gross Output / Total Input	GVA (Value in Crore)	Export (Value in Crore)	Net Worth (Value in Crore)
26	DADRA & NAGAR HAVELI	1716	26477	46.97	178.96	2077.14	728.83	2.850043221	1348.33	5.51	2297.7
24	GUJARAT	229830	1244981	42099.26	151868.83	38438.44	14164.82	2.71365338	24273.62	4962.45	26504.39
15	MIZORAM	3715	26042	91.57	296.95	305.9	127.88	2.427541908	182.34	0	387.48
35	ANDAMAN & NICOBAR I	750	5593	20.18	37.33	111.75	55.59	2.010253643	56.18	0	48.6
18	ASSAM	19864	210507	1070.39	5867.4	9389.2	4746.55	1.978110417	4642.63	32.91	4262.53
21	ORISSA	19006	173087	1041.89	5381.55	14746.08	7723.4	1.909273118	7022.68	440.70	6214.42
14	MANIPUR	4192	19360	41.73	96.78	199.8	106.08	1.883484163	93.72	0.15	441.89
10	BIHAR	58138	147774	491.84	2674.46	4861.53	2561.21	1.820047898	2100.32	7.98	2458.95
13	NAGALAND	1312	16181	111.23	718.33	1396.04	778.34	1.793151283	617.9	5.17	2642.19
1	JAMMU & KASHMIR	14993	90159	557.65	7364.92	14516.78	8391.57	1.729924198	6125.21	2071.21	6887.32
12	ARUNACHAL PRADESH	617	5411	31.22	543.78	337.21	137.88	1.720858633	99.35	0	167.97
29	KARNATAKA	136188	789158	8608.04	14818.75	41080.27	24004.83	1.710600045	17055.44	3470.83	17888.37
32	KERALA	150188	621423	3408.9	17217.1	24122.63	14163.88	1.703110306	9958.77	2278.82	17964.16
33	TAMIL NADU	233881	1429056	11112.59	43296.16	65181.95	38465.19	1.697169571	26816.76	10048.84	39914.81
5	UTTARAKHAND	25785	79941	801.97	3436.66	13170.38	7878.73	1.672019697	5491.61	467.15	3772.88
9	UTTAR PRADESH	187762	254908	4829.37	13866.01	74085.17	44316	1.670542849	29729.17	14382.4	30514.21
4	CHANDIGARH	996	11706	61.96	424.92	1684.45	1028.59	1.637630154	655.86	103.16	777.88
20	JHARKHAND	18190	75134	674.19	3548.65	4170.1	2616.77	1.592388793	1551.33	69.7	1808.77
27	MAHARASHTRA	86588	1088701	12384.89	54365.37	110709.08	70765.8	1.564386752	39939.28	5401.26	88691.52
16	TRIPURA	1345	23166	94.24	326.57	808.3	389.73	1.36681416	218.57	8.89	291.03
2	HIMACHAL PRADESH	11931	65148	741.7	3085.72	11786.29	7584.04	1.554094223	4202.25	312.02	4932.8
6	HARYANA	35130	381775	3179.88	18970.53	43762.97	28651.64	1.52730927	15109.53	4833.94	25367.71
7	DELHI	3754	58122	381.87	2664.25	19471.1	12848.55	1.515420439	6621.15	1233.57	10817.25
17	MEGHALAYA	3010	12700	65.55	154.54	447.31	299.25	1.495021189	152.06	0.07	218.71
28	ANDHRA PRADESH	45092	382977	3641.84	11752.16	30102.26	19883.29	1.513947641	10218.97	1646.69	16272.25
19	WEST BENGAL	43259	360255	2470.04	11379.38	26906.61	18359.59	1.465534301	8547.02	2152.61	12972.42
11	SIKKIM	123	1135	10.83	37.82	51.37	35.27	1.456478094	16.1	1.3	39.48
3	PUNJAB	46110	415818	3625.13	22864.79	62099.27	43484.18	1.428188679	18615.09	4700.68	28597.51
30	GOA	2621	33330	404.42	3250.39	6627.57	4688.63	1.413540842	1938.94	472.27	4157.68
22	CHHATTISGARH	22768	75894	579.84	2193.57	6182.27	4487.24	1.377744449	1695.03	89.27	1813.16
34	PUDUCHERRY	1451	21088	110.57	1031.48	5614.23	4160.78	1.349152043	1453.57	238.77	2002.08
23	MADHYA PRADESH	109997	298047	1857.26	6834.2	26191.6	19748.45	1.326261048	6443.15	862.79	11548.92
8	RAJASTHAN	54885	341030	3832.87	16158.73	39402.23	28883.85	1.318512508	9518.38	4977.93	17218.16
25	DAMAN & DIU	594	25518	326.83	1861.6	7713.89	6078.95	1.279309001	1683.94	811.55	3421.32
31	LAKSHADWEEP	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0

फर्नीचर की बात नहीं करते। सभी प्रकार के औजार, साईकल व सिलाई मशीन के पुर्जे, खेती में काम आने वाले लगभग सभी सामान सूक्ष्म उद्यमियों द्वारा ही तैयार किये जाते है।

इन पर से इंस्पेक्टर राज खत्म करने हेतु आप को वित्त मंत्रालय द्वारा विनिर्माण हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत छूट की सीमा को एक करोड़ पचास लाख से बढ़ा कर पांच लाख तक करनी चाहिए।

इससे व्यापार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे।

अब तक सरकार ने किसी भी अधिकारिक संस्था को भारत के संविधान के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं दिया है। मूलभूत अधिकार व वाक् स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकार का संरक्षण केवल नागरिकों को ही दिया गया है, अन्य को नहीं। अनुच्छेद 226 व 32 या 39 अ में भी यह अधिकार किसी भी संस्था को नहीं दिये गये हैं। उनको कहीं भी किसी प्रकार की छूट की व्यवस्था नहीं है।

अब समय की पुकार है कि इस पर ध्यान दिया जाये। हम आशा करते हैं कि आप इस पर अवश्य कुछ कारवाई करेंगे व हमें इस पत्र का उत्तर देने की कृपा करेंगे। लेखक कुछ समय पहले इस मंत्रालय से जुड़ा हुआ था। वह स्वयं भी सूक्ष्म उद्यम का संचालन करके लगभग 9000 बड़े उद्योगों के रसायन शालाओं रसायनशास्त्रीयों को अच्छी वस्तु में अपना योगदान प्रदान कर रहा है। इनके द्वारा उत्पादित विनिर्माण उत्पाद वस्तुओं की मांग अन्य देशों में भी है।

कृते भारतीय उद्यमी एवं उपभोक्ता संघ (समर्थित मौलिक भारत ट्रस्ट)

डीएनडी टो
टोल मुक्त क
मौलिक भार
मुक्तिवाहिनी
का सत
'डीएनडी फ्री कराने को सड़कों प
भ्रष्टाचार के खिलाफ
27 को फूंकेंगे बिगुल

ल ब्रिज को
कराने के लिए
त की पहल
के मुक्तिदूतों
त संघर्ष

डी एन. डी. टोल ब्रिज

पूर्व शीर्ष आईएएस अफसरों के सिंडीकेट की सुनियोजित लूट

लखनऊ प्रेस क्लब में दिनांक 9/4/15 को बुलाई गई विशेष प्रेस वार्ता में मौलिक भारत संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कै. विकास गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव अनुज अग्रवाल एवं केन्द्रीय कार्यालय प्रभारी संजय शर्मा एवं तकनीकी समिति के अध्यक्ष ध्रुव अग्रवाल ने दस्तावेजों, सबूतों के आधार पर आरोप लगाये कि दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाला प्रसिद्ध डी. एन. डी. टोल ब्रिज दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पूर्व वरिष्ठ आई एस एस. अधिकारियों की सुनियोजित व सांझी लूट का खेल है जिसमें सैकड़ों वर्षों तक यह कार्टेल प्रतिदिन करोड़ों रुपये जनता से टोल के नाम पर लूटते रहेंगे। लूट के इस खेल में उ.प्र. व दिल्ली की सत्तारूढ़ राज्य सरकारों की भी मौन सहमति व हिस्सेदारी है जिस कारण अगले सैकड़ों वर्षों तक इस कम्पनी को टोल वसूलने के गैरकानूनी अधिकार दिये गये हैं। इस पुल पर विज्ञापनों के माध्यम से भी सैकड़ों करोड़ रुपये सालाना एक मीडिया हाउस वसूल कर रहा है।

कै. विकास गुप्ता ने पावर पाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से आरोपों की झड़ी लगाते हुए मीडिया को स्पष्ट किया कि यह इन कपंनियों IL & FS व NTBCL के शीर्ष अधिकारियों में उ.प्र. व दिल्ली के 32 आई. ए.एस अधिकारी विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति किये जा चुके हैं जबकि यह एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है और सिविल सेवा के नियम सं. 6AA के अनुसार विशेष स्थिति में ही भारत सरकार की अनुमति के बाद संभव है।

इस घोटाले में शामिल आईएएस अधिकारी हैं –

1. गोपी अरोड़ा – 1957 बैच का आईएएस., NTBCL का पहला चैयरमेन, बोफोर्स केस में चार्जशीटेड व जे.पी ग्रुप में पूर्व निदेशक।

2. प्रदीप पुरी – 1978 बैच का UT कैडर का आईएएस व गोपी अरोड़ा का रिश्तेदार, कंपनी NTBCL के बनते ही सिविल सेवा से त्यागपत्र देकर इसका सीईओ बन गया।

3. आर के भार्गव – यूपी का पूर्व मुख्य सचिव व 1997 से कंपनी का चैयरमैन। करोड़ों रुपये सालाना वेतन, उम्र 81 वर्ष।

4. पीयूष मनकड़ – 1964 बैच का भारत का पूर्व वित्त सचिव, वर्तमान में कंपनी का निदेशक।

5. सनत कौल – 1971 बैच का आईएएस, दिल्ली सरकार में सचिव रहा व समझौते में दिल्ली सरकार की तरफ से हस्ताक्षर किये, अब कंपनी का निदेशक।

6. रवि माथुर – 1970 बैच का यूपी कैडर का आईएएस, समझौते के समय NOIDA का CEO था। कई विवादास्पद निर्णयों व घोटालों में शामिल।

7. प्रभात कुमार – पूर्व कैबिनेट सचिव व राज्यपाल झारखंड विवादास्पद व अपराधियों का संरक्षक, नोएडा के पूर्व CEO रवि माथुर का अनेक स्तरों पर सहयोग व फायदा उठाया।

- IL & FS प्रमोटर श्री पेहरवानी को हर्षद मेहता शेयर बाजार घोटाले में सीबाआई ने गिफ्तार किया था तथा सीबीआई की कस्टडी में ही उनकी मौत हो गयी थी।
- NTBCL कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस महिन्द्रा टावर, चौथा तल, डॉ भौंसले मार्ग वर्ली, मुंबई में है।
- Noida Toll Bridge Company Limited (NTBCL) कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस भी एक छोटी सी जगह पीलीभीत हाउस, द्वितीय तल, शह-नजफ़ रोड लखनऊ पर स्थित है।
- कंपनी के दिल्ली व उ.प्र. सरकारों से समझौते की प्रति कंपनी एवं नोएडा ऑथोरिटी की वेबसाईट पर उपलब्ध नहीं है जो कानून के विरुद्ध है।
- जनता की सुविध के लिए PPP मॉडल के तहत गठित यह कंपनी (एनटीबीसीएल) न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड एक मात्र भारतीय टोल कंपनी है जिसके बैंक एकाउंट में 31 मार्च 2014 को 2411 करोड़ रुपये सरप्लस हैं और जो अपने एमडी व ईडी को बीस करोड़ सालाना वेतन देती हैं।

- कंपनी को नियमों में चालबाजी कर 'कन्सेशनल एग्रीमेंट' के तहत लागत की वसूली तक टोल वसूलने का अधिकार है। इस अधिकार में एक अवैध नियम यह डाला गया कि यदि निर्माण में आने वाली लागत का 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लाभांश नहीं मिलता तो कंपनी इसे अपनी मूल लागत में जोड़ती जायेगी। इस नियम से कंपनी का नोएडा प्राधिकरण पर 2954 करोड़ रुपये बकाया हो गया है। कंपनी का दावा है कि पुल की लागत 408 करोड़ रुपये व 31 मार्च 2014 तक कुल वसूली 690 करोड़ रुपये और बकाया 2950 करोड़ है और यह रकम नोएडा प्राधिकरण के अनुसार 2032 में 53352 करोड़ रुपये तक हो जायेगी और एसे में टोल वसूली अनन्त काल तक चलती रहेगी।
- IL & FS कम्पनी जो प्रोजेक्ट की प्रायोजक थी वहीं NTBCL की प्रमोटर बनायी गयी ओर अवैध रूप से उसका सारा निर्णय प्रक्रिया पर अधिकार है, इसी कारण वह मनमाना टोल वसूलती है और मनमानी दरों पर विज्ञापन का किराया भी।
- इस कम्पनी को बनाते समय उ.प्र. व दिल्ली के जिन आईएएस अधिकारियों ने यह समझौता कराया था वे ही बाद में अवैध रूप से इस कंपनी के अधिकारी बन गये जो सीधे-सीधे हितों का टकराव ही नहीं एक सुनियोजित लूट की प्रक्रिया थी जो पूर्णत: अवैध है मगर इसे वैध दिखाया जा रहा है।
- कम्पनी द्वारा बताई गयी निर्माण लागत मूल लागत से कई गुना बताई गयी। वसूला गया टोल कई गुना तक छुपाया गया है यहां तक कि पुल से गुजरने वाले ट्रैफिक के आंकड़ों में भी बड़ी हेर-फेर की गई है। कम्पनी का ऑडिट भी कंम्पनी एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध किया गया है व अनेक माहों में बढ़ा-चढ़ाकर खर्च दिखलाये गये हैं।
- योजना आयोग की अधो-संरचना समिति ने भी अगस्त 2007 में कहा था कि इस पुल के लिए किया गया समझौता कानून व जनता के विरुद्ध है तदापि लूट जारी है।
- आश्चर्यजनक रूप से इस कंपनी ने इतनी ही लागत में 15 साल बाद स्पेन में चार गुना बड़ा और भारत में आठ गुना बड़ा टोल ब्रिज बना दिया। स्पष्ट है कि डीएनडी पुल की निर्माण लागत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया।
- आश्चर्यजनक रूप से यह कंपनी अपनी अवैध कमाई पर कोई आयकर नहीं दे रही और सरकारी जमीन को अपना बताकर आयकर रिटर्न में छूट ले रही है और अरबों रुपये बना रही है।
- उ.प्र. के मुख्य सचिव ने पूर्व में concession of agreement में संशोधन के आदेश दिये थे जिस दबा दिया गया था।

ऐसे में मौलिक भारत संस्था, उ.प्र. व दिल्ली सरकार से यह मांग करती है-

- डी.एन डी टोल ब्रिज घोटाले की जिम्मेदार प्रमुख दोनों कम्पनियों IL & FS तथा NTBCL को तुरंत भंग किया जाये और उनके साथ किये सारे समझौते उ.प्र. एवं दिल्ली सरकार द्वारा रद्द किये जाये तथा डी.एन डी टोल ब्रिज को टोलमुक्त किया जाये।
- कम्पनियों को मिले गैर कानूनी संरक्षण व इसमें सिविल सेवा अधिकारियों की भागीदारी, खातों में हेरफेर, आय छिपाने व पुल प्रयोग करने वाले वाहनों की संख्या छुपाने, विभिन्न करों की चोरी, अवैध लूट आदि की सीबीआई, सीएजी, सीबीडीटी, कम्पटीशन कमीशन द्वारा संयुक्त जांच करायी जाये तथा दोषियों को दण्ड दिया जाये, साथ ही अवैध रूप से वसूले धन को वापस सरकारी कोष में जमा किया जाये।

अन्यथा मौलिक भारत संस्था व्यापक जनांदोलन कर लोकतांत्रिक तरीके से इस पुल को जनहित व राष्ट्रहित में टोल मुक्त करायेगी। ■

मौलिक भारत की मुहिम को जन-जन तक पहुंचाया दैनिक जागरण और जीन्यूज ने

मौलिक भारत की बड़ी जीत

सीबीआई जांच के हवाले यादव सिंह सिंडीकेट के घोटाले

मौलिक भारत संस्था के अथक परिश्रम व निरन्तर संघर्ष के परिणामस्वरूप दिनांक 16 जुलाई 2015 को इलाहबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने यादव सिंह सिंडीकेट के घोटालों की जांच सीबीआई को सौंप दी। संस्था से जुड़ी नूतन ठाकुर ने ही इस मामले में सीबीआई जांच के लिये याचिका डाली हुई थी तथा संस्था के द्वारा विभिन्न प्रेस वार्ताओं में किये गये खुलासों व दस्तावेजों को अपनी याचिका का आधार बनाया था।

अब इस घोटाले, जिसकी सीमा 100 लाख करोड़ तक हो सकती है, की जांच के दायरे में यादव सिंह सिंडीकेट से जुड़े ठेकेदार, बिल्डर, नौकरशाह, सरकारी कर्मचारी व राजनेताओं का एक बड़ा समूह आता जायेगा। इस घोटाले की जांच की आंच से बचने में वर्तमान उ.प्र. सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी और उसमें एक सदस्य जस्टिस वानी आयोग तक का गठन किया था जिसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों डॉ. धनंजय यशवंत चन्द्रचूड़ तथा श्री नारायण शुक्ल ने उद्देश्यहीन बताया। कोर्ट ने माना कि जो भी तथ्य व सबूत सामने आये हैं वे गंभीर हैं और इनकी जांच बिना सीबीआई के संभव नहीं। कोर्ट ने काले धन पर बनी एसआईटी से मिले सबूतों का भी हवाला दिया। उल्लेखनीय है कि मौलिक भारत संस्था ने एसआईटी व जस्टिस वर्मा आयोग दोनों को ही घोटाले से संबंधित सबूत व दस्तावेज सौंपे थे। एसआईटी ने भी उ. प्र. सरकार को सारे सबूत सीबीआई को सौंपने के लिए 10 फरवरी 2015 को आदेश दिये थे जिस पर राज्य सरकार टालमटोल करती रही।

मौलिक भारत संस्था के आरोप हैं कि यादव सिंह ने पिछले 12 वर्षों के अपने कार्यकाल में नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरणों के लगभग सभी प्रोजेक्ट भू-आवंटन, ठेकों व भुगतान में खुलकर कमीशन (50 प्रतिशत तक) खाया और तीन सौ से अधिक फर्जी कम्पनियों को बनाकर देश-विदेश में भारी निवेश किया और तीनों प्राधिकरणों में भी अनेक प्रोजेक्ट भुगतान आवंटन व ठेके अपनी कम्पनियों के नाम कराये। उल्लेखनीय है कि मायावती के परिवार के अनेक लोग इन कम्पनियों में यादव सिंह के परिवार के साथ निदेशक हैं और अब सपा सरकार से भी जिस प्रकार यादव सिंह को सहयोग मिल रहा है उससे इनके आपसी तार जुड़े होने के आरोप भी पुख्ता हो रहे हैं। इस जांच के साथ ही जिला गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद के पिछले दो दशकों के सभी ठेके, आबंटन, प्रोजेक्ट व भुगतान संदेह के घेरे में आ गये हैं और इनसे जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति भी।

सीबीआई को सौंपेंगे यादव सिंह सिंडिकेट के घोटालों के सबूत- मौलिक भारत

दिनांक 18 जुलाई को अग्रसेन भवन, नोएडा में आयोजित प्रेस वार्ता में मौलिक भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कै. विकास गुप्ता व महासचिव अनुज अग्रवाल व अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने यादव सिंह घोटाले में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा सीबीआई जांच का स्वागत करते हुए कहा कि हमारी संस्था बहुत शीघ्र ही सीबीआई को इस घोटाले से संबंधित अपने पास उपलब्ध सारे दस्तावेज और सबूत सौंपेगी। कै. गुप्ता ने स्पष्ट करते हुए कहा कि नवंबर 2014 से मार्च 2015 के बीच लगातार लखनऊ व नोएडा में प्रेस वार्ताओं के माध्यम से हमने यादव सिंह सिंडिकेट की परत दर परत खोली थी और

सरकार से इस मामले में विशेष जांच दल बना उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच कराने की मांग की थी। हमें आश्चर्य है कि सीबीसीआईडी ने किस आधार पर यादव सिंह के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की और उसको क्लीन चिट दे दी। जब हमने दबाव बढ़ाया तो सरकार ने जस्टिस अमरनाथ वर्मा आयोग का गठन किया किन्तु उनकी जांच भी अभी तक किसी परिणाम पर नहीं पहुंची। यद्यपि हमारे द्वारा आयोग को सभी दस्तावेज व सबूत कई महीनों पहले ही सौप दिए गए थे। हमने ही सामाजिक कार्यकर्ता व हमारी संस्था से जुड़ी नूतन ठाकुर को इस घोटाले के सबूत व दस्तावेज दिए जिसे उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और अंततः उच्च न्यायालय ने घोटाले की गहराई को समझ सीबीआई जांच के आदेश दिए। हमारी संस्था ने उच्चतम न्यायालय द्वारा कालेधन पर बने विशेष जांच दल को भी पत्र लिखकर इस घोटाले के दस्तावेज सौंपे और तब विशेष जांच दल ने उ.प्र. सरकार को इस घोटाले से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने को कहा जिसे उ.प्र. सरकार ने अनसुना कर दिया। अब हमारी रणनीति इस प्रकार है।

- संस्था उच्च न्यायालय व कालेधन पर बने विशेष जांच दल से अनुरोध करेगी कि वह इस घोटाले की जांच अपनी निगरानी में कराये।
- सीबीसीआईडी के जिन अधिकारियों ने अपनी जांच में यादव सिंह को क्लीन चिट दी उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए।
- हमारी संस्था गृह मंत्री, भारत सरकार से अपनी संस्था के सभी वरिष्ठ सदस्यों, जो इस घोटाले को उजागर करने में लगे हुए हैं, की सुरक्षा की मांग करेगी व उन्हें भी सभी दस्तावेजों व सबूतों की एक प्रति सौंपेगी।
- संस्था सीबीआई से अनुरोध करेगी कि यादव सिंह के कार्यकाल के बीच नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण से जुड़े सभी प्रकार के आबंटनों, योजनाओं व भुगतानों, यादव सिंह से जुड़े लोगों व कंपनियों व पिछली बसपा सरकार द्वारा किए गए सभी प्रकार के जमीन आबंटन व भुगतान फैसले जो गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद से जुड़े हो, को भी अपनी जांच के दायरे में रखे। ■

डीएनडी टोल मुक्त होने व अपराधियों को दंड मिलने तक जारी रहेगा संघर्ष - मौलिक भारत

दिनांक 16/7/2015 को मौलिक भारत संगठन की उ.प्र. ईकाई की बैठक में संस्था के उपाध्यक्ष व उ.प्र. के प्रभारी कै. विकास गुप्ता ने 15/7/2015 को लखनऊ में उ.प्र. सरकार के मुख्य सचिव आलोक रंजन, नोएडा के सीईओ रमारमन, डीएनडी टोल कम्पनी के अधिकारी रवि माथुर के साथ मौलिक भारत एवं अन्य सामाजिक संगठनों की बातचीत व निर्णयों को सदस्यों के सामने रखा।

कै. विकास गुप्ता ने बताया कि उन्होंने उपरोक्त समझौता वार्ता में मौलिक भारत ट्रस्ट का पक्ष सभी को स्पष्ट करते हुए कहा कि टोल मुक्त डीएनडी से कम किसी शर्त पर कोई समझौता नहीं होगा। इस पर टोल मुक्त डीएनडी के लिए मुख्य सचिव ने अगले सप्ताह नोएडा के सीईओ रमारमन की सभी पक्षों की बैठक बुलाकर समाधान-निकालने का निर्देश दिया। कै. विकास गुप्ता ने स्पष्ट किया कि मुख्य सचिव द्वारा बुलाई गयी बैठक में निम्न बिन्दुओं पर सहमति बनी-

1. टोल कम्पनी 20 प्रतिशत क्षतिपूर्ति वाली गैर कानूनी धारा को हटाने के लिए सहमत हो गयी है।

2. किसानों के वाहनों को टोल से मुक्ति मिलेगी।

3. सैनिकों के वाहनों को टोल से मुक्ति मिलेगी।

4. एक ही दिन में आने जाने वाले वाहनों को टोल में रियायत दी जायेगी।

संस्था के सदस्यों की भावनाओं को स्पष्ट करते हुए संस्था के महासचिव अनुज अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि संस्था अपनी पूर्व की मांगों व रुख पर कायम है और हमारी उ.प्र. सरकार से निम्न मांगें हैं-

1. डीएनडी टोल ब्रिज घोटाले से संबंधित संस्था के खुलासों की विस्तृत जांच हो।

2. अपराधियों को सजा मिले और जनता के लुटे हुए धन की वापसी हो।

3. डीएनडी पूर्णत: और यथाशीघ्र टोल मुक्त हो।

संस्था ने स्पष्ट किया कि अगले सप्ताह की वार्ता में सरकार को लिखित प्रतिवेदन दिया जायेगा। अगर नोएडा प्राधिकरण, उ.प्र. सरकार व डीएनडी टोल कम्पनी उसे मानती है तो ठीक है अन्यथा आन्दोलन तीव्र किया जायेगा और उचित कानूनी रास्ता भी अपनाया जायेगा।

नोएडा प्राधिकरण डीएनडी टोल कंपनी से समझौता रद्द करने की पहल करे- मौलिक भारत

दिनांक 18 जुलाई 2015 को अग्रसेन भवन, नोएडा में आयोजित प्रेसवार्ता में संस्था ने लखनऊ में प्रमुख सचिव, उ.प्र. सरकार आलोक रंजन व डीएनडी टोल कंपनी के अधिकारियों से हुई बातचीत का ब्यौरा मीडिया के सामने रखा।

वार्ता में संस्था के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए संस्था के उपाध्यक्ष कै. विकास गुप्ता ने बताया कि वार्ताकारों के रूप में सरकार द्वारा बुलाए जाने से यह स्पष्ट है कि इस घोटाले से जुड़ी सभी अधिकृत जानकारी व दस्तावेज हमारी संस्था के पास ही हैं। हमने जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार व डीएनडी टोल कंपनी के बीच हुए समझौते में गैर कानूनी धारा जिसमें '20 प्रतिशत से कम लाभ होने पर वह घाटा मूल लागत में जुड़ता जाएगा' को जनता व सरकार के सामने रखा था जिसके कारण सन 2031 तक नोएडा प्राधिकरण 53000 करोड़ रूपयों का कर्जदार बन जाता। इसका भार अंतत: टोल ब्रिज इस्तेमाल कर रही जनता को भुगतना पड़ता। हमारे दबाव के परिणामस्वरूप ही कंपनी उस धारा को हटाने के लिए तैयार हो गयी जिस कारण अब नोएडा प्राधिकरण पर न तो नया कर्ज चढ़ेगा और न ही टोल दरों में वृद्धि हो पाएगी।

हमारी मुख्य मांग डीएनडी टोल ब्रिज को टोलमुक्त करने व इस घोटाले की जांच कर अपराधियों को दंड देने की है। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रमारमन विशेष बैठक कर सभी पक्षों को बुलाकर विचार विमर्श करेंगे।

हम इस बैठक में निम्न सुझाव देंगे।

1. उच्च न्यायालय में लंबित इस पुल से संबंधित केस में उ.प्र. सरकार व नोएडा प्राधिकरण अपनी तरफ से शपथपत्र देकर स्पष्ट करें कि चूंकि टोल कंपनी ने स्वयं माना है कि समझौता गलत शर्तों के आधार पर हुआ है अत: रद्द किया जाए।

2. नए प्रावधानों के आधार पर कंपनी के खातों की सीएजी द्वारा री-ऑडिटिंग करायी जाये। कंपनी द्वारा वसूला गया अतिरिक्त धन सरकारी खाते में जमा कराया जाए।

3. गलत समझौता करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर उचित कानूनी कार्यवाही की जाए।

4. डीएनडी टोल ब्रिज को टोल मुक्त किया जाए।

यदि नोएडा प्राधिकरण व उ.प्र. सरकार इस तरह का शपथ पत्र देने के लिए तैयार नहीं होते तो हमारी संस्था स्वयं उच्च न्यायालय में यह शपथ पत्र देगी। ■

मौलिक भारत और डायलॉग इंडिया को मिली बड़ी कामयाबी

5000 करोड़ के पावर प्लांट घोटाले की जांच शुरू

संस्था ने की थी आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री व केंद्र सरकार से शिकायत।

भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार ने मौलिक भारत के महासचिव अनुज अग्रवाल को सूचना दी है कि संस्था द्वारा नवम्बर 15 को आंध्र प्रदेश में शुरू होने वाली थर्मल विद्युत परियोजना में की गयी शिकायत बहुत गंभीर है और इसकी जांच शुरू कर दी गयी है।

दिल्ली व आंध्र प्रदेश के मीडिया में भी अब यह खबर सुर्खियों में आ गयी है।

चुनाव सुधारों पर मौलिक भारत के सुझावों को माना संसदीय समिति ने

लगभग 18 माह पूर्व मौलिक भारत की ओर से नीरज सक्सेना, संजीव गुप्ता और अनुज अग्रवाल ने संसदीय समिति के समक्ष पेश होकर देश में चुनाव सुधारों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। इनमें सभी चुनाव सरकारी खर्च पर कराने, अनिवार्य मतदान लागू करने और देश में पंचायत, विधानसभा और लोकसभा तीनों के चुनाव एक साथ कराने की बात कही थी। ये सब सुझाव संसदीय समिति के मिनिट्स में भी हैं व सभी सांसदों तक भेजे गए थे। सुखद है कि हमारे दिए गए सुझावों का व्यावहारिक रोडमैप बना संसद की स्थायी समिति ने देश भर में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। अब हम सबको सरकार एवम् राजनीतिक दलों पर दबाव डलवाकर इसे कानून बनवाने हेतु काम करना होगा।

भूतपूर्व सैनिकों की जिम्मेदारी पूरे समाज की है मात्र सरकार की नहीं - मौलिक भारत

मौलिक भारत संस्था से कुछ समय पूर्व जुड़े वरिष्ठ समाजसेवी व हूवर समूह के प्रबन्ध निदेशक श्री पवन कुमार गुप्ता ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर कई दिनों से 'वन रैंक. वन पैंशन' की मांग पर धरने पर बैठे भूतपूर्व सैनिकों से संस्था के सदस्यों के साथ मुलाकात की और उनके आंदोलन को समर्थन देते हुए रु. 2,51,000/- (रुपये दो लाख इक्यावन हजार मात्र) की राशि का चैक (सं- 785305, इंडियन ओवरसीज बैंक रूपनगर नई दिल्ली) आंदोलन को सुचारु रूप से चलाने हेतु भेंट किया। यह चैक दिनांक 17/7/2015 को कैश करवाया जा चुका हे।

मौलिक भारत की ओर से भूतपूर्व सैनिकों की इस जायज मांग का समर्थन किया गया कि सभी पूर्व सैनिकों को 'वन रैंक वन पेंशन' की व्यवस्था जोकि सभी राजनीतिक दलों द्वारा सिद्धांत: स्वीकार की जा चुकी है, को तुरन्त प्रभाव से भारत सरकार को स्वीकार कर लागू कर देना चाहिये।

श्री पवन कुमार गुप्ता द्वारा संस्था को निम्न मांगें व सुझाव दिये गये जिनको संस्था ने स्वीकार कर राष्ट्रहित में आंदोलनकारी सैनिकों का समर्थन करने का निर्णय लिया है-

1. सीमाओं पर सैनिक -50 से +50 डिग्री तापमानों पर विपरीत परिस्थितियों में सीमित संसाधनों के बीच जिस प्रकार देश की रक्षा करते हैं ऐसे में उनके प्रति मात्र भारत सरकार ही नहीं पूरा समाज उत्तरदायी होना चाहिए।

2. संस्था मांग करती है कि 'कारपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिल्टी' फंड जो सभी कारपोरेट घराने अपने कुल लाभ में से समाज के हित में खर्च करते हैं उसमें एक भाग पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों के लिए खर्च किये जाने का प्रावधान संसद द्वारा किया जाना चाहिये। इस हेतु कारपोरेट समूहों को भी आगे बढ़ पहल करनी चाहिए।

3. 'राष्ट्रीय सैनिक निधि' की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें पूरे देश के सभी नागरिक अपनी-अपनी क्षमताओं के अनुरुप-लगातार योगदान देते रहें तथा इस कोश का उपयोग भूतपूर्व सैनिकों के हित में किया जाना चाहिये।

4. सरकार व जनता को समझना चाहिए कि देश की सीमाएं जब तक सुरक्षित हैं तभी तक देश में आंतरिक सुरक्षा शांति व विकास संभव है अत: ऐसी व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से लागू की जानी चाहिए जिससे भूतपूर्व सैनिकों को अपनी मांगें मनवाने के लिए आंदोलन की राह अपनानी ही न पड़े।

तीन मुद्दों पर फंसा पेंच!

वन रैंक वन पेंशन पर सरकार और पूर्व फौजियों की बातचीत में तीन मुद्दों पर पेंच फंस गया है। ये तीन मुद्दे हैं- ओपीओपी साल 2011 से लागू हो या बाद की तारीख से, सालाना 3 प्रतिशत वेतन बढ़ाया जाए या नहीं, एक अप्रैल, 2014 से भुगतान हो या फिर एक अप्रैल, 2015 से।

मौलिक भारत के राष्ट्रीय संरक्षक गुरु पवन सिन्हा को महर्षि वेद व्यास राष्ट्रीय सम्मान

स्वतंत्रता दिवस पर मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में स्वाधीनता पर्व समारोह में वर्ष 2013-14 के महर्षि वेद व्यास राष्ट्रीय सम्मान से श्रीगुरु पवन जी (नई दिल्ली) को सम्मानित किया गया। यह ना सिर्फ एक ऐतिहासिक क्षण था बल्कि एक अद्भुत संयोग भी था! एक राष्ट्रवादी संत का राष्ट्रीय पर्व के शुभ अवसर पर देश की कठिनतम समस्याओं में से एक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महर्षि वेदव्यास राष्ट्रीय सम्मान से अलंकरण किया गया। परमपूज्य श्रीगुरुजी को यह सम्मान मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिया गया। शिक्षा में सुधार के लिये अपनी कटिबद्धता एवं संतों की महान परंपरा का निर्वाह करते हुये श्रीगुरुजी ने आश्रम के ऋषिकुलशाला में शिक्षारत बच्चों लिये इस सम्मान में प्राप्त सम्पूर्ण दो लाख रुपये की धनराशि को समर्पित कर दिया।

मौलिक भारत की सरकार, उच्चतम न्यायालय व देश की जनता को चेतावनी

भारत के लिए भस्मासुर हैं अश्लील वेबसाईटें

– मौलिक भारत

परसंस्कृति व सोच पर हम अपना हक जताने के लिए क्यों विवश हैं? क्यों ग्लोबलाइजेशन व उदारवादी विश्व अर्थव्यवस्था के नाम पर अनाचार, अश्लील, अनैतिक व अवैध कार्यों को वैध बनाने की कुछ विकृत मानसिकता वाले लोगों व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की साजिश में हमें भागीदार बनाया जा रहा है?

जी हां, भारत इंटरनेट क्रांति आने के 10-12 सालों के बाद आखिरकार पोर्न साईटों और समाज व देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभावों पर एक खुली बहस छिड़ ही गयी। चुपके-चुपके एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भारत के कानूनों के अनुसार अवैध इन वेबसाईटों को विदेशी सर्वरों के माध्यम से हर घर व ऑफिस में संवेदनहीन अंतर्राष्ट्रीय बाजारू ताकतों व उनके भारतीय एजेंटों द्वारा घुसा दिया गया। बिना इस बात का अध्ययन, विश्लेषण, बहस व रक्षात्मक उपाय किये बगैर कि इस अतिक्रमण व सांस्कृतिक प्रदूषण से आम भारतीय विशेषकर बच्चे, किशोर व औसत बुद्धि वयस्क पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे, कैसे समाज का पारिवारिक ढांचा टूटने लगेगा और समाज यौन पिपासु हो आत्मघाती होता जायेगा? हमें इस षड्यंत्र के भारतीय गुनहगारों को खोज कर सजा दिलानी होगी। किन्तु इसकी आवाज उठाने से पूर्व हम अपनी मांग कि अश्लील पोर्न साईटों पर पूर्णत: प्रतिबंध लगना चाहिए के पक्ष में कुछ तर्क रखना चाहते हैं-

- उच्चतम न्यायालय ने पोर्न साईटों से संबंधित याचिका की सुनवाई के समय माना कि 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' गलत है और इससे संबंधित सामग्री को इंटरनेट पर प्रतिबंधित करने के सरकार को आदेश दिये। हमारा उच्चतम न्यायालय से आग्रह है कि जितने संवेदनशील आप उन विदेशी बच्चों के प्रति हैं जिनका शोषण कर ऐसी पोर्न फिल्मों का निर्माण किया जाता है उतने ही संवेदनशील अपने देश के बच्चों, किशोरों व औसत बुद्धि के वयस्कों के प्रति भी हो और उन पर इन साईटों के देखने से पड़ने वाले दुष्प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन करा लेने के बाद ही कोई निर्णय लें।
- कुछ लोग पोर्न को सही मानते हैं और इसे व्यक्ति की नैसर्गिक जरूरत तक के रूप में पारिभाषित करते हैं। उनके अपने तर्क हो सकते हैं किन्तु हमारे अनुसार किसी भी देश व समाज की अपनी-अपनी संस्कृति, सामाजिक सोच व बौद्धिक विकास की प्रक्रिया तथा दुनिया को देखने व जीने के तरीके होते हैं। यह सबके लिये एक जैसा हो ही नहीं सकता।
- मौलिक भारत ने सैंकड़ों सामाजिक व धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर पिछले एक वर्ष से अश्लीलता, नशाखोरी व इनके कारण नारी पर हाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध एक अभियान चलाया हुआ है। हमें अभी तक 100 प्रतिशत लोगों ने समर्थन दिया है, हमारी खुली चुनौती है कि सरकार इस मुद्दे पर सभी तथ्यों को निष्पक्ष रूप से जनता के सामने रखकर जनमत संग्रह करा लें। हमारा पूरा विश्वास है कि 99 प्रतिशत भारतीय इस प्रकार की अश्लील वेबसाईटों के विरोध में मत देंगे।

जनता से प्राप्त सुझावों व उनपर चिंतन-मंथन, विश्लेषण और शोध के उपरान्त हमारे इंटरनेट कम्पनियों के दबाव में सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि नहीं लगा सकते पोर्न साईटों पर प्रतिबन्ध। मौलिक भारत शीघ्र देगा सरकार को इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन और पोर्न साईटों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए छेड़ेगा जन जागरण अभियान।

गजेन्द्र सोलंकी
अध्यक्ष, मौलिक भारत

मुझे यकीन ही नहीं पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गूगल के नए सीईओ सुंदर पिचाई जो भारत में पढ़े व भारतीय मूल के हैं, से अनुरोध करेंगे कि गूगल के माध्यम से जो अश्लील व पोर्न बेबसाईट भारत और दुनिया में पाश्विकता व अश्लीलता फैला रही हैं, उन पर रोक लगाये। साथ ही एक अभियान भी चलाये कि जो शोध कार्य भारत के संस्थानों में पढ़े छात्र बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए करते हैं उससे होने वाले लाभ में बराबर का हिस्सा भारत को मिलना चाहिए। साथ ही ये लोग इन बड़ी कम्पनियों में भारत के हितों व भारतीय दर्शन के अनुरूप जीवनशैली के समर्थक व संरक्षक के रूप में उभर कर सामने आयें।

अनुज अग्रवाल
महासचिव, मौलिक भारत

विषय : देश में बढ़ते नशे व अश्लीलता के वैध/अवैध कारोबार एवं नारी उत्पीड़न पर रोक लगाने के संबंध में मौलिक भारत का भारत सरकार को मांग पत्र

आप सभी को सम्पूर्ण जानकारी और सूचनाएं हैं कि देश में विभिन्न प्रकार के नशों (ड्रग्स, शराब, तम्बाकू व अन्य) तथा नग्नता व अश्लीलता को फिल्मों व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया/प्रिंट मीडिया, नेटवर्किंग साईटों व वेबसाईटों के माध्यम से भारतीय व विदेशी व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा वैध एवं अवैध रूप से वृहद स्तर पर फैलाया जा रहा है। बहुत सारी बाजारू ताकतें भारत की संस्कृति व नयी पीढ़ी की बौद्धिकता, परिवार संस्था एवं सामाजिकता को योजनाबद्ध रूप से कुंद कर देश को व्यापक नुकसान पहुंचाने के षड्यंत्र में लगी हुई हैं। पिछले वर्षों में उच्चतम न्यायलय, विभिन्न आयोग, समितियों व सामाजिक संगठनों ने इन षड्यंत्रों व इसके सूत्रधारों पर रोक लगाने की मांग की है किन्तु इस दिशा में सरकारी प्रयास नाकाफी हैं और समाज का पतन अधिक तीव्रता से होता जा रहा है।

हम मौलिक भारत ट्रस्ट व सैंकड़ों सहयोगी संगठन के वर्षों के गहन अध्ययन एवं शोध के उपरांत प्राप्त निष्कर्षों के अनुरूप संयुक्त रूप से सरकार से निम्न मांग करते हैं-

1. देश में सभी प्रकार के नशों व इनके उत्पादों की उत्पादन व बिक्री की प्रक्रिया पूर्णत: पारदर्शी एवं डेबिट/क्रेटिड कार्ड के माध्यम से की जाये।
2. विभिन्न नशों से संबंधित सभी कानूनों को समवर्ती सूची में लाकर इन नशों पर क्रमिक रूप से प्रभावी नियंत्रण/प्रतिबंध की प्रक्रिया प्रारंभ की जाये।
3. सभी अवैध नशों व इनके उत्पादन व व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों व समूहों की पहचान व उन पर प्रभावी कानूनी कार्यवाही की कार्ययोजना बनायी एवं लागू की जाये।
4. सभी शिक्षा व स्वास्थ्य संस्थानों में व्यापक प्रचार व नियंत्रण अभियान चला कर जनता को इन नशों से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी जाये।
5. सभी मंत्रालय आपसी समन्वय से नशे पर प्रभावी नियंत्रण की संयुक्त कार्ययोजना बना कर लागू करें जिससे भारतीय संस्कृति एवं संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की जा सके।
6. नशे के गैर कानूनी उत्पादन, व्यापार व वितरण में संलग्न लोगों के कार्यों को नजर अंदाज करने वाले सरकारी अधिकारियों को चिह्नित करने का अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जाये और उन पर उचित कानूनी कार्यवाही की जाये।
7. फिल्मों, विज्ञापन, टीवी, प्रिंट मीडिया व अन्य सभी संचार साधनों पर उपलब्ध व दिखायी जाने वाली भारतीय संस्कृति के विरूद्ध अश्लील सामग्री प्रतिबंधित की जाये, अश्लीलता की परिभाषा पूर्णत: स्पष्ट हो व अश्लीलता/नग्नता वाले दृश्यों, व फोटो के चित्रण व व्यापार में सलंग्न निर्माताओं, निर्देशकों, फोटोग्राफरों एवं कलाकारों पर प्रतिबंध लगे व उचित कानूनी कार्यवाही हो।
8. विदेशी सर्वरों के माध्यम से देश में उपलब्ध पोर्न साईटों पर तुरन्त प्रभाव से चीन की भांति प्रतिबंध लगाया जाये और सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडरों को देश में ही सर्वर लगाने के लिए तुरन्त प्रभाव से विवश किया जाये।
9. संयुक्त राष्ट्र संघ के उस प्रस्ताव से अपनी भागीदरी वापस ली जाये जिसमें भारत में पोर्न देखने की सहमति दी गयी है।
10. ऐसे सभी उपाय किये जायें जिससे बच्चों व किशोरों का विकास स्वस्थ वातावरण में हो सके एवं नारी की गरिमा की रक्षा हो सके।

धन्यवाद!

अपेक्षाओं के साथ
सभी सदस्य मौलिक भारत ट्रस्ट
एवं सहयोगी व मित्र संगठन

कुछ स्पष्ट मत व तर्क हैं। हमारा उच्चतम न्यायाल व भारत सरकार से अग्रह है कि वे अदालती सुनवाई के समय इन तर्कों व प्रश्नों का सारगर्भित जवाब देश की जनता को दे अन्यथा तुरन्त प्रभाव से पोर्न साईटों पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरु करें।

- क्या पश्चिमी देशों में पोर्न साईटों व इनसे संबंधित व्यापारिक गतिविधियों को 5-7 वर्षों के अंदर समाज पर थोप दिया गया था?
- क्या जिन देशों में पोर्न देखना वैध है उन्होंने पहले किसी अन्य देश की ऐसी फिल्में देखी और फिर अपने देश में ऐसे व्यापार को प्रारंम्भ किया जो हम पर विदेशी पोर्न साईटों को हमसे पूछे बिना व बिना बहस के ही थोप दिया गया?
- क्या ऐसा कोई विश्वसनीय सर्वेक्षण है जो यह बताता हो कि पोर्न के व्यापार में लगे लोग अपने कार्यों से खुश हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उनके कार्यों को सुरक्षित व्यापार की श्रेणी में मान्यता दी हो?
- पोर्न साईटों की वकालत करने वाले मीडिया समूह इनका विरोध करने वालों को अपनी कवरेज में जगह क्यों नहीं देते?
- ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान हमारे पास उपलब्ध हैं जो प्रमाणित करते हैं कि पोर्न-देखने के बाद मानव में पशुता का भाव आ जाता है और उसके मन में रिश्तों की दीवार समाप्त हो जाती है व वह सामने वाले पुरुष या स्त्री को वस्तु की तरह देखने लगता है। विशेषकर स्त्रियों के प्रति आपराधिक होता जाता है।
- अगर पोर्न देखना, बनाना और दिखाना सही है तो इसे भारत में कानूनी मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है?
- अगर पोर्न जो दिखा रही है वह सही हैं तो फिर विवाह, परिवार व समाज की अन्य संस्थाओं की मान्यता समाप्त की जानी चाहिए। सेंसर बोर्ड व अन्य सभी संबंधित कानूनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- जो भारतीय पोर्न देखने के समर्थक हैं वे अपनी पोर्न बनाकर अश्लील साईटों पर क्यों नहीं डालते हैं?
- पोर्न के व्यापार में लगी हुई साईटों से भारत सरकार टैक्स क्यों नहीं वसूलती? निश्चित रूप से इस कर चोरी की आड़ में अरबों रुपयों का अवैध लेन देने होता होगा।
- क्यों सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडरों को ऐसी अवैध साईटों को नहीं दिखाने की स्पष्ट

कार्यनीति व जरूरी संसाधन उपलब्ध नहीं कराये? हमारे खाली पड़े लाखों आईटी इंजीनियर इस दिशा में मददगार सिद्ध होंगे।

- इन वेबसाईटों पर जाने के लिए कोई पंजीकरण व शुल्क देकर ही प्रवेश करने की प्रक्रिया क्यों नहीं है?
- भारत सरकार विदेशी सर्वरों पर ही क्यों निर्भर है वह चीन की तरह अपने सर्वर क्यों नहीं विकसित कर रही है? ऐसे में अवैध अश्लील सामग्री स्वयं ही छंटती जायेगी।
- भारत जैसा एक विकासशील देश जिसका विश्व अर्थव्यवस्था में मात्र 2 प्रतिशत व बौद्धिक संपदा में 0.01 प्रतिशत हिस्सा हो, वह अपनी नयी पीढ़ी को पोर्न, नशाखोरी, सट्टे व उपभोक्तावाद व पश्चिमी अपसंस्कृति का शिकार बना तबाह करने के विदेशी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद फैलाने के षड्यंत्र का मोहरा क्यों बनता जा रहा है? 90 करोड़ गरीबों के देश में पहले सबका विकास हमारी प्राथमिकता है या पोर्न उन्माद?
- क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूंकि पश्चिमी देशों में भयंकर मंदी व बेरोजगारी है और बाजार अर्थव्यवस्था में नये रोजगार पैदा नहीं हो रहे, ऐसे में वे अपनी ही आबादी को ऐसे अधकचरे रोजगारों में धकेल रहे हों और भारत जैसे देश को भी अपना बाजार बना रहे हों?
- देश में पोर्न समर्थक मीडिया व बुद्धिजीवी कहे जाने वाले लोग कहीं इन बाजारु शक्तियों के 'लॉबिंग एजेन्ट' तो नहीं हैं, जो भ्रम फैलकार अपनी फंडिंग एजेंसियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं?
- क्यों पिछले 20-25 वर्षों में बाजारवाद व खुली अर्थव्यवस्था आने के बाद ही अश्लील वेबसाईटों, ड्रग्स व सट्टे के अवैध कारोबार से धन की निकासी भारत में बढ़कर 15 से 20 लाख करोड़ तक हो गयी और इनके नियमन के लिए कोई कानून नहीं बनाये गये?
- क्या पोर्न समर्थकों ने इन फिल्मों के निर्माण में धकेले गये लोगों के उत्पीड़न व इन पोर्न को देखकर उत्पीड़न का शिकार हुए लोगों की स्थिति जानने की कोशिश की हैं? क्या इनमें मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाई है?

देशवासियों! क्षणिक भावनाओं में आकर अगर आप अपनी नयी पीढ़ी व देश के भविष्य को गर्त में ढकेलना चाहते हैं तो आपकी मर्जी! मगर हम यह जानते हैं कि हर देश की अपनी संस्कृति व विकास चक्र होता है, ग्लोबलाइजेशन को अबाध रूप से थोप देने से जो संवेदनहीन व पशुवत समाज हम बनाते जा रहे हैं वह हमें भस्मासुर ही बना रहा है अर्थात हम स्वयं ही स्वयं का सर्वनाश करने का प्रबंध कर रहे हैं।

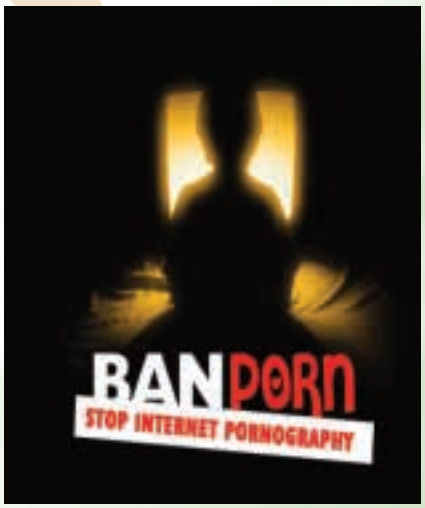

मौलिक भारत का आह्वान है कि हम अपनी सोच, संस्कृति, मौलिकता, क्रमिक बौद्धिक विकास व चिंतन मंथन से निकली हुई जीवन शैली को ही स्वीकार करें, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर हावी बाजारु ताकतों के जीवन दर्शन को कदापि नहीं। अगर सरकार व न्यायालय इस प्रकार के संविधान, कानून मानवता, नैतिकता व जन विरोधी कार्यों को रोक पानें में असमर्थ हैं व इनके परिचालन पर नियंत्रण नहीं कर सकती तो उनका अस्तित्व ही निरर्थक है, क्योंकि उन्हें इस लोकतांत्रिक देश की जनता ने अपने-अपने पदों पर इसीलिये बैठाया है कि वे देश में यथासंभव कानून का राज्य स्थापित करें न कि अवैध व गैर कानूनी गतिविधियों को संरक्षण दें या उनके आगे आत्मसमर्पण कर दें। ■

पुनर्गठित हो सेंसर बोर्ड, अश्लीलता रोके फिल्मोद्योग : मौलिक भारत

हमारा फिल्म उद्योग काला धन और अश्लीलता का ऐसा कॉकटेल है जिसके द्वारा समाज प्रभावित हो रहा है। मौलिक भारत की मांग है कि फिल्मों में लगे पैसों की जांच होनी चाहिए। अंडर-वर्ल्ड का काफी पैसा फिल्मों में लगता है जिसकी वजह से इससे जुड़े लोगों में असुरक्षा का भाव रहता है। सरकार द्वारा संबन्धित एवं प्रभावित लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाये और ऐसा परिवेश बनाया जाये जहां उन्हें सुरक्षित होने का आभास हो। इसके साथ ही फिल्म सितारों की संपत्ति की सघन जांच होनी चाहिए। फिल्म निर्माण के दौरान खर्चे का ब्यौरा पारदर्शी और सार्वजनिक हो। फिल्मों में अश्लील आइटम नंबर और बढ़ती हिंसा को रोका जाना चाहिए। खतरनाक स्टंट और द्वि-अर्थी संवादों पर नियंत्रण हो।

कलाकार और खिलाड़ी सिर्फ अपने अपने क्षेत्रों में काम करें और विज्ञापन उद्योग से दूर रहे। बड़े बड़े इवेंट के नाम पर ये दोनों लोग अश्लीलता परोसते हैं जो बेहद चिंता की बात है। इन इवेंट में सिर्फ अश्लीलता ही नहीं होती है बल्कि बिजली और पैसे की बरबादी भी होती है। मौलिक भारत जनहित में चाहता है कि शराब और तंबाकू के विज्ञापनों से जुड़े सितारों शाहरुख, दीपिका और प्रियंका ये बताएं कि उन्हें ऐसे विज्ञापनों के लिए कितना पैसा मिला। अमिताभ और सूर्या ने केबीसी के हिन्दी और तमिल शो के माध्यम से जो करोड़ों रुपये बांट दिये उसका स्रोत क्या है? 1990 के बाद से फिल्मों में अश्लीलता का चलन बढ़ा है। तब से आज तक आइटम नंबर करने वाले कलाकारों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए।

ये सब सुधार तब संभव है जब सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन कुछ इस तरह किया जाये कि वह इस तरह की गतिविधियों से निपट पाने वाली मजबूत, सक्षम संवैधानिक संस्था बनकर सामने आए। इस तरह के प्रस्तावित बोर्ड में शिक्षक, न्यायाधीश, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हों और उसमें स्त्री पुरुष का विभेद न हो। इसके साथ ही मौलिक भारत की मांग है कि मोबाइल और इंटरनेट पर फैली अश्लील सामग्री को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से कड़े कदम उठाए जाये।

आधार कार्ड को अनिवार्य करे उच्चतम न्यायालय

- मौलिक भारत

सेवा में,
मुख्य न्यायाधीश
उच्चतम न्यायालय
भारत, नई दिल्ली

विषय : आधार कार्ड को प्रत्येक भारतीय के लिए अनिवार्य करने के संदर्भ में

माननीय महोदय,

दिनांक 15/10/2015 को माननीय न्यायालय ने व्याख्या दी कि 'निजता' के उल्लंघन के आधार पर आधार-कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। यद्यपि आठ सरकारी योजनाओं में आधार की अनिवार्यता को आपके द्वारा स्वीकार किया गया।

- महोदय, हम आपका ध्यान हाल ही में दिल्ली के कई बैंकों से अनेकों फर्जी खाते खोलकर 6000 करोड़ रुपयों से भी अधिक की रकम-विदेश भेजने के फर्जीवाड़े पर ध्यान दिलाना चाहते हैं। अगर बैंक खातों के खोलते समय प्रत्येक व्यापारी, फर्म व कंपनी को आधार कार्ड देना अनिवार्य कर दिया जाता तो यह अक्सर होने वाली वित्तीय जालसाजी, घोटाले व हेराफेरी करना संभव नहीं हो पाता।
- महोदय, सभी सरकारी कर्मचारियों व उनके परिजनों के लिये भी अगर आधार कार्ड जारी कर दिये जायें तो इस वर्ग द्वारा भ्रष्टाचार कर कालाधन बनाने पर भी अंकुश लग सकता है।
- चुनावों के दौरान फर्जी तरीके से वोट बनाकर लाखों-करोड़ों लोग लोकतंत्र के मूलतत्व की ही हत्या कर देते हैं। स्वस्थ व सच्चे लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि मतदाता सूची आधार कार्ड से जुड़े। चुनाव आयोग ने इस दिशा में कार्य भी प्रारंभ कर दिया था किंतु माननीय न्यायालय के आदेश के उपरान्त इस कार्य को रोक दिया गया, जिससे देश में वास्तविक लोकतंत्र की बहाली की राह में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं।
- महोदय, मानव व्यापार देश में आम बात है, बच्चों और महिलाओं का अपहरण व चोरी कर बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, वेश्यावृत्ति, भिक्षा मंगवाने व अन्य अनेक आपराधिक कार्य कराये जाते हैं। अगर सबका आधार कार्ड हो तो ऐसे अपराधों पर पूर्णत: विराम लग सकता है।
- महोदय, अनेक प्रकार के संगीन अपराध, हत्याएं, चोरी, बलात्कार आदि पर भी सभी के आधार कार्ड जारी होने पर प्रतिबंध लग जायेगा क्योंकि अपराधी को अपनी पहचान लगने का डर बन जायेगा। साथ ही खोये, लावारिस जीवित/मृत व्यक्तियों को भी आसानी से पहचाना जा सकेगा।
- महोदय, देश में इंटरनेट के माध्यम से खासी अश्लील सामग्री व पोर्न व साहित्य बिखरा पड़ा है। वहीं फिल्में, अनेक टीवी कार्यक्रम, अखबार, पत्रिकाएं व साहित्य भी अश्लील सामग्री समाज में फैला रहे हैं। किन्तु क्या उससे व्यक्ति के 'निजता' के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता? अगर होता है तो उस पर प्रतिबंध लगाने के क्या उपाय सरकार व न्यायालय कर रहा है? देश में लगभग 95 करोड़ लोगों को सरकार आधार कार्ड जारी कर चुकी है यानी स्वेच्छा से अधिसंख्य जनता आधार कार्ड बनवाना चाहती है और जिस गति से आधार कार्ड बनवाये जा रहे हैं उससे प्रतीत होता है कि मार्च 2016 तक 99 प्रतिशत जनता को आधार कार्ड जारी हो चुके होंगे। ऐसे में मात्रा कुछ लोगों के कुर्तकों के आधार पर देश में संभावित अपराधियों को 'निजता के अधिकार' के नाम पर छूट देना गलत है।

महोदय, इस प्रावधान का विरोध करने वाला देश का उच्च मध्यम वर्ग व उच्च वर्ग ईमेल, नेटवर्किंग साइटों आदि के माध्यम से विदेशी सर्वरों से वर्षों से जुड़ा हुआ है और उसकी निजी जानकारियां उनके पास हैं। ऐसे में माननीय न्यायालय को उनके कुर्तकों से सहमत होने की कोई जरूरत नहीं है।

अत: हमारा आपसे निवेदन है कि सरकार को सुशासन व पादर्शिता लागू करने में आवश्यक तत्व प्रत्येक भारतीय नागरिक का 'आधार कार्ड' योजना को तुरन्त बिना शर्त अनुमति प्रदान की जाये।

धन्यवाद

दिनांक : 16/10/2015

भवदीय
अनुज अग्रवाल
महासचिव मौलिक भारत ट्रस्ट
स्वयं सभी सदस्यगण

मौलिक भारत, कॉल ड्राप और न्यायपालिका

परत दर परत मामला

कॉल-ड्रॉप पर सरकार ने न सिर्फ नाकाफी निर्णय लिए वरन् उन्हें लागू कराने में भी विफल हो रही है। बात करते समय कॉल कट जाने को कॉल-ड्रॉप कह सकते हैं और उस समय के टॉकटाइम पर मोबाइल कंपनियां अपना चार्ज वसूल नहीं सकती। पिछले कई सालों से कॉल-ड्रॉप की समस्या महामारी की तरह पूरे देश में फैल गई है और इस समस्या को सुलझाने के बजाय मोबाइल कंपनियां उपभोक्ताओं से गैर-कानूनी वसूली में लगी हुई हैं। सरकार ने इस गैर कानूनी वसूली को रोकने के बजाय क्षति पूर्ति का नियम बनाया जिसके विरूद्ध मोबाइल कंपनियां अदालत में चली गईं हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मोबाइल कंपनियों की याचिका रद्द कर दी जिसके विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मौलिक भारत ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि-

1. किसी भी प्रकार की कॉल-ड्रॉप पर मोबाइल कंपनियों को बिल वसूलने की मंजूरी नहीं होनी चाहिए। सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार, अगर ओरिजनेटिंग नेटवर्क से अगर कोई कमी हो तभी कॉल-ड्रॉप का मुआवजा मिलेगा वरना कंपनियां वसूली कर सकती हैं। यह गलत है। अगर उपभोक्ता की कॉल ड्रॉप हुई है तो उसका कारण कोई भी हो उस पर बिल वसूली नहीं होनी चाहिए।
2. मोबाइल कंपनियों को 2 प्रतिशत नेटवर्क की कमी का कानूनी संरक्षण का प्रावधान है पर इसका अर्थ यह नहीं की वह 2 प्रतिशत कॉल-ड्रॉप कर सकते हैं। अगर इस कुतर्क को माना भी जाए तो मोबाइल कंपनियां उस 2 प्रतिशत कॉल-ड्रॉप पर वसूली नहीं कर सकती हैं। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख अपील पर सरकार द्वारा सही पक्ष क्यों नहीं रखा जाता?
3. यह नई व्यवस्था 1 जनवरी 2016 से लागू होनी थी जिसके अनुसार मोबाइल कंपनियों को उपभोक्ता को कॉल-ड्रॉप की सूचना एसएमएस या पोस्ट-पेड बिल में सूचित करना आवश्यक है परंतु उसका पालन भी नहीं हो रहा है। जनवरी 2016 के पहले मोबाइल कंपनियों द्वारा हजारों करोड़ की गैर-कानूनी वसूली की गई है जिसका मौलिक भारत द्वारा अपनी याचिका में पिछले तीन वर्षों में 5,000 करोड़ की गैर-कानूनी वसूली का विवरण दिल्ली उच्च न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया है।

हमने अपनी याचिका में मांग की है कि इस गैर-कानूनी को उपभोक्ता कल्याण परिषद में जमा कर समाज और मोबाइल उपभोक्ताओं के हित में होना चाहिए। मौलिक भारत के मामले में टेलीकॉम विशेषज्ञ और अधिवक्ता श्री विराग गुप्ता द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में बहस की गई और बहस के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है और 25 अप्रैल तक इस विषय पर निर्णय आने की संभावना है।

हम आशा करते हैं कि मोबाइल कंपनियां उपभोक्ताओं और समाज के प्रति अपनी जवाबदेही को पूरा करेंगी तथा उनके विफल होने पर सरकार कानूनों का कड़ाई से पालन करायेगी।

विराग गुप्ता
(लेखक सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)

फिरकी ले रहे हैं संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद

संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वे कॉल ड्रॉप रोकने के लिए गली गली घुमेंगे। क्या वो बताएंगे कि उनके पास कौन सी जादू की छड़ी है जो कॉल ड्राप की समस्या दूर कर देगी? जनता की आंखों में धूल झोंकने वाले ऐसे बयान देने से पहले उन्हें अपने दूर संचार की कंपनियों के कार्टेल पर भी बोलना चाहिए था। क्या वो बताएंगे कि उनका मंत्रालय ग्राहकों से की जा रही अवैध वसूली यानि कि जो कॉल ग्राहक कर ही नहीं पाया और उसका पैसा उससे वसूला जा रहा है, पर क्यों नहीं रोक लगा पा रहा है? क्यों न्यायालय जनता से इस खुली लूट के खेल को रोक पाने में असहाय बने खड़े हैं? जनता से बूंद बूंद कर चूस लेने की कांग्रेसी सरकारों के खेल क्यों भाजपा की सरकार में भी जारी हैं ? जनहित में मौलिक भारत यह जंग लड़ता रहेगा, जनता के पक्ष में अंतिम परिणाम आने तक।

मौलिक भारत मुरादाबाद क्षेत्र की युवा, सूचनाधिकार कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी गोष्ठी

दिनांक 13 मार्च 2016 , रविवार को मौलिक भारत मुरादाबाद क्षेत्र इकाई द्वारा आयोजित विचार, संवाद और सहकार हेतु एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्षेत्र के जागरूक लोगों को अधिक परिपक्व सक्रिय बनाने के साथ ही मौलिक भारत से जोड़ना रहा। मौलिक भारत के महासचिव अनुज अग्रवाल, सह संगठन मंत्री नीरज सक्सेना, आरटीआई सेल के संयोजक गोपाल प्रसाद एवं संजीव गुप्ता, स्वास्थ्य सेल के संयोजक डॉ. ए. के. सिंह एवं अधिवक्ता विनय तिवारी ने गोष्ठी को संबोधित किया।

मौलिक भारत का पश्चिमी बंगाल में मतदाता जागरूकता अभियान

मौलिक भारत ने पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनावों से पूर्व मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया है। Bring Back Bengal नामक इस अभियान के द्वारा मतदाताओं से नेटवर्किंग साइटों, एफ एम रेडियो और प्रमुख बंगाली एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है और बंगाल के पुराने गौरव एवं शिखर पुरुषों का स्मरण कराते हुए चुनावों में श्रेष्ठ उम्मीदवार को जिताने और बंगाल को हिंसा, गुंडई, अराजकता एवं कुशासन से मुक्ति के मार्ग पर आने के लिए बहस व विमर्श आयोजित कर उपाय खोजे जा रहे हैं।

मौलिक भारत द्वारा DND पुल घोटाले को लेकर

गौतम बुध नगर के जिला अधिकारी को ज्ञापन

मौलिक भारत के एक प्रतिनिधिमंडल ने सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट में गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी को उप्र को दिल्ली से जोड़ने वाले डीएनडी पुल के निर्माण व संचालन में हो रहे घोटाले को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर मौलिक भारत के राष्ट्रीय महासचिव अनुज अग्रवाल ने बताया कि मौलिक भारत ने ही नोएडा व लखनऊ मे प्रेस कांफ्रेंस करके इस घोटाले में सम्मिलित आईएएस अधिकारियों के नामों को उजागर किया है। हमारी इस मुहिम के फलस्वरूप ही स्वयंसेवी संगठन, राजनैतिक दल डीएनडी घोटाले के खिलाफ संघर्ष मे उतर आये हैं। जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि विगत 15 जुलाई 2015 को संस्था के पदाधिकारी कैप्टन विकास गुप्ता ने भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि मंडल के साथ उ.प्र. के मुख्य सचिव अलोक रंजन की उपस्थिति में डीएनडी टोल कंपनी के अधिकारियों व नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन रमारमन से प्रदेश सचिवालय लखनऊ में वार्ता की थी। उपरोक्त वार्ता में कुछ विवादित बिंदु जैसे 20 प्रतिशत क्लाज, किसानों व सैनिकों को रियायतें देने पर सहमती बनी थी तथा अन्य बिन्दुओं पर सहमति के लिए नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन को नोएडा में बैठक करने के लिए मुख्य सचिव द्वारा आदेश दिया गया था।

इस अवसर पर मौलिक भारत के कप्तान विकास गुप्ता ने कहा कि कई माह बीत जाने के बाद भी न तो सहमति के बिन्दुओं को लागू किया है और न ही बैठक हुई है। ऐसा रवैया यह दर्शाता है कि न तो डीएनडी टोल कंपनी और न ही नोएडा अथॉरिटी व प्रदेश सरकार इस प्रकरण को लेकर गंभीर है। जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रताप सिंह ने प्रतिनिधिमंडल की बातें ध्यान से सुनी और आश्वासन दिया कि इस आशय पर एक पत्र वो नोएडा अथॉरिटी के चेयरमेन रमण को लिखेंगे और उसकी प्रतिलिपि प्रदेश के मुख्यसचिव को भी भेजेंगे।

मौलिक भारत ने जिलाधिकारी को यह भी बताया कि डीएनडी टोल प्रकरण पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो संस्था अति शीघ्र ही एक बड़ा जनांदोलन छेड़ेगी। प्रतिनिधि मंडल में कप्तान विकास गुप्ता, अनुज अग्रवाल, नीरज सक्सेना, पिंकी चौधरी, नवाब सिंह, कप्तान रोहित कपूर, अवनीश सिंह, कौशल सिरोही, पुनीत गोस्वामी, जीतेन्द्र तिवारी आदि शामिल थे।

डॉ नारंग को इंसाफ हेतु मौलिक भारत का प्रचंड प्रदर्शन

27 मार्च को मौलिक भारत के सैंकड़ों कार्यकर्ताओं ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर विकासपुरी में डॉ नारंग की नृशंस हत्या के दोषियों को फांसी की सजा देने और दिल्ली की सरकार को जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए विस्तृत कार्यनीति अपनाने की सलाह दी। पुलिस द्वारा प्रदर्शन का विरोध किया गया और मौलिक भारत के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जंतर मंतर पर छोड़ दिया गया। जंतर मंतर पर संस्था के द्वारा विशाल मशाल जलूस निकाला गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल एवं मीडिया मौजूद था। संस्था के महासचिव अनुज अग्रवाल व अन्य अधिकारियों पिंकी चौधरी, जितेंद्र तिवारी, ऊषा शुक्ला, उमेश गौड़, राजेश गोयल, मंतोष सक्सेना, विकास गुप्ता, संजय शर्मा, पुनीत गोस्वामी, सुरेश शर्मा, अमित चौधरी आदि ने मीडिया को वारदात की वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए दिल्ली पुलिस और अवैध बांग्लादेशी लोगों की मिलीभगत से हो रहे अपराधों के कारण मामले को दबाने का आरोप लगाया। यह भी मांग की गयी कि दिल्ली की गरीब जनता को बेहतर जीवन सुविधाएं और नैतिक मूल्यों युक्त शिक्षा दी जाये ताकि नयी पीढ़ी ऐसे जघन्य अपराधों की ओर न मुड़ सके। अल्पसंख्यक समुदाय के अपराधियों के प्रति कुछ राजनीतिक दलों की सहानुभूति के प्रति भी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त की।

प्रतिष्ठा में,

जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर,

कलेक्ट्रेट, ग्रेटर नोएडा।

दिनांक – 15 मार्च 2016

विषय – सरकार के अनेकों आश्वासनों के बाद भी डी एन डी टोल ब्रिज के टोल मुक्त नहीं होने के कारण चल रही लूट की पुनः शिकायत और आंदोलन करने के संदर्भ में

मान्यवर,

हमारा संगठन विगत तीन वर्षों से समाज मे फैली बुराई जैसे भ्रष्टाचार, नशाखोरी, आतंकवाद, आर्थिक अपराध, चुनाव सुधार आदि के खिलाफ मुहिम चला रहा है। इसी कड़ी मे उ. प्र. को दिल्ली से जोड़ने वाले डीएनडी पुल के निर्माण व संचालन मे हो रहे घोटाले को भी हमारे संगठन ने ही उठाया है। मौलिक भारत ने ही बारी बारी से नोएडा व लखनऊ मे प्रेस कांफ्रेंस करके इस घोटाले की परत दर परत उधेड़ते हुए पूरे घोटाले के सभी पहलुओं को सबूतों सहित और इसमे लिप्त आई0 ए0 एस0 अधिकारियो के सिंडीकेट के नामो को उजागर किया था। हमारी इस मुहिम के फलस्वरूप ही मीडिया, अनेक स्वयसेवी संगठन एवं राजनीतिक दल डीएनडी टोल ब्रिज घोटाले के खिलाफ संघर्ष मे उतर आये हैं।

विगत 15 जुलाई 2015 को हमारी संस्था के पदाधिकारी कैप्टन विकास गुप्ता ने भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि मंडल के साथ उ०प्र० के मुख्य सचिव श्री अलोक रंजन की उपस्थिति मे डीएनडी टोल कंपनी के अधिकारियो व नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन श्री रमारमन से प्रदेश सचिवालय लखनऊ में वार्ता की थी। उपरोक्त वार्ता मे कुछ विवादित बिंदु जैसे 20 प्रतिशत क्लाज, किसानों व सैनिकों को रियायते देने पर सहमति बनी थी तथा अन्य बिन्दुओं पर सहमति के लिए नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन को नॉएडा मे सभी सम्बंधित पक्षों और सामाजिक संगठनो के साथ बैठक करने के लिए मुख्य सचिव द्वारा आदेश दिया गया था। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया था कि टोल ब्रिज के आवंटन से सम्बंधित समझौते की समीक्षा की जायेगी और कुछ भी गलत पाया गया तो दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

महोदय, उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा अनेक आश्वासनों के बाद, जिला प्रशासन और नोयडा प्राधिकरण द्वारा अलग अलग आरोपों पर अनेक जाँच की गयी किंतु न तो उनकी रिपोर्ट सार्वजानिक की गयी और न ही उनके आधार पर कोई कार्यवाही ही नहीं की गयी।

महोदय, आपको ज्ञात ही होगा कि इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली के उच्च न्यायालय में कम से कम चार जनहित मुकदमे विभिन्न संस्थाओं द्वारा दायर कराये गए हैं जिनमें इस पुल पर टोल वसूलने वाली कंपनी पर अवैध वसूली के आरोप लगाते हुए टोल वसूलने पर रोक लगाने की मांग की गयी है। जनता के द्वारा चुनी गयी सरकार द्वारा इस खुली लूट पर चुप्पी साधना और कोई कार्यवाही नही करना एक बड़ी मिलीभगत की ओर इशारा कर रहा है।

महोदय, कई माह बीत जाने के बाद भी न तो उपरोक्त बैठक मे हुयी सहमति के बिन्दुओ को लागू किया है और न ही बैठक आयोजित की गयी है यह रवैया यह दर्शाता है कि न तो डीएनडी टोल कंपनी और न ही नॉएडा अथॉरिटी व प्रदेश सरकार इस लूट और घोटाले को लेकर गंभीर है।

दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जनता अब इस खुली लूट और शासन– प्रशासन के गैर– जिम्मेदार रवैये के कारण आक्रोशित है। दोनों प्रदेशो की जनता की ओर से हमारी मांग है कि एक सप्ताह के अंदर सरकार इस पुल से टोल वसूली वापस ले और इस घोटाले की समयबद्ध जाँच कराने का आदेश दे, अन्यथा हमारी संस्था एक बड़ा लोकतांत्रिक जनांदोलन छेड़ कर डी एन डी टोल ब्रिज को टोल मुक्त कराएगी।

धन्यवाद।

समस्त सदस्य
मौलिक भारत संगठन

पंजीकृत कार्यालय : 4852/24, बेसमेंट, अंसारी रोड, दरिया गंज दिल्ली
मुख्य कार्यालय : A-74 द्वितीय तल, सेक्टर-2, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उ०प्र० फोन : 011-23250614, 09811424443
ई मेल : maulikbharat@gmail.com, वेब साईट : www.maulikbharat.org

राष्ट्रीयता का भाव मजबूत करने हेतु पूरे देश में होगा संगठन का प्रसार - मौलिक भारत

मौलिक भारत का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न प्रधानमंत्री को भेजा दस सूत्री ज्ञापन एवं मांगपत्र

चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान दिवस पर 27 फरवरी 2016 को दिल्ली में आयोजित मौलिक भारत का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन अनेक मामलों में उल्लेखनीय रहा। पहली बार संगठन का राष्ट्रीय स्वरुप देश के सामने आया वहीं संगठन द्वारा जारी की गयी पुस्तक से संस्था की देशपरक गहन सोच और शोध, समग्र चिंतन, वैकल्पिक नीतियां, तीन वर्षों में किये गए कार्यों और उपलब्धियों से राष्ट्र व समाज को हुए फायदे और आगे किये जाने वाले कार्यों और सोच देश के सामने आयी। संस्था के संरक्षक आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा, अध्यक्ष प्रसिद्ध कवि गजेन्द्र सोलंकी, महासचिव, विचारक और पत्रकार अनुज अग्रवाल, उपाध्यक्ष और चर्चित समाजसेवी उमेश गौड़, के. विकास गुप्ता और अमरनाथ ओझा तथा जुझारू संगठन मंत्री सुरेश शर्मा के साथ ही कोषाध्यक्ष राजेश गोयल और विभिन्न प्रान्तों के प्रभारियों एवं अध्यक्षों ने संस्था के चिंतन, दर्शन और कार्यों के साथ आगे के संघर्षों की रुपरेखा, संगठन को मजबूत करने के उपाय सदस्यों के सामने रखे। साथ ही देश में राष्ट्रीयता के भाव को मजबूत करने हेतु हर गांव-हर गली तक सकारात्मक और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने हेतु कार्य करने का आह्वान किया, साथ ही जाति, वर्ग, भाषा और धर्म की

राजनीति करने वाले दलों के विरुद्ध पोल खोल-हल्ला बोल अभियान चलाने का निर्णय लिया। संस्था ने जमीनी संघर्ष के लिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी, चुनाव आयोग में पारदर्शिता के लिए नीरज सक्सेना व संजीव गुप्ता, यादव सिंह सिंडीकेट और डी एन डी के भ्रष्टाचार को उजागर कर संघर्ष हेतु के. विकास गुप्ता, राजनीति में उतर जमीनी संघर्ष हेतु उत्तर प्रदेश के महासचिव पिंकी चौधरी और हरियाणा के प्रभारी नवीन कौशिक, अश्लीलता व नशे के विरुद्ध संघर्ष हेतु तमिलनाडु की प्रभारी नाजरीन कृष्णमूर्ति, और संस्था को बहुमूल्य विधिक सलाह देने के लिए प्रसिद्ध वकील राहुलराज मलिक और विराग गुप्ता जी का विशेष अभिनंदन किया गया। सम्मलेन में मिशन वन्देमातरम की और से जितेंद्र तिवारी ने चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान को स्मरण करते हुए इस दिन के महत्व को समझाया। अधिवेशन में सैंकड़ों लोगों ने संस्था की सदस्यता स्वीकार की।

अधिवेशन को विशिष्ट अतिथि के रूप में हरियाणा के पूर्व आईजी व स्वराज मंच के संयोजक रणवीर सिंह जी, दिल्ली के पुलिस उपायुक्त जितेंद्रमणि त्रिपाठी, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से जुड़े राम नरेश मिश्रा, आईएमएस बिज़नेस स्कूल की पूर्व निदेशक डॉ. उर्वशी मक्कड़, उत्तरी-मध्य रेलवे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश रूद्र प्रताप

प्रतिष्ठा में ,

माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली।

विषय : मौलिक भारत ट्रस्ट के राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुरूप मांगपत्र

माननीय महोदय,

हमारी संस्था देशभर के राष्ट्रवादियों और भारत से प्रेम करने वाले लोगों का संगठन है जो एक दबाव समूह और सामाजिक सक्रियता और संघर्ष के माध्यम से सुशासन, चुनाव सुधार, पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन के साथ ही व्यवस्था में भारत की मौलिक संस्कृति और सोच के अनुरूप परिवर्तन की दिशा में कार्य कर रहा है। हमारे पिछले वर्षों में किये गए कार्यों का विवरण संलग्न पुस्तिका में वर्णित है।

आज दिनांक 27 फरवरी 2016 को हम सभी सदस्य सर्वसम्मति से राष्ट्रहित में निम्न प्रस्ताव पारित कर आपसे इसके तुरंत और प्रभावी क्रियान्वयन की मांग करते हैं -

1. देश में अनेक राजनीतिक दलों ने राष्ट्रवाद की परिभाषा को उलझाने की कोशिश की है और प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से देशद्रोहियों व आतंकियों के साथ अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उनके साथ खड़े दिखायी दे रहे हैं, जो चिंताजनक है और हमारे सैन्य बलों का मनोबल तोड़ने वाला भी। आपसे अनुरोध है कि पुन: राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित एवं अभिव्यक्ति की आजादी की कानूनी परिभाषा से देश की जनता एवं शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को स्पष्ट किया जाये ताकि इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार का भ्रम खड़ा कर आंतरिक और बाह्य ताकतें देश को बांटने और अराजकता को बढ़ाने की कोशिश न कर सकें।
2. हमारी मांग है कि देश के सभी राजनीतिक एवं गैर सरकारी व सामाजिक संगठनों एवं मीडिया समूहों की गहन जांच पड़ताल हो और देश में अराजकता व विभाजन फैलाने में उनकी भूमिका है या नहीं, इसकी जांच हो और अगर कुछ गलत पाया जाये तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाये।
3. सभी दलों, सामाजिक संगठनों, विदेशी अनुदान से चलने वाली संस्थाओं व मीडिया समूहों से देश के संविधान के अनुरूप कार्य करते रहने के लिए शपथ पत्र लिया जाये।
4. देश में चल रही आरक्षण नीति की पुनर्समीक्षा हेतु गैर राजनीतिक समिति बनायी जाये।
5. देश में दंगों, हिंसा, आतंक और आपदा के समय प्रभावित होने वाले लोगों के हितों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय नीति बनायी जाये और सरकारी मंत्री व अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाये। दोषियों को सजा और विशेष न्यायालय बनाये जाएं जो तय समय में अपना निर्णय दे।
6. देश की अर्थव्यवस्था को आयात आधारित बनते जाने से रोका जाये और देसी, कृषि आधारित एवं रोजगारोन्मुख उद्योग व व्यापार को बढ़ावा दिया जाये।
7. यूपीए सरकार के पिछले दो कार्यकालों में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया जाये। साथ ही काली अर्थव्यवस्था, सट्टे, कालाबाजारी, जमाखोरी और मिलावट पर रोक लगाने के स्थायी उपाय किये जाएं।
8. पिछले 4-5 वर्षों में खुले घोटालों की जांच बहुत धीमी चल रही है, इसे समयबद्ध तरीके से निबटाकर दोषियों को शीघ्र दंड दिया जाये।
9. देश में वृहद चुनाव सुधार समय की आवश्यकता है, विधि आयोग एवं संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुरूप इन्हें लागू करने की कार्ययोजना सरकार देश के सामने रखे।
10. संचार, मीडिया एवं फिल्मों में अश्लीलता, नशे, पश्चात्यता और सट्टे को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पर तत्काल नियंत्रण जरुरी है।

धन्यवाद।

भवदीय दिनांक 27 फरवरी, 2016
समस्त सदस्य
मौलिक भारत ट्रस्ट

नारी मंच, मौलिक भारत और आई आई पी फाउंडेशन की मुहिम

- गांधी स्मृति दर्शन समिति का सहयोग

क्रांति के आह्वान के साथ शुरू हुआ बेटी बचाओ -बेटी पढ़ाओ अभियान

हर घर और हर परिवार में बेटी की स्थिति मजबूत करने और नारी की गरिमा और सम्मान के महत्व को फिर से स्थापित करने के आह्वान के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में देश भर से आयी सैंकड़ों महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। सेमीनार को संबोधित करने वाले सभी वक्ताओं का मत था कि सन 2022 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री जी के आह्वान को पूरा करने में महिलाओं की भागीदारी और लैंगिक समानता के साथ ही बेटी को भी बेटे के समान हक़, प्यार और सम्मान मिलना जरुरी है। इस अवसर पर मुख्य अथिति एवं गांधी स्मृति दर्शन समिति के निदेशक श्री दीपंकरश्री ज्ञान ने नारी मंच एवं मौलिक भारत के साथ ही सभी संस्थाओं को इस अभियान को गांव गांव तक पहुंचाने के लिए साथ आने का आह्वान किया। नारी मंच की अध्यक्ष साधना सिंह, कार्यक्रम के संयोजक उमेश गौड़, आई आई पी फाउंडेशन के कार्यकारी राजेश गोयल एवं मौलिक भारत के महासचिव अनुज अग्रवाल ने सदन और मीडिया को बताया कि अब पूरे देश में इस अभियान को फैलाया जायेगा।

प्रतिष्ठा में,
माननीय नरेंद्र मोदी जी
प्रधानमंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय : बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान पर अनेक संस्थाओं द्वारा 30 मार्च 2016 को कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब, नई दिल्ली में आयोजित सेमीनार में उभरे विचार विमर्श के उपरांत निकले निष्कर्षों के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार के लिए सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रतिवेदन

1) संसद एवं विधानमंडलों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधित विधेयक जो संसद में लंबित है, उसे तुरंत पास किया जाये।
2) सार्वजानिक प्रसारणों यथा सिनेमा, इंटरनेट, टीवी, रेडियो, पत्र- पत्रिकाओं, विज्ञापनों, वेबसाइटो आदि में अभी भी नारी को अश्लील रूप में या दोयम दर्जे का पेश किया जाता है, यह घोर आपत्तिजनक है और इस पर रोक और नियमन के लिए कड़े कानून एवं प्रभावी निगरानी तंत्र की व्यवस्था की जाए।
3) राजनीतिक दलों के पदों, सरकारी एवं निजी क्षेत्र में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाए।
4) नि:शुल्क एवं अनिवार्य स्वास्थ्य, शिक्षा एवं न्याय सेवाओं के साथ ही महिलाओं को योग्यतानुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण को भी अनिवार्य किया जाए।
5) अकेली, अनाथ, विकलांग, विधवा और असहाय लड़कियों व महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा एवं जीवनयापन हेतु विशेष कानून एवं कोष हो। इनको विशिष्ट पहचान पत्र दिए जाएं। इनके लिए प्रत्येक तहसील / ब्लॉक में नि:शुल्क हॉस्टल की व्यवस्था की जाए।
6) नारी के विरुद्ध अपराध करने वालों, गर्भावस्था में भ्रूण हत्या करने वालों, नाबालिग लड़कियों का किसी भी प्रकार से शोषण करने वालों और बालिग महिलाओं को दहेज़ एवं अन्य किसी भी कारण से प्रताड़ित करने वालों को सरकारी नौकरी और सुविधाओं से वंचित करने के लिए कानून बनाये जाये।
7) महिलाओं संबंधी कानूनों को विद्यालयों के पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाये और विद्यालयों में लड़की, स्त्री या महिलाओं के महत्व, गरिमा और सम्मान से संबंधित शिक्षण हो।
8) भारतीय संस्कृति के अनुरूप बेटी, युवती और महिला के अधिकार और कर्तव्य क्या हों इस पर चिंतन, शोध और शिक्षण होना चाहिए।
9) धर्म जाति और संस्कृति के नाम पर महिलाओं से किसी भी प्रकार का भेदभाव बंद हो और उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा हो।
10) वे सब अधिकार जो एक पुरुष, पुरुष होने के नाते अपना हक़ समझता है, नारी को भी मिले ऐसी व्यवस्था की जाए।

आपसे अनुरोध है कृपया इस दिशा में सरकार के निर्णयों से अवगत कराएं।
भवदीय

सभी अधोहस्ताक्षरित

आज के आयोजन में भाग लेने वाले लोग अब इस अभियान की कार्यसमिति के सदस्य होंगे और आज सम्मानित की जाने वाली महिलाएं अभियान की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जनजागरण का कार्य करेंगी। सदन को मौलिक भारत के पदाधिकारियों डॉ उर्वशी मक्कड़, कै. विकास गुप्ता, सुरेश शर्मा, नवीन जयहिंद, आशुतोष सिंह, नरेंद्र सिंह और जितेंद्र तिवारी ने भी संबोधित किया। कम्युनिटी बेस्ड संस्थाओं के शमीमा रैना, रईस पठान, चंद्रलेखा शर्मा, जमाल अंसारी आदि दर्जनों अन्य सामाजिक रूप से सक्रिय लोगों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का आकर्षण महिलाओं के अधिकारों के लिए काम कर रहे गुलाबी गैंग की टीम, उनके संयोजक जयप्रकाश और अध्यक्ष सुमन चौहान रही। 26 सम्मानित की जाने वाली महिलाओं में से स्मिता पाण्डे, मनुश्री लखोत्रा, नीशू मित्तल, अंशु पाठक, शालू अग्रवाल, मनजीत कौर, उषा शुक्ला आदि के कार्य और विचारों से सदन काफी प्रभावित हुआ। सदन को उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता विराग गुप्ता एवं कलिंगा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ संदीप अरोड़ा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर पूरे दिन के विमर्श के निष्कर्षों को एक मांग पत्र के रूप में प्रधानमंत्री को भेजे जाने के लिए दस सूत्रीय मांगपत्र सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसका प्रारूप यहां दिया गया है।

36 करोड़ साल की लूट दिल्ली हॉट में - मौलिक भारत का आरोप

मौलिक भारत के उपाध्यक्ष उमेश गोड़ ने जब दिल्ली हॉट में कपार्ट के मेले के लिये आबंटित होने वाली दुकानों के आबंटन में प्रति दुकानदार एक एक लाख रूपये रिश्वत लिए जाने का आरोप लगाया तो उनके साथ मारपीट की गयी और कपड़े फाड़ दिए गए। अंततः उन्होंने गुलाबी गैंग की सहायता से लोदी रोड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया।

दिल्ली हॉट का निर्माण ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के शिल्पकार और कलाकारों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किया था और इन शिल्पकारों को सांसद की सिफारिश पर मामूली से किराये पर 15 दिन के लिए दुकान दी जाती है। हॉट में 300 के आसपास दुकाने हैं और प्रत्येक माह कोई न कोई मंत्रालय 15 दिनों के लिए यहां मेला लगाता है। सच्चाई यह है कि इन दुकानों पर कई वर्षों से दिल्ली के ही दुकानदार काबिज हैं और ये फर्जी नामों से सांसदों के सिफारिश पत्र ले आते हैं और दिल्ली हॉट के अधिकारी एक एक लाख रूपये रिश्वत लेकर इन्हें 15 दिन के लिए दुकान दे देते हैं। इस प्रकार 3 करोड़ रूपये प्रति माह यानि 36 करोड़ रूपये साल रिश्वत खाई जाती है। मौलिक भारत का आरोप है कि दिल्ली हॉट में वर्षों से दिल्ली के दुकानदारों का जो सिंडीकेट काम कर रहा है यह इस हॉट के निर्माण के मूल उद्देश्यों के खिलाफ है। सच्चाई तो यह है कि न तो दूर दराज के शिल्पकारों को कोई जगह मिलती है और न ही बाजार। दुकानदार भी दिल्ली के और माल भी दिल्ली में ही तैयार होता है और ठगे जाते हैं माल खरीदने वाले। 100 रूपये का सामान 1000 में यहां खुलेआम बेचा जाता है। जनजातीय और ग्रामीण शिल्पकार आज भी उपेक्षित हैं और लुटेरे मौज कर रहे हैं। मौलिक भारत की मांग है कि सभी संबंधित मंत्रालय इस आरोप की गहराई से जांच कराएं और गरीब व उपेक्षित शिल्पकारों को न्याय दे।

मौलिक भारत के प्रयासों का असर

साथियो, आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पूर्व मौलिक भारत का एक प्रतिनिधिमंडल गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी से मिला था और हमने मेट्रो स्टेशनो पर आतंकी हमले और बाहरी क्षेत्र की सुरक्षा नहीं होने के दुष्परिणामों पर अपने शोध से अवगत कराते हुए तत्काल सभी मेट्रो स्टेशनों के बाहर की भी सुरक्षा सीआईएसएफ या दिल्ली पुलिस से कराने का अनुरोध किया था। हमारी आशंकाएं सच साबित हो रही हैं और कल ही वीआईपी स्टेशनों पर आतंकी हमलों की धमकी के बाद एक दर्जन वीआईपी स्टेशनों की बाहरी सुरक्षा भी सीआईएसएफ को सौंप दी गयी। हमारा अनुरोध है कि गृहमंत्री सभी मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले करें।

साथियो, आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पूर्व मौलिक भारत का एक प्रतिनिधिमंडल गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी से मिला था और हमने मेट्रो स्टेशनों पर आतंकी हमले और बाहरी क्षेत्र की सुरक्षा नहीं होने के दुष्परिणामों पर अपने शोध से अवगत कराते हुए तत्काल सभी मेट्रो स्टेशनों के बाहर की भी सुरक्षा कराने का अनुरोध किया था और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को भी इस पत्र की प्रति भेज उनके प्रदेशों में आने वाले मेट्रो स्टेशनों की सुरक्षा का प्रबन्ध करने का अनुरोध किया था। हमारी कोशिशें रंग ला रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए नयी बटालियनों के बनाने की घोषणा कर दी है। अब हरियाणा सरकार को भी शीघ्र इस दिशा में कदम उठाने चाहिए।

गंगा पब्लिक स्कूल 'कादरी बाग' डिबाई की वार्षिक पत्रिका के प्रथम अंक 'गंगा' का विमोचन

गंगा पब्लिक स्कूल की वार्षिक पत्रिका के प्रथम अंक गंगा का विमोचन डॉ रमाशंकर वार्षणेय, श्री अनुज अग्रवाल (राष्ट्रीय महासचिव, मौलिक भारत ट्रस्ट), गोपाल प्रसाद (संयोजक आरटीआई सेल, मौलिक भारत), श्रीमती सावित्री , डॉ. (श्रीमती) रजनी सिंह जी ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यफ्म में क्षेत्र की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया तथा स्कूल प्रांगण में रंगमंच कार्यक्रम का आयोजन हुआ।

डॉ स्मिता गोयल (वरिष्ठ चिकित्सक गाजियाबाद), रघुवीर कुमार गुप्ता, श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, डॉ. शकुंतला सक्सेना, श्रीमती मंजू वार्षणेय, इं0 श्री कृष्ण गुप्ता , डॉ दीपक गुप्ता, गंगा पब्लिक प्रधानाचार्या अनुराधा चौधरी, पीपी सिंह, नरेश चंद्र (बर्फ वाले), मुकेश वार्षणेय, रामकुमार रही, योगेंद्र कुमार गुप्ता, ईशा गुप्ता, JNVM प्रधानाचार्या सुमन शर्मा, भुवनेश कुमार, भारत विकास परिषद निस्वार्थ शाखा से सचिव अंशुल वार्षणेय, अभिषेक सिन्हा 'रवि', आकाश गर्ग, तरुण वार्षणेय स्कूली बच्चे तथा अभिभावक उपस्थित रहे।

गौतमबुध नगर जिला अधिकारी को निजी स्कूलों की मनमानी के सम्बन्ध में ज्ञापन

आज कप्तान विकास गुप्ता के नेतृत्व में सामाजिक संस्थाओं, बुद्धिजीवियों, पूर्व सैनिकों आदि का एक प्रतिनिधिमंडल जनपद के प्राइवेट स्कूलों में Annual Fee, Admission fee, Tuition Fee, Building Fee, Bus Fee, Examination Fee, Infrastructure Fee, आदि के नाम पर की जा रही उगाही के विषय पर जिलाधिकारी से मिलकर उनको एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि स्कूल ड्रेस, पुस्तकें आदि के नाम पर अभिभावकों को स्कूल से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है तथा इनकी कोई भी रसीद नहीं दी रही है जिससे स्कूल टैक्स की चोरी भी कर रहे हैं। सीबीएई की तरफ से सारे मानक निर्धारित हैं फिर भी ये स्कूल सारे मानकों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्कूल रजिस्टर्ड कहीं और है और चलाते कहीं और है। कुछ स्कूल ग्रे. नोएडा में रजिस्टर्ड है मगर चलता नोएडा में है। अविभावक अपने बच्चे के भविष्य के कारण चुप्पी साध लेते है और इन स्कूलों की मनमानी सहते रहते हैं।

एक ही बोर्ड सीबीएसई होने के बावजूद दिल्ली और नोएडा में फीस के मानक अलग अलग हैं। इन स्कूलों ने रियायती दरों पर अथॉरिटी से जमीने ले रखी है और स्कूलों में छात्रों का कुछ प्रतिशत इनको स्थानीय गांवों से एवं समाज के कमजोर वर्गों से लेना होता है फिर भी ये स्कूल शायद ही गांव के बच्चों एवं कमजोर वर्गों को एडमिशन देते हैं। ये सारी जानकारी जिला प्रशासनों एवं अथॉरिटी को होती है फिर भी प्रशासन इन स्कूलों पर कोई लगाम नहीं लगा रहा है। नोएडा एवं ग्रे. नोएडा प्राधिकरण के द्वारा की गयी लीज डीड की जानकारी पहले प्राधिकरण की वेब साईट पर उपलब्ध हुआ करती थी मगर स्कूलों के मैनेजमेंट तथा प्राधिकरण की मिलीभगत के फलस्वरूप लीज डीड जानकारी प्राधिकरण की वेब साईट से हटा दी गई है जिससे कि लोगों को मानकों की जानकारी नहीं मिल रही है।

अविभावक श्री कौशल सिरोही ने मॉडर्न स्कूल सेक्टर 11 का एक वार्षिक सर्कुलर दिखाते हुए बताया किस तरह से स्कूल प्रशासन चेक न लेकर बल्कि नकद पैसे लेकर उगाही कर रहे हैं।

अविभावक श्रीमती विमला कुमार ने जोर देकर कहा कि इस विषय पर सघन जांच की आवश्यकता है तथा इस जांच के लिये अलग से एक कमेटी बननी चाहिये और उसमें अभिभावकों, नागरिक संगठनों, प्रबुद्ध व्यक्तियों को भी शामिल किया जाना चाहिये तथा जिलाधिकारी से आशा व्यक्त की कि वो इस विषय की गंभीरता को समझते हुये आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

प्रतिनिधी मंडल में पुनीत गोस्वामी, पूनम सिंह, अनिल गुप्ता, राकेश खंडेलवाल, निखिल गुप्ता, एस एम त्यागी, विंग कमांडर रमेश सेठ राजेश गोयल, पुनीत, कौशल सिरोही, कर्नल आर आर नारा, ले. कर्नल आरपीजी घई, ब्रिगे. सुधीर सचदेवा ,अमित बंसल ,प्रमिला सूद, नीता सचदेवा, दीप्ती संत खोसला ,सजल दीप, प्रेमपाल आदि उपस्थित रहे।

दो घंटे के लिए हुआ टोल फ्री

मौलिक भारत का प्रचंड प्रदर्शन

जब तक डी एन डी फ्री नहीं हो जाता यह लड़ाई जारी रहेगी

मौलिक भारत ने सांय 5 बजे रजनीगंधा चौराहे से डीएनडी टोल तक विरोध मार्च निकाला। इस मार्च निकाला में शहर के प्रमुख नागरिक एवं नागरिक संगठन, प्रमुख सामाजिक संस्थाएं, पूर्व सैनिको आदि ने भाग लिया। मार्च शुरू होने से पहले नुक्कड़ नाटक का मंचन हुआ। मौलिक भारत के इस रूप, विरोध मार्च को सफल बनाने वालो में मुख्य रूप से प्रभारी कप्तान विकास गुप्ता, अनुज अग्रवाल, पुनित गोस्वामी, सजलदीप, राजेश गोयल, सजलदीप गोस्वामी, नीरज सक्सेना, अवनीश सिंह, उमेश गौड़, पिंकी चौधरी, संजीव गुप्ता, सुनील कुमार, इरफ़ान खान, जीतेन्द्र, संकेत शर्मा, सुनील भारती, बबलू, प्रवीण, वरुण शर्मा, वैभव, पारस, अमित बैसला, रोहित कौशिक, हिमांशु, नितिन शर्मा, अमित सिंह, बॉबी, मनोज, विजय, मदन, ललित, संजय, जुगल, पहलवान अमित भाटी, पूनम सिंह, गिरिजा सिंह, साधना चौहान, ओमवीर अवाना, चमन अवाना, करण सिंह, विनोद शर्मा, डॉ. ए के सिंह, प्रदीप पवार, राजिंदर जैन, टीएन गोविल, उपदेश भरद्वाज, सेपी सिंह, अनिल गुप्ता, राकेश खंडेलवाल, रामनिवास यादव, मूल चन्द अवाना आदि शामिल रहे।

डी एन डी और हमारे उन 28 रुपयों के हिस्सेदार

दोस्तों, मौलिक भारत ने डी एन डी पर जो अभूतपूर्व प्रदर्शन किया और लगभग 1.5-2 घंटे डी एन डी को टोल फ्री भी कराया और 10 हज़ार से भी ज्यादा वाहन टोल दिए बिना निकले, ताकि जनता की शक्ति का अहसास शासन- प्रशासन और डीएनडी के लुटेरे सिंडीकेट को हो जाये।

आज कुछ अख़बारों ने खबर दी कि मात्र

20 मिनट तक ही डी एन डी टोल फ्री रहा और 20 –30 वाहन ही नि:शुल्क जा सके, तो समझ आया कि इस लूट का एक हिस्सा उन कुछ मीडिया समूहों को भी बंटता होगा। हमसे प्रति विजिट 28 रूपये जो लिए जाते हैं उसमें से इस पुल के मालिक नौकरशाहों का सिंडीकेट एक हिस्सा उ प्र सरकार को, एक हिस्सा दिल्ली सरकार को, एक हिस्सा केंद्र सरकार को, एक हिस्सा नोएडा प्राधिकरण को, एक हिस्सा कुछ तथाकथित समाजसेवियों को, एक हिस्सा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, एक हिस्सा जिला और पुलिस प्रशासन को और एक हिस्सा क़ानूनी लड़ाई को धीमा करने वालों को देता है। प्रतिदिन टोल कंपनी 2 करोड़ रपये टोल वसूली से और एक करोड़ रूपये विज्ञापनों व अन्य तरीकों से कमा रही है, यानि 1000 करोड़ रूपये

पत्रकार और मीडिया के मित्रों से कुछ बातें

दोस्तों, डी एन डी घोटाले पर हमारी संस्था द्वारा किए गए प्रदर्शन के संबंध में समाचारपत्रों की कवरेज पर की गयी हमारी प्रतिक्रिया पर कुछ पत्रकार भाईयों ने नाराजगी जतायी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह टिप्पणी कुछ गिने चुने उन प्रकाशनों के लिए थी जिन्होंने हमारे प्रदर्शन को हल्का करके दिखाया और टोल कंपनी की प्रतिक्रिया को प्रमुखता दी। एक आरोपी कंपनी जिसके खिलाफ कई मुक़दमे और जांच चल रहे हों और पूरे क्षेत्र की जनता उसके खिलाफ आंदोलन कर रही हो, ऐसे में उसे तवज्जो देना अखरता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि भविष्य में निष्पक्ष होकर लिखेंगे तो सबको अच्छा लगेगा।

दोस्तों, मौलिक भारत किसी दल या कारपोरेट घराने का खेल नहीं है। यह देसी सोच और राष्ट्र में सुशासन के लिए संघर्षरत समर्पित लोगों का संग़ठन है जो वर्तमान में 12 से अधिक प्रदेशो में कार्यरत है और हमारी जड़ें व गर्भनाल इसी मिट्टी से जुडी हैं। हम तथाकथित बड़ी मछलियों की सच्चाई अपनी जान पर खेलकर देश और जनता के सामने आप लोगों के सहयोग से ही लाते हैं, ऐसे में हम आपको गलत कैसे कह सकते हैं? मुझे अफ़सोस है कि मेरी वजह से आप लोगों को बुरा महसूस हुआ। मैं भी पत्रकार हूं और सपाट, निष्पक्ष एवं निर्भीकता से राष्ट्रहित में ही लिखता हूं। ऐसा करके कितना कष्ट झेलता हूं, आप समझ सकते हैं। कोई मेरी नीयत पर सवाल उठाता है तो अंदर से हिल जाता हूं इसलिए आपकी शिकायत का दर्द महसूस कर सकता हूं। मेरी शिकायत वास्तव में उन मीडिया घरानों के मालिकों से है जो दबाव, विज्ञापनों और नकदी के लालच में बिक जाते हैं और अपनी संपादकीय टीम को तोड़ मरोड़ कर या नहीं छापने/ दिखाने के लिए मजबूर करते हैं।

हमारी संस्था ने कै. विकास गुप्ता को डी एन डी टोल मुक्त कराने हेतु किये जा रहे आंदोलन की बागडोर सौंपी है। बीच में कई पत्रकारों ने प्रेस वार्ताओं में उनकी और संस्था की नीयत पर सवाल उठाये, किंतु समय के साथ सिद्ध होता गया कि हम लोग ईमानदार और निष्कलंक हैं। विश्वास दिलाते हैं सदा देश के लिए ही जिएंगे और देश के लिए ही मरेंगे। एक बार पुन: क्षमाप्रार्थी हूं, आपको दिए गए कष्ट के लिए।

आपका
अनुज अग्रवाल
महासचिव, मौलिक भारत

क्या है मौलिक भारत के आरोप

1. कैसे और क्यों सिविल सेवा के 32 अधिकारी इस छोटे से पुल से संबंधित कम्पनी में कार्यरत रहे और उनमें से कुछ आज भी जमे हुए हैं।
2. समझौते की शर्तें जो पूर्णत: अवैध थी, को सरकारों के कानूनी विभागों ने कैसे मंजूरी दे दी?
3. पुल की मूल लागत को अवैध तरीके से कई गुना अधिक दिखाया गया और कभी भी इस पर आपत्ति नहीं की गई।
4. दैनिक संचालन के खर्चों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जा रहा है।
5. पुल से गुजरने वाले वाहनों की संख्या व वसूली काफी कम दिखायी जा रही है। अनुमान है कि प्रतिदिन पुल से दो लाख वाहन गुजरते हैं और सालाना वास्तविक वसूली 300 करोड़ रुपये तक है।
6. पुल निर्माण के समय कागजों पर दिल्ली सरकार ने 66 एकड़ व उ.प्र. सरकार ने 34 एकड़ जमीन एक रुपये सालाना की लीज पर कम्पनी को दी थी। फिर कम्पनी के पास 331 एकड़ अतिरिक्त जमीन कहां से आयी और इस अवैध जमीन कब्जाने की जांच व कार्यवाही का क्या हुआ?
7. कम्पनी को आयकर में सैंकड़ों रुपयों की छूट किस आधार पर दी जा रही है?
8. टोल वसूली के अधिकार 'अनन्त समय' तक के लिए क्यों दिये गये?
9. पुल पर विज्ञापनों का ठेका नोएडा प्राधिकरण द्वारा लगातार एक ही कम्पनी को क्यों दिया जाता है और वह भी नाममात्र की दर पर। जबकि जानकार बताते हैं कि मात्र विज्ञापनों से ही 300 करोड़ सालाना की कमाई की जा रही है।
10. उ.प्र. सरकार व दिल्ली सरकार ने आजतक टोल कम्पनी की अवैध वसूली व कार्यप्रणाली के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई वाद दाखिल क्यों नहीं किया? यहां तक कि कम्पनी को कोई कारण बताओ नोटिस तक जारी नहीं किया गया।
11. कम्पनी के खातों का सीएजी द्वारा ऑडिट क्यों नहीं कराया गया?
12. पूरे देश में टोल वसूली की एक स्पष्ट व पारदर्शी नीति क्यों नहीं है?
13. जब कम्पनी अपनी मूल लागत से बहुत अधिक वसूल चुकी है तो इस टोल को उ.प्र. सरकार बंद क्यों नहीं करा रही है?

होंडा अमेज में गड़बड़ी एवं उपभोक्ता विरोधी रवैये पर एक पत्र

सुश्री बरखा बाल्यान, C R M (मैनेजर)
प्राइम होंडा/CAPITAL CARS PVT LTD.,
वैशाली, गाज़ियाबाद (उत्तर प्रदेश)

महोदया नमस्कार,

सर्व प्रथम मुझे आपको अवगत करना है कि मेरे द्वारा (HONDA CARS INDIA LIMITED) की CUSTOMER CARE नंबर 1800113121 पर मेरी होंडा अमेज़ कार P 14 CE 9078 में WARRANTY PERIOD (2 YEARS/40000 Kms) के दौरान इंजन में आई खराबी को लेकर कई शिकायतें दर्ज़ करवाई थी।

परन्तु HCIL द्वारा मेरी जायज़ शिकायत की कोई सुनवाई नहीं की गई और (HCIL) द्वारा WARRANTY CONDITIONS का अनादरण कर, कार इंजन मरम्मत हेतु (PRIME HONDA VAISHALI DEALER) द्वारा मुझ से रुपये 37,749/- लिए गए ।

जब मैंने अपने आप को HCIL द्वारा ठगा पाया और मेरी शिकायतों पर जब HCIL द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई तो मैंने हार कर अपना दर्द बयान करने के लिए अपनी HONDA AMAZE (P 14 CE 9078) पर लिख दिया 'SAY NO TO HONDA AMAZE', 'इंजन में पानी घुस जाता है', 'दुखी ग्राहक 9311207547', 'HONDA REFUSED TO HONOUR WARRANTY', 'मैं तो खूनी आंसू रो रहा हूं... आप मत रोना', 'HONDA AMAZE इंजन में पानी घुसने की कम्पनी की कोई वारंटी नहीं'।

मेरे कुछ मित्रों ने मेरे होंडा अमेज के फोटो वॉट्सएप एवं फेसबुक पर पोस्ट कर दिए। एक वेबसाइट www.rushlane.com ने मुझ से सम्पर्क किया और मेरी आपबीती, दुखद घटना को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड किया है जिसे इस URL LINK पर देखा जा सकता है http://www.rushlane.com/honda-amaze-diesel-engine-warranty-probelm-12198518.html

Rushlane website को बताई गई मेरी दुखद घटना के प्रत्युत्तर (जवाब) में HCIL ने rushlane website को बताया है कि मेरे (Sanjeev Gupta) द्वारा social media पर HONDA AMAZE CAR (P 14 CE 9078) के चित्र डाला जाना HCIL के लिए (slander) मानहानिजनक है। और HCIL MANAGEMENT द्वारा एक झूठी मनगढ़ंत कहानी मुझे दोषी ठहराने के लिए मेरे खिलाफ बनाई गई है, जो कि इस प्रकार है- UPDATE – 17th June 2016 Honda Cars India has given the following statement to RushLane.

"Sanjeev Gupta purchased his car 2 years ago. He had come to one of our dealerships with reported white smoke coming from the engine on 13 July 2015. The car was thoroughly checked and water marks were observed near the top end of AC condenser, air filter was found to be wet and other engine parts also had water marks at substantial height. On inspecting the engine cabin, it could be clearly established that the car had been driven through deep water-logged road to the extent that water was also found on the floor of passenger cabin and at the components stated above. With those observations, we concluded that the engine trouble was caused by Hydro Static lock on the engine as the water was sucked into the engine through the air suction passage and damaged critical engine parts.

The car was repaired subsequently after receiving consent from the customer and he paid the requisite repair charges. Since then, his car has been running fine and has driven more than 7000 kms and also got periodic maintenance done from another authorized dealer in February 2016.

However, he put up pictures of his car, on which he wrote a lot of slanders, and started to carry out a campaign against Honda on social media. After his car was repaired, the customer had never approached us for any concern and the campaign was suddenly started. We have attempted several times to reach him and speak to him during the last several days to address his concern, but we haven't received any response from him.

With reference to his specific complaint that Honda is not offering him warranty on his engine, we would like to clarify that water ingress in any normal internal combustion engine may cause damage to critical engine parts like piston rings, cylinder head etc. Since the damage to these parts is not caused due to any inherent defect in them, these damaged parts are not covered under the purview of vehicle warranty. This is an established industry norm among all manufacturers.

We believe that our repair job and warranty judgment was properly conducted for the customer. We would like to express our concern that the propaganda by Mr Sanjeev Gupta is not reasonable."

अपनी गलती को न मानते हुए, और सोशल मीडि;ा पर HCIL की छद्म वारंटी शर्तों की पोल खुलने से बौखलाए हुए HCIL मैनजमेंट के K. P. SINGH (AREA MANAGER -MARKETING -HCIL) ने अपने मोबइल नंबर 7838313013 से 21/5/2016 (17:28 बजे) मेरे मोबाइल नंबर 9311207547 पर होंडा कम्पनी द्वारा मुझ पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दी। इसके अलावा भी मेरी मानसिक शांति को भंग करते हुए (मुझे समझाने) के लिए मेरे मोबाइल फोन पर समय-बे-समय होंडा कंपनी के विभिन्न अधिकारियों, डीलरों, कर्मचारियों की लगभग 17-18 कॉल आईं। जो कि मेरे MOBILE फोन में (SAVED) हैं।

मौलिक भारत के वरिष्ठ सदस्य संजीव गुप्ता की यह हौंडा अमेज़ गाड़ी देश दुनिया में चर्चा का विषय बन गयी है। आज रेड एफ़एम भी इस गाड़ी के बारे में चर्चा कर रहा है। हमारे पास प्रतिदिन 200 से 250 तक शिकायतें घटिया गाड़ियों के संबंध में आ रही हैं। देश में पिछले एक दशक में यूपीए सरकार की मेहरबानी से यूरोप, अमेरिका, जापान और कोरिया की गाड़ियों को देश में धडाधड़ प्रवेश दिया गया और इन विदेशी कंपनियों ने सरकारी अधिकारियों और नेताओं को मोटा कमीशन देकर घटिया और भारत की सड़कों के लिए अनुपयुक्त गाड़ियों से देश को पाट दिया। यह गाड़ी भी उन घटिया गाड़ियों में से एक है। भारत में हर दो में से एक गाड़ी का खरीदार खुद को ठगा महसूस कर रहा है। मौलिक भारत शीघ्र ही इस लूट और घोटाले के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन भारत सरकार को सौपने वाला है ताकि इन लुटेरी कंपनियों पर लगाम लग सके।

यहां तक कि जापान स्थित HCIL के (CHIEF MECHANICAL ENGINEER) MR. RAHUL (PHONE NO +00123456 एवं +2347085827877) ने भी दिनांक 10/6/2016 को मेरे मोबइल फोन पर मुझ से सम्पूर्ण घटना की जानकारी ली।

पहले तो मैंने अपना दुख लेकर HCIL के CUSTOMER CARE NUMBER पर कई फोन किए और ईमेल लिखी परन्तु आप (सुश्री बरखा बाल्यान) ने मुझे ही दोषी ठहराते हुए ईमेल (DATED 14/7/2015) भेज कर मुझे बताया गया कि मेरी HONDA AMAZE CAR UP14CE 9078 के इंजन में पानी घुस गया है और कार का AIR FILTER भी गायब है।

अब आपके (सुश्री बरखा बाल्यान) एवं श्री नंदा द्वारा भी मुझे कई फोन किए गए हैं और दिनांक 17 जून 2016 को आपका ईमेल पत्र मिला। आपके एवं श्री नन्दा द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था कि प्राइम होंडा के वैशाली अथवा दिल्ली स्थित शो रूम (कोन्फेरेंस हाल) पर एक मीटिंग रख ली जाये जिसमे कि (PRIME HONDA DEALERSHIP) एवं (HONDA CARS INDIA LIMITED) के अफसरान मौजूद रहेंगे और (WARRANTY PERIOD) में मेरी कार के इंजन में आई खराबी को ठीक करने के लिए मुझ से लिए गए 37,749 रुपये के संदर्भ में मेरी संतुष्टि हेतु चर्चा करना चाहते हैं।

चूंकि मेरे द्वारा HONDA AMAZE कार UP14CE9078 पर अपनी आपबीती (दर्द बयान) करने के लिए लिखें गए वाक्य एवं उसके बाद HCIL के अधिकारी K.P. SINGH द्वारा दी गई मुकदमे की धमकी से मेरे और HCIL एवं PRIME HONDA VAISHALI के मध्य एक अविश्वास का माहौल पैदा हो गया है। मुझे आशंका /भय है कि HCIL द्वारा कहीं मुझे जान से मरवाया जा सकता है, या सड़क चलते मुझे और मेरी कार को एक्सीडेंट में कुचलवाया जा सकता है , या मेरे घर के सामने खड़ी मेरी गाड़ी को उठवाया जा सकता है अथवा आग लगाई जा सकती है।

आपके द्वारा भेजे गए ईमेल पत्र दिनांक 17/6/2016 को मैंने अपने सहयोगियों (मौलिक भारत ट्रस्ट) के पदाधिकारियों एवं मेरे पत्रकार मित्रों एवं मेरे एडवोकेट इत्यादि को दिखाया। सभी का एकमत विचार है कि चर्चा का स्थान PRIME HONDA वैशाली अथवा दिल्ली स्थित शो रूम (कोन्फेरेंस हॉल) न होकर कोई अन्यत्र (सार्वजनिक स्थान) गाज़ियाबाद अथवा नोएडा में हो।

33476 किलोमीटर होंडा HONDA AMAZE CAR चलाने तक मैं एक संतुष्ट ग्राहक था। और HONDA AMAZE या होंडा की अन्य ब्रांड CITY/CIVIC कारों को खरीदने के लिए अपने मित्र सम्बन्धियों को प्रेरित भी करता था। परन्तु दिनांक 13/7/2015 को मेरी कार के इंजन में आई खराबी और PRIME HONDA एवं HCIL के ग्राहक विरोधी रवैये से और वारंटी से मुकर जाने से मेरे मन में भी होंडा कंपनी के QUALITY ASSURANCE एवं CUSTOMER FRIENDLY होने के दावों, मापदंडों के प्रति अविश्वास पैदा हो गया है।

मेरी कार HONDA AMAZE (UP14CE 9078) के इंजन में वारंटी PERIOD में आई खराबी, और खराबी को दूर करने के लिए मेरे द्वारा HCIL को दिए गए रुपये 37,749 के संदर्भ में मुझे स्पष्ट करना है कि मुझे HCIL अथवा PRIME HONDA से किसी भी प्रकार से प्रलोभन जैसे कि रुपये वापसी /इंजन नया बदलना /या नई कार लेने की कोई चाहत नहीं है।

मेरी चाहत है कि भारतीय कार बाज़ार में होंडा की कारें CITY/CIVIC/JAZZ/BRIO/BRV/MOBILIO अन्य कारों के मुकाबले खूब बिकें, परन्तु इसके लिए HCIL को अपनी हिन्दुस्तानी कार- ग्राहक विरोधी नीतियों को बदलना होगा और कार इंजन के DESIGN में बदलाव हेतु पुन: अध्ययन करना होगा। और HONDA की विभिन्न कारों को भारतीय बाज़ार में बेचने से पहले भारत के मौसम (सर्दी गर्मी बरसात), हिन्दुस्तानी शहरों की टूटी फूटी गड्ढा युक्त सड़कों और पेट्रोल पम्पों पर बिक्री होने वाले मिलावटी पेट्रोल अथवा डीज़ल को ध्यान रख कर वारंटी शर्तों को फिर से तय करना होगा।

अगर HCIL एवं PRIME होंडा मेरे सुझाव पर सहमत हो तो चर्चा हेतु स्थान, तिथि एवं समय पर विचार किया जा सकता है। चर्चा दौरान मेरे साथ मेरे संगठन के सहयोगी, वकील एवं पत्रकार मित्र भी रहेंगे।

वन्दे मातरम

संजीव गुप्ता (ENGINEER)
MEMBER MAULIK BHARAT TRUST
DATED 22/6/2016

डीएनडी टोलमुक्त कराने हेतु मौलिक भारत की अत्यंत प्रभावी और सफल जनजागरण यात्रा

मौलिक भारत की डीएनडी टोल मुक्त कराने हेतु जनजागरण यात्रा का आयोजन अत्यंत सफल रहा। हमारी गाज़ियाबाद इकाई की ओर से 150 कार्यकर्ताओं और नोएडा इकाई की ओर से 100 कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी मोटरसाइकलों के साथ इसमें भाग लिया। इसके अतरिक्त 25 के आसपास कारों ने भी भाग लिया। 60 किलोमीटर से भी अधिक मार्गों पर जन जागरण करते हुए जब यात्रा डीएनडी फ्लाईओवर पर पहुंची तो लगभग 1 घण्टे फ्लाईओवर को टोलमुक्त करा दिया गया। इस अवसर पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से टोल घोटाले को उजागर किया गया। डीएनडी लूट के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े इस आयोजन में शहर के अनेक सामाजिक संगठनों, भूतपूर्व सैनिकों और व्यापक जनसहभागिता ने शासन प्रशासन और राजनीतिक दलों सब में हड़कम्प मचा दिया। आयोजन के संयोजक मौलिक भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विकास गुप्ता थे।

मौलिक भारत का प्रचण्ड प्रदर्शन, डीएनडी रहा दो घंटे टोल मुक्त

डीएनडी टोल के खिलाफ अपने अभियान को और आगे गति देने के लिए दिनांक 18 जून 2016, दिन शनिवार, सायं 4.30बजे डीएनडी लूट के खिलाफ 'जनजागरण यात्रा' निकाली। यह 'जनजागरण यात्रा' मोटर साइकिल द्वारा शहीद स्मारक पार्क सेक्टर 29 नोएडा से शुरू होकर पूरे शहर से होते हुये डीएनडी टोल पर ख़त्म हुई। इस जनजागरण यात्रा को ब्रिगेडियर अशोक हक(रि0) एवं कर्नल अब्दुल रसूल खान (रि0) ने वीएसएम झन्डा दिखाकर शुरू किया तथा इस अवसर पर भूतपूर्व सैनिक व शहर के अन्य गणमान्य नागरिक नवाब सिंह नागर, विनोद त्यागी ,सुदेश अवाना, अशोक श्रीवास्तव, टी एन गोविल, साधना चौहान आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल पर 'हरिओम शरणम' नुक्कड़ नाटक मंडली द्वारा 'छ्छ्छ पोल खोल' नाटक का मंचन भी किया गया। मोटर साइकिल रैली में कप्तान विकास गुप्ता के अतिरिक्त करण सिंह ठाकुर , पुनीत गोस्वामी ,वरुण शर्मा , पिंकी चौधरी, नीरज सक्सेना निखिल गुप्ता अमित पहलवान, अनिल गुप्ता, राम देव शर्मा, राजेश गोयल, पप्पू यादव, ब्रजपाल चौहान, अजय गर्ग, राकेश खंडेलवाल, रिंकू यादव, अवनीश कुमार सिंह ने भाग लिया।

झूठे शपथ पत्र के मामले में

कुतर्कों की खान केजरी - कोर्ट ने कहा बेल कराना जरूरी

सक्सेना और अनुज अग्रवाल के द्वारा दायर झूठे शपथ पत्र के मामले में शिकायत पर जारी सम्मन के जवाब में केजरीवाल ने अपने वकील के माध्यम से अजीब कुतर्क दिया कि वह व्यस्तता के कारण बेल कराने नहीं आ सकता। अत: उसे इस प्रक्रिया से मुक्त समझा जाये और कोर्ट में पेशी से छुट देते हुए ट्रायल जारी रखा जाए। कोर्ट ने केजरीवाल के वकील के कुतर्कों को मानने से इंकार कर दिया और अगली तारीख पर स्वयं उपस्थित होकर बेल बांड भरने के आदेश दिए। साथ ही आदेश दिया कि ट्रायल के समय आरोपों का जवाब देने स्वयं उपस्थित रहना होगा। अगली तारीख 24 दिसंबर की है। साथियों, आज का आदेश ऐतिहासिक है। अब केजरीवाल पूरी तरह चंगुल में फंस गया है। हमारे वकील राहुलराज मलिक ने केजरीवाल के वकीलों के सारे तर्कों को छिन्न भिन्न कर दिया। थोड़ा समय जरूर लगेगा किंतु इस फर्जीवाल का अंत निश्चित है।

बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी?

चुनाव आयोग को दिए गए अपने शपथ पत्र में अरविंद केजरीवाल ने जितने झूठ बोले हैं और अपने झूठ को सच साबित करने के लिए जो फर्जीवाड़े किये हैं, मौलिक भारत के माध्यम से नीरज सक्सेना जी और मैने सब की सबूतों सहित शिकायत चुनाव आयोग, उच्च न्यायालय और अंतत: जिला न्यायालय में की थी। प्रॉपर्टी छुपाना, उनकी कीमत कम दिखाना, उनके गलत पते देना, गाजियाबाद में रहते हुए भी खुद को दिल्ली का नागरिक बताना, पत्नी बच्चों से संबंधी जानकारी छुपाना आदि हमारे प्रमुख आरोप हैं। इस मामले में न्यायालय ने प्रथम दृष्टया सबूतों को सही माना है और केजरीवाल के खिलाफ सम्मन जारी किये हैं। 31 अगस्त को केजरीवाल को इस मामले में जमानत करानी थी। अभी तक बड़ी चालाकी से वो मौलिक भारत के प्रश्नों और आरोपों से बचते रहे और मीडिया को मैनेज करते रहे। पर कब तक? अब ट्रायल शुरू हो गया है और केजरीवाल को हमारे हर आरोप का जवाब देना ही पड़ेगा और हमारे वकील राहुराज मलिक उसको आइना दिखाएंगे। धीमे धीमे उनकी विधायकी और मुख्यमंत्री की कुर्सी सरकती जा रही है और हथकड़ी और जेल पास आ रही हैं। ईश्वर ने इस सदी में लोकतन्त्र के सबसे बड़े ठग को सबक सिखाने के लिए उलटी गिनती शुरू कर दी हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ मौलिक भारत ट्रस्ट की आपराधिक शिकायत संख्या : 24/01/14 स्वीकार किए जाने के बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुश्री स्निग्धा सरवरिया, कोर्ट संख्या 21, पटियाला हाउस कोर्ट परिसर नयी दिल्ली द्वारा 21/3/2016 को केजरीवाल के खिलाफ सम्मन जारी किये गए थे।

Chief Metropolitan Magistrate, New Delhi, PHC
IN THE COURT OF Ms. Snigdha Sarvaria
Metropolitan Magistrate
Criminal Cause List Dated 31-08-2016 Total Cases-37

Case Type	Old Case No.	Case No.	Title	Hon'ble
Misc./Appearance				
1 CI Cases	24/01/2014	20794/2016	NEERAJ SASENA ANUJ KUMAR AGGARWAL Vs. ARVIND KEJRIWAL	[illegible]

अरविंद केजरीवाल जो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं के विरुद्ध मौलिक भारत संस्था ने दिल्ली विधानसभा चुनाव-2013 में अरविंद केजरीवाल द्वारा निर्वाचन आयोग को दिए शपथ पत्र में गलत जानकारी देने के आरोप में एक आपराधिक शिकायत फरवरी 2014 में दर्ज करायी थी। इस शिकायत पर सम्मन जारी करने से पूर्व संस्था के पदाधिकारियों व याचिकाकर्ताओं नीरज सक्सेना एवं अनुज अग्रवाल की गवाही पूर्ण की जा चुकी है व अपने सभी आरोपों के पक्ष में प्रमाणित दस्तावेज अदालत में जमा करा दिए हैं। इस मामले में मौलिक भारत के वकील राहुल राज मलिक हैं।

मौलिक भारत ट्रस्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ इस संदर्भ में जो 'आपराधिक शिकायत' धारा 125 जन-प्रतिनिधित्व कानून 1951, धारा 31 जन-प्रतिनिधित्व कानून 1950 तथा धारा 177 IPC की धाराओं में की थी उसमें अरविन्द केजरीवाल को छ: माह से 2 वर्ष तक कुछ भी सजा हो सकती है ।

अरविन्द केजरीवाल द्वारा विधानसभा चुनावों -2013 के समय चुनाव आयोग को दिया गया शपथ पत्र गलत जानकारियों से भरा झूठ का पुलिंदा है। वही शपथ पत्र अरविन्द केजरीवाल द्वारा वाराणसी लोक सभा चुनाव 2014 एवं दिल्ली विधान सभा चुनाव 2015 में भी निर्वाचन आयोग के समक्ष भरा गया है। जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति तथा उसके पते आदि के बारे में गलत सूचनाएं दी हैं।

विधान सभा चुनाव 2015 के दौरान भी कौशाम्बी, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में निवास करते हुए अरविन्द केजरीवाल ने चुनाव आयोग को बदल-बदल कर 514 VBP HOUSE एवं B.K. DATT COLONY में अपना छद्म निवास दिल्ली में बताया है । वह गलत प्रक्रिया व धोखाधड़ी से दिल्ली विधान सभा का चुनाव-2013 एवं दिल्ली विधान सभा चुनाव-2015 चुनाव जीते हैं। अब उनके खिलाफ न्यायालय में अपराधिक मुकदमा लंबित है । ■

सेवा में,
श्री बी.एस. बासवान
अध्यक्ष, विशेषज्ञ समिति
संघ लोकसेवा आयोग
शाहजहां रोड, नई दिल्ली

विषय : भारतीय सूचना सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम, परीक्षा के पैटर्न आदि में मीडिया/संचार विषय की व्यापकता और सेवा को विशेषज्ञ सेवा के रूप चिह्नित करने के संदर्भ में

महोदय,

संघलोक सेवा आयोग की वेबसाइट से ऐसा ज्ञात हुआ है कि आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न, स्कीम व अन्य संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है और इस संबंध में सर्वेक्षण आदि के माध्यम से विभिन्न अंशधारकों की राय भी ली जा रही है। हमने सर्वेक्षण में भाग लेकर अपनी बात रखने की कोशिश की लेकिन वहां केवल वैकल्पिक प्रणाली होने के कारण पूरी बात रखे जाने की संभावना नजर नहीं आयी। अत: समिति से विस्तृत संवाद के लिए यह पत्र लिखा गया है।

महोदय, संघलोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा और अन्य विशेषज्ञ सेवाओं की परीक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारतीय सूचना सेवा के संदर्भ में ऐसा लगता है कि मीडिया व संचार के छात्रों के साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है और उनके वाजिब हक के पद अन्य छात्रों के हिस्से अनुचित रूप से जा रहे हैं। साथ ही भारतीय सूचना सेवा की सेवा प्रोफाइल, जो डीओपीटी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, (अनुलग्नक 4) को देखते हुए यह कहा जा सकता है इस सेवा के लिए विशेष योग्यता मानकों की जरूरत है। अत: हमारा निवेदन है कि भारतीय सूचना सेवा के योग्यता मानकों में मीडिया/जनसंचार की विशेषज्ञता को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। इसके प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं:

- अर्थशास्त्र, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, सांख्यिकी, भूगर्भशास्त्र आदि तमाम विषयों के छात्रों के लिए विशेष परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और विषय विशेषज्ञता के आधार पर उन्हें भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय अभियांत्रिकी सेवा, संयुक्त चिकित्सा सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, भारतीय भूगर्भ सेवा जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं में योगदान का अवसर प्राप्त होता है। भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा तो सिविल सेवा परीक्षा में ही होती है परंतु मुख्य परीक्षा अलग से होती है।
- दूसरी ओर, भारतीय सूचना सेवा नाम से एक संगठित ग्रुप 'ए' सेवा के अस्तित्व में होने के बावजूद न तो इसमें भर्ती के लिए अलग से परीक्षा होती है और न ही इस सेवा में प्रवेश के लिए भी कोई विशेष योग्यता-मानक तय किये गए हैं।
- संचार एक विशेषज्ञता का कार्य है और इस कार्य को अंजाम देने के लिए ही भारतीय सूचना सेवा का गठन विशेषज्ञ सेवा के तौर पर किया गया था। इस सेवा में पेशेवराना अंदाज की महत्ता को देखते हुए ही 1959 में इसके गठन के समय से लेकर 1980 के दशक की शुरूआत तक इसमें शीर्ष पदों पर पेशेवर पृष्ठभूमि के लोगों को वरीयता दी गयी थी। वर्ष 1987 में भर्ती नियमावलियों में संशोधन के बाद यह स्थिति बदल गयी है और सेवा में शीर्ष पदों पर पेशेवर लोगों की उपस्थिति नगण्य हो गयी है।
- देश के लगभग हर विश्वविद्यालय में मीडिया/संचार की पढ़ाई करवाई जा रही है और इनसे हजारों की संख्या में छात्र प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षित हो रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार देश में लगभग 350 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां इन विषयों के अध्ययन के लिए समर्पित विभाग भी हैं। (अनुलग्नक 5)
- इस सेवा के निचले पदों पर विशेषज्ञ बहाल किए जाते हैं लेकिन विशेषज्ञता रहित अधिकारियों के मातहत उन्हें काम करना होता है जिसके कारण उनके कार्यों की गुणवत्ता और सरकार की कार्य दक्षता दोनों प्रभावित होती है।
- मौजूदा व्यवस्था सरकारी खजाने पर एक बोझ भी है क्योंकि भा.सू.से. ग्रुप 'ए' के उच्च पदों पर बहाली के लिए जिन उम्मीदवारों का चयन होता है उनके प्रशिक्षण पर सरकार को मोटी रकम खर्च करनी होती है और साथ ही उनका वेतन आदि तो अलग से देना ही होता है। अगर पहले से प्रशिक्षित उम्मीदवार इसके लिए चयनित किए जाएंगे तो उनके प्रशिक्षण पर अपेक्षाकृत कम समय व धन की खपत होगी तथा कार्य दक्षता

अधिक रहने की उम्मीद की जा सकेगी। मीडिया स्कैन के फरवरी-2016 अंक में प्रकाशित रपट के अनुसार इस प्रक्रिया में सरकार का कम से कम 35-50 लाख रुपये का नुकसान हर साल हो रहा है अत: एक कारगर व्यवस्था बनाकर इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया जा सकता है। (अनुलग्नक 6)

- 1989 में गठित सतीश चन्द्रा समिति भी भा.सू.से. को यथाशीघ्र सिविल सेवा परीक्षाओं से डी-लिंक करने की सिफारिश कर चुकी है। (अनुलग्नक 7)
- मौजूदा भा.सू.से. नियमावली आखिरी बार 1987 में संशोधित की गयी थी। तब से अब तक मीडिया की प्रकृति बहुत बदली है। ट्विटर/फेसबुक/वाट्सअप/यूट्यूब जैसे क्रांतिक संवाद-मंचों ने मीडिया और मीडिया प्रबंधन का गणित ही बदल दिया है। इस कारण भी सरकारी मीडिया तंत्र में कौशल युक्त कार्मिकों की प्रधानता अधिक प्रासंगिक मालूम हो गयी है।
- स्वयं भा.सू.से. ग्रुप 'ए' अधिकारी संघ ने इस सेवा की समीक्षा की मांग सातवें वेतन आयोग से की है और आयोग ने यह मांग स्वीकार भी की है। (अनुलग्नक 8)
- कुछ राज्यों की सूचना सेवाओं में प्रगतिशील रूख अपनाते हुए जनसम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जनसंचार में विशेषज्ञता अनिवार्य कर दी है। (अनुलग्नक 9, 10, 11)

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर एक बार फिर से निवेदन है कि सिविल सेवा परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम, परीक्षा पैटर्न आदि का निर्धारण करते समय इन तथ्यों पर भी ध्यान दिया जाए और भारतीय सूचना सेवा की कार्य-प्रकृति देखते हुए इसमें प्रवेश के लिए मीडिया व जनसंचार की पृष्ठभूमि को अनिवार्य किया जाए तथा नियुक्ति की त्रिस्तरीय व्यवस्था के बदले एकस्तरीय व्यवस्था लागू कर इस सेवा का पूर्णत: ग्रुप 'ए' पेशेवर सेवा घोषित किया जाए ताकि इस मानव संसाधन पर सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च भी न्यायोचित साबित हो। इस संबंध में सविस्तार विमर्श के लिए आवश्यकता होने पर टीम मीडिया स्कैन हमेशा उपलब्ध रहेगी।

क. कार्य

1. भारतीय सूचना सेवा से जुड़े अधिकारी प्रचार-प्रसार तंत्र के विभिन्न माध्यमों से सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सूचना पहुंचाना, उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में शिक्षित और जागरूक करने का काम करते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार की सफलता के लिए इस तरह का संचार अपरिहार्य हो जाता है।
2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी, दूरदर्शन में संपादक और संवाददाता के रूप में, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय में प्रचार अधिकारी, विज्ञापन और दृश्य निदेशालय में प्रदर्शनी अधिकारी, प्रकाशन विभाग में संपादक, पत्र सूचना कार्यालय में मीडिया कम्यूनिकेशन अधिकारी, रक्षा मंत्रालय में जनसंपर्क अधिकारी समेत विभिन्न मीडिया इकाइयों और मंत्रालयों में इस सेवा के अधिकारी जनसंचार से जुड़े कार्यों से सीधे जुड़े रहते हैं।

ख. भर्ती प्रक्रियाएं (नियम संलग्न)

1. भारतीय सूचना सेवा में तीन तरह से नियुक्तियां होती हैं। पहली, सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भारतीय सूचना सेवा-ग्रुप 'ए', दूसरी, भारतीय सूचना सेवा सीनियर ग्रेड, ग्रुप 'बी' तथा भारतीय सूचना सेवा जूनियर ग्रेड, ग्रुप 'बी'।
2. भारतीय सूचना सेवा सहित सिविल सेवा की सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य योग्यता सिर्फ स्नातक है।
3. भारतीय सूचना सेवा (सीनियर ग्रेड-ग्रुप बी) की भर्ती संघ लोकसेवा आयोग करता है। इसके लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित भाषा की स्नातक होने के साथ पत्रकारिता/ जनसंचार/जनसंपर्क में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा या डिग्री और पत्रकारिता/जनसंचार/जनसंपर्क के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।

   उल्लेखनीय है कि इस तरह की रिक्तियां बहुत कम निकलती हैं और दो-तीन वर्षों के अंतराल के बाद बमुश्किल 5-10 व्यक्ति इस श्रेणी में नियुक्त होते हैं वह भी भिन्न-भिन्न भाषाओं के लिए। इस तरह मुख्य काम काज की भाषा हिन्दी और अंग्रेजी के पास तो इतने अंतराल पर दो से तीन सीटें ही आ पाती हैं। इसकी पुष्टि संघ लोकसेवा आयोग के माध्यम से इस पद के लिए समय-समय पर की जारी की जाने वाली विज्ञप्तियों के माध्यम से की जा सकती है।
4. भारतीय सूचना सेवा (जूनियर ग्रेड-ग्रुप 'बी') की भर्ती इस समय स्टाफ चयन आयोग करता है। अतीत में इसकी नियुक्ति प्रक्रिया भी संघ लोकसेवा आयोग के पास थी। इसके लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित भाषा में स्नातक होने के साथ पत्रकारिता/जनसंचार/जनसंपर्क में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा या डिग्री है।

इस स्तर पर भी रिक्तियां बहुत कम निकलती हैं। वर्ष 1998 के बाद सीधे 2013 में इस श्रेणी में बहाली की गयी। इस तरह पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाली दो भिन्न पीढ़ियों के लिए तो यह लाइफटाइम अचीवमेंट जैसा रहा लेकिन इस बीच की अन्य पीढ़ियां ऐसे अवसरों से पूर्णत: वंचित ही रही हैं।

अनुलग्नक 2: वर्तमान में भा.सू.से. में पेशेवरों का अनुपात

1. सूचना और प्रसारण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज भारतीय सूचना सेवा में ग्रुप 'ए' के बायोडाटा (वर्ष 2012 तक) के अनुसार 162 अधिकारियों में से 89 मानविकी विषय, 27 विज्ञान स्नातक, 16 इंजीनियरिंग स्नातक, 14 प्रबंधन, 5 वाणिज्य, 5 मेडिकल, 5 विधि और एक शिक्षा विषय से स्नातक हैं।

2. भारतीय सूचना सेवा ग्रुप 'ए' में सीधी भर्ती के माध्यम से आये 162 अधिकारियों का बायोडाटा देखकर पता चलता है कि इस सेवा में प्रवेश के समय ऐसे एक भी अधिकारी के पास पत्रकारिता, जनसंचार, जनसंपर्क और विज्ञापन या इस विधा से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई अकादमिक योग्यता या अनुभव नहीं था।
3. भारतीय सूचना सेवा ग्रुप 'ए' में पूरी तरह पेशेवर (अकादमिक प्रशिक्षण व अनुभव से युक्त) कार्मिकों की संख्या इस सेवा के कुल कैडर क्षमता का महज 12 प्रतिशत के करीब है। यह अवसर इस सेवा के ग्रुप 'बी', सीनियर ग्रेड अधिकारियों को (इस ग्रेड में सीधी भर्ती/ प्रोन्नति के जरिए आये) ग्रुप 'बी' में लगभग दो दशक बिताने के बाद मिल पाता है। अत: यह अवसर ऐसे एक अधिकारी को अपने सेवाकाल के आखिरी पड़ाव में जाकर मिल पाता है जो कि सेवाओं में युवाओं की प्रधानता के सिद्धांत के प्रतिकूल है।
4. भारतीय सूचना सेवा (ग्रुप 'बी' सीनियर एवं जूनियर ग्रेड) में आने वाले ज्यादातर अभ्यर्थी देश की प्रतिष्ठित जनसंचार और पत्रकारिता विश्वविद्यालय से स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल या पीएचडी धारी हैं लेकिन उनकी विशेषज्ञता का लाभ ऊपर वर्णित तकनीकी खामियों के कारण देश और समाज को सीमित मात्रा में मिल पाता है।

अनुलग्नक 3: भारतीय सूचना सेवा-पेशेवर कौशल की जरूरत के प्रमुख कारण

1. देश और दुनिया में सामाजिक और सूचना तंत्र के बदलते परिदृश्य में सरकार और सरकार की रणनीति की आवश्यकताएं बदल गई हैं। सरकार के प्रचार तंत्र, प्रसार, विज्ञापन और मीडिया मैनेजमेंट को बेहतर रखने और लोगों तक सरकार की पहुंच बनाने के लिए मुख्यधारा की पत्रकारिता और जनसंचार से जुड़े पेशेवरों दक्ष व्यक्तियों की आवश्यकता है।
2. सूचना सेवा के अधिकारी सरकार की आंख और कान होते हैं, उन्हें हर वक्त सजग रहना होता है। सोशल मीडिया के दौर में उन्हें और भी ज्यादा सजग रहना होता है। सरकार के खिलाफ पूर्वाग्रह से तैयार की गई मीडिया रिपोर्ट/अभियान/प्रचार का रणनीति का जानकार और प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने के लिए पेशेवर दक्ष अधिकारी की जरूरत होती है।
3. दूरदर्शन, रेडियो और पत्र सूचना कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ऐसे विभाग हैं, जहां दैनिक आधार पर सरकार की रीति-नीतियों, संवाददाता सम्मेलनों, वक्तव्यों, प्रधानमंत्री की यात्राओं के समाचारों, साक्षात्कारों, रिपोर्ट और फीचरों का प्रसारण होता है। समाचार बेहद संवेदनशील विधा है। इनका निष्पादन समाचार पत्र, पत्रिकाओं और पत्रकारिता से जुड़े अभ्यर्थी ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं।
4. रक्षा, गृह, रेल आदि मंत्रालयों में जनसंपर्क अपने आप में सावधानी और संवदेनशील कार्य है। इनकी प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस विज्ञप्ति और प्रचार कार्य के लिए पत्रकारिता का अकादमिक और कार्य अनुभव वाले अभ्यर्थी की आवश्यकता है जिसका फिलहाल अभाव दिखता है।
5. सरकारी नीतियों और उनके सकारात्मक पहलुओं के प्रचार-प्रसार और मुख्यधारा के मीडिया के साथ सोशल मीडिया तक उनकी पहुंच बनाने के लिए विशेष रणनीति की जरूरत होती है। इस रणनीति पर अपने अनुभव के आधार पर अनुभवी और अकादमिक रूप से दक्ष मीडिया प्रोफेशनल बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं।
6. स्वतंत्र मीडिया पेशेवरों व संगठनों को अपने दैनंदिन कार्यों के लिए लगातार सरकारी तंत्र के संपर्क में आना होना होता है और इसके बिना उनका काम बहुत हद तक अधूरा रह जाता है लेकिन उस तंत्र में बैठे गैर-पेशेवर अधिकारी अगर स्वतंत्र मीडिया की प्रकृति, प्रवृति और आवश्यकता को महसूस नहीं कर पाते हैं तो यह संपर्क सहज नहीं रह पाता है और इस कारण लोकहितकारी संचार की प्रक्रिया आपसी खींचतान के कारण बाधित हो जाती है जिससे अंतत: पूरे समाज का नुकसान होता है।

भवदीय

कृते-मीडिया स्कैन (समर्थित मौलिक भारत ट्रस्ट)

यह खुशी की बात है कि संघलोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न, स्कीम व अन्य संबंधित विषयों के अध्ययन का कार्य शुरू कर चुका है और इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से जिन सेवाओं में नियुक्ति दी जाती है, उनमें भारतीय सूचना सेवा ग्रुप 'ए' भी शामिल है जिसका काम काज पूरी तरह मीडिया से संबंधित है और व्यापक रूप से कहें तो यह सेवा मीडिया व संचार के विशेषज्ञों के निमित्त ही बनी है। अत: इस संबंध में हम एक अभिन्न अंशधारक के रूप में अपनी राय आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं।

महोदय, विस्तृत तथ्यों पर जाने के पहले सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा के लिए गठित सतीश चंद्रा समिति (1989) की रिपोर्ट का एक उद्धरण हम यहां उद्धृत करना चाहते हैं। चंद्रा समिति ने भारतीय सूचना सेवा ग्रुप 'ए' में पेशेवरों की बहाली का सुझाव देते हुए पृष्ठ संख्या 16 (अनुच्छेद 4.0707) पर लिखा था, ''कुछ ग्रुप 'ए' सेवाएं जैसे (क) भारतीय प्रतिरक्षा संपदा सेवा (ख) केन्द्रीय व्यापार सेवा (ग) भारतीय सूचना सेवा (घ) भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा और (ङ) भारतीय आयुध निर्मात्री सेवा आदि के लिए मेरिट लिस्ट से पर्याप्त संख्या में अधिकारी नहीं मिलते हैं। सामान्य अभ्यर्थियों की प्राथमिक रूचि में इन सेवाओं को वरीयता नहीं मिलती है। प्राय: इन सेवाओं के लिए अनुशंसित उम्मीदवार ज्वाइन ही नहीं करते हैं।'' यहां ध्यान देने की बात है कि 1989 में लिखित उपरोक्त कथन आज भी उतना ही सत्य है और इस बात का प्रमाण सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिये गये निम्नलिखित आरटीआई जवाबों में मिलता है :

1. भारतीय सूचना सेवा 01.10.2015 को 64 पद सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए खाली थे। (इनमें से सभी रिक्तियां इस वर्ष की नहीं हैं बल्कि पिछले कई वर्षों को मिलाकर यह स्थिति है।)
2. 2002 से लेकर 2013 तक सिविल सेवा परीक्षा (मुख्य व अनुपूरक दोनों सूचियां) के माध्यम से अनुशंसित उम्मीदवारों में से आधे भी इस सेवा

में नहीं टिकते हैं। संलग्न आरटीआई उत्तर में इसका वर्षवार ब्यौरा है।

उपरोक्त दोनों बिन्दुओं से ऐसा मालूम होता है जैसे इस देश में इस सेवा के लिए योग्य उम्मीदवारों का अकाल हो, लेकिन एक खुला सत्य है कि हर वर्ष हजारों की संख्या में मीडिया व संचार का प्रशिक्षण लेकर तैयार हो रहे हैं। यहां लोकसेवा के क्षेत्र में उनके लिए जो सर्वश्रेष्ठ पद हो सकते हैं, उन पर दूसरे लोग काबिज हो रहे हैं, वह भी मजबूरी में। इसलिए, यह वक्त यह सोचने का है कि इस सेवा में कार्य निष्पादन की गुणवत्ता बेहतर रखने के लिए क्या इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों को मौका नहीं दिया जाना चाहिए?

यहां ध्यातव्य है कि सिविल सेवा परीक्षा और अन्य विशेषज्ञ सेवाओं की परीक्षा व्यवस्था को देखते हुए ऐसा लगता है कि मीडिया व संचार के छात्रों के साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है क्योंकि अर्थशास्त्र, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, सांख्यिकी, भूगर्भशास्त्र आदि तमाम विषयों के छात्रों के लिए विशेष परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और विषय विशेषज्ञता के आधार पर उन्हें भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय अभियांत्रिकी सेवा, संयुक्त चिकित्सा सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा, भारतीय भूगर्भ सेवा जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं में योगदान का अवसर प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर भारतीय सूचना सेवा नाम से एक संगठित ग्रुप 'ए' सेवा के अस्तित्व में होने के बावजूद न तो इसमें भर्ती के लिए अलग से परीक्षा होती है और न ही सिविल सेवा परीक्षा के जरिए आने वाले उम्मीदवारों के लिए भी कोई विशेष योग्यता-मानक तय किये गए हैं। यहां उल्लेखनीय है कि गत कुछ वर्षों में भारतीय वन सेवा में भर्ती के लिए प्रारंभिक स्तर की परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा के साथ ही कराई जाती है और आगे के चरणों के लिए विषय विशेष की विशेषज्ञता की परीक्षा ली जाती है साथ ही इस सेवा का विकल्प चुनने वालों के लिए भी विशेष अर्हता के तौर पर जीव विज्ञान से स्नातक होना जरूरी है।

महोदय, व्यापक तौर पर देखें तो यह मसला केवल रोजगार के अवसर तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसकी व्यापकता कुल मिलाकर सरकार व समाज की कार्योत्पादकता तक भी जाती है और एक मीडियाकर्मी के दैनंदिन कार्यों के निष्पादन से भी यह विषय जुड़ा हुआ है। जनता तक विकास की गति की यथास्थिति का यथारूप वर्णन करने के लिए मीडियाकर्मियों को सरकार की उपलब्धियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और अन्यान्य गतिविधियों के बारे में सही-सही और स्पष्ट जानकारी चाहिए होती है। आधिकारिक रूप से सरकार संबंधी ज्यादातर जानकारी मीडियाकर्मियों को भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के जरिए ही मिलती है। इसके लिए आवश्यकता होती है सूचना सेवा के अधिकारियों के पूरी तरह पेशेवर दक्षता के साथ पेश आने की। सवाल यही है कि क्या यह पेशेवर दक्षता उनमें है। यदि है तो किसमें और कितनी।

भारतीय सूचना सेवा के भरोसे कार्यरत कुछ विभागों से तो मीडियाकर्मियों का वास्ता लगातार पड़ता ही है। ये विभाग हैं-

- पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
- विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी)
- समाचारपत्रों के पंजीयक (आरएनआई) इत्यादि

पीआईबी व डीएवीपी केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन इन विभागों की संचालक भारतीय सूचना सेवा में निर्णायक स्तर पर पेशेवर तौर पर दक्ष लोगों की मौजूदगी बहुत सीमित होने और नीतिगत निर्णय में उनकी हिस्सेदारी नगण्य होने के कारण ये विभाग उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं, जितना उन्हें होना चाहिए। नीतिगत निर्णय गैर पेशेवर लोगों के हाथ में होने से डीएवीपी सिर्फ अनियोजित रूप से पैसा बांटने और पत्र सूचना कार्यालय सरकारी कार्यक्रमों, उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में प्रेस विज्ञप्ति जारी करने की महज खानापूर्ति तक सिमटे हुए हैं। ये दोनों विभाग सरकार के आंख और कान हैं, जो सरकार की छवि को पत्र-पत्रिकाओं और समाचार चैनलों के जरिए आम लोगों तक पहुंचाने का काम करता है लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी दोनों विभागों में पेशवर दक्षता के अभाव के कारण यहां बड़ी संख्या में संविदा पर लोगों को नियुक्त किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय-पीआईबी द्वारा चलाए जाने वाले जनसूचना अभियान की प्रभावोत्पादकता इसका एक उदाहरण है।

यहां यह कहना प्रासंगिक होगा कि भारतीय सूचना सेवा में गैर पेशेवर अधिकारियों के गैर पेशेवर रवैए के कारण सरकारी और निजी मीडिया के बीच दोतरफा संवाद उस रूप से हो नहीं पा रहा है, जितनी सरकार को दरकार है। इसका खामियाजा भी सरकार को उठाना पड़ता है। मीडियाकर्मियों के साथ तालमेल बनाने वाले सरकार के अधिकारी यदि पेशागत दक्षता से लैस होंगे तो इससे दोनों ही पक्षों को लाभ होगा। सरकार को यह लाभ होगा कि उसकी योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रम और उपलब्धियों को आसानी से समाचार पत्रों, चैनलों में बेहतर ढंग से जगह मिलेगी। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और डीएवीपी जैसे विभागों के माध्यम से सरकारी नीतियां पेशेवर ढंग से लोगों के बीच पहुंच पाएंगी। मीडियाकर्मियों को यह लाभ होगा कि उनकी सरकार के कार्यक्रमों तक पहुंच आसान होगी और वे सरकार को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे तथा उन्हें आमजन तक पहुंचाकर जनता को जागरूक बनाने की अपनी भूमिका का निर्वाह बेहतर रूप से कर सकेंगे।

अत: डीजेए अपनी ओर से यह सुझाव देना चाहता है कि भारतीय सूचना सेवा में नियुक्ति संबंधी किसी भी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम, परीक्षा पैटर्न आदि का निर्धारण करते समय उपरोक्त बिन्दुओं पर भी ध्यान दिया जाए और इसकी कार्य-प्रकृति देखते हुए इसमें प्रवेश के लिए मीडिया व जनसंचार की पृष्ठभूमि को अनिवार्य किया जाए तथा नियुक्ति की त्रिस्तरीय व्यवस्था के बदले एकस्तरीय व्यवस्था लागू कर इस सेवा का पूर्णत: ग्रुप 'ए' सेवा घोषित किया जाए ताकि इस मानव संसाधन पर सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च भी न्यायोचित साबित हो। इस संबंध में सविस्तार विमर्श के लिए आवश्यकता होने पर दिल्ली पत्रकार संघ हमेशा उपलब्ध रहेगा। हमें उम्मीद है कि इन बिन्दुओं पर विशेषज्ञ समिति में सहानुभूतिपूर्वक तार्किक विचार किया जाएगा और मीडिया/जनसंचार के छात्रों के हितों का ध्यान रखकर उनके लिए बेहतर कदम उठाया जाएगा।

मौलिक भारत राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 जुलाई 2016 की बैठक

भारत सरकार को भेजे गये चार प्रतिवेदन, विशिष्ट कार्य करने वाले सदस्य सम्मानित

राजनीतिक मोर्चे के विकल्प की संभावनाओं को तलाशने के लिए समिति का गठन

मौलिक भारत राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नोएडा स्थित मुख्य कार्यालय ए- 74, सेक्टर 2, में संपन्न हुई। आमंत्रित 100 सदस्यों में से 75 सदस्य उपस्थित रहे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 जुलाई 2016 की बैठक का एजेंडा एवं निर्णय निम्न प्रकार रहे।

1. राष्ट्रीय अध्यक्ष गजेन्द्र सोलंकी द्वारा दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा प्रदेश कार्यकारणी के कार्यों, संगठन के प्रसार और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा के उपरांत ग्राम, पंचायत, वार्ड और प्रत्येक आरडब्ल्यूए तक संस्था का ढांचा खड़ा करने के निर्देश।
2. ऑटोमोबाइल उद्योग में सुधार हेतु भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन पर चर्चा और अनुमोदन। अनुमोदित प्रारूप संलग्न। प्रस्तुति संजीव गुप्ता। सदस्यों के कुछ सुझाव भी आये हैं, जिनको शामिल कर के ही अंतिम प्रस्ताव भेजा जायेगा।
3. दूरसंचार माध्यमों में फैली अश्लीलता को रोकने के संबंध में भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन पर चर्चा और अनुमोदन। प्रस्तुति अनुज अग्रवाल। अनुमोदित प्रारूप संलग्न।
4. भारतीय सूचना सेवा में फैली अनियमितताओं पर भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन पर चर्चा और अनुमोदन। प्रस्तुति रितेश पाठक एवं प्रथक बटोही। मौलिक भारत से जुड़ी मीडिया स्कैन संस्था द्वारा तैयार प्रतिवेदन संलग्न।
5. दिल्ली के विद्यालयों में चल रही अनियमितताओं के संबंध में भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन पर चर्चा और अनुमोदन। प्रस्तुति अमरनाथ ओझा। अनुमोदित प्रारूप संलग्न।
6. डी एन डी टोल मुक्त करने और भ्रष्टाचार के अन्य मुद्दों पर संस्था द्वारा किये जा रहे संघर्ष की आगे की रणनीति का निधार्रण। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शीघ्र वाद दाखिल करने का निर्णय।
7. राष्ट्रसेवा के अपने विशिष्ट कार्यों से संस्था को पहचान दिलाने वाले सदस्य प्रशांत पटेल जिन्होंने दिल्ली के 21 विधायकों को असंवैधानिक रूप से लाभ का पद दिए जाने की शिकायत राष्ट्रपति से की, पिंकी चौधरी जिन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए जमीनी कार्य कर दस हज़ार समर्पित कार्यकर्ताओं का समूह जोड़ लिया है, संजीव गुप्ता जिन्होंने चुनाव सुधार और सुशासन के विभिन्न मुद्दों पर गहन जनजागृति , संघर्ष और क़ानूनी लड़ाई की है, पुनीत गोस्वामी जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर धन एकत्र कर मौलिक भारत के नाम से पाक्षिक समाचार पत्र निकाला और सैंकड़ों लोगों को संस्था से जोड़ा एवं विकास गुप्ता जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अनेक खुलासे कर सुशासन की दिशा में सराहनीय कार्य किया, का सम्मान किया गया।
8. संस्था के भविष्य के स्वरुप (राजनीतिक विकल्प अथवा सामाजिक कार्य या फिर दोनों) एवं योजनाओं पर चर्चा एवं दिशा निधार्रण हेतु अनेक सुझाव आये। अधिकांश सदस्य इस दिशा में सावधानी से सार्थक पहल के पक्ष में थे। इस दिशा में सार्थक पहल हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष गजेन्द्र सोलंकी, कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर दयाल कंसल, संगठन मंत्री सुरेश शर्मा जी को सदन ने अधिकार दिए कि वे समान विचारधारा और कार्यक्रमों वाली अन्य संस्थाओं, संगठनों और राजनीतिक दलों से बातचीत हेतु एक समन्वय समिति बनाएं और अगले एक माह में पूरी कार्ययोजना प्रस्तुत करें।
9. मार्च, अप्रैल, मई और जून में संस्था द्वारा किये गए कार्यों का प्रस्तुतिकरण विभिन्न सदस्यों द्वारा किया गया।

सदन को गजेन्द्र सोलंकी, ईश्वर दयाल कंसल, सुरेश शर्मा, अनंत त्रिवेदी, देवेन्द्र गुप्ता, अमित पहलवान, जितेंद्र तिवारी आदि ने संबोधित किया। उमेश गोड़, राकेश अग्रवाल, मधुसूदन अग्रवाल, संजय गोयल, ऊषा शुक्ला, सुसज्जित कुमार, गोपाल प्रसाद, रोशनलाल अग्रवाल, घनश्याम जी, राकेश सिंह, राजेश गोयल, कर्नल अजय वीर, संजीव अरोड़ा आदि ने बहुमूल्य सुझाव दिए।

प्रतिष्ठा में
माननीय श्री नितिन गडकरी जी
भूतल परिवहन मंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय: देश में ऑटोमोबाइल उद्योग में चल रही अनियमितताओं के संबंध में ध्यानाकर्षण, शिकायत एवं सुझाव

माननीय महोदय,

मौलिक भारत देश में सुशासन और जनकेन्द्रित नीतियों को लागू किये जाने के लिए संघर्षरत संस्था है। पिछले कुछ समय से हमारी संस्था ऑटोमोबाइल क्षेत्र विशेषकर कार कंपनियों द्वारा दी जा रही दोषपूर्ण उत्पादों व सेवाओं एवं उपभोक्ताओं में इससे उत्पन्न आक्रोश व लुटे जाने की भावना और सरकार की निष्क्रियता के कारण सरकार के प्रति जो आक्रोश पैदा हो रहा है वह चिंताजनक है।

हमारी संस्था के सदस्य इंजीनयर संजीव गुप्ता को किस प्रकार हौंडा कार्स इंडिया कंपनी ने दोषपूर्ण उत्पाद और सेवाओं की आपूर्ति की और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा, इसका विवरण इंजीनयर संजीव गुप्ता द्वारा हौंडा कार्स इंडिया कंपनी को लिखे पत्र में जो संलग्न है, विस्तार से मिल जायेगा।

महोदय, मौलिक भारत ने इस धोखाधड़ी के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाया जिसको सोशल नेटवर्किंग साइटों पर लाखों लोगों ने सराहा और शेयर किया तथा विभिन्न चैनलों, रेडियो, अखबारों और वेबसाइटों ने इस अभियान पर विस्तार से लिखा। इसके परिणामस्वरूप हमारी संस्था के पास विभिन्न कार कंपनियों से धोखा खाये हजारों लोगों, जिसमें सैंकड़ों हौंडा कार के भी ग्राहक थे, के फोन आये अथवा उन्होंने हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया। इन सभी लोगों के अनुभवों के आधार पर संस्था देश में विश्वसनीय ऑटोमोबाइल सेवाओं के लिए निम्न सुझाव दे रही है। आपसे अनुरोध है कि इन बिंदुओं पर गहराई से विचार कर यथाशीघ्र लागू किया जाए। सुझाव निम्न प्रकार हैं –

1) देश में जो भी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियां हैं वे सभी अपने अपने केंद्रीकृत उपभोक्ता सहायता नम्बर जारी करने की व्यवस्था करें।

2) सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां जितने भी प्रकार के गुणवत्ता एवं भारतीय मौसम से वाहन के अनुकूलन के प्रमाणपत्र सरकार से लेती हैं, उन सबको कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाये और ग्राहक को दिए जाने वाली बुकलेट में भी।

3) किसी भी प्रकार का वाहन खरीदते समय वाहन कंपनी एवं उपभोक्ता के मध्य वाहन की गुणवत्ता तथा खरीद के उपरांत सेवाओं के विवरण का 100 रुपये (अथवा जितना कानूनन जरुरी हो) के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध होना चाहिए। यह समझौता नोटरी से प्रमाणित होना बाध्यकारी होना चाहिए। इससे ऑटोमोबाइल कंपनियों की जवाबदेही तय करने में आसानी होगी।

4) ऑटोमोबाइल उपभोक्ताओं की शिकायतों के संबंध में अलग न्यायालय होने चाहिए तथा इनमें समयबद्ध तरीके से विवादों के निपटारे के प्रावधान होने चाहिए। किसी भी प्रकार के अपराध सिद्ध होने की स्थिति में भारी जुर्माने और सजा का प्रावधान होना चाहिए।

5) ऑटोमोबाइल कम्पनियों के विदेशी/देसी मॉडल देश में लांच करने से पहले भारत की सड़कों, मौसम के उतार चढ़ाव और उपभोक्ताओं से उनकी अनुकूलता का गहन परीक्षण होना चाहिए और इस हेतु पर्याप्त मात्रा में परीक्षण संस्थान बनने चाहिए।

6) वाहनों के रजिस्ट्रेशन एवं सड़कों की उपलब्धता के बीच संतुलन होना चाहिए।

7) सरकार विशेष अभियान चलाकर मौजूदा ऑटोमोबाइल उपभोक्ताओं (विशेषकर हौंडा अमेज के ग्राहकों से प्राथमिकता के आधार पर) की शिकायतें मंगाए एवं ऑटोमोबाइल कम्पनियों व उपभोक्ता के मध्य समन्वय स्थापित कर मौजूदा शिकायतों का तुरंत समाधान करे।

आशा है आपका मंत्रालय जनहित में उपरोक्त सुझावों को यथाशीघ्र लागू कर ऑटोमोबाइल उद्योग की जवाबदेही तय करेगा और देश के नागरिकों को मिल रही घटिया सेवाओं और अरबों-खरबो की लूट से छुटकारा मिलेगा।

धन्यवाद।

भवदीय

समस्त सदस्य
मौलिक भारत ट्रस्ट

प्रतिष्ठा में,

श्री प्रकाश जावड़ेकर

मानव संसाधन विकास मंत्री

भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय: देश के सभी निजी स्कूलों में फैली अराजकता पर नियंत्रण एवं शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत समाज के कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा मुहैया कराने के सन्दर्भ में

माननीय महोदय,

विनम्र निवेदन के साथ हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि मौलिक भारत राष्ट्रहित में सक्रिय संवेदनशील नागरिकों / संगठनों का एक समूह है जो सामाजिक विसंगतियों के विभिन्न मुद्दों को विभिन्न माध्यमों से सरकार और जनता के समक्ष लाता रहता है ताकि उनका निवारण हो सके। हम अपने संगठन के माध्यम से आपके समक्ष निम्न मांगों को विचार हेतु लाना चाहते हैं।

1. दिल्ली की तरह अन्य राज्यों में भी सभी मान्यता प्राप्त व गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में 20-25 प्रतिशत सीटें समाज के कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा के लिए आरक्षित की जाए।

2. सरकार द्वारा आबंटित सस्ती जमीन पर बने निजी स्कूलों में समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के प्रवेश में हो रही दिक्कतों को दूर करने हेतु जनभागीदारी से स्थायी समितियां बनायीं जाएं जो पारदर्शी तरीके से इस वर्ग के बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करा सकें।

3. दिल्ली के निजी स्कूलों में हो रही खुलेआम लूट को रोकने हेतु प्रवेश, डोनेशन, फीस, ड्रेस, पुस्तकों एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क न्यायसंगत एवं पूर्व निर्धारित हों और वे सरकारी और स्कूल की वेबसाइटों पर स्पष्ट लिखे जाएं।

4. समाज के कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा मुहैया कराने हेतु नामांकन में पारदर्शिता लायी जाये तथा ऐसे संभावित बच्चों का सरकार द्वारा सत्यापन कर उनकी सूची विद्यालयों को सौंपी जाये तथा विद्यालयों के लिए सूची में वर्णित बच्चों को प्रवेश देना बाध्यकारी हो।

धन्यवाद।

भवदीय

समस्त सदस्य

मौलिक भारत ट्रस्ट

मौलिक भारत की मुहिम को मिली जबरदस्त कामयाबी
- 38 प्रतिशत गिरी हौंडा कारों की बिक्री

मित्रों, आप को पूर्व में मौलिक भारत के सदस्य संजीव गुप्ता की हौंडा अमेज के बारे में बताया था कि किस प्रकार कंपनी ने घटिया गाड़ी की उन्हें आपूर्ति की जिसके इंज़न में पानी भर जाता था। अनेक शिकायतों के बाद भी कंपनी ने कोई ध्यान नहीं दिया और पूरे पैसे लेकर ही इंजन को ठीक किया। मौलिक भारत ने देशभर की कार कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को वादे के विपरीत घटिया और त्रुटिपूर्ण उत्पाद देने के खिलाफ संजीव जी का साथ देने का निर्णय किया और उनकी हौंडा अमेज पर कंपनी की सच्चाई लिखकर उसकी फ़ोटो नेटवर्किंग साइटों पर डाल दी जो लाखों लोगो द्वारा शेयर की गयी और करोड़ों लोगों तक पहुंची। जिस कारण हमारे पास कार कंपनियों के सताए हज़ारों ग्राहकों के फोन आये। सच्चाई जान हज़ारों लोगों ने हौंडा कंपनी के उत्पादों का बहिष्कार किया जिसके परिणामस्वरूप पिछले दिनों में जहां यात्री गाड़ियों की बिक्री में 5 प्रतिशत की गिरावट आयी वहीं हौंडा कंपनी की गाड़ियों की बिक्री 38 प्रतिशत गिर गयी। कंपनी की बिक्री अनुमानित 1500 करोड़ रूपये तक घट गयी है। अभियान के अनुभवों के आधार पर मौलिक भारत की राष्ट्रीय कार्यकारणी ने देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को 2 जुलाई को ऑटोमोबाइल नीति में ग्राहकों के हित में परिवर्तन हेतु एक प्रतिवेदन भी भेजा है। उम्मीद है कि भारत सरकार इस दिशा में शीघ्र प्रभावी कदम उठाएगी।

तीन माह के अंदर डीएनडी मामले की सुनवाई पूरी करे उच्च न्यायालय - सुप्रीम कोर्ट

फोनरवा की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने इलाहबाद उच्च न्यायालय को आदेश दिया है कि तीन माह के भीतर फोनरवा की वर्षों से लंबित डी एन डी को टोल मुक्त किये जाने के संबंध में दायर याचिका का निबटारा करे। अगर मौलिक भारत संघर्ष नहीं करता तो फोनरवा उच्चतम

न्यायालय नहीं जाता और उच्चतम न्यायालय इस प्रकार का आदेश नहीं देता।

प्रतिष्ठा में,
श्री वेंकैया नायडु
सूचना प्रसारण मंत्री
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय: सभी प्रकार के संचार माध्यमों पर उपलब्ध/दिखायी जाने वाली अश्लील सामग्री के निस्तारण की अपील के संदर्भ में

माननीय महोदय,

मौलिक भारत संस्था पिछले कई वर्षों से सभी प्रकार के संचार माध्यमों यथा फिल्मों, टीवी, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया, सीडी एवं अन्य माध्यमों पर उपलब्ध/दिखायी जाने वाली अश्लील सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। अनेक सरकारी और संसदीय समितियों का स्पष्ट मत है कि इस प्रकार की सामग्री प्रत्येक मनुष्य के स्वस्थ विकास और नारी की गरिमा के विरुद्ध है, साथ ही इसका बच्चों और किशोरों के मस्तिष्क पर अत्यंत घातक असर पड़ता है। अंतत: ये सब मनुष्य में पशुता व समाज में अराजकता को जन्म देती हैं।

महोदय, आपकी पार्टी ने चुनावों के समय जनता से वादा किया था कि सभी प्रकार के संचार माध्यमों पर भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही सामग्री उपलब्ध रहेगी / दिखायी जायेगी। किंतु आपकी पार्टी की सरकार के दो वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। आज भी दर्शकों और पाठकों को अधिकांशत: पाश्चात्यता और अश्लीलता प्रधान भोंडे व घटिया साहित्य और कार्यक्रमों से ही दो चार होना पड़ता है, जो समाज के विकास के लिए अत्यंत घातक है।

महोदय, हम आपका ध्यान उस रिपोर्ट की ओर खींचना चाहते हैं, जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने कुछ समय पूर्व दी थी। इस रिपोर्ट के अनुसार सेंसर बोर्ड की पिछली अध्यक्ष लीला सेम्पसन के कार्यकाल में सैंकड़ों फिल्मों को गैरकानूनी और अवैध तरीके से प्रमाणपत्र दिए गए थे यद्यपि उनमें अत्यंत आपत्तिजनक सीन/सामग्री/दृश्य थे। उनका आवेदन या तो रद्द किया जाना चाहिए था या वे फिल्में प्रमाणपत्र के साथ दिखाई जानी चाहिए थी। महोदय, आश्चर्य की बात है कि आज तक इस रिपोर्ट पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई।

हम आपके संज्ञान में यह तथ्य भी लाना चाहते हैं कि जैसे जैसे पिछले एक दशक, विशेषकर यूपीए सरकार के कार्यकाल में विदेशी प्रोडक्शन हाउसेस का भारतीय फिल्म निर्माताओं से व्यापारिक समझौते को भारत सरकार ने मंजूरी दी और इसके बाद इनके द्वारा बनायी गयी फिल्मों के माध्यम से पाश्चात्य संस्कृति को हम भारतीयों पर थोप दिया गया और तत्कालीन सरकार व सेंसर बोर्ड इस काम में उनके मददगार बने। इस सन्दर्भ में हमारी मांग है –

1) इस माफिया/ सिंडीकेट के द्वारा किये गैर कानूनी कार्यों और सीएजी द्वारा इंगित गड़बड़ियों की जांच के लिये एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाये और सभी दोषियों को कड़े से कड़ा दंड दिया जाये।

2) ऐसी सभी संदिग्ध, अश्लील, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध और आपत्तिजनक सामग्री को सभी प्रकार के संचार माध्यमों से तुरंत प्रभाव से हटाया जाये।

3) भविष्य में ऐसी किसी भी प्रकार की सामग्री इन संचार माध्यमों पर नहीं उपलब्ध हो पाये इसके प्रभावी उपाय किये जाएं।

4) नशा, ड्रग्स, जुआ, सट्टा, समलैंगिकता, पोर्न, अश्लीलता आदि को बढ़ावा देने वाली किसी भी प्रकार की सामग्री को स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाये और इसका उल्लंघन करने वालों, बढ़ावा देने वालों और इसमें अभिनय करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

5) ऐसे सभी निर्माता, निर्देशक, लेखक, कलाकारों, कर्मचारियों का सामाजिक बहिष्कार और सार्वजनिक निंदा के साथ ही सभी प्रकार के सरकारी सुविधाओं, अनुबंधों और लाभों से वंचित किया जाए।

6) इसके अलावा भी ऐसे सभी उपाय किये जाएं जिससे नारी की गरिमा, बच्चों और किशोरों का भविष्य और भारतीयता की रक्षा हो सके।

धन्यवाद

भवदीय

समस्त सदस्य

मौलिक भारत ट्रस्ट

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष सुश्री मायावती पर पैसे लेकर टिकिट बेचने के आरोप लगाए जाने के संबंध में जांच के लिए अनुरोध

प्रतिष्ठा में
श्री नसीम जैदी
मुख्य निर्वाचन आयुक्त
भारत का निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, नई दिल्ली

विषय - बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष सुश्री मायावती पर पैसे लेकर टिकिट बेचने एवं चुनावों में काले धन के उपयोग के अन्य आरोप लगाए जाने के संबंध में जांच के लिए अनुरोध

माननीय महोदय,
मौलिक भारत संस्था देश में चुनाव सुधारों, सुशासन, पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था की स्थापना हेतु संघर्ष करने वाले समाज के जागरूक लोगों का संगठन है।
महोदय, जैसा कि आपको भी ज्ञात है हाल ही में बसपा के प्रमुख नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्या ने बसपा की अध्यक्ष सुश्री मायावती पर पैसे लेकर टिकिट देने का आरोप लगाया था। समय समय पर पार्टी से जुड़े अन्य नेता और कार्यकर्ताओं ने भी सुश्री मायावती पर इसी प्रकार के आरोप लगाये हैं। संस्था के पदाधिकारियों को बसपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया है कि उनसे मिलने के लिए भी एक लाख रुपये मायावती लेती हैं और कोई रसीद नहीं दी जाती।

महोदय, लगभग प्रत्येक चुनाव के समय आयोग के अधिकारी और पुलिस भारी मात्रा में अवैध धन पकड़ते हैं जो विभिन्न दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा वोटरों को खरीदने के लिए प्रयोग में लाने हेतु जा रहा होता है। स्वयं रिज़र्व बैंक के गवर्नर का अनुमान था कि हाल ही में हुए चार राज्यों (असम, पश्चमी बंगाल, केरल और तमिलनाडु) के विधानसभा चुनावों में साठ हज़ार करोड़ रूपयों का कालाधन इस्तेमाल किया गया। यह सभी घटनाएं एवं सूचनाएं देश में स्वस्थ लोकतन्त्र और संविधान के खिलाफ हैं और एक तरीके से राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आती हैं।

महोदय, इस संदर्भ में हमारी संस्था की मांग है -

1) सुश्री मायावती पर लगाये गए विभिन्न आरोपों की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन हो और अगर आरोपों में सच्चाई पायी जाये तो दोषी के खिलाफ उचित क़ानूनी कार्यवाही हो।
2) उन सभी व्यक्तियों, नेताओं और दलों के खिलाफ समयबद्ध तरीके से उचित क़ानूनी कार्यवाही की जाये जिनके पास से पिछले वर्षों में चुनावों के समय में अवैध धन वसूल हुआ है।
3) आयोग द्वारा इस संबंध में अभी तक की गयी कार्यवाहियों का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाये।
4) देश में सभी प्रकार के चुनाव सरकारी खर्चों पर कराये जाएं।

नोट - स्वामी प्रसाद मौर्य का मीडिया में छपे बयान का लिंक -
http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/bsp-leader-swami-prasad-maurya-resigns-2869181/
रिजर्व बैंक के गवर्नर के मीडिया में छपे बयान का लिंक -
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/state-polls-driving-rs-60000-crore-surge-in-cash-circulation-raghuram-rajan/articleshow/51698394.cms

धन्यवाद।
भवदीय
गजेन्द्र सोलंकी, अध्यक्ष, अनुज अग्रवाल, महासचिव
नीरज सक्सेना, ट्रस्टी, संयोजक, चुनाव सुधार समिति, संजीव गुप्ता, संयोजक, आर टी आई सेल
एवं समस्त सदस्य
मौलिक भारत ट्रस्ट
www.maulikbharat.org

नीट के नाम पर छल

● सुरेन्द्र प्रभात खुर्दिया

राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) के अध्यादेश पर राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के हस्ताक्षर हो ही गए। अब उसको कागज की परत से ढक दिया गया है। तात्कालिक प्रभाव केन्द्र सरकार के लिए संतोष का विषय हो सकता है। जब तक हस्ताक्षर नहीं हुए तब तक खींचतान और असंमजस की स्थिति बनी हुई थी। सरकार की नीट के प्रति क्या मनोदशा थी? कुछ हद तक नागरिक समाज को भ्रम हो गया था, कहीं सरकार की मंशा नीट सिस्टम को ही खत्म करने की तो नहीं थी! शक पर शक करना-होना लाजमी है। यही आगे की दशा और दिशा तय करेगा।

राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ने फिलहाल किन्तु परन्तु पर विराम लगा दिया है। अध्यादेश को लेकर सरकार कितनी 'नीट' है, अब यह सवाल उठना लाजमी है क्योंकि हस्ताक्षर हो जाने के बाद राज्यों के लिए छूट का केवल एक वर्ष का समय ही है। हालांकि मेडिकल कॉलेजों के प्रवेश के लिए लाए गए इस अध्यादेश के तहत निजी मेडिकल कॉलेजों को कोई रियायत नहीं दी गई है। यानी नीट के प्रभाव पूरी तरह लागू रहेंगे। इन दोनों बिन्दुओं ने अपने आप अध्यादेश के औचित्य पर प्रश्न-चिह्न तो लगा ही दिया है। सरकार द्वारा यह अध्यादेश निजी मेडिकल कॉलेजों में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) से छात्रों को छुटकारा दिलाने की नीयत को लेकर निजी मेडिकल कॉलेजों के हित में लाया गया था। परन्तु जो चाहा था वो हो नहीं सका। मौजूदा सरकार की नैतिकता और अनैतिकता पर इनकी दिशा-दशा क्या होगी? वो किस नैतिकता और अनैतिकता का इजहार करेगी। भले ही तात्कालिक प्रभाव से अपने को सन्तुष्ट महसूस कर लें। आगे के साईड इफैक्ट क्या होंगे? यह सोचने वाली और विचारणीय बात है। बाद के साईड इफैक्ट और दिक्कतें पैदा करने वाले या यूं कहूं तो खतरनाक और चुनौतीपूर्ण होने के आसार लग रहे हैं। हम भूल नहीं करे तो उच्चतम न्यायालय के उस मन्तव्य को भुलाया नहीं जा सकता है जिस में सरकार को नीट के तहत मेडकल परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया था। फिर न्यायालय के आदेश के बावजूद क्यों अध्यादेश लाया गया? क्या यह निजी मेडिकल कॉलेजों के प्रवेश में छात्रों की पात्रता में छूट की मंशा का इजहार नहीं करता है? क्या यह केन्द्र सरकार की जल्दबाजी और उतावलेपन के मनोमिजाज को अभिव्यक्त तो नहीं कर रहा है? फिर यह सब जानते हुए अध्यादेश लाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? जैसे तैसे कर के एनडीए सरकार ने 21 वां अध्यादेश पास तो करा लिया, अब आगे अध्यादेश मंजूरी के खिलाफ जो चुनौती आने वाली है उससे कैसे निजात पा सकेंगे। प्रेस रिपोर्टों और खबरानुसार संकल्प एनजीओ के प्रमुख डॉक्टर गुलशन का वक्तव्य है कि वह नीट अध्यादेश की मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। ऐसे ही विरोध के स्वर अन्य राज्यों से भी उठेंगे। दिल्ली का क्या स्टेन्ड होगा जाहिर वह भी इस बात से सहमत होंगे कि उक्त अध्यादेश कानून के तहत नहीं आता है। अर्थात् कानून के जानकारों के अनुसार यह अध्यादेश संविधान और शक्ति के विभाजन के खिलाफ है। न्यायपालिका का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होता है। इसे एक अध्यादेश के जरिए हटाया नहीं जा सकता है। कोर्ट का निर्णय केन्द्र और राज्यों की दलीलें सुनने के बाद लिया गया था। यह अध्यादेश कानूनी तौर पर सही और नीट पर 'नीट' नहीं कहा जा सकता है। भले ही एनडीए सरकार कुछ समय के लिए राहत महसूस कर लें। अब आगे आने वाली चुनौतियों का तो सामना करना ही पड़ेगा। तात्कालिक प्रभाव आंशिक लाभकारी साबित होंगे। बाद के प्रभाव और भयंकर साबित होने जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में दायर होने के बाद ही पता चलेंगे। परन्तु कयासों और कानूनी बात उच्चतम न्यायालय के आदेश में जो उस समय दिया गया था कि सरकार को नीट के तहत मेडकल परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया था। वही दिशा निर्देश आगे आने वाले दिनों में संभावना अभिव्यक्त कर रहे हैं। ■

मौलिक भारत संस्था के महासचिव अनुज अग्रवाल की मेडिकल कॉलेजों की सम्बद्धता एवं प्रवेश में चल रही अनियमितताओं की मुख्य सतर्कता आयुक्त से शिकायत

सेवा में,
श्री के वी चौधरी,मुख्य सतर्कता आयुक्त
केंद्रीय सूचना आयोग, भारत सरकार
ब्लाक, जी पी ओ काम्प्लेक्स, आई एन ए मार्केट,
नई दिल्ली

विषय : मेडिकल कॉलेजों की सम्बद्धता एवं प्रवेश में चल रही अनियमितताओं की शिकायत

माननीय महोदय,
मौलिक भारत संस्था देश में पिछले कई वर्षों से चुनाव सुधार, सुशासन और पारदर्शिता के लिए संघर्ष कर रही संस्था है। हाल ही में हमारे संज्ञान में मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया में चल रही अनियमितता आयी है जिन पर तुरंत रोक और जांच अत्यंत आवश्यक है।
महोदय, चिकित्सा, इसकी शिक्षा और उससे जुड़ी सेवाएं व्यक्ति के जीवन और मरण से जुड़ी हैं। जीने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है और इसके संरक्षण में गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा और सक्षम चिकित्सक प्राथमिक आवश्यकता है। मेडिकल कौंसिल ऑफ़ इंडिया की जिम्मेदारी इन चिकित्सा और चिकित्सक दोनों की गुणवत्ता बनाये रखना है। किंतु तथ्य बता रहे हैं कि यह संस्था अपनी जिम्मेदारी उठाने में पूर्णतः असफल रही है और इसके संचालक और कर्मचारी एक लूट सिंडीकेट में बदल गए हैं।

महोदय, कुछ समय पूर्व ही उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप और लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुरूप मेडिकल शिक्षा में लूट, घटिया सेवाओं और अनियमितताओ को समाप्त करने हेतु सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की एक ही परीक्षा नीट आयोजित करायी गयी थी। साथ ही सभी निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के गहन निरीक्षण कर 26 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता मापदंडों पर खरी नहीं उतरने के कारण रद्द कर दी गयी थी। इस संबंध में हमारी संस्था की निम्न आपत्तियां और शिकायतें हैं-

1) जिन 26 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता एमसीआई द्वारा रद्द कर दी गयी थी वे बिना पुनः मान्यता प्रदान किये किस आधार पर अपने अपने कॉलेजों में विद्यार्थियों का प्रवेश ले रहे हैं और 15 से 30 लाख रुपये फीस व डोनेशन हेतु अवैध रूप से मांग रहे हैं? निश्चित रूप से इस प्रकार के अवैध कार्य में मोटा लेन देन हुआ है। हमारी मांग है कि इस प्रकरण की पूरी जांच हो। अवैध घोषित किये गए इन मेडिकल कॉलेजों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे और सभी दोषियों के विरुद्ध उचित क़ानूनी कार्यवाही हो।

2) राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानि नीट - 2016 के हाल ही में घोषित परिणामों में घोर अनियमितता स्पष्ट दिख रही है। अनपेक्षित रूप से कुल रिक्त सीटों से कई गुना परिणाम घोषित किये गए हैं। कुल 720 अंकों की परीक्षा में 145 अंक प्राप्त करने वाले सामान्य और 118 अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को भी सफल घोषित कर दिया गया है। यहां तक कि दो विषयों में फेल अभ्यर्थी को भी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए उपयुक्त माना गया है। अब खुल्लमखुल्ला निजी मेडिकल कॉलेज अभ्यर्थी से 25 से 45 लाख तक रिश्वत मांग रहे हैं।

हमारी संस्था का आरोप है कि यह पूरा व्यवस्थित और सुनियोजित घोटाला है जिसमें एमसीआई एवं सभी निजी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं, जिसमें अभिवावकों से प्रवेश के नाम पर खुली लूट जारी है और अमीर किंतु बौद्धिक रूप से निम्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के प्रवेश को वैध बना दिया गया है। यह संविधान, संसद और उच्चतम न्यायालय की मूल भावना एवं प्रत्येक भारतीय के जीवन के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, इसलिए अक्षम्य अपराध है।

महोदय, हमारा स्पष्ट मत है कि यह पूरा खेल एक सुनियोजित अपराध है और इस पर तुरंत रोक एवं गहन जांच आवश्यक है, साथ ही दोषियों को कड़ा दंड दिया जाना जरूरी है।
आपसे अनुरोध है हमारी संस्था के उपरोक्त सभी आरोपों पर तुरंत प्रभाव से जांच और कार्यवाही की जाये।
धन्यवाद।
भवदीय
अनुज अग्रवाल
महासचिव
मौलिक भारत ट्रस्ट

राजघाट पर आयोजित हुआ दिल जोड़ो अभियान का शांति मार्च –

मौलिक भारत और सीसीओबीएस का आयोजन

9 अगस्त 2016 को 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर मौलिक भारत द्वारा समर्थित 'दिल जोड़ो अभियान' के अंतर्गत सीसीओबीएस के अध्यक्ष और मौलिक भारत के उपाध्यक्ष उमेश गौड़, मौलिक भारत के महासचिव अनुज अग्रवाल, इक़बाल हुसैन, दिनेश गौड़, जुगल चावला, महेंद्र सिंह, प्रेम चंद्र आदि के नेतृत्व में युवा भारत आदि दर्जनों संस्थाओं के समर्थन के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजघाट से जंतर मंतर तक एक शांति मार्च का आयोजन प्रात: 8 बजे से 11 बजे के बीच किया।

राजघाट पर इस अवसर पर एक सभा का आयोजन किया गया और गांधी जी की समाधि पर श्रृद्धांजलि अर्पित की गयी। मार्च का उद्देश्य देश को जाति और धर्म के नाम पर किये जा रहे विभाजन के विरुद्ध और सामजिक सद्भावना बढ़ाने और व्यवस्था परिवर्तन, अंग्रेजी राज के कानूनों को समाप्त करने के लिए किया गया था।

रास्ते में दिल्ली पुलिस द्वारा सूचित किया गया कि धारा 144 लगी होने के कारण 'दिल जोड़ो आंदोलन' की पदयात्रा को अनुमति नहीं दी जा सकती। वे बस द्वारा हमे राजघाट से जन्तर मन्तर तक छोड़ना चाहते थे। इसके विरोध में संस्था के सैंकड़ों कार्यकर्ताओं ने गिरफ़्तारी दी और इस आंदोलन को आगे निरन्तर जारी रखने का संकल्प लिया।

उत्तर -पूर्व के लिए भारत सरकार

डायलॉग इंडिया और मौलिक भारत की बड़ी पहल

मौलिक भारत से जुड़े पूर्व सचिव, भारत सरकार डॉ.कमल टावरी एवं पूर्व सांसद प्रदीप गांधी जी के प्रयासों से भारत सरकार के पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय (डोनर)के सचिव श्री वर्मा ने मौलिक भारत और डायलॉग इंडिया को एक विशेष जिम्मेदारी दी है। मंत्रालय के सहयोग से हमने Friends of North East in Delhi NCR (PHONE)नामक अनौपचारिक इकाई का गठन किया है। आज विज्ञान भवन स्थित मंत्रालय के कमेटी रूम में इस इकाई की पहली औपचारिक बैठक हुई, जो लगभग तीन घण्टे चली। इस बैठक में मंत्रालय के सचिव नवीन वर्मा जी और तीन अन्य संयुक्त सचिवों के साथ कुछ अन्य विभागों के अधिकारी भी थे। मौलिक भारत और डायलॉग इंडिया की ओर से 12 लोगों ने इस बैठक में हिस्सा लिया जिसमें डॉ टावरी के साथ हमारे अध्यक्ष गजेन्द्र सोलंकी, उप सचिव, भारत सरकार नीरज कुमार और मैं स्वयं तो था ही, साथ ही उत्तर पूर्व में कार्य करने वाले कुछ प्रमुख समाजसेवी, व्यापारी, बिल्डर, पत्रकार आदि भी थे। मंत्रालय ने हमसे कुछ और प्रतिष्ठित लोगों को जोड़ने के लिए कहा था, इस दिशा में पहल करते हुए हमने 28 ऐसे लोगों की सूची सचिव महोदय को दी। इस पहल का प्रमुख पहलू यह है कि उत्तर पूर्व की शेष देश से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दूरी खत्म की जाये। जो भी व्यक्ति बिना किसी लालच या अनुदान की अपेक्षा के इस पहल से जुड़ना चाहता है, उसका स्वागत है। जल्द ही दिल्ली में इस क्रम में एक बड़ी, पूरे दिन की कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा और फिर पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर। उद्देश्य यही कि जो आपके कार्य और अनुभव उत्तर पूर्व के बारे में हैं उनका अधिकतम उपयोग कर उत्तर पूर्व का अधिकतम विकास। डोनर और फोन दोनों उत्तर पूर्व में आपके किसी भी प्रोजेक्ट में सभी प्रकार के समन्वय और सहयोग हेतु तत्पर रहेंगे। अगर आप इस पहल से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे अपना प्रस्ताव और प्रोफाइल maulikbharat@gmail.com या dialogueindia.in@gmail.com पर भेज सकते हैं।

कुछ राज्यों की मांग 1.5 करोड़ से कम आय वाले करदाता सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के संग्रहण अधिकार राज्यों को ही दिए जाने का मौलिक भारत ट्रस्ट द्वारा विरोध

सरकार से आग्रह - राज्यों के दबाव में आकर कोई संशोधन न करे

दिनांक 22 सितम्बर 2016 को मौलिक भारत ट्रस्ट के ट्रस्टी अनुज अग्रवाल, पवन सिन्हा, अनंत त्रिवेदी, ऊषा ठाकुर, सुसज्जित कुमार, गजेन्द्र सोलंकी, ईश्वर दयाल कंसल, राजेश गोयल, अमरनाथ ओझा, उमेश गौड़, नीरज सक्सेना, एवं विकास गुप्ता ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार को एक प्रतिवेदन भेजा और वस्तु एवं सेवा कर में कुछ राज्यो द्वारा 1.5 करोड़ तक की आय वाले करदाताओं से कर संग्रहण अधिकार राज्यों को ही दिए जाने का विरोध किया। संस्था के महासचिव अनुज अग्रवाल ने स्पष्ट करते हुए बताया कि-

कुछ राज्यों की मांग (पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि) 1.5 करोड़ से कम आय वाले करदाता सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के संग्रहण के लिए लेखा परीक्षा और प्रवर्तन सहित स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत आने चाहिए।

अपने पक्ष में कुछ राज्यों के द्वारा दिए गए तर्क

(i) दोहरे नियंत्रण से दो प्रशासनों के साथ कार्य करने की दृष्टि से छोटे करदाताओं के सामने अधिक अनुपालन लागत के कारण अधिक कठिनाई आएंगी, और इससे उनकी प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी और वह 'सुगम व्यापार' के सिद्धांत के विरुद्ध हैं।

(ii) छोटे डीलर राज्य प्रशासन के साथ ही व्यापार करने के आदी होते हैं और वे जीएसटी पद्धति में परेशानी मुक्त परिवर्तन सुनिश्चित करेंगे।

(iii) राज्यों की प्रशासनिक उपस्थिति अधिक होती है और इस प्रकार वे छोटे करदाताओं के साथ बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं।

मौलिक भारत का मानना है कि -

'राष्ट्र की समृद्धि के हित में, एक राजा को हमेशा ही आपदाओं की आशंकाओं के प्रति सजग होना चाहिए, उनके पैदा होने से पहले ही उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए, जो हो रही हैं उनसे उबरना चाहिए, आर्थिक गतिविधि के लिए सभी बाधाओं को हटा देना चाहिए और राज्य की आय के जोखिम से बचना चाहिए।'

जिस समय भारत स्वतंत्रता के बाद के अपने सबसे बड़े कर सुधार गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) की तरफ कदम बढ़ा रहा है, उस समय कुछ राज्यों की स्व-सेवा की मांग पर विचार करते हुए कौटिल्य की इस शिक्षा को ध्यान में रखना होगा।

इन राज्य सरकारों के तर्क में त्रुटियां -

(i) एक छोटा करदाता कौन है? राज्यों की वर्तमान व्याख्या छोटे करदाताओं को लेकर स्पष्ट नहीं है और वह एक ऐसा परिदृश्य प्रस्तुत करती है जहां पर 90 प्रतिशत भारतीय व्यापार संस्थाएं छोटे कर दाताओं के रूप में मानी जाती हैं और यह स्व-सेवा दृष्टिकोण ही अधिक है।

(ii) केन्द्रीय कर प्रशासन सामान और सेवाओं दोनों के लिए बड़े और छोटे करदाताओं के साथ कार्य कर रहा है। सेवा कर में छूट की सीमा केवल दस लाख रूपए है, और चुंगी में तो कई छोटे आकार के उद्योग सेंवेंट क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाने के लिए छूट का लाभ भी नहीं लेते हैं। केंद्र के अधिकतर कर निर्धारण दस लाख से लेकर 1.5 करोड़ की सीमा वाले सेवा कर निर्धारण हैं जो अभी तक केंद्र सरकार के साथ ही कार्य कर रहे थे। और केंद्र सरकार के पास पहले और दूसरे चरण के डीलर का न्यायक्षेत्र होता है, उनमें से अधिकतर 1.5 करोड़ की सीमा में ही आते हैं। इस प्रकार केंद्र पिछले कई दशकों से लाखों छोटे व्यापारियों के साथ कार्य करता हुआ आ रहा है, और आज तक करदाताओं के किसी भी वर्ग ने केंद्र की कराधान प्रणाली से राहत के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई है, जो केंद्र सरकार के पेशेवर कर प्रशासन का प्रमाण हैं।

(iii) केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में सभी कैडर में 80,000 कर्मचारियों की कैडर शक्ति के साथ इस देश की हर इंच भूमि सम्मिलित है। और केंद्र सरकार दो दशकों से सेवा कर क़ानून का प्रबंधन कर रही है और अभी तक केंद्र सरकार के पास बाधा विहीन कर संकलन हुआ है जो 5,000 करोड़ से बढ़कर आज 2,00,000 करोड़ हो गया है।

नहीं मानी मौलिक भारत की मांग

सालाना 1.5 करोड़ रुपये के कारोबार वाले व्यापारी राज्यों के दायरे में आएंगे

देश में पहली अप्रैल, 2017 से लागू होने जा रहा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सालाना 20 लाख रुपये से कम कारोबार वाले व्यापारियों पर नहीं लगेगा। वहीं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में 10 लाख रुपये से कम सालाना कारोबार वाले व्यापारी इसके दायरे में नहीं आएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह अहम फैसला हुआ। इस निर्णय से करीब 60 प्रतिशत व्यापारी व सेवाप्रदाता जीएसटी के दायरे बाहर हो जाएंगे। इससे छोटे कारोबारियों को जीएसटी जमा करने व रिटर्न भरने का झंझट नहीं रहेगा।

केंद्र ने जीएसटी से छूट की सीमा सालाना 25 लाख रुपये का टर्नओवर तय करने का प्रस्ताव किया था। कुछ राज्यों के विरोध के बाद इसे 20 लाख रुपये तय किया गया। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति ने यह छूट सीमा 10 लाख रुपये रखने की सिफारिश की थी। कर छूट सीमा अधिक रहने से छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी। सरकार की कर वसूलने की प्रक्रिया में लागत भी कम आएगी, क्योंकि 60 फीसद के करीब इन छोटे करदाताओं से दो प्रतिशत राजस्व ही प्राप्त हो रहा है।

कर क्षेत्राधिकार का बंटवारा : काउंसिल ने दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय दोहरे नियंत्रण के संबंध में किया है। सालाना 1.5 करोड़ रुपये के कारोबार वाले व्यापारी राज्यों के दायरे में आएंगे। इससे ऊपर वालों पर केंद्र और राज्य दोनों का नियंत्रण होगा। डेढ़ करोड़ से कम टर्नओवर वाले सेवा करदाता केंद्र के ही नियंत्रण में रहेंगे। इनकी संख्या करीब 11.5 लाख है। राज्यों को अभी सर्विस टैक्स लगाने का अनुभव नहीं है। इसलिए ये करदाता फिलहाल केंद्र के अधीन आएंगे। हालांकि पंजीकृत होने वाले नए सेवा करदाता केंद्र और राज्यों के बीच बांटे जाएंगे।

राज्यों को राजस्व की क्षतिपूर्ति : जीएसटी लागू होने से राज्यों को राजस्व हानि की स्थिति में मुआवजे के भुगतान के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इस दौरान काउंसिल में साल 2015-16 को आधार वर्ष मानकर राज्यों के राजस्व का अनुमान लगाने पर सहमति बनी। जीएसटी के लिए जरूरी संविधान संशोधन में स्पष्ट प्रावधान है कि राजस्व हानि की स्थिति में केंद्र पांच वर्षों तक राज्यों की क्षतिपूर्ति करेगा। राजस्व की क्षति का बीते तीन वित्त वर्षों के औसत के आधार पर अगले पांच साल के लिए आंकलन किया जाएगा। क्षतिपूर्ति का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा।

आगे की बैठकों में होगा फैसला : जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 30 सितंबर को होगी। इसमें छूट से संबंधित नियमों पर मुहर लगाई जाएगी। यह भी तय किया जाएगा कि जीएसटी से छूटों को कैसे लागू किया जाए। इसके बाद काउंसिल की तीन दिवसीय बैठक 17-19 अक्टूबर के बीच होगी। इसमें जीएसटी दरों पर फैसला किया जाएगा। इस बीच केंद्र और राज्यों के अधिकारियों की तकनीकी समिति विभिन्न मुद्दों पर आम राय बनाने की कोशिश जारी रखेगी। वह अपनी रिपोर्ट काउंसिल को सौंपेगी।

बंद हों अंतरराज्यीय चेकपोस्ट : जीएसटी लागू होने के बाद सभी अंतरराज्यीय चेक पोस्ट बंद कर दिए जाने चाहिए। वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को यह सुझाव दिया है। इस कदम से एक से दूसरे राज्य में सामानों की मुक्त आवाजाही हो सकेगी। लॉजिस्टिक प्रतिस्पर्धा क्षमता बेहतर होने से निर्यातकों को खासतौर पर लाभ मिलेगा। अभी राज्यों के किसी चेकपोस्ट पर ट्रक को एक घंटे से साढ़े चार घंटे तक का समय लगता है।

वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए जरूरी विधायी और प्रशासनिक ढांचा तैयार करने में जुटी जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक में जबर्दस्त संघीय भावना देखने को मिली। केंद्र और राज्यों के बीच भले ही किसी मुद्दे पर छिटपुट मतभेद हों, लेकिन काउंसिल की दो दिवसीय बैठक में सभी फैसले आम राय से हुए। काउंसिल में पांच अहम मुद्दों पर चर्चा और निर्णय के दौरान एक बार भी मतदान की जरूरत नहीं पड़ी। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक पूरी तरह संघीय भावना के अनुरूप हुई। राज्यों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने राजस्व हितों के मद्देनजर विभिन्न मुद्दे उठाए। बैठक में सबसे अहम निर्णय जीएसटी से छूट की सीमा तय करने के संबंध में हुआ। राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक को सफल करार दिया है। राज्यों ने भी बैठक के नतीजों पर खुशी जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि काउंसिल में संघीय भावना और आम राय को देखते हुए अगले साल पहली अप्रैल से जीएसटी लागू करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, जबकि राज्यों के वित्त मंत्री इसमें बतौर सदस्य शामिल हैं। काउंसिल के उपाध्यक्ष पद पर राज्यों के वित्त मंत्रियों में से किसी को नामित किया जाना है। अभी तक इस पर चयन नहीं हुआ है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 30 सितंबर को होगी। इसी बैठक में मिलेगा छूट संबंधी नियमों के मसौदे को अंतिम रूप।

(iv) दोहरे नियंत्रण और परेशानी के मुद्दे भी बेकार हैं क्योंकि जीएसटी केवल लेखा परीक्षा और अनुपालन के लिए कर चोरी बचाने के लिए सूचना तकनीक आधारित कर आंकलन है। और यहां तक कि आज भी करदाता केंद्रीय चुंगी, सेवा कर, वैट, चुंगी, मनोरंजन कर और अन्य कई राज्य सरकार की संस्थाओं को अलग अलग कर देता है। वर्तमान में छोटे करदाताओं को 5 या 6 अप्रत्यक्ष कर संस्थाओं के साथ कार्य करना होता है, मगर जीएसटी दोहरे नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत उन्हें केवल दो केंद्रीय और राज्य जीएसटी विभागों के साथ ही काम करना होगा।

(1) छोटे करदाताओं के लिए कई दस्तावेजी और अन्य आवश्यकताएं हैं जिन्हें कम किया जा सकता है और उन्हें केवल तिमाही लाभ और योग योजनाएं ही केवल फाइल करनी होंगी।

यह भी सराहना की जा सकती है कि केवल एक ही संस्था को ही करदाताओं से कर संकलन का अधिकार होगा, ऐसी सुविधाओं को सभी करदाताओं के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसी घटना में यह तय करना होगा कि क्या केंद्र अपने हर तरह के अप्रत्यक्ष कर संग्रहण को भूलने के लिए तैयार होगा। उपरोक्त बताए हुए किसी भी मामले में, कर दाताओं को निर्यात संबंधी मुद्दों के लिए और आईजीएसटी संबंधी समस्याओं के केन्द्रीय कर संग्रहण प्रशासन के साथ काम करने की आवश्यकता होगी। हालांकि अगर ऐसा कोई निर्णय ले लिया जाता है कि सभी छोटे कर दाताओं का प्रशासन राज्य सरकार के द्वारा होगा, तो केंद्र के पास केवल उन्हीं करदाताओं के लिए कर इकट्ठा करने का अधिकार होगा जिनकी आय 1.5 करोड़ या 1.5 करोड़ से अधिक होगी जबकि राज्य केवल उन्हीं करदाताओं से कर वसूलेगा जिनकी आय 1.5 करोड़ से कम है।

यह एकल निर्णय प्रस्ताव केंद्रीय सरकार को हमेशा के लिए कमजोर कर सकता है-

भारत राज्यों का एक समूह है, जहां पर संविधान ने वित्तीय संघ संरचना की संतुलित योजना प्रदान की है, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों को उनकी विशेष भूमिकाएं प्रदान की गयी हैं। केंद्र को देश की रक्षा, देश के विकास और परिवहन एवं संचार सुविधाओं के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए संवैधानिक योजना के अंतर्गत वृहद वित्तीय अधिकार दिए गए हैं, केंद्र से राज्यों के बीच एक संतुलित भूमिका निभाने की भी अपेक्षा की जाती है और राज्यों की तरफ से वित्तीय उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित करना होता है। इन कार्यों को प्रभावी तरीके से करने के लिए, केंद्र सरकार को मजबूत वित्त और एक प्रभावी कर प्रशासन की आवश्यकता होती है। यह अनुमान बेवकूफी होगी कि कर प्रशासन के पास कर एकत्र करने की बहुत थोड़ी भूमिका है और इस प्रकार यह भी अप्रासंगिक होगा कि कौन सी संस्था कर एकत्र करती है। केन्द्र सरकार को एक संविधान संशोधन या राज्य/कार्यविधि व्यवस्था के माध्यम से इस महत्वपूर्ण कार्य और भूमिका को करने से रोकना संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ होगी। हमारे राष्ट्र को प्रगति पथ पर आगे ले जाने के लिए एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता है। यह एक प्रस्ताव पूरी केंद्र सरकार को हमेशा के लिए पंगु बना सकता है।

हालांकि वर्तमान में ऐसे करदाताओं का योगदान कम हो सकता है मगर यह श्रेणी उन करदाताओं की है जिनमें इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कर छूट को एक दिन ख़त्म हो जाना है, आय की वृद्धि और कराधान के लिए लचीलेपन के आधार पर अधिकतम और स्थाई संभावना होती है।

यह प्रस्ताव एक प्रभावी जीएसटी के कार्य को बर्बाद कर सकता है-

जीएसटी की तरफ उठाया गया हर कदम कर संरचना को सरल करने, कर आधार का विस्तार करने, कर चोरी को रोकने और ईमानदार कर दाताओं को सम्मानित करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए है। यह सभी हितधारकों अर्थात कर दाताओं, केंद्र और राज्य सरकार के लिए लाभप्रद स्थिति होनी चाहिए। करदाताओं को इस आधार पर बांटने का प्रस्ताव कि 1.5 करोड़ से कम आय वाले करदाताओं की निगरानी केवल राज्य सरकार के द्वारा होगी, जीएसटी के लिए किसी आघात से कम नहीं है। इससे जम्मू और कश्मीर से लेकर केरल तक विभिन्न राज्यों के द्वारा जारी विभिन्न व्याख्याओं के कारण कर दाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा होगी और कर चोरी में वृद्धि होगी। इससे कर पर नियंत्रण में कमी आएगी और अंततः देश के लिए राजस्व क्षति होगी।

1.5 करोड़ से कम वाली आय वाले करदाताओं के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रशासन के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वह होगी एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान की आपूर्ति करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करना या उन लोगों के सामने समस्या आएगी जो अपने सामानों/सेवाओं का निर्यात करते हैं। इन मामलों में, वे जीएसटी के माध्यम से क्रेडिट परिवर्तन का निपटान करना होगा, जिसका प्रशासन केवल केंद्र सरकार के द्वारा होगा। इसी प्रकार निर्यात में छूट/आवधिक आबकारी कर की वापसी जैसी समस्याएं भी केवल केंद्र सरकार के पास ही रहेगी। उदाहरण के लिए, एक काल्पनिक स्थिति में, जहां एक करदाता ने दूसरे राज्य में सेवाओं/सामानों की आपूर्ति की है और क्रेडिट हस्तांतरण की कोई समस्या है, तो निम्न स्थितियां पैदा हो सकती हैं-

i. आपूर्ति करने वाला राज्य एक अंतर्राज्यीय आधार पर सामानों/सेवाओं की आपूर्ति के संबंध में विवाद का हल निकालने से मना कर सकता है। ऐसे किसी भी मामले में जहां पाने वाले राज्य के द्वारा क्रेडिट मना किया जा सकता है, दिए गए शुल्क की वापसी भी मूल राज्य के द्वारा आपूर्तिकर्ता को नहीं दी जा सकती है।

ii. अगर विभिन्न राज्य प्राधिकरणों के बीच समन्वय की कोई कमी है तो समन्वय के धोखे जैसे धोखे की आशंका होती है, केंद्र के पास ऐसे किसी भी धोखे से करदाताओं को बचाने के लिए नियंत्रण और पहुंच होनी चाहिए।

iii. कस्टम अधिकारियों और जीएसटी प्रशासकों के बीच मजबूत समन्वय आवश्यक हो सकता है जो केवल केंद्र के द्वारा ही संभव है।

इस प्रस्तावित मॉडल में जहां 1.5 करोड़ से कम के सभी करदाताओं को केवल राज्य के अंतर्गत ही रखा जाएगा, कुछ और भी समस्याएं आ सकती हैं, जैसे-

1. इससे ऐसी सहभागिताओं की बाढ़ आ जाएगी जिसमें करदाताओं की चिंता केवल बताई गयी आय से कम सीमा में रहने की,

बताई गयी सीमा से कम घोषित करने की होगी, और इससे बेईमान करदाताओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

2. यूरोपियन यूनियन में जब जीएसटी को 2006-11 में लागू किया गया तो कई करों से बचा गया जिन्हें करोसेल फ्रौड (या गुम व्यापारी छल) के रूप में जाना गया, और जिसमें 200 मिलियन यूरो के कर की चोरी हुई। यह धोखा इसलिए हो सका क्योंकि यूनियन के सदस्य देश अन्य राज्यों के दिए गए आंकड़ों को सत्यापित करने में असफल रहे। इसी प्रकार अगर 80 प्रतिशत कर दाताओं को केंद्र सरकार के नियंत्रण से बाहर रखा जाएगा, तो ऐसे कई धोखे होंगे क्योंकि राज्य दूसरे राज्य में कर चोरी के लिए किए जा रहे ऐसे लेनदेनों पर नज़र रखने में अक्षम होंगे।

3. सीमारेखा के सिरे पर कर दाताओं का भाग्य हमेशा ही आय के विभिन्न मदों के बीच झूलता रहेगा और इससे राज्य और दोहरे नियंत्रण के बीच वे पिस सकते हैं।

4. यह समझना भी हमेशा आवश्यक होता है कि बड़े करदाताओं का कर प्रशासन छोटे कर दाताओं के प्रशासन से उसी सप्लाई चेन का छोटा हिस्सा होने और बड़े व्यापार में एकतरफा रुझान के कारण विचलित हुए बिना नहीं रह सकता। और एक श्रेणी पर प्रशासनिक निर्णयों के प्रभाव के परम्परागत ही मूल्य होंगे।

5. लगभग 90 प्रतिशत व्यापारिक संस्थाएं परिदृश्य से और केंद्र सरकार के संपर्क से हमेशा के लिए बाहर हो जाएगी और सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों जैसे मेक इन इंडिया, व्यापार करने की सरलता के लिए स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया पूरी तरह से राज्य सरकारों की दया पर निर्भर हो जाएंगे।

आगे की राह

हमारी संघीय योजना, करदाताओं और एक प्रभावी जीएसटी के हित में केंद्र और राज्य की दोहरे अधिकार की प्रणाली जारी रहेगी। छोटे कर दाताओं के लिए दोहरे नियंत्रण की कठिनाई को पहले ही मॉडल जीएसटी क़ानून के प्रावधानों के अंतर्गत कम कर दिया है और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी की जा सकती हैं।

आरटीआई में खुलासा :

हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारी पिलाते हैं पत्रकारों को शराब

मैं नीरज सक्सेना, ट्रस्टी मौलिक भारत की ओर से आपको याद दिलाना चाहता हू कि हाल ही में खुफ़िया एजेंसियों ने गाजियाबाद स्थित हिंडन एअरपोर्ट पर आतंकी हमले की संभावना व्यक्त की है। किंतु मेरा अनुभव रहा है कि एयरफोर्स स्टेशन का प्रशासन इस दिशा में पहले से ही गंभीर नहीं है। पिछले वर्ष जब मुझे जानकारी मिली की हिंडन एयरपोर्ट प्रशासन ने पत्रकारों के लिए 16 सितंबर 2015 को एक शराब पार्टी रखी है जिसमें 50 से भी अधिक पत्रकार शामिल हुए, तो मुझे खासा आश्चर्य हुआ। एक अत्यंत संवेदनशील जगह पर रात में अंजान लोगों को बुलाकर शराब पिलाने का क्या औचित्य? क्या उनमें से कोई उस जगह की रेकी अथवा जासूसी नहीं कर सकता था या की हो?

मैंने इस संबंध में रक्षा मंत्री को भी शिकायत की, राज्यसभा में भी यह मामला उठवाया और रक्षा मंत्रालय से आधिकारिक जानकारी देने हेतु एक आरटीआई लगायी । जिसका जवाब काफी मुश्किल से एक वर्ष बाद वायुसेना से मिला और अनपेक्षित रूप से उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले तीन वर्षों में इस तरह की कॉकटेल पार्टियों पर फंड खर्च किये गए हैं और सन् 2015 में इस मद में रु 18000/ खर्च किया गया है और यह खर्च नॉन पब्लिक फण्ड से किया गया है।

हमारी संस्था वायुसेना के इस तर्क से सहमत सहमत नहीं है क्योंकि सेना के पास कोई भी फण्ड नॉन पब्लिक कैसे हो सकता है, निश्चित रूप से जनता की कर के रूप में दी गयी गाड़ी कमाई कॉकटेल पार्टियों में खर्च की जा रही है, इसमें निश्चित रूप से एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारियों की गैरकानूनी हरकतों को दबाने के लिए पत्रकारों को पार्टी देने के बहाने सेट करने की लगातार कोशिश की जा रही है, जिसकी गहन जांच जरूरी है।

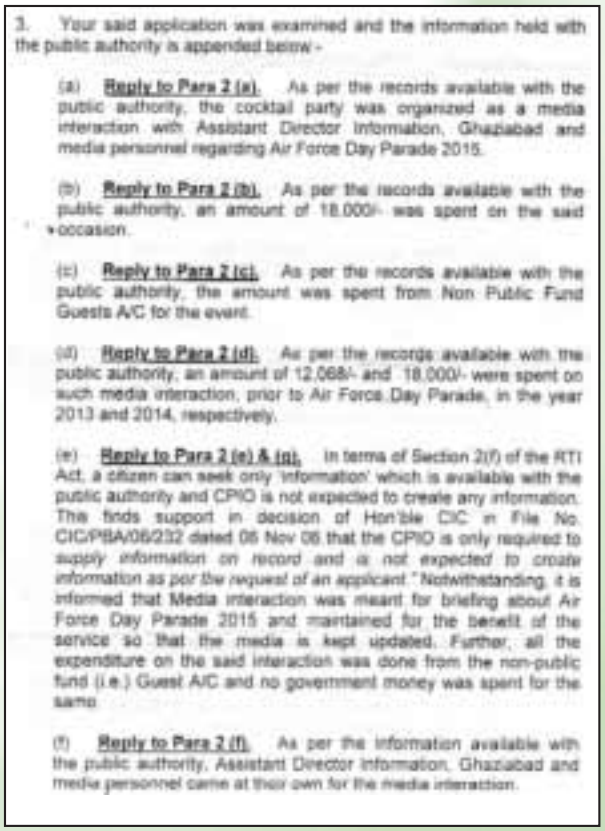

3. Your said application was examined and the information held with the public authority is appended below -

(a) **Reply to Para 2 (a).** As per the records available with the public authority, the cocktail party was organized as a media interaction with Assistant Director Information, Ghaziabad and media personnel regarding Air Force Day Parade 2015.

(b) **Reply to Para 2 (b).** As per the records available with the public authority, an amount of 18,000/- was spent on the said occasion.

(c) **Reply to Para 2 (c).** As per the records available with the public authority, the amount was spent from Non Public Fund Guests A/C for the event.

(d) **Reply to Para 2 (d).** As per the records available with the public authority, an amount of 12,068/- and 18,000/- were spent on such media interaction, prior to Air Force Day Parade, in the year 2013 and 2014, respectively.

(e) **Reply to Para 2 (e) & (g).** In terms of Section 2(f) of the RTI Act, a citizen can seek only 'information' which is available with the public authority and CPIO is not expected to create any information. The finds support in decision of Hon'ble CIC in File No. CIC/PBA/06/232 dated 06 Nov 06 that the CPIO is only required to *supply information on record and is not expected to create information as per the request of an applicant.* Notwithstanding, it is informed that Media interaction was meant for briefing about Air Force Day Parade 2015 and maintained for the benefit of the service so that the media is kept updated. Further, all the expenditure on the said interaction was done from the non-public fund (i.e.) Guest A/C and no government money was spent for the same.

(f) **Reply to Para 2 (f).** As per the information available with the public authority, Assistant Director Information, Ghaziabad and media personnel came at their own for the media interaction.

गोविंदाचार्यजी, मैं और मौलिक भारत

लगभग सात वर्ष पूर्व डायलॉग इंडिया के लिए एक साक्षात्कार लेने हेतु प्रसिद्ध राष्ट्रवादी चिंतक और भाजपा के पूर्व महासचिव गोविंदाचार्य जी से मेरी मुलाकात हुई थी। यह किसी के लिए भी बड़ी बात हो सकती है कि अटल जी से वैचारिक टकराव के चलते गोविन्द जी ने सत्तारुढ़ भाजपा एक झटके में छोड़ दी थी। मैं उनसे और उनके व्यक्तित्व और चिंतन से काफी प्रभावित रहा और उस मुलाकात का असर तो खासा गहरा रहा। यह सन् 2009-10 का समय था, यूपीए सरकार आश्चर्यजनक रूप से वापस सत्ता में आ गयी थी और उसके घपले-घोटाले खुलने शुरू हो चुके थे। इस दिशा में डायलॉग इंडिया ने भी अहम भूमिका निभायी थी। गोविंद जी चुनावों में भाजपा और आडवाणी के निस्तेज प्रदर्शन के बाद देश में संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन हेतु विकल्प पैदा करने के लिए बेचैन और सक्रिय हो रहे थे। उस समय बाबा रामदेव, अन्ना हज़ारे, श्री श्री रविशंकर, सुब्रमणियम स्वामी, केजरीवाल, किरण बेदी आदि आदि सक्रिय हो चुके थे। मैं इन सभी व्यक्तियों के संपर्क में रहा। हमारी पत्रिका इन लोगों द्वारा शुरू किये जा रहे आंदोलन की सहयोगी भी बनी और उसे दिशा भी दे रही थी। अंतत: मैं गोविंदाचार्य जी द्वारा शुरू किये गए राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन से जुड़ गया। मैं केजरीवाल से भी करीब से जुड़ा किंतु शीघ्र ही समझ गया कि यह प्रायोजित आंदोलन है। गोविंद जी पहले स्वामी रामदेव और फिर केजरीवाल से खासे प्रभावित हो राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के लोगों को उनसे जोड़ते गए। उन्होंने सुब्रमणियम स्वामी के साथ एक थिंक टैंक भी बनाया, जो बड़ा कारगर रहा। जब वे केजरीवाल के साथ जरूरत से ज्यादा जुड़ रहे थे तब मैने राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के तत्कालीन अध्यक्ष सुरेन्द्र बिष्ट जी से इसका विरोध किया। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की संचालक समिति का सदस्य और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी होने के नाते मैंने संचालन समिति के सभी सदस्यों से विरोध भी दर्ज कराया और संस्था की अलग पहचान बनाने का आग्रह करते हुए एक कार्ययोजना भी दी, संस्था के स्थापना दिवस पर कोटा में आयोजित सम्मेलन में भी मैंने अपना तीव्र विरोध दर्ज कराया था। कुछ सुनवाई न होने पर अंतत: मैने राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन से अलग होने का निर्णय लेते हुए त्यागपत्र दे दिया। तब तक मैं सैंकड़ों लोगों को राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन से जोड़ चुका था। मेरा स्पष्ट मत बन चुका था कि यह संस्था सिमटती जायेगी और पिछले चार वर्षों में ऐसा ही हुआ। गोविंद जी का गहन चिंतन, दर्शन सरलता और व्यक्तित्व अनुकरणीय है किंतु उन्होंने अपने साथ दूरदर्शी और प्रबंध कुशल लोगों को नहीं रखा और राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन बिखर गया। हालांकि इससे न तो गोविंदजी का कद कम होता है और न ही उनके चिंतन दर्शन और विचारधारा का। मुझ पर व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करने की जिद सवार थी और इसी बीच चल रहे आंदोलनों में नक्सली वामी अन्ना-केजरी गुट हावी हो गया था। बाबा रामदेव, श्री श्री सहित राष्ट्रवादी लोग हाशिये पर धकेले जा रहे थे और मीडिया के एक वर्ग की मदद से युवाओं को राष्ट्रवादियों के विरुद्ध भड़काया जा रहा था। ऐसे वक्त में मैंने अपने साथ जुड़े अनेक विद्वान और रचनात्मक लोगों को

एकत्र किया और देश हित में देश के लिए उस समय आवश्यक वैकल्पिक नीतियों का प्रस्ताव बनाया और उनके पक्ष में प्रभावी तरीके से आवाज उठाने के लिए 3 फ़रवरी 2013 को मौलिक भारत के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। पवन सिन्हा जी, राजेश गोयल, गजेन्द्र सोलंकी, नीरज सक्सेना, संजीव गुप्ता, के.विकास गुप्ता, अरुण तिवारी, उमेश गौड़, अमरनाथ ओझा, ईश्वर दयाल कंसल, सुसज्जित कुमार, ऊषा ठाकुर, और सैंकड़ों और साथियों व संस्थाओं के नेतृत्व सहयोग और कार्यों से आज मौलिक भारत ने राष्ट्र के पटल पर एक विशिष्ट पहचान बना ली है। उस समय हमने लाखों युवकों को भटकने से रोका, देश में राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभायी और अब भारतीय संस्कृति के संरक्षण, भारतीयता की स्थापना, नए नेतृत्व के विकास, चुनाव सुधार, सामाजिक सुधार, सुशासन, पारदर्शिता, के लिए एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक जंग छेड़ रखी है। इन कामों में पिछले 3-4 वर्षों की हमारी उपलब्धियों से आप परिचित ही हैं। हमें यह कहने में गर्व है कि मौलिक भारत एक चिंतन समूह (थिंक टैंक) के रूप में और जुझारू संस्था (एक्टिविस्ट आर्गेनाईजेशन) के रूप में देश में स्थापित हो चुका है।

सुखद लगा जब गौरक्षा आंदोलन में प्रमुख सहभागी बनने के लिए सुरेंद्र बिष्ट जी ने मौलिक भारत को आमंत्रित किया और बैठक के दौरान एवं निजी बातचीत में गोविंदाचार्य जी ने मौलिक भारत एवं डायलॉग इंडिया के कार्यों और दिशा को सराहा, वे बोले मैं निरन्तर पत्रिका पढ़ता रहता हूं। यह मेरे लिए उपलब्धि जैसी बात है। अभी हमें मौलिक भारत के निर्माण के लिए कड़ा संघर्ष करना है। हमने मौलिक भारत के दर्शन और चिंतन को अनेकों नए आयाम दिए हैं किंतु जो कुछ गोविंद जी से सीखा उसके महत्व को कम नहीं आंक सकते।

अनुज अग्रवाल
संपादक, डायलॉग इंडिया
महासचिव, मौलिक भारत

बिल्डरों की लूट

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बिल्डर्स द्वारा निर्मित हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में फ्लैट ख़रीदे जाने के लगभग 6 साल गुजर जाने के बाद और फ्लैट खरीदारों द्वारा बिल्डर्स को 90 प्रतिशत पेमेंट कर दिए जाने के बाद अब, जब लोग इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी घर ना मिल पाने की स्थिति में हताश हो चुके हैं और आये दिन अपने घरों के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कंज्यूमर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे में अब जाकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कुम्भकर्णी नींद से जागकर अपनी वेबसाइट पर डिफाल्टर बिल्डर्स की एक लम्बी सूची प्रकाशित करती है। एक ओर जहां लाखों फ्लैट खरीदार अब तक घर न मिल पाने और प्रोजेक्ट साईट पर निर्माण कार्य रुके होने की वजह जानने के लिए बिल्डर्स और प्राधिकरण के चक्कर लगा रहे हैं, प्राधिकरण सिर्फ और सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगी है। सवाल ये हैं कि

- डिफाल्टर बिल्डर्स की लिस्ट में शामिल तमाम बिल्डर्स एक दिन में तो डिफाल्टर नहीं बन गए होंगे, फिर 6 सालों तक फ्लैट खरीदारों को अंधेरे में क्यों रखा गया?
- अगर बिल्डर्स डिफाल्टर हैं तो इन्हें एक प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए जाने की दशा में उसी बिल्डर द्वारा दूसरे नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने की इजाजत प्राधिकरण द्वारा किस आधार पर दी गयी?
- प्राधिकरण की नाक के नीचे बिल्डर कैसे इतने सालों से फ्लैट्स लोगों को बेचता रहा?
- क्या तब प्राधिकरण को बिल्डर्स के नापाक इरादों की जानकारी नहीं थी?
- समय रहते प्राधिकरण ने डिफाल्टर बिल्डर्स की लिस्ट क्यों नहीं जारी की?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपने बिल्डर्स का नाम डिफाल्टर की सूची में देखर और ये जानकार कि उनके बिल्डर्स के पास प्राधिकरण का अरबों-खरबों रुपया बकाया है, लोग अब कहां जाए? ऐसे में अब बैंकों ने भी डिफाल्टर बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में घर बुक कराए लोगों को पहले से चल रहे लोन पर फंड रिलीज़ करने से इनकार कर दिया है। पेमेंट नहीं कर पाने की दशा में बिल्डर लेट पेनल्टी वसूल सकता है, जिसको लेकर बायर्स की चिंता बढ़ गयी है। उधर प्राधिकरण द्वारा डिफाल्टर बिल्डर को इस महीने के अंत तक बकाया राशी जमा नहीं कर पाने की स्थिति में उनके प्लाट के आवंटन को रद्द कर दिए जाने की चेतावनी से फ्लैट खरीदार काफी डरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान होता है तो वह निर्दोष फ्लैट खरीदार का ही होता है।

प्राधिकरण डिफाल्टर बिल्डर्स के लिए 'एग्जिट पालिसी' के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूरी ले चुकी है यानी जो बिल्डर बकाया राशी का भुगतान प्राधिकरण को कर पाने में विफल रहता है, उस बिल्डर के प्रोजेक्ट्स प्राधिकरण के नाम हस्तांतरित कर बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। नेफोवा का सवाल यह है कि कोई भी इस तरह का निर्णय लेने से पहले बायर्स के पक्ष को क्यों नहीं सुना जाता है। ऐसी पॉलिसी बनाते समय बायर्स प्रतिनिधियों या फ्लैट बायर एसोसिएशन, जो सक्रियता से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, को क्यों नहीं शामिल किया जाता है?

नेफोवा बार बार पत्र द्वारा बिल्डर्स की तमाम गतिविधियों की जानकारी प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों एवं उच्च अधिकारियों को देता रहा, लेकिन तब से लेकर आजतक प्राधिकरण मूकदर्शक बना रहा। प्राधिकरण चाहता तो गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त बिल्डर्स की सूची तैयार करके अपनी वेबसाइट पर डाल सकता था। बिल्डर्स ने बिना बायर्स की सहमती के अपने प्रोजेक्ट्स का पूरा नक्शा बदल कर प्राधिकरण से मंजूर करा लिया, जाहिर है बिल्डर्स की काली करतूतों में प्राधिकरण की भी उतनी ही भागीदारी थी।

क्या सालों से घर की आस लगाए निर्दोष फ्लैट खरीदारों के पास अब सिर्फ कानूनी लड़ाई ही एकमात्र विकल्प बची है? फिर क्यों नहीं प्राधिकरण के दफ्तर पर ताला लगा देना चाहिए? 2010-11 में अफोर्डेबल हाउसिंग की योजना के साथ नोएडा एक्सटेंशन नाम से शहर बसाने की कवायद के साथ ही कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को एक साथ लॉन्च किया गया था, और तब मध्यम वर्ग के एक बड़े तबके ने लोन लेकर, पैतृक घर बेचकर, यहां तक कि गहने बेचकर, जीवन भर की कमाई लगाकर अपने लिए एनसीआर में फ्लैट बुक कराया था। इनमें कईयों की स्थिति ऐसी नहीं है जो कानूनी लड़ाई के लिए कोर्ट के खर्चे उठा सके। अगर प्रशासन, प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार इन बिल्डरों के खिलाफ समय रहते कोई कदम उठा लेती,तो आज लाखों की संख्या में लोग खुद को ठगा हुआ सा महसूस नहीं करते। ■

बिल्डरों के खिलाफ मौलिक भारत का अभियान

यादव सिंह और डीएनडी की तरह अभियान बिल्डरों के खिलाफ छेड़ दिया गया है। सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से बिल्डरों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गयी है जिसमें प्रेस वार्ता, रोड शो, पुतला दहन, बिल्डरों का घेराव आदि किये जाएंगे और यदि जरूरत पड़ी तो ग्राहकों के हित में कोर्ट भी जाएंगे। अथॉरिटी-नेता-बिल्डर माफिया के गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा तथा पीड़ित ग्राहकों को लेकर एक बड़ा जन-आंदोलन चलाने के भी योजना है।

ओला ऊबर के भ्रष्टाचार के खिलाफ

संघर्ष का शंखनाद

21/09/2016 प्रेस क्लब में आयोजित प्रेसवार्ता में ओला ऊबर के भ्रष्टाचार के और इसमें दिल्ली सरकार की मिली भगत के खिलाफ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिसे बिजवासन से विधायक कर्नल देवेन्द्र सेहरावत, न्याय भूमि के सचिव राकेश अग्रवाल और डायलॉग इंडिया के संपादक अनुज अग्रवाल ने संबोधित किया। लगभग तीस हज़ार करोड़ की Venture Funding के बल पर कम्पटीशन को ख़त्म करने वाली ओला-ऊबर के खिलाफ एक विशाल आन्दोलन खड़ा किया जा रहा है। इस आन्दोलन में दिल्ली की सभी ऑटो, टैक्सी, बसों आदि की अधिकतर यूनियन व संगठन आदि भाग ले रहे हैं। बाद में इसे राष्ट्रव्यापी भी बनाया जाएगा। हम ओला ऊबर की सेवाओं के नहीं बल्कि उनके कम्पटीशन-विरोधी तरीकों के खिलाफ हैं। उनके कानून-विरोधी तरीकों का भी विरोध होना चाहिए। इसमें हमारी सरकारों से लेकर न्यायपालिका तक पूरी व्यवस्था पिछले दो सालों से नाकाम रही हैं। माजरा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का है और इस भ्रष्टाचार से शहर के अन्य परिवहन ऑपरेटर अपनी रोज़ी रोटी खोते जा रहे हैं। एक दिन केवल ओला या ऊबर ही बचेंगे जो जमकर सवारियों का शोषण करेंगे। इसलिए इस आन्दोलन को करना पड़ रहा है।

क्यों हैं हम ओला और ऊबर टैक्सी/ऑटो के खिलाफ ? -

1) क्योंकि दो वर्ष से अधिक से काम करने के बाद भी इनके पास लाइसेंस ही नहीं है।

2) क्योंकि ये डीजल से चलती हैं, सीएनजी द्वारा नहीं, और यह उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है।

3) यह कंपनियां पीक आवर्स के नाम पर ग्राहकों से अतिरिक्त किराया लेती हैं, यह मोटर अधिनियम की धाराओं के अनुसार अवैध है।

4) हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इन कंपनियों द्वारा इस प्रकार किराया लेने को अवैध माना और तुरंत ऐसा करने से रोकने को कहा किंतु ये कंपनियां इस आदेश को नहीं मान रही और दिल्ली सरकार इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही।

5) हमने इन कम्पनियों द्वारा ग्राहकों से अवैध रूप से वसूले गए रु 9239 करोड़ की वापसी के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में याचिका भी डाली है।

6) इन कंपनियों के द्वारा यह दावा कि वे ग्राहकों से 6रु प्रति किमी वसूलते हैं , सफ़ेद झूठ है। हमने इनके बिलों की जांच की तो यह वसूली औसतन रु 15 प्रति किमी है।

7) इन कंपनियों को टैक्सी/ऑटो या इनके बीमे के लिए कुछ भी निवेश नहीं करना होता है, बल्कि टैक्सी/ ऑटो ड्राईवर ही इनके मालिक होते हैं। ऐसे में तीस हज़ार करोड़ से अधिक के विदेशी निवेश (ऊबर- 8200 करोड़ एवं ओला- 25000 करोड़) का यह कंपनियां क्या कर रही हैं?

8) ये कंपनियां फिलहाल घाटे में सेवाएं दे रही हैं। ये घाटा उठाकर निजी टैक्सी/ऑटो चालकों के मुकाबले कम कीमत पर बेहतर सेवाएं दे रही हैं। इसके अतिरिक्त ये निजी टैक्सी/ऑटो चालकों को अपने साथ जोड़ने के लिए उनको लालच दे रही हैं। ये फिलहाल अपने से जुड़ने वाले चालकों को उनके द्वारा किये गए बिजनेस पर कई गुना तक इंसेंटिव दे रही हैं, जिससे स्वतन्त्र रूप से काम करने वाले निजी चालकों और छोटी कम्पनियों का काम बंद होता जा रहा है।

9) ये कंपनियां बाजार पर एकाधिकार कर फिर उसी प्रकार अपने किराये कई गुना बढ़ाती जाएंगी जैसा इन्होंने चीन, अमेरिका और यूरोप में किया, जिससे अंततः ग्राहकों को कई गुना घाटा होगा। इसके साथ ही चालकों का इंसेंटिव भी कम करती जाती हैं और वो ठगा महसूस करते हैं। हमारा अनुमान है कि सन् 2017 के मध्य तक ऐसा हो जायेगा।

10) ये कंपनियां सरकारी अधिकारियों, नेताओं और न्यायाधीशों तक को कमीशन, रिश्वत दे खरीदने का खेल खेलती हैं, जैसा कि दिल्ली में हो रहा है।

ऐसे में हमारी मांग है -

1) सरकार,इन कम्पनियों के गैरकानूनी कामों पर तुरंत रोक लगाये और पिछली अवैध वसूली वापस ली जाये।

2) इस क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने हेतु पहले पारदर्शी और स्पष्ट नियम बनाये जाएं उसके बाद इस तरह की कम्पनियों को अनुमति दी जाए।

3) किराये की स्थिर और निष्पक्ष दर बनायीं जाएं। किसी भी प्रकार के लालच, शुल्क छूट और इंसेंटिव को बंद किया जाये और इनकी परिभाषा और दायरा स्पष्ट किया जाये और इस प्रकार के नियम बनाए जाएं कि निजी टैक्सी/ऑटो चालक व छोटी कंपनियां भी प्रतिस्पर्धा में बनी रहें।

4) निजी, छोटी, बड़ी सभी कंपनियों के चालकों के प्रशिक्षण हेतु सरकार प्रशिक्षण केंद्र खोले और चालकों से सभी नियम और कानून मानने का शपथ पत्र भरवाया जाए।

5) सभी प्रकार की टैक्सी/ऑटो की गतिविधियों पर नज़र रखने और शिकायतों के निवारण हेतु प्रभावी तंत्र विकसित किया जाये।

अंत में हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम किसी भी देशी-विदेशी कंपनियों के खिलाफ नहीं है बल्कि खुली बाजारवादी अर्थव्यवस्था में स्वस्थ और जनहितकारी व्यवस्था लागू कराना चाहते हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि बिना कारपोरेट गवर्नेंस के जनता के हितों का संरक्षण नहीं हो सकता। ■

कर्नल देवेन्द्र सहरावत
आआपा से निष्कासित

आम आदमी पार्टी ने अपने सबसे लोकप्रिय और ईमानदार विधायक कर्नल देवेन्द्र सेहरावत को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया है। सत्य, सुशासन और पारदर्शिता की लड़ाई लड़ने वाले सेहरावत जी किसानों और जवानों के हितों के लिए लड़ने वाले नेता हैं। देश की सबसे अमीर विधानसभा सीट बिजवासन से विधायक होने के बाद भी अपना पैतृक आवास छोड़ दो कमरों के किराये के मकान में रहते हुए दिन रात जन सेवा करते हैं और आज तक एक पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप इन पर नहीं है। मौलिक भारत के सदस्य के रूप में हमने बाहरी दिल्ली विकास मंच बना ग्रामीण दिल्ली के लिए अनेक जमीनी कार्य किये हैं। मौलिक भारत कर्नल देवेन्द्र सेहरावत का हार्दिक अभिन्नन्दन करता है और उनके देश हित के हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का संकल्प लेता है।

महाराष्ट्र के एमआई टी एजुकेशन ग्रुप की पहल पर आयोजित विश्व संत गुलाब राव महाराज जीवन शताब्दी महोत्सव, विज्ञान, भवन ,नई दिल्ली में मौलिक भारत के सदस्यों ने भी भाग लिया। विश्व हिन्दू परिषद के प्रखर नेता आचार्य धर्मेन्द्र के साथ हमारी टीम के सदस्यगण

यह आत्मघात क्यों ?

कावेरी जल विवाद में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हुए 25 हज़ार करोड़ के नुकसान से कई गुना ज्यादा नुकसान तो दिल्ली एन सी आर और शेष देश में चिकनगुनिया, डेंगू, टाइफाइड और वायरल बुखारों से ही चुका है और सैंकड़ों जान गयी वो अलग। उस पर कांग्रेस, आआपा और भाजपा की निकृष्टतम राजनीति। ये तो निश्चित है कि अंधाधुंध लाभ कमाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़े माफिया ने इन बीमारियों के वायरस फैलाए हैं और पूरे क्षेत्र में सफाई न करने और गंदगी फैलाने का काम जिन लोगों की मदद से हुआ है वही आरोपों और कीचड़ उछालने की राजनीति कर रहे हैं। स्वास्थ्य उद्योग ने इस घटिया खेल में जो माल कमाया उससे ज्यादा अन्य उद्योगों का नुकसान हो गया और उससे भी ज्यादा मानवता और संवेदनाएं शर्मसार हुई है और इसके जिम्मेदार हम और आप भी हैं। थोड़े से पैसों के लालच में हमारे नेता, मंत्री, अधिकारी और डॉक्टर क्यों बिक रहे हैं। यह आत्मघाती है क्योंकि इस कुचक्र में उनके परिजन भी पिस रहे हैं। केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें इस मामले में बोझ साबित हुई हैं। स्वच्छता मिशन की प्रणेता और आपदा प्रबंधन में नेपाल, सऊदी अरब और देश दुनिया में तुरत फुरत कहीं भी राहत पहुंचाने का दावा करने वाली मोदी सरकार की नाक के नीचे दिल्ली कूड़े, गंदगी और बीमारी के ढेर पर बैठी तिल तिल मर रही है और दिल्ली सरकार की तरह केंद्र सरकार भी कहीं गुम हो चुकी है। दुःखद।

गौ वंश और मौलिक भारत

भारतीय संस्कृति का आधार गौ है। गौ वंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग हेतु संसद पर गोरक्षकों के घेराव और उन पर सरकार के अत्याचार के 7 नवम्बर को 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रख्यात चिंतक गोविंदाचार्य जी और गौ रक्षा आंदोलन के संयोजक सुरेंद्र बिष्ट जी के आमंत्रण पर मौलिक भारत की ओर से संस्था के राष्ट्रीय महासचिव अनुज अग्रवाल और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने उत्तर भारत के प्रमुख गोरक्षकों के साथ रणनीति बैठक में भाग लिया। संस्था ने 7 नवंबर को जंतर मंतर, नई दिल्ली पर आयोजित होने वाली गौ रैली के कार्यक्रम में संस्था के सैंकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाग लेने और इस दिशा में व्यापक जान जागरण अभियान चलाने का आश्वासन भी दिया।

'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' लूट का अड्डा

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों हेतु जरूरी सामान एवं सेवाओं की सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, शीघ्रता तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की पहल पर डायरक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल (डीजीएस एंड डी) द्वारा निर्मित ऑनलाइन पोर्टल 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' शुरूआती दौर में ही अनियमितताओं का शिकार और सरकारी खजाने को चूना लगाने का अड्डा बन गया है। भ्रष्टाचार के विरूद्ध एक बुलंद आवाज के रूप में उभरे मौलिक भारत ट्रस्ट ने एक पत्र लिखकर केन्द्रीय वित्त मंत्रालय का ध्यान पोर्टल के बहाने बरती जा रही अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की ओर आकृष्ट किया है। पत्र में सचिव (एक्सपेंडीचर) अशोक लवासा को चेतावनी दी गयी है कि यदि तमाम अनियमितताओं पर अंकुश लगाकर पोर्टल को अविलम्ब पारदर्शी नहीं बनाया गया तो इस संबंध में प्रधानमंत्री, मुख्य सतर्कता आयोग तथा अन्य अधिकारियों एवं विभागों तक यह विषय पहुंचाया जाएगा। मौलिक भारत ट्रस्ट के महासचिव श्री अनुज कुमार अग्रवाल द्वारा 15 अक्टूबर 2016 को लिखित इस पत्र की एक प्रति डीजीएस एंड डी के महानिदेशक (पीपी) श्री विनय कुमार को भी भेजी गयी है।

मसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार इस पोर्टल को सभी सरकारी विभागों में की जानी वाली खरीद को और अधिक गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा तीव्रतायुक्त बनाने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग करने जा रही है। निश्चित रूप से इसके माध्यम से सरकारी खरीद में पायी जाने वाली तमाम प्रकार की अनियमितताओं पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। चूंकि सरकारी खरीद में देश का पैसा खर्च होता है इसलिए देश के धन के दुरूपयोग की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती। लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जिस पोर्टल को विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है उस पोर्टल के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट स्तर पर ही 2500 करोड़ रूपये की खरीद जीएफआर रूल्स तथा मुख्य सतर्कता आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए की गयी है। प्रायोगिक चरण में ही इस पोर्टल का विवाद में आना ठीक नहीं है। इससे पूर्व मौलिक भारत ट्रस्ट नोएडा के माफिया इंजीनियर यादव सिंह के घोटालों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में हुए घोटालों, डीएनडी फ्लाईओवर घोटाले तथा आन्ध्र प्रदेश से जुड़े कुछ घोटालों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है।

हालांकि पत्र में वर्तमान सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जिस गति से डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है उसकी प्रशंसा की गयी है लेकिन यदि डिटिजल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के प्रयास ही भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आ गये तो इससे सरकार की तरफ से पारदर्शिता को बढ़ावा देने के प्रयासों पर प्रश्नचिन्ह लग जाएगा। इसलिए 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' की स्थापना तथा इसे प्रभावी ढंग से

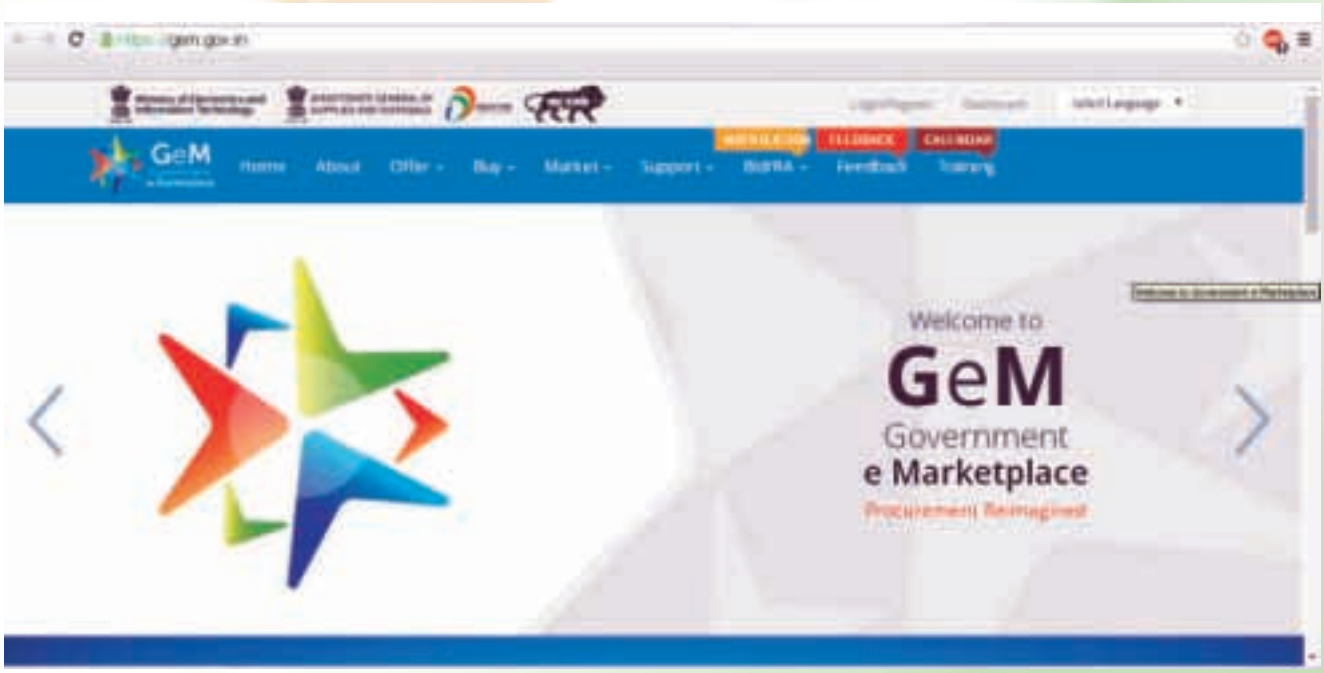

लागू करने में लगे अधिकारियों द्वारा ही जो अनियमितताएं बरती जा रही हैं उन्हें उजागर करना आवश्यक है।

मजबूत, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं ऑनलाइन सरकारी खरीद व्यवस्था सम्पूर्ण देश के हित में है। लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था के नाम पर ही यदि सरकार को चूना लगना शुरू हो जाए तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचारमुक्त भारत के सपनों एवं प्रयासों के ही विरुद्ध है। प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि ''भ्रष्टाचार के खात्मे के प्रयास सबसे पहले ऊपर से शुरू होने चाहिए, क्योंकि यह हमारे सिस्टम में दीमक की तरह फैल रहा है। इसे समाप्त करने के लिए हमें हर स्तर पर ठोस प्रयास करने होंगे।''

सचिव समिति ने 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' के पायलट प्रोजेक्ट को 10 मार्च, 2016 को स्वीकृति अवश्य प्रदान की लेकिन समिति ने यह कहीं नहीं कहा कि सरकारी खरीद में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु डीजीएस एंड डी के जो मौजूदा नियम हैं उनका प्रभावी ढंग से पालन न किया जाए। सरकारी खरीद की पूरी व्यवस्था इस समय जीएफआर-2005, डीजीएस एंड डी मैन्यूल, ग्वर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस नियमों, सूचना तकनीक कानून 2005 तथा मुख्य सतर्कता आयोग के नियमों के तहत संचालित है। किन्तु 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' पर यदि गहरायी से नजर दौड़ायी जाए तो पता चलता है कि इसमें नियमों का जानबूझकर पालन नहीं किया जा रहा है, जिस कारण सरकारी खरीद की पूरी व्यवस्था कुछ लोगों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का एक बड़ा जरिया बन गयी है।

सरकारी विभागों द्वारा की जाने वाली खरीद की पूरी व्यवस्था सुरक्षित एवं पारदर्शी होनी चाहिए यह सभी चाहते हैं। इसलिए सभी सामान सत्यापित संस्थाओं अथवा व्यक्तियों से ही खरीदे जाने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए डीजीएस एंड डी द्वारा सामान खरीद प्रक्रिया में सामान के वास्तविक उत्पादक अथवा अधिकृत विक्रेताओं को ही शामिल होने की अनुमति है। पूरी प्रक्रिया में यह प्रयास रहता है कि जिस दर पर सामान खरीदा जा रहा है वह कम से कम हो। किन्तु 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' के माध्यम से जो खरीददारी की जा रही है उसमें सामान सप्लाई करने वाले की सत्यता का पता लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' की टर्म्स एंड कंडीशन्स की धारा

21 के अनुसार विक्रेता की सत्यता की जांच, वाजिब कीमत आदि सभी बातों की जांच की जिम्मेदारी सामान खरीदने वाले सरकारी विभागों की है। यह सर्वविदित तथ्य है कि सरकारी सामान की खरीददारी के मामले में प्राय: सभी सरकारी विभागों के पास विशेषज्ञता का अभाव है। इसीलिए डीजीएस एंड डी जैसे विशेषज्ञ विभाग की स्थापना की गयी थी। किन्तु डीजीएस एंड डी 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' के माध्यम से सामान खरीदते समय यह कहकर पूरी व्यवस्था के पारदर्शी होने का दावा नहीं कर सकता कि सामान सत्यापित संस्थाओं से ही खरीदा जा रहा है। डीजीएस एंड डी द्वारा 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' के नाम पर अपने ही नियमों के उल्लंघन के कारण हजारों करोड़ रूपये के अनुबंध अवांछित तत्वों को मनमाने ढंग से दिये जा रहे हैं। इसका सीधा नुकसान यह होगा कि झूठे विक्रेताओं की 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' पोर्टल पर बाढ़ आ सकती है जिससे पूरी व्यवस्था की निष्पक्षता पर ही सवालिया निशान लग गया है। यह सत्य है कि फिलहाल 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' पोर्टल पर विक्रताओं की सत्यता जांचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण अधिकारियों की मिलीभगत से झूठी जानकारी देकर कोई भी व्यक्ति सामान का सप्लायर बनकर पूरी व्यवस्था को ठेंगा दिखा सकता है।

डीजीएस एंड डी द्वारा 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' के नाम पर अपने ही नियमों के उल्लंघन के कारण हजारों करोड़ रूपये के अनुबंध अवांछित तत्वों को मनमाने ढंग से दिये जा रहे हैं।

'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' टर्म्स एंड कंडीशन्स अध्याय 2 की धारा 1 के अनुसार वास्तविक सामान निर्माता और/अथवा उनके अधिकृत चैनल पार्टनर्स/रीसेलर्स आदि को ई-मार्केटप्लेस प्लेटफार्म पर सामान बेचने की अनुमति है। जबकि केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 13 जनवरी, 2012 को जारी निर्देशों के अनुसार सामान के वास्तविक उत्पादक अथवा उनके अधिकृत एजेंट में से कोई एक ही बोली लगा सकता है दोनों नहीं। सर्कुलर में यह भी साफ कहा गया कि यदि कोई एजेंट किसी एक वास्तविक उत्पादक हेतु बोली में भाग लेता है तो वही एजेंट किसी अन्य उत्पादक की तरफ से उसी उत्पाद के लिए उसी बोली में भाग नहीं ले सकता। ऐसा एजेंटों के बीच किसी प्रकार की प्रतियोगिता को उपजने से रोकना, मनमानी कीमत आदि को रोकना भी था। जबकि ई-मार्केटप्लेस प्लेटफार्म पर अधिकृत एजेंटों की उपस्थिति और उनकी जांच करने का कोई प्रभावी तरीका न होने के कारण अधिकृत पार्टनर्स सामान की वह कीमत भी वसूल सकते

उच्च न्यायलय गया मौलिक भारत

ई-पोर्टल खरीद घोटाले में सरकार और सीवीसी की ओर से मौलिक भारत की शिकायत का कोई जवाब नहीं मिलने के कारण संस्था ने 25 अक्टूबर 2016 को दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की है।

हैं जो वास्तविक उत्पादक से स्वीकृत नहीं है। प्रारंभिक चरण की शर्तों में यह भी कहा गया है कि अनुबंध क्रेता और विक्रेताओं द्वारा ऑनलाइन ही डिजिटल हस्ताक्षर से स्वीकृत होंगे। 20 सितंबर, 2016 को जारी कार्यालय आदेश (संख्या एफ 26/4/2016.पीपीडी) में विक्रेताओं को भुगतान के जो तरीके बताये गये हैं उनमें अनुबंध और इनवॉइस पर भी ई-हस्ताक्षर की अनुमति प्रदान कर दी गयी। चूंकि भारत में डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता प्राप्त है इसलिए ई-मार्केटप्लेस प्लेटफार्म पर होने वाला कोई भी अनुबंध डिजिटल हस्ताक्षर से ही होना जरूरी है।

'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' टर्म्स एंड कंडीशन्स अध्याय 5 की धारा 2 के तहत प्रावधान है कि पोर्टल पर आमंत्रण सूचना कम से कम सात दिन तक प्रकाशित रहनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वह जानकारी पहुंच सके और वे चाहें तो खरीद प्रक्रिया का हिस्सा बन सकें। जबकि इस समय ऐसा नहीं किया जा रहा है जिसके कारण ठेका प्रक्रिया में गुपचुप तरीके से कुछ चीजें चलती रहती हैं।

ई-मार्केटप्लेस पोर्टल पर 50,000 से अधिक के सामान अथवा सेवाओं पर लागू होने वाले जीएफआर-2005 के नियम संख्या 141-ए में प्रावधान है कि कम से कम दर पर सामान प्रदाता का ही चयन किया जाना चाहिए। नियम में यह भी कहा गया है कि ई-मार्केटप्लेस' पोर्टल पर खरीददार के इस्तेमाल हेतु कुछ ऑनलाइन बिडिंग और 'रिवर्स ऑक्शन' टूल दिये गये हैं। किन्तु नियम को पढ़ने से यह पता नहीं चलता कि 'रिवर्स ऑक्शन' अनिवार्य है अथवा नहीं। किसी भी सूरत में न्यूनतम मूल्य का चयन निश्चित रूप से प्रतियोगी तंत्र के माध्यम से ही होता है। किन्तु इस प्रकार की अनेक घटनाएं हैं जब 50,000 रूपये से अधिक के ठेकों में रिवर्स ऑक्शनिंग नहीं की गयी। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' टर्म्स एंड कंडीशन्स नियमों में यह शर्त है कि पोर्टल पर नोटिस का प्रकाशन कम से कम सात दिन तक किया जाए। लेकिन ऐसी अनेक घटनाएं हैं जब सात दिन की यह अवधि पूरी होने से पहले ही ठेका प्रदान कर दिया गया और बोली लगाने वालों में प्रतियोगिता नहीं होने दी गयी। जिसके कारण सरकारी धन का दुरूपयोग हो रहा है।

मुख्य सतर्कता आयोग द्वारा 4 दिसम्बर 2007 को जारी सर्कुलर में यह प्रावधान है कि सभी सरकारी खरीद में इंटिग्रिटी पैक्ट का इस्तेमाल होना चाहिए। पैक्ट के संबंध में सर्कुलर में विस्तार से जानकारी दी गयी है यानि कि ठेकेदारों की तरफ से वायदे, टेंडर प्रक्रिया को अयोग्य करार देना, नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति, आपराधिक इतिहास आदि। जबकि ई-मार्केटप्लेस' टर्म्स एंड कंडीशन्स की धारा 10 में उपलब्ध इंटिग्रिटी पैक्ट की शर्त केन्द्रीय सतर्कता आयोग के इंटिग्रिटि पैक्ट से भिन्न है और उसमें कोई साफ जानकारी नहीं दी गयी है। इसलिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' के इंटिग्रिटि पैक्ट की शर्तें सीवीसी के इंटिग्रिटि पैक्ट का बहुत हद तक उल्लंघन करती हैं।

कुल मिलाकर गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' प्लेटफार्म इस समय अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है। इसके पास अभी सामान की कीमत के साथ छेड़छाड़ पर अंकुश लगाने के तंत्र का पूरी तरह अभाव है। इसका कारण यह है कि वास्तविक उत्पादकों को उत्पाद के मूल्य निर्धारण में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा ई-मार्केटप्लेस पोर्टल विभिन्न राज्यों में लागू चूंगी, प्रवेश शुल्क राज्यस्तरीय नियमों का पालन नहीं करता। यह कमी प्राय: सभी प्रकार की सेवाओं के संबंध में देखी गयी है। चाहे वह वार्षिक मरम्मत का ठेका देने का मसला हो अथवा बड़े स्तर के सर्वर और सॉफ्टवेयर इंस्टालेशन अथवा अन्य सेवाओं की बात हो। इस समय जिस तरीके से गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' पर काम हो रहा है उससे सरकार को काफी वित्तीय नुकसान हो रहा है। प्रोडेक्ट अपलॉड को लेकर भी बहुत सी शिकायतें हैं जिनका निराकरण किये बगैर इस पोर्टल का विस्तार नहीं किया जा सकता। बात यहीं खत्म नहीं होती। इस समय पोर्टल के माध्यम से जो सामान बेचा जा रहा है वह पहले से निर्धारित रेट कॉन्ट्रैक्ट की कीमतों से कहीं अधिक है। यहां तक कि डीजीएसएंडडी मैन्यूअल, जो ई-मार्केटप्लेस पोर्टल पर भी लागू होता है, की धारा 161 में कहा गया है कि केन्द्रीय खरीद संगठन यानि डीजीएसएंडडी को चाहिए कि वह रेट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम उन सभी सामानों पर लागू करे जिनका ज्यादातर इस्तेमाल सरकारी कार्यालयों में होता है। डीजीएसएंडडी साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि रेट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बिना किसी बाधा के उपलब्ध रहे। इसका मतलब है कि ई-मार्केटप्लेस पोर्टल द्वारा रेट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। साथ ही केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित परफोर्मेंस बैंक गारंटी का भी सही से पालन नहीं हो रहा है।

चाहे वह वार्षिक मरम्मत का ठेका देने का मसला हो अथवा बड़े स्तर के सर्वर और सॉफ्टवेयर इंस्टालेशन अथवा अन्य सेवाओं की बात हो। इस समय जिस तरीके से गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' पर काम हो रहा है उससे सरकार को काफी वित्तीय नुकसान हो रहा है।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' की शुरूआत एक ऐसे ई-प्लेटफार्म के रूप में की गयी थी जिसे आगे चलकर दूसरी महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे कि बैंक, आधार, टैक्स संस्थाओं आदि के साथ जोड़ा जा सके। लेकिन ये सेवाएं अभी तक ई-मार्केटप्लेस से नहीं जुड़ी हैं। यह अभी सिर्फ शुरूआती चरण में ही है और इसे भविष्य में बढ़ावा दिया जाने वाला है। इसलिए इसके संचालन में जो भी कमियां हैं उन्हें अविलंब दूर किया जाना चाहिए। हालांकि यह बात अलग है कि पायलट फेज में ही सभी जरूरी नियमों का उल्लंघन करते हुए करोड़ों रूपये के ठेके दिये जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि अविलंब इस दुरूपयोग पर रोक लगाए और साथ ही दोषी अधिकारियों के विरूद्ध जांच शुरू कर कड़ी कार्रवाई करे।

केजरीवाल–ओला–ऊबर के खिलाफ

ऑटो चालकों ने खोला मोर्चा

परिवहन में की सुधारों की वकालत

दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से चल रही ओला और ऊबर के खिलाफ ऑटो व टैक्सी चालकों ने एक योजनाबद्द तरीके से आन्दोलन शुरू कर दिया है। चालकों ने स्वयं को ग्राहकोमुन्खी बनाने व जनमत के जरिये सरकार पर परिवहन क्षेत्र में सुधारों के लिए बाध्य करने की भी बात रखी।

केजरीवाल की ओला ऊबर से सांठगांठ

जंतर मंतर पर ऑटो व टैक्सी चालकों की एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए बिजवासन से विधायक कर्नल देविंदर सहरावत व न्यायभूमि के सचिव राकेश अग्रवाल ने केजरीवाल सरकार पर बरसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केजरीवाल पर ओला ऊबर के साथ सांठगांठ का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ तो केजरीवाल कहते हैं कि ओला उबर पर बैन लगा हुआ है और दूसरी तरफ इन्हीं कंपनियों को दिल्ली सरकार के एक कार्यक्रम 'दिल्ली समर फेस्टिवल' में आधिकारिक पार्टनर बनाते हैं। रैली में केजरीवाल और 'आप' नेता आशुतोष के मई महीने के ट्वीट दिखाए गए जिनमें बैन की बात कही गयी है।

सहरावत–अग्रवाल की जोड़ी ने ओला और ऊबर को विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करके टैक्सी चलाने देने के लिए केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि डीजल की टैक्सी चलाकर ये कंपनियां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही हैं, बिना रेडियो टैक्सी लाइसेंस के ये सवारी की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और सरकारी किराया ना लेकर मनमाना किराया ले रही हैं। कानून के मखौल का आलम ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट के 11 अगस्त के उस आदेश की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जिसमें इन्हें सरकारी किराये से एक भी पैसा ज्यादा ना लेने के लिए कहा गया था। सहरावत ने आरोप लगाया कि इसके बावजूद ओला और ऊबर मनमाने तरीके से चल रही हैं क्योंकि केजरीवाल ने उनके साथ एक गुप्त सौदा कर लिया है जिससे पंजाब के रास्ते प्रधान मंत्री बनने का उनका सपना पूरा करने के लिए भरपूर पैसा आ रहा है। इससे ऑटो वालों की आमदनी आधी रह गयी है। केजरीवाल की तिजोरी छलक रही है और ऑटो वाले अपने रोजगार को ओला ऊबर से बचाने

के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं।

आन्दोलन के एक नेता संजय चावला ने स्पष्ट किया कि ऑटो व टैक्सी चालक ओला व ऊबर द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के खिलाफ नहीं हैं। बल्कि वे तो उनके द्वारा लागत से कम मूल्य पर सेवा देने के खिलाफ है जिससे सारा बाज़ार उनके हाथ में आता जा रहा है और ऑटो और काली पीली टैक्सी से गलत तरीके से प्रतियोगिता ख़त्म की जा रही है। ऐसा वे खरबों रुपयों की venture funding के बल पर कर पा रहे हैं। चावला ने जोर देकर कहा कि ऐसा करना दीर्घकाल में एक स्वस्थ व प्रतियोगी बाज़ार के हित में नहीं होगा। कम्पटीशन समाप्त

होने के बाद ओला ऊबर का असली चेहरा सामने आएगा और तब वे ना केवल अपने पुराने नुक्सान को वसूल करेंगे बल्कि अपने एकाधिकार से चालक वर्ग व सवारियों दोनों का भरपूर शोषण करेंगे।

हाल ही में चीन में ऊबर द्वारा अपना बिज़नेस वहां की एक विशाल स्थानीय कंपनी डीडी को बेचे जाने का उदाहरण देते हुए सहरावत ने कहा कि भारत में इसका उल्टा होगा क्योंकि यहां ऊबर के 25,000 करोड़ के खजाना के सामने ओला के 1,500 करोड़ कहीं नहीं ठहरते। बस समय की बात है कि ये होगा कितना जल्दी। देखा जाए तो देश की राज्य सरकारें एक अमेरिकी कंपनी ऊबर के हाथों में खेल रही हैं और सम्पूर्ण भारतीय परिवहन बाज़ार को एक थाली में सजाकर उसे पेश कर रही हैं। सहरावत ने अनुमान लगाया कि 2018 तक दस लाख की आबादी वाले सभी शहर ऊबर की गिरफ्त में होंगे जिससे मोदी के उद्यम विकास कार्यक्रम को बड़ा झटका लगेगा और सभी चालक उबर से दैनिक किराये पर 'लीजिंग' वाली टैक्सी लेकर चलाने को मजबूर होंगे।

सामाजित कार्यकर्ता, चिन्तक व विचारक श्री गोविन्दाचार्य ने अर्थव्यस्था के एक महत्वपूर्ण अंग को विदेशी हाथों में जाने के खतरे को देखते हुए आन्दोलन को अपना समर्थन दिया है। वृन्दावन में एक पूर्वनिश्चित कार्यक्रम की वजह से वे रैली में भाग नहीं ले सके।

अल्टीमेटम सर्जिकल स्ट्राइक

आन्दोलन के अगले क़दमों की ओर इशारा करते हुए अग्रवाल ने तुरंत प्रभाव से ओला व ऊबर पर लगी बैन को लागू करने व दिल्ली हाई

रंग बदलती ओला उबर

मित्रों, कुछ दिनों पूर्व ही बिजवासन के विधायक कर्नल देवेंद्र सहरावत, न्याय भूमि के सचिव राकेश अग्रवाल और मैंने यानि अनुज अग्रवाल, संपादक, डायलॉग इंडिया ने प्रेस वार्ता कर ओला और ऊबर कंपनियों पर वेंचर फंडिंग के माध्यम से देसी टैक्सी और ऑटो कम्पनियों और चालकों को बर्बाद करने के आरोप लगाये थे। हमने दावा किया था कि इन कम्पनियों के फण्ड खत्म होते जा रहे हैं और अब चूंकि बाज़ार पर इनका कब्जा हो चुका है इसलिए शीघ्र ही ये अपना किराया बढ़ाती जाएंगी और ड्राइवरों को दिए जाने वाले इंसेंटिव कम करती जाएंगी। हमारा दावा नवभारत टाइम्स की यह रिपोर्ट सही सिद्ध कर रही है। फ़िलहाल दिल्ली में ही ये कंपनियां 240 करोड़ रूपये प्रति माह मुफ़्त सब्सिडी अपनी जेब से बांट रही हैं। अब वसूली का समय शुरू हो गया है। जागो ग्राहक जागो।

ओला और ऊबर के खिलाफ आपराधिक शिकायत दायर

मोटर वाहन अधिनियम के तहत 26 करोड़ का चालान काटने व एफआइआर दर्ज करने का आग्रह

मौलिक भारत के ट्रस्टी और एनजीओ न्यायभूमि के सचिव राकेश अग्रवाल ने एप आधारित कैब सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों ओला व ऊबर के संचालकों के खिलाफ तीस हजारी कोर्ट में आपराधिक शिकायत दायर की है। याची ने अदालत से कंपनियों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत 26 करोड़ का चालान काटने व एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया है।

याची के मुताबिक दोनों कंपनियां गत तीन वर्षों से अधिक समय से राजधानी में नियमों को ताक पर रख धड़ल्ले से अपनी कैब दौड़ा रही हैं। इनके पास मोटर वाहन अधिनियम की धारा 93 के तहत लाइसेंस नहीं है। इन्होंने यह लाइसेंस दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग से प्राप्त नहीं किया है। ये कंपनियां मनमाना किराया वसूल रही हैं। इसके लिए कानून में 10 हजार रुपये जुर्माना व एक साल की कैद का प्रावधान है। ये सभी अपराध संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में अदालत आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी करे। याची का दावा है कि उसने इस बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री व पुलिस आयुक्त से भी शिकायत की, लेकिन अभी तक किसी ने इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की है। याची का दावा है कि पिछले दो वर्षो में इन कंपनियों की कैब ने 13 करोड़ टिप लगाई। इनके पास औसतन 30 हजार ऑटो-टैक्सियां हैं। ऐसे में इन कंपनियों के खिलाफ अगर 13 करोड़ का चालान काटा जाता है तो सरकार को 65,000 करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में मिलेंगे। वहीं, बिना लाइसेंस वाहन चलाने के तहत 13 करोड़ का चालान काटने पर 26,000 करोड़ रुपये अलग से वसूल किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि संस्था ने गत सितंबर में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में इस संबंध में एक मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें सवारियों को 9,239 करोड़ रुपये वापस लौटाने की मांग रखी गई थी जो इन कंपनियों ने सवारियों से सर्ज प्राइस (निर्धारित किराये से अधिक) में गैर कानूनी रूप से वसूल किए थे।

कोर्ट द्वारा बनायीं गयी पालिसी समिति के सामने किसी स्टेडियम या ऑडिटोरियम में बुलाकर चालको को सीधे अपनी बात रखने का मौका देने की मांगें रखी। उन्होंने चेतावनी दी की जब तक सरकार इन जायज मांगों को मान नहीं लेती, हर ऑटो और टैक्सी पर पोस्टर लगेगा और जनता को ओला ऊबर के गैर कानूनी तरीके बताकर और उनसे होने वाले दीर्घकालीन नुक्सान बताकर जनमत को अपने पक्ष में किया जाएगा।

एक अल्टीमेटम जारी करते हुए अग्रवाल ने कहा कि यदि 21 नवंबर तक मांगें नहीं मानी गयी तो 50,000 ऑटो टैक्सी चालक इकट्ठा होंगे और केजरीवाल-ओला-ऊबर की तिकड़ी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के प्रारूप और विवरण को नहीं बताया गया।

अपने ही ऑटो-घोषणा-पत्र को लागू करने में विफल केजरीवाल

अग्रवाल ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि ऑटो चालकों ने उनकी पार्टी को जिताने और सरकार बनने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई पर केजरीवाल ने ऑटो सेवा को सुधारने या चालकों के हित के लिए कुछ नहीं किया। अग्रवाल ने 'आप' के घोषणा पत्र से 8 वायदों को पढ़ा और दावा किया कि केजरीवाल ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने विशेष तौर पर ऑटो-फाइनेंस-माफिया, मंजूरशुदा ऑटो स्टैंडों की कमी और तर्कहीन ऑटो किराये ले बात की और कहा कि किराया ढांचा बदलते परिवेश व ज़रूरतों के मुताबिक़ ठीक नहीं किया गया।

केजरीवाल भ्रष्टाचार में डूबी जीपीएस स्कीम को बिना कारण ढो रहे हैं

मार्च 2013 में अग्रवाल द्वारा बुलाई गयी एक रैली में केजरीवाल ने वादा किया था कि सरकार बनने पर वे जीपीएस स्कीम की जांच कराएंगे जिसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। लेकिन आज भी वही स्कीम ज्यों की त्यों चल रही है। जीपीएस से ना आज तक कोई चोरी गयी ऑटो मिली है और ना ही किसी सवारी का छूटा हुआ सामान उसे मिला है। ऐसे में फायदा क्या है जीपीएस का? इन को क्षेत्र विशेष में ट्रैक तक नहीं किया जा सकता। पर फिर भी DIMTS नामक प्राइवेट कंपनी को केजरीवाल ने हर महीने ऑटो टैक्सी चालकों से कण्ट्रोल रूम के नाम पर 1,50,00,000 रूपए वसूलने की छूट दे रखी है। कण्ट्रोल रूम मात्र 1-2 मेजों पर सजे 2-3 कंप्यूटरों का एक कमरा मात्र है जिसमें क्या होता है केवल भगवन ही जानता है। सरकार द्वारा बनायीं 'पूछो एप' का कहीं अता पता नहीं है।

अग्रवाल ने मांग रखी कि चूंकि जीपीएस लग ही चुके हैं तो उनका कण्ट्रोल यूनियनों और एसोसिएशनों को दे दिया जाए जो ना केवल वास्तविक सेवा देंगी बल्कि कोई शुल्क भी नहीं मांगेगी।

सुधार

आन्दोलन की महिला नेत्रियां योगिता भयाना और रंजू मिन्हास ने कहा कि दीर्घकाल में ओला ऊबर के खतरे को दूर रखना है तो परिवहन क्षेत्र में सुधार करने ही पड़ेंगे। इन सुधारों को ना तो अकेले राज्य सरकार और ना ही अकेले चालक वर्ग ला सकता है। ईमानदार और प्रोफेशनल परिवहन सेवा के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना सरकार का काम है और उस माहौल को बनाये रखना चालक वर्ग का। दोष किसी एक को देना ठीक नहीं।

सबसे कॉमन रिफ्यूजल और ओवरचार्जिंग की शिकायतों का ज़िक्र करते हुए राकेश अग्रवाल ने कहा कि पिछले 15 सालों में यात्रा में लगने वाले समय के हिसाब से दिल्ली-एनसीआर बहुत बड़ी हो गयी है जिसके मद्देनज़र एक नयी सोच की ज़रुरत है। इस बात का तरीका निकालना पड़ेगा कि स्थानीय यात्राओं के लिए बना ऑटोरिक्शा कहां और किस हिसाब से चलेगा ताकि उससे बाहर या दूर की सवारी को वो कानूनी रूप से मना कर सके या ज्यादा पैसा मांग सके। आज एक ऑटो या टैक्सी चालक की लागत में सबसे बड़ा घटक समय की कीमत होती है पर उसका कोई मूल्य उसे ना के बराबर मिलता है। इसलिए किराए के ढांचे को भी तर्कसंगत बनाना होगा।

जिन नियमों के तहत चालक को चलना पड़ता है, वे भी काफी जटिल और उलझाने वाले होते हैं जिससे गुज़ारा करना मुश्किल होता है। अधिकारियों तक को कानून का पता नहीं होता। उदहारण के तौर पर राकेश अग्रवाल ने आरटीआई से प्राप्त एक जवाब भी हवा में लहराया जिसमें दिल्ली परिवहन विभाग ने माना कि वर्दी के रंग को लेकर नियमों और परमिट की शर्तों में ही विरोधाभास है। नियम 7 कहता है कि वर्दी खाकी होनी चाहिए जबकि परमिट की शर्तें कहती हैं कि ते स्लेटी होंगी। जूते, बेल्ट, जेबें, कंधे पर पट्टी, कपड़े का प्रकार, सिलाई का विवरण आदि बातों को लेकर कोई नियम या शर्तें ही नहीं हैं लेकिन जूते ना पहनने या कंधे पर पट्टी ना होने से बार बार चालान होते रहते हैं।

एक मजबूत यूनियन

'संघर्ष, संगठन और सुधार' का नारा देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता उमेश शर्मा ने एक ऐसी मजबूत चालक यूनियन बनने के मंतव्य की घोषणा की जिसमें हर प्रकार के वाहन के सभी चालक सदस्य होंगे। अधिक विवरण नहीं दिया गया।

गांधी जयंती पर राष्ट्रीय लोकस्वराज्य अभियान के तहत

मौलिक भारत का प्रधानमंत्री जी को पत्र

प्रतिष्ठा में
श्री नरेंद्र मोदी जी
प्रधानमंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली
बिषय : देश में लोक स्वराज्य की स्थापना हेतू अनुरोध पत्र

मेरी भाषा, मेरी संस्कृति, और मेरी तकनीक से।
विश्व गुरु बन गये थे हम, अब घिर गए अमरीका - चीन से।

माननीय महोदय,

राष्ट्रीय लोक स्वराज अभियान, मौलिक भारत बनाने हेतू आम हिंदुस्तानी का अभियान है, जिसका स्वप्न महात्मा गांधीजी ने देखा था। वो आदमी जो गांवों में, कस्बों में और शहर के स्लमों और गली-कूचों में रहता है। वो आदमी जिसे बाज़ार निम्न वर्ग यानि गरीब और मध्यम वर्ग कहता है। वो आदमी जो उच्च वर्ग के सपनो और महत्वाकांक्षाओं के लिए जीवन को कोल्हू के बैल जैसा जुतवा देता है। हमारे परिश्रम और दिमाग की कीमत पर और हमारे नाम पर उच्च वर्ग, कारपोरेट और सरकारें लोकतंत्र,जनहित ,जनाधिकार , जनता का हक़ और समाज कल्याण को ड्रामा पर प्रपंच खड़ा करते हैं और हम लोग वहीं के वहीं खड़े रहते हैं और हमारे नाम के सहारे यह वर्ग सफलता और तरक्की की सीढ़ी चढ़ता जाता है।

क्या हमे अपने लिए कानून बनाने, अपने हिसाब और जरुरतों के अनुरूप योजनाओं के लिए आबंटित धन खर्च करने का हक़ नहीं मिलना चाहिए?

कहने को भारत के संविधान में 73 वें और 74 वें संशोधनों के माध्यम से देश की ग्राम, ब्लाक और जिला परिषदों तथा नगर और महानगर पालिकाओं को दर्जनों स्थानीय हितों और आवश्यकताओं के विषयों पर कानून बनाने और बजट बना खर्च करने का अधिकार दिया गया और स्वराज की अवधारणा को स्थापित किया गया है।

1) व्यवहार में शहरी निकायों को तो अपने अधिकारों और हक़ के पालन के लिए बजट, धन और अनुदान की व्यवस्था की गयी किंतु ग्राम सभा, पंचायतों, ब्लाक तथा जिला परिषदों को दी गयी संवैधानिक शक्तियां और धन को उत्तरोत्तर कम किया जाता रहा।
2) 6 लाख ग्राम सभा जो कि संविधान के अनुरूप निर्णय लेने वाली सबसे प्राथमिक इकाई थी को जीवंत ही नहीं किया गया और 2.5 लाख ग्राम पंचायतें ग्राम सभाओ की शक्तियां को निगल गयी। ऐसे में ग्राम सभा जो गांव के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से बनाई गयी दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक इकाई है, की शक्तियों की उपेक्षा और अवहेलना हुई तथा ग्राम पंचायतों, ब्लाक समितियों और जिला परिषदों पर योजना/नीति आयोग, राज्यों के सचिवालय, और जिला प्रशासन के साथ मिलकर विकास माफिया ने कब्ज़ा जमा लिया।
3) स्वराज की मूल संकल्पना हज़ारों साल से चली आ रही स्थापित मूल्यों, विधियों, स्वास्थ्य-शिक्षा-न्याय पद्धतियों, कलाओं, परम्पराओं, भाषा, संस्कृति और कुटीर उद्योगों और कृषि- सेवा-व्यापार पद्धतियों का संरक्षण और संवर्धन था किंतु व्यवहार में बाजार और विकास माफिया जो विश्व बैंक, विश्व व्यापार संघ और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों की पूर्ति का उपकरण बन गए। जिससे कृषि आधारित परम्परागत ग्रामीण समाज और अर्थव्यवस्था का ढांचा ही बिखर गया।

ऐसे में मौलिक भारत की मांग है -

1) ग्राम सभा की शक्तियों को पुनर्जीवित किया जाये।
2) संविधान संशोधन 73 में दिए गए विषयों के क्रियान्वयन में हज़ारों वर्षों से स्थापित विधियों, मूल्यों, नियमों और प्रक्रियाओं को स्थापित किया जाये और योजना/नीति आयोग, राज्य और जिला प्रशासन की हस्तक्षेप बंद की जाये।
3) परम्परागत भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था और संस्कृति के संवर्धन हेतु एक अनुसंधान केंद्र प्रत्येक प्रदेश में खोला जाये।
4) भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कुटीर उद्योगों की पुनर्स्थापना हेतु ग्राम सभाओं को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाये।
5) कृषि आधारित उद्योगों और व्यापार का संचालन कृषक परिवार का सदस्य ही करे यह सुनिश्चित होना चाहिए और तकनीकी एवं प्रबंध के उच्च शिक्षा संस्थानों की देशभर में एक श्रृंखला का निर्माण हो जो कृषि और ग्राम से जुड़े परिवारों के सदस्यों के लिए ही हो और पूर्णत: भारतीय परम्परागत ज्ञान को प्राथमिकता दे और आधुनिक ज्ञान का मात्र आवश्यक अंश जो उसका पूरक हो, ले।
6) शहरीकरण की प्रक्रिया को इस प्रकार नियंत्रित किया जाये कि देश की 50 प्रतिशत आबादी शहर में और 50 प्रतिशत गांवों में रहे और विधान सभाओं और संसद में भी उनका प्रतिनिधित्व इसी अनुपात में हो।

भवदीय
अनुज अग्रवाल
संस्थापक ट्रस्टी
मौलिक भारत ट्रस्ट
www.maulukbharat.org

यादव सिंह सिंडीकेट

यह जांच रेंग क्यों रही है? - मौलिक भारत

मित्रों, आपको याद होगा पिछले वर्ष मौलिक भारत के लगातार किये गए खुलासों, प्रेस वार्ताओं, विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं और आयोगों को शिकायतों और दबाव और फिर हमसे जुड़ी कार्यकर्ता की पीआईएल के बाद उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने नोयडा, ग्रेटर नोयडा और यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरणों के मुख्य अभियंता यादव सिंह के खिलाफ सी बी आई जांच के आदेश दिए थे। (जिसमें संस्था से जुड़े के विकास गुप्ता और नूतन ठाकुर का विशेष योगदान रहा)। किंतु पिछले एक वर्ष में सीबीआई की जांच जिस तरह से रेंग रही है वह इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि या तो वह दबाव में है या उसके जांच से जुड़े अधिकारी खरीदे जा चुके हैं। मौलिक भारत के लगातार दबाव के बाद ही यादव सिंह को सी बी आई ने काफी देर

से गिरफ्तार किया था। हमने जो सबूत मीडिया और विभिन्न जांच एजेंसियों और आयोगों को जारी किये थे उनसे स्पष्ट था कि यह कई लाख करोड़ का घोटाला है जिसमें पिछली मायावती और वर्तमान अखिलेश सरकार और उनके परिजनों सहित हज़ारों सफेदपोश शामिल हैं। सच्चाई तो यह है कि यादव सिंह तो एक मुखौटा मात्र है और उस जैसे हज़ारों घोटालेबाज आज भी खुले घूम रहे हैं। किंतु सी बी आई ने अभी तक मात्र एक हज़ार करोड़ से भी कम के ठेकों को अपनी जांच का केंद्र बनाया हुआ है और उसमें भी अभी तक सीबीआई की विशेष अदालत में सारी चार्जशीट भी दाखिल नहीं कर पायी है।

मौलिक भारत केंद्र सरकार, सभी जांच एजेंसियों और उच्चतम न्यायालय से अपील करता है कि इस घोटाला सिंडीकेट की समग्र जांच की जाये और सभी दोषियों को दंड दिया जाये, साथ ही जो राजस्व का नुकसान देश को हुआ है वह इन घोटालेबाजों से वसूलकर सरकारी खजाने में जमा कराया जाये।

भारत संस्था ने बिल्डरासुर का पुतला फूंका

मौलिक भारत संस्था ने बिल्डरों के द्वारा लगातार की जा रही धोकाधड़ी, वादा खिलाफी एवं उत्पीड़न के खिलाफ बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन नोएडा पर प्रदर्शन करते हुये बिल्डरों के प्रतीक स्वरुप दशहरे की पूर्व संध्या पर 'बिल्डरासुर' का पुतला फूंका।

बिल्डरों के द्वारा लम्बे समय से ग्राहकों का मानसिक एवं आर्थिक रूप से उत्पीड़न किया जा रहा है और अपने जीवन भर की कमाई लगाने के बावजूद आज ग्राहक अपने मकान की आस में दर दर ठोकरे खाने के लिये मजबूर हैं। लम्बे समय से धरने एवं प्रदर्शन के बावजूद उनकी पीड़ा को सुनने वाला कोई भी नहीं है और तो और अगर किसी ग्राहक को मकान मिल भी जाता है तो अपने घटिया निर्माण सामग्री, बढ़ा हुआ एफएआर, गलत स्ट्रक्चर डिजाइन के कारण वह जीवन भर उसी में रहने को मजबूर किया जा रहा है।

बिल्टअप एरिया, सुपर एरिया, कारपेट एरिया, कवर्ड एरिया, अनकवर्ड एरिया, लोडिंग, अन लोडिंग आदि जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके ग्राहकों को परेशान करके उनसे जबरन वसूली की जा रही है और जब इन सबके खिलाफ कोई ग्राहक आवाज उठाता है तो उसे कोर्ट केस के नाम पर धमकाकर चुप कराने का प्रयास किया जाता है।

आज स्थिति यह आ गयी है बिल्डरों ने सीधा कोर्ट में जाकर कहना शुरू कर दिया है कि उनके पास मकान बनाने को व अथारिटी को जमीन की किश्त देने का पैसा ही नहीं है और अथारिटी भी इन बिल्डरों को डिफाल्टर घोषित करके जमीन का आवंटन कैंसिल करने में लगी हुई है और उसने भी ग्राहकों से कहना शुरू कर दिया है उसकी ग्राहकों के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है।

इस पुतला दहन का मकसद सरकार तथा अथारिटी का ध्यान पीड़ित ग्राहकों की तरफ आकर्षित कराने का था, साथ ही ग्राहकों को जागृत करने का भी था जिससे ग्राहक बिल्डरों के झूठे आश्वासनों में न फंसे।

आज के बिल्डरासुर पुतला दहन में शामिल होने वालों में के0 विकास गुप्ता अनुज अग्रवाल, डॉ कमल टावरी, राजेश गोयल, कर्नल अब्दुल रसूल खान, संदीप अग्रवाल, विवेक श्रीवास्तव, रणपाल अवाना, दीपक विग आदि के साथ अन्य पीड़ित ग्राहक भी मौजूद रहे।

मौलिक भारत ट्रस्टीगणों और राष्ट्रीय परिषद की बैठक

नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा, ट्रस्ट में जुड़े नए ट्रस्टी

दिनांक 22 अक्टूबर 2016 को नोएडा स्थित मुख्य कार्यालय में प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक हुई ट्रस्टिगणों और विशेष आमंत्रित सदस्यों तथा सायं 4 बजे से 7 बजे तक राष्ट्रीय परिषद की बैठक संपन्न हुई। दोनों बैठकों में निम्न निर्णय लिए गए।

1) राष्ट्रीय परिषद ने बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टी के निर्णय पर मोहर लगाते हुए सर्वसम्मति से क्रमशः राजेश गोयल को मौलिक भारत का अध्यक्ष, अनुज अग्रवाल को महासचिव और डॉ अमरनाथ ओझा को कोषाध्यक्ष चुना। यह चयन 3 फ़रवरी 2017 तक का होगा। इस अवसर पर पिछले दोनों अध्यक्षों आदरणीय पवन सिन्हा जी एवं आदरणीय गजेन्द्र सोलंकी जी के योगदान को सराहा गया। अन्य पदों पर पदाधिकारियों का चयन भी 3 फ़रवरी 2017 तक स्थगित रखा गया है। आगामी तीन महीनों में पदाधिकारियों, सभी ट्रस्टिगणों और सदस्यों की सक्रियता, इच्छा और क्षमता के अनुरूप सर्वसम्मति से निर्णय लेकर पूर्ण कार्यकारिणी की घोषणा 3 फ़रवरी 2017 को संस्था की स्थापना के चार वर्ष पूर्ण होने पर की जायेगी। फिलहाल गोपाल प्रसाद अध्यक्ष और महासचिव के प्रशासनिक कार्यो में सहायता के लिए और जितेंद्र तिवारी कोषाध्यक्ष के कार्यों की सहायता के लिए चयनित किये गए हैं।

2) ट्रस्ट का संशोधित संविधान और पुनर्गठित बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीगण का राष्ट्रीय परिषद ने स्वागत किया। ट्रस्ट डीड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में है। सदस्यों की जानकारी के लिए शीघ्र ही इसे संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

3) अब संस्था के 50 तक ट्रस्टी हो सकते हैं। वर्तमान में यह संख्या 20 है। कोई भी सदस्य अपनी योग्यता, सक्रियता, समर्पण और कार्यों से ट्रस्टी बनने का दावा कर सकता है।

4) कार्यों की दृष्टि से बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टी की चार समितियां प्रस्तावित हैं –

अ) सरकार और कारपोरेट में सुशासन के लिए संघर्ष हेतु समिति। इसमें निम्न सदस्य प्रस्तावित हैं –

विकास गुप्ता, नीरज सक्सेना, डॉ सुनील मग्गू, राकेश अग्रवाल प्रशांत पटेल, अनंत त्रिवेदी, विशेष आमंत्रित सदस्य – संजीव गुप्ता, राहुल राज मलिक, शुभम मंगला

ब) भारतीयता, राष्ट्रीयता, संस्कृति और शिक्षा के संवर्धन हेतु समिति, इसमें निम्न सदस्य प्रस्तावित हैं – पवन सिन्हा, ईश्वर दयाल कंसल, गजेन्द्र सोलंकी

स) लोक स्वराज्य की स्थापना हेतु संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधन को कार्यरूप में लागू करने के लिए संघर्ष हेतु समिति, इसमें निम्न सदस्य प्रस्तावित हैं –

रणवीर शर्मा, डॉ कमल टावरी, प्रदीप गांधी, सुदेश अग्रवाल, कर्नल देवेंद्र सेहरावत, उमेश गौड़, उषा ठाकुर। विशेष आमन्त्रित सदस्य – राजेशवर मुनि, ओंकार मित्तल, रामकुमार अत्री, इंदु सिंह, पिंकी चौधरी, अवनीश सिंह, पुनीत गोस्वामी, रजनीश झा, मनोज सिंह यादव, सत्यवान सिंह

द) केंद्रीय संचालन और समन्वय समिति, इसमें निम्न सदस्य प्रस्तावित हैं –

राजेश गोयल, अनुज अग्रवाल, डॉ

अमरनाथ ओझा, सुसज्जित कुमार, विशेष आमंत्रित सदस्य – गोपाल प्रसाद एवं जितेंद्र तिवारी

नोट : इन समितियों में अभी और नाम जोड़े जाएंगे और 3 नवंबर तक इसे अंतिम रूप दिया जायेगा। सदस्य अपनी रूचि के अनुरूप परिवर्तन का अनुरोध भी कर सकते हैं।

5) कल आयोजित विशेष कार्यशाला में स्वराज्य की स्थापना हेतु संघर्ष की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्वराज की स्थापना हेतु जमीनी लड़ाई के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिन्दू रक्षा दल के साथ मिलकर, हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय लोकस्वराज पार्टी के साथ मिलकर और दिल्ली के दक्षिण पूर्वी जिले में नेशनल युथ पार्टी के साथ मिलकर आगामी तीन महीनों में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत जन संघर्ष, शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय निकायों की शक्तियों की कार्यरूप में वापसी हेतु सामजिक आंदोलन किया जायेगा। इसकी विस्तृत योजना 3 नवंबर को दिल्ली में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में सम्बंधित समिति द्वारा स्पष्ट की जायेगी। इस कार्ययोजना का समापन 26 जनवरी 2016 को दिल्ली में एक सशक्त प्रदर्शन के साथ किया जायेगा और इसके उपरांत तीनों प्रदेशों के प्रत्येक वार्ड और ग्राम सभा में इसका विस्तार कर बड़ा आंदोलन कर राज्य सरकारों और केंद्र पर स्थानीय निकायों की शक्तियों को कार्यरूप में लागू करने के लिए विवश कर जनता के हाथ में निर्णय की शक्ति दी जायेगी।

6) साथियों, मौलिक भारत एक व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है जो भारत के हज़ारों साल की समृद्ध संस्कृति, भाषाओं, योग, आयुर्वेद, ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म और जीवन दर्शन को पुनरस्थापित करने और आधुनिक पश्चिमी ज्ञान और शासन व्यवस्था के बीच तालमेल बैठाने के लिए कार्यरत है। इसके सभी ट्रस्टिगणों को पुरातन और अद्यतन ज्ञान दोनों का समान ज्ञान होना आवश्यक है।

7) एक ट्रस्टी से अपेक्षा है कि वो प्रेरक हो, सकरात्मक हो, सबको साथ लेकर चलने वाला हो, संस्था को आगे ले जाने वाला हो और कुशल वक्ता हो। साथ ही उसका संस्था की स्थापना से अथवा जब से जुड़ा हो, तब से अब तक संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में सराहनीय योगदान रहा हो।

साथ ही एक ट्रस्टी के रूप में वो कितने सदस्य संस्था से जोड़ पाया, पिछले पद पर रहते हुए उसका कार्य कितना प्रभावी रहा यह भी जरूरी मापदंड है। नियम, कायदे कानूनों की बात अपनी जगह महत्वपूर्ण है किंतु संस्था के दर्शन, चिंतन, नीतियों और कार्यक्रमों पर उसकी पकड़, सभी पदाधिकारियों और सदस्यों से संस्था के हित में संपर्क और उनकी हर जरुरत के समय हर प्रकार की सहायता भी प्रत्येक ट्रस्टी की जिम्मेदारी होती है।

8) मौलिक भारत अब बहुस्तरीय ढांचे में काम कर रहा है। हम थिंक टैंक के रूप में तो उभर ही रहे हैं साथ ही सिस्टम और कारपोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। अब हम बड़े सांगठनिक विस्तार, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी काम करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में राजनेताओं, नौकरशाहों, न्यायपालिका, मीडिया, बुद्धिजीवियों और जनता से निरंतर और तीव्र संवाद जरूरी है। इसके लिए हमारी अनेक विंग सक्रिय हैं। उनको नॉलिज इनपुट, समन्वय, सहायता और संसाधन देना भी अध्यक्ष सहित प्रत्येक ट्रस्टी की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है।

9) हमसे जुड़ने वाले नए ट्रस्टिगणों का भी शानदार अतीत और उपलब्धियां है उनसे समन्वय और सहकार के साथ उनके ज्ञान अनुभव और सम्पर्क व संसाधनों का सही उपयोग और उनका यथोचित सम्मान भी हम सबकी जिम्मेदारी है। उनका और कई पुराने ट्रस्टीगण के जमीनी कार्यों का परीक्षण और संस्था से जुड़ाव और उनसे जो अपेक्षाएं की गयी हैं उनका परीक्षण अगली 31 जनवरी 2017 तक किया जाये और जैसी जिसकी योग्यता और सहभागिता हो उसी अनुसार उसे पद दिया जाये। जो भी ट्रस्टी जिस भी विषय और कार्ययोजना को लाये उसे उस अभियान का संयोजक बनाकर बाकि सब उसके नेतृत्व में काम करे।

10) राज्यों की कार्यकारिणी पूर्ववत रहेंगी। शीघ्र ही उन्हें नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।

ग़ाज़ियाबाद स्थित लाइन पार क्षेत्र में गौशाला फाटक पर आयोजित हिन्दू रक्षा दल और मौलिक भारत के राष्ट्रवादी युवाओं के कार्यक्रम में भाग लेते हुये श्री पिंकी चौधरी जी, अनुज अग्रवाल जी, के. विकास गुप्ता जी, अमित चौधरी आदि के साथ...

मौलिक भारत के सफल हुए प्रयास

डी एन डी हुआ टोल मुक्त

● अनुज अग्रवाल

मौलिक भारत के सैंकड़ों सदस्यों और दिल्ली एवं नोएडा के गणमान्य नागरिकों ने 27 अक्टूबर से डी एन डी टोल के बंद हुए कलेक्शन विंडो के सामने एकत्र होकर टोल बंद करवाने में पायी सफलता का जश्न मनाया। इसमें पुल से गुजरने वाले सैंकड़ों यात्रियों ने संस्था के प्रयासों को सराहा और संस्था का आभार प्रकट किया। संस्था के सदस्यों ने मिठाई का वितरण किया और आतिशबाजी की। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष राजेश गोयल, महासचिव अनुज अग्रवाल, संस्था की डी एन डी टोल मुक्ति संघर्ष समिति के संयोजक के. विकास गुप्ता, प्रसिद्ध समाजसेवी महेश सक्सेना, ओंकार मित्तल, उमेश गौड़, चमन अवाना, पुनीत गोस्वामी, जुगल चावला, अमित चौधरी आदि प्रमुख थे।

डी एन डी : यह दस किलोमीटर का पुल, लूट के आयाम और मौलिक भारत की मांग

मौलिक भारत के ट्रस्टी कप्तान विकास गुप्ता ने 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में केविएट अर्जी दायर की। मौलिक भारत की ओर से उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया है कि लंबी लड़ाई के बाद नोएडा और एनसीआर की जनता को डीएनडी टोल ब्रिज कम्पनी की लूट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत दी है। मौलिक भारत ने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि उनके पास डीएनडी लूट के सारे प्रमाण है तथा उनको सुने बगैर टोल कंपनी को कोई स्टे या राहत नहीं दी जाए। अंततः उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे देने से इन्कार करते हुए टोल कंपनी के खातों की तीस दिन के अंदर सीएजी जांच के आदेश दे दिये हैं। मौलिक भारत ने सीएजी को सारे सबूतों सहित अपना प्रतिवेदन भेज दिया है।

डी एन डी पुल पर टोल के नाम पर लूट करने वाले भ्रष्ट नौकरशाही सिंडीकेट के मान का मर्दन, उनके झूठे घमंड को मात्र 18 महीनों में चकनाचूर कर दिया मौलिक भारत के मुक्तिदूतों ने। हमारे साथी और अब नोएडा के सच्चे जननेता केप्टन विकास गुप्ता ने जब मुझसे यादव सिंह सिंडीकेट और फिर डी एन डी सिंडीकेट के भ्रष्टाचार के विरुद्ध मिलकर लड़ाई करने का प्रस्ताव दिया तब मुझे रत्तीभर अहसास नहीं था कि यह संघर्ष इतना खतरनाक और कांटों भरा है। अपने संगठन के सभी साथियों को तैयार कर हम इस लड़ाई में कूद पड़े। और पिछले दो वर्ष

का एक निरंतर संघर्ष का अकल्पनीय दौर अब लगता है मुकाम पर पहुंचने की ओर है। मौलिक भारत में हम दर्जनों मुद्दों पर लड़ रहे हैं किंतु जो निरंतर जनसम्पर्क, जनसंवाद, खुलासे, दर्जनों छोटी बड़ी बैठक, सेमीनार, नुक्कड़ नाटक, कार्यशाला, प्रेस वार्ता, प्रेस विज्ञप्ति,धरने, प्रदर्शन, मांगपत्र, सोशल मीडिया अभियान, आर टी आई, पी आई एल, मेल, शिकायत पत्र, दबाव बनाने का काम हमने यादव सिंह सिंडीकेट और डी एन डी टोल लूट सिंडीकेट के खिलाफ किया वह अभूतपूर्व रहा। हम पर निरंतर दबाव बनाये गए, धमकियां दी गयी और छल बल से तोड़ने की कोशिश की किंतु हम नहीं बिके। अकल्पनीय रूप से यादव सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच बैठी और अब वह जेल में है और अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे तीनों प्राधिकरणों के ठेके (लगभग 20 हज़ार करोड़ रूपये सालाना) ई टेंडरिंग से उठते हैं। इस कारण सरकार को 30 प्रतिशत सालाना यानि 6000 करोड़ की बचत शुरू हो गयी।

डी एन डी का मामला 6 वर्षों से इलाहाबाद उच्च न्यायलय में लंबित था। किंतु फोनरवा ने इस मामले की तीव्र सुनवाई के लिए कुछ भी नहीं किया। जब मौलिक भारत ने 9 अप्रैल 2015 को लखनऊ प्रेस क्लब में इस घोटाले का पूरा खुलासा किया तब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे मीडिया में न छपने या न प्रसारित होने की पूरी कोशिश की। किंतु ज़ी न्यूज़ और दैनिक जागरण ने हमारा पूरा साथ दिया और यह घोटाला पूरे देश तक पहुंच गया। इसके बाद भाजपा, भारतीय किसान यूनियन, फोनरवा, जनहित मोर्चा आदि भी इस मुद्दे संघर्ष हेतु सामने आए, किंतु किसी को भी न मुद्दे की गहराई पता थी और न आयाम। कोई भाजपा की दुकान चला रहा था तो कोई सपा की और कोई आआपा की तो कोई टोल कंपनी की। केंद्र में भाजपा की सरकार होते हुए भी क्षेत्र के सांसद जो मंत्री भी हैं और विधायिका फर्जी शोर और बयानबाजी के अलावा कुछ ज्यादा नहीं कर सके और उनकी आंखों के सामने संसद से मात्र 10 किलोमीटर दूर रोज एक करोड़ रूपये की खुली अवैध वसूली (अप्रत्यक्ष रूप से 1000 करोड़ रूपये सालाना) जनता से होती रही। अगर ये सब लोग सच्चे दिल से चाहते तो यह टोल बहुत पहले ही बंद हो चुका होता। मौलिक भारत का संघर्ष सत्य और न्याय का संघर्ष था इसलिए सफल हुआ। आज हमारा इन तथाकथित जागरूक सामजिक संस्थाओं और राजनीतिक नेताओं से प्रश्न है कि आप लोगों के होते हुए भी शहर में रोज बिल्डर जनता को लूट रहे हैं। 20 लाख करोड़ से ज्यादा के घोटाले हो चुके हैं। दर्जनों यादव सिंह खुलेआम घूम रहे हैं। शहर अराजकता, अपराध, बीमारियों और गंदगी का अड्डा है। आखिर क्यों?

सच तो यह है कि सन् 2001 से टोल वसूली के 6-7 वर्षों बाद ही जनता को लग गया था कि इस 10 किलोमीटर के पुल और सड़क का उससे कुछ ज्यादा ही वसूला जा रहा है। इसीलिए सन् 2008-09 से ही इस टोल वसूली के खिलाफ आवाजे उठने लगी थी और कई छोटे बड़े विरोधों के बाद लोगों को समझ आ चुका था कि यह नौकरशाही के एक सिंडीकेट द्वारा रचित लूट का ऐसा मायाजाल है जिसकी लूट के सब हिस्सेदार हैं। इस पुल को एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि उद्योग बना दिया गया जो दिन-रात पैसों की बारिश करता रहता था। स्थानीय नेताओं, समाजसेवियों और संस्थाओं को जब इस उद्योग का रहस्य समझ आता तब वे विरोध का स्वांग कर लूट के हिस्सेदार बन जाते क्योंकि इस खेल में तो नोएडा प्राधिकरण भी हिस्सेदार था और लखनऊ का पंचम तल भी। जब विरोध होता एक जांच समिति बनाने की घोषणा हो जाती। किंतु आज तक बनी किसी भी जांच समिति की रिपोर्ट ही नहीं आयी और अगर आयी तो अमल नहीं हुई। सरकार, प्रशासन और प्राधिकरण तीनों जगह मौलिक भारत ने टक्करें मारी मगर न तो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के आदेश के बाद भी पूर्व नौकरशाहों के सिंडीकेट की जांच हुई और न ही टोल समझोते की शर्तों की समीक्षा और न ही खातों का ऑडिट। सैंकड़ों बीघे अतरिक्त भूमि जो टोल कंपनी ने हड़पी उसकी जांच का भी अता पता नहीं। हज़ारों करोड के आयकर की लूट, 1 - 2 रूपये प्रति मीटर पर जमीन का आबंटन और 100 करोड़ की लागत को 408 करोड़ दिखलाना। हर साल लाभ के बाद भी बार बार हज़ारों करोड़ का घाटा दिखा टोल वसूली करते रहना कंपनी की बेशर्मी और राज्य व केंद्र सरकार की नाकामी का ही उदाहरण है। पुल से एक करोड़ रूपये प्रतिदिन टोल और इतना ही प्रतिदिन विज्ञापन का पैसा कमाया जाता था और शेयर बाज़ार से भी सैंकड़ों करोड़ का मुनाफा अलग। अवैध रूप से कब्जाई जमीन की बिक्री और किराये की कमाई और आयकर से छूट अलग। आश्चर्य है कंपनी ने 100 करोड़ के पुल की टोल वसूली के खिलाफ चलने वाले मुकदमों में ही 196 करोड़ खर्च कर डाले और सरकार एवं प्राधिकरण इस जन लूट के बिजनेस मॉडल से हिस्सेदारी वसूलते रहे। वास्तव में यह टोल समझौता हमारी संवैधानिक व्यवस्था, कानून के शासन और जनता के हितों पर एक तमाचा है।

डी एन. डी टोल ब्रिज, नोएडा, पूर्व शीर्ष आईएएस अफसरों के सिंडीकेट (माफिया) की सुनियोजित लूट - मौलिक भारत

दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाला प्रसिद्ध डी एन डी टोल ब्रिज दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की सुनियोजित व सांझी लूट का खेल है जिसमें सैंकड़ों वर्षों तक यह कार्टेल प्रतिदिन करोड़ों रुपये जनता से टोल के नाम पर लूटते हैं। लूट के इस खेल में उ.प्र. व दिल्ली की सत्तारूढ़ राज्य सरकारों की भी मौन

सहमति व हिस्सेदारी है जिस कारण अगले सैकड़ों वर्षों तक इस कम्पनी को टोल वसूलने के गैरकानूनी अधिकारी दिये गये हैं। इस पुल पर विज्ञापनों के माध्यम से भी सैंकड़ों करोड़ रुपये सालाना एक मीडिया हाउस वसूल कर रहा है।

– इन कपंनियों IL & LS व NTBCL के शीर्ष अधिकारियों में उ.प्र. व दिल्ली के 32 आई.ए.एस अधिकारी विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति काम कर चुके हैं जबकि यह एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है और सिविल सेवा के नियम सं. 6 AA के अनुसार विशेष स्थिति में ही भारत सरकार की अनुमति के बाद यह संभव है।

इस घोटाले में शामिल आईएएस अधिकारी हैं -

1. **गोपी अरोड़ा** – 1957 बैच का आई ए एस., NTBCL का पहला चैयरमेन बोफोर्स केस में चार्जशीटेड व जे.पी ग्रुप में पूर्व निदेशक।
2. **प्रदीप पुरी** – 1978 बैच का UT कैडर का आईएएस व गोपी अरोड़ा का रिश्तेदार, कंपनी NTBCL के बनते ही सिविल सेवा से त्यागपत्र देकर इसका सीईओ बन गया।
3. **आर के भार्गव** – यूपी का पूर्व मुख्य सचिव व 1997 से कंपनी का चैयरमैन। करोड़ों रुपये सालाना वेतन, उम्र 81 वर्ष।
4. **पीयूष मनकड़** – 1964 बैच को भारत का पूर्व वित्त सचिव, वर्तमान में कंपनी का निदेशक।
5. **सनत कौल** – 1971 बैच का आई ए एस, दिल्ली सरकार में सचिव रहा व समझौते में दिल्ली सरकार की तरफ से हस्ताक्षर किए, अब कंपनी का निदेशक।
6. **रवि माथुर** – 1970 बेच का यूपी केडर का आई ए एस, समझौते के समय नोएडा का सीईओ था। कई विवादास्पद निर्णयों व घोटालों में शामिल।
7. **प्रभात कुमार** – पूर्व कैबिनेट सचिव व राज्यपाल झारखंड विवादास्पद व अपराधियों का संरक्षक, नोएडा के पूर्व सीईओ रवि माथुर को अनेक स्तरों पर सहयोग व फायदा उठाया।

- इसका प्रमोटर श्री पेहरवानी को हर्षद मेहता शेयर बाजार घोटाले में सीबाआई ने गिफ्तार किया था तथा सीबीआई की कस्टडी में ही उनकी मौत हो गयी थी।
- IL&FS कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एक छोटी सी जगह महिन्द्रा टावर, चौथा तल, डॉ. भौंसले मार्ग वर्ली, मुंबई में है।
- NTBCL कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस भी एक छोटी सी जगह पीलीभीत हाउस, द्वितीय तल, शाहजहां रोड लखनऊ पर स्थित है।
- कंपनी के दिल्ली व उ.प्र. सरकारों से समझौते की प्रति कंपनी की वेबसाईट पर उपलब्ध नहीं है जो कानून के विरुद्ध है।
- जनता की सुविधा के लिए PPP मॉडल के तहत गठित यह कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड एक मात्र भारतीय टोल कंपनी है जिसके बैंक एकाउंट में 31 मार्च 2014 को 2411 करोड़ रुपये सरप्लस हैं और जो अपने एम डी व ईडी को बीस करोड़ सालाना वेतन देती हैं।
- कंपनी को नियमों में चालबाजी कर 'कन्सेशनल एग्रीमेंट' के तहर लागत की वसूली तक टोल वसूलने का अधिकार है। इस अधिकार में एक अवैध नियम यह डाला गया कि यदि निर्माण में आने वाली लागत का 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लाभांश नहीं मिलता तो कंपनी इसे अपनी मूल लागत में जोड़ती जायेगी। इस नियम से कंपनी का नोयडा प्राधिकरण पर 2954

क्या है मौलिक भारत के आरोप

1. कैसे और क्यों सिविल सेवा के 32 अधिकारी इस छोटे से पुल से संबंधित कम्पनी में कार्यरत रहे और उनमें से कुछ आज भी जमे हुए हैं।
2. समझौते की शर्तें जो पूर्णत: अवैध थी, को सरकारों के कानूनी विभागों ने कैसे मंजूरी दे दी?
3. पुल की मूल लागत को अवैध तरीके से कई गुना अधिक दिखाया गया और कभी भी इस पर आपत्ति नहीं की गई।
4. दैनिक संचालन के खर्चों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जा रहा है।
5. पुल से गुजरने वाले वाहनों की संख्या व वसूली काफी कम दिखायी जा रही है। अनुमान है कि प्रतिदिन पुल से दो लाख वाहन गुजरते हैं और सालाना वास्तविक वसूली 300 करोड़ रुपये तक है।
6. पुल निर्माण के समय कागजों पर दिल्ली सरकार ने 66 एकड़ व उ.प्र. सरकार ने 34 एकड़ जमीन एक रुपये सालाना की लीज पर कम्पनी को दी थी। फिर कम्पनी के पास 331 एकड़ अतिरिक्त जमीन कहां से आयी और इस अवैध जमीन कब्जाने की जांच व कार्यवाही का क्या हुआ?
7. कम्पनी को आयकर में सैंकड़ों रुपयों की छूट किस आधार पर दी जा रही है?
8. टोल वसूली के अधिकार 'अनन्त समय' तक के लिए क्यों दिये गये?
9. पुल पर विज्ञापनों का ठेका नोएडा प्राधिकरण द्वारा लगातार एक ही कम्पनी को क्यों दिया जाता है और वह भी नाममात्र की दर पर? जबकि जानकार बताते हैं कि मात्र विज्ञापनों से ही 300 करोड़ सालाना की कमाई की जा रही है।
10. उ.प्र. सरकार व दिल्ली सरकार ने आजतक टोल कम्पनी की अवैध वसूली व कार्यप्रणाली के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई वाद दाखिल क्यों नहीं किया? यहां तक कि कम्पनी को कोई कारण बताओ नोटिस तक जारी नहीं किया गया।
11. कम्पनी के खातों का सीएजी द्वारा ऑडिट क्यों नहीं कराया गया?
12. पूरे देश में टोल वसूली की एक स्पष्ट व पारदर्शी नीति क्यों नहीं है?
13. जब कम्पनी अपनी मूल लागत से बहुत अधिक वसूल चुकी है तो इस टोल को उ.प्र. सरकार बंद क्यों नहीं करा रही है?

करोड़ रुपये बकाया हो गया है। कंपनी का दावा है कि पुल की लागत 408 करोड़ रुपये व 31 मार्च 2014 तक कुल वसूली 690 करोड़ रुपये और बकाया 2950 करोड़ है और यह रकम नोएडा प्राधिकरण के अनुसार 2032 में 53352 करोड़ रुपये तक हो जायेगी और ऐसे में टोल वसूली अनन्त काल तक चलती रहेगी।

- IL&FS कम्पनी जो प्रोजेक्ट की प्रायोजक थी वही NTBCL की प्रमोटर बनायी गयी और अवैध रूप से उसका सारा निर्णय प्रक्रिया पर अधिकार है, इसी कारण वह मनमाना टोल वसूलता है और मनमानी दरों पर विज्ञापन का किराया भी।
- इस कम्पनी को बनाते समय उ.प्र. व दिल्ली के जिन आईएएस अधिकारियों ने यह समझौता कराया था वे ही बाद में अवैध रूप से इस कंपनी के अधिकारी बन गये जो सीधा-सीधा हितों का टकराव ही नहीं एक सुनियोजित लूट की प्रक्रिया थी जो पूर्णत: अवैध है मगर इसे वैध दिखाया जा रहा है।

- कम्पनी द्वारा बताई गयी निर्माण लागत मूल लागत से कई गुना बताई गयी। वसूला गया टोल कई गुना तक छुपाया गया है, यहां तक कि पुल से गुजरने वाले ट्रैफिक के आंकड़ों में भी बड़ी हेर-फेर की गई है। कम्पनी का ऑडिट भी कम्पनी एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध किया गया है व अनेक मदों में बढ़ा-चढ़ाकर खर्च दिखलाये गये हैं।
- योजना आयोग की अधो-संरचना समिति ने भी अगस्त 2007 में कहा था कि इस पुल के लिए किया गया समझौता कानून व जनता के विरुद्ध है तदापि लूट जारी है।
- आश्चर्य जनक रूप से इस कंपनी ने इतनी ही लागत में 15 साल बाद स्पेन में चार गुना बड़ा और भारत में आठ गुना बड़ा टोल ब्रिज बना दिया। स्पष्ट है कि डीएनडी पुल की निर्माण लागत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया।
- आश्चर्यजनक रूप से यह कंपनी अपनी अवैध कमाई पर कोई आयकर नहीं दे रही और सरकारी जमीन को अपना बताकर आयकर रिटर्न में छूट ले रही है और अरबों रुपये बना रही है।
- उ.प्र. के मुख्य सचिव ने पूर्व में IL& FS व NTBCL में संशोधन के आदेश दिये थे जिसे दबा दिया गया था।

ऐसे में मौलिक भारत, सीएजी एवं उच्चतम न्यायालय से यह मांग करता है-

1. डी.एन डी टोल ब्रिज घोटाले की जिम्मेदार प्रमुख दोनों कम्पनियों IL&FS व NTBCL को तुरन्त भंग किया जाये और उनके साथ किये सारे समझौते उ.प्र. एवं दिल्ली सरकार द्वारा रद्द किये जाये तथा DND टोल ब्रिज को टोलमुक्त किया जाये।
2. कम्पनियों को मिले गैर कानूनी संरक्षण व इसमें सिविल सेवा अधिकारियों की भागीदारी, खातों में हेरफेर, आय छिपाने व पुल प्रयोग करने वाले वाहनों की संख्या छुपाने, विभिन्न करों की चोरी, अवैध लूट आदि की सीबीआई, सीएजी, सीबीडीटी, कॉम्पटीशन कमीशन द्वारा संयुक्त जांच करायी जाये तथा दोषियों को दण्ड दिया जाये, साथ ही अवैध रूप से वसूले धन को वापस सरकारी कोष में जमा किया जाये। ■

मौलिक भारत की बड़ी जीत

अर्थक्रांति की ओर देश

● ोर्बि प्रिइङ्ग

मोदी सरकार ने मौलक भारत और अर्थक्रान्ति प्रतिष्ठान की बड़ी मांग मानी है। इन संस्थाओं ने पिछले वर्ष 500 और 1000 के नोट वापस लेने के लिए पत्र लिखा था। मोदी की कालेधन पर सर्जिकल स्ट्राइक की सबसे बड़ी बात यह है कि न तो भाजपा को इस निर्णय की भनक थी और न ही बैंकों के चेयरमैन स्तर तक के लोगों को। सच्चाई यह है कि भाजपा के अध्यक्ष सहित बड़े नेताओं के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। बैंक के कई उच्च अधिकारियों ने बताया कि पिछले दो दिनों से रिजर्व बैंक अनपेक्षित रूप से 500 और 2000 रूपये के नोट बैंको को भेज रहा था जो उन्हें अजीब लग रहा था, किंतु इतने बड़े निर्णय का अंदाजा नहीं था।

अर्थक्रान्ति और सुकून के ये पल

मैंने 14 अगस्त 2009 में जब डायलॉग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था तब से अब तक इन सात सालों में हमारा सबसे बड़ा संघर्ष भ्रष्टाचार, कालेधन और लूट के खिलाफ था। चार वर्ष पूर्व कई समान मानसिकता वाले मित्रों के साथ हमने जब मौलिक भारत के रूप में जमीनी संघर्ष शुरू किया तब भी भारतीयता के लिए संघर्ष के साथ ही भ्रष्टाचार से संघर्ष हमारी प्राथमिकता रहा और आज यह सुकून लग रहा है कि हमारी राह सही थी और अंतत: हम सफल रहे। अब हमारा अधिक ध्यान भारतीयता को स्थापित करने और विकेंद्रीकरण की दिशा में अधिक रहेगा। सच में सात वर्षों के अनवरत संघर्ष के बाद आज जो सुकून महसूस हो रहा है, उसके शब्द नहीं हैं मेरे पास।

अनुमान है कि भारत में 15 लाख करोड़ रूपये का कालाधन करेंसी के रूप में है। 500 और 1000 के नोट वापस लेने के मोदी सरकार के फैसले के बाद अब इस कालेधन का 3 से 5 लाख करोड़ तक ही सफेद हो पायेगा और उसके लिए भी करेंसी के जमाखोरों को अपने कर्मचारियों और रिश्तेदारों के अलावा जनधन योजना के तहत गरीबों के बैंक खातों का प्रयोग करना पड़ेगा वो भी इन लोगो को 10 से 50 प्रतिशत तक कमीशन का लालच देकर। उम्मीद है कि लगभग 10 लाख करोड़ के नोट रद्दी बन जायेंगे। ऐसे में रिजर्व बैंक पहले के मुकाबले एक तिहाई ही बड़े नोट जारी करेगा। ऐसे में यह आशंका निराधार है कि बड़े चोर फिर से अपना पूरा कालाधन सफेद कर लेंगे। अभी तो समस्या राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों, न्यायाधीशों, मीडिया हाउसों, सट्टेबाजों, हवाला कारोबारियों, तस्करों, अवैध आयत-निर्यात करने वालों, काला व्यापार करने वाले उद्योगपतियों और व्यापारियों, बिल्डरों, दलालों, आतंकियों, विदेशी फण्ड लेने वाली एन जी ओ और इन लोगों के कालेधन पर खड़ी फर्जी कंपनियों और उनसे जुड़े डमी लोगों के अस्तित्व की है। अब नेता - कारपोरेट और मीडिया हाउसों का काला गठजोड़ टूट जायेगा और सैंकड़ों चैनल और अखबार के साथ हज़ारों फर्जी कंपनियां बंद हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात महंगाई कम होती जायेगी और मकान बहुत ही सस्ते। पैसे के दम

पर राजनीति करने वाले फर्जी लोग अब जननेता नहीं बन पाएंगे। अब सही जननेता उभरने की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी और बौद्धिक संपदा वाले लोगों को सम्मान मिलना शुरू हो जायेगा।

अब इनका क्या होगा?

कालेधन पर मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद –

1) मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और चर्च पर जो नकद दान और चढ़ावा चढ़ता है वो अब मठाधीश कैसे हड़पेंगे?

2) जो कमीशन/रिश्वत नौकरशाह, न्यायाधीश और सरकारी कर्मचारी जनता से वसूलते हैं उसे कैसे लेंगे और कैसे खपायेंगे?

3) जो कमीशन और नकदी राजनेता और राजनीतिक दल लेते थे अब कैसे ले पाएंगे ।लोग क्यों देंगे और कैसे देंगे?

4) प्रेस्टिट्यूट मीडिया हाउस जो रोज नकद लेकर पेड न्यूज़ छापते हैं या प्राइम टाइम डिबेट चलवाते हैं अब कैसे चला पाएंगे?

5) जिन फर्जी कंपनियों और एनजीओ को कालाधन खपाने के लिए खड़ा किया जाता है वह अब कैसे संभव हो पायेगा?

6) देश में राजनीतिक नेताओं ने डमी लोग, संस्थाएं, कंपनियां और राजनीतिक दल तक खड़े किये हुए हैं, अब इनका क्या होगा जब नकद पैसा इनमें खपाया ही नहीं जा सकेगा?

7) टैक्स चोरी करने वाले व्यापारी और उद्योगपति अब कैसे यह खेल खेल पाएंगे जबकि नकदी का प्रवाह ही रुक जायेगा ?

8) अब कालेधन पर पलने और मौज करने वाले बिल्डर, सट्टेबाज, ड्रग्स और शराब के व्यापारी, होटल व्यवसायी, दलाल, फर्जी आयात- निर्यात के खेल में लगे लोग, करेंसी बाजार के हवाला कारोबारी, स्मगलर और आतंकियों के अलावा पेड बुद्धिजीवियों का क्या भविष्य होगा?

9) नकद डोनेशन और फीस लेने वाले स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, वकीलों, प्रोफेशनलों का क्या होगा?

10) शेयर बाज़ार और उसमे लगने वाले कालेधन यानि पी नोट्स, सट्टे, सोने, चांदी और हीरे के साथ ही जमीन और मकानों का व्यापर जो नंबर दो के पैसों से ही चलता है, का क्या भविष्य होगा?

मोदी का हाइड्रोजन बम और राजनीति

मोदी सरकार की कालेधन पर सर्जिकल स्ट्राइक ने भाजपा नेताओं सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की जमीन क्या, अस्तित्व ही हिला दिया है। देश में व्यक्तित्व और व्यक्तिवाद की राजनीति में जहां पार्टी के कुछ ही नेता सब कुछ होते गए और देश की राजनीति के साथ ही अर्थव्यवस्था की भी धुरी बनते गए। देश के सभी प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के अध्यक्ष और प्रमुख नेता 10 – 20 हज़ार करोड़ से लेकर 10-20 लाख से लेकर 50 लाख करोड़ तक के बिजनेस साम्राज्य के मालिक हैं। इस समय अधिकांश छुटभैय्ये नेता भी 5-7 करोड़ के और विधायक व सांसद तो सौ से हज़ारों करोड़ तक की औकात वाले हैं। देश के प्रमुख उद्योगों और व्यापार पर तो उनका कब्जा है ही, उससे कई गुना खेल विदेशो में है। इनकी सैंकड़ों कंपनियों में प्रतिदिन कमीशन, रिश्वत और घोटालों की काली कमाई को सफ़ेद बनाने का काम चलता रहता है। देश के सैंकड़ों नौकरशाह, सरकारी कर्मचारी और न्यायाधीश के साथ ही दलाली और मीडिया से जुड़े लोग भी इसी राह पर हैं। इसके साथ ही कर चोरी के उस्ताद उद्योगपति और व्यापारी तो हैं ही। इन सभी लोगों के पास देश में मौजूद करेंसी का 90 प्रतिशति तो है ही साथ ही 5 लाख करोड़ की जाली करेंसी भी है जो ये अपने गुर्गों यानि आतंकियों, नक्सलियों, ड्रग्स व पोर्न माफिया, शराब व सट्टा माफिया के माध्यम से देशभर में फैलाकर मोटा माल कमाते हैं।

राजनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी ने तात्कालिक रूप से पार्टी के भीतर और सभी विपक्षी नेताओं को भिखारी बना दिया है। अब चुनाव व्यापार नहीं बन पायेंगे। धीरे-धीरे सैंकड़ों राजनीतिक दल बंद हो जायेंगे, नकद और शराब बांटनी बंद हो जायेगी, टिकिट खरीदने व बेचने का खेल खत्म, चुनावी चंदा चेक से मिलना शुरू हो जायेगा। वास्तव में देश आर्थिक सुधारों के साथ ही बड़े राजनीतिक सुधारों के मोड़ पर है। अब निकट भविष्य में कोई भी न तो मोदी को आंख दिखाने लायक

बचा और न ही चुनौती देने लायक। फिलहाल तो सभी अपने काले धन को सफ़ेद बनाने में लगे हैं। इस प्रक्रिया में सरकार यानि जनता की बल्ले बल्ले तय है।

एक ओर जहां देश में विघटनकारी ताकतों की कमर ही टूट गयी वहीं सट्टा, देसी और विदेशी हवाला, ड्रग्स व शराब माफिया, नकली नोटों के सौदागरों का खेल ही खत्म हो गया। अब देश में धर्म परिवर्तन और अल्पसंख्यक धार्मिक कट्टरपंथ का पनपना मुश्किल हो जायेगा। देश के कई राज्यों के राजनेताओं, जिनका परोक्ष समर्थन और जुड़ाव इस नेटवर्क से था उनकी राजनीति ही अनिश्चितता की ओर है। अब देश की राजनीति में नये और जमीनी नेताओं को जगह मिलना तय है क्योंकि पैसे वाले लोगों की अब राजनीति में अधिक रूचि नहीं बचेगी। ऐसे ही सरकारी नौकरी भी अब आकर्षक रोजगार नहीं रहेगी। अब भाजपा सहित सभी दलों के नेता अपने अपने समर्थकों को कालाधन बांट रहे हैं जो मोदी सरकार के द्वारा खोले गए 25 करोड़ से अधिक जनधन योजना के खातों में आना तय है। यह भगवा समाजवाद या एकात्म मानवतावाद का नया प्रयोग दुनिया के सामने आएगा।

अब वैध व्यापार करने वाले और आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 4 से 5 गुना तक बढ़ना तय है और सरकार की टैक्स वसूली दुगने तक हो जायेगी। यानि 12 से 15 लाख करोड़ की ज्यादा वसूली यानि योजनागत खर्च में जबरदस्त वृद्धि। अब नया कालाधन बनना 80 प्रतिशत तक कम हो जायेगा। कम कर, अधिक सुविधाएं, जन कल्याण के ज्यादा कार्य और गरीब व मध्यम वर्ग के जीवन स्तर में आशातीत सुधार। मकानों के रेट एक झटके में आधे हो चुके हैं और महंगाई 20 प्रतिशत तक कम होती जायेगी।

भारत की चीन, अरब, यूरोप और अमेरिका पर निर्भरता घटना अब तय है। इससे देसी उद्योग व्यापार में जबरदस्त वृद्धि तय है, जिससे भारी मात्रा में रोजगार पैदा होंगे। अनेक कर चोरों की अकाल मौत की खबरें आनी शुरू हो गयी हैं, सरकारी कर्मचारी, नेता और व्यापारी बदहवास है और अपने कालेधन को ठिकाने लगाने की असफल कोशिश कर रहा है। अब अधिक अखबारों और मीडिया हाउसों की जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि व्यवस्था पारदर्शी होती जा रही है जिसमें घोटालों और लूट की गुंजाईश कम हो गयी है और इसलिए मीडिया के माध्यम से लॉबिंग भी अब जरूरी नहीं। टैक्स चुकाओ और मस्त होकर काम धंधा करो, मोदी के हाइड्रोजन बम जिसने लुटेरों और कालेधन के जमाखोरों की ऑक्सीजन छीनकर यही संदेश दिया है। निश्चित रूप से यह कालेधन की समस्या का अंतिम समाधान नहीं है किंतु अर्थक्रान्ति लाने और मौलिक भारत के निर्माण की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।

कालेधन पर सर्जिकल स्ट्राइक से कैसे लुटे अमीर, नौकरशाह और नेता

कुछ लोगों द्वारा यह अफवाह फैलायी जा रही है कि काले धन पर मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक यानि 500 और 1000 के नोट वापस लेने की कार्यवाही से बड़े तबके को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ बल्कि उसे तो इस बारे में पहले से ही खबर थी और इसलिए उसने अपना कालाधन ठिकाने लगा दिया था। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। सामान्यत: कालाधन आम आदमी के पास टैक्स चोरी और सरकारी आदमी के पास रिश्वत, गबन एवं कमीशन आदि से पैदा होता है। इस धन को ये लोग या तो नकद के रूप में अपने पास रखते हैं या भूमि, शेयर, हीरे, सोने ,चांदी, एंटीक वस्तुओं, पेंटिंग आदि में करते हैं या कंपनियां बनाकर परिवार के किसी सदस्य या मित्र के नाम से व्यापार करते हैं अथवा फर्जी लेनदेन दिखाते रहते हैं। जो भी लोग अपनी काली कमाई को कहीं भी निवेश करते हैं तो वह टैक्स नेटवर्क में आ जाती है और इस प्रकार 80 प्रतिशत तक सफ़ेद हो जाती है। यद्यपि इससे सरकार की योजनाएं ठीक से क्रियान्वित नहीं हो पाती और टैक्स वसूली भी कम हो पाती है। इस कारण गरीब गरीब ही रह जाता है और मध्यम वर्ग को अधिक कर देने पड़ते हैं, साथ ही उच्च वर्ग अय्याशी करता है।

राजनीति का अपराधीकरण भी अब कम हो जायेगा और धनबल का खेल भी सिमटेगा जिससे राजनीति में जन नेताओं की वापसी होगी और जनहितों की सुनवाई। ऐसे में समाज में शांति, स्थिरता और समृद्धि आनी तय है।

सरकार द्वारा पुराने नोट वापस लेने से उच्च वर्ग को निम्न नुकसान हुए हैं -

1) देश में प्रॉपर्टी की कीमत रजिस्ट्री रेट पर आ गयी हैं। जिस किसी ने भी पिछले 10-12 सालो में रजिस्ट्री रेट से दो-तीन-चार गुने रेट पर प्रॉपर्टी में काले धन का निवेश किया था वे बर्बाद हो गए हैं। देश में पिछले तीन दिनों में प्रॉपर्टी की कीमतें आधी हो चुकी हैं और अभी इनके ओर गिरने की संभावनाएं हैं।

2) सोने, चांदी, हीरे आदि का बाज़ार मूल्य लगातार घट रहा है। जो लोग अपनी पुरानी करेंसी के बदले दुगने रेट पर इन्हें खरीद रहे हैं वो घाटे में ही हैं।

3) सर्राफा बाजार, रियलिटी सेक्टर और बैंक खातों (विशेषकर फर्जी कंपनियों और फर्मों के) में असामान्य लेनदेन पर सरकार की नज़र है और जो भी इस खेल में पकड़ा गया उसे 91 प्रतिशत कर और 7 साल की सजा निश्चित है।

4)आम जनता से उद्योगपति और व्यापारी तथा पार्टी कार्यकर्ताओं से नेता अपने कालेधन को लेने और अपने खातों में डाल 10 से 50 प्रतिशत कमीशन लेने की गुहार करते पूरे देश में मिल जायेंगे। अगर इन्हें खबर लीक हो गयी होती तो ऐसा नहीं करते।

5) फिलहाल लोग विदेशी मुद्रा खरीदने में भी पुराने नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें भी 30 से 50 प्रतिशत तक का नुकसान उठा रहे हैं और यह भी अब सरकार की निगाहों में है। यह भी एक सीमा से ज्यादा हो ही नहीं सकता।

6) देश में ड्रग्स, शराब, लॉटरी, सट्टा, आतंक, नक्सली आंदोलन, विदेशी फंडिंग वाले एनजीओ, हवाला, अंगड़िये, कमेटी, डब्बा एक्सचेंग, नकली करेंसी, फर्जी निर्यात और नंबर दो में आयात आदि कारोबार जो नकद

लेनदेन पर चलते थे और जिस पर उच्च वर्ग,नौकरशाहों और नेताओ का कब्जा था एक झटके में बंद हो चुके हैं।

7) शेयर बाजार भी झटके लेता जा रहा है और इसमें भी यह वर्ग 20 प्रतिशत तक नुकसान झेल चुका है जो 50 प्रतिशत तक हो जायेगा।

8)सरकारी दफ्तरों में 70 से 80 प्रतिशत अधिकारी और कर्मचारी गायब हैं और अपना धन ठिकाने लगाने के उपाय करते ढूंढ रहे हैं, अगर इन्हें फैसले की खबर होती तो यह काम पहले ही कर चुके होते।

9) जिन लोगों ने विदेशों में अपना काला धन निवेश कर भी दिया है वे भी कुछ समय बाद इसे वापस भारत में ले आएंगे क्योकि जल्द ही हमारी अर्थव्यवस्था दुगनी रफ़्तार से तरक्की करने जा रही है और डॉलर की कीमतें खासी नीचे आने वाली हैं।

ऐसे ही और भी अनेक खेल हैं जिनसे उच्च वर्ग मोटी कमाई कर रहा था जो अब नहीं कर पायेगा, साथ ही उसकी कुल औकात कई गुना तक कम हो चुकी है। इसलिये आपसे मौलिक भारत का अनुरोध हें कि इन अफवाहों से बचें और जनता को सच्चाई बताएं कि यही बदहवास हाई क्लास सिंडीकेट निराशा में तमाम अफवाहें फैलाकर भ्रम फैला रहा है।

मानवीय समाज के निर्माण के लिए नोट वापसी

मोदी सरकार द्वारा 500 और 1000 के नोटों की वापसी ने समाज की मानसिकता और व्यवहार में अभूतपूर्व परिवर्तन कर दिए हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण के पिछले दो तीन दशकों में व्यवस्था ने भारतीय समाज को एक लंपट, आत्मकेंद्रित और एक दूसरे को टोपी पहनाने वाला समाज बना दिया था। पूंजीवाद और बाज़ार अर्थव्यवस्था के कुचक्र में आदमी के मौलिक मानवीय गुणों, आपसी प्यार, भाईचारा और सामाजिकता को संकुचित कर दिया था। पैसा ही सब कुछ हो जाने से लोग येन केन प्रकरेण पैसा कमाने की होड़ और फिर उसके दिखावे के बाज़ारू कुचक्र में फंसा दिए गए थे। इस कारण समाज में आर्थिक, यौन और अन्य अपराध तो बढ़ ही गए थे साथ ही भारतीय और वैदिक संस्कृति से लोगो को विमुख कर पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान जानने के नाम पर पाश्चात्य सोच, संस्कृति, जीवनशैली और भाषा की ओर जबरदस्ती धकेल उसे एकांकी और पशुवत बना दिया गया। अब हम एक विकृत समाज हैं। दंगे, लूट, हत्याएं, बलात्कार, जड़, जोरू और जमीन के झगड़े आम हैं। देश में सरकारी खजाने की लूट और कर चोरी आम है। इस अव्यवस्था में अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होता गया। जहां गरीब गुलामी की ओर बढ़ रहा है वही अमीर देसी विदेशी महंगी शिक्षा, सामान, जीवन शैली और दिखावे की ओर। सच्चाई यह है कि भारत की सरकार के सभी अंग और देश का उच्च वर्ग लुटेरों का गिरोह और डकैतों का सिंडीकेट अधिक है। देश की 99 प्रतिशत धन और संपदा पर 1 प्रतिशत लोगों का कब्जा हो गया है। इस स्थिति को बदलने के लिए सभी सच्चे चिंतक, विचारक, विद्वान, बुद्धिजीवी, पत्रकार, विश्लेषक, धर्म गुरु और ज्ञानी सरकार और समाज की एक बड़ी सर्जरी जरूरी होने की बात काफी समय से करते आये थे।

सरकार द्वारा नोट वापसी वास्तव में सरकार और समाज के विकृत हो गए स्वरूप को मौलिक रूप में लाने के रामबाण उपाय का पहला बड़ा कदम है। इस कदम से देश में फैले सभी प्रकार के अपराधों को एक झटके में नियंत्रित करने में सफलता मिल रही है। अब समाज को विकृत करने वाली चीजें जैसे ड्रग्स, शराब और अन्य नशों का कारोबार बड़ी मात्रा में सिमट गया वहीं आतंकी, नक्सली और धार्मिक कट्टरता फैलाने व दंगे करवाने के लिए हथियार और नकली करेंसी फैलाने का शत्रु देशों के षड्यंत्रों का जाल टूट गया।

नोटों की कमी और उच्च वर्ग की औकात घटने से देश और समाज पर अनेक दूरगामी प्रभाव पड़े हैं। पहली बार नेता, सरकारी कर्मचारी और उच्च वर्ग की अकड़ टूटती दिखी और कस बल ढीले हुए हैं। उसका करोड़ों अरबो रुपयों का अवैध धन रद्दी हो गया और जमीनों, मकान, जेवरात और शेयर की कीमतें रातो रात खासी घट चुकी हैं। अब विदेशी टूर, महंगी गाड़ियां, फाइव स्टार बाज़ारू जीवन शैली, अय्याशी, महंगी शराब, विदेशों में अपने बच्चों की शिक्षा, महंगे अस्पताल और यौन अपराध, ड्रग्स आदि उसकी औकात से बाहर हो जायेंगे और वह भारतीय जीवन मूल्यों की ओर लौट सकेगा।

राजनीति का अपराधीकरण भी अब कम हो जायेगा और धनबल का खेल भी सिमटेगा जिससे राजनीति में जन नेताओं की वापसी होगी और जनहितों की सुनवाई। ऐसे में समाज में शांति, स्थिरता और समृद्धि आनी तय है।

देश में नोट वापसी के बाद आमजन परेशान हैं और उसके पास जरूरी सामान खरीदने के लिए नए नोट नहीं हैं। वह बैंकों, डाकघर और एटीएम के आगे लंबी लंबी लाइन लगाए खड़ा है और उसको फिर भी नए नोट मिलना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। किंतु हर रोज हज़ारों करोड़ के नए नोट बाजार में आते जा रहे हैं और 8 से 10 दिन में यह समस्या समाप्त हो जायेगी। किंतु इस अव्यवस्था ने पुन: पुरानी जजमानी व्यवस्था को जिन्दा कर दिया है। लोग एक दूसरे को उधार दे रहे हैं, या वस्तुओं और सेवाओं की अदला बदली हो रही है। रिश्ते, नाते, परिवार, पड़ोस, कुनबा और गांव फिर जीवित हो गए हैं। शादी और समारोह बिना नए नोटों के भी आपसदारी से निबट रहे हैं और राजसत्ता को समजसत्ता उसकी औकात बता रही है। अब आम भारतीय का, भारतीयता का और हमारी संस्कृति और खोये मानवीय मूल्यों की पुन:स्थापना का समय है। थोड़ा सा कष्ट और परेशानी झेल लें और लुटे पिटे अमीरों की अफवाहों और बरगलाने वाली बातों पर कान न दे। स्वर्णिम भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।

एक बात और कृपया अपना धंधा नंबर एक में करें, सभी कर समय से दे और अधिकतम भुगतान चेक, ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनआईएफ़टी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से करें। आपके अधिकतर कष्ट समाप्त हो जायेंगे। ■

अर्थक्रान्ति प्रस्ताव

यानी आर्थिक आज़ादी का प्रस्ताव लागू क्यों होना चाहिए?

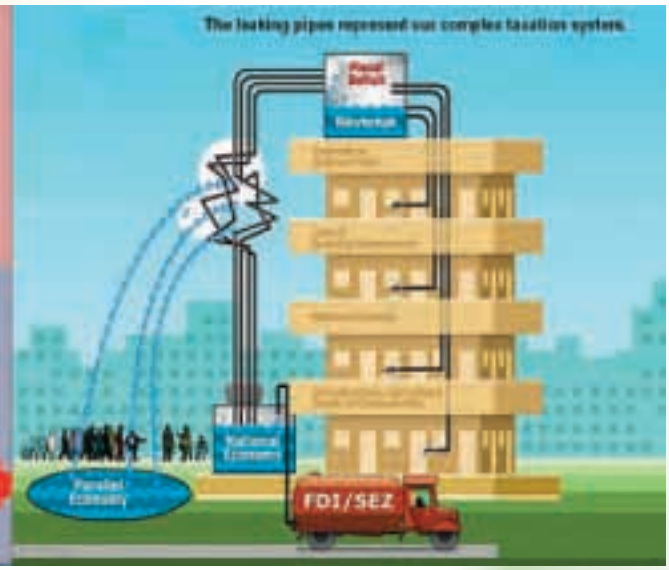

आर्थिक आज़ादी के मुख्य बिंदु ये है--(1) 50/- रुपए से बड़े नोट यानि 100, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएं और सारे बड़े नोट सरकार वापस ले ले। (2)आयात कर को छोड़कर बाकी सभी कर समाप्त कर दिए जाएं। (3)सिर्फ 2 प्रतिशत का अंतरण कर लगाया जाये जो बैंक के द्वारा उपभोक्ता को प्राप्त धन पर काटा जायेगा। (4) 2000-3000 रुपये से बड़े अंतरण चेक या ड्राफ्ट से किये जाये और नकद अंतरण पर कोई टैक्स नहीं होगा। (5) हर गांव में बैंकों का प्रभावी जाल बनाकर करीब एक करोड़ अतिरिक्त युवाओं को नौकरी दी जाये जिससे चेक लेन-देन में दिक्कत न हो।

क्या होगा यदि 100, 500 और 1000 के नोट बंद हो जाते है?

1. हर प्रकार का नकद लेन देन वाला भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा क्योंकि घूसखोरी में बड़े नोट ही लिए जाते हैं।
2. कालाधन समाप्त होगा। जो बड़े नोट बोरों में भरकर छुपाया गया है वह बेकार हो जायेगा, सोना, चांदी, जमीन की महंगाई कम होगी।
3. एक नोट को प्रिंट करने का खर्चा 39/- रुपये आता है, इसलिए 39/- रुपये में 50/- रुपये का नोट छापकर फर्जी नोट चलाना अपने आप बंद हो जायेगा क्योंकि यह घाटे का सौदा होगा। भारत सरकार ने कुल नोटों का 93 प्रतिशत नोट 100, 500 और 1000 का छापा है।
4. फर्जी नोट बंद होने और सारा बड़ा लेन देन बैंक से होने पर आतंकवाद मिट जायेगा, अपहरण और फिरौती तो तुरंत बंद हो जायेगी, 60 लाख में खरीदी जमीन की रजिस्ट्री 60000/- दिखाकर नहीं हो पायेगी। हर काम चेक/डीडी से ही हो सकेगा।

क्या होगा जब सभी टैक्स बंद कर दिए जायेंगे और बड़े लेन देन बैंको द्वारा किया जायगा?

1. सारी उपभोक्ता वस्तुओं पर 35 प्रतिशत से 52 प्रतिशत तक टैक्स लगाये जाते हैं, टैक्स हटाने से चीजे सस्ती होगी, कृषि लागत कम होगी।
2. सस्ती होने से चीजों की खपत बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ेगा, ज्यादा रोजगार का सृजन होगा। टैक्स समाप्त होने से खरीदने में चीजे सस्ती होने से लोगो के पास धन बचेगा। स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा देकर भारत में ही रोजगार के कई करोड़ अवसर पैदा किये जायेंगे।
3. टैक्स समाप्त होने पर भ्रष्टाचार रुकेगा और गुणवता की होड़ लगेगी, अच्छी चीजे मिलेंगी, व्यवसायी को सरकारी दखल से मुक्ति मिलेगी।
4. उपभोक्ता वस्तुओं पर सरकारी पकड़ खत्म होगी और चोरी नहीं होगी। लाइसेंस राज समाप्त होगा। जांच के नाम पर वसूली से मुक्ति।
5. सभी टैक्स समाप्त होने पर सब लोग हर हाल में 2 प्रतिशत अंतरण कर देने के लिए राजी होंगे जो 15 लाख करोड़ से 40 लाख करोड़ होगी।
6. टैक्स समाप्त होने से जनता की खरीद शक्ति में बढ़ोत्तरी होगी, कृषि लागत कम होने से किसान का फायदा बढ़ेगा।

क्या होगा जब 2 प्रतिशत अंतरण कर (Transaction Tax)

अनिल बोकली

मुकेश कांत शर्मा

अतुल देशमुख

लागू हो जायेगा?

1. भारत में आज बैंक अंतरण रोज 2.5 लाख करोड़ और सालाना 750 लाख करोड़ है। 2 प्रतिशत अंतरण टैक्स लगाने पर सरकार को 15 लाख करोड़ राजस्व प्राप्त होगा। बैंक नेटवर्क बढ़ेगा और करीब 1 करोड़ नये रोजगार पैदा होंगे।
2. सभी टैक्स बंद होने और बड़े नोट बंद होने से बैंक अंतरण 3 से 4 गुना बढ़ जायेगा और सालाना अंतरण कम से कम 2000 लाख करोड़ हो जायेगा जिससे 2 प्रतिशत अंतरण कर के रूप में सरकार को 40 लाख करोड़ का राजस्व मिलेगा। इस दशा में यह टैक्स 1 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत किया जा सकता है। अभी इस समय सरकार अपनी इतनी बड़ी कर व्यवस्था से भी 13 लाख करोड का भी राजस्व इकठ्ठा नहीं कर पा रही है।
3. अंतरण कर से सरकार का टैक्स बेस बढ़ेगा और गरीब लोग अपने आप कर दायरे से बाहर हो जायेंगे। जिसकी जितनी कमाई होगी उतना टैक्स देना होगा। नकद लेन देन पर कोई टैक्स नहीं होगा, किसान को कोई टैक्स नहीं होगा।
4. अंतरण पर 2 प्रतिशत कर लेने की व्यवस्था से नौकरीपेशा लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी और जो लोग पैसा कमाते हुए भी टैक्स नहीं दे रहे हैं वे भी टैक्स के दायरे में आ जायेंगे यानि टैक्स देने वालों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी हो जायेगी।
5. सरकार चाहे तो आपदा काल में एक ही पॉइंट पर कर की दर बढ़ाकर कुछ समय के लिए अतिरिक्त राजस्व ले सकती है और राजस्व पर पूरा नियंत्रण होगा, जैसे 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.15 प्रतिशत कर आदि। कर विभागों में लगे लोगों को बैंकिंग में लगाया जा सकता है।
6. आयकर विभाग और अन्य विभागों की कर में लूट और छूट दोनों ही बंद हो जायेंगे।

यह भी जानिए

1. उदाहरण स्वरुप 2 प्रतिशत अंतरण कर में से केन्द्र सरकार 0.80 प्रतिशत, राज्य सरकार 0.70 प्रतिशत, स्थानीय निकाय 0.40 प्रतिशत और बैंक व्यवस्था 0.1 प्रतिशत ले सकते हैं।
2. शराब, गुटखा, सिगरेट आदि बेचकर कर कमाने की जरुरत नहीं होगी।
3. पैसा कमाने के लिए सरकार को गाय के मांस का निर्यात करने की जरुरत ही नहीं होगी।
4. सरकार इसके साथ ही हर साल 10-15 लाख करोड़ रुपये भू सम्पदा के दोहन से कमा सकती है जिसमें अभी गैर सरकारी लोगों द्वारा अंधाधुंध लूट मची हुई है. (5) घूसखोरी बंद होने पर सरकारी सेवाओ में लोग काम काज पर ध्यान देंगे और जनता की परेशानी समाप्त होगी। सेवा निवृत्ति की उम्र 62 साल से 58 साल करके उसी खर्चे में 14 प्रतिशत नए लोगों को नौकरी दी जा सकती है। (6) राजस्व अधिकता से रोजगार सृजन बढ़ेगा और आरक्षण की जरुरत समाप्त होगी। (7) मुफ्त शिक्षा और देश की भाषा में सामान शिक्षा से अच्छे नागरिक पैदा किये जा सकेंगे। (8) कर की वजह से ही 35/- रुपये लीटर का पेट्रोल 78/- रुपये लीटर बिक रहा है और 7/- रुपये का साबुन 18/- रुपये में बिक रहा है। (9) जो कोयला बाज़ार में 8000/-से 10000/- रुपये टन बिक रहा है, सरकार उसे गैरसरकारी लोगों को 100/- रुपये टन बेच रही है। (10) कालाधन रखने वाले भ्रष्टाचारियों ने सोने और चांदी की कीमत को आसमान पर पंहुचा दिया है क्योंकि बोरो में भरे नोट बेकार हो जाने के डर से यह लोग सोना, चांदी, जमीन आदि किसी भी रेट में खरीद रहे है और भाव बढ़ा दे रहे हैं। (11) भारत स्वाभिमान समर्थित आर्थिक आज़ादी के सभी प्रस्तावों को बिना किसी संवैधानिक छेड़ छाड के तुरंत लागू किया जा सकता है। ■

नोट वापसी मोदी सरकार की मजबूरी?

अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि यूपीए शासनकाल में बैंकों ने सन् 2004 से 2012 के बीच उद्योगपतियों को 14 लाख करोड़ के ऋण बांटे जिनकी वसूली नहीं हो सकी। यह एक सोचा समझा घोटाला था जिसमें सोनिया-मनमोहन-चिदंबरम-प्रणव की चौकड़ी शामिल थी। यह बांटा गया पैसा ऑटोमोबाइल, कोयला और स्पेक्ट्रम से जुड़ी कम्पनियों को ज्यादा दिए गए। इसमें से अधिकतर प्रोजेक्ट घोटालों के कारण रद्द हो गए और बैंको का कर्ज डूब गया।

- इसके अलावा भारतीय कंपनियों ने अपनी विदेशी इकाई के लिए भारतीय बैंकों की विदेशी शाखा से भी बड़े लोन लिए। यह धन यूरोप और अमेरिका की आर्थिक मंदी को दूर करने के नाम पर लूटा दिया गया।

इसके अलावा कई लाख करोड़ के जाली नोट रिजर्व बैंक की गलती के कारण, चीन, पाकिस्तान नेपाल और बांग्लादेश से भारत में फैलाए गए।

- देसी उत्पादन कम करते जाने और विदेशी आयात बढ़ाते जाने से भारतीय मुद्रा और साख को गहरा धक्का लगा। अगर हम सार्वजनिक परिवहन पर ठीक से ध्यान देते तो अरब देशों से इतना तेल और पूरे विश्व से इतनी गाड़िया आयात करने की जरूरत नहीं होती और बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत होती और पर्यावरण की भी रक्षा होती।

- हमने अज्ञात कारणों से चीन से भारी मशीनरी, उपभोक्ता सामान और अन्य चीजें, रूस, अमेरिका से हथियार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित सेवा और वस्तुएं, यूरोप से तकनीक और ऑटोमोबाइल आदि खरीदने में बड़ा धन खर्च किया और खोखले हो गए।

- देश का आर्थिक तंत्र निकम्मा रहा और मात्र 20 प्रतिशत उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र ही कर के दायरे में आ पाये और कृषि तो आज भी कर दायरे से बाहर है।

- देश के लोगों को अनुत्पादक क्षेत्र जैसे भूमि, हीरे जवाहरात और विदेशी बैंकों में निवेश करने को प्रेरित किया गया। साथ ही ड्रग्स, सट्टा, शेयर, लॉटरी, मटका, शराब, तंबाकू, कमेटी, पोर्न, गेमिंग, अय्याशी, महंगी विदेशी कारों, विदेशी टूर, उपभोक्ता सामानों, महंगी जीवन शैली, अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य संस्कृति में उलझा दिया।

इन सभी कारणों से -

1) देश का बैंकिंग सिस्टम बर्बादी के कगार पर था और कई बैंक कभी भी दिवालिया हो सकते थे। मुद्रा वापसी से बैंको में लाखों करोड़ रुपया वापस लौट आया है और बैंकिंग प्रणाली पुन: मजबूत हो गयी है।

2) अब बैंक भारी मात्रा में ऋण बांट सकेंगे, जिससे उद्योग, व्यापार, सेवा और कृषि क्षेत्र को बूस्ट मिलेगा और रोजगार तेजी से पैदा होंगे।

3) मुद्रा संकुचन से रुपया मजबूत होगा, मुद्रास्फीति घटेगी, डॉलर एवं अन्य मुद्राओं के मुकाबले रुपया मजबूत होगा और देश की साख बढ़ेगी।

4) काली अर्थव्यवस्था सिकुड़ने से देश में महंगाई 20 से 25 प्रतिशत तक घटेगी। कई गुना अधिक लोग टैक्स के दायरे में आएंगे, सरकार को अधिक टैक्स मिलेगा और कर की दर नीचे आती जाएंगी। देश तेजी से तरक्की करेगा।

चुनौतियां और आगे की राह

1) बैंको के पास इकट्ठा हुआ धन फिर से बड़े औद्योगिक घरानों को न दे दिया जाये इसके लिए दबाव बनाना होगा। बैंकिंग प्रणाली को अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाना होगा। देश में कब कहां कितनी मुद्रा उपलब्ध है इसे प्रतिदिन के आधार पर जनता को बताने का प्रबंध होना चाहिए।

2) कृषि, सेवा, सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों को अधिकतम ऋण मिले, इसका ख्याल रखना होगा, इससे बेरोजगारी खत्म करने में भी मदद मिलेगी।

3) परम्परागत व्यापारियों जिनका 70 से 95 प्रतिशत तक काम नकद में होता था किंतु अगर अब वे प्लास्टिक मनी आदि के इस्तेमाल को तैयार हैं तो उनकी मदद और प्रोत्साहन के लिए विशेष पैकेज होना चाहिए।

4) पश्चिम की तरह हमारी नयी पीढ़ी ऋण के जाल में न उलझे इसके लिए क्रेडिट कार्ड के चलन को हतोत्साहित करना होगा, ऋण पर ब्याज दर कम रखनी होगी, शिक्षा चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक या फिर उच्च उसे सस्ता रखना होगा।

5) पश्चिमी उपभोक्तावादी समाज की तरह खुद को ढालने की जगह भारतीय मूल्यों, जीवन शैली और परिवार व्यवस्था की ओर देशवासियों को मोड़ना होगा।

6) एक व्यक्ति, एक पहचान पत्र, एक बैंक खाता अनिवार्य होना चाहिए।

7) सन् 2008 की तरह देश में आर्थिक मंदी न आ सके इसके लिए छोटे उद्योग, व्यापार और कृषि पर अधिक निर्भर रहना चाहिए।

8) आयकर खत्म कर देना चाहिए। यह कालेधन के निर्माण को प्रोत्साहित करता है।

9)समस्या तेजी से पूरे देश में सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के रजिस्ट्रेशन और डिजिटलीकरण की है। इससे सरकार कैसे निबटेगी?

10)इसके बाद उन कंपनियो पर निगरानी और नियंत्रण की भी है जो ऑन लाइन सेवाएं दे रही हें और उनसे सम्बंधित उत्पाद बना रही हैं। साथ ही सेवाओं की गुणवत्ता बनाये रखने की भी है।

11)देश में कई गुना अधिक कर और अकाउंट से जुड़े पेशेवरों और सरकारी कर्मचारियों की जरुरत पैदा हो गयी है। यह कैसे पूरी होगी?

12) जिन ऑन लाइन मार्केटिंग और सोशल साइटों के सर्वर विदेशों में हैं, उनसे कर संग्रह, उन पर निगरानी और नियंत्रण कैसे रखा जा सकेगा?

13)जी एस टी लागू होने के बाद और बाज़ार के नकदी विहीन होने के बाद सूचनाओं और आंकड़ों की गोपनीयता की गारंटी क्या होगी?

14)सरकार कैसे संतुष्ट करेगी कि देश में पुन: 2008 जैसे आर्थिक मंदी वाले हालात नहीं आएंगे या बड़े उद्योगों को दिया ऋण फिर एन पी ए में नहीं बदला जायेगा?

15) व्यापारियों को हुए नकदी संकट और इस कारण आयी मंदी का क्या समाधान है?

16) पी पी पी मॉडल या बी ओ टी मॉडल तथा टोल टैक्स वसूली को क्या अब समाप्त कर देना चाहिए?

17) काली अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के सरकार को अगले कौन कौन से कदम उठाने चाहिए?

18) कर चोरों पर सुनवाई के लिए क्या त्वरित अदालतें होनी चाहिए?

मौलिक भारत ने नोट वापसी में चल रही अनियमितताओं पर लिखा प्रधानमंत्री को पत्र

प्रतिष्ठा में,
श्री नरेंद्र मोदी जी
माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय : सरकार द्वारा 500 एवं 1000 रुपयों की वापसी के बाद चल रही नोट वापसी में हो रही अनियमितताओं को रोकने हेतु सुझाव

महोदय,
हमारी संस्था 14 अक्टूबर 2015 को आपसे कालेधन की समाप्ति हेतु बड़े नोटों को वापस लेने की मांग पर कार्यवाही करने का स्वागत करती है और आपका अभिनंदन करती है।
महोदय, बैंको और डाकघरों में पुराने नोटों को वापसी की प्रक्रिया के बीच अनेक अनियमितता सामने आ रही हैं। जनहित में इसे रोकने हेतु कुछ गंभीर सुझाव दे रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इन सुझावों पर तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करें।

1) प्रमाणिक रूप से एवं मीडिया की खबरों के अनुसार अनेक लोग जिनके पास भारी मात्रा में कालाधन है वे गरीब और मजदूरों को 20 से 25 प्रतिशत कमीशन के लालच में दिन भर अलग अलग बैंकों के माध्यम से 4000 रुपयों की पुरानी मुद्रा को नयी मुद्रा में बदलवा रहे हैं। यह पूर्णत: अवैध है और आम जनता को इसी कारण सरलता से नोट बदलना संभव हो पा रहा है। ऐसे में हमारी मांग और सुझाव है कि हर प्रकार के नकद लेनदेन करने वाले व्यक्ति की उंगलियों पर चुनावों में वोट देते समय वोटर को लगाने वाली इंक लगायी जाये ताकि एक ही व्यक्ति अनेक बार नकद लेनदेन ना कर पाये।

2) जिस व्यक्ति का बैंक अकाउंट नहीं है मात्र उसे ही नकद लेनदेन की इज़ाज़त हो। साथ ही प्रत्येक नकद लेनदेन वाले व्यक्ति से शपथपत्र लिया जाये कि उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है।

3) बैंक कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं पर नियंत्रण के लिए सामाजिक संस्थाओं और पूर्व बैंक, सैन्य और सरकारी कर्मचारियों की अवेतनिक रूप से स्वतन्त्र पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति की जाये तथा बैंक की सभी लेनदेन गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाये।

4) इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये कि किसी भी प्रकार नकली करेंसी बैंकों में न जमा हो पाये, क्योंकि अधिक ग्राहकों के दबाव में बैंक बिना जांचे नकदी स्वीकार कर रहे हैं।

5) जनधन योजना के तहत खुले खातों में सभी प्रकार की जमाओं की निकासी पर फिलहाल रोक लगे और इनमें किसी भी प्रकार की निकासी पर्याप्त जांच के बाद ही हो।

6) बिल्डरों, ज्वेलरों और विदेशी मुद्रा के लेनदेन पर पर्याप्त नियंत्रण और नज़र रखी जाये। इन व्यवसायों से जुड़े लोग 50 प्रतिशत तक कमीशन लेकर पुराने नोट स्वीकार कर रहे हैं।

7) अधिकांश व्यापरिक फर्मों और कंपनियों के खातों में असामान्य लेनदेन की खबरें हमारी संस्था के पास हैं। इन सभी जमाओं पर पर्याप्त नज़र रखी जाये और उचित क़ानूनी कार्यवाही की जाए।

8) सरकार के मंत्रियों और एन डी ए से जुड़े दलों के नेताओं, सांसदों और विधायकों एवं उनके परिजनों/मित्रों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी फर्मों और कंपनियों के खातों की विशेष एवं अनिवार्य जांच के आदेश दिए जाए।

धन्यवाद।

मौलिक भारत का सुझाव माना सरकार ने - बैंकों में नकद जमा करवाने वालों की उंगलियों पर लगेगी नहीं मिटने वाली इंक। कालेधन के कारोबारी अब सफ़ेद नही कर पाएंगे पैसा।

भवदीय
अनुज अग्रवाल, महासचिव
नीरज सक्सेना, ट्रस्टी
मौलिक भारत
ए - 74, सेक्टर 2, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर

प्रतिष्ठा में,
श्री नरेंद्र मोदी जी
प्रधानमंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय :500 एवं 1000 के नोटों की वापसी के बीच उभरे प्रश्न और उनके समाधान हेतु मौलिक भारत के सुझाव/प्रतिवेदन

माननीय महोदय,

दिनांक 14 नवंबर 2016 को बड़े नोटों की वापसी में की जा रही अनियमिताओं पर आपको लिखे पत्र एवं दिए गए सुझावों पर तुरंत अमल के लिए आभार।

महोदय, हमारी संस्था निरंतर नोट वापसी के बाद के परिदृश्य में जमीनी स्तर पर सक्रिय है। सम्पूर्ण परिदृश्य का गहन विश्लेषण करने के उपरांत हम कुछ और सुझाव शीघ्र अमल हेतु आपको दे रहे हैं–

1) जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के अनुसार उसने देश में कुल 17.4 लाख करोड़ रुपयों की करेंसी जारी की हुई है। किंतु जिस प्रकार निरंतर लोगों के पास कालाधन होने की सूचनाएं हमारी संस्था के पास आ रही हैं, उसके अनुसार बाज़ार में इससे कई गुना करेंसी मौजूद है। हमारे इस निष्कर्ष के निम्न कारण हैं।

क) देश में 80 से 95 प्रतिशत तक व्यापारिक गतिविधियां और लेनदेन नकद में ही होते हैं।

ख) देश में 50 प्रतिशत तक औद्योगिक गतिविधियों के लेनदेन नकद में हो रहे हैं।

ग) देश में निर्माण एवं जमीन की खरीद/बिक्री और सोने, चांदी, हीरे जवाहरात का भी अधिकांश व्यापार नकद में ही होता है।

घ) ड्रग्स, लॉटरी, शराब, सट्टा, मटका, कमेटी, आतंक, नक्सली, विदेशी फण्ड लेने के लिए अधिकृत एनजीओ, विदेशी मुद्रा के अवैध लेनदेन, चीन से आयात, हवाला, आंगड़ियो द्वारा अन्तर्देशीय हवाला, स्मगलिंग, जुआ, डब्बा ट्रेडिंग, अवैध अस्त्रों की बिक्री आदि का 80 से 100 प्रतिशत लेनदेन नकद में होता है।

ऐसे में जबकि इन व्यापारों में लाखों करोड़ रुपयों के लेनदेन हो रहे हैं, ऐसे में मात्र 17.4 लाख करोड़ रुपयों की करेंसी से देश की अर्थव्यवस्था का संचालन संभव ही नहीं। यह गहन जांच का विषय है कि कैसे कई गुना करेंसी अवैध रूप से देश में चलायी जा रही है।

2) देश में होने वाले नकद आयात में बिचौलियों द्वारा हज़ारों फर्जी/बोगस कम्पनियों को बनाकर बिलिंग की जाती है और कुछ महीनों बाद वो कम्पनियां काम करना बंद कर देती हैं। यह सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के बिना होना संभव नहीं है। इसकी गहन जांच करा दोषियों के खिलाफ उचित क़ानूनी कार्यवाही जरूरी है।

3) देश में अधिकांश घरों/ प्रतिष्ठानों में किरायेदार नकद ही किराया देते हैं और मकान मालिक टैक्स चोरी करते हैं, इस पर रोक लगाने के प्रभावी कदम उठाये जाएं।

4) करेंसी बदलने की प्रक्रिया धीमी होने से किसानों को फसल बुआई के लिए बीज और खाद आदि खरीद में होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए तुरंत कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाएं। साथ ही बैंकों के बाहर खड़ी जनता को उचित सुविधाएं और सुरक्षा देने के निर्देश भी दिए जाएं। इस प्रक्रिया में किसी भी स्थिति में कोई भी जनहानि न हो यह सुनिश्चित किया जाये।

5) देश की सीमाओं पर स्थितियां चुनौतिपूर्ण हैं और सभी सैन्य व अर्ध सैन्य बलों के जवान खासे दबाव में हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाए कि करेंसी के बदलाव की प्रक्रिया के बीच उनके परिवारों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।

6) करेंसी के बदलाव में डाकघरों, सहकारी बैंकों एवं निजी बैंकों द्वारा अनियमितताओं की सैंकड़ों शिकायतें आ रही हैं। इनमें करेंसी बदलाव की प्रक्रिया पारदर्शी हो, इसके सभी उपाय किये जाएं अन्यथा करेंसी बदलने के काम से इनको अलग कर दिया जाए। विशेष रूप से राज्य सरकारों के कर्मचारियों और पुलिस के अनेक लोगों द्वारा भी जिनके पास पर्याप्त मात्रा में कालाधन है, जानबूझकर अराजकता और अव्यवस्था फैलाई जा रही है। इसकी गहरी जांच और कार्यवाही की जाए।

7) विदेशों से कालाधन वापसी के लिए अभी तक कोई प्रभावी कार्ययोजना सरकार द्वारा घोषित नहीं की गयी है, कृपया इसे तुरंत घोषित कर अमल में लाया जाए।

8) शेयर बाज़ार और कोमोडिटी एक्सचेंज कालेधन को खपाने का बड़ा अड्डा बन गया है। इस पर रोक लगे। पी नोट्स द्वारा शेयर बाज़ार में निवेश अवैध घोषित किया जाये।

9) आर्थिक अपराधियों, संदिग्ध केंद्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों, संदिग्ध न्यायपालिका से जुड़े लोग, विदेशी बैंक में खाताधारियों (जिनके खाते में कालाधन आना साबित हो गया है), घोटालों और उनकी जांच के परिणामों एवं कार्यवाही पर एक श्वेत पत्र जारी किये जाये। साथ ही इसमें यह भी स्पष्ट किया जाये कि जमीन, शेयर, हीरे जवारहत, पेंटिंग, फर्जी कम्पनियों आदि में निवेशित कालेधन और उनके मालिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है और की जाने वाली है?

10) भारत में राजनीतिक दल, इनके नेता और चुनाव भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। इसके दोषियों और इसे खत्म करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

धन्यवाद।

भवदीय

अनुज अग्रवाल,महासचिव
नीरज सक्सेना, ट्रस्टी
मौलिक भारत
ए-74, सेक्टर 2, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)

मौलिक भारत का नोट वापसी पर प्रधानमंत्री को तीसरा पत्र

प्रतिष्ठा में,
माननीय नरेंद्र मोदी जी
प्रधानमंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली

बिषय : 500 एवं 1000 के नोटों की वापसी के सरकार के फैसले के बाद कालेधन को सफ़ेद करने के खेलों का पर्दाफाश करने एवं अन्य सुझाव हेतु प्रतिवेदन

माननीय महोदय,

मौलिक भारत द्वारा उपरोक्त विषय पर लिखे पिछले दो पत्रों में दिए सुझावों पर तुरंत कार्यवाही के लिए आभार। महोदय संस्था को निरंतर देशभर से कालेधन को सफ़ेद बनाने की सैंकड़ों करतूतों की शिकायतें आ रही हैं। इनके आधार पर निम्न सुझाव तुरंत कार्यवाही की अपेक्षा के साथ प्रेषित हैं।

1) वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात में संलग्न फर्मों और कंपनियों के जिस किसी भी देश में नकद भुगतान लंबित हैं उनसे हवाला करोबारी 30 से 35 प्रतिशत तक कम कीमत में पुरानी भारतीय करेंसी लेकर भुगतान करा रहे हैं। निश्चित रूप से यह रकम वे अपने देशों के विदेशी मुद्रा एक्सचेंज केंद्रों की मिलीभगत से ही लेकर इतना अधिक कमीशन कमा रहे हैं। कृपया विदेशों में जिन जिन देशों के बैंकों और सरकारों से भारत सरकार पुराने नोट बदलेगी, उसके लिए पारदर्शी नियमों की घोषणा की जाए और इस मुद्रा घोटाले में संलग्न दोषियों के विरुद्ध तुरंत प्रभावी कार्यवाही की जाए।

2) सोने, चांदी, हीरे और जवाहरात को भी 50 प्रतिशत तक कमीशन लेकर खुलेआम ज्वैलर्स बेच रहे हैं और सरकार नोटिस भेजने से ज्यादा कुछ भी नहीं कर पा रही है। ज्वैलर्स दावा कर रहे हैं कि कितना भी कालाधन ले आओ उसे ज्वैलरी में बदल देंगे। निश्चित रूप से एक सुनियोजित गिरोह इसके पीछे काम कर रहा है जिसके पास सैंकड़ों फर्जी कंपनियां, बैंक खाते और राजनीतिक संरक्षण है। कृपया इस सिंडीकेट के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए।

3) जैसा कि सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले दशक में फर्जी बैलेन्स शीट्स के आधार पर लाखों करोड़ रुपयों का कर्ज कुछ कारपोरेट घरानों को बांटे गए और अभी तक उनमें से नौ लाख करोड़ के आस पास डूब चुका है और एनपीए यानि नॉन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित हो गया है या होने वाला है। आश्चर्य है कि इस घोटाले में शामिल राजनेताओं, मंत्रियों, कारपोरेट घरानों, बिचौलियों और बैंक कर्मियों आदि किसी के भी खिलाफ न तो जवाबदेही तय की जा रही है और न ही कोई कार्यवाही की जा रही है। ऐसा क्यों? यह स्पष्ट किया जाए और अब जबकि पुन: बैंको के पास भारी मात्रा में नकदी पहुंच रही है, ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाए कि यह धन बैंक किसी भी हालात में बड़े कारपोरेट घरानों को नहीं देंगे बल्कि इसे ऋण के रूप में किसानों, छोटे व्यापारियों, सूक्ष्म,लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों को ही दिया जायेगा।

4) देशभर में अधिकांश बैंकों और डाकघरों के कर्मियों द्वारा कमीशन लेकर पुरानी करेंसी नए में बदलने की लगातार खबरें आ रही हैं। कृपया किसी भी प्रकार के नकद भुगतान पर पुरानी करेंसी को बदलने पर रोक लगायी जाए। मात्र खातों के माध्यम से ही लेने देन वैध घोषित किया जाए। जिस किसी का भी बैंक खाता नहीं है, उसका खाता तुरंत खोलने का प्रबंध हो।

5) आयकर सीमा को अप्रैल 2016 से 5 लाख किया जाए जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिल सके जो महंगाई के कारण कठिन होते जीवन यापन और करो की उच्च दर के कारण कर देने से बचते थे।

6) जो विपक्षी दल और एनडीए के घटक दलों के नेता लगातार सरकार के निर्णयों का विरोध कर रहे हैं क्या उसके पीछे उनकी मंशा अपने रद्दी हुए काले धन को अंदरखाने सरकार की सहायता से नयी करेंसी में बदलवाने की तो नहीं है, इसे स्पष्ट किया जाए।

7) पिछले कुछ वर्षों में ऐसी हज़ारों कंपनियों के नाम सामने आये हैं जिनमें राजनेताओं और उनके परिजनों/रिश्तेदारों से सीधे संबंध हैं। इन कंपनियों के बैंक खातों पर नज़र रखने की क्या व्यवस्था की गयी है इसे देश के सामने स्पष्ट किया जाए।

8) देश के व्यापारी वर्ग जो पिछली सरकार की छूट और नाकामियों के कारण 95 प्रतिशत तक भी नकद में व्यापार करता आया है, अब नकदी संकट के कारण देशभर में व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र मंदी पैदा हो गई है और इससे करोड़ों लोगों के रोजगार और नौकरी पर संकट आ चुका है। इसे पुन: व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए आपातकालीन योजना की आवश्यकता है, जो तुरंत घोषित कर अमल में लायी जाये।

9) देश में जुआ, सट्टा, शराब, ड्रग्स, लॉटरी, मटका, हवाला, अंगड़िया आदि के अवैध कारोबार में लगे लाखों लोग भी बेरोजगार हो चुके हैं। सरकार द्वारा इस वर्ग के पुनर्वास की भी योजना अपेक्षित है। साथ ही वे सभी उपाय भी किए जाएं ताकि पुन: यह वर्ग ऐसे अवैध कार्यों में न लग पाए।

10) विदेशी बैंको में कालाधन रखने वाले जिन लोगों की सूचना सरकार को मिल चुकी है, उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है? साथ ही उच्चतम न्यायालय की निगरानी में कालेधन की जांच हेतु बनी समिति ने जिन लोगों को अपराधी पाया या जिनके खिलाफ जांच एजेंसियों एवं जनता की ओर से उसके पास जो सबूत आए वो कौन लोग हैं और जिन घोटालों के खिलाफ आपकी पार्टी ने सन् 2014 के आम चुनावों से पूर्व आवाज उठाई, उसमे आपकी सरकार ने क्या कार्यवाही की यह स्पष्ट किया जाए।

प्रति प्रेषित : वित्तमंत्री एवं वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार

दिनांक : 21 नवंबर, 2016

धन्यवाद

भवदीय
अनुज अग्रवाल, महासचिव
नीरज सक्सेना, ट्रस्टी
मौलिक भारत

मौलिक भारत द्वारा विमुद्रीकरण और इसके प्रभाव विषय पर आयोजित खुली बहस में देश की बहुत सी नामचीन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मीडिया, शिक्षा और राजनीतिक क्षेत्र की हस्तियों और चिंतकों, बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। इनमें अनुज अग्रवाल, सुदेश अग्रवाल, डॉ. ओंकार मित्तल, पवन सिन्हा, के. विकास गुप्ता, देवेंद्र गुप्ता, गजेन्द्र सोलंकी, राकेश अग्रवाल, रोशनलाल अग्रवाल, डॉ.अमरनाथ ओझा, राजेश गोयल, मुकेश शर्मा, गौतम चौधरी, रोशन सिंह, विष्णु गुप्त, डी.के. चोपड़ा, नीलम अग्रवाल, अनिल वर्मा, डॉ. उमेश चंद्र गौड़, लक्ष्मीनारायण सोनी, विजय दीप, नरेंद्र नरवार, तरुण शर्मा, गोपाल प्रसाद, जुगल चावला, नवनीत चतुर्वेदी, कमलेश पांडे, मुस्तकीम, शादाब अली, उदयभान कौशिक, डॉ अनिल वाग, रॉसत राम, विजेंद्र सिंह, खुर्शीद अनवर, अनंत त्रिवेदी सहित दर्जनों अन्य विद्वानों और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। मंच का संचालन सुदेश अग्रवाल ने किया और अध्यक्षता डॉ. ओंकार मित्तल ने की। बहस के दौरान लोग दो पालों में विभाजित होते गए। कुछ मोदी सरकार के इस कदम और इसके असर को लेकर आशंकित थे तो कुछ पूरी तरह साथ। कुछ बेहतरीन सुझाव भी आये और समस्याओं के समाधान भी। अंततः सर्वसम्मति से सबने सरकार को 50 दिन का समय देने पर सहमति जताई और एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को भेजने का निर्णय लिया। प्रस्तुत हैं बहस के प्रमुख अंश :

● ओंकार मित्तल

शांति पूर्ण और सौहार्द के वातावरण में दिल्ली शहर के कुछ बुद्धिजीवियों ने नोट बदली और नोट बंदी के मुद्दे पर अपनी समझ को स्पष्ट करने के लिए वाद विवाद शैली का सहारा लिया।

नोट बंदी की बहस को सिलसिलेवार जिन मुद्दों पर केंद्रित किया गया वो इस प्रकार हैं।

1. प्रतिभागियों की निगाह में नोटबंदी की प्रधानमंत्री की घोषणा के संभावित और वास्तविक उद्देश्य क्या थे?
2. नोटबंदी की घोषणा में जो प्रक्रिया अपनाई गयी उसके वैधानिक और राजनैतिक पहलु।
3. नोटबंदी की घोषणा के क्रियान्वयन के अभी तक जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़े हैं और जनता इसको किस रूप में देखती है?
4. नोटबंदी के कुछ घोषित-अघोषित उद्देश्यों के नतीजों के ऊपर सिलसिलेवार चर्चा जैसे (क) नकली नोटों की रोकथाम (ख) काले धन की रोकथाम, (ग) आतंकवाद की रोकथाम और कश्मीर में आतंकी हिंसा की रोकथाम (घ) कैशलैस इकोनॉमी की तरफ कदम (ड.) विरोधी राजनैतिक दलों को हिट करना (च) इसका अर्थव्यवस्था के ऊपर फौरी और दूरगामी प्रभाव और परिणाम।
5. सरकार इस कदम को कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाये, इसपर सदन के सुझाव।
6. जनता को इसके बारे में क्या करना चाहिए?

OPEN कोर्ट

बजरंग मुनि

कालाधन, वर्तमान नोटबंदी आदेश के परिणाम

कोई भी धन न कभी रंग मे काला होता है न ही सफेद। सरकार से टैक्स बचाकर जो धन इकट्ठा होता है वह काला कहा जाता है, और टैक्स दिया हुआ धन सफेद। टैक्स दो प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर आम तौर पर इनकम टैक्स को माना जाता है, तथा अप्रत्यक्ष कर जी एस टी के अंतर्गत आने वाले अनेक टैक्सों को। यदि कोई ऐसी तरकीब हो कि इन दो टैक्सों से बचने की आम लोगों की इच्छा न हो अथवा आसानी से न बचा जा सके, तब कालाधन पैदा नहीं होगा। इसके लिये सबसे अच्छा तरीका तो टैक्स सिस्टम में बदलाव है। सिर्फ एक प्रकार का टैक्स लगा दिया जाये और वह टैक्स है, सम्पूर्ण चल अचल संपत्ति पर दो प्रतिशत वार्षिक टैक्स। अन्य सभी प्रकार के प्रत्यक्ष कर हटा दिये जाये तो प्रत्यक्ष करों की टैक्स चोरी लगभग रूक सकती है। गरीबी रेखा के नीचे की आधी आबादी को दो हजार रूपया प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह ऊर्जा सब्सीडी देकर सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर हटा दिये जाये तथा उक्त सारा टैक्स सिर्फ कृत्रिम ऊर्जा अर्थात डीजल पेट्रोल गैस बिजली केरोसिन और कोयला पर लगा दिया जाये तो सारी अप्रत्यक्ष टैक्स चोरी भी रूक जायेगी। इस कदम से विदेशों का सारा काला धन भी भारत में आ जायेगा तथा भविष्य में नहीं के बराबर बनेगा जिसके लिये बहुत कठोर दंड की व्यवस्था की जा सकती है। इस कदम से लगभग नब्बे प्रतिशत विभाग अपने आप समाप्त हो जायेंगे। इससे भ्रष्टाचार भी रूकेगा।

नगद रूपया सिर्फ वस्तु विनिमय को सुविधा जनक बनाने का माध्यम मात्र है, कोई धन नहीं। लोग भ्रम वश उसे धन समझते हैं क्योंकि उस रूपये में कोई वस्तु कभी भी स्वेच्छा से खरीदी जा सकती है। वर्तमान नोटबंदी का व्यापक प्रभाव पड़ेगा यह निश्चित है। वर्तमान समय में औसत इनकम टैक्स बीस प्रतिशत तथा लगभग इतना ही अप्रत्यक्ष कर होता है। इस चालीस प्रतिशत टैक्स से वर्तमान समय में करीब आधा सरकार को मिलता है तथा आधा बचा लिया जाता है। नोटबंदी के कारण सिर्फ एक ही परेशानी होगी कि वह बीस प्रतिशत टैक्स बचाना कठिन हो जायेगा। इसका अर्थ हुआ कि आम लोगों की आय चाहे गरीब हो या अमीर कुल मिलाकर बीस प्रतिशत तक घट जायेगी। स्वाभाविक है कि आम लोगों को इसके प्रभाव से बचने के लिये अपने कुल खर्चे में बीस प्रतिशत कमी करनी होगी। यह टैक्स देने और खर्चे घटाने की प्रक्रिया ही परेशानी के रूप में दिख रही है, और यदि इस परेशानी को सहजता से स्वीकार कर लिया जाये तो यह नोटबंदी का आदेश देश के लिये बहुत लाभदायक है। इस संबंध में और क्या अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा, यह मैं नहीं जानता । क्योंकि मुझे न तो जीडीपी के बारे में कुछ पता है न ही सेन्सेक्स और उसके प्रभाव के विषय में। मैं बैंकों में जमा या निकासी के गणित को भी नहीं समझता। मैं यह भी नहीं समझ पा रहा कि इस कदम का राजनैतिक प्रभाव क्या होगा? यदि अधिक से अधिक संभव लेनदेन बैंकों के माध्यम से होने लगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी, और यदि टैक्स देने की हिम्मत बना ली जाये तो बैंकों से लेनदेन सहज हो जायेगा। मैंने तो सिर्फ अपने मित्रों को यही सलाह दी है कि वे सभी वस्तुओं के उपयोग में बीस प्रतिशत कटौती करने की आदत डाले और पूरी तरह नोटबंदी का खुला समर्थन करे।

चर्चा का संचालन श्री सुदेश अग्रवाल ने किया। इसकी अध्यक्षता डॉ ओंकार मित्तल द्वारा की गयी।

चर्चा में आने वाले कुछ मुख्य बिंदु

1. सभी सहमत थे कि आम जनता को इस कदम के क्रियान्वन से बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यह कठिनाइयां कितने दिन तक रहेंगी या अंततः और बढ़ेंगी या समाप्त हो जायेंगी इस पर कोई एक मत नहीं था।
2. एक पक्ष का कहना था कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद इस कदम को जनता का व्यापक समर्थन हासिल है। दूसरी ओर से कहा गया कि ये समर्थन की आवाज एक बुलंद समूह की है और मूक कोटि कोटि जनता का स्वर इसमें शामिल नहीं है।
3. इस घोषणा को करने में सही वैधानिक प्रक्रिया अपनाई गयी या नहीं, इस पर अनेक मत थे। लेकिन एक समूह का कहना था कि निर्णय की गुणवत्ता के आधार पर सरकार को प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है।
4. क्या इससे नकली नोटों की समस्या का समाधान होगा? इसका अधिकतम प्रतिभागियों ने खंडन किया। कुछ प्रतिभागियों ने कहा कि नकली नोटों के सरकारी आंकड़े सही नहीं हैं और आंकलन से कई गुना नकली नोट अर्थव्यवस्था में वितरित है।
5. क्या इससे काला धन की समस्या का समाधान होगा? इसका अधिकतम

प्रतिभागियों ने खंडन किया। कई उदाहरण ऐसे भी दिये गए जिनमें बताया गया कि पुराने नोटों की अदला बदली अवैध तरीकों से हो रही है और काले धन की नयी व्यवस्था हमारी आंखों के सामने खड़ी हो रही है।

6. इससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके बारे में फौरी तौर पर आने वाली कठिनाईयों के बारे में सबकी लगभग एक राय लगी। लेकिन कुछ प्रतिभागी इसके दूरगामी सकारात्मक प्रभाव के बारे में आशान्वित थे।
7. इसका आतंकवाद पर क्या असर पड़ा है? कुछ ने इसका पुरजोर समर्थन किया और कहा कि आतंकवाद की कमर टूट गयी है, दूसरे लोगों ने इस निष्कर्ष पर संदेह व्यक्त किया और कहा की आतंकवाद की समस्या को नकली नोट या काले धन से नहीं जोड़ा जा सकता।
8. पूर्ण कैशलैस नयी अर्थव्यवस्था के बारे में कोई सहमत नहीं था। कुछ लोगों ने स्मॉल कैश अर्थव्यवस्था की वकालत की और 2000 रूपये के नोटों पर प्रश्न चिह्न लगाया। कुछ लोगों ने प्लास्टिक मनी की क्रेडिट आधारित इकोनॉमी को भारत की चित्त भूमि के विरुद्ध कहा और इसके खतरे की ओर इशारा किया। कुछ ने आशा व्यक्त की कि इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ने में मदद मिलेगी।
9. अधिकतर प्रतिभागी सहमत थे कि इस निर्णय और घोषणा के निहित राजनैतिक स्वार्थ की तरफ इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ ने कहा की अच्छा काम सरकार करती है तो उसका राजनैतिक लाभ सरकार को मिलना ही चाहिए।

सरकार के लिए सुझाव

1. जो इस कदम के पक्षधर थे उन्होंने आर्थिक और वित्तीय राजकाज को सुधारने पर बल दिया ताकि काले धन को रोकने के मार्ग में आने वाली कमजोरियों को दूर किया जा सके। और सभी से इस काम में सहयोग देने का अनुरोध किया।
2. कई लोगों ने टैक्स को कम करने और टैक्स व्यवस्था को सरल करके काले धन की समस्या पर बचाव की रणनीति बनाने पर जोर दिया।
3. कुछ प्रतिभागियों ने कहा कि लोकशिक्षण के काम को प्रमुखता देनी चाहिए जिससे जनता को कानूनों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की सही जानकारी हो सके।
4. कैश फ्लो के कम होने से पैदा होने वाली कठिनाइयों के बारे में सदन का स्वर लगभग एक जैसा था। कुछ का मानना था कि इसको आपात स्थिति मानकर इसका निराकरण सरकार को करना होगा।

निष्कर्ष

बैठक का कोई निश्चित निष्कर्ष था ऐसा कहना मुश्किल है। एक ओर वे थे जो इसकी सफलता के पक्षों-विपक्षों की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे थे। दूसरी ओर कुछ लोग इस नीति का तात्विक दृष्टि से विरोध करके वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे थे। विरोध करने वालों ने चेतावनी दी कि स्थिति बहुत गंभीर है और कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। समर्थन वालों ने आश्वासन दिया कि कुछ कठिनाइयों को दूर करके शीघ्र स्थिति सामान्य हो जायेगी।

अध्यक्ष की टिप्पणी- अध्यक्ष ने इस बात का स्वागत किया कि भिन्न भिन्न विरोधी विचार वाले विद्वानों और महानुभावों ने शांत और प्रेमपूर्ण माहौल में इतने विवादास्पद मुद्दे पर गहरा विमर्श किया यह बहुत अद्भुत घटना थी। इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। ऐसा केवल भारत देश में ही संभव है। यही हमारे देश की ताकत है। आगे सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि सभी साथी जो उनके विरोधी मत आये हैं, उन पर ठण्डे दिमाग से स्वाध्याय करें और अगर उसे सीख सकते हैं तो सीखें। इसी के आधार पर राष्ट्र हित में परस्पर सहयोग की चित्तभूमि का आधार तैयार होगा।

प्रथम सत्र : नोटबंदी की घोषणा

उद्देश्य क्या थे

1. नकली नोटों को ख़त्म करना (एक मत था कि नकली नोट असली नोटों के मुकाबले लगभग 4 गुना वितरण में हैं यानी लगभग 50 करोड़।
2. काला धन सरकार के रेकॉर्ड्स में लाना। तहखाने में ज़मा नकदी को बाहर निकालना व भ्रष्टाचार का खात्मा। काले धन को खत्म करना।
3. आतंकवाद के वित्तीय स्रोतों को रोक कर आतंकवाद की कमर तोड़ना व पाकिस्तान की कमर तोड़ना। ड्रग ट्रेफिकिंग की रोकथाम करना।
4. कैशलैस प्लास्टिक करेंसी की तरफ कदम।
5. अर्थव्यवस्था की बहाली। बैंकों की हालत में सुधार करना जिससे उद्योगपतियों को फिर से कर्ज मिल सके।
6. सरकार द्वारा अपनी कमियों को छुपाना जैसे किसानों की समस्या विकराल रूप धारण कर रही थी और सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रही थी। प्रधानमंत्री द्वारा अपने लिए वाहवाही लेना। विरोधी

राजनैतिक दलों की कमर तोड़ना।

7. अन्य – एक तीर से कई निशाने। सिंगापुर मॉडल की तरफ़ कदम। अमेरिकन मंदी का मुकाबला।

नोटबंदी की घोषणा का तरीका

- नीचे से फाइल ऊपर आनी चाहिए थी। पारदर्शी तरीका होना चाहिए था।
- जिस प्रकार का निर्णय होता है उसका तरीका उसी प्रकार होता है। केवल एक तरीका सब निर्णयों पर लागू होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। कई बार बिलकुल आकस्मिक फैसला भी लेना पड़ सकता है।
- फाइनेंस एक्ट –262 के प्रावधानों को नहीं अपनाया गया, जो तरीका अपनाया गया वो वैधानिक नहीं है।
- सही प्रक्रिया अपनाकर ही फैसला लिया गया है। 6 महीने से प्रक्रिया चल रही थी। ये नहीं कहा जा सकता कि सही तरीका नहीं अपनाया गया, रिजर्व बैंक से भी सहमती ली गयी है। जनता से पूछना जरूरी नहीं है। केवल घोषणा अचानक थी।
- सरकार के लिए संभव था कि अनौपचारिक प्रक्रिया से बहस शुरू करवा कर जनता की राय का अंदाजा लगाती।
- प्रधानमंत्री अपने नाम से निर्णय नहीं ले सकते। निर्णय कैबिनेट के द्वारा ही लिया जाता है। इसके विपरीत क्योंकि इसमें लीक होने की सम्भावना थी इसलिए प्रधानमंत्री स्वयं भी निर्णय ले सकते थे और बाद में कैबिनेट को विश्वास में लिया जा सकता है। प्रक्रिया से गुजरना या गोपनीय रखना सरकार का विशेषाधिकार है। बजट को भी वित्त मंत्री गुप्त रखते है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाने से इंकार कर दिया है। गोपनीयता के भी कई स्तर होते हैं।
- हमें पूरी जानकारी नहीं है कि विश्वास में लिया गया या नहीं। वैसे गोपनीय था ही नहीं। गोपनीय तरीके से करेंसी छप रही थी। बैंकों में नोट आ चुके थे। इसलिए पूर्ण गोपनीय नहीं कहा जा सकता।

काले धन की आड़ में राजनैतिक दलों पर हमला

- देश तो राजनीति से ही चलता है। अगर सही फैसला है, उसके परिणाम अच्छे हैं तो उसका राजनैतिक लाभ मिलेगा ही।
- चुनाव तो हर साल देश में होते ही रहते हैं इसलिए इसको चुनाव से नहीं जोड़ा जा सकता। शासक दल ने खतरा मोल लिया है। इसका अच्छा बुरा प्रभाव होगा ही।
- कोई राजनैतिक दल अब रैली करने की हिम्मत नहीं कर रहा।
- चुनाव में पैसा बांटना जीरो हो जाएगा, इससे खुश होना चाहिए।
- इसमें बहुत जबरदस्त राजनैतिक चाल है। शासक दल अपनी जड़ें मजबूत करना चाह रहा है।
- इसमें ये हिसाब लगाया गया कि इसकी आड़ में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर विफलता छुप जायेगी। इस नीति के सकारात्मक पहलुओं का प्रचार करके राजनैतिक लाभ उठाया जाएगा।
- पिछली नीति ये चल रही थी कि बाहर की कम्पनियां निवेश भारत में नहीं कर रही थी। इस कदम से रिटेल सेक्टर में एफडीआई को निश्चित बढ़ावा मिलेगा। यही इस कदम का मुख्य उद्देश्य है।

जनता इसको कैसे देख रही है?

- आम जनता को बहुत परेशानी है। मौतें भी हुई हैं। आम जनता का बहुत नुक्सान हुआ है। जनता बहुत दुखी है। 15 करोड़ लोग लाइनों में खड़े हैं।
- बहुत अच्छा कदम माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसका असर देखा जा सकता है। सब आशावान हैं कि इससे कुछ अच्छा निकलेगा। सी वोटर्स के सर्वे में भी 80–86 प्रतिशत लोगों ने इसको सही कदम माना है।
- 75 प्रतिशत कदम सही है। 80 प्रतिशत जनता चाहती है कि काला धन ख़त्म हो जाये। नीचे वाले तबके को उम्मीद है कि जन धन योजना के माध्यम से उनको पैसा मिलेगा।
- क्रियान्वयन में कुछ परेशानियां हैं। ये परेशानियां भी सीमित समय के लिए रहेंगी। किसानों ने भी इसका स्वागत किया है। तरीके से कुछ परेशानी हैं। वे 3–4 महीनों में ठीक हो जाएंगी। क्रियान्वयन में कठिनाइयों के बावजूद और 3–3 घंटे लाइन में खड़े होने के बावजूद जनता 100 प्रतिशत इस कदम के साथ है। अगर साथ न होती तो अब तक दंगे हो चुके होते। कैश फ्लो में कुछ कठिनाइयां आ रहीं हैं।
- कुछ घाव लगे हैं और उनको भरने में समय लगेगा।
- जो लोग इसके पक्ष में बोल रहे हैं वे जोर से बोलने में सक्षम सीमित वर्ग है। जो मूक कोटि कोटि जन हैं, उनकी आवाज इसमें नहीं है। दूरदर्शन पर दिख रहा है कि दस दिन बाद जनता की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। क्रियान्वयन में बहुत कठिनाइयां आ रही हैं।
- क्रियान्वयन करने वाली संस्थाओं के काम में कमी है। पैसा डाइवर्ट हो रहा है। लोग अपनी आँखों से देख रहे हैं।
- जिस तरह से घोषणा की गयी उससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी। पहले दिन लोगों

36.5 लाख करोड़ की सौगात कारपोरेट जगत को कांग्रेस ने दी तो गुनाहगार नरेन्द्र मोदी क्यों?

राहुल गाँधी को देश से बताना चाहिए कि जिस विजय माल्या की कम्पनी किंगफिशर पर फरवरी 2012 में अकेले स्टेटबैंक ऑफ़ इंडिया के 1457 करोड़ रू बकाया थे और वो उस कर्ज़ को चुका नहीं रहा था उसी विजय माल्या की उसी कम्पनी किंगफिशर को फरवरी 2012 में ही स्टेटबैंक ऑफ़ इंडिया ने 1500 करोड़ रू का और क़र्ज़ क्यों और किसके कहने पर दे दिया था

राहुल गाँधी को देश से यह भी बताना चाहिए कि कारपोरेट जगत को 36 .5 लाख करोड़ की इस तथाकथित कर्ज़ माफ़ी की सौगात उनकी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने क्यों और किसके कहने पर दी थी तथा उसकी इस सौगात से देश के गरीबों का, देश के किसानों का, देश के आम आदमी का क्या कितना और कैसा भला हुआ था.?

केंद्र की सत्ता से कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की विदाई से केवल 6 महीने पहले, 15 नवम्बर 2013 को मुम्बई में आयोजित बैंकर्स कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए रिजर्व बैंक के तत्कालीन डिप्टी गवर्नर केसी चप वर्ती ने बताया था कि देश के बैंकों ने स्वयम द्वारा दिए गए 1 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज़ को बट्टे खाते में डाल दिया है. केसी चप वर्ती द्वारा दिए गए आंकड़ों की पुष्टि रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए उस आंकड़े से हो गयी थी जिसमें बताया गया था कि बैंकिंग की भाषा में 2007 से 2013 के बीच बैंकों के ख्ड्ढस्र स्ष्ड्ढ्ठ में हुई 4,94,836 करोड़ रू की वृद्धि में से 1,41,295 करोड़ रू के कर्ज़ों को बैंकों ने बट्टे खाते में डाल दिया है.

अत: राहुल गाँधी को देश से यह बताना चाहिए कि 1,41,295 करोड़ के जिस कर्ज़ को उनकी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने बट्टे खाते में डाल दिया था, बैंकों ने वह कर्ज़ किसको दिया था.? क्या यह कर्ज़ देश के कारपोरेट जगत को नहीं दिया गया था.? इस कर्ज़ की वसूली के लिए उनकी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने उन कारपोरेट घरानों के खिलाफ क्या कैसी और कौन सी कार्रवाई की थी.? यदि नहीं की थी तो क्यों नहीं की थी.?

राहुल गाँधी को देश के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उन कारपोरेट घरानों के खिलाफ उनकी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने क्या इसलिए कार्रवाई नहीं की थी क्योंकि वो कारपोरेट घराने राहुल गाँधी/सोनिया गाँधी या फिर मनमोहन सिंह के दोस्त थे.?

राहुल गाँधी से यह सवाल पूछना इसलिए अनिवार्य और आवश्यक है, क्योंकि राहुल गाँधी आजकल अपने ऐसे ही तर्कों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आप मण कर रहे हैं. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके जिन तथाकथित मित्रों का नाम लेकर राहुल गाँधी आप मण कर रहे हैं वो अत्यन्त थोथा, लिजलिजा, फूहड़ और असत्य है. स्वयम रिजर्व बैंक के आंकड़ें ही इस तथ्य की पुष्टि करते हैं.

30 सितम्बर 2014 को, अर्थात केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के बनने के केवल 4 महीने बाद उजागर हुए रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार गौतम अडानी की कम्पनी पर बैंकों का 72,632.37 करोड़ रू का कर्ज़ बकाया था तथा रिलायंस समूह(अनिल अम्बानी) पर बैंकों का 1 लाख 13 हज़ार करोड़ रू का कर्ज़ बकाया था.?

एस्सार समूह के शशि एवम रवि रूइय्या पर बैंकों का 98,412 करोड़ तथा एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल की कम्पनी पर बैंकों का 57,744.3 करोड़ रू का कर्ज़ बकाया था.

राहुल गाँधी से देश जानना चाहता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या अपनी सरकार बनने के 4 महीने के अन्दर ही उक्त कारपोरेट दिग्गजों को इतने भारी भरकम कर्ज़ दे दिए थे.? नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है. रिजर्व बैंक के दस्तावेज़ बताते हैं कि यह सारे कर्ज़ कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के शासन में ही दिए गए थे.

उपरोक्त आंकड़ें कारपोरेट दुनिया के बड़े दिग्गजों के हैं. यूपीए सरकार की सरकारी कर्ज़ की कृपा से कृतार्थ हुए हुए कारपोरेट घरानों की लम्बी सूची में 7 हज़ार करोड़ के कर्ज़दार भगोड़े विजय माल्या और रॉबर्ट वाड्रा के व्यवसायिक साथी सहयोगी, 19100 करोड़ के कर्ज़दार ष्ठस्न के मालिक केपी सिंह सरीखे नाम भी शामिल हैं.

राहुल गाँधी को देश से बताना चाहिए कि जिस विजय माल्या की कम्पनी किंगफिशर पर फरवरी 2012 में अकेले स्टेटबैंक ऑफ़ इंडिया के 1457 करोड़ रू बकाया थे और वो उस कर्ज़ को चुका नहीं रहा था परिणामस्वरूप उसके बैंक खाते फ्रीज़ किये जा चुके थे. उसी विजय माल्या की उसी कम्पनी किंगफिशर को फरवरी 2012 में ही स्टेटबैंक ऑफ़ इंडिया ने 1500 करोड़ रू का और क़र्ज़ क्यों और किसके कहने पर दे दिया था तथा इनकमटैक्स विभाग ने क्यों और किसके कहने पर उसके खाते डिफ्रीज कर दिए थे.? राहुल गाँधी से देश जानना चाहता है कि विजय माल्या किसका दोस्त था.?

और अंत में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न...

जुलाई 2014 में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट ने यह आंकड़ा उजागर किया था कि वित्तीय वर्ष 2005 -06 से वित्तीय वर्ष 2013-14 तक की 9 वर्ष की समयावधि में डायरेक्ट कारपोरेट इनकमटैक्स की 5.42 लाख करोड़ की राशि को कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने बट्टे खाते में डाल दिया था. रिपोर्ट के अनुसार इसी समयावधि से सम्बन्धित सरकारी दस्तावेजों में दर्ज यूपीए सरकार की कारपोरेट दुनिया पर की गयी मेहरबानियों की कहानी यह भी बताती है कि इस समयावधि में ही बट्टे खाते में डाली गयी कस्टम एक्साइज़ ड्यूटी और अन्य करों की राशि को बट्टे खाते में डाली गयी डायरेक्ट कारपोरेट इनकमटैक्स की राशि के साथ यदि जोड़ दिया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इन 9 वर्षों के अपने शासनकाल में यूपीए सरकार ने कारपोरेट जगत को लगभग 36.5 लाख करोड़ की कारपोरेट कर्ज़ माफ़ी की सौगात दी थी.?

राहुल गाँधी को देश से यह बताना चाहिए कि कारपोरेट जगत को 36 .5 लाख करोड़ की इस तथाकथित कर्ज़ माफ़ी की सौगात उनकी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने क्यों और किसके कहने पर दी थी तथा उसकी इस सौगात से देश के गरीबों का, देश के किसानों का, देश के आम आदमी का क्या कितना और कैसा भला हुआ था.?

ने पेट्रोल पंप पर लाइन लगा दी जैसे कि पेट्रोल खत्म होने जा रहा हो।

- सोच समझकर क्रियान्वयन की योजना नहीं बनी।

दूसरा सत्र : निकट और दूरगामी परिणाम

नकली-अवैध करेंसी की समाप्ति

- इसके ऊपर तुरंत प्रभाव अवश्य पड़ेगा। लेकिन यह अस्थायी होगा। पाकिस्तान 2000 रूपये का नया नोट छापने में भी सक्षम है। इससे नकली नोट को असली नोट से पहचानना असंभव है।
- नोट बदली के उद्देश्यों को नकली नोट की रोकथाम से मिक्स नहीं कर सकते।
- नकली नोट का छापना डी ग्रुप द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमला है।
- अभी तकनीक बहुत आगे बड़ गयी है। नकली नोट छापना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस कदम से नकली नोटों की मात्रा पहले से कम जरूर हो जायेगी लेकिन ख़त्म नहीं होगी।
- कितने नोट नकली हैं किसी को पता नहीं है।
- यह एक साइक्लिक प्रक्रिया है, बार बार चलती रहेगी। इस बार समाप्त कर दिया है। आगे फिर समाप्त कर देंगे इससे नक्सलवाद और ड्रग व्यापार का फिलहाल खात्मा हो गया है। पंजाब में भी पहले समाप्त कर दिया था आतंकवाद को जो ड्रग्स व्यापार से जुड़ा था। अब फिर से उभर आया है।
- दूसरी तरफ कहा गया कि बैंकों की गड्डी में भी नकली नोट मिल रहा है। एटीएम से भी नकली नोट मिल रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? प्राइवेट एजेंसियां एटीएम के नकली नोट के लिए जिम्मेदार हैं। इनको कौन चला रहा है? भाजपा का सांसद एटीएम का ठेकेदार है।
- अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि नोटबदली की प्रक्रिया में कितनी नकली करेंसी पकड़ी गयी। क्या इसका अर्थ ये निकाले कि नकली नोट चलन में नहीं था?
- 100 प्रतिशत नकली नोटों को बैंकों को पहचान कर रोकना होगा। जनता को भी शिक्षित करना होगा। बैंकों को फुलप्रूफ सिस्टम बनाना होगा। अभी कैश की जो मैन्युअल हैंडलिंग होती है उससे काम नहीं चलेगा।
- दुनिया के सभी देशों में नकली नोटों की समस्या है।
- कहा गया कि अमेरिका ने 1 लाख डॉलर के नोटों का विमुद्रीकरण किया। इस पर तथ्यात्मक विवाद हुआ।
- यह कहा गया कि कुल 0.02 प्रतिशत या 400 करोड़ रूपये की नकली करेंसी सरक्युलेशन में है। यह वित्त मंत्री का कथन है।
- दूसरी तरफ तेलगी स्केम का उदाहरण दिया गया। और कहा गया कि नकली नोटों का चलन सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है।

काला धन- नोट बंदी

- गलत समय पर गलत तरीका
- इसका काले धन की समस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- काला धन और काली दौलत दोनों अलग समस्याएं हैं।
- कुल नकदी का कुल 35-40 प्रतिशत ऐसा होगा जो लोगों के पास 1 करोड़ या उससे अधिक की मात्रा में अवैध रूप में होगा और जांच के दायरे में आ सकता है। कुल काले धन का यह एक बहुत सीमित हिस्सा है और इसलिए इस कदम का बहुत सीमित प्रभाव होगा।
- 16 लाख करोड़ की करेंसी में से 7 लाख करोड़ के करीब बैंकों में जमा करायी गयी है। इसी प्रक्रिया में काला धन फिर से पैदा हुआ है।
- हम कैश से कैशलैस की तरफ बढ़ रहे हैं।
- नागालैंड इत्यादि में धारा 371 लागू होती है। वहां आईटी एक्ट लागू नहीं हो सकता, वहां के निवासी से पूछ नहीं सकते कि आपके पास ये रुपया कहां से आया । अभी 3.5 करोड़ रुपया पकड़ा गया है। नागालैंड के एक व्यक्ति के पास

हेलिकॉप्टर से नोट पहुंचाए जा रहे थे। नोटबंदी से काले धन पर 1 प्रतिशत भी असर नहीं होगा। काला धन सब बदला गया है। आज भी अदला बदली हो रही है।

- करों में छूट देनी चाहिए।
- व्यापारी, नेता, अधिकारी, इनके पास काला धन है, रेड डालकर नियंत्रित किया जा सकता है।
- सबसे ज्यादा परेशान व्यापारी हैं।
- 70 प्रतिशत काला धन री एडजस्ट हो जाएगा। केवल धन का वो हिस्सा जिसका हिसाब किताब नहीं था, उस पर असर पड़ेगा। छोटे लेवल पर एडजस्टमेंट के तरीके निकल आयेंगे। मंदिरों में और बहुत दूसरे तरीकों से काला धन एडजस्ट हो जाएगा। कृषि की आय पर कोई कर नहीं है।
- जन धन खातों को सील किया जा रहा है। 49000 रूपये जमा करने पर भी खाता बंद कर दिया है। आज तो भैस की कीमत भी 1 करोड़ रुपया है।

समर्थन

- बहुत अधिक मात्रा में काला धन वापिस आएगा। अभी 31 मार्च तक का समय है। बहुत सारा रुपया जमा भी नहीं होगा।

उपाय

- काला धन के पैदा होने की प्रक्रिया को रोकना होगा। 27 -28 तरीके के अलग अलग टैक्स हैं। इन टैक्सों का सरलीकरण करना होगा। मोनोपोली कानून हैं। स्मगलिंग, ड्रग, शराब, इन पर रोक लगानी होगी।
- अधिक कर जब कम हो जायेंगे तो रिश्वत नहीं मिलेगी। चन्दा नहीं मिलेगा।
- जायदाद पर अंकुश लगाना होगा ताकि काला धन को खपाना मुश्किल हो जाये।
- नोटबंदी से सारा काला धन ख़त्म हो गया। अब बाहर वाले काले धन का क्या होगा।
- काला धन बांटा जाएगा।
- बैंक ट्रांसेक्शन टैक्स लगाना होगा। टैक्स चोरी की समस्या समाप्त हो जाएगी। कैश से ही काले धन की समस्या पैदा होती है।
- जागृति से पूरा देश जग गया है।

आतंकवाद

- अवैध करेंसी समाप्त हो जाएगी इसमें संदेह है। इस पर लगाम जरूर लगी है।
- अवैध करेंसी आतंकवाद के लिए केवल एक छोटा पहलु हो सकता है, मुख्य पहलु नहीं है।
- पुराने नोटों के स्थान पर नए नोट पहुंच जायेंगे।
- आतंकवाद को नकली करेंसी नहीं चलाती। आतंकवाद भावनात्मक मुद्दा है। इसका नोट से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह पूरी आतंकवाद की समस्या का बहुत छूता पहलु है। कश्मीर में आतंकवाद पाकिस्तान चलाता है और वो उनको असली नोट ही देता है। ओसामा बिन लादेन वैध करेंसी अपनी कम्पनी से अल कायदा को सप्लाई करता था। जो लोग ये कह रहे हैं कि पत्थर फेंकना इससे बंद हो गया है वे भ्रमित हैं, दोनों मुद्दों का कोई लिंक नहीं है। पत्थरबाजी बंद होने का कारण 4 महीने के बंद के बाद थोड़ा अंतराल देना था। 99 प्रतिशत बच्चे परीक्षा में बैठे। पत्थरबाजी फिर से शुरू हो गयी है। कई लोग घायल हुए हैं। जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष न निकालें। ड्रग फाइनेंसिंग का मूल स्रोत डॉलर है। नोटों के बंद होने का असर शायद थोड़ा बहुत नक्सलवाद पर पड़ सकता है। स्लीपर सेल्स पर भी असर नहीं पड़ेगा। अभी भी आतंकवादियों के पास 2000 रूपये के असली नोट पकड़े गए हैं।
- अमेरिका के 9/11 और भारत के 26/11 की तुलना की गयी। यह कहा गया कि हवाला कारोबार को कंट्रोल करके अमेरिका ने आतंकवाद पर रोक लगा दी। इसलिए डिजिटल करेंसी का प्रयोग आतंकवाद को रोकने के लिए आवश्यक है।
- नक्सलवाद का राजनीति से जुड़ाव है। इनको नए नोट भी प्राप्त हो जायेंगे जैसे पुराने प्राप्त हुए थे। इन्होंने अपनी समानांतर सरकार स्थापित की हुई है। अधिकारियों को काम नहीं करने देते। अपनी समानांतर करेंसी भी चला सकते हैं। आंध्र प्रदेश में

राजशेखर रेड्डी ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए पंजाब जैसी नीति चलायी। पकड़ो और मारो, फिनिश कर दो। इससे आंध्र प्रदेश में कंट्रोल हुई। पर समस्या अब छत्तीसगढ़ में पहुंच गयी है।

- नोटबंदी से उल्टा असर पड़ सकता है। हो सकता है अब कंट्रोल न कर पायें। अंध राष्ट्रवाद से आतंकवाद और पनपेगा।
- कानून की जानकारी आम जनता को देनी बहुत आवश्यक है। इससे सब वाद और सब समस्याएं समाप्त हो जायेंगी।

कैश लैस बैंकिंग और अर्थव्यवस्था

- अब हम कैशलैस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। हमें स्ट्रांग गवर्नेंस की तरफ अपने सकारात्माक सुझाव देने चाहिये। जो कदम लिया गया है वह अब वापिस नहीं हो सकता, उसकी आलोचना करने का कोई अर्थ नहीं है।
- क्या इसको हम नोट बंदी कह सकते हैं? मिली जुली करेंसी की आवश्यकता है। बैंकों का जाल देश में नहीं है। 2008 से आर्थिक मंदी है। व्यापार कैश के ऊपर चलता है।
- क्रेडिट कार्ड लोन पर आधारित अर्थव्यवस्था को जन्म देता है। ये भारतीय सोच के विरुद्ध है।
- कैशलैस सिस्टम इल्लुमिनान्ति द्वारा नियंत्रित है, इससे देश को खतरा है। देश को गुलाम बनाने का हथियार है।
- कैशलैस इकोनॉमी के स्थान पर स्मॉल कैश इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए।
- डिजिटल आउटरीच बहुत कम है। सिस्टम को आसान करने की जरूरत है।
- एक तरफ हमारी इकोनॉमी ग्लोबल ओपन है और दूसरी तरफ़ इन्फोर्मल है।
- 2000 का नोट लाना सही नहीं था।
- चुनाव काले धन से होता है। हारने वाला भी अपने धन की वसूली करता है।
- कैशलेस सिस्टम के द्वारा जनता को लूटा जा रहा है। दुनिया में ब्याज की दर 1 प्रतिशत है। भारत में ये कम्पनियां कई गुना ब्याज वसूलती है। इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। यह सरकार का दायित्व है। इसके ऊपर विवाद था कि क्या पेटीएम अलीबाबा द्वारा स्थापित चीन की कम्पनी है? कैशलैस को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। कैशलैस से टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा।
- कैश इकोनॉमी काली इकोनॉमी नहीं है। कैश इकोनॉमी को नियंत्रित करने की तरफ आगे बढ़ें, कैशलैस की तरफ नहीं। सदियों से हम कैश से काम चला रहे हैं। हमारी परम्परा बचत की है। इसका हमको बहुत गहरा अनुभव है। जगत गुरू बनना है तो हमें दुनिया को कैश को नियंत्रित करने का रास्ता दिखाना होगा। कैशलैस के रास्ते पर नहीं बढ़ना होगा।
- आयकर से अर्थव्यवस्था को मुक्त कर दें। कर व्यवस्था में सुधार करें।

भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- सरकार की तैयारी पूरी नहीं है।
- क्रेजी कदम : इसका कोई भी अच्छा राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभाव नहीं होगा।
- रियलिटी सेक्टर का भट्ठा बैठ गया है।
- आज हम ग्लोबल ओपन इकोनॉमी में रह रहे हैं। इस कदम से मंदी की शुरुआत हो गयी है।
- छोटे व्यापारी हार रहे हैं, उनपर बहुत बुरा असर पड़ा है।
- 1-2 क्वार्टर में करेंसी की आपूर्ति कम रहेगी। बाद में असर कम हो सकता है। अगला साल बहुत मुश्किल हो सकता है।
- कामगारों को काम नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ वे अपना कीमती समय लाइन में लग कर बेकार कर रहे हैं।
- 14 लाख करोड़ की करेंसी में से 5 लाख करोड़ वापिस नहीं होगी। इससे अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी।
- बचत की प्रवृत्ति समाप्त हो जायेगी।
- 1-3 प्रतिशत जीडीपी नीचे गिरेगा। सबके ऊपर असर पड़ेगा।
- अराजकता की स्थिति पैदा हो गयी है, लेन-देन रुक गया है। 24000 रूपये भी निकालने में कठिनाई हो रही है।
- मजदूर को नौकरी नहीं, भुखमरी पैदा होगी।
- अपराध बढ़ेंगे। कानून व्यवस्था ख़राब होगी। गृह युद्ध जैसी स्थिति भी बन सकती है।

अच्छा प्रभाव

- बहुत ज्यादा वित्तीय हानि नहीं होगी। गांव की अर्थव्यवस्था साहूकारों पर आधारित है। इस कारण किसान मजदूर को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा।
- रेवेन्यू आएगा। इकोनॉमी वापिस रिबाउंड होगी। ऑनलाइन ट्रेड होगा। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट अच्छा होगा।
- मंदी तो पिछले दो सालों से चल रही है।

सुझाव

- फरवरी तक यही चलेगा, उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी।
- प्लास्टिक मनी क्रेडिट से लेनदेन शुरू करना चाहिए।
- 1991 में जो खुली बाजार अर्थव्यवस्था का रास्ता चुना, उसके बारे में पुनर्विचार करना होगा। हमें इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं चाहिए। जीडीपी के स्थान पर ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में सोचना होगा।

अंतिम सत्र : क्या करना चाहिए सरकार को?

- नोटबंदी से सम्बंधित व्यापारी को कैश की सप्लाई को इमरजेंसी स्तर पर बढ़ाएं।
- एफोर्समेंट में कमी है। कण्ट्रोल को बढ़ाएं। काले धन की रोकथाम के लिए सरकार हमारे सुझाव लगातार मान रही है। पीएमओ से हमारा सम्पर्क लगातार बना हुआ है (मौलिक भारत)
- 31 दिस्मबर के बाद कैश फ्लो को बढ़ा दो।
- हेल्पलाइन की स्थापना।
- टैक्स की दरों को कम करो।
- जो अतिरिक्त डिविडेंड रिजर्व बैंक को प्राप्त हो रहा है, उसका प्रयोग करके कॉटेज इंडस्ट्री को रिवाइव करो।
- क्रेडिट की उपलब्धता को बढ़ाओ।
- जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ।
- प्लास्टिक मनी पर आधारित कर्जे वाली अर्थव्यवस्था की तरफ सोच समझकर कदम बढ़ाओ।
- पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करो।
- श्वेत क्रांति को लागू करो। ■

गरीबी हटाने में काला धन सबसे बड़ी बाधा

देश के प्रत्येक नागरिक को दो वक्त का भोजन सुलभ होना चाहिए!

भूख तथा गरीबी हटाने में काला धन सबसे बड़ी बाधा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मानव समाज एवं मानव जीवन में सुचिता लाने के लिए 500 तथा 1000 के नोट्स पर 8 नवम्बर की रात्रि को प्रतिबन्ध लगाकर गरीबी, आतंकवाद, काला धन, नकली नोट तथा भ्रष्टाचार के स्त्रोत पर जबरदस्त प्रहार करके एक सशक्त तथा भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र का निर्माण करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। पिछले ढाई वर्षों में सवा सौ करोड़ देशवासियों के सहयोग से आज भारत ने ग्लोबल इकोनॉमी में एक 'ब्राइट स्पॉट' अर्थात चमकता सितारा के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ऐसा नहीं है कि यह दावा सरकार कर रही है, बल्कि यह आवाज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से गूंज रही है। एक तरफ तो विश्व में हम आर्थिक गति में तेजी से बढ़ने वाले विश्व के देशों में सबसे आगे हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की ग्लोबल रैंकिंग में दो साल पहले भारत करीब-करीब सौवें नंबर पर था। ढेर सारे कदम उठाने के बावजूद हम 76वें नंबर पर पहुंच पाए हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि भ्रष्टाचार और कालेधन का जाल कितने व्यापक रूप से देश में बिछा है।

संविधान ने प्रत्येक मनुष्य को जीने का अधिकार प्रदान किया है। इस संवैधानिक अधिकार के अनुकूल कल्याणकारी राज्य में सबसे पहले सभी नागरिकों को दो वक्त का भोजन सुलभ होना चाहिए। दो वक्त के भोजन के लिए मजदूरी करने की शर्त नहीं रखी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार प्रत्येक नागरिक के लिए दो वक्त का भोजन नि:शुल्क उपलब्ध कर देगी तो उससे प्रत्येक नागरिक काम करना छोड़कर निक्कमा हो जायेगा। हमें यह स्वीकारना चाहिए कि मनुष्य अपने स्वाभिमान तथा वैभव को बढ़ाने के लिए निरन्तर नौकरी या व्यवसाय करता है। पैदल चलने वाला साइकिल की इच्छा रखता है। साइकिल वाला मोटर साइकिल की इच्छा रखता है। मोटर साइकिल वाला कार की इच्छा रखता है। कार वाला हवाई जहाज से चलने की इच्छा रखता है। रोटी के अभाव में किसी का भूख से मरना मानवता तथा राज्य का अपमान है। इस बात को कल्याणी राज्य अपना संवैधानिक तथा नैतिक दायित्व समझकर स्वीकारना चाहिए। आज मनुष्य का काम मशीन, रोबोट तथा कम्प्यूटर कर रहे हैं। इन यंत्रों के कारण रोजगार के अवसरों में होने वाली कमी की क्षतिपूर्ति करना राज्य का दायित्व बनता है।

मनुष्य की व्यवस्था ने प्रकृति की हर चीज का बंटवारा किया और उसका मालिक होने का हक जता दिया। धीमे-धीमे आवश्यकता गौण व मालिकाना पकड़ मजबूत हो गई। इससे एक तरफ समाज में अभाव, तो दूसरी तरफ अति-भाव की विषम स्थिति बन गई। रोटी के संसार को दो टुकड़ों में बांट दिया गया। एक टुकड़ा रोटी को सर्वोच्च मूल्य मानकर जीवन के सारे परम सत्यों को नकार रहा है, तो दूसरा उनकी दुहाई देकर रोटी के सर्वजन्य अधिकार को नकार रहा है।

गरीबी रेखा के नीचे की देश की करीब 30 करोड़ आबादी को अनाज मुहैया कराने के लिए एफसीआई के जरिए अधिक उत्पादन वाले राज्यों से खरीद कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की शुरूआत हुई, किन्तु भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, राशनकार्ड बनने की जटिल प्रक्रिया आदि कारणों से वांछित लाभ नहीं मिला। संशोधित पीडीएस 1997, आईसीडीएस कार्य के बदले अनाज जैसी योजनाएं भी आंशिक तौर पर ही कामयाब रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र को सूखाग्रस्त राज्यों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं करने पर फटकार लगाई तो सफाई मिली कि यह जिम्मा मूलत: राज्यों का है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख का कहना है कि वैश्विक वृद्धि का लाभ अत्यन्त लंबे अर्से से बहुत कम लोगों को मिल पाया है।

बेसिक इनकम स्विट्जरलैण्ड नामक संगठन ने स्विस सरकार के सामने एक प्रपोजल रखा कि नागरिकों के खाते में हर महीने दो हजार पांच सौ स्विस फ्रैंक जमा कराए जाएं ताकि नागरिकों की न्यूनतम आय सुनिश्चित की जा सके। इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सरकार ने जनमत संग्रह कराया जिसमें लगभग अस्सी प्रतिशत लोगों ने विरोध में वोट डालकर इस प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया। वहां के लोगों ने माना कि ऐसे अनुदान का लाभ उठाकर हम आलसी और अकर्मण्य हो जाएंगे जो अंततोगत्वा हमारे लिए आत्मघाती साबित होगा।

हमारा मानना है कि स्विट्जरलैण्ड की तुलना में हमारा देश 125 करोड़ लोगों का बहुत बड़ा तथा गरीब देश है। देश के करोड़ों लोग भूखे तथा बेरोजगार हैं। प्रत्येक वोटर को वोटरशिप के नाम पर बिना गरीब तथा अमीर का भेदभाव किये न्यूनतम आय सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस बारे में यदि हमारे देश में इस तरह का समय रहते जनमत कराके यह जानना चाहिए कि आम जनता की क्या राय है? देश के असली मालिक वोटर तथा उसके परिवार को भी स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है। वोटरशिप की न्यूनतम आय की इस धनराशि को गरीब तथा अमीर दोनों को स्वाभिमान के साथ लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए। वोटर को गरीब की श्रेणी में रखकर उसे तथा उसके परिवार को किसी भी प्रकार की सहायता देना उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना तथा उसे सामाजिक रूप से कमजोर करना है।

भ्रष्टाचार की बीमारी को कुछ वर्ग विशेष के लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण फैला रखा है। जीवन में स्वार्थवश गैरकानूनी ढंग से ज्यादा धन का संग्रह करके अपमानित तथा दण्डित होने तथा अपने बच्चों का गलत सीख देने में जरा भी समझदारी नहीं है। बच्चों को बाल्यावस्था से परिवार तथा स्कूल में ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि वह जीवन में चरित्रवान तथा स्वेच्छा से कानून का पालन करने वाले बने। भ्रष्टाचार को देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को भी सूचना के अधिकार कानून के अन्तर्गत चुनाव में मिले चन्दे तथा चुनाव में किये गये खर्चे का हिसाब देना चाहिए। ■

विमुद्रीकरण और कालेधन के अंधेर पक्ष

विमुद्रीकरण के बाद बड़े नोटों की बदली के लिए देश में बैंकों के आगे लगी लाइनों में देश के 131 करोड़ लोगों में से लगभग 25 से 30 करोड़ लोग तो लग ही चुके हैं। तमाम शिकायतों और परेशानियों के बाद भी मोदी सरकार के साथ खड़ी लाइन में लगी जनता कुछ सवालों के जवाब तलाशने लगी है। औसतन एक परिवार में चार से लेकर पांच लोग होते हैं। प्रति परिवार एक व्यक्ति तो लाइन में लग ही गया। देश के 130000 बैंक और 200000 एटीएम अब तक 12 लाख करोड़ पुराने रूपये नकद जमा कर चुके हैं और 4 लाख करोड़ नए नोट निकाल चुके हैं। इन 4 लाख करोड़ रुपयों में से आधे यानि 2 लाख करोड़ रूपये बैंक मैनेजरों और कैशियरों की काले धन वालों से सांठगांठ के चलते 15-20 लाख लोग गड़प कर गए और बाकि 2 लाख करोड़ 129.9 लाख करोड़ जनता के हिस्से में आ पाए। अनुमान यह भी है कि कालेधन वाले अमीर 3 से 4 लाख करोड़ रूपये मध्यम वर्ग और गरीबों को 20 से 30 प्रतिशत तक कमीशन देकर नई करेंसी में बदलवा चुके हैं और 5 से 6 लाख करोड़ रुपया सीए लोगों की मेहरबानी से खातों में टर्नओवर दिखा सफ़ेद बना दिया गया है।

देश के 1 प्रतिशत लोगों पर लगभग 60 प्रतिशत धन संपदा है, यह सरकारी आंकड़ा है। यानि देश में औपचारिक रूप से घोषित 17.4 लाख करोड़ रुपयों की करेंसी में से 10.44 लाख करोड़ की वैध करेंसी तो 1 प्रतिशत लोगों के पास है। बेहतर हो कि सरकार इन 1.30 करोड़ यानि 1 प्रतिशत लोगों या 25 से 30 लाख परिवारों पर ध्यान केंद्रित करे तो सारा कालाधन सरकारी खजाने में आ सकता है।

सच्चाई यह भी है कि इन परिवारों पर औसतन 1 से 3 करोड़ तक की नकदी है यानि 2 करोड़ प्रति परिवार के औसत से भी लगाएं तो 50 -55 लाख करोड़ की नकदी इन परिवारों पर है जो रिजर्व बैंक द्वारा घोषित करेंसी के आंकड़ों से तीन गुनी है। इसका मतलब या तो इनके पास असली के साथ-साथ नकली करेंसी (पाकिस्तान द्वारा जारी की गयी) है या फिर अवैध करेंसी (पिछली सरकार के समय एक नंबर के दो नोट जारी किए जाने के आरोप हैं, इनमें एक नोट वैध है और दूसरा अवैध बताया जा रहा है) है।

अगर देश में पिछले 67 वर्षों और विशेषकर सन् 1991 की खुली अर्थव्यवस्था के आगमन के बाद नेताओं, नौकरशाहों और औद्योगिक घरानों की लूट और घोटालों की जो खबरें लगातार सबूतों सहित मीडिया में आयी हैं उससे यह आंकड़ा गलत नहीं लगता। देश के 100 बड़े राजनीतिक घरानों के पास एक लाख करोड़ से लेकर 50 लाख करोड़ तक धन संपदा, जमीन, शेयर, विदेशों में निवेश और हीरे जवाहरात हैं। कमीशन, घोटाले, रिश्वत, खनन, ठेकों, आबंटन, ट्रांसफर-पोस्टिंग आदि से ये लोग प्रतिदिन करोड़ों-अरबों की नकदी रोज बनाते हैं और बोगस कंपनियों और दूसरे धंधों में लगाते जाते हैं। देश के 80 प्रतिशत बिल्डरों और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों जिनमें कुल कालेधन का 55 प्रतिशत लगा हुआ है) के असली मालिक नेता और नौकरशाह हैं। देश की कुल पंजीकृत कम्पनियों का दो तिहाई फर्जी और बोगस कंपनियां हैं जो नकली नामों से इसी माफियाओं द्वारा पंजीकृत करा कुछ समय बाद बंद करा दी जाती हैं।

जांच से बाहर क्यों ये लोग?

- गांधी परिवार पर सुब्रमणियम स्वामी 50 लाख करोड़ से अधिक की धन संपदा होने के आरोप लगा चुके हैं, किंतु कोई जांच नहीं?
- स्टाम्प घोटाला जो 5 लाख करोड़ से अधिक का था और जिसके सूत्रधार अब्दुल करीम तेलगी के अनुसार शरद पवार हैं, आज भी आजाद हैं।
- आंध्र-कर्नाटक में कोयले और लोहे के खनन में वाई राजशेखर रेड्डी और गांधी परिवार द्वारा मिलकर 25 लाख करोड़ रूपये अवैध रूप से कमाए गए, जिसके सबूत चंद्रबाबू नायडू द्वारा जारी किये गए, किंतु कोई कार्यवाही नहीं।
- मुलायम, माया, लालू, करुणानिधि, जयललिता, देवगोड़ा और इनके परिजनों सहित सन् 1991 से अब तक के केंद्र सरकार के मंत्रियो, सचिवों, राज्य सरकारों के मंत्रियों, सचिवों सभी समूह क, ख और ग अधिकारियों, सांसदों और विधायकों की अगर सही जांच की जाए तो कोई भी

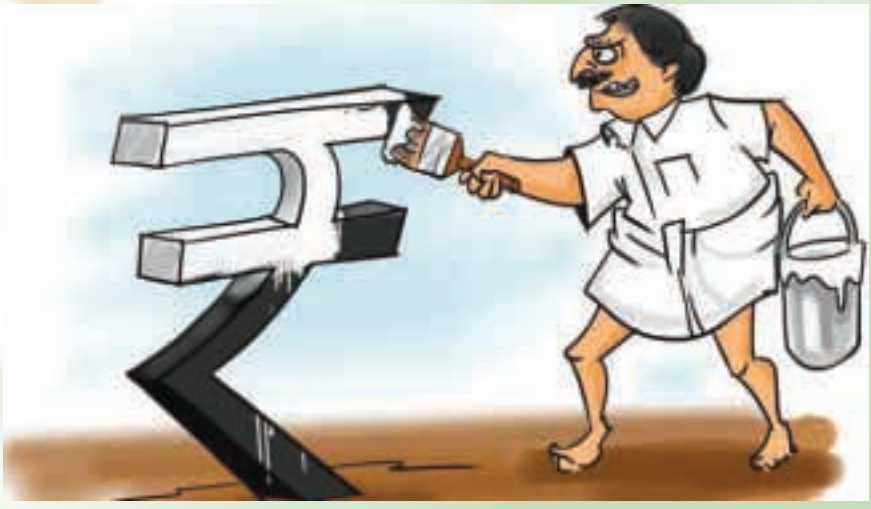

10-20 करोड़ से लेकर 100-200 और कई 10-20 हज़ार करोड़ से लेकर कई लाख करोड़ के मालिक निकलेंगे। किंतु किसी की कोई जांच नहीं। क्यों?

- देश में शराब, ड्रग्स, सट्टा, मटका, जुए, लॉटरी, अवैध हथियारों, आतंक और नक्सल आदि का धंधा पूर्णत: नकदी पर ही चलता है। जिसका सालाना टर्नओवर 50 लाख करोड़ से ज्यादा का है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार देश से प्रतिवर्ष 100 लाख करोड़ की मनी लांड्रिंग होती है जो पूणत: अवैध है। सरकार इसको रोकने के लिए क्या करने जा रही है, इस पर चुप्पी क्यों?
- इतने सारे घोटालों की जांच दिशाहीन हो खत्म करा दी गयी। लाखों करोड़ के ऋण उद्योगपति निगल गए। किसी जांच का कोई परिणाम नहीं और किसी को कोई सजा नहीं। क्यों?
- ऐसे में क्यों आम जनता, छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को थोड़ी सी आयकर चोरी के नाम पर धमकाया जा रहा है, नोटिस भेजे जा रहे हैं। जबकि काले धन को सफ़ेद करने में लगे बड़े ज्वैलर्स, बड़े बिल्डर, बड़े किसान, हवाला कारोबारी, बैंक अधिकारियों, ट्रांसपोर्टर और पेट्रोल पंप मालिक, आयकर अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर मजे कर रहे हैं। अभी भी देश में इस एलीट क्लास के सैंकड़ों लोगो पर अपने सैंकड़ों करोड़ रूपये सफ़ेद करा लेने के बाद भी 10-20 करोड़ से लेकर 25-30 हज़ार करोड़ तक की वैध/अवैध/नकली नकदी पड़ी है और इनके खिलाफ सबूत बिखरे पड़े हैं, किंतु सरकार न तो इन पर छापे मार रही है और न ही क़ानूनी कार्यवाही कर रही है।
- देश में सभी धर्मों के धार्मिक-सांस्कृतिक संस्थानों, सामजिक संस्थाओं, बड़े ट्रस्ट और एनजीओ, डेरों में अरबों खरबों की नकदी और संपदा है, जिसका कोई हिसाब नहीं। इस पर मठाधीशों का कब्ज़ा है। उन पर कोई कार्यवाही नहीं। क्यों?
- देश में नकदी में व्यापार और नकदी में आयात-निर्यात बिना कस्टम, उत्पाद, सेवा और आयकर अधिकारियों की मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण एवं स्वीकृति के संभव नहीं। इस सिंडीकेट के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं?

नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के 10 सवाल

सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी मामले में कुछ सवाल तय किए हैं। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अगुवाई में जजों की संवैधानिक पीठ इन सवालों के जवाब देगी।

सवाल हैं-

1. क्या आठ नवंबर की विमुद्रीकरण की अधिसूचना आरबीआई अधिनियम के अनुसार है?
2. क्या आरबीआई अधिनियम की धारा 26 (2) जिसके तहत आठ नवंबर की अधिसूचना जारी की गई, संविधान सम्मत है?
3. क्या आठ नवंबर की अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के विपरीत है?
4. क्या वैधानिक राशि को निकालने पर प्रतिबंध अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है?
5. क्या आठ नवंबर की अधिसूचना को प्रक्रियागत और तार्किक तरीके से लागू नहीं किया गया?
6. क्या आठ नवंबर की अधिसूचना और उसके बाद की स्थिति संविधान के अनुच्छेद 300 ए (सम्पत्ति का अधिकार) का उल्लंघन है?
7. क्या जिला सहकारी बैंकों को अपने यहां जमा राशि को निकालने और बदलने से रोकना उनके खिलाफ़ भेदभाव है?
8. क्या वित्तीय/आर्थिक नीति संबंधी मामलों में न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश है?
9. क्या विमुद्रीकरण का फैसला सिर्फ संसद की मंजूरी से लिया जा सकता है?
10. क्या संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत राजनीतिक दलों द्वारा दाखिल की गईं रिट याचिकाओं पर विचार किया जा सकता है?

नई करेंसी के लुटेरे और इनके हथकंडों की कालीकथा

पिछले 50 दिनों में देश में लगभग 2 लाख करोड़ रुपयों की 500 और 2000 के नोटों की नई करेंसी की लूट हुई। देशद्रोह की श्रेणी में आने वाले इस कुकर्म में आतंकित करने वाली बात यह है कि इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री, अनेक मंत्री, सांसद, विधायक, सैंकड़ों जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी और रिजर्व बैंक के पचासों अधिकारी मुख्य रूप से शामिल रहे। कैसे की गयी यह लूट जरा समझें।

रिजर्व बैंक ने विमुद्रीकरण की घोषणा से पहले ही यानि 6 नवंबर 2016 को ही नयी करेंसी अपने विभिन्न प्रदेशों में फैले करेंसी चेस्टों में भेजनी शुरू कर दी थी। रिजर्व बैंक के अनेक अधिकारियों ने

सरकार द्वारा 500 और 1000 की करेंसी के विमुद्रीकरण के उद्देश्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मौलिक भारत की ओर से प्रधानमंत्री को कुछ और सुझाव / प्रतिवेदन

प्रतिष्ठा में,
श्री नरेंद्र मोदी जी
माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली - 110001

विषय : सरकार द्वारा 500 और 1000 की करेंसी के विमुद्रीकरण के उद्देश्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कुछ और सुझाव/प्रतिवेदन

माननीय महोदय,

आपकी सरकार द्वारा उपरोक्त फैसले को तीव्र गति से लागू किये जाने के लिए उठाये गए कदमों और हमारी मौलिक भारत संस्था द्वारा दिए गए अनेक सुझावों को मानने का आभार। महोदय, उपरोक्त प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन में अनेकोनेक बाधाएं आ रही हैं। हमारी संस्था मौलिक भारत के जमीनी सर्वेक्षणों के उपरांत निम्न और सुझाव तुरंत कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं -

1) देश में लगभग सभी राजनीतिक दल परोक्ष रूप से वार रूम एवं कॉल सेंटर के माध्यम से सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ प्रचार अभियान छेड़े रहते हैं। इनके द्वारा जारी की गयी प्रचार सामग्री अक्सर भ्रांतिपूर्ण और भय/ भ्रम फैलाने वाली होती है। इन कॉल सेंटरों और वॉर रूम का न तो कोई ज्ञात वित्तीय स्रोत है, न ही कोई पंजीयन होता है और न ही इनके द्वारा जारी पोस्ट/ सामग्री की वैधता का परीक्षण। इसी कारण नोटबंदी और अन्य महत्व के मुद्दों पर समाज और सरकार को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन वार रूम एवं काल सेंटरों के वैधानिकरण के लिए तुरंत निर्देश दिए जाएं।
2) देश में बड़े नोटों की वापसी के बाद नेता, नौकरशाह, न्यायपालिका, सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस से जुड़े लोग, समूह क, ख, ग के केंद्र एवं राज्यों के अधिकारी लगातार ज्वेलर्स, हवाला कारोबारियों, आयातकों, निर्यातकों, बड़े किसानों, पेट्रोल पंप मालिकों, बिल्डर्स और बड़े उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के माध्यम से अपने काले धन को सफ़ेद कर रहे हैं किंतु सरकार से जुड़े किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिन भी गैर सरकारी लोगों के खिलाफ कर अधिकारी कार्यवाही कर रहे हैं वहां मोटी रिश्वत लेकर मामले को रफा दफा किया जा रहा है। इस कारण आम जनता में गहरा असंतोष है। यह भी सार्वजनिक किया जाए कि जो भी लोग मोटे कमीशन पर पुराने नोट ले रहे हैं उसे कैसे बैंकों में समायोजित करा पा रहे हैं और नई करेंसी ले पाने के लिए आश्वस्त हैं। इस सिंडीकेट पर कड़ी कानूनी कार्यवाही आवश्यक है। बैंकों द्वारा बड़ी मात्रा में नकली करेंसी स्वीकार की जा रही है, इस पर रोक लगायी जाए।
3) देश में जीएसटी के साथ ही आयकर आदि अन्य कर सुधारों को लागू करने की स्पष्ट कार्ययोजना तुरंत जारी की जाए। यदि संभव हो सके तो इसे जनवरी 2017 से ही लागू किया जाए ताकि लोगों में फैले भ्रम और अनिश्चितता दूर हो सके। रूपये पांच लाख तक की आय आयकर से मुक्त रखी जाए और उसके बाद दस लाख की आय तक 5 प्रतिशत, बीस लाख तक 10 प्रतिशत और उससे ऊपर कर की दर 15 प्रतिशत तक ही रहनी चाहिए।
4) देश में सभी प्रकार के छोटे-बड़े कृषि, सेवा, व्यपार,उद्योग का पंजीकरण तुरंत अनिवार्य होना चाहिए, साथ उनको रु 1000 से ऊपर के लेन देन को ऑन लाइन/ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना अनिवार्य होना चाहिये। जो लोग पूर्णत:/अधिकांशत: नकद में काम करते रहे हैं और वो जो अनाधिकृत स्थानों से अपने कार्यों का संचालन कर रहे हैं, उन्हें क़ानूनी प्रक्रिया अपनाने हेतु पर्याप्त समय देना चाहिये और उनसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए क्योंकि उनको सरकारी अमले ने ऐसा करने देने में भरपूर सहयोग देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा है।
5) प्राथमिकता के आधार पर 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों, कस्बों और गांवो के बैंकों, एटीएम, डाकघरों आदि में नई करेंसी की उपलब्धता बढ़ायी जाए क्योंकि देश की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी यहीं रहती है और बड़े शहरों के अनुपात में उन्हें काफी कम नई करेंसी मिल पा रही है।
6) देश में नोट वापसी के उपरांत जिन जिन क्षेत्रों में उत्पादन, बिक्री और रोजगार के संकट आये हैं उसका अध्ययन करने के लिए विशेष कार्यबल का गठन हो और उसकी सिफारिशों को तुरंत लागू किया जाये।
7) सरकारी खर्च पर चुनाव, एक साथ लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव सरकारी खर्च पर कराने की व्यवस्था हेतु तुरंत कानून बने और राजनीतिक दलों को नकद चंदे और लेनदेन पर पाबंदी की व्यवस्था की जाये।
8) बैंकों द्वारा दिए गए बड़े ऋणों जिनकी वापसी नहीं हो पा रही है की असफलता की जवाबदेही सरकार नहीं तय कर रही है इससे जनता निराश है। इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही और आगे ऐसा न हो सके इसके उपायों की घोषणा की जाए।
9) देश में कारपोरेट गवर्नेंस के सरकारी मानक तय हों और इन्हें पारदर्शी बनाया जाए साथ ही इनके प्रभावी अनुपालन की व्यवस्था सार्वजनिक की जाए।
10) देश में सभी प्रकार का नकद आयात और निर्यात पुर्णत: अवैध घोषित हो और हवाला कारोबार करना राष्ट्रद्रोह घोषित हो।

धन्यवाद

भवदीय

दिनांक : 1 दिसबर, 2016

अनुज अग्रवाल, महासचिव, नीरज सक्सेना, ट्रस्टी

विमुद्रीकरण के उपरांत सरकार, राजनीति और समाज में उभरी विसंगतियों को दूर करने संबंधी सुझावों हेतु मौलिक भारत का प्रधानमंत्री को प्रतिवेदन

व्यवस्था में सुशासन और पारदर्शिता के लिए संघर्षरत हमारी संस्था मौलिक भारत के माध्यम से विमुद्रीकरण के उपरांत पिछले एक माह में हमने चार प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के विमुद्रीकरण के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में आ रहे अवरोधों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए और हमें हर्ष है कि उनमें से अधिकांश को सरकार द्वारा माना गया।

महोदय, देश में अत्यंत भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं। कालेधन के कुबेर जो व्यवस्था के अंदर और बाहर बड़ी मजबूती से घुसे हुए हैं, ने वृहद स्तर पर सरकार की मंशा और सद्प्रयासों को विफल करने के लिए सुनियोजित अभियान चला रखा है। दु:खद है कि आम जनता की कीमत पर कुछ प्रतिशत लोगों ने आपके उस वादे और आश्वासन की कमर तोड़ दी है जिसमें आपने भरोसा दिया था कि 50 दिनों का जनता का संघर्ष उनके अच्छे दिनों की दिशा में अंतिम संघर्ष होगा और इसके उपरांत देश को कालेधन, नकली मुद्रा, आतंकवाद आदि से मुक्ति मिल जायेगी। महोदय, देशभर में 500 और 2000 की अरबों खरबों की करेंसी की जो लूट मची हुई है और जिस प्रकार उसमें राज्य सरकारों,रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों के अधिकारियों तथा पुलिस, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, परिवहन, कर और राजस्व विभाग के लोगों की व्यापक स्तर पर मिलीभगत सामने आयी है, उसके बाद आम आदमी का भरोसा सरकारी तंत्र और बैंकिंग व्यवस्था से उठने लगा है। इस विश्वास की बहाली हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हम शीघ्र क्रियान्वयन के अनुरोध के साथ आपको भेज रहे हैं, जो निम्न प्रकार हैं।

1) देश की बैंकिंग व्यवस्था में आमूलचूल सुधार के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाये जाएं। इनमें सभी प्रकार के बैंकों का एकीकरण कर 4-5 बैंकों में रूपांतरण, बैंकिंग प्रणाली की स्वायत्तता, पारदर्शिता, ऋण देने और वसूले जाने की ईमानदार व्यवस्था और जवाबदेही के लिए प्रभावी कदम तुरंत उठाये जाएं। साथ ही बैंकिंग को अनिवार्य रूप से आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए। बैंकों से जुड़े किसी भी प्रकार के अपराधों के लिए विशेष पुलिस बल और अलग न्यायलय बनाए जाएं जो बैंकिंग व्यवस्था में होने वाले किसी भी अपराध को रोकने और दोषियों को सजा देने की प्रभावी व्यवस्था कर सके।

2) विमुद्रीकरण के निर्णय के बाद जिन जिन रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों के कर्मियों ने नयी करेंसी की कालाबाज़ारी की है उनके विरुद्ध तुरंत कार्यवाही हो और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। साथ ही जिस किसी व्यक्ति का कालाधन पुरानी करेंसी से नयी करेंसी में बदला गया, उस व्यक्ति पर भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चले। आश्चर्यजनक है कि जब सरकार के पास इस अपराध में लिप्त सरकार और समाज के सभी लोगो के विरुद्ध स्पष्ट सबूत और सूचनाएं हैं, उसके बाद भी सरकार या तो सीमित कार्यवाही कर रही है या कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही। अधिकांश मामलों में आयकर विभाग प्राथमिकी दर्ज नहीं करा रहा है। ऐसा क्यों?

3) देश में कंपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में अनके खामियां और धांधलियां हैं जिस कारण बोगस कम्पनियों के खुलने और उनके माध्यम से कालेधन को सफेद करने के सैंकड़ों मामले सामने आते जा रहे हैं किंतु सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषी सरकारी कर्मियों और कंपनी बनवाने वालों और उसमें मदद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

4) महोदय, यह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि अनेक प्रदेशों में राज्य सरकारों द्वारा करेंसी चेस्ट से जुड़े अधिकारियों, जिला प्रशासन के माध्यम स्थानीय बैंक कर्मियों को दबाव और लालच देकर नयी करेंसी को हथिया लिया गया जो स्पष्ट लूट का मामला है। इस सांझी लूट में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, नौकरशाह विशेषकर जिलाधिकारी, बैंक कर्मी, ज्वेलर्स, हवाला कारोबारी, बिल्डर और पुलिस एवं कर अधिकारी सभी की भागीदारी रही है। यह अनेक राज्यों में राज्य की व्यवस्था के पूर्णत: असफल होने का स्पष्ट उदाहरण है। व्यवस्था के सभी लोगों ने पद और गोपनीयता की शपथ के विरुद्ध कामकर राष्ट्रद्रोह किया है। जिस जिस राज्य में यह खेल हुआ है, उन उन राज्यों की सरकारों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और दोषियों के खिलाफ उचित क़ानूनी कार्यवाही की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी राजनीतिक दल, समाजसेवी संस्था आदि को कोई भी विशेषाधिकार अथवा छूट न मिले।

5) 8 नवंबर 2016 के बाद जनधन खातों के अलावा, चालू खातों, पेंशन खातों, बचत खातों का भी भारी मात्रा में कालाधन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसलिए सभी प्रकार के बैंकिंग लेनदेन को आधार कार्ड और पेन नंबर से तुरंत जोड़ा जाए। साथ ही प्रत्येक खाताधारी द्वारा लिखित (या ई मेल/ एसएमएस) में लिया जाए की उसने कितना धन 8 नवंबर के बाद अपने खाते में जमा किया है। सभी प्रकार के खातों में आये अवैध धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए।

6) देश के विभिन्न भागों में समाचार पत्र पत्रिकाओं और न्यूज़ चैनलों के साथ ही अन्य विश्वसनीय माध्यमों से लगातार खबरें आती रही हैं जिनमें नेताओं और नौकरशाहों के पास अपार धन संपदा है किंतु आश्चर्यजनक रूप से कोई भी सरकारी विभाग न तो उन पर छापे मारता है और न ही कोई क़ानूनी कार्यवाही। सरकार की ओर से भी इनको दिए गए विशेषाधिकारों को कम करने के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं, जिससे जनसामान्य में असंतोष फैल रहा है। इस पर तुरंत प्रभावी और जमीनी कार्यवाही की जाए।

7) देश में कर संग्रह अधिकारियों, बैंकिंग नेटवर्क, बैंक, एटीएम, हाई स्पीड इंटरनेट, डिजिटल भुगतान की व्यवस्था से जुड़ा तंत्र और इसके प्रशिक्षण/निगरानी/ गुणवत्ता और सुरक्षा नियंत्रण केंद्र देश के प्रत्येक गांव, कस्बे, शहर, सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्त, निजी संस्थान जहां पर किसी भी प्रकार का लेनदेन संभव हो तक निश्चित समय सीमा के अंदर पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए युद्धस्तर पर काम करना चाहिए और इसको लागू करने की कार्ययोजना देश के सामने रखनी चाहिए।

8) देश में आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य बनाया जाए और उनके विश्लेषण के निष्कर्षों के अनुरूप ही गरीबी की रेखा का पुनर्निर्धारण किया जाए।

9) डिजिटल पेमेंट से जुड़ी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण, उनके लिए जरूरी सर्वर का संचालन देश के अंदर से किया जाना सुनिश्चित हो। किसी भी प्रकार के डिजिटल भुगतान में लगने वाला शुल्क न्यूनतम और सांकेतिक हो और प्रत्येक लेनदेन पर न होकर मासिक आधार पर हो, इस बात की तुरंत व्यवस्था हो।

10) केंद्र सरकार की तरह रूपये 5000 से ऊपर के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के व्यापारिक लेनदेन भी डिजिटल माध्यम से करना अनिवार्य किया जाए। रिटेल में यह सीमा रूपये 20000 से ऊपर हो। किसी भी प्रकार के नशे की बिक्री अनिवार्य रूप से डिजिटल माध्यम से हो।

नोटबंदी - विपक्षी हमले, मोदी की मजबूरियां और रणनीति

यह बात प्रधानमंत्री मोदी और सरकार तो क्या देश के बच्चे बच्चे को पता है कि देश के हर राजनेताओं और नौकरशाहों के पास अरबों खरबों का कालाधन है चाहे वो विपक्षी सिंडीकेट में हो या सत्तारुढ़ दल के सिंडीकेट में। मोदी की प्रधानमंत्री बनने तक की यात्रा और अब पिछले ढाई साल भी कालेधन के अनेक गुणा भाग करते गुजरे। इस काल में भी कम से कम एक दर्जन सरकारी मंत्रियों ने खासा माल बनाया है। मोदी की नोटबंदी की अचानक घोषणा से विपक्ष इसलिए रुष्ट है क्योंकि मोदी ने एक दूसरे के पापों से आंख बंदकर लेने की स्थापित परंपरा को एक झटके से तोड़ दिया। सत्तारुढ़ और विपक्षी सबका अपना अपना जनाधार है और अगर सरकारें कोई भी कार्यवाही विपक्षी नेता पर करती हैं तो उसे जनता की सहानुभूति और समर्थन बढ़ जाता है। यही मोदी की परेशानी है, इसीलिए खासे जनदबाव और सबूतों के बाद भी वे नेताओं, नौकरशाहों और बड़े लोगों के खिलाफ सीधी कार्यवाही से बच रहे हैं। कालेधन के अंबार के बीच राजनीति करते करते जबसे उन्होंने देश की कमान संभाली और देश की अर्थव्यवस्था की सच्चाई से वो दो चार हुए तो कहीं न कहीं वे सन्न रह गए।

जब उन्होंने सत्ता संभाली ,देश के बैंक डूबने जा रहे थे, कांग्रेस के समय जो 14 लाख करोड़ का ऋण बड़े औद्योगिक घरानों को बांटा गया था वो डूब चुका था और बैंक दिवालिया होने की कगार पर थे। देश में निर्यात और आयात के सभी आंकड़े फर्जी थे। निर्यात के नाम पर कालाधन सफ़ेद हो रहा था या देश के खनिज सस्ते दामों या चोर रास्ते से बेचे जा रहे थे और आयात घोषित आंकड़ों से दोगुना था। देश में रिजर्व बैंक द्वारा जारी वैध मुद्रा से दो गुने जाली अथवा एक नंबर के दो या तीन नोटों का जाल फैला हुआ था। नोटों को डॉलर में बदल देशद्रोहियों ने रुपये का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य गिरा दिया था और पूरा देश विभिन्न नशे, घटिया और मिलावटी सामान के साथ ही सट्टे, लॉटरी, जुए, पोर्न और पाश्चात्य जीवन शैली की ओर धकेल दिया गया था।

यूपीए पूरे देश को घोर अंधकार में धकेल चुका था। कांटे को निकालने के लिए कांटे की जरूरत होती है, इसलिए मोदी ने पिछले दो सालों में पूरी तैयारी कर नोटबंदी का दांव खेला। उनको समझ में आ चुका था कि देश में मौजूदा असली नकली करेंसी के कारण कालाधन 6 प्रतिशत नहीं 25 से 30 प्रतिशत तक है और नकदी के खेल से और 25 प्रतिशत कालाधन पैदा हो रहा है। एक वार में सौ शिकार के इस खेल में उन्होंने हाल ही में तुर्की में हुई तख्तापलट की कोशिश को वहां के राष्ट्रपति द्वारा जन सहयोग से विफल करने के प्रयोग को सफल मान अपनाया और पूरे देश को सड़कों पर खड़ा कर दिया और जनता को हर कदम पर अपने साथ रखा है ताकि ब्लैकमनी सिंडीकेट उन्हें दबाव में न ले पाए। मोदी जानते थे कि कालेधन के घाघ खिलाड़ी बैंकों में नयी मुद्रा आते ही अपने खेल शुरू कर देंगे इसीलिए पहले एक माह में नई करेंसी की धीमी आपूर्ति की गयी और यह 30 दिसंबर तक तेज भी नहीं होने वाली। मोदी कालेधन के बड़े खिलाड़ियों की रीढ़ तोड़ने पर उतारू हैं और चाहते हैं कि इनकी अधिकतम नकदी 30 दिसंबर तक गलत सही रास्तों से बैंकों तक न पहुंचे और रद्दी हो जाए। अगर करेंसी की आपूर्ति तेज होगी तो यह सिंडीकेट घपलेबाजी कर बड़ी मात्रा में नयी करेंसी पर कब्जा कर सकता है। अभी भी अनुमान है कि देश का राजनीतिक और नौकरशाही माफिया 1.5 लाख करोड़ की नई करेंसी पर कब्जा कर चुका है। अब सरकार ने उनके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और करेंसी आपूर्ति भी धीमी की हुई है जिसके कारण यह गैंग बौखलाया हुआ है। कैशलेस इकॉनमी की बात करना भी मोदी की मजबूरी है, वो जानते हैं कि देश की जनता औपचारिक रूप से घोषित करेंसी के तीन गुना का आदि हो चुकी है, ऐसे में कैशलेस लेनदेन बढ़ाकर बाज़ार में मुद्रा की होने वाली कमी को पूरा कराया जाना जरूरी है। वैसे आतंक, नक्सल, ड्रग्स, सट्टे, जॉली नोट, जुए, शराब, आयात- निर्यात में कमी आने से भी नकदी की जरूरत कम होती जा रही है। मोदी ने नेताओं के करीबियों पर छापे पड़वाने शुरू कर दिए हैं।

सोनिया, करुणानिधि और स्व जयललिता के करीबियों पर शिकंजे कस चुके हैं और अगला नंबर माया, ममता, मुलायम, लालू और केजरीवाल के करीबियों का आ सकता है। इन लोगों पर सीधी कार्यवाही 30 दिसंबर के बाद हो सकती है। एक ही नम्बर के दो नोटों के खेल में कांग्रेस पार्टी सीधे फंस सकती है इसलिए अब दबाव में है, अगस्ता वेस्टलैंड में पूर्व वायुसेनाध्यक्ष एस के त्यागी की गिरफ्तारी के बाद सोनिया खासे दबाव में हैं। उम्मीद है अब विपक्ष के विरोध के सुर मंदे हो जायेंगे। अगर इस पर भी विपक्ष नहीं माना तो मोदी अंतिम हथियार के रूप में सीधे जनता में बड़े खुलासे कर विरोधियों को निबटा सकते हैं और एक छोटी मोटी जनक्रांति का आगाज कर सकते हैं। बटा और निस्तेज विपक्ष, सेना और अर्धसैनिक बलों पर पूरा नियंत्रण, विदेशों में अच्छी साख, बेरोजगार युवाओं, नौकरीपेशा लोगों, किसानों और गरीबों का समर्थन मोदी की बड़ी ताकत है और पार्टी के अंदर कोई चुनौती भी नहीं दूर दूर तक। इसलिए आप मोदी के समर्थक हो या विरोधी, इतना याद रखें अभी मोदी युग जारी है और कड़वी दवाई होते हुए भी नोटबंदी को झेलना ही पड़ेगा।

इससे भी बहुत पहले सार्वजनिक एवं निजी बैंकों के अनेक अधिकारियों और बैंको के एटीएम में करेंसी डालने वाली निजी कम्पनियों के अधिकारियों से सांठ गांठ शुरू कर दी थी। इन अधिकारियों ने नोटबंदी की घोषणा के साथ ही ज्वैलर्स, हवाला कारोबारियों और बिल्डरों से संपर्क साध बड़ा खेल खेलने का गेम प्लान तैयार कर लिया। चूंकि देश के अधिकांश बड़े ज्वैलर्स, बिल्डर्स और हवाला कारोबारियों से देश के प्रमुख राजनेताओं के व्यापारिक संबंध हैं, ऐसे में अरबों रुपयों की अदला बदली चुपचाप हो सकी। अब जब जनता तक नयी करेंसी नहीं पहुंची और शोर मचा तब जाकर सरकार जागी और फिर छापों में करोड़ों रूपये मिलने शुरू हुए।

पहली लूट

नोटबन्दी की घोषणा होते ही ज्वेलर्स, हवाला

जनवरी से शुरू होगा 'बड़ी मछलियों' का शिकार!

30 दिसंबर को नोटबंदी की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब काला धन रखने वाले बड़े लोगों पर हाथ डालने की तैयारी है। सरकारी जानकारी के मुताबिक नोटबंदी के बाद बहुत से काले कुबेरों ने नई करेंसी में काला धन जुटा लिया है। इनमें से कई के नाम सरकार के पास पहुंच चुके हैं और कुछ की जांच पड़ताल अभी जारी है। ये काम रेवेन्यू इंटेलीजेंस विभाग और कुछ दूसरी खुफिया एजेंसियों के जरिए कराया जा रहा है। अगले हफ्ते तक इन बड़ी मछलियों की लिस्ट तैयार हो जाएगी और उसके बाद जनवरी महीने में उनके शिकार पर ही फोकस रहेगा। इस लिस्ट में कई बड़े नेता, अफसर और कारोबारियों के नाम हैं। 8 नवंबर के बाद इन सभी ने गैर-कानूनी तरीके से अपनी काली कमाई को सफेद करवाया। इनमें से ज्यादातर की लेनदेन के सबूत एजेंसियों के हाथ लग चुके हैं।

जनता चाहती है बड़े लोगों पर कार्रवाई

पिछले दिनों में जगह-जगह छोटे-छोटे कई छापों में करोड़ों रुपये जब्त हो चुके हैं। लोगों को लग रहा है कि अगर इन छोटे लोगों ने इतने पैसे जुटा लिए तो बड़े लोगों का क्या होगा। सरकार को इस बात का अहसास है कि जब तक बड़े अपराधियों को कानून का मजा न चखाया जाए, तब तक लोगों में नोटबंदी की पूरी प्रक्रिया पर शक बना रहेगा। मोदी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले-पहले लोगों के इस शक को हर हाल में हटाना चाहती है। बड़े लोग आर्थिक अपराध को बेहद सफाई से करते हैं जिसकी वजह से इन्हें कोर्ट की नजर में गुनहगार साबित करना टेढ़ी खीर होती है।

सीधे प्रधानमंत्री रखेंगे कार्रवाई पर नज़र

किसी बड़े नेता, अफसर या कारोबारी के खिलाफ जब कोई कार्रवाई होती है तो वो पुलिस और प्रशासन के दूसरे तबकों पर दबाव बनाकर आसानी से छूटने का रास्ता निकाल लेता है। साथ ही ऐसे लोग मीडिया की मदद से खुद को पीड़ित साबित करने में भी काफी तेज़ होते हैं। ऐसे में बड़ी मछलियों पर हाथ डालना बेहद चुनौती भरा माना जाता है। लिहाजा पीएम मोदी अगले एक महीने तक चलने वाले इस अभियान पर खुद सीधे तौर पर नज़र रखेंगे। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उससे जुड़े कागजात को वो खुद देखेंगे। ताकि चूक और जवाबदेही को लेकर कोई समस्या न आए।

बैंकों की भूमिका से नाराज़ हैं पीएम मोदी

बताया जा रहा है कि नोटबंदी के दौरान बैंकों के अफसरों ने जिस तरह का किरदार निभाया है उससे प्रधानमंत्री मोदी खासे नाराज हैं। उन्होंने बैंकों के सबसे बड़े अफसरों की जवाबदेही तय करने का फैसला किया है। आने वाले दिनों में कई बड़े बैंकों के ऊपरी मैनेजमेंट के लोगों का पत्ता कट सकता है। साथ ही जिन बैंक कर्मचारियों ने किसी भी तरह की घपलेबाजी की है, उसकी पूरी लिस्ट तैयार करने के लिए इनकम टैक्स विभाग से कहा गया है। इस लिस्ट के आते ही बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू होगी। एक सरकारी सूत्र के मुताबिक मार्च-अप्रैल के बाद कई बड़े बैंक अफसर गिरफ्तार हो सकते हैं और कइयों की नौकरी जाएगी। जिन बैंक अफसरों ने रिश्वत लेकर धांधली करवाई है उनसे रकम की रिकवरी भी कराई जाएगी।

सियासी जोखिम लेने को तैयार है सरकार

सूत्रों के मुताबिक मोदी ने नोटबंदी के खलनायकों पर कार्रवाई के लिए जनवरी से अप्रैल का समय रखा है। इसी दौरान राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए ये जोखिम भरा काम भी होगा। लेकिन पीएम मोदी ने साफ कहा है कि चाहे पार्टी को राजनीतिक नुकसान ही क्यों न झेलना पड़े, लेकिन कालेधन के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। सरकार सिर्फ यह कोशिश करेगी कि आम लोगों को विश्वास में लेकर चला जाए, ताकि वो समझ सकें कि कैश की कमी से उनको जो दिक्कतें हुई हैं वो बेकार नहीं जाएंगी।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी की लिस्ट, 67 लाख लोगों पर गिरने वाली है गाज

नोटबंदी के बाद से देश में आए दिन नए-नए नियम बन रहे हैं। अब खबर आ रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन लोगों पर शिकंजा डालने जा रहा है जिन्होंने अब तक टैक्स जमा नहीं किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और 67 लाख 54 हजार लोगों को चिह्नित किया है जिन्होंने 2014-15 में मोटी रकम का लेनदेन किया, लेकिन 2015-16 में टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं किया।

डिपार्टमेंट ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जल्द शुरू करनेवाला है। यह जानकारी बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों से जुटाई गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आंकड़ों की छानबीन की जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न्स नहीं भरने वालों की पहचान की गई है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटाबेस में दर्ज ट्रांजैक्शन रिपोर्ट से इनके बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध हुई है।

यह छानबीन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नॉन-फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएस) के तहत की गई। एनएमएस के तहत आई-टी रिटर्न नहीं भरनेवाले वैसे लोगों की पहचान की जाती है जिनसे टैक्स वसूले जाने की संभावना बनती हो।

सीबीडीटी की एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि आई-टी डिपार्टमेंट ने आंकड़ों के मिलान के 5वें चक्र में 67.54 लाख लोगों की पहचान की है। डिपार्टमेंट अब इन लोगों को नोटिस भेजकर यह कहनेवाली है कि वो अपने लेनदेन का हिसाब-किताब दें और जरूरी टैक्स भरें।

कारोबारियों, बिल्डर्स आदि ने पैसे वाले नेताओं, सांसदों और विधायकों, सरकारी अधिकारी, ठेकेदार, इंजीनियर, कर अधिकारियों, दलालों और उद्योग, व्यापार से जुड़े लोगों से सम्पर्क साधना शुरू कर दिया। बदहवास कालेधन के कुबेरों ने अपनी पुरानी करेंसी 50 प्रतिशत तक कमीशन देकर गोल्ड और डॉलर में बदलवा ली या फिर जमीनों/बिल्डिंगों के मोटे सौदे कर लिए। इसके अलावा इस खेल में कृषि आय, सहकारी बैंक, अनाज के आढ़तियों और जनधन खातों की भी मदद ली गयी। फिर सिंडीकेट में शामिल रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने एटीएम को भेजी जाने वाली और निजी बैंको को भेजी जाने वाली करेंसी को रोककर उसे अपने सिंडीकेट को पहुंचा दी और पुरानी करेंसी फर्जी नामों से निजी बैंकों में जमा करवाकर सब ने मोटा माल कमाया। यह पूर्णत: कालाधन है, जिसको सरकार आसानी से पकड़ रही है किंतु पकड़ने की गति बहुत धीमी है।

दूसरी लूट

दूसरी लूट मध्यम दर्जे के कालेधन वालों ने बैंकों के मैनेजरों और केशियर से मिलकर 20 से 40 प्रतिशत तक कमीशन देकर की। इसमें बैंक अधिकारियों ने आधा पैसा जनता को बांटा और शेष कमीशन लेकर बदल दिया और फर्जी नामों से पुरानी करेंसी जमा कर ली। यह आज भी कालाधन ही है बस नई करेंसी में, इसका रूप बदल गया है।

तीसरी लूट

सबसे खतरनाक तीसरी लूट रही। खबर है इसमें अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सीधे जिलाधिकारी को 20 से 50 करोड़ या इससे भी अधिक की नई करेंसी का इंतज़ाम करने को कहा और उनको अपना कालाधन पहुंचाया। जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों को डराकर/हड़काकर और लालच देकर नई करेंसी पर कब्जा कर लिया और अपने राजनीतिक आकाओं को पहुंचा दी। ऐसे में राजनीति में अब भी धन का खेल खत्म होना मुश्किल है।

चौथी लूट

यह लूट बैंकों की लाइन में 15 से 25 प्रतिशत का लालच देकर लोगों को पुरानी काली करेंसी देकर नई बदलवाने, 20 से 25 प्रतिशत तक कमीशन पर उन लोगों के खातों में जमा करा कर की गयी, जिनके खातों में चार्टेड अकाउंटेंट के अनुसार गुंजाइश थी। अब इन्हीं खातों से नई करेंसी निकालकर कालेधन के कुबेरों को वापस देने वाले लोग ही बैंकों की भीड़ बड़ा रहे हैं। यह भी कालाधन है।

पांचवी लूट

यह खेल अपनी फर्मों, कम्पनियों, धार्मिक संस्थाओं और एनजीओ के खातों में फर्जी बिक्री/आमदनी/दान आदि दिखाकर एडजस्ट करके किया गया। इसके अलावा पिछले कर्ज/ भुगतान चूका, एडवांस में बाज़ार से माल उठाकर या कर्मचारियों को 2 से 3 माह का अग्रिम वेतन नकद देकर ठिकाने लगाया गया। अग्रिम वेतन मिलने के कारण ही फैक्ट्रियों के मजदूर छुट्टी लेकर गांव चले गए और फैक्ट्रियों में बंदी सी हो गयी। यद्यपि इस रकम पर सरकार को खासा टैक्स मिलना तय है

सहारा की गुप्त डायरी में 100 से अधिक राजनेताओं के नाम!

फाइल में कुछ नाम नकली हो सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में जमा सहारा की डायरी को लेकर राजनीतिक चर्चा गरम है। बताया जा रहा है कि सहारा की डायरी में 11 पेज ऐसे हैं जिसमें रकम के लेनदेन का जिक्र है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इन 11 पेजों में पैसे लेने वालों में 100 से ज्यादा नेताओं के नाम दर्ज हैं। इस डायरी में 18 दलों- भाजपा, कांग्रेस, राजद, सपा, राकांपा, जेएमएम, जेवीएम, टीएमसी के नेताओं के नाम शामिल हैं। इस डायरी में दो पेज हस्तलिखित भी हैं। एसआईटी के एक अधिकारी का कहना है कि फाइल में कुछ नाम नकली हो सकते हैं।

दरअसल, 2013 से 2014 के बीच आयकर विभाग ने बिड़ला और सहारा ग्रुप पर छापे मारे थे। इन छापेमारी में कई अहम फाइलें बरामद हुई थीं। मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने इन फाइलों की जांच की मांग की थी। ये फाइलें अब सुप्रीम कोर्ट में जमा हैं।

हस्तलिखित पेजों में 2010 में किए गए भुगतान का जिक्र है। इस डायरी में पांच पेज ऐसे भी हैं जिसमें 2013 और 2014 के बीच प्राप्त हुए पैसे की जानकारी सारणीबद्ध की गई है। हालांकि विशेष जांच दल (एसआईटी) के अधिकारियों का कहना है कि डायरी के पन्ने और इसकी एंट्री नकली भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि सहारा के एक अधिकारी ने अपने बयान में भी कहा कि उसने यह एंट्री दूसरी कंपनियों के अधिकारियों को झांसे में लेने के लिए की थी।

ये लचर बैंकिंग व्यवस्था, खुली लूट और आगे की राह

नोटबंदी के बाद बैंकों के अधिकारियों से मिल जिस प्रकार काले धन के कुबेरों ने लूटपाट की है, उससे आम जनता हतप्रभ और सन्न है। सच्चाई तो यह है कि यूपीए के समय हुई बैंक लोन के नाम पर लूट के कारण खोखले हुए बैंकिंग तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए भी बड़े नोटों के विमुद्रीकरण के कदम को मोदी सरकार को उठाना पड़ा। अब यह ज्ञात सत्य है कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते सोनिया गांधी की सहमति से प्रणव मुखर्जी और पी चिदंबरम ने अपने वित्त मंत्री रहते हुए बैंकों को सैंकड़ों कारपोरेट घरानों को योग्यता न होने पर भी बड़े ऋण देने पर मजबूर किया था। सच्चाई यह है कि कैप्टिव माइनिंग के लिए जो खदाने इन औद्योगिक घरानों को दी गयी थी उनकी कीमत उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में दिखलायी और बड़े बड़े लोन ले लिए। यद्यपि कैप्टिव माइनिंग का मतलब था खान का एक छोटा हिस्सा किराये पर देना न कि उसका मालिकाना देना। बैंकों के चेयरमैन, बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर और जी एक्व, जोनल मैनेजर स्तर के अधिकारियों ने वित्त मंत्रालय के इशारे पर आंखे बंद कर ये 14 लाख करोड़ तक के ऋण बांटे यद्यपि उन्हें पता था कि इनकी वापसी संभव नहीं और बैंकिंग सिस्टम का दिवाला निकाल दिया। फर्जी बैलेंस शीट के आधार पर इन कंपनियों ने शेयर बाज़ार में अपने शेयर कई गुना ऊंचे चढ़ा माल बटोरा वो अलग। जब उच्चतम न्यायलय ने खानों के आबंटन रद्द किये तब तक बड़े खेल हो चुके थे और बैंक और जनता लूट चुकी थी। इस खेल में मंत्रालय और बैंक के उच्च अधिकारियों ने मोटा कमीशन कमाया। बाद में पोल खुलने पर कई ने आत्महत्या भी की तो कुछ भाग निकले किंतु मोदी सरकार ने भी इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्यवाही नहीं की, न तो पूर्व वित्त मंत्रियों पर, न वित्त मंत्रालय और बैंक के उच्च अधिकारियों पर। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा ऐसा क्यों नहीं किया गया, यह गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

भारत का बैंकिंग तंत्र राष्ट्रीकृत बैंकों, निजी बैंकों, ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों में बंटा है। राष्ट्रीय और बड़े निजी बैंक पर कारपोरेट घरानों का और बड़े नेताओं का कब्जा है, वहीं ग्रामीण और सहकारी बैंकों पर राज्य सत्तारुढ़ सरकार और दबंगों का कब्जा है। इसी कारण जनता की बचत गाहे-बगाहे ठिकाने लगा दी जाती है। जो बच जाती है वो चिट फंड कंपनियों, सट्टे, लौटरी, मटके और कमेटी की भेंट चढ़ जाता है। असुरक्षित निवेश और ऋण लेने पर अत्यधिक ब्याज भारत के बैंकिंग तंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। आम हिन्दुस्तानी इसके जाल में ठगा ही जाता है और इनसे भागता है तो जमींदारों और साहूकारों के जाल में उलझ बर्बाद हो जाता है।

नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक की करेंसी चेस्ट के अधिकारियों और बड़े बैंकों के जोनल ऑफिस (जहां से करेंसी नीचे ब्रांचों में भेजी जाती है) के अधिकारियों ने राज्यों के सत्तारुढ़ दल के नेताओं, नौकरशाहों और बड़े उद्योगपति और व्यापारियों से गठजोड़ कर नई करेंसी का 30 से 40 प्रतिशत तक पुरानी करेंसी से कमीशन खाकर बदल दिया और बैंकों की शाखाओं में नकदी की किल्लत होती गयी। बैंकों की शाखाओं जिन्हें 5,10 या15 लाख की नकदी प्रतिदिन मिली वहां भी बहुत सी जगह शाखा प्रबंधकों और कैशियर ने मिलकर कालेधन के कारोबारियों से गठजोड़ कर जनता की आंखों में धूल झोंक दी। अंदाज़ है कि इस खेल में 1.5 से 2 लाख करोड़ तक का घोटाला हुआ। अब जब सरकार चौकन्नी हुई है और बड़े बैंक अधिकारियों, शाखाओं और नोट बदली कराने वाले धन कुबेरों पर छापे डाल रही है तो भी इसमें राजनीति अधिक हो रही है। यह ऐसा घोटाला है जिसमें पूरा सिंडीकेट सामने है और इनको तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है किंतु अभी तक 5 प्रतिशत अपराधी बैंक अधिकारियों और धन कुबेरों पर ही कार्यवाही की गयी है।

समय बैंकिंग व्यवस्था को एकरूप करने का है। देश में चार पांच बैंक हो, राष्ट्रीय, ग्रामीण और सहकारी जैसा विभाजन खत्म हो, राजनीतिक हस्तक्षेप बैंकिंग में न हो, ब्याज दर कम हो, पारदर्शी तंत्र हो और जवाबदेही निर्धारित हो। साथ ही बैंक कर्मियों के वेतन-भत्तों की समीक्षा हो और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मियों के स्तर पर किया जाना जरूरी है। मगर इससे भी जरूरी है पिछले 12-13 सालों में जिन जिन लोगों ने बैंकिंग व्यवस्था को चूना लगाया है और माल बनाया है, उनके खिलाफ सख्त क़ानूनी कार्यवाही हो और जनता के लूटे गए पैसों की वसूली होनी चाहिये। जाली नोटों और अनधिकृत रूप से छपे नोटों की खबरें वैसे ही आमजन का विश्वास डोला रही हैं। उस पर डॉलर-पौंड-रूबल-दीनार-रियाल-यूरो आदि के अंतर्राष्ट्रीय खेल। अब जबकि बैंकिंग तंत्र पर पुनः भारी धन आ चुका है ऐसे में भविष्य में दिए जाने वाले ऋणों के आबंटन की जनकेन्द्रित पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए।

अब समय पैन इंडिया यानि भारत केंद्रित विश्व और जन केंद्रित व्यवस्था बनाने का है। देखते हैं मोदी सरकार इस खेल में कहां तक सफल हो पाती है।

और अब यह सफ़ेद हो गयी है।

छठी लूट

जिन जिन सेवाओं और वस्तुओं की बिक्री में सरकार ने पुरानी करेंसी स्वीकार करने की छूट दी थी, उनके मालिकों और अधिकारियों से 20 से 30 प्रतिशत तक कमीशन देकर पुरानी करेंसी एडजस्ट करायी गयी। अब जनवरी से यह रकम नई करेंसी के रूप में वापस दी जायेगी। किंतु रहेगी कालाधन ही, जिसे पकड़ा जा सकता है।

घर के चिराग कैसे खुद अपने ही घर को जला रहे हैं, इससे बड़ा और अफसोसजनक उदाहरण क्या हो सकता है। महाभ्रष्ट और मक्कार सरकारी तन्त्र के सहारे यह लड़ाई लड़ते हुए मोदी सरकार सच में आग से खेल रही है। अभी उसे और भी कड़ी परीक्षाओं के दौर से गुजरना है। अभी भी इस सिंडीकेट के पास कई लाख करोड़ की काली करेंसी पुराने नोटों के रूप में मौजूद है। यद्यपि बैंको के पास कुल जारी किये गए 14.2 करोड़ रुपयों की 500 व 1000 की करेंसी से बहुत ज्यादा नोट आ चुके हैं और लगातार आ रहे हैं। ऐसे में एक बड़े अवैध करेंसी छापने के यूपीए के घोटाले की औपचारिक घोषणा का इंतज़ार करें। ■

मौलिक भारत ने डी एन डी टोल कंपनी की गम्भीर अनियमितताओं के खिलाफ सीएजी और सीवीसी को लिखा पत्र

मौ डी एन डी टोल ब्रिज के घोटालों को खोलकर और इसकी मुक्ति के लिए जनांदोलन कर सुर्खियों में आयी सामाजिक संस्था मौलिक भारत ने इलाहाबाद उच्च न्यायलय और फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा डी एन डी ब्रिज को अंतरिम रूप से टोल मुक्त करने के बाद न्यायलय द्वारा सी ए जी ऑडिट के आदेश के बाद सी ए जी और सी वी सी को एक विस्तृत प्रतिवेदन और सबूत भेजकर कंपनी के खिलाफ गम्भीर अनियमितताओं के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाये। नोएडा के अग्रसेन भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में संस्था के डी एन डी टोल मुक्ति संघर्ष समिति के संयोजक के विकास गुप्ता, महासचिव अनुज अग्रवाल, डा. अमर नाथ ओझा, पंकज गोयल ने पत्रकारों के सामने भेजे गए पत्र के बिंदुओं का सिलसिलेवार ढंग से विश्लेषण करते हुए बताया कि

आरोप-1

डी एन डी टोल कंपनी के वित्तीय मकड़जाल के परिणामस्वरूप डीएनडी फ्लाईवे की कुल लागत 408.17 करोड़ से बढ़कर 6000 करोड़ रूपए तक पहुंच गयी है। एक तरफ जहां डीएनडी फ्लाईवे गैरकानूनी रूप से जनता के पैसे पर खुद की जेब भर रहा है तो वहीं डीएनडी फ्लाईवे पर गैरकानूनी विज्ञापनों से भी एनटीबीसीएल भारी कमाई कर रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एनटीबीसीएल को इन विज्ञापनों को लगाने की अनुमति अनुबंध में नहीं मिली थी। दक्षिणी दिल्ली महानगर निगम ने अक्टूबर 2015 में दिल्ली की तरफ आने वाले ऐसे 200 होर्डिंग और गैर कानूनी संरचनाओं को हटा दिया था। हालांकि ये विज्ञापन अभी भी डीएनडी फ्लाईवे पर मौजूद हैं, जो क़ानून का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। यह पता

अनुलग्नक 1

डीएनडी फ्लाईवे पर यातायात और आय का विवरण (रुझान/प्रवृत्ति)

क्रम सं	वित्तीय वर्ष	औसत दैनिक यातायात (वाहन)	यातायात वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)	आय वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)
1.	2003-04	47,547	23.06%	36%
2.	2004-05	52,860	11%	20%
3.	2005-06	60,840	15%	22%
4.	2006-07	68,652	13%	20%
5.	2007-08	84,261	23%	29%
6.	2008-09	99,779	18%	21%
7.	2009-10	104,277	4.5%	7%
8.	2010-11	102,394	1.8%	1%
9.	2011-12	107,870	5%	10%
10.	2012-13	114,721	6%	15%
11.	2013-14	113,591	1%	11.85%
12.	2014-15	1,15,162	1%	5%
13.	2015-16	1,16,949	1.55%	7.45%

स्रोत: नॉएडा टोल ब्रिज कम्पनी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट से यातायात एवं आय विवरण (रुझान)

चला है कि एक सिंगल नॉन लाइटेड 40 बाई 20 इंच के आकार की होर्डिंग का किराया प्रति माह 3,50,000.00 रूपए है और इस प्रकार गैरकानूनी तरीके से होर्डिंग लगाकर एनटीबीसीएल करोड़ों रूपए प्रतिमाह कमा रहा हैं।

आरोप-2

रियायत पुल के निर्माण में एक ओपन एंड दी गयी थी और अनुबंध ने न्यूनतम लागत और कुशलता के स्थान पर लागत-अधिकतम को प्रोत्साहित कर दिया। यह पाया गया कि यह अनुबंध जनता की कीमत पर एक ब्लैंक चेक देने के समान है जिसे रियायत के नाम पर न जाने कब तक वह ढोती रहेगी।

आरोप-3

टोल ब्रिज के निर्माण के लिए एनटीबीसीएल को तत्कालीन राज्य सरकार के द्वारा 1 रूपए/प्रतिवर्ष की दर से पट्टे पर दी गयी है। 100 एकड़ में से 66 एकड़ दिल्ली में है जबकि बाकी नोएडा में है। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 34 एकड़ भूमि के लिए अनुबंध पर अक्टूबर 1998 में हस्ताक्षर किए गए। उस समय भूमि की कुल लागत मात्र 55 लाख रूपए थी। नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड की मदर कम्पनी आईएलएफएस के पास दिल्ली और उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001 में टोल रोड के निर्माण के पूरा होने के बाद 100 एकड़ अतिरिक्त भूमि थी। इसने डीएनडी से होकर गुजरने वाले यात्रियों से भी 2 फरवरी 2001 से टोल वसूलना शुरू कर दिया था। 2004 की शुरुआत में एनटीबीसीएल ने अपने पास बची 100 एकड़ अतिरिक्त भूमि के पुनर्मूल्यांकन का निर्णय लिया। एनटीबीसीएल के अनुसार भूमि की कीमत 135 करोड़ आंकी गयी। फरवरी 2004 में, एनटीबीसीएल ने डीएनडी फ्लाईवे के नाम से अपनी खुद की सहायक कम्पनी शुरू कर दी। यह कम्पनी दिल्ली और नोएडा में बची उस अतिरिक्त भूमि पर विकास कार्यों के लिए बनाई गयी थी। इस कम्पनी के बनने के बाद ही डीएनडी फ्लाईवे की टोल संचालक कम्पनी एनटीबीसीएल ने अपनी सहायक कम्पनी डीएनडी फ्लाईवे को यह कम्पनी 103 करोड़ रूपए में बेच दी। यहां यह बताना जरूरी है कि उस जमीन की असली लागत 700 करोड़ रूपए है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस लेनदेन के दौरान सहायक कम्पनी डीएनडी फ्लाईवे को इस लेनदेन में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आठ करोड़ रूपए की स्टैम्प ड्यूटी से भी छूट दे दी गयी। कम्पनी को 1 रूपए सालाना की दर से पट्टे पर दी गयी जमीन ने कम्पनी की कुल संपत्ति में 135 करोड़ रूपए की वृद्धि कर दी, और यह अधिक भी हो सकती है।

अनुलग्नक 2

नॉएडा टोल ब्रिज कम्पनी लिमिटेड का सालाना लाभ

क्रम सं	वित्तीय वर्ष	बैलेंस शीट/तुलनापत्र में शुद्ध लाभ (हानि) रूपए मिलियन में
1.	2002-03	(285.98)
2.	2003 04	(211.07)
3.	2004 05	(137.67)
4.	2005 06	26.08
5.	2006 07	110.61
6.	2007 08	279.76
7.	2008 09	336.87
8.	2009 10	275.55
9.	2010-11	374.93
10.	2011-12	453.21
11.	2012-13	421.13
12.	2013-14	547.53
13.	2014-15	808.20
14.	2015-16	823.88
	31.03.2016 तक कुल	4457.75

स्रोत: नॉएडा टोल ब्रिज कम्पनी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट से निदेशक रिपोर्ट

आरोप-4

जमीन के मूल्यांकन के बाद भी एनटीबीसीएल ने इसे अपनी परियोजना लागत में से कम नहीं किया। वसूली जाने वाली परियोजना लागत समय समय पर आगे बढ़ती रही। एनटीबीसीएल ने वर्ष 2004 और 2005 में टोल भी बढ़ा दिया और इसके साथ ही जुलाई 2006 में उसने डीएनडी फ्लाईवे से मयूर विहार को जोड़ने के लिए एक एक्सटेंशन का भी निर्माण शुरू कर दिया। शुरू में लगा कि एनटीबीसीएल यह निर्माण टोल ब्रिज पर भीड़भाड़ वाले पूर्वी दिल्ली के यातायात को डाइवर्ट करने के लिए कर रही है। इसके साथ ही उसने दिल्ली के यातायात के सुगम संचालन के लिए दिल्ली सरकार के साथ समर्थन अनुबंध के माध्यम से आश्रम फ्लाईओवर का भी निर्माण शुरू कर दिया। बाद में इन दोनों की ही लागत कुल परियोजना लागत में जोड़ दी गयी।

आरोप-5

आश्चर्यजनक रूप से यह टोल साल दर साल बढ़ता ही रहा, जबकि बढ़ते यातायात से इसे कम होना चाहिए था। ऑपरेटर के पास लगभग उसके निवेश की दोगुनी राशि पहुंच चुकी है। और बढ़ते यातायात के कारण डीएनडी फ्लाईवे के विज्ञापन की लागत बहुत ही अधिक है, और यह निजी कम्पनी गैर कानूनी रूप से इससे जमकर पैसा उगा रही है।

आरोप-6

विभिन्न संस्थानों द्वारा लंबित आरोपों के बाद, पराग पारिख फाइनेंशियल एडवाईसरी लिमिटेड ने 21 मई 2012 को सब्स्टेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर और टेक ओवर क़ानून 1997 के नियम 29 (1) के अंतर्गत एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें नॉएडा टोल ब्रिज कम्पनी लिमिटेड के द्वारा काफी मुनाफा दिखाया गया। एनटीबीसीएल डीएनडी टोल प्लाज़ा पर किसी भी तरह का कोई भी कर नहीं दे रहा है। हालांकि निर्माण उसने दिल्ली और उत्तरप्रदेश की सरकार की भूमि पर कराया है, फिर भे एनटीबीसीएल आयकर से छूट का दावा यह कहते हुए कर रही है कि फ्लाईवे उसकी खुद की व्यक्तिगत संपत्ति है। जबकि हकीकत में आयकर विभाग आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 147 के अंतर्गत पुन:आंकलन शुरू कर चुका है और भविष्य में आने वाले टोल और अन्य वसूलियों के आधार पर होने वाली आय के अनुसार रु 500 करोड़ की मांग भी कर चुका है। ये मुद्दे उचित प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन हैं।

आरोप-7

उद्योग चलन के विपरीत, इस परियोजना की लागत को एक्स-पोस्ट निर्धारित किया गया था

CORRUPTION & MISCONDUCT OF GOVERNMENT OFFICERS

(Quid Pro Quo)

S. No.	DETAILS OF IAS OFFICERS WHO BENEFITTED FROM PVT. COMPANIES	POST RETIREMENT BENEFITS DETAILS	ALLEGATIONS
1.	Mr. RK Bhargava IAS, UP Cadre Chief Secretary, Govt. of UP	In NTBCL since 1997, presently Chairman, NTBCL	Did not allow the company's accounts audit by the CAG and refused to quit toll operations before 2031. The cost of the project in company's book has gone up from 400 crores and is now Rs. 3457.93 crores.
2.	Mr. Piyush Mankad 1964 Batch IAS Finance Secretary, Government of India (Retd.)	Director, NTBCL Director, Kingfisher Airlines	
3.	Mr. Sanat Kaul 1971 Batch IAS, UP Cadre Secretary, PWD and Dept. of Land and Building, Govt. of NCT of Delhi (Retd.) Signatory to the concession agreement between Respondent 1,2 and 3 on behalf of Govt. of NCT of Delhi.	Director, NTBCL	
4.	Mr. Ravi Mathur 1970 Batch IAS CEO, NOIDA Industrial Development Commissioner, Govt. of UP		Had got himself appointed as CMD of Nangal Fertilizers without clearance from Vigilance Department, which was discovered later.
5.	Mr. Pradeep Puri 1978 Batch IAS, UT cadre CEO, NTBCL	Close kin to Gopi Arora. Resigned immediately from the post of IAS to take charge as the CEO of NTBCL.	

अर्थात परियोजना के पूरी होने बाद ही। परियोजना के सम्बन्ध में कुल व्यय पर कोई सीमा तय नहीं की गयी थी, और आईएलएंडएफएस के द्वारा बताया गया आंकड़ा था 408 करोड़ रूपए। हालांकि 408 रूपए का आंकड़ा भी प्रश्नों के घेरे में है क्योंकि उसी अवधि में अक्षरधाम और निज़ामुद्दीन को जोड़ने वाले सेतु की लागत केवल 82 करोड़ थी, जो डीएनडी से केवल 4 किमी की दूरी पर है।

आरोप-8

यहां तक कि योजना आयोग के द्वारा कराए गए अध्ययन ने भी यह पाया कि डीएनडी फ्लाईवे के लिए रियायती अनुबंध पूरी तरह से जनता के हित के खिलाफ है। और आईएलएंड एफएस जिसने डीएनडी फ्लाईवे का निर्माण कराया, जो 15 वर्ष के समय में 5888 करोड़ रूपए की लागत से बना सबसे छोटा ब्रिज है, जबकि इसी लागत में स्पेन में इससे चार गुना बड़ा टोल ब्रिज बना है और उतना ही बड़ा टोल ब्रिज हैदराबाद में बना है।

आरोप-9

नोएडा टोल ब्रिज कम्पनी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट भी कई वर्षों से कम्पनी की आय में निरंतर वृद्धि और लाभ दिखा रही हैं, जबकि यह दावा करते हुए छूट की अवधि भी 70 वर्ष करने की मांग की जा रही है कि 31.03.16 तक कुल वसूली योग्य लागत 3457.93 करोड़ रूपए है। 2009-10 से लेकर 2014-15 तक के वित्तीय वर्ष के लिए एनटीबीसीएल के सालाना लाभ को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट अनुलग्नक 2 में दिखाया गया है।

के. विकास गुप्ता ने पत्रकारों को बताया कि संस्था ने ही गत वर्ष लखनऊ में प्रेस वार्ता के माध्यम से इस टोल के निर्माण और संचालन में घोटाले और इससे जुड़े नौकरशाहों के सिंडीकेट का पर्दाफाश कर सरकार पर दबाव बनाया था और जन आंदोलन किया था और सारे सबूत उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और उच्चतम न्यायलय को भेजे थे। अब पुन: जनहित में उचित कार्यवाही के अनुरोध के साथ नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) एवं मुख्य सतर्कता आयुक्त (CVC) को भेजे गए हैं ताकि वो उच्चतम न्यायालय को भेजी जाने वाली अपनी रिपोर्ट में इन सभी बिंदुओं को शामिल कर लें और डी एन डी सदा के लिए तो टोल मुक्त हो ही जाए साथ ही इस घोटाले को अंजाम देने वाले नौकरशाहों को कानून उचित सजा दे सके। ■

बहुत बेचैन है नोयडा

जी दोस्तों, नोयडा बेचैन है बल्कि पूरे का पूरा गौतम बुद्ध नगर। यू तो वो जिंदा है मगर फिर भी उसे गिद्ध नोच रहे हैं। बेकाबू विकास के गिद्ध। बस कुछ ही दिनों में लूट के नए अड्डो यानि मेट्रो और हवाई अड्डे की बहार भी आने वाली है। इस भस्मासुरी विकास के गिद्ध कोई और नहीं बल्कि इस तथाकथित प्लांड टॉउन के टाउन प्लानर हैं। कितना यूनीक मास्टर प्लान है और कितना मजेदार उसका क्रियान्वयन कि शहर तो बसकर स्लम बनने की कगार पर है और न तो कूड़े को ठिकाने लगाने का कोई ठिकाना है और न ही सीवरेज के ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था। अब डंपिंग ग्राउंड बनाने की बात कर रहे हैं तो वो भी रिहायशी इलाके में। कुछ पाश सेक्टरों को छोड़ दे तो जगह जगह कूड़े के ढेर यहां आम बात है। कहने को तो औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित होना तय हुआ था और भेंट चढ़ गया नेताओं, नौकरशाहो, बिल्डरों, ठेकेदारों और प्राधिकरण के अफसरों के सिंडीकेट के। इन्तजाम 10 लाख की आबादी के भी नहीं और बस गए 30 लाख लोग। कई लाख खाली मकान और आधी से ज्यादा आबादी स्लम में। अगर ईमानदारी से आंकलन किया जाए तो सत्यापित हो जाएगा कि पिछले एक दशक में इस क्षेत्र की औसत आयु दस वर्ष से भी अधिक ही गिरी है।

क्या कोई यकीन करेगा कि नोयडा में 5000 से भी ज्यादा सेवानिवृत्त नौकरशाह और सैकड़ों नेता रहते है। पचासों न्यायविद भी। इसके साथ ही देशभर के सभी प्रमुख मीडिया हाउसों के मुख्यालय यही है। देश के हर क्षेत्र के श्रेष्ठ लोगो ने कभी बेहतर उभरता शहर मान नोयडा की ओर रुख किया था और अब वे सब पछतावा करते हैं। नोयडा में प्रवेश करने और निकलते समय हर रास्ते पर जिस दर्दनाक ट्रैफिक जाम और घुटन का सामना करने के अभिशिप्त नोयडावासी धीमा जहर पी पीकर तिल तिल बीमारियों और मौत से जूझ रहे हैं। यहाँ के अंधाधुंध विकास कर सब कुछ चूसने को आतुर विकास - माफिया ने पूरा शहर ही उधेड़ रखा है और इसके ओर आने वाले सारे रास्ते।पानी तो वैसे ही जहर है यहां का और मिट्टी में कीकर उगते है, उस पर धुंआ और धूल वाली हवा दमे का मरीज बनाने पर तुली है। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे नोयडा प्राधिकरण के अधिकांश कर्मचारियों के पास बेहिसाब दौलत है और इनके आका रहे चंद नौकरशाहो और मायावती - मुलायम सिंडिकेट के पास इनसे भी हजारों गुना। मगर लालच थम नहीं रहा। सड़क पर सड़क, फ्लाई ओवर, अंडरपास, मेट्रो, एलिवेटेड रोड और न जाने क्या क्या मगर न सुकून से सफर का सपना किसी का भी पूरा नहीं हो रहा।

जबसे योगी सरकार आयी है अनेक जनसुनवाई हुई कई प्रकार की जांच और दबाब इस गैंग से जुड़े बिल्डरों और कर्मचारियों पर है किंतु सच्चाई यह है कि असली खिलाड़ी तो चंद नौकरशाह और लगभग हर राजनीतिक दल के गिने चुने नेता है। जिले के 90प्रतिशत बिल्डर नकली है यानि उनके खेल में पैसा देश भर के राजनीतिक नेताओँ और् नौकरशाहो का ही लगा है। क्या कोई उनके खिलाफ कार्यवाही करने की हिम्मत रखता है। लाखों निवेशकों के कई लाख करोड़ रुपये लूट यह लॉबी विदेशों में ठिकाने लगा चुकी है, ऐसे में कुछ बिल्डरों पर दबाब डालने, पेनल्टी लगाने या जेल में डालने के कोर्ट के खेल एक नाटक जैसे ही लगते है। बेचारा मकान की आस में लटकता भटकता मजबूर और लाचार कैटल क्लास। हाल ही में प्राधिकरण ने कहा था कि दिसंबर तक 50 हजार निवेशकों को मकानों के कब्जे दिया दिए जाएंगे किंतु सच्चाई यह है कि यह आंकड़ा 10 से 15 हजार भी पार कर जाए तो बड़ी बात होगी। शेष लुटे पिटे लाखों निवेशकों का भगवान ही मालिक है। इन प्रोजेक्ट के असली मालिकों यानि राजनीतिज्ञों और नोकरशाहो के विरुद्ध कोई कुछ भी करने की स्थिति में नही बस प्यादों को मोहरा बनाया जा रहा है।

कहने को तो प्राधिकरण के खातों की जांच सीएजी द्वारा की जा रही है। पहले यह तय हुआ था कि यह पिछले 15 वर्ष तक की की जाएगी मगर आश्चर्यजनक रूप से इसे सिकोड़ कर 5 वर्ष कर दिया गया। क्यो? सैकड़ों अपराधियों के सबूतों सहित अपराधों के ब्यौरे जांच एजेंसियों और सरकार के पास है किंतु दो चार के विरुद्ध दिखाबे की कार्यवाही के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हुआ।

गौतमबुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरणों में कोई जनप्रतिनिधित्व नहीं, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायतें जैसी कोई लोकल बॉडी नहीं, कोई जबाबदेही नहीं, कोई ट्रांसफर नहीं , बस खुली लूट और अराजकता।

यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया के हाल बदतर है। अधिकांश में व्यापार होता है या फिर असेम्बलिंग, बनता कुछ नहीं।हर छोटी सड़क चाहे शहर की हो या गाँव की बुरे हाल में है। बस बसी सड़कों को बड़े बजट के कारण मोटी कमाई के लालच में बार बार बनवा दिया जाता है। हाल ही में सिटी सेंटर के विकास को कारण बात कई सौ करोड़ की एलीवेटेड रोड बना दी गयी और अनेक अंडरपास भी किंतु सरकार बदलते ही सिटी सेंटर बनाने वाली कंपनी ने दो तिहाई जमीन ही लौटा दी। मगर इस खेल में मोहरा बने नोयडा वासी भीषण जाम, घुल, धुंए, बीमारी और समय/ऊर्जा की बुरी तरह हानि का शिकार बने हुए हैं। मगर न तो कोई जबाबदेही और न ही किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही। अच्छे सरकारी अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक परिवहन को लोग तरसते है और उनकी जगह महंगे पाँच तारा स्कूल, अस्पताल और हजारो करोड़ की लागत से मेट्रो बन रही है किंतु आम आदमी के लिए चन्द करोड़ की लागत के लिए भी हाथ झाड़ने को तैयार।

कड़वा सच यही है कि इस आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय गैस चैम्बर के बाशिंदे माया के मायाजाल और मुलायम की मारीचिका में कीड़े जैसे रेंग रहे हैं, रगड़ रगड़ कर जी रहे हैं और मौत के दरवाजे पे खड़े लखनबी अंदाज में एक दूसरे से कह रहे हैं -पहले आप, पहले आप। अब योगी सरकार के पास करने को कुछ बचा नहीं तो जांच के नाम पर पुरानी लूट से अपना हिस्सा बटोरने का खेल तो खेल ही लिया जाए। ऐसा नहीं तो बातें ही बातें क्यों, जमीन पर कुछ निर्णायक क्यों नहीं? ■

2005 से ही होगा तीनों प्राधिकरणों का सीएजी ऑडिट

अमर उजाला की खबर पर लगी मुहर, पहले ही दिए थे ऑडिट किए जाने के संकेत

तीनों प्राधिकरणों से 12 साल का हिसाब लेगी सीएजी टीम

2005

अमर उजाला में 17 जनवरी के अंक में छपी खबर।

औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक सिन्हा ने आदेश निकलने की पुष्टि की

भविष्य में अब सीएजी ही करेगी ऑडिट

मित्रों, मौलिक भारत ने कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखकर मांग की थी कि नोयडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरणों का सीएजी से ऑडिट 5 बर्षो का न करा पूर्व में घोषित 12 बर्षो का कराया जाए क्योंकि सन 2005 से 2017 के बीच हर ठेके, निर्माण, आबंटन व भुगतान में भयंकर फर्जीबाड़े हुए हैं और लाखों करोड़ रुपयों की लूट हुई है। सुखद है शासन ने हमारे सुझाव को महत्व देते हुए सन 2005 से ही तीनो प्राधिकरणों का सीएजी से ऑडिट कराने के आदेश जारी कर दिए हैं।

24 दिसंबर को झूठे शपथपत्र मामले में केजरीवाल को लेनी होगी जमानत,

7 अप्रैल 2017 को तय होंगे आरोप

मौलिक भारत के सदस्य नीरज सक्सेना और अनुज अग्रवाल की आपराधिक शिकायत (संस्था के वकील राहुलराज मलिक हैं) पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 24 दिसंबर 2016 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत लेनी पड़ी। शिकायत के अनुसार केजरीवाल ने नई दिल्ली का चुनाव लड़ते वक्त झूठा शपथ पत्र चुनाव आयोग में दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने अपनी आय और पते की झूठी जानकारी दी। अदालत ने मौलिक भारत के आरोपों को प्रथम दृष्टयता सही मानकर पिछले वर्ष ही केजरीवाल के खिलाफ सम्मन जारी किये थे, किंतु केजरीवाल लगातार कोर्ट में अनुपस्थित होकर जमानत कराने से बचते रहे हैं। अंततः पिछली तारीख पर अदालत ने हर कीमत पर 24 दिसंबर को केजरीवाल को जमानत कराने, बेल बांड भरने और उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए थे। उल्लेखनीय है कि केजरीवाल ने दिल्ली का चुनाव गाजियाबाद के कौशाम्बी में रहते हुए लड़ा था और फर्जीवाड़ा करके स्वयं का नाम दिल्ली की मतदाता सूची में डलवा दिया था। उनके शपथ पत्र में भी गंभीर गड़बड़ियां हैं जिनको न्यायलय संज्ञान ले चुका है। अगर केजरीवाल आरोपों को गलत नहीं सिद्ध कर पाये तो उनको विधायक और मुख्यमंत्री पद से तो इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा, जनप्रतिनिधि कानून का उल्लंघन करने पर जेल भी जाना पड़ेगा, साथ ही पांच वर्षों तक चुनाव लड़ने से वंचित रहना पड़ेगा।

बेशर्म फर्जीवाल - दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को अगर फर्जीवाल कहे तो अधिक बेहतर है। कल से टीवी चैनलों, वेबसाइटों, सोशल मीडिया और आज हजारों अखबारों में इस व्यक्ति द्वारा चुनावों में बार बार झूठा शपथ पत्र भरकर और उत्तर प्रदेश का निवासी होते हुए भी फर्जीवाड़ा कर दिल्ली में वोट बनवाकर कानून और जनता को धोखा देने के मौलिक भारत के नीरज सक्सेना और अनुज अग्रवाल के आरोप वकील राहुलराज मलिक द्वारा अदालत में प्रथम दृष्टयता सिद्ध करने के कारण पिछले एक वर्ष से जारी सम्मन के विरुद्ध जमानत करानी पड़ी। चूंकि जनप्रतिनिधित्व कानून की धाराओं में यह जमानती अपराध है, इस कारण केजरीवाल जेल जाने से बच गए, किंतु क्या इससे उनका अपराध कम हो जाता है? एक अयोग्य व्यक्ति कानून की कमियों का फायदा उठाकर वास्तव में गैरकानूनी रूप से दिल्ली का विधायक और मुख्यमंत्री बना बैठा है और जनता और अन्य विपक्षी दल सहित बुद्धिजीवी और कानूनविद खामोश हैं। क्यों? कल जब यह व्यक्ति दोषी सिद्ध होकर जेल जायेगा और अदालत इसे पद से हटाएगी तब तक एक महत्वपूर्ण पद पर बैठा यह व्यक्ति कुछ भी निर्णय लेता रहेगा और दिल्ली की जनता को उसे झेलना व सहन करना पड़ेगा। आजतक केजरीवाल ने मौलिक भारत के आरोपों पर न तो कोई सफाई दी और न बयान जबकि वह स्वयं दूसरे नेताओ से सफाई और इस्तीफे मांगता रहता है। क्यों? क्योकि उसे पता है कि उसने अपराध किया है और रंगे हाथ पकड़ा गया है। बेहतर यह होता कि वो स्वयं अदालत में अपना अपराध कबूल करता या न्यायिक प्रक्रिया तेज करने का अदालत से अनुरोध करता और तब तक अपने पद से इस्तीफ़ा देता। किंतु सत्ता के लोभी इस लोकतंत्र के ठग ने ऐसा नहीं किया और दिल्ली के लोगो की छाती पर मुंग दल रहा है, साथ ही कानून से भागने की हर संभव कोशिश कर रहा है। उधर मौलिक भारत के सदस्य पिछले दो वर्षों से भी ज्यादा समय से कानून की चौखट पर टक्कर मार मार कर तंग आ चुके हैं।

जरनैल सिंह द्वारा पंजाब में वोट बनवा चुनाव लड़ने की मौलिक भारत द्वारा चुनाव आयोग से शिकायत

मौलिक भारत ने चुनाव आयोग से दिल्ली के पूर्व विधायक जरनैल सिंह द्वारा पंजाब में वोट बनवाने की कोशिश को गैरकानूनी बताते हुए आपत्ति/शिकायत दर्ज कराई है। संस्था के सदस्यों नीरज सक्सेना, अनुज अग्रवाल, संजीव गुप्ता एवं विक्रम चौधरी ने मुख्य चुनाव आयुक्त सहित सभी राज्यों के चुनाव आयुक्तों को ई मेल द्वारा पत्र भेज तथ्यों और सबूतों सहित साबित किया है कि जरनैल सिंह जो दिल्ली विधानसभा के सदस्य थे और अब पंजाब के लंबी विधानसभा क्षेत्र से अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, अब वे अपना नाम लंबी, पंजाब की मतदाता सूची में शामिल कराने हेतू आवेदन कर चुके हैं, यद्यपि वे वहां के ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हैं। चूंकि यह आवेदन गैरकानूनी है, इसलिए चुनाव आयोग को जरनैल सिंह का आवेदन स्वीकार नहीं करना चाहिए। संस्था ने देश के सभी राज्यों के चुनाव आयुक्तों को भी यह मेल प्रेषित किया है ताकि देश के प्रत्येक राज्य में आयोग के स्थानीय कर्मचारियों की मदद से अवैध दावेदारी के होते हुए भी अन्य लोगों के वोट न बनवा दें। अरविन्द केजरीवाल को इसी तरह के एक अन्य मामले में मौलिक भारत की शिकायत पर दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें जमानत दी हुई है। संस्था की इस संबंध में निम्न आपत्तियां हैं -

आपत्ति

जरनैल सिंह सुपुत्र श्री शिंगारा सिंह के विरुद्ध (डी-167, लाजपत नगर, पार्ट 1, नई दिल्ली 110024 के आम निवासी के रूप में), जिन्होंने दिल्ली विधानसभा के सभापति को अपना इस्तीफा दिनांक 5/1/2017 को सौंपा है और मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार खुद को पंजाब में मुख्तार साहिब जिला में लंबी (एसी-83) या किसी भी अन्य स्थान से शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराने के लिए मतदाता सूची में से अपना नाम हटाने के लिए दिनांक 11/01/2017 को फॉर्म संख्या 7 (आईडी-389565) भी जमा कर चुके हैं।

जरनैल सिंह पुत्र श्री शिंगारा सिंह अपनी पत्नी और परिवार के छः बाकी सदस्यों के साथ मकान संख्या डी-167, लाजपत नगर पार्ट संख्या 1 में दिल्ली विधानसभा क्षेत्र कस्तूरबा नगर (एसी 42) के अनुसार मतदाता सूची में उपस्थित हैं।

2) यह कि एक आपराधिक शिकायत 20786/2016, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली में आरोपी अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ (वर्तमान में मुख्यमंत्री दिल्ली) भी आरपी अधिनियम 1951 की धारा 125ए, आरपी अधिनियम 1950 की धारा 31 और आईपीसी की धारा 177 के उल्लंघन के लिए दायर की गयी है। वे नीरज सक्सेना और अनुज अग्रवाल बनाम अरविन्द केजरीवाल शीर्षक मामले में पटियाला न्यायालय से 24 दिसंबर 2016 से जमानत पर बाहर हैं।

3)- यह कि अरविन्द केजरीवाल ने भी कौशाम्बी में रहते हुए भी खुद को एसी 40 (नं. 4434135) के सामान्य निवासी न होते हुए भी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में केवल फॉर्म संख्या 6 के साथ एक टेलीफोन बिल जमा करने के द्वारा पंजीकृत कराया था।

4) यह कि बूथ लेवल अधिकारी पर मतदाता सत्यापन की उदार प्रणाली का लाभ लेते हुए या निर्वाचन अधिकारियों के साथ मिलीभगत के कारण प्रत्याशी खुद को मतदाता सूची तैयार करते समय उस विधानसभा का नागरिक न होते हुए भी नामांकित करा लेते हैं, और इस प्रकार जनादेश और आरपी अधिनियम 1950 की धारा 20 की भावना के विपरीत है, जो उस विधानसभा क्षेत्र के सामान्य नागरिक होने की शर्तें तय करती है और इस प्रकार आरपी अधिनियम 1951 की धारा 5 (सी) का उल्लंघन करते हुए गैरकानूनी रूप से चुनाव लड़ने के पात्र हो जाते हैं।

5) यह कि अरविन्द केजरीवाल के ही नक्शेकदम पर चलते हुए, इस मामले में भी जरनैल सिंह ने दिल्ली का नागरिक होते हुए खुद को पंजाब का नागरिक बनाते हुए पंजाब के निर्वाचन आयोग अधिकारियों को भ्रमित करने का प्रयास किया है और अपना नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए एसी 42 के ईआरओ के सामने फॉर्म संख्या 7 (आईडी : 389565), दिनांक 11/01/2017 [क्रम संख्या 705, एपिक संख्या जेई0756973 में एसी42 की मतदाता सूची] जमा किया है।

मौलिक भारत के दबाव में जरनैल सिंह ने दिया इस्तीफ़ा

दिल्ली से विधायक होने के बाद भी पंजाब में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह को अन्ततः इस्तीफ़ा देना ही पड़ा। मौलिक भारत के ट्रस्टी नीरज सक्सेना एवं संजीव गुप्ता की सलाह पर पंजाब के कुछ एक्टिविस्ट और अकाली दल के नेताओं ने जरनैल सिंह के दिल्ली में मतदाता होते हुए भी पंजाब से चुनाव लड़ने के फैसले को असंवैधानिक बता आपत्ति दर्ज की थी। मामला तूल पकड़ा तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविन्द केजरीवाल जो मौलिक भारत द्वारा दायर आपराधिक शिकायत पर अदालत द्वारा मुजरिम घोषित होने पर ऐसे ही एक मामले में जमानत पर चल रहे हैं, बैकफुट पर आ गए और जरनैल सिंह से इस्तीफ़ा लेने पर मजबूर हो गए। अब जरनैल सिंह दिल्ली की मतदाता सूची से नाम कटाकर पंजाब में अपना नाम शामिल करवाएंगे। किंतु इसके बाद भी उनका बादल के खिलाफ चुनाव लड़ना संदिग्ध ही रहेगा। मौलिक भारत इस संबंध में बड़ी कार्यवाही की शीघ्र घोषणा करेगा।

6) यह कि भारतीय निर्वाचन आयोग और उसके सीईओ को मतदाता सूची की तैयारी के नियंत्रण, निर्देश और निरीक्षण के अपने कर्तव्य को पूरा करना है और भारतीय संविधान की धारा 324 के अंतर्गत होने वाले राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, संसद और विधानसभाओं के सभी चुनावों को निष्पक्ष कराने के अपने दायित्व को पूरा करना है।

मौलिक भारत (ए-74, द्वितीय तल, सेक्टर 2 नोएडा) में हम सुशासन, पारदर्शिता और भारतीय नीति एवं चुनाव सुधार के विविध संस्थानों की जवाबदेही के लिए कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार हम भारतीय निर्वाचन आयोग और सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के संज्ञान में यह लाना चाहते हैं कि किसी को भी इस देश के क़ानून के साथ छेड़छाड़ की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

लोकतंत्र के हित में यह अनुरोध किया जाता है कि

क) किसी भी व्यक्ति को अपनी सनक में आरपी अधिनियम 1950 की धारा 20 के उल्लंघन और फॉर्म संख्या 6 या 8 ए के साथ जाली दस्तावेज जमा करने के द्वारा आरपी अधिनियम 1950 की धारा 5 (सी) के लिए गैर कानूनी रूप से पात्र होने का अधिकार नहीं होना चाहिए। निर्वाचन आयोग अधिकारियों को सामान्य निवास की अवधि की जांच करने के द्वारा दस्तावेजों की सत्यता की जांच करनी चाहिए और निवास की अवधि केवल बीएलओ स्तर के सत्यापन पर ही निर्भर नहीं होनी चाहिए।

ख) यह कि सभी प्रत्याशियों के द्वारा फॉर्म संख्या 26 (नियम 4ए) (निर्वाचन नियम आचरण - 1961), में दायर घोषणापत्रों का सत्यापन निर्वाचन आयोग के द्वारा उनकी सत्यता जांचने के लिए किया जाना चाहिए।

भारत के निर्वाचन आयोग की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए हम एक बार आयोग से अनुरोध करते हैं कि कोई भी मतदाता या प्रत्याशी कड़ी जांच से नहीं छूटना चाहिए और उनके द्वारा जमा किए गए सभी घोषणापत्रों, फॉर्म, निवास प्रमाणपत्र, नामांकन पत्रों आदि की कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए।

अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने एवं सभी प्रत्याशियों के शपथ पत्रों एवं नामांकन पत्रों के तथ्यों के सत्यापन हेतु प्रार्थना पत्र

सेवा में,
महामहिम राष्ट्रपति महोदय,

निम्नलिखित के विषय में उचित दिशा-निर्देश प्रदान करने के संबंध में प्रार्थना

(1) दिनांक 24/12/2016 को जमानत पर रिहा हुए कानून तोड़ने वाले अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक शिकायत/एफआईआर दर्ज करने हेतु

(2) भारतीय निर्वाचन आयोग को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों के शपथ पत्रों एवं नामांकन पत्रों के तथ्यों के सत्यापन के लिए उचित दिशानिर्देश जारी किये जाने हेतु प्रार्थना

माननीय महोदय,

सादर यह आपके संज्ञानार्थ प्रस्तुत किया जाता है-

(क) कि आरोपी अरविन्द केजरीवाल द्वारा (दिल्ली विधानसभा चुनाव-2013) के दौरान नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र (एसी-40) से चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन क़ानून और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए नई दिल्ली के पटियाला हाउस न्यायालय में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 24/12/16 को एक आपराधिक शिकायत (सीसी संख्या 24/1/14) (सीसी संख्या 20786/2016) [नीरज सक्सेना और अनुज अग्रवाल बनाम अरविन्द केजरीवाल] मुक़दमे में दिनांक 24 दिसम्बर 2016 को अभियुक्त अरविन्द केजरीवाल को ज़मानत पर रिहा किया गया।

(ख) यह कि पटियाला हाउस कोर्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सर्वरिया ने अपने आदेश दिनांक 21/03/16 में कहा था आरोपी अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को संभालने से पहले R.P. Act 1951 की धारा 125A एवं R.P. Act-1950 की धारा 31 और भारतीय

दंड संहिता की धारा 177 के अंतर्गत आपराधिक आरोपों के लिए सम्मन किए जाने के लिए रिकार्ड पर प्रयाप्त सबूत मौजूद है।

(ग) यह कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र (AC-40) से चुनावलड़ने के लिए अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली के आम नागरिक के रूप में गैरकानूनी रूप से पात्र होने के लिए निर्वाचन आयोग के समक्ष शपथ पर गलत शपथपत्र और कई झूठी घोषणाओं के द्वारा कई झूठे दस्तावेज़ जमा करने के द्वारा वही अपराध/उल्लंघन दोबारा दोहराया है।

(घ) यह कि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के समक्ष W.P. (Civil) 443/2014 में याचिकाकर्ताओं (मौलिक भारत द्वारा संस्थापक ट्रस्टी अनुज अग्रवाल और नीरज सक्सेना बनाम निर्वाचन आयोग एवं अन्य) में (न्यायालय आदेश दिनांक 22/01/14 के Para x के अनुसार) भारत के किसी भी विधानसभा या लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों एवं शपथपत्रों की सत्यापन एवं जांच के लिए एक कड़ी प्रक्रिया/पद्धति के बनाये जाने के लिए अनुरोध किया है।

(च) यह कि (आदेश दिनांक 22/01/2014 के Para y के अनुसार) अग्रिम नोटिस पर प्रतिवादी संख्या 1 भारत निर्वाचन आयोग के लिए उपस्थित होने वाले अधिवक्ता ने न्यायालय का नामांकन पत्रों के लिए जांच करने वाले जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 36 की ओर ध्यानाकर्षण करते हुए बताया कि झूठे शपथ पत्र फाइल करने के लिए दंड देने वाली धारा 125 ए में अधिनियम के अंतर्गत दंड व्यवस्था की गयी है जिनके लिए दिशानिर्देश तय किए जाने हैं। निर्वाचन आयोग के वकील द्वारा न्यायालय के समक्ष बयान किया गया कि समय आभाव के कारण निर्वाचन आयोग के द्वारा नामांकन पत्रों और शपथपत्रों के तथ्यों का सत्यापन करना संभव नहीं है।

(छ) यह कि (जब) भारत निर्वाचन आयोग ने न्यायालय के समक्ष (समय आभाव) उपलब्ध संक्षिप्त अवधि (और किसी भी दिशानिर्देश न होने के कारण) नामांकन पत्रों और शपथपत्रों के तथ्यों का सत्यापन करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, तत्पश्चात मौलिक भारत ट्रस्ट के सदस्यों ने अरविन्द केजरीवाल के (फॉर्म 26) शपथ पत्र (दिनांक 16/11/2013) के तथ्यों और अरविन्द केजरीवाल के (फॉर्म आई डी : 4434135 दिनांक 19/10/2013) की जांच की और अधिवक्ता श्री राहुल राज मलिक के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश (नई दिल्ली जिला) न्यायालय में दिनांक 04/02/2014 को आपराधिक शिकायत संख्या CC 24/1/14 दायर की।

(ज) यह कि मौलिक भारत में (ए-74, द्वितीय तल, सेक्टर 2, नोयडा) में, हम सुशासन, पारदर्शिता और भारतीय नीति के विविध संस्थानों की जवाबदेही एवं चुनाव सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं।

प्रार्थना

भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, बिगड़ैल राजनेताओं को अनुशासित करने के लिए, और जनप्रतिनिधियों द्वारा भारतीय क़ानून का मजाक उड़ाने से रोकने के लिए, और उन्हें क़ानून का पालन करने वाले जनप्रतिनिधि बनाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध किया जाता है कि

(क)भारत निर्वाचन आयोग या किसी भी अन्य संस्था जैसे सीबीआई या दिल्ली पुलिस को अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की विविध धाराओं एवं भारतीय दंड संहिता (1860 के अधिनियम XLV) के अंतर्गत दंडनीय (दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 के दौरान), अरविन्द केजरीवाल द्वारा पुन: दोहराए गए अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही आरम्भ किये जाने हेतु उचित दिशानिर्देश जारी किये जाएं।

वे सभी दस्तावेज जो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 के दौरान अरविन्द केजरीवाल द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों की पुष्टि करते हैं, उनकी जांच मौलिक भारत के सदस्यों के द्वारा की गयी है और इन्हें माननीय राष्ट्रपति के निर्देशानुसार नियत जांचकर्ता/अभियोग दाखिलकरने वाली संस्था को सौंप दिया जाएगा।

(ख) भारतीय निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुछेद 324 के अंतर्गत चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों एवं शपथपत्रों के तथ्यों के सत्यापन के लिए उचित दिशानिर्देश जारी किये जाएं।

तदनुसार प्रार्थना

मौलिक भारत के समस्त सदस्य

दिनांक- 23 जनवरी 2017

कैसे बनेगा मौलिक भारत ?

पिछले तीन सौ वर्षों में भारत की संपूर्ण मौलिक व्यवस्था को अंग्रेजों ने बदल दिया और 5000 सालों से चली आ रही हमारी सफल और मौलिक व्यवस्थाएं नष्ट करने के षड्यंत्र चलाये गए। एक ओर जहां राजव्यवस्था पाश्चात्य हो गयी वहीं कारपोरेट व्यवस्था भी उसी का अनुसरण करती दिखी और पाश्चात्य संस्कृति आधारित बाज़ार को हमारे सामने आदर्श बना कर पेश किया गया। सरकार का छुपा एजेंडा धीरे धीरे इसी संस्कृति को लागू करने का है और इसी कारण मोदी जी बार बार अंग्रेजी नव वर्ष की बधाई और राष्ट्र के नाम संदेश देते दिखे। शीघ्र ही हमारा वित्त वर्ष भी 1 जनवरी से 31 दिसंबर किये जाने का भी प्रस्ताव है। बाज़ार से हुए समझौते के अनुसार दुनिया हमारे योग पर शीर्षासन करेगी और गीता बांचेगी और भारतीय नग्नता, उद्दंडता, पोर्न, समलैंगिकता, शराब और ड्रग्स की संस्कृति अपनाते जाएंगे। अगर आपको सच में मौलिक भारत बनाना है तो देश को आर्थिक और सामरिक रूप से बलशाली बनाएं। अपनी संस्कृति, आध्यात्म और भाषा के साथ पूर्ण दृढ़ता से जुड़े रहें और दुनिया के सामने भारतीयता को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें, भारतीयता को आधुनिक समय की आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्परिभाषित करें, ताकि पूर्व की तरह एक बार फिर भारत विश्व गुरु बन सके और हम अंग्रेजों की छद्म बाजारू जीवनशैली को तिलांजलि दे पुन: मौलिक भारत का निर्माण कर सकें।

क्या बदले तो बदले भारत

व्यक्ति, व्यवस्था, पार्टी या लगाम ?

● अरूण तिवारी

लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों की सरकार'- यह लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया - लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं। लोकनियोजन, लोकनीति, लोकस्वामित्व, लोकअभिव्यक्ति और लोक उम्मीदवारी - ये लोकतंत्र के प्रमुख प्रभावी पांच लक्षण है। लोक के साथ तंत्र का सतत् संवाद, सहमति, सहयोग, सहभाग, सहकार और सदाचार लोकतांत्रिक व्यवस्था संचालन के छह सूत्र हैं। यदि लोकतंत्र के उक्त तीन जोड़, चार स्तंभ, पांच लक्ष्ण और छह सूत्र सक्रिय व सुविचारित रूप से मौजूद हों, तो समझना चाहिए कि व्यवस्था सुचारु और लोकतांत्रिक है। यदि ऐसा न हो तो लोक घोषणापत्र, लोक निगरानी और लोक-अंकेक्षण, लोक को नियंत्रित करने के तीन औजार हो सकते हैं और लोकउम्मीदवारी तंत्र में लोक के कब्जे का एक सर्वोदयी विचार। सोचिए!

क्या हमारी पंचायत और ग्रामसभा के बीच, निगम और मोहल्ला समितियों के बीच सतत् और बराबर का संवाद है?

क्या हमारे जनप्रतिनिधियों ने जनता से अलग एक ऐसा रुआब नहीं बना लिया है, मानो वे किसी और लोक के प्राणी हों?

क्या गांव से लेकर राष्ट्र तक किसी भी स्तर तक नीति, विधान, योजना व कार्यक्रम व्यापक सहमति से बनाये व चलाये जाते हैं?

क्या हम और हमारी सरकारें दोनों एक-दूसरे के लिए ढाल बनकर खड़ा रहने को लालायित रहते हैं?

क्या हमारा सरकार के निर्णयों-कार्यक्रमों में बराबर का सहभाग और सहकार रहता है?

क्या प्राकृतिक संसाधनों पर लोक का स्वामित्व है?

क्या लोक सही मायने में योजनाओं के क्रियान्वयन व संसाधनों के प्रबंधन व निगरानी में अपनी भूमिका निभा रहा है?

क्या तंत्र के संचालन के लिए लोक सर्वश्रेष्ठ व लोकहितैषी लोगों को चुनकर भेज रहा है?

हकीकत यह है कि हम भारत को भले ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहकर गौरवान्वित हो लें, लेकिन वस्तुस्थिति गौरवान्वित होने की नहीं है। तंत्र में लोक को आगे लाने के अतुलनीय नेतृत्व के कारण जिस जे पी को हमने कभी लोकनायक की पदवी से नवाजा था, आज उन्हीं के नाम पर रौशन जे पी पार्क (निकट आई टी ओ, दिल्ली) में लगी मूर्तिमान लोकनायक की छड़ी कहीं खो गई है। मंहगाई की मार बताकर गांधी के चरखे के तार तोड़ दिए गये हैं। जो टोपी कभी गांधी ने पहनी ही नहीं, उस गांधी टोपी को पहनकर आज लोग गांधीवादी होने का दावा ठोक रहे हैं। विनोबा के भूदान के भाव को भू-माफिया ने उलट दिया है। लोहिया, अंबेडकर और विवेकानंद का चेहरा पूजने वालों ने उनके विचार को अपनाना बंद कर दिया है। नस्ली घृणा ने राष्ट्रवाद का नारा देने वालों को ही असल राष्ट्रीय भावना से दूर कर दिया है। नेताजी, भगतसिंह, बिस्मिल, आजाद, अजीजन और झांसी ने अपने तो क्या, पड़ोसी के घर में भी पैदा होना बंद कर दिया है।

लोक के पास प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार नहीं है। पैसा कुछ हाथों में सिमटकर रह गया है। एक ओर अमीर बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर गरीब। एक ओर जीडीपी की उड़ान पर हमने अपनी पीठ ठोंकी, दूसरी ओर दुनिया के देशों ने दासता व गरीबी का सूचकांक दिखाकर हमारी हेकड़ी निकाल दी है। एक ओर अंतर्जातीय व अंतर्धर्म विवाह बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर वर्ग और वर्ग के बीच में

तंत्र नियंत्रण के लोक औजार लोक घोषणापत्र-लोकनिगरानी-लोक अंकेक्षण

लोक घोषणापत्र

पार्टियां ही उम्मीदवार तय करती हैं। पांच साल वे क्या करेंगी; इसका घोषणापत्र भी पार्टियां ही तय करती हैं। फिर पांच साल लोकप्रतिनिधि के तौर पर चुने गये उम्मीदवार जो करते हैं, उसमें भी लोक की कोई भूमिका नहीं होती। मतदान न करने वाले मतदाताओं का यह रोना अभी आम है।

याद कीजिए कि इस पर गौर करते हुए इस बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर क्षेत्रवार घोषणापत्र जारी करने की घोषणा की थी। भाजपा भी कह रही थी। कि वह लोगों की राय से अपने घोषणापत्र को अंतिम रूप देगी। उसने कहा कि वह इस प्रक्रिया के तहत अपने प्रतिनिधियों से राय लेगी। जनता-जर्नादन की राय के लिए उसकी वेबसाइट खुली रहेगी। किंतु उसने यह भी कहा था कि राय कुछ भी हो, राममंदिर जैसे अपने एजेंडे से वह पीछे नहीं हटेगी। यह कदम दिखावटी हो, तो भी लोक की सुनने के लिए आगे बढ़ा था, अतः सराहनीय था। इसकी अंतिम परिणति लोक घोषणापत्र ही होती। कई संगठनों ने नागरिक घोषणापत्र, पर्यावरण घोषणापत्र के नाम से यह प्रयास पहले भी किए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनावों में न आम आदमी पार्टी ने पार्टी घोषणापत्र बनाने के लिए रायशुमारी का क्रम जारी रखा और न ही भाजपा ने।

लोक घोषणापत्र का मतलब है- लोगों की नीतिगत तथा कार्य संबंधी जरूरत व सपने की पूर्ति के लिए स्वयं लोगों द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज। प्रत्येक ग्रामसभा/मोहल्ला समितियों को मौजूद संसाधन, सरकारी-गैरसरकारी सहयोग, आवंटित राशि तथा जनजरूरत के मुताबिक अपने इलाके के लिए अगले पांच साल के सपने का नियोजन करना चाहिए। उसे हर साल परिमार्जित करने का विकल्प खोलकर रखना चाहिए। इस लोक एजेंडे या लोक नियोजन दस्तावेज को लोकघोषणापत्र का नाम दिया जा सकता है। इस लोक घोषणापत्र को किसी बैनर या फ्लेक्स पर छपवाकर अथवा सार्वजनिक मीटिंग स्थलों की दीवार पर लिखकर चुनाव प्रचार के लिए आने वाले चुनावी उम्मीदवारों के समक्ष पेश किया जा सकता है। उनसे उसकी पूर्ति के लिए संकल्प लिया जा सकता है। इससे उम्मीदवार के चयन में भी सुविधा होगी और पालन करने के लिए उम्मीदवार के सामने अगले पांच साल एक दिशा-निर्देश होगा।

लोक अंकेक्षण

लोकप्रतिनिधियों के बजट से क्रियान्वित होने वाले कार्यों में भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए फंड का लोक अंकेक्षण यानी 'पब्लिक ऑडिट' अनिवार्य हो। ऑडिट सिर्फ वित्तीय नहीं, कैग के नए विविध सूचकांकों के आधार पर होना चाहिए। इसका तरीका बहुत साधारण है। हमारे पास ग्रामसभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, मोहल्ला समिति, वार्ड समिति, जैसे संगठन पहले से ही मौजूद हैं। भिन्न-भिन्न स्तर पर उनसे नीचे के स्तर की प्रतिनिधि सभाओं द्वारा नामांकित सदस्यों की सदस्यता वाली लोक-अंकेक्षण समितियों का गठन किया जा सकता है। यह समितियां अपने लोकप्रतिनिधि को बाध्य कर सकती हैं कि लोक घोषणापत्र व लोकमांग के अनुरूप बजट का आवंटन करे। वह लोकप्रतिनिधि को कह सकती हैं कि वह प्रति तिमाही अपने खाते के बजट व कार्य का लेखाजोखा लोक-अंकेक्षण समूह के समक्ष प्रस्तुत करे। लोक अंकेक्षण समिति के किसी भी सदस्य द्वारा मांगे जाने पर लोकप्रतिनिधि लेखा व कार्य विवरण की रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को सदैव बाध्य हो।

पांच साल पूरे होने पर लोक अंकेक्षण समूह की रिपोर्ट खुद-ब-खुद इस बात का आइना होगी कि निवर्तमान प्रत्याशी उसमें अपना चेहरा देख सके; जान सके कि वह अगली बार चुनाव लड़ने लायक है या नहीं। पर्टियां भी इस आधार पर अपना उम्मीदवार तय कर सकती हैं और लोग भी कि उस प्रतिनिधि को अगली बार चुना जाये या दरकिनार कर दिया जाये। पंचवर्षीय लेखा जोखा अगले पांच वर्षीय कार्यों का नियोजन व तद्नुसार लोक घोषणापत्र निर्माण में भी बराबर का मददगार सिद्ध होगा। यदि जनता यह जवाबदारी निभा सकी, तो तंत्र पर लोक की हकदारी स्वतः आ जायेगी। कभी यह प्रयोग करके देखना चाहिए।

लोक निगरानी

हालांकि केन्द्र द्वारा भेजे एक सैकड़ा पैसे के नीचे तक पहुंचते-पहुंचते तीन दहाई रह जाने संबंधी राजीव गांधी के बयान की चर्चा आज भी खूब होती है, किंतु योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने की कोई गंभीर कोशिश आज तक नहीं हुई। दिल्ली सरकार की 'जनभागीदारी' भी इस मामले में आंशिक भूमिका ही निभा पा रही है। लोकनिगरानी इस सपने को सच करने का भी एक कारगर औजार हो सकती है और तंत्र पर नकेल कसने का भी।

योजना को ठीक से जानना-पहचाना, उसके हर पहलू पर नजर रखना, लाभार्थियों को पहले से अवगत कराना, योजना में कमी है तो टोकना, उन्हें दूर करने के लिए मजबूर करना, योजना ठीक से लागू हो; इसमें अपनी भूमिका की तलाश कर उसका निर्वाह करना, योजना के दुश्मनों को दूर करना और कर्मनिष्ठ सहायकों को मदद देना व सम्मानित करना, समय-समय पर योजना की हकीकत को उजागर करना। ये काम अत्यंत जिम्मेदारी, सावधानी, कौशल व सातत्य की मांग करते हैं। इसके लिए लोकनिगरानी समूहों के गठन, प्रशिक्षण, कौशल विकास, संवैधानिक मान्यता व हकदारी की निर्णायक पहल समाज को स्वयं करनी चाहिए। निगरानी समूहों की आवाज सरकार में सुनी जायेगी, यह भरोसा सरकार, स्वयंसेवी जगत, पत्रकार, अदालत सभी को मिलकर देना चाहिए।

मैं मानता हूं कि लोक निगरानी तंत्र जैसे-जैसे विकसित होंगे लोकतंत्र भी विकसित होगा। अभी तंत्र आगे है, लोक पीछे। तब लोक आगे होगा व तंत्र सहायक की भूमिका में। शासन-प्रशासन जनता की सुनने को मजबूर होंगे। भ्रष्टाचार पर लगाम स्वतः लग जायेगी। लोकसहभागिता स्वतः सुनिश्चित होने लगेगी। यह आदर्श स्थिति होगी। इसकी अभी हम ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। हां! बीज बो सकते हैं। उसे खाद-पानी, निराई-गुडाई कर सकते हैं। बगैर चिंता किए कि क्या होगा.... शुरूआत तो करें। निश्चित जानिए कि नतीजा तो निकलेगा ही। कभी देखा यह सपना भी एक दिन सच हो ही जायेगा।

विभेद बढ़ता जा रहा है।

एक ओर लोक प्रतिनिधियों को नकारा व स्वार्थी कहने से हम चूक नहीं रहे, दूसरी ओर तंत्र के संचालन के लिए सर्वश्रेष्ठ व लोकहितैषी उम्मीदवार चुनने की बजाय जाति, धर्म, धन, लालच, दबाव व क्षेत्रवाद आदि के अनैतिक आधार पर उम्मीदवार चुन रहे हैं।

उत्तर पूर्व में कभी जातीय अस्मिता, तो कभी परंपरा के नाम पर समाज में फांस डालने और हिंसा को आगे बढ़ाने का काम सुनियोजित तरीके से जारी है। नक्सलवाद की नकेल देश की नाक में है ही। जम्मू और कश्मीर के बीच बढ़ते विभेद को कम करने की बजाय हम बढ़ाते जा रहे हैं। देश ऐसे कई विरोधाभासी विभेदों में फंस गया है। पार्टियों व सरकारों की नीतियां भी ऐसे ही विरोधाभासी व अनैतिक आधारों पर गुनी व बुनी जा रही हैं।

सही मायने में देश में दो राष्ट्रीय दल हैं। कायदे से दोनों को पूरी तरह सशक्त व लोकतांत्रिक होना चाहिए। दुर्भाग्य से दोनों ही राष्ट्र के न होकर संप्रदाय के हो जाने को बेताब दिखाई दे रहे हैं। लोकप्रतिनिधि पेश करने वाली पार्टियां ही नहीं, शासन भी अनैतिक आड़ में वोट व लोकसमुदाय दोनों के शिकार का माध्यम बन रहे हैं।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितना हम आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, विविधता में एकता का गौरवगान गाने वाले भारत राष्ट्र का यह विरोधाभासी हश्र उतना ही अधिक गहराता रहा है। 21वीं सदी में महाशक्ति बनने के सपने, सूचना तंत्र के क्षेत्र में अधिकतम तीव्र प्रसार वाला देश होने के तमगे और पश्चिमीकरण की खुली सोच के पूरब में प्रवेश का आरोप लगने के बावजूद यह सब कैसे और क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर तलाशना जरूरी है।

जवाब कुछ भी हो, लेकिन यह सब इसलिए तो कतई नहीं है कि लोकनीति की जगह राजनीति ने ले ली है। क्योंकि यह बदलाव कारण नहीं, परिणाम है। फिर भी सत्य यही है कि लोकप्रतिनिधि स्वयं को राजा समझने लगे हैं। लोकप्रतिनिधि सभायें सत्तासीनों की सभा में तब्दील हो गई हैं। लोक की आवाज लोकसभा तक पहुंचने से पहले ही कहीं खो गई है। लोक तंत्र को नहीं, तंत्र लोक को संचालित कर रहा है। लोक भी लोकतंत्र निर्माण में व्यापक सहभागिता के दायित्व निर्वाह की पूर्ति के लिए अभी तक पूरी तरह तैयार दिखाई नहीं देता। आधे लोग वोट नहीं देते, शेष आधे पांच साल के लिए सो जाते हैं। ये भारतीय लोकतंत्र के अपरिपक्व होने के लक्षण हैं।

लोकतांत्रिक पिरामिड को इसके आधार पर वापस लाने को बेताब ताकतें चार मार्ग सुझा रही हैं। एक वर्ग जोर-शोर से प्रचारित कर रहा है कि पार्टी बदलने से सब कुछ बदल जायेगा। दूसरा मानता है कि पार्टी बदलने से कुछ नहीं होगा। राजनीति में अच्छे लोगों को आगे आने व लाने की जरूरत है। अच्छे लोगों के आने से व्यवस्था

स्वानुशासन, तभी सुशासन

व्यवस्था अपने आप में कोई संज्ञा या सर्वनाम नहीं होती। वह जो कुछ भी होती है, उसे बनाने व संचालित करने वालों की नीति, नीयत और क्षमता होती है या यूं कहें कि व्यवस्था शासित या शासक के बीच का अंतर्संबंध और चालक होती है। अतः सुव्यवस्था के लिए जरूरत व्यवस्था में बदलाव की नहीं, शासित व शासक के अंतर्संबंधों में अनुशासन व एक-दूसरे के सम्मान, पोषण व रक्षण-संरक्षण की है। इस तैयारी के साथ चलने वाली कोई भी व्यवस्था सुव्यवस्था हो सकती है; फिर वह भले ही राजतांत्रिक व्यवस्था ही क्यों न हो। लोकतंत्र भी एक व्यवस्था का ही नाम है। यदि लोक की नीति, नीयत और क्षमता में दोष होगा, तो तंत्र स्वतः दोषपूर्ण हो जायेगा। यह निर्विवाद सत्य है। भारतीय लोकतंत्र में भी अब यह सत्य स्वीकारने का वक्त आ गया है। जाहिर है कि जरूरत व्यवस्था को गाली देने की नहीं, स्वयं के सामने आइना रखकर अपने गुण-दोष निहारने की है।

लोक समुदाय की मूल भारतीय संकल्पना पर निगाह डालें, तो हम पायेंगे कि यह संकल्पना भारतीय संस्कृति के दो महत्पवूर्ण पहलुओं की बुनियाद पर बुनी गई थी- 'सहजीवन' और 'सहअस्तित्व'। ये सांस्कृतिक पहलू जीवन विकास संबंधी डार्विन के उस वैज्ञानिक सिद्धांत को भी पुष्ट करते हैं, जो परिस्थिति के प्रतिकूल रहने पर मिट जाने और अनुकूल तथा सक्रिय रहने पर विकसित होने की बात कहता है। लॉर्ड मेटकाफ की नजरों में समुदाय होकर ही भारत का गांव समाज सदियों तक ऐसी परिस्थितियों में भी टिका रहा, जिन परिस्थितियों में दूसरी हर वस्तु। व्यवस्था का अस्तित्व मिट जाता है। स्पष्ट है कि यदि तंत्र व लोक को भी एक-दूसरे का अस्तित्व मिटाये बगैर एक साथ बने रहना है तो एक-दूसरे को चुनौती देने की बजाय एक दूसरे के साथ सहजीवन व सहअस्तित्व का भाव बनाना होगा। ऐसा तभी संभव है, जबकि तंत्र व उसे सर्जित व संचालित करने वाला लोकसमुदाय दोनों स्वानुशासित हों। भारत का इतिहास इस बात को और पुख्ता तरीके से प्रमाणित करता है।

वैदिक काल में विशः ऐसी समिति थी, जो राजा तक का चुनाव करती थी। इसी समिति के माध्यम से प्रत्येक गांव में एक नेता चुना जाता था। उसे 'ग्रामणी' कहा जाता था। प्रत्येक गांव एक छोटा सा स्वायत्त राज्य था। स्वायत्त होने के बावजूद यह व्यवस्था अराजक नहीं थी। क्यों? क्योंकि राजा व गांव एक-दूसरे की सत्ता को चुनौती देने की बजाय एक-दूसरे के पोषक और रक्षक की भूमिका में थे। एक मां तो दूसरा संतान। जहां राजा का पद वंशानुगत होता था; वहां भी राजा को आर्य नियमों के विरुद्ध जाने नहीं दिया जाता था। वाल्मीकि रामायण में गणराज्यों और उनके मेल से बने संघों का वर्णन है। रामायण कालीन राज्य सभा में सर्वाधिक शक्तिशाली अंग 'पौर जनपद' था। पौर जनपद में राजधानी के नैगम और गण्वल्लभ तथा ग्रामप्रांत के ग्रामघोष, महत्तर और समविष्ट होते थे। जनाक्षेप के आधार पर राजा राम द्वारा सीता के परित्याग का कथानक प्रमाण हैं कि गांव समितियों का हस्तक्षेप तब राज्यसभा तक था। किंतु इसके उलट राजा ने कभी ग्रामीण संस्थाओं के कार्य में अपनी ओर से हस्तक्षेप नहीं किया। बावजूद इसके लोग स्वेच्छा से नियमों का पालन करते थे। मौर्यकालीन व्यवस्था इसका अनुपम उदाहरण है।

कालांतर में जब कभी संतान अपने कर्तव्य से च्युत हुई तो उन्हें अनुशासित करने के लिए मां ने डांट भी पिलाई। लेकिन यह तंत्र व लोक के बीच का असल व आदर्श रिश्ता मां और संतान का है; यह तथ्य निर्विवाद रहा। आज भी है।

व्यवस्था परिवर्तन का लोकमार्ग लोक उम्मीदवार

लोकप्रतिनिधि सभाओं को दलों की दलदल से उबारने के लोकमार्ग के रूप में लोकउम्मीदवारी को काफी अरसे से एक विकल्प के रूप में पेश किया जाता रहा है। जो तंत्र पर लोक के काबिज होने को ही बेहतरी व बदलाव का एकमेव मार्ग मानते हैं, वे भी लोकउम्मीदवारी के विचार को उभारने के पक्षधर हैं। पार्टी उम्मीदवार, निर्दलीय व लोक उम्मीदवार में बुनियादी फर्क कई हैं। पार्टी उम्मीदवार पार्टी द्वारा तय किया जाता है। निर्दलीय उम्मीदवारी स्वेच्छा से अपनी उम्मीदवारी पेश करता है। लोक उम्मीदवार की उम्मीदवारी उस जनता के बहुमत द्वारा तय की जाती है, जिनका उसे प्रतिनिधित्व करना है। ऐसी उम्मीदवारी के मामले में पहले से अनुबंध होता है कि लोक व उम्मीदवार दोनों एक-दूसरे के प्रति जवाबदेह होंगे। लोक उम्मीदवार लोकप्रतिनिधि के रूप में लोक के एजेंडे को अपना एजेंडा बनायेगा। लोक के लिए किए गये कार्य की योजना, क्रियान्वयन व मूल्यांकन में लोक को शामिल करेगा। लोक की उम्मीदों पर खरा न उतरने की स्थिति में लोक को हक होगा कि वह अपने द्वारा ही नामांकित-चयनित लोकप्रतिनिधि को वापस बुला सकें। दलगत व निर्दलीय उम्मीदवार उक्त चार में से एक भी शर्त को मानने को अभी बाध्य नहीं हैं। निःसंदेह लोक उम्मीदवार एक सपना है। ग्राम से लोकसभा तक इसे सच करने के रास्ते विनोबा ने भी सुझाये थे। अमेरिका की तर्ज पर राष्ट्रपति चुनने के तौर-तरीके को भी कोई-कोई लोक उम्मीदवार का दर्जा दे देते हैं।

आज दलों के दलदल और निर्दलीय की भी लोक के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित न होने से आजिज आ चुके मतदाताओं के एक बड़े वर्ग द्वारा मतदान न किए जाने की स्थिति में लोकउम्मीदवार का महत्व और बढ़ जाता है।

खुद-ब-खुद सुधर जायेगी। तीसरा वर्ग अंकुश लगाकर तंत्र को नियंत्रित करने से सुधार की संभावना का भरोसा जताता है। चौथा वर्ग मानता है कि व्यवस्था में बदलाव अवश्यसंभावी है। व्यवस्थामूलक खामियों को सुधारकर ही बीमारी का इलाज किया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं।

इतिहास गवाह है कि पार्टी बदलने से बेहतरी के परिणाम तात्कालिक होते हैं। इससे दूरगामी व स्थाई निदान की अपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। इस बीच लोकतंत्र के चारों खंभों को अनुशासित करने की उठी आवाजों के कारण 'पेड न्यूज' पर संसदीय समिति की रिपोर्ट, सूचना का अधिकार, सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान, दागियों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जजों की नियुक्ति संबंधी जैसे संसदीय कदम उठे ही हैं। किंतु क्या यह सच नहीं है कि सूचना के अधिकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर खुद दलों ने मिलकर अंकुश नहीं लगा दिया है? क्या दागियों के मामले में 'स्पष्ट निर्देश नहीं' का आड़ लेकर वे फिर से निरंकुश होने की फिराक में नहीं है?

याद करने की बात है कि 'सम्पूर्ण क्रांति' के मूल में व्यवस्था परिवर्तन से ज्यादा व्यवस्था को नियंत्रित करने का नारा था। किंतु दुर्भाग्य से वह अभियान भी सत्ता में पार्टी परिवर्तन का सबब बनकर रह गया। सम्पूर्ण क्रांति का नेतृत्व व अनुयायी दोनों ही सत्ता परिवर्तन से संतुष्ट होकर रह गये। वे यह गारंटी देने में भी असफल

'सम्पूर्ण क्रांति' के मूल में व्यवस्था परिवर्तन से ज्यादा व्यवस्था को नियंत्रित करने का नारा था।

रहे कि परिवर्तित सत्ता लोक द्वारा नियंत्रित होती रहेगी। यही वजह है कि संपूर्ण क्रांति अभियान ने जहां अच्छे समाजसेवी, राजनीतिज्ञ व प्रोफेसर, लेखक व पत्रकारों की एक भरी-पूरी जमात को जन्म दिया, वहीं चारा खाने वाले की एक भरी-पूरी जमात भी उसी अभियान से जन्मी।

यह बात यह सिद्ध करती है कि व्यवस्था में बदलाव या व्यवस्था को जबरन नियंत्रित करने की लड़ाई कुछ समय के लिए चल चाहे जो जाये, हो सकता है कि इसकी बदौलत कभी हमें बेहतर शासन भी देखने को मिल जाये, लेकिन जैसे ही लगाम लगाने वाला लगाम ढीली छोड़ देगा, व्यवस्था पुनः बेलगाम हो जायेगी। किंतु इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम व्यवस्था को अनुशासित करने का काम करना बंद कर दें।

इतिहास में सत्ता को अनुशासित करने के भारतीय उद्धरण कई हैं। धर्मपथ से च्युत होने पर इन्द्र जैसे देवप्रमुखों को भी अपने पद से अलग होना पड़ा। लोकलज्जा के कारण सीता ने अग्नि परीक्षा दी। राम ने सीता का परित्याग किया। लंबे समय तक धर्मगुरुओं ने राजसत्ता को अनुशासित करने का काम किया। अलग-अलग काल में महात्मा विदुर-चाणक्य जैसे बुद्धिजीवियों ने भी। हां! इसका मतलब यह जरूर है कि यदि इस तंत्र में लोक ही सब कुछ है, तो दोषी सिर्फ तंत्र को कैसे ठहराया जा सकता है?

यहां विवेकानंद और तिलक के बीच घटित उस प्रसंग को भी याद करना जरूरी है, जिसमें तिलक ने गुलामी को राजनैतिक समस्या माना था और विवेकानंद ने चारित्रिक। गांधी जी ने भी आजादी के बाद यही माना था कि अब कांग्रेस को भंग कर लोक सेवक संघ का गठन हो, जो लोकसेवा, बुनियादी शिक्षा, स्वावलंबन व चरित्र निर्माण का काम करे। हालांकि इस पर यह प्रश्न करना भी जायज है कि चरित्र निर्माण के काम में तो कई दशक लग जायेंगे, तब तक तो भ्रष्टाचार व अनाचार की इंतेहां हो जायेगी, लुटेरे देश लूटकर चले जायेंगे, क्या इसका इंतजार करें? सवाल का जवाब एक ही है, संकट चौतरफा है, तो प्रयास भी चौतरफा ही होने चाहिए। किंतु प्रयास करने वाले तो हम ही हैं। अतः पहले हम बेहतर हों।

भारत का अतीत भय के प्रतीक यमराज से प्रश्न करने वाले नन्हे नचिकेता का है, सवाल का जवाब न देने पर धर्म के प्रतीक धर्मराज युधिष्ठिर के बलिष्ठ भाइयों को दण्डित करने वाले यक्ष का है। अतः पहले समाज के अगुवा अपने भीतर नचिकेता सी निडरता व यक्ष सी दृढ़ता व नैतिकता तो लायें, एक दिन तंत्र भी अनुशासित हो जायेगा और शेष लोक भी। ■

देश के लिए मतदान। मेरा देश मैं ही संवारू।

किसे दूं वोट? नोटा ही बेहतर मेरे लिए

जून तक भाजपा की पूरी फंडिंग कैशलेस हो जाएगी

- अमित शाह

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने टाइम्स नाउ से बात करते हुए कहा कि जून महीने तक भाजपा की पूरी फंडिंग प्रक्रिया कैशलेस हो जाएगी। मोदी सरकार ने राजनीतिक पार्टियों द्वारा अधिकतम 2000 रूपये कैश चंदा लेने का नियम लागू किया है, जो पहले अधिकतम 20,000 रूपये था। भाजपा यह 2000 रूपये भी कैशलेस चंदा लेगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के अधीन आने के लिए तैयार रहना चाहिए।

भाजपा के इस कदम से अन्य राजनीतिक पार्टियों पर भी साफ सुथरा चंदा लेने का दबाव पड़ेगा। मोदी विरोधी पत्रकारों का पेट दर्द तो 2000 रूपये कैश चंदा करने पर भी कम नहीं हुआ था और ये इसमें भी नुस्ख निकालने में जुटे थे। अब जब भाजपा पूरी तरह से कैशलेस हो जाएगी तो भी ये अपना मानसिक दिवालियापन छोड़ देंगे, ऐसी उम्मीद कम ही है!

एक बात और! राजनीति को साफ सुथरा करने का नारा पीटते हुए अरविंद केजरीवाल आए थे, लेकिन सबसे अपारदर्शी उनकी पार्टी की ही चंदा प्रक्रिया है। चंदा देने वालों का नाम वेबसाइट से हटाना, शेल कंपनियों से चंदा लेना, नोटबंदी का विरोध करना, सबसे बड़े नकली नोट के हब मालदा के नष्ट होने से बौखलाई ममता बनर्जी के पक्ष में उतरना आदि ने उनकी पूरी विश्वसनीयता को चौपट कर दिया है। देखना है भाजपा के कैशलेस चंदा अभियान के बाद केजरीवाल, मायावती, ममता बनर्जी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां कैसे रियेक्ट करती हैं?

- संदीप देव

वोट किसे दें यह समस्या है। हाल ही में मैंने अपनी कामवाली बाई से पूछा कि किसे वोट दिया तो वह बोली भइया समझ नहीं आता किसे दें। सब पैसे का खेल बन गया है। सारे नेता एक से ही हैं। मैंने कहा क्यों। तो बोली सारी बस्तियों में हाथी, साईकिल, फूल और और भी कई पार्टी वाले पैसे और दारु बांटते हैं। हमारी बस्ती में भी अलग अलग इन सबके लोग आए। मगर मैंने तो पैसे नहीं लिए। मगर बहुत से लोगों ने ले लिए। मैं चौकन्ना हो गया। पूछा कितने पैसे दे रहे थे। वो बोली भइया 1000-1000 रूपये प्रति वोट फिक्स रेट चल रहा है, इस बार और दारू की बोतल ऊपर से। कई लोगों ने सबसे पैसे ले लिए पर वोट तो एक ही को दे पाएंगे। बाद में नेता का दलाल आकर लड़ता है और गाली गलोच भी। कहता है पैसे हमसे लिए और वोट दूसरे को क्यों दी। हम तो भैया मेहनत से कमाते हैं, हराम की क्यों कमाई करें, इसलिए किसी से पैसे नहीं लिए। मैंने टटोला तो किसे वोट दोगी? बोली मोदी ने नोटबंदी से सबको परेशान कर दिया, सारे पैसे वाले उसे गाली दे रहे हैं, कोई गरीब उससे खुश है और कोई दु:खी। बताओ नोटबंदी के बाद भी पैसा बंट रहा है तो नोटबंदी का क्या फायदा। सब पार्टियों में कुनबा परस्ती है। अपने हिसाब से ही वोट दूंगी। या तो साईकिल को दूंगी या फिर नल को। नल वाला हमारी बिरादरी का भी है।

मेरे दिमाग में अब चुनावों का अर्थशास्त्र घूमने लगा। कई जानकारों को टटोला तो बहुत सी परतें खुलने लगीं। देश में प्रति विधानसभा औसतन चार प्रत्याशी मतदान से पूर्व की रात में लगभग एक लाख वोटरों को 1000 -1000 रूपये और शराब की बोतल देते हैं। यानि 50 करोड़ रूपये प्रति विधानसभा का औसत। प्रति विधानसभा प्रति पार्टी लगभग 5000 पेड कार्यकर्ता और सैंकड़ों गाड़ियां भी 15 से 20 दिनों के लिए लगती हैं। कार्यालय, प्रचार सामग्री, रेडियो, टीवी, अखबारों, सोशल मीडिया पर प्रचार और पेड न्यूज़, पार्टी को चंदा, रैलियां आदि आदि। औसत लगाया जाए तो इन विधानसभा चुनावों में 2000 करोड़ रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 50 दिनों में खर्च हो रहा है। यानि एक लाख करोड़ रूपए। यह खर्च बाद में सरकारी खजाने में घोटाले कर यानि जनता के हक़ पर डाका डालकर वसूल लेंगे ये प्रत्याशी और दल।

मुझे दु:ख है कि देश का चुनाव आयोग निकम्मा है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में अक्षम। न तो वो पैसों के खेल से चुनावो को निकाल पा रहा है और न ही उम्मीदवारों के शपथ पत्रों की जांच की उसके पास कोई व्यवस्था है, ऐसे में मैं किस उम्मीदवार को वोट दूं? मेरा लोकतंत्र में पूरा भरोसा है किंतु इसकी कमजोरियों को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर चुनाव सुधारों की आवश्यकता है। आज मैंने और मौलिक भारत के साथियों नीरज सक्सेना, संजीव गुप्ता और घनश्याम जी ने नोटा का बटन दबाकर वर्तमान चुनावी तंत्र की खामियों के प्रति अपना विरोध दर्ज किया है। हम चुनाव आयोग को अपने वोटर पहचान पत्र सहित एक प्रतिवेदन भेज रहे हैं। हम मौलिक भारत के माध्यम से चुनाव आयोग और चुनाव प्रणाली में सुधार और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। आप सभी का सहयोग अपेक्षित है।

सेवा में,
मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
अशोका रोड, निर्वाचन सदन,
नई दिल्ली-110001.

विषय : गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनावों में प्रत्याशियों के शपथपत्र को सत्यापित करने में भारतीय निर्वाचन आयोग के पास कोई पद्धति उपलब्ध न होने के कारण दिनांक 11 फरवरी 2017 को हुए मतदान में नोटा पर मुहर लगाने की बाध्यता के संबंध में शिकायत

कल अर्थात दिनांक 11/02/2017 को, हम अपने अपने मतदान केन्द्रों में गए, हमने मतदाताओं के रजिस्टर (फॉर्म 17ए) में अपने हस्ताक्षर किए, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्रम संख्या 12 (अंतिम बटन) पर नोटा बटन दबाया। इसके पीछे कारण यह था कि भारतीय निर्वाचन आयोग को धारा 324 के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों, दायित्वों एवं कार्यों के अनुसार ही गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में नई विधान सभा के गठन के लिए चुनाव की व्यवस्था करनी थी, जैसा कि दिनांक 4 जनवरी 2017 को उनके प्रेस नोट संख्या ECI/PN/1/2017 में भी उल्लेख किया गया था। मगर भारतीय निर्वाचन आयोग ने न तो प्रत्याशियों द्वारा जमा किए गए शपथपत्रों की जांच ही चुनाव से पूर्व की और न ही उनकी असली जानकारी के विषय में उनके क्षेत्र के मतदाताओं को सूचित किया, जिससे मतदाता अपने मत का प्रयोग करने से पहले अपना निर्णय ले सकते, और झूठा शपथपत्र दायर करने वाले प्रत्याशी पर आरपी अधिनियम 1951 की धारा 125ए और 177 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकते। यदि निर्वाचन आयोग के लिए चुनाव से पूर्व सभी प्रत्याशियों के शपथपत्र का सत्यापन कराना संभव नहीं था तो उसके पास कम से कम जीते हुए प्रत्याशियों और चुनाव में भाग लेने वाले सभी प्रत्याशियों के दस्तावेजों का सत्यापन कराने की पद्धति होनी चाहिए थी, और चुनाव में गलत दस्तावेज जमा करने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 125ए और 177 के अंतर्गत कार्यवाही करने का अधिकार होना चाहिए था। इस सम्बन्ध में एक याचिका (PIL) W.P.(C) 443/2014 शीर्षक (मौलिक भारत ट्रस्ट के न्यासी अनुज अग्रवाल एवं नीरज सक्सेना बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग बनाम अन्य) दिल्ली उच्च न्यायालय के सम्मुख दायर की गयी थी। याचियों ने माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली से (देखें दिनांक 22/01/14 के आदेश का अनुच्छेद 3) भारत में किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में चुनाव में प्रतिभागिता करने वाले सभी प्रत्याशियों के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कड़े नियम/पद्धतियों के गठन का अनुरोध किया था। कि (देखें दिनांक 22/01/14 के आदेश का अनुच्छेद 4) 'अग्रिम नोटिस पर उपस्थित होते हुए प्रतिवादी संख्या 1 भारतीय निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने नामांकन पत्रों की जांच प्रदान करने के लिए जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 36 एवं झूठे शपथपत्र फाइल करने पर दंड प्रदान करने के लिए धारा 125ए की तरफ ध्यान आकर्षित किया था एवं कहा था कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत उन स्थितियों के लिए समाधान प्रदान किए गए हैं, जिनके लिए दिशानिर्देश नियत किए जाने हैं। यह भी आगे कहा गया कि निर्वाचन आयोग के लिए इतनी लघु अवधि में नामांकन प्रपत्रों एवं शपथपत्रों की विषयवस्तु का सत्यापन करना संभव नहीं है।'

निर्वाचन सुधार सुझाव देता है -

1. भारतीय निर्वाचन आयोग के पास ऐसी कोई पद्धति होनी चाहिए जिसके अनुसार सभी राजनीतिक दल एवं निर्दलीय प्रत्याशी संसद एवं राज्यों की विधान सभा चुनावों की अधिसूचना से कम से कम छह माह पूर्व अपने शपथपत्र जमा कर सकें जिससे भारतीय निर्वाचय आयोग या कोई अन्य संस्थान जैसे सीबीडीटी के पास सभी शपथपत्रों का सत्यापन करने के लिए पर्याप्त समय हो और निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के पास अपने प्रत्याशियों के बारे हर प्रकार की जानकारी और क्षमताओं को जानने का समय हो जिससे वे सही प्रत्याशी का चुनाव कर सकें।
2. मतदाता सूची को आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाए और मतदाता पहचान पत्र के प्रयोग को बंद किया जाए किन्तु चूंकि मतदाता का नाम मतदाता सूची में प्रदर्शित होना अनिवार्य है तो केवल मतदाता पहचानपत्र ही किसी मतदाता को उसके मत की कोई गारंटी नहीं देता है।
3. सुनिश्चित करें कि हर प्रत्याशी अपना आधार कार्ड का नंबर अपने शपथपत्र में बताए जिससे उसके 'ऑर्डिनरी रेजिडेंस' को सुनिश्चित किया जा सके और कोई भी जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 5 (सी) का उल्लंघन न कर सकें।
4. हर प्रत्याशी से इस विषय में एक अतिरिक्त शपथपत्र भरवाया जाए या फिर उसी शपथपत्र में यह स्पष्ट किया जाए कि जल स्तर में वृद्धि करने के लिए वह क्या कदम उठाने जा रहे हैं और वे वर्षा जल संचयन एवं खेती के लिए कौन से कदम उठाएंगे।
5. सीवेज और सीवेज ठोस अपशिष्ट एवं बेकार जल के निष्पादन के लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे।

सदस्य, मौलिक भारत

डी एन डी टोल ब्रिज कम्पनी ने किया मौलिक भारत पर 80 करोड़ रूपये की मानहानि का दावा

मौलिक भारत ने डी एन डी टोल ब्रिज कम्पनी द्वारा 80 करोड़ रूपये की मानहानि की वसूली के लिए भेजे गए नोटिस की भर्त्सना की है। उल्लेखनीय है कि पिछले दो वर्षों से मौलिक भारत ने अपने ट्रस्टी के. विकास गुप्ता के नेतृत्व में नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाले डी एन डी टोल ब्रिज में चल रहे घोटाले को सबूतों सहित उजागर कर व्यापक जन आंदोलन चला रखा था। संस्था ने अनेकों बार अपने सभी आरोप सबूतों सहित प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार और जनता के सामने रखे हैं और केंद्र, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली सरकार और विभिन्न जांच संस्थाओं को भी बार बार भेजे हैं। संस्था ने जो खुलासे किए और जन जागरूकता अभियान चलाया था उसी के परिणाम स्वरूप उच्चतम न्यायलय के आदेश पर इलाहबाद उच्च न्यायलय ने फोनरवा द्वारा दायर याचिका की शीघ्र सुनवाई कर इस मामले में निर्णय दिया, जिसके अनुरूप कंपनी को टोल वसूली पर उच्च न्यायलय द्वारा रोक लगा दी गयी थी। कम्पनी द्वारा अन्ततः मामला उच्चतम न्यायलय में ले जाया गया। उच्चतम न्यायलय ने भी टोल वसूली पर रोक जारी रखते हुए कम्पनी के खातों के सी ए जी ऑडिट के आदेश दे दिए थे। मौलिक भारत संस्था ने पिछले महीने ही अपना प्रतिवेदन और आरोप सबूतों सहित सी ए जी को भेजे थे साथ ही उच्चतम न्यायलय में विशेष अनुमति याचिका दायर की हुई है। संस्था ने सी ए जी को भेजे गए पत्र की प्रति एक प्रेस वार्ता कर मीडिया को भी जारी की थी जिसमें संस्था की ओर से के. विकास गुप्ता, अनुज अग्रवाल, डॉ अमरनाथ ओझा एवं पंकज गोयल ने भाग लिया था। टोल कम्पनी ने इन्हीं चार लोगों के खिलाफ नोटिस भेजा है।

मौलिक भारत का आरोप है कि चूंकि संस्था द्वारा लगाए गए आरोपों में सच्चाई है और टोल कंपनी के खिलाफ कड़ी क़ानूनी कार्यवाही हो सकती है, इस कारण टोल कम्पनी मौलिक भारत के सदस्यों को डराने, धमकाने और दबाव में लेने के लिए इस तरह के हथकंडों का प्रयोग कर रही है। संस्था को डर है कि निकट भविष्य में टोल कंपनी ऐसे ही और कई हथकंडे इस्तेमाल कर सकती है ताकि संस्था दबाव और घबराहट में अपने प्रतिवेदन और केस वापस ले ले। उल्लेखनीय है कि मौलिक भारत की ओर से के. विकास गुप्ता द्वारा दायर वाद की सुनवाई 23 जनवरी 2017 को (कोर्ट संख्या 1, आइटम संख्या 7) होने जा रही है। संस्था स्पष्ट कर रही है कि वह टोल कंपनी के किसी भी दबाव और धमकी में आने वाली नहीं है और जन हित में देश के संसाधनों के लुटेरे पूर्व नौकरशाह सिंडिकेट के खिलाफ अपना संघर्ष न्याय मिलने तक हर कीमत पर जारी रखेगी।

डी एन डी टोल ब्रिज कम्पनी को मौलिक भारत का जवाब

9, फरवरी 2017
सेवा में
श्री पियूष जोशी,
पार्टनर/भागीदार, क्लारस लॉ एसोसिएट्स
तृतीय तल, विजया बिल्डिंग
17, बाराखम्भा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली –1

महोदय,

विषय : डीएनडी फ्लाईओवर की अनियमितताओं के संबंध में दिनांक 5 जनवरी 2017 के आपके कानूनी नोटिस का प्रत्युत्तर

हमें दिनांक 05.01.2017 को कैप्टन (सेवानिवृत्त) विकास गुप्ता, श्री अनुज अग्रवाल, डॉ. अमरनाथ ओझा, श्री पंकज गोयल जो मौलिक भारत में न्यासी हैं, के नाम पर एक कानूनी नोटिस प्राप्त हुआ। आपके कानूनी नोटिस के प्रत्युत्तर में, मैं मौलिक भारत ट्रस्ट/न्यास का महासचिव अनुज अग्रवाल, उक्त वर्णित सभी व्यक्तियों की तरफ से, उत्तर देता हूं, जिसके मुख्य बिन्दुओं को निम्नानुसार पढ़ा जाए –

1. यह कि, उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों में से किसी ने भी आपके क्लाइंट/मुवक्किल को किसी भी तरह से मानहानि नहीं पहुंचाई है और इस प्रकार वे किसी भी तरह से आपराधिक या सिविल मानहानि के लिए बाध्य नहीं हैं। जबकि आपके द्वारा प्रेषित कानूनी नोटिस स्वयं प्रवृत्ति में एनटीबीसीएल के दमनात्मक व्यवहार को परिलक्षित करता है क्योंकि इसने एक लोकतांत्रिक देश में नागरिकों की अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूलभूत अधिकार को दबाने का प्रयास किया है।
2. यह कि डीएनडी फ्लाईवे में भ्रष्टाचार का मुद्दा जनता के बीच बहुत ही लम्बे समय से था और मीडिया में हमारे एवं कई अन्य संस्थानों के द्वारा उठाए गए मुद्दों के आधार पर इसे रिपोर्ट किया जा रहा था। मौलिक भारत ट्रस्ट और इसके कार्यकर्ता डीएनडी में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं और जिसके लिए सरकार को न केवल कई पत्र भेजे गए बल्कि कई बार प्रतिनिधिमंडल द्वारा भी अवगत कराया गया। यह केवल उनकी निष्क्रियता ही थी जिसके कारण जनता भ्रष्टाचार रोधी आन्दोलन का हिस्सा बनी और उसने डीएनडी फ्लाईवे के प्रबंधन एवं परिचालन में चल रहे भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा होने का निर्णय लेना पड़ा।
3. यह कि एनटीबीसीएल में तथ्यात्मक रूप से गलतियां इलाहबाद में पीआईएल सं. 60214/2012 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से ही स्पष्ट हैं। और यहां तक कि आपके मुवक्किल द्वारा दायर एसएलपी (सिविल) 33403/2016 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 11.11.2016 में आपके मुवक्किल के खिलाफ एक कैग ऑडिट का आदेश दिया था, जबकि डीएनडी फ्लाईवे पर टोल की उगाही पर रोक बरकरार रखी थी।
4. यह कि, कैप्टन (विकास गुप्ता) ने माननीय उच्चतम न्यायालय से डीएनडी फ्लाईवे में भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए माननीय न्यायालय की सहायता करने के लिए एक उत्तरवादी के रूप में अपनी पक्षधरता चाहते हुए 2016 के अंतरवर्ती आवेदन 1 के साथ संपर्क किया था। इसके साथ ही कैप्टन (विकास गुप्ता) ने डीएनडी फ्लाईवे में विज्ञापन लाभ एवं भूमि आवंटन में वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में कैग एवं सीवीसी के सम्मुख दिनांक 12.12.16 को इस पूरे घोटाले में कई सरकारी अधिकारियों की संलग्नता का प्रमाण भी प्रस्तुत किया था।
5. यह कि उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों के द्वारा किए गए सभी पत्राचार एवं वक्तव्य केवल सच हैं और सच के बिना कुछ भी नहीं हैं। मानहानि का विवरण देने वाली भारतीय दंड विधान की धारा 499 स्त्री को अपवाद के रूप में पृथक करती है। परिणामस्वरुप उपरोक्त वर्णित किसी भी व्यक्ति ने आपके मुवक्किल को किसी भी तरह से मानहानि नहीं पहुंचाई है, और इस विषय में किसी भी तरह के आरोप पूरी तरह से आधारहीन है।
6. यह कि आपके मुवक्किल ने हमें एक निस्सार/व्यर्थ कानूनी नोटिस भेजा है क्योंकि सीवीसी एवं कैग दोनों में ही कई प्रस्तुतिकरण विस्तार से किए गए हैं। जैसा कि ऊपर वर्णित है, आपके कानूनी नोटिस एवं उसमें किए गए लम्बे चौड़े दावों को अस्वीकृत किया जाता है और उसमें दिए गए सभी कारण आधारहीन एवं व्यर्थ हैं। आपका मुवक्किल एक सूचीबद्ध कंपनी है और अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने के लिए, इसे अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देनी चाहिए और लोगों को एनटीबीसीएल एवं आईएलएफएंडएस की अन्य समूह कम्पनियों की सत्य वित्तीय स्थिति के विषय में आम जनता को सूचित करना चाहिए जिससे उच्च स्तर पर किए जा रहे भ्रष्टाचार को जनता की जानकारी में लाया जा सके।

भवदीय,

अनुज अग्रवाल	**कैप्टन (सेवानिवृत्त) विकास गुप्ता**	**अमरनाथ ओझा**	**पंकज गोयल**
महासचिव	न्यासी	न्यासी	न्यासी
मौलिक भारत ट्रस्ट/न्यास	मौलिक भारत ट्रस्ट/न्यास	मौलिक भारत ट्रस्ट/न्यास	मौलिक भारत ट्रस्ट/न्यास

आगामी वर्ष की कार्ययोजना पर मंथन कर मना मौलिक भारत का पांचवा स्थापना वर्ष

छाया मंत्रिमण्डल का गठन, विचारधारा में पूर्ण स्पष्टता और विकेन्द्रित, रोजगारपरक विकास पर होगा काम

मौलिक भारत के पांचवें स्थापना दिवस कार्यक्रम पर अगले वर्ष की कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा हुई और संरक्षक पवन सिन्हा जी के सुझाव को स्वीकार करते हुए यह तय किया गया कि धीरे धीरे एक छाया मंत्रिमण्डल का निर्माण कर केंद्र सरकार के कामकाज पर पूरी नज़र रखते हुए उन्हें सुझाव दिए जाएंगे। संस्था ने राकेश अग्रवाल जी के इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि मोदी सरकार के 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' की नीति को कार्यरूप में लाने के लिए लगातार सरकारीकरण को कम कर निजी और स्थानीय क्षेत्र को सशक्त करने के सुझाव एवं कार्ययोजना भी सरकार को दी जायेगी। पवन जी और डॉ. कमल टावरी के सुझावों के अनुसार देश की दो तिहाई विपन्न जनता के उत्थान के लिए इनका रोजगारपरक विकास जो ग्राम और कृषि आधारित हो और पर्यावरणपूरक हो, के विकास के लिए कार्य किया जायेगा। इसके लिए ग्राम स्वराज्य यानि स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण, कृषि आधारित उद्योग धंधों के तीव्र विकास पर जोर देने के लिए किसानों को एक साथ लाने का अभियान चलाया जायेगा। हमारे जनप्रतिनिधि जनता के वास्तविक प्रतिनिधि बने रहे और संवैधानिक संस्थाएं एवं नौकरशाही जनकेन्द्रित रहे इसके लिए चुनाव सुधार, भ्रष्टाचार उन्मूलन और पारदर्शिता के किये जा रहे कार्यों को और बढ़ाने की आवश्यकता स्वीकार की गयी।

अध्यक्ष राजेश गोयल जी ने सभी सुझावों को एक सूत्र में करने और इस पर आगे शोध करने हेतु एक पोर्टल विकसित करने और प्रत्येक 15 दिनों में विशिष्ट परिचर्चा आयोजित करने की कार्ययोजना प्रस्तुत की।

महासचिव अनुज अग्रवाल ने पिछले एक वर्ष के कार्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया और पिछले वित्त वर्ष के ऑडिटेड अकाउंट सदन के सामने रखे। सदस्यों से अपनी पहल कर पद स्वीकार करने का अनुरोध किया और माननीय अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार दिया गया कि वे अति शीघ्र सभी इच्छुक सदस्यों से चर्चा कर अपनी कार्यकारणी को अंतिम रूप दें। महिला शाखा को भी अलग से सक्रिय करने पर सहमति हुई। बैठक में उमेश गौड़, विकास गुप्ता, अमरनाथ ओझा, नीरज सक्सेना, प्रशांत पटेल, संजीव गुप्ता, सोनाली मिश्रा, नीशू मित्तल, राजीव गुप्ता, मंतोष सक्सेना, कर्मवीर सिंह, नवनीत सिंह, नवनीत चतुर्वेदी, पुनीत गोस्वमी, संदीप अग्रवाल, जितेंद्र खुराना, प्रफूल चंद्र, प्रताप चपराना, संजीव अरोरा आदि ने कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए। ■

बसंतोत्सव बनाम वेलेंटाइन डे

काम भारत के सभी जीवन दर्शनों में आत्मसात रहा है। धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष रूपी चार तत्वों को साधना हिन्दू जीवन शैली का अंतरंग हिस्सा है। अर्थ हो या काम, दोनों के प्रति भारतीय सकारात्मक रहे हैं। मगर दोनों की पूर्ति को धर्म यानी नियमों से बांधा गया है। जिस प्रकार लोकतंत्र में स्वतंत्रता तो सबको है किंतु उसकी सीमा भी निर्धारित है, यानि स्वतंत्रता उतनी जो दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित न कर सके। इसी प्रकार धन भी और काम यानि विषय वासनाओं की पूर्ति भी समाजोन्मुख। शिव-पार्वती की पूजा यानि लिंग-योनि की पूजा का भी यही भाव है कि काम तुष्टि संतानोत्पत्ति यानि वंश और मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए नितान्त आवश्यक है इसलिये स्तुतनीय है किंतु शिवलिंग और योनि पर किया जाने वाला जलाभिषेक कामाग्नि को नियंत्रण में रखने का संदेश भी देता है और काम की अति पर शिव संहारक हो सृष्टि का विनाश भी कर सकते हैं, यह चेतावनी भी। यहां तक कि पशु भी संतानोत्पत्ति के लिए ही ऋतु विशेष में सहवास करते हैं यद्यपि मानव हर ऋतु में यह कार्य कर सकता है। भारत में खजुराहो के मंदिर भी एक बड़ा संदेश देते हैं, जिनकी बाहरी दीवारों पर विभिन्न काम क्रीड़ाओं और कलाओं के चित्र अंकित हैं और मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं। अर्थात काम निमित्त मात्र है और मोक्ष की प्राप्ति हेतु जब मानव को साधना करनी होगी तो काम मन मस्तिष्क से त्याग कर अंदर आना होगा। जब तक मन शांत और मस्तिष्क निर्वात नहीं होगा तब तक योग और साधना संभव नहीं और न मुक्ति।

विपरीत योनियों के संबंध हिन्दू धर्म में दार्शनिक स्वरुप लिए हैं और अर्धनारीश्वरवाद के रूप में व्याख्यायित किये गए हैं यानि स्त्री और पुरुष दोनों आधे और अधूरे हैं और दोनों का संसर्ग यानि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक मिलन और सामंजस्य ही एक दूसरे को समग्रता, संपूर्णता और सृजन देता है। भारतीय चिंतन में स्त्री-पुरुष संबंधों के परिपक्व होने यानि प्यार होने, उनमें परस्पर भाव, मनोभाव, संकेत, संवाद, समन्वय, प्रेम, संप्रेषण, संवेदन, भाव प्रणयता, समझ, सहकारिता, विवाह, यौन संबंधों की प्रवणता, कार्य विभाजन, वंश वृद्धि, पारिवारिक-सामाजिक व्यवहार, बौद्धिक सामंजस्य, परस्पर सम्मान, संतान, परिजनों, समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व, कर्मयोगी होते हुए वानप्रस्थी बनने से लेकर मोक्ष प्राप्ति के लिए उद्दत होने सबके लिए धर्म यानि नियम और उपाय हैं। धर्म ग्रंथ, आयुर्वेद, उपनिषदों, कामशास्त्र, पुराण, कामदेव और रति के पात्रों के माध्यम से नयी पीढ़ी को यौन शिक्षा सबका प्रबंध है। साथ ही काम के विविध रूपों यानि संगीत, रस-छंद, काव्य, लेखन, कला, नृत्य या कुछ भी अन्य सृजनशील तत्व जिसके प्रति मानव या मानवी उद्धत हो सकती है, सबको साधने की कलाएं विस्तार से वर्णित हैं। श्रृंगार, सुंदरता, बलिष्ठता, छत्तीस कलाओं, यौन आसनों, अभिसार, उत्ताद भावनाओं के आयामों और उतार चढ़ावों तथा उनके अच्छे बुरे आयामों सब पर विस्तार से साहित्य और ज्ञान उपलब्ध है। यह भारतीय संस्कृति ही है जो प्रकृतिप्रदत्त प्रेम और काम के उदगार यानि प्यार को सामाजिक जीवन का अंतरंग भाग बना उत्सव के रूप में प्रस्तुत करता है और बसंतपंचमी से होली तक चालीस दिन इसके रस और रास में मग्न रहता है।

सच तो यही है कि जंगली पुरुष जो कामोन्मादी था या फिर जब अपने सामाजिक जीवन के प्रारंभिक दौर में स्त्रियों के लिए संघर्ष करता था तभी पूर्ण रूप से स्थिर और समग्र हो पाया, जब उसने स्त्री से अपने संबंधों को पारिभाषित कर व्यवस्थित रूप दे दिया। यानि एक पुरुष के लिए एक स्त्री।

वो यह भूल जाते हैं कि हिन्दू धर्म में जब उत्तरवैदिक काल में पुन: काम अनियंत्रित हुआ तो बड़ा बिखराव आ गया और इसी के बीच जैन और बौद्ध धर्म अस्तित्व में आये जो काम के विरुद्ध आत्मसंयम के मूल सिद्धान्त और मुक्ति के लक्ष्य के कारण अपना प्रसार कर पाए। इस्लाम में स्त्री आज भी अधिकार विहीन, निम्न

स्तर प्राप्त और अधूरी है और ईसाई धर्म में बाजार की कॉकटेल के कारण अनियंत्रित।

अधूरे संस्कार और अनियंत्रित यौन उत्कंठा के बीच मजबूर आजकल के युवक युवती वेलेंटाइन डे के बहाने संवाद और सहकार के जो अवसर खोजते हैं, वो अक्सर क्षणिक आकर्षण लिए, उथले, मात्र शारीरिक, भोंडे, विकृत और दिशाहीन होते हैं, या कभी कभी सच्चे भी। किंतु इसमें उनका क्या दोष? काश उन्हें कोई काम का वास्तविक अर्थ और भारतीय आयाम बताने की गंभीर कोशिश करता, जिसका सार 40 दिनों के बसंतोत्सव में छुपा है, तो न केवल उनकी सारी जिज्ञासाएं मिट जाती वरन उन्हें प्रेम और सहवास के सच्चे अर्थों का ज्ञान भी होता, समग्रता भी और संतुष्टि भी। स्त्री-पुरुष के संबंधों की गूढ़ता, आयाम, उलझनें और समझ उन्हें खासा परिपक्व कर देते और उनके बीच पनपी आपसी समझ और विश्वास उन दो को एक में बदल अर्धनारीश्वर की कल्पना को साकार कर देते।

भारत में इस्लाम, अंग्रेजी व्यवस्थाएं और इसाइयत के साथ ही बाज़ार ने पिछली पांच-छः सदियों में खासे रंग दिखाये हैं। एक शत प्रतिशत शिक्षित और सांस्कृतिक रूप से दीक्षित समग्र समाज और व्यवस्था को तोड़ एक अनपढ़, विपन्न और परजीवी संस्कृति वाले समाज के रूप में भारतीयों को पनपने पर मजबूर किया गया। देखते ही देखते देश में स्त्री पुरुष की समानता और सामंजस्यता बिखर गई और पुरुष अधिनायकवादी समाज पनपता गया और स्त्री पर्दे और बुर्के में सिमट गयी। इस बीच पनपी सामन्तवादी, रैय्यतबाड़ी और जमींदारी प्रथा के बीच देश में कब स्त्री भोग्या, चेरी, दासी, देवदासी और वेश्या में बदल गयी पता ही न चला। पाश्चात्य जीवन शैली जो अस्तित्ववाद और बाज़ारवाद पर टिकी है और सर्वोत्कृष्ट की उत्तरजीविता के मूल मंत्र के साथ मानव को स्वार्थी एवं पशु मानकर ही चलती हो, तो उसके भारत की हज़ारों सालों से चली आ रही समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली से

इस्लाम में स्त्री आज भी अधिकार विहीन, निम्न स्तर प्राप्त और अधूरी है और ईसाई धर्म में बाजार की कॉकटेल के कारण अनियंत्रित।

टकराव होंगे ही। हमारे देश में जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहा या मतलब भर पाश्चात्यता अपनाता गया उसने तो फिर भी संतुलन साध लिया और दो सभ्यताओं के संघर्ष को सामंजस्य में बदल दिया, किंतु त्रिशंकु वो लोग और नयी पीढ़ी बनती जा रही है जो भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा और काम के दर्शन से पूरी तरह कटी या अंजान है और पाश्चत्य जीवन शैली को आधे अधूरे में समझ उसमें बाज़ारू ताकतों के तड़के को मिला खुलेपन, भोंडे और पशुवत आचरण को ही आदर्श समझ बैठी है। दोष उनको दी जाने वाली अधूरी या नही दी गयी शिक्षा का भी है और आजादी के बाद की अंग्रेज परस्त सरकारों का भी। बाज़ार और बाज़ारू उत्पादों यथा भोंडे भड़कीले विज्ञापन, पोर्न, कामोत्तेजक दवाएं, विभिन्न प्रकार के नशे, आत्मकेंद्रित और अस्तित्ववादी जीवन दर्शन और विदेशी शक्तियों और विदेशी धर्मों के षड्यंत्र की भी और अनियंत्रित सूचना क्रांति की भी, जिसने नयी पीढ़ी को चौराहे पर ला पटका है और अधिकांश को लंपट, कामी, योनउन्मुखी और यांत्रिक बना दिया। एक अधूरी, अर्धपशु पीढ़ी से उस गहरे बौद्धिक व्यवहार और संयमित आचरण की उम्मीद रखना भी बईमानी है, जो उसे दी ही न गयी हो। जो अधूरा समाज हम सबने मिलकर खड़ा किया है और जिस प्रकार बढ़ती जनसंख्या, ज्यादा होती जीवन प्रत्याशा, बढ़ते विकिरण के कारण कम उम्र में यौन परिपक्वता और आर्थिक स्थिरता में ज्यादा समय लगने के कारण देर से विवाह या विवाह न करना अथवा अलग अलग तरीके की शिक्षा के कारण पति पत्नि के बीच सामंजस्यता और समझ की कमी, गर्भ निरोधकों और तकनीकी विकास के कारण परस्पर घटती निर्भरता के कारण टूटते परिवार और कुनबे, इन सबने विवाह पूर्व और विवाहेत्तर संबंधों के लिए खासे अवसर उपलब्ध करा दिए हैं। ऐसे में बाज़ार द्वारा थोपे गये वेलेंटाइन डे जैसे दिन मनाये जाएं या न मनाए जाएं, देशवासियों में विपरीत योनि के प्रति यौन आकर्षण, यौन आक्रामकता, खुलापन, सांस्कृतिक क्षरण और प्रदूषण बढ़ना तय है क्योंकि यौन उद्वेग अपने रास्ते ढूंढने को तत्पर रहता ही है और सही शिक्षा और साथी के अभाव में स्त्री हो या पुरुष किसी को भी इस पर नियंत्रण करना असंभव सा हो जाता है। इसलिए वेलेंटाइन डे का विरोध करने से ज्यादा जरुरी भारतीय संस्कृति के अनुसार देश में एक सी शिक्षा पद्धति लागू करने की है और नए परिप्रेक्ष्य में विवाह और यौन संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की भी। सवाल यह है कि बाज़ार की चाशनी में डूबे और विकास की मरीचिका में उलझे आधे अधूरे भारतीय जनमानस को कैसे तैयार करें उसे स्वीकार करने के लिए और कैसे और क्यों तैयार होगी सत्ता और समाज उसे लागू करने को? और उस पर भी यक्ष प्रश्न कौन तैयार है इसे लागू करने के लिए संघर्ष करने को? ■

अब निर्वाचन आयोग में सुधार की बारी

आज़ाद भारत का पहला चुनाव 1952 में हुआ था। किंतु भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों का एहसास जनता को पहली बार तब हुआ, जब 1990 में टी. एन. शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त हुए। इसके बाद से निर्वाचन आयोग ने हर चुनाव में अपने को बेहतर करने की कोशिश की; बावजूद इसके हर चुनाव ने साबित किया कि निर्वाचन आयोग में सुधार की गुजांइश अभी काफी है। बीते चुनाव के बाद उपजी अपेक्षाओं में से एक अपेक्षा यह भी है।

एक चरण में मतदान करा पाने में अक्षम

बीते चुनाव ने बताया कि कई चरण में चुनाव होने से न सिर्फ मतदान प्रभावित होता है, बल्कि दलों, उम्मीदवारों और खुद निर्वाचन आयोग का चुनाव खर्च बढ़ जाता है। चुनाव प्रक्रिया की लंबी अवधि के लंबे समय के लिए शासन में सब कुछ ठप्प पड़ जाना, तीसरा नुकसान है। इस दौरान मीडिया में भी बस चुनाव का ही शोर रहता है। तात्कालिक महत्व के कई मुद्दे चर्चा से गायब हो जाते हैं। जाहिर है कि भारत के निर्वाचन आयोग को अपनी क्षमता के इतने विस्तार की ज़रूरत है कि वह एक चरण में चुनाव संपन्न करा सके।

दोषपूर्ण मतदाता सूची

मतदाताओं के नाम, पिता/पति का नाम तथा उम्र दर्ज होने में गलती न हो; निर्वाचन आयोग आज तक यह गारंटी नहीं दे पाया। मतदाता सूचियों के दोषपूर्ण होने की बात भी हर बार सामने आती है। कभी मौजूद मतदाता का नाम मतदाता सूची से कटा मिलता है, तो कभी जो मृत है अथवा वहां रहता ही नहीं, उसका नाम मतदाता सूची में मिलता है। वाराणसी में तो विश्वनाथ मंदिर के महंत और स्वयं मेयर की पत्नी का नाम मतदाता सूची से गायब मिला। एक सर्वेक्षण के मुताबिक, करीब 15 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने पैतृक और शहरी निवास दोनो जगह अपने नाम लिखा रखे हैं। नाम काटने-जोड़ने में भी स्थानीय दबंगों की भूमिका देखी आई है। सूची में नाम काटने और जोड़ने की प्रक्रिया के दोषपूर्ण होने के कारण यह संभव हो पाता है। इसमें सुधार कब होगा ?

मतदान के गलत आंकड़े

निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार की ज़रूरत बताता सबसे गंभीर व ताजा मामला उत्तराखण्ड से आया। उत्तराखण्ड में 15 फरवरी को मतदान हुआ। मतदान के पश्चात् 15 फरवरी को ही उत्तराखण्ड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री राधा रतूड़ी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होने 68 प्रतिशत मतदान का आंकड़ा पेश किया। पूरे आंकड़े आने पर विभाग ने 70 फीसदी मतदान की उम्मीद जताई। हफ्ते भर बाद राज्य निर्वाचन विभाग ने 65.64 प्रतिशत मतदान के आंकड़े पेश किए। अंतर सिर्फ कुल मतदान प्रतिशत में नहीं मिला, उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी ज़िले में 73 की बजाय 68.95 प्रतिशत, टिहरी ज़िले में 60 की बजाय 55.40 प्रतिशत, पौड़ी ज़िले में 60 की बजाय 54.95 प्रतिशत तथा देहरादून में 67 की बजाय 63.45 प्रतिशत का अंतिम आंकड़ा सामने आया। वोट प्रतिशतों में आया यह अंतर कोई पहली बार नहीं है। पिछले चुनावों के दौरान उत्तराखण्ड और उत्तर-प्रदेश में हुए कुल मतदान और घोषित परिणाम में शामिल कुल मतों में अंतर पाया गया था। गाजियाबाद के नीरज सक्सेना और संजीव गुप्ता द्वारा यह बात चुनाव आयोग के संज्ञान में लाने के बाद केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने संबंधित आंकड़ों को अपनी वेबसाइट से हटाकर अपना दोष छिपाने की कोशिश की थी। इस बार केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने सख्ती दिखाने की बात की; किंतु इस प्रकरण से स्पष्ट है कि मामला सख्ती से ज्यादा, सुधार का है।

ईवीएम शंका का प्रमाणिक समाधान ज़रूरी

उक्त प्रकरण के बाद यह शंका उठनी स्वाभाविक है कि गड़बड़ी व्यापक है; या तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में अथवा निर्वाचन में लगी टीमों में। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र नगरपालिका चुनाव में भी ईवीएम के जरिये धांधली की शिकायत की गई थी। ईवीएम को लेकर बसपा ने भी अदालत में जाने की बात कही। दिल्ली नगर निगम चुनावों को मतपत्रों के

जरिए कराने की आम आदमी पार्टी की मांग को दिल्ली उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया । ईवीएम पर उठने वाली इन उंगलियों को आप हारे हुए की खीज जरूर कह सकते हैं, लेकिन भूलने की बात नहीं कि वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान श्री लालकृष्ण आडवाणी ने भी ईवीएम पर संदेह व्यक्त किया था। श्री सुब्रहमण्यम स्वामी ने ईवीएम के खिलाफ क़ानूनी लड़ाई लड़ी थी और भाजपा प्रवक्ता श्री जीवीएल नरसिंह राव ने ईवीएम को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए बाकायदा एक किताब लिखी थी। श्री किरीट सोमैया तथा महाराष्ट्र के वर्तमान मु2यमंत्री श्री देवेन्द्र फड़नवीस स्वयं 2010 के ईवीएम विरोधी आंदोलन में शामिल रहे हैं। मतलब यह कि हार होने पर खुद भाजपा ने भी ईवीएम पर सवाल उठाये हैं।

ईवीएम विरोधी आंदोलन के वक्त अमेरिका के मिशीगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भी भारत में प्रयोग की जा रही वोटिंग मशीनों में छेड़छाड़ की संभावना जताई थी। शोधकर्ता ने घर पर बनाई एक मशीन तथा मोबाइल के जरिये ईवीएम में दर्ज नतीजों को बदलकर दिखाया था। 2010 के ईवीएम विरोधी आंदोलन के दौरान हैदराबाद के इंजीनियर हरिप्रसाद ने भी बाकायदा प्रदर्शन कर यह दर्शाया था। छेड़छाड़ की संभावना को सिद्व करता एक वीडियो भी आजकल सोशल मीडिया पर देखा गया है। तकनीकी जानकारों के मुताबिक, जरूरी नहीं है कि इस धांधली में निर्वाचन आयोग शामिल हो। वोटिंग मशीन आपूर्ति करने वाली कंपनियों की मिलीभगत से भी छेड़छाड़ को व्यापक पैमाने पर अंजाम दिया जा सकता है।

पूर्व चुनाव आयुक्त श्री एस. वाई. कुरेशी ने इस संभावना को सिरे से खारिज किया है। उन्होने लिखा है कि भारत में ईवीएम तथा इसमें इस्तेमाल होने वाली चिप का निर्माण इलेक्टॅनिस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसे दो ऐसे उद्यम करते हैं, जिनकी प्रतिष्ठा शंकाविहीन है। ईवीएम मशीनों को दूसरी मशीन अथवा सिस्टम से जोड़कर संचालित करना असंभव है। अत: हैकिंग का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान यूनिट को सक्रिय किए बगैर कोई वोट रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ईवीएम को जिस खास गुलाबी पेपर से सील किया जाता है, उस पर सियासी दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर कराये जाते हैं। समक्ष आये ईवीएम शंका मामलों को मुंबई और कर्नाटक उच्च न्यायालय की क्लीन चिट के बाद शंका करना बेवजह है।

अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका का संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर दिया है, इसलिए जरूरी है कि निर्वाचन आयोग को चाहिए कि महज् बयान देने की बजाय, प्रमाणिक समाधान प्रस्तुत करे; ताकि ईवीएम पर लोगों का भरोसा पुन: बहाल हो। यहां गौर करने की बात यह भी है कि इसी दृष्टि

जरूरी है कि निर्वाचन आयोग को चाहिए कि महज् बयान देने की बजाय, प्रमाणिक समाधान प्रस्तुत करे; ताकि ईवीएम पर लोगों का भरोसा पुन: बहाल हो।

से वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव तक हर वोट की मतदाता पावती रसीद व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। विशेषज्ञों के अनुसार, 2019 में हमें मतदाता पावती रसीद युक्त 20 लाख वीवीपीएटी मशीनों की ज़रूरत होगी। किंतु इस दिशा में निर्वाचन आयोग की तैयारी अभी भी 'सौ दिन चले अढ़ाई कोस' वाली है। निर्वाचन आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाये।

आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर कार्रवाई में फिसड्डी

सुधार का चौथा बिंदु, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई करने में निर्वाचन आयोग का फिसड्डी होना है। सुप्रीम कोर्ट की धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर वोट मांगने पर ताज़ा रोक आपको याद होगी। रोक के तुरंत बाद प्रचारकों की जुबां पर आये धर्म-जति सूचक शब्दों को आप भूले नहीं होंगे। बसपा समर्थकों द्वारा पैसा बांटे जाने की खबरें अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश के शिवपुर विधानसभा क्षेत्र से आईं। क्या कभी किसी पर कोई ठोस कार्रवाई हुई ? तय सीमा से अधिक चुनावी खर्च पर कार्रवाई का नियम है; बावजूद इसके खर्च सीमा का उल्लंघन बराबर जारी है। अमेठी के सपा प्रत्याशी गायत्री प्रजापति द्वारा मंगाई साड़ियां फतेहपुर में पकड़ी गईं। सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। एग्जिट पोल चुनाव को प्रभावित करते हैं। ऐसी मान्यता के चलते, चुनाव के दौरान एग्जिट पोल के नतीजों को किसी भी मीडिया प्लेटफार्म पर पेश करने पर रोक है। बीती 11 फरवरी को एक नामी समाचारपत्र की वेबसाइट ने इस रोक का उल्लंघन किया। प्रबंधन ने कहा कि संपादन ने ऐसा विज्ञापन विभाग के कहने पर किया, जबकि गिरफ्तारी संपादक की हुई। यही सब वजह है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन वाले निर्वाचन आयोग की कभी चिंता नहीं करते।

शपथपत्र सत्यापन में अक्षम

नामांकन के वक्त झूठी जानकारी देने पर सदस्यता से वंचित किए जाने का नियम है; बावजूद इसके उम्मीदवार झूठे-सच्चे शपथपत्र देकर चुनाव लड़ते हैं। क्यों ? क्योंकि निर्वाचन आयोग के पास शपथपत्र सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं है। मौलिक भारत ट्रस्ट की एक याचिका का जवाब देते हुए केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मतदान और नामांकन दाखिल करने की बीच की समयावधि काफी कम होती है; लिहाजा, निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्रों और शपथपत्रों की सत्यता की जांच संभव नहीं है। निर्वाचन आयोग, यह शपथपत्र छह माह पूर्व क्यों नहीं ले सकता अथवा अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए वह किसी अन्य एजेंसी की मदद 1यों नहीं ले सकता ?

दलों पर नियंत्रण में अक्षम

राजनीतिक दलों के पंजीकरण व मान्यता देना केन्द्रीय निर्वाचन आयोग का काम है। जन प्रतिनिधि कानून 1951 के अनुसार निर्वाचन आयोग सिर्फ उसी दल का पंजीकरण करेगा, जो भारतीय संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा

मौलिक भारत की मुहिम हुई कामयाब

चुनाव आयोग ने चुनावो के समय उम्मीदवारों के द्वारा भरे जाने वाले शपथ पत्रों की जांच की प्रक्रिया तय की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को दिए हाल ही में सम्पन्न पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में उतरे उम्मीदवारों के शपथपत्र जांचने के आदेश। 30 जून तक पूरी करनी होगी प्रकिया। नप सकते हैं कई माननीय।

मौलिक भारत सदस्यों द्वारा दिनांक 17जनवरी 2017 को भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री नसीम ज़ैदी को चुनाव सुधार के लिए पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया था कि -

चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों द्वारा (Conduct of Elections Rules-1961 के नियम 4 ए के अंतर्गत नामांकन के साथ (फॉर्म 26) में भरे जाने वाले शपथ पत्र में बयान किये गए तथ्यों की सत्यता की जांच निर्वाचन आयोग द्वारा की जानी चाहिए।

पांच राज्यों के चुनाव प्रक्रिया के चलते प्रार्थीगण के पत्र उपरोक्त का भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा कोई निस्तारण न होते देख व शपथ पत्रों की जांच की गंभीरता के मद्देनजर नीरज सक्सैना (एडवोकेट), संजीव गुप्ता (इंजीनियर) द्वारा एक ONLINE RTI APPLICATION No. ECOMM/R7/2017/50236 दिनांक 10 फरवरी 2017को निर्वाचन आयोग में दाखिल कर दी जिसमें दस बिंदुओं पर सूचना मांगी गयी थी।

परन्तु भारत के निर्वाचन आयोग नयी दिल्ली सचिवालय द्वारा एक महीना बीत जाने के बाद भी पत्र उपरोक्त दिनांक 17जनवरी 2017 एवं Online RTI Application दिनांकित 10 फरवरी 2017 का कोई जवाब नहीं दिया गया ।

कोई सूचना/जवाब न दिए जाने की स्थिति में प्रार्थीगण ने मजबूर होकर दिनांक 10 मार्च 2017को स्वयं भारत निर्वाचन आयोग नयी दिल्ली सचिवालय पर पहुँच कर RTI APPLICATION की कॉपी पुनः प्रेषित की।

भारत निर्वाचन आयोग के जन सूचना अधिकारी अवर सचिव श्री कुमार राजीव द्वारा पत्र संख्या F.No. 4/RTI/PB/2017/NS-I/183 दिनांक 30 मार्च 2017के माध्यम से RTI APPLICATION बिंदु क्रमांक 9 पर निम्न सूचना दी है -

आरटीआई का प्रश्न (9)

कृपया सूचित करें कि हमारी प्रार्थना चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों द्वारा (Conduct of Elections Rules-1961 के नियम 4ए के अंतर्गत नामांकन के साथ (फॉर्म 26) में भरे जाने वाले शपथ पत्र में बयान किये तथ्यों की सत्यता की जांच निर्वाचन आयोग द्वारा की जानी चाहिए. पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गयी हो तो प्रार्थीगण को सूचित करें और सबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति भी उपलब्ध करवाएँ।

निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदा प्रश्न (9) का जवाब

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने पत्र संख्या 76/ECI/LET/EEM/EL.Ex/IED/ EEPS/2017Vol-I दिनांक 23 March 2017के माध्यम से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को निवेदन किया गया है कि वर्ष 2017में पंजाब, इत्यादि में विधान सभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्रों में दर्शायी गयी सम्पत्तियों के ब्यौरे की जांच करे ।

झूठा शपथ पत्र भरे जाने के संदर्भ में कृपया निर्वाचन आयोग के निर्देश संख्या 4/2014/SDR.Vol-I दिनांक 26 April 2014 का संदर्भ ग्रहण करें (प्रति संलग्न)

(Anne 4 copy of Reply from Election Commission PIO dated30/03/17).

भारत निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र संख्या 76/ECI/LET/EEM/EL.Ex/IED/EEPS/2017Vol-Iदिनांक 23 March 2017 द्वारा निदेशक (अन्वेषण-V) (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) भारत सरकार, राजस्व मंत्रालय नयी दिल्ली एवं निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) कोलकाता, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, कर्नाटक को निर्देशित किया कि वर्ष 2017 में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान सभा और अमृतसर (02) संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्रों में घोषित की गयी चल-अचल सम्पत्तियों की जाँच (चुनाव आयोग एवं CBDT) के मध्य (दिनांक 19 जून 2013 को सम्पन्न हुई मीटिंग) में निर्धारित किये गए निम्न मापदंडों के आधार पर की जाय।

श्रेणी - A : विशिष्ट मामले जिन्हे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अग्रसारित किया जाय (Category-A : Specific Cases forwarded by ECI)

श्रेणी - B - वे मामले - जिनमे प्रत्याशी द्वारा वर्तमान चुनाव में दिए गए शपथ पत्र की पिछले चुनाव में दिए गए शपथ पत्र से तुलना किये जाने पर यदि चल अचल संपत्ति में बेतहाशा (अप्रत्याशित) वृद्धि नजर आती है।

(category - B :Cases witnessing phenomenal growth when the current affidavit is compared to that filed during the previous elections, if any)

श्रेणी -C - वे मामले - चुनावों में विजयी होने वाले सभी प्रत्याशियों के चुनावी शपथ पत्र में घोषित चल-अचल संपत्ति की सत्यता उनकी आयकर विवरणी से मिलान करके पता लगाई जाय (यदि उनके द्वारा आयकर विवरणी दाखिल की जाती है)

(Category – C : Cases of winning Candidates and the veracity of the affidavits compared to the returns of income, if any filed by them.)

श्रेणी - D वे मामले - जहाँ पर आयकर स्थाई खाता संख्या (PAN) नहीं दिया गया है किन्तु चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी द्वारा चल-अचल संपत्ति 5 करोड़ से अधिक घोषित की गयी है

(Category-D : Instances where there was no PAN but movable/immovable asset disclosed were in excess of Rs. 5 Crore)

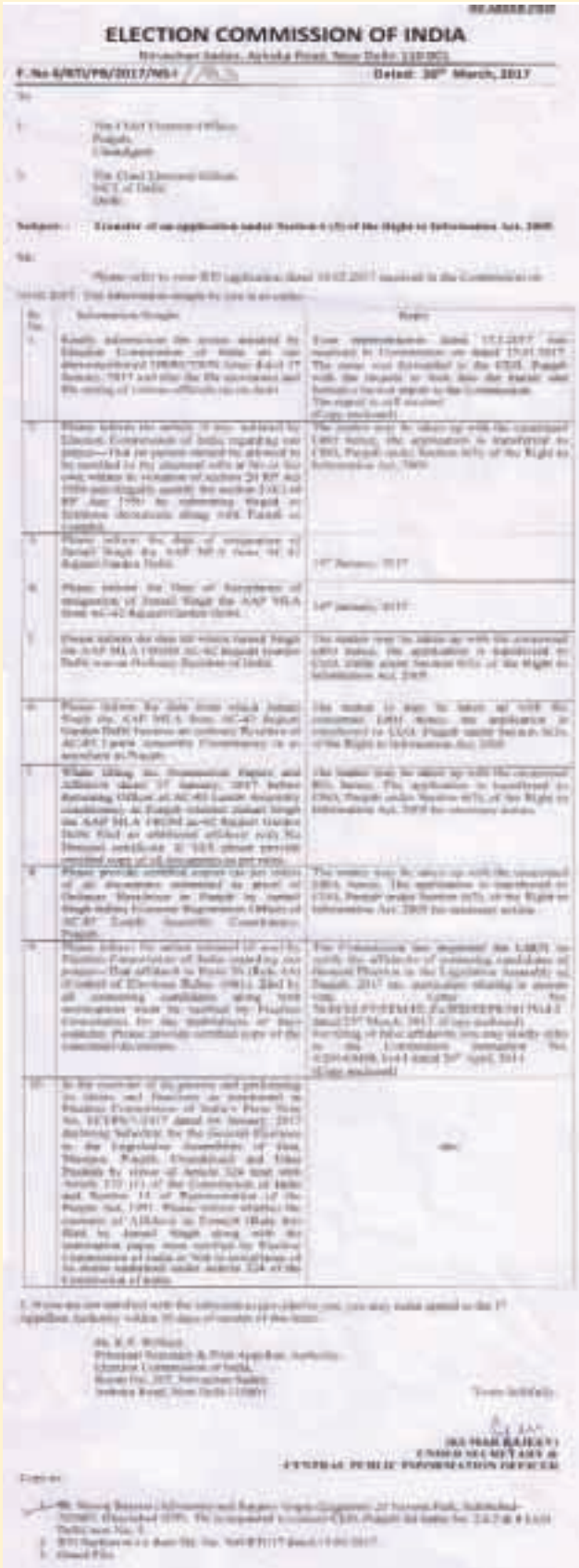

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

F. No.6/RTI/PB/2017/NG-I Dated: 30th March, 2017

To

1. The Chief Electoral Officer, Punjab, Chandigarh

2. The Chief Electoral Officer, NCT of Delhi, Delhi

Subject: Transfer of an application under Section 6 (3) of the Right to Information Act, 2005

Sir,

Please refer to your RTI application dated 10.02.2017 received in the Commission on [illegible] 2017. The information sought by you is as under:

Sl. No.	Information Sought	Reply
1.	Kindly information the action awarded by Election Commission of India on the [illegible] March, 2017 and also the file movement and the noting of various officials on the file?	Your representation dated 17.1.2017 was received by Commission on dated 17.01.2017. The same was forwarded to the CEO, Punjab with the request to look into the matter and furnish a factual report to the Commission. The report is still awaited. (Copy enclosed)
2.	Please inform the status of my application filed by me [illegible] Election Commission of India regarding my petition—that no person should be allowed to be qualified to the assembly who is his or her own relative in violation of section 24 RP act 1950 and illegally qualify the section 100(1) of RP Act 1951 by submitting illegal or forbidden documents along with Punjab or Lucknow.	The matter was to be taken up with the concerned CEO, hence, the application is transferred to CEO, Punjab under Section 6(3) of the Right to Information Act, 2005
3.	Please inform the date of acquaintance of Sunil Singh the AAP MLA from AC-42 Rajouri Garden Delhi.	14th January, 2017
4.	Please inform the time of furnishers of resignation of Sunil Singh the AAP MLA from AC-42 Rajouri Garden Delhi.	14th January, 2017
5.	Please inform the date till which Sunil Singh the AAP MLA from AC-42 Rajouri Garden Delhi was an ordinary Resident of India or an ordinary Resident of AC-42 Lucknow Assembly Constituency or a resident of Punjab.	The matter was to be taken up with the concerned CEO, hence, the application is transferred to CEO, Punjab under Section 6(3) of the Right to Information Act, 2005
6.	Please inform the date from which Sunil Singh the AAP MLA from AC-42 Rajouri Garden Delhi became an ordinary Resident of AC-42 Lucknow Assembly Constituency or a resident of Punjab.	The matter was to be taken up with the concerned CEO, hence, the application is transferred to CEO, Punjab under Section 6(3) of the Right to Information Act, 2005
7.	While filing his Nomination Papers and Affidavit dated 17 January, 2017 before Returning Officer of AC-42 Lucknow Assembly constituency, do Punjab resident Sunil Singh the AAP MLA from AC-42 Rajouri Garden Delhi had an additional affidavit with his Nomination papers or not? If yes, please provide certified copy of all documents as per rules.	The matter was to be taken up with the concerned CEO, hence, the application is transferred to CEO, Punjab under Section 6(3) of the Right to Information Act, 2005 for necessary action.
8.	Please provide certified copy (as per rules) of all documents submitted by proof of Ordinary Residence in Punjab by Sunil Singh Aulakh Economic Representative Officer of AC-42 Lucknow Assembly Constituency, Punjab.	The matter was to be taken up with the concerned CEO, Punjab under Section 6(3) of the Right to Information Act, 2005 for necessary action.
9.	Please inform the action taken (if any) by Election Commission of India regarding our petition that affidavit in Form 26 (Rule 4A) of Conduct of Elections Rules 1961, filed by all contesting candidates along with nomination papers must be verified by Election Commission for the authenticity of their contents. Please provide certified copy of the concerned document.	The Commission has requested the CEO, to verify the affidavit of contesting candidates of General Election to the Legislative Assembly of Punjab, 2017 on particulars relating to assets, case, crime, etc. The report is awaited. [illegible] dated 23rd March, 2017 of [illegible] authority. For taking of false affidavits, you may kindly refer to the Commission's complaint No. C-[illegible] dated 30th April, 2014. (Copy enclosed)
10.	In the context of the poverty and performing in cities and finishers as mentioned in Election Commission of India's Press Note No. 10/PR/1/2017 dated on January, 2017 defining Salaried for the General Elections to the Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh by virtue of Article 324 read with Article 172 (1) of the Constitution of India and Section 14 of Representation of the People Act, 1951. Please inform whether the contents of Affidavit in Form 26 (Rule 4A) filed by Sunil Singh along with the nomination papers were verified by Election Commission of India or not in compliance of its above mentioned order under Article 324 of the Constitution of India.	—

I. If you are not satisfied with the information provided, you may make appeal to the 1st appellate authority within 30 days of receipt of the reply.

(Ms. M.P. Mishra)
Principal Research & First Appellate Authority
Election Commission of India,
Room No. 207, Nirvachan Sadan,
Ashoka Road, New Delhi-110001

Yours faithfully

(Ashish Rajput)
Under Secretary & &
Central Public Information Officer

Encl. as

Copy to:

1. Mr. Sunil Singh, Information and Research Wing, Department of Income Tax, Aaykar Bhawan, Sector-25, Gandhinagar (GJ). He is requested to [illegible] Delhi vide No. 3.
2. RTI Section [illegible] dated [illegible] 2017.
3. Guard File.

श्रेणी - E वे मामले जहां पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के वर्तमान चुनाव में भरे गए शपथ पत्र में दर्शायी गयी चल-अचल संपत्ति में पिछले चुनाव में भरे गए शपथ पत्र में दर्शायी गयी चल-अचल संपत्ति की तुलना में 2 करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हुई हो और आयकर विभाग यदि जांच के दौरान प्रत्याशी द्वारा छुपाई गयी चल अचल संपत्ति का यदि पता लगे अथवा आयकर विभाग द्वारा आकलन की गयी हो तो उसे भी भारत निर्वाचन आयोग को छः (6) महीनों के भीतर अर्थात माह सितंबर 2017 तक सूचित करे।

(Category-E : Cases where addition of new immovable assets above a threshold say Rs. 2 crore vis-à-vis last affidavit, if any, was witnessed and to report additional concealment detected/estimated by Income Tax Department within {months i.e. September 2017)

लोकसभा एवं विधान सभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा नामांकन भरते समय शपथ पत्र (AFFIDAVIT) भरना अनिवार्य है। शपथ पत्र में प्रत्याशी द्वारा अपनी व अपने परिवार के सदस्यों (पत्नी एवं आश्रितों) की चल संपत्ति जैसे कि नकद धनराशि, बैंक एवं अन्य संस्थान में जमा धनराशि, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बांड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, म्युचुअल फंड, राष्ट्रीय बचत योजना, पोस्ट आफिस जमा, बीमा पॉलिसी, प्रोविडेंट फंड इत्यादि का मूल्य, वाहन, सोना, चांदी, अन्य कीमती वस्तुएं का मूल्य एवं अचल संपत्ति जैसे कि कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि, व्यवसियिक भवन, रिह्मायशी भवन, फ्लैट, इमारत इत्यादि का (पता सहित) वर्तमान बाजार मूल्य तथा प्रत्याशी द्वारा लिए गए ऋण व सरकारी देनदारियों एवं अन्य कई जानकारियां शपथ पर घोषणा करना अनिवार्य होता है।

प्रत्याशियों द्वारा चुनाव के दौरान भरे जाने वाले शपथ पत्रों की जांच एवं चुनाव सुधार हेतु मौलिक भारत के प्रयास -

महोदय प्रत्याशियों के एफिडेविट (शपथ पत्र) की सत्यता जांच एवं चुनाव सुधार के अन्य मुद्दों को मौलिक भारत टीम द्वारा समय समय पर भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष उठाया जाता रहा है। इसी क्रम में माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिकाएं भी डाली गयी हैं।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल की गयी एक जनहित याचिका W.P. (C) 443/2014 [मौलिक भारत द्वारा न्यासी अनुज अग्रवाल एवं नीरज सक्सेना बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य) में दिनांक 22 जनवरी 2014 को [याचीगण की प्रार्थना कि चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों के नामांकन एवं शपथ पत्रों के कड़ाई से जांच किये जाने की कड़ी प्रक्रिया बनाई जाए। इस पर अग्रिम नोटिस पर न्यायालय में उपस्थित आए भारत निर्वाचन आयोग के वकील द्वारा माननीय खंड पीठ का ध्यान धारा 36 जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 (नामांकन पत्रों की जांच) एवं धारा 125ए (झूठा शपथ पत्र दाखिल करने पर दंड) की ओर आकर्षित करते हुए बताया कि कानून में इन परिस्थितियों से निबटने के लिए कानूनी प्रावधान तो मौजूद हैं परन्तु इसके लिए अभी दिशानिर्देश GUIDELINES बनाये जाने हैं। आयोग के वकील द्वारा यह बयान भी किया गया कि (उपलब्ध कम समय में) नामांकन पत्रों एवं शपथ पत्रों में वर्णित तथ्यों की जांच आयोग द्वारा किया जाना सभव नहीं है।

चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के शपथ पत्रों में वर्णित तथ्यों की

जांच किये जाने के मुद्दे को मौलिक भारत न्यासी अनुज अग्रवाल द्वारा 05 मार्च 2014 को विज्ञान भवन नयी दिल्ली में 2014 संसदीय चुनाव घोषणा के दौरान तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री वी0 एस0 संपथ के समक्ष भी उठाया गया था। वीडियो देखने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=ygdgnuh-6Mk

अभियुक्त अरविन्द केजरीवाल (दिल्ली के मुख्य मंत्री) द्वारा निर्वाचन आयोग के समक्ष फर्जी वोट बनवाने एवं झूठा शपथ पत्र दाखिल करने पर मौलिक भारत के सदस्यों द्वारा पटियाला हाउस न्यायालय में दाखिल एक आपराधिक मुकदमा संख्या 20786/2016 नीरज सक्सैना एवं अनुज अग्रवाल बनाम अरविन्द केजरीवाल) अंतर्गत (धारा 31 जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950, धारा 125ए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 एवं धारा 177भारतीय दंड संहिता) में दिनांक 24 दिसम्बर 2016 को अभियुक्त अरविन्द केजरीवाल को जमानत पर छोड़ा गया है।

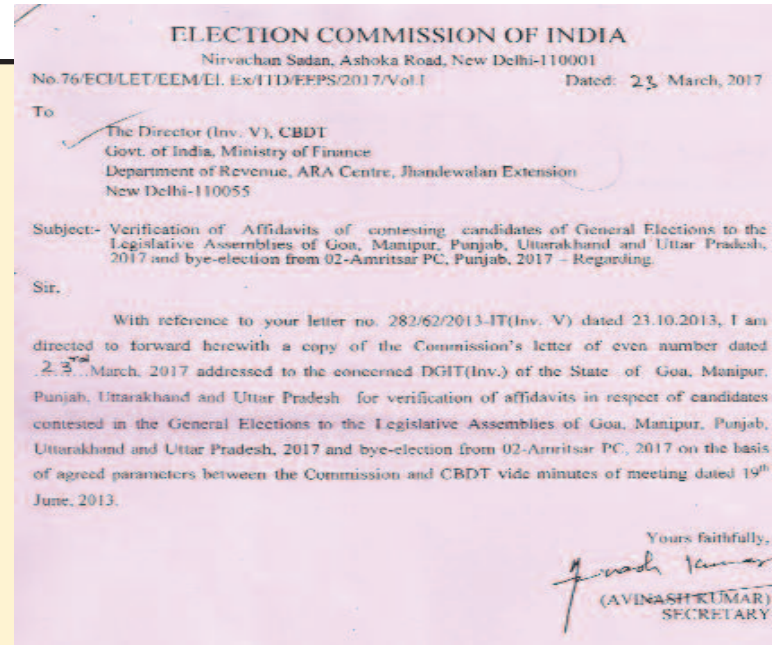

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001
No.76/ECI/LET/EEM/El. Ex/ITD/EEPS/2017/Vol.I Dated: 23 March, 2017

To
The Director (Inv. V), CBDT
Govt. of India, Ministry of Finance
Department of Revenue, ARA Centre, Jhandewalan Extension
New Delhi-110055

Subject:- Verification of Affidavits of contesting candidates of General Elections to the Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh, 2017 and bye-election from 02-Amritsar PC, Punjab, 2017 – Regarding.

Sir,

With reference to your letter no. 282/62/2013-IT(Inv. V) dated 23.10.2013, I am directed to forward herewith a copy of the Commission's letter of even number dated 23rd March, 2017 addressed to the concerned DGIT(Inv.) of the State of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh for verification of affidavits in respect of candidates contested in the General Elections to the Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttarakhand and Uttar Pradesh, 2017 and bye-election from 02-Amritsar PC, 2017 on the basis of agreed parameters between the Commission and CBDT vide minutes of meeting dated 19th June, 2013.

Yours faithfully,
(AVINASH KUMAR)
SECRETARY

समाजवाद पर पूरा विश्वास करता हो। चुनाव प्रचार के दौरान और आगे-पीछे राजनीतिक दल पंजीकरण की इस शर्त के साथ खिलवाड़ करते ही रहते हैं। निर्वाचन आयोग ने क्या खिलवाड़ करने वाले ऐसे किसी दल का पंजीकरण रद्द किया गया ? आवश्यक मत न प्राप्त करने पर राष्ट्रीय दलों की मान्यता रदद करने का नियम है। लेकिन ऐसे सैकड़ों राजनीतिक दल ऐसे हैं, जो चुनाव ही नहीं लडते। मीडिया पड़ताल में ऐसे निष्क्रिय दलों के बारे में कहा गया कि ये चंदा वसूली के जरिये महज् काला धन को सफेद करने के लिए सक्रिय रहते हैं। ऐसे दलों की मान्यता रद्द करने का काम कौन करेगा ? यदि कोई दल अपनी आंतरिक नियमावली के अनुसार, अपने संगठन का चुनाव समय से न कराये, तो निर्वाचन आयोग उसके चुनाव लड़ने पर चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकता है। निर्वाचन आयोग ने सिर्फ चेतावनी देता है, कभी कोई कार्रवाई नहीं करता। आखिरकार, क्यों ?

शक्तियों की अस्पष्टता

सुधार का एक बिंदु, निर्वाचन आयोग की शक्तियों को लेकर अस्पष्टता है। हालांकि अनुच्छेद -327 निर्वाचन प्रक्रि या से संबंधित समस्त आयामों के लिए विधि निर्माण का अधिकार संसद को प्रदान करता है; बावजूद इसके चुनाव संबंधी मामलों में कभी संसद, तो कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी स्वयं चुनाव आयोग को कदम उठाते देखा गया है। 1990 में मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका में रहे टी. एन. शेषन ने कुछ ऐसी शक्तियों का भी प्रयोग किया था, जिनके बारे में कहा गया कि वे चुनाव आयोग के अधिकार में नहीं हैं। 28 अगस्त, 1997 को निर्वाचन आयोग ने कहा कि न्यायालय द्वारा दण्डित व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, चाहे उस व्यक्ति ने दंड के विरूद्व उच्च न्यायालय के अपील की हुई हो। इस पर तत्कालीन सरकार ने असहमति प्रकट की। 13वीं लोकसभा के चुनाव दौरान निर्वाचन आयोग ने चुनावी सर्वेक्षण तथा अनुमानित परिणाम के प्रसारण पर रोक लगाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे असहमति जताई। इससे स्पष्ट है कि चुनाव आयोग की शक्तियों की स्पष्ट व्याख्या नहीं है; जबकि यह अति आवश्यक है। स्पष्ट और सुप्रीम न्यायिक शक्तियों के अभाव में निर्वाचन आयोग का पूरी क्षमता के साथ काम करना असंभव है।

चुनाव आयुक्तों के राजनीतिक होने का खुला रास्ता

अनुच्छेद 324 के अनुसार, संवैधानिक तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त आवश्यक है। संविधान ने बाकी चुनाव आयुक्त के अस्तित्व का निर्णय राष्ट्रपति की इच्छा पर छोड़ दिया है। अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या भी संवैधानिक तौर पर निर्धारित नहीं है। मु2य चुनाव आयुक्त को हटाने की बाबत यह कहा गया है कि कार्यकाल से पूर्व उसे उसी विधि से हटाया जा सकता है, जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है; किंतु अन्य चुनाव आयुक्तों के बारे में कहा गया है उन्हे मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से ही हटाया जा सकता है। इससे केन्द्र सरकार, मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रभावित कर अपनी मर्जी का चुनाव आयुक्त नियुक्त करा सकते हैं। संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य की योग्यता भी निर्धारित नहीं है। लिहाजा, केन्द्र सरकार अपनी मर्जी के किसी भी व्यक्ति को मुख्य तथा अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर देती है। चुनाव आयुक्त समेत सभी मुख्य पदों पर बैठे अधिकारियों में सेवानिवृति के पश्चात् आगे की राजनीतिक पोस्टिंग का लोभ देखा ही गया है। ऐसे में मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की नियुक्ति निष्पक्ष नहीं कही जा सकती। स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता हेतु एक ज़रूरत चुनाव आयुक्तों की योग्यता, नियुक्ति, बर्खास्तगी के नियम निर्धारण की भी है। ■

तो क्या अखिलेश गुट ने भी चुनाव आयोग को रिश्वत दे खरीदा था चुनाव चिन्ह? - मौलिक भारत

तमिलनाडू में अन्नाद्रमुक पर कब्जे की लड़ाई में शशिकला के भांजे को पार्टी के चुनाव चिन्ह पर शशिकला गुट के कब्जे को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारियों को 50 करोड़ रूपये की रिश्वत देने की कोशिश में स्नढ्ढफ दर्ज की गयी है और दलाल की गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर कब्जे को लेकर अखिलेश और मुलायम गुट का था और मामला चुनाव आयोग पहुंचा था। उस समय विभिन्न चेनलों पर अनेक संविधान विशेषज्ञ और पूर्व चुनाव आयुक्त यह दावा कर रहे थे कि इस विवाद पर जाँच कर निर्णय देने में आयोग को कम से कम छः महीने लगेंगे। किंतू कुछ ही दिनों बाद अचानक आयोग ने अखिलेश गुट को साइकिल चुनाव निशान आबंटित कर दिया। इस मामले में चुनाव आयोग का निर्णय अगर आप लोग पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बिना परीक्षण अखिलेश गुट के बहुत से दावो को मान लिया गया। जिस प्रकार की जल्दबाजी इस निर्णय को देने में की गयी उससे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि हो सकता है कि यह मामला भी मोटे लेने देन की बिना पर निबटाया गया हो।

50 करोड़ से कहीँ ज्यादा 100, 140 या 200 करोड़? इस तरह के मामले अधिकारियों के स्तर पर नहीँ निबटाए जाते बल्कि सीधे चुनाव आयुक्त स्तर पर फैसले लिए जाते हैं। ऐसे में मामला और गंभीर हो जाता है। इस मामले की जांच के लिए राष्ट्रपति जी को आदेश देना चाहिए और चुनाव आयोग को भी अपनी विश्वसनीयता साबित करने के लिए तुरंत स्पष्टीकरण देना चाहिए। लोकतंत्र का रक्षक ही भक्षक वना नज़र आये तो फिर सब बेमानी है। आँखों में धूल झोंकने के समान है।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) में 2,500 करोड़ का घोटाला ?

मौलिक भारत ट्रस्ट ने वित्त मंत्रालय को इस बारे में पत्र भी लिखा था।

केंद्र सरकार के ई पोर्टल GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केट) में क्या करोड़ों का घोटाला हुआ है' यह बात भले ही पत्रकारों से कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कही लेकिन इंडिया टुडे की रिपोर्ट की माने तो बीजेपी के ही 7 सांसदों ने वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर बताया है कि सरकार के ई-पोर्टल के जरिये करोड़ों के घोटाले की आशंका है। डायलॉग इंडिया ने अक्टूबर 2016 को अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था। इन सांसदों में केन्द्रीय मंत्री फगन सिंह कुलस्ते, अशोक नेटे, कौशल किशोर, आलोक संजर, हरीश द्विवेदी, राजेश द्विवेदी, अर्जुनलाल मीणा और अजय निषाद का नाम हैं।

डायलॉग इंडिया की रिपोर्ट में सामने आया कि गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) में 2,500 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो सकता है। उस वक्त 'मौलिक भारत ट्रस्ट' वित्त मंत्रालय को इस बारे में पत्र भी लिखा था। मौलिक भारत ट्रस्ट के महासचिव श्री अनुज कुमार अग्रवाल द्वारा 15 अक्टूबर 2016 को लिखित इस पत्र की एक प्रति डीजीएस एंड डी के महानिदेशक (पीपी) श्री बिनय कुमार को भी भेजी गयी है। आरोप है कि पोर्टल के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट स्तर पर ही 2500 करोड रूपये की खरीद जीएफआर रूल्स तथा मुख्य सतर्कता आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए की गयी है।

सामान को कहाँ से खरीदा जा रहा था

मौलिक भारत के अनुसार 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' के माध्यम से जो खरीददारी की जा रही है उसमें सामान सप्लाई करने वाले की सत्यता का पता लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' की टर्म एंड कंडीशन्स की धारा 21 के अनुसार विक्रेता की सत्यता की जांच, वाजिब कीमत आदि सभी बातों की जांच की जिम्मेदारी सामान खरीदने वाले सरकारी विभागों की है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि सरकारी सामान की खरीददारी के मामले में प्रायः सभी सरकारी विभागों के पास विशेषज्ञता का अभाव है। इसीलिए डीजीएस एंड डी जैसे विशेषज्ञ विभाग की स्थापना की गयी थी। किन्तु डीजीएस एंड डी 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' के माध्यम से सामान खरीदते समय यह कहकर पूरी व्यवस्था के पारदर्शी होने का दावा नहीं कर सकता कि सामान सत्यापित संस्थाओं से ही खरीदा जा रहा है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट की माने तो उसने अपनी पड़ताल पाया कि 32 इंच की सोनी ब्राविया एलईडी केएलवी टीवी की कीमत जेम पर 30500 थी जबकि इसकी कीमत अमेजन पर इसकी कीमत 23 हजार रूपये है। इस तरह एचपी का 240जी5 विद विंडोज की कीमत जेम पर 45500 था वहीँ एमेजन पर इसकी कीमत 32999 थी। इसी तरह कई सामान थे जो सस्ते मिल सकते थे लेकिन उन्हें महंगे में खरीदा गया।

क्या है GeM

केंद्र सरकार ने हालही में अपने मंत्रालयों को पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जिसके तहत उसने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) नामक एक पोर्टल की शुआत की है। सरकार का कहना था है कि इस पोर्टल के जरिये मंत्रालयों में इस्तेमाल होने वाली स्टेशनरी सहित अन्य वस्तुओं की खरीदारी की जा सकेगी। इसके लिए सालाना 10 हजार करोड़ का बजट भी रखा गया था लेकिन इस 'मास्टर प्रोजेक्ट' के प्रारंभ होते ही इस पर भ्रष्टाचार के आरोपों लगने लगे हैं।

विदेशी सर्वरों से कैसे बनेगा डिजिटल इंडिया?

'डिजिटल इंडिया''- कंप्यूटर, मोबाइल, सॉफ्टवेयर तथा इंटरनेट के बहुआयामी प्रयोग से समाज, शासन तथा अर्थव्यवस्था में विकास के अभियान का नाम है. देश में कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क एवं इंटरनेट से वंचित वर्ग को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना मुश्किल है परन्तु डिजिटल इंडिया को स्वदेशी बनाकर इसे सफल बनाया जा सकता है।

'इंडियन डाटा भारतीय सर्वर्स' अभियान से बढ़ाएं रोजगार

भारत में व्यापार कर रही इंटरनेट कंपनियों ने अधिकांश सर्वर यूरोप और अमेरिका में लगा रखे हैं. मेक इन इंडिया के तहत यदि इंडियन डाटा भारत के सर्वरों में रखने का कानून बन जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा बेहतर तरीके से सुनिश्चित हो सकेगी। अमेरिका में ट्रंप की नई वीजा नीति के फलस्वरूप अनेक आईटी प्रोफेशनल्स भारत लौट रहे हैं. सर्वर भारत में लगने के नियम का पालन होने से देशी उद्योगों के विकास के साथ प्रति सर्वर औसतन हज़ार लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।

सरकारी अधिकारियों द्वारा विदेशी ई-मेल का गैर-कानूनी इस्तेमाल बंद हो

संसद द्वारा पारित पब्लिक रिकॉर्डस् कानून के अनुसार अधिकारी लोगों द्वारा सरकारी काम के लिए जीमेल और याहू जैसी विदेशी ई-मेल सेवा का इस्तेमाल करने पर 3 साल की जेल हो सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अगस्त 2013 में पारित आदेश के बावजूद केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को स्वदेशी 'एनआईसी' की ईमेल सेवा नहीं मिल पाई जिससे अधिकांश सरकारी कर्मचारी निजी ईमेल का गैर-कानूनी इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी अधिकारियों को एनआईसी ई-मेल की सुविधा सुनिश्चित करने के बाद ही देशभर में डिजिटल इंडिया का स्वप्न साकार हो सकता है।

विदेशी इंटरनेट और आईटी कंपनियों से भारत में हो टैक्स की वसूली

भारत में डिजिटल इंडिया के नाम पर एप्पल, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी विदेशी कंपनियां बड़ा कारोबार कर रही हैं। ऑक्सफैम की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 50 बड़ी कंपनियों द्वारा भारत जैसे विकासशील देशों में टैक्स चोरी करके 100 लाख करोड़ से अधिक की रकम आयरलैंड जैसे टैक्स हेवन देशों में जमा करने से असमानता और मंदी आ रही है। डिजिटल इंडिया से उपजे बड़े व्यापार को टैक्स कानून के दायरे में लाने की बड़ी जिम्मेदारी सरकार और संसद जल्द पूरा क्यों नहीं कर रहीं?

डाटा सुरक्षा के लिए बने कानूनों का सख्ती से हो पालन

हैकर्स ने गृह-मंत्रालय तथा एनएसजी की वेबसाइट्स को हैक करके भारत सरकार को गंभीर चुनौती दी। आधार का डाटा कितना सुरक्षित है इसका फैसला आने वाले समय में होगा. परन्तु कुछ महीने पहले 32 लाख से अधिक बैंक डेबिट कार्डों का डाटा चोरी हो गया था पर अभी तक अपराधी दंडित नहीं हुए. क्या अब भारत में भी यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर नया डाटा सुरक्षा कानून बनाने का समय नहीं आ गया?

डिजिटल इंडिया में प्राइवेसी तथा ई-सिग्नेचर की मान्यता हेतु बनें कानून

डिजिटल इंडिया अभियान के साथ जनता की प्राइवेसी उल्लंघन पर कठोर दंड हेतु सरकार संसद के माध्यम से जल्द से जल्द सख्त कानून क्यों नहीं लाती? देश में अब ई-सिग्नेचर्स को मान्यता दिए जाने का नियम बनना चाहिए जिससे ई-मेल तथा डिजिटल माध्यम से किए गए एग्रीमेंटों को कानूनी मान्यता मिल सके।

अदालतों में भी हो डिजिटल इंडिया की क्रांति

प्रधानमंत्री मोदी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं जयंती पर तकनीकी के इस्तेमाल से अदालतों में न्यायिक क्रांति पर जोर दिया था. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कुछ निचली अदालतों में सैंपल तौर पर वीडियो कैमरे लगाए जाने हैं, परंतु उनमे ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होने से लोगों को क्या लाभ मिलेगा? संसद की तर्ज पर अदालतों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण न हो परंतु अदालतों की वीडियो रिकॉर्डिंग यदि शुरू हो जाए तो लोगों को न्याय दिखेगा भी। हरियाणा में व्हाट्सऐप द्वारा सम्मन जारी करने का नया प्रयोग हुआ है. सीपीसी कानून के अनुसार अदालतों द्वारा यदि ई-मेल से नोटिस, सम्मन और वारंट तामील किया जाए तो मुकदमों में अनावश्यक विलंब रुकने से जनता को लाभ मिलेगा। डिजिटल इंडिया से जनहित सुरक्षित होने के साथ लोगों को लाभ भी मिलने लगेगा तो इसे मनाने के लिए सरकारी पर्व की जरूरत नहीं होगी!

विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं।

अर्थचिंतन - गौधन बनाम डॉलर

शुरू से ही पूरब और पश्चिम में अर्थव्यवस्था को लेकर श्रेष्ठता का और वर्चस्व का संघर्ष रहा है जो आज तक कायम है। जहां भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार प्रकृति आधारित रहा वहीं पश्चिम की अर्थव्यवस्था का आधार मशीनीकृत विकास रहा। प्रकृति का अर्थ था प्रकृति में उपस्थित हर जीव को अर्थव्यवस्था में उपयुक्त स्थान देना, फिर चाहे वह पशु हो या कीट।

भारत में प्राचीन काल से ही कृषि एवं व्यापार दोनों की समान प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यदि कहा जाए कि व्यापार ही किसी भी सभ्यता के जीवन का आधार है। व्यापार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, व्यापार के लिए विनिमय की आवश्यकता होती है। प्राचीन समय में यदि हम देखें तो गौ आधारित तमाम तरह के व्यवसाय दिखते हैं और भारत में गाय के माध्यम से एक करुणा और संवेदना का भी विस्तार होता रहा है। जब तक गौ के प्रति समाज सहिष्णु रहा तब तक एक दूसरे के प्रति भी सहिष्णुता रही, धैर्य रहा, प्रेम रहा तथा अर्थव्यवस्था भी उन्नत रही। प्राचीन काल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी उन्नत रही थी कि विदेशों के साथ इसके पारस्परिक व्यापारिक संबंध थे। यदि व्यापार था, तो कोई माध्यम रहा होगा, मुद्रा के अविष्कार से पूर्व जब वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, तब गौ का विनिमय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। चूंकि गाय ही एक मात्र ऐसा प्राणी है जो प्रकृति से सबसे कम लेता है और वह हर रूप में उपयोगी है, जैसे गाय से घी, दूध, मक्खन, मट्ठा, गाय से खेतों के लिए बैल, गाय बैल से खेतों के लिए खाद, परिवहन के लिए बैलगाड़ी, चमड़े के लिए मृत गाय बैल और गाय बैल के लिए प्रकृति से केवल भूसे की आवश्यकता होती है।

वैदिक काल से आगे बढ़ कर यदि विश्व की सर्वाधिक उन्नत शहरी सभ्यताओं में से एक हड़प्पा संस्कृति के विनाश के कारणों पर कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि शायद इतनी उन्नत सभ्यता, अंधाधुंध शहरीकरण का बोझ नहीं उठा सकी होगी। उन्होंने भवन बना लिए, बाँध बना लिए, मगर कहीं न कहीं प्रकृति से खिलवाड़ ही रहा होगा जिसने इतनी उन्नत सभ्यता को विनाश का मुख दिखलाया।

हड़प्पा सभ्यता के विनाश के उपरान्त आने वाली सभी सभ्यताओं ने इस उन्नत सभ्यता के इस महाविनाश से सबक लेते हुए प्रकृति के साथ तालमेल बैठाते हुए अर्थव्यवस्था का विकास किया। और इस अर्थव्यवस्था में गाय का स्थान मुख्य था। उन्होंने वेदों से गाय के संरक्षण और महत्ता को अंगीकार किया और प्रकृति के साथ समागम करते हुए अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। मौर्य काल हो, गुप्त काल हो या राजपूताना युग हो, गाय की महत्ता वही रही जो वेदों में थी। और यह मिथ्या दुष्प्रचार कि भारत कृषि प्रधान देश रहा है, वह अंग्रेजों की देन है। अपनी अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए और मशीन आधारित बनाने के लिए इस दुष्प्रचार को स्थापित करना आरम्भ किया कि केवल मशीनीकृत विकास ही वैज्ञानिक विकास है। और भारत के प्रकृति आधारित विज्ञान को वैचारिक स्तर पर झुठलाना आरम्भ किया। भारत यदि भारत केवल कृषि प्रधान देश था तो भारत के मसालों की सुगंध या ढाका के मलमल की कोमलता की प्रशंसा किस प्रकार सात समंदर पार पहुँची। भारत में कृषि व्यवस्था बहुत ही उन्नत थी जिसमें न केवल अपनी आवश्यकता के लिए अन्न उपजाना ध्येय था बल्कि वे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण कर चुके थे। जब अंग्रेज व्यापार करने के लिए यहाँ आए, तो पूरे विश्व को अपना उपनिवेश बनाने की चाह लिए अंग्रेज यहाँ कथित काले लोगों की एकता को तोड़ने में नाकाम रहे। अंग्रेजों का शासन भी व्यापार और संस्कृति पर कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाया व व्यापारी अपने क्षेत्रों में अभिनव प्रयोगों से भारतीय व्यापार को आगे बढ़ा रहे थे। विश्व स्तर पर डॉलर अपना खेल नहीं खेल पा रहा था। जबकि व्यापारिक मानसिकता वाले अंग्रेज हर कीमत पर अपना अधिकार चाहते थे। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति पर सबसे पहले प्रहार करना आरम्भ किया। उन्हें ऐसे लोगों की आवश्यकता थी, जो शरीर से तो भारतीय हों परन्तु मस्तिष्क से एकदम अंग्रेज। ऐसे में उन्होंने सबसे पहले सोच पर प्रहार करते हुए भारतीयों को उनकी संस्कृति से दूर किया। उन्होंने वेदों को ग्वालों के गीत कहा और जिन वेदों ने गाय के लाभों के आधार पर गोधन बताया था, उस गाय को उन्होंने यह कहकर प्रचारित किया कि चूंकि अतिथियों के आने पर गाय और बैल के मांस को खिलाया जाता था, इसलिए उसे गोधन कहा गया।

जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था हमेशा ही कृषि आधारित व्यवसाय की रही है। जिसने प्रकृति के साथ तालमेल संग अपने क़दमों को बढ़ाया है। भारत जैसे देश में प्रकृति के साथ तालमेल करते हुए व्यापार का आरम्भ हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था के इस मेरुदंड को तोड़ने के लिए जब वैचारिक कदम उठाए गए और गाय को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड न मानते हुए मात्र एक पशु की संज्ञा दी गयी वैसे ही भारतीय मेधा विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़ती गयी। षड्यंत्रों का एक ऐसा चक्र बुना गया जिससे पूरा भारतीय समाज भ्रमित हो गया और पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव के कारण गाय को माता के स्थान पर पशु मानने का ही चलन बढ़ गया। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आधार होने के कारण गौ वध को क्षमायोग्य नहीं माना गया है और इसके लिए तमाम तरह के दंडों का प्रावधान था। किंतु कालांतर में इसके कर्मकांडों में परिवर्तित हो गया, और जिसके कारण दुष्प्रचार को बल मिलता रहा।

समय के साथ इस आर्थिक कुचक्र को पहचान कर कुछ संगठनों ने कार्य करना आरम्भ किया है और गौ आधारित उत्पादों को बाज़ार का अंग बनाना आरम्भ किया है जिसमें पतंजली एवं श्री श्री रविशंकर के उत्पादों को रखा जा सकता है। जब तक गाय को एक पशु मात्र के रूप में देखा जाता रहेगा प्रश्न रहेंगे परन्तु जब उसे बाज़ार के आधार के रूप में देखा जाएगा तब उसका महत्व समझ में आएगा और भारत के विश्व गुरु बनने के लिए आवश्यक है गौ और ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था का विकास करना। क्योंकि मशीनों द्वारा संचालित डॉलर की अर्थव्यवस्था रोबोट पर समाप्त होती है तो गौ आधारित सर्वजन कल्याण मं।

मौलिक भारत ने एडीओ द्वारा गैर पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के लिए शिकायत की

सेवा में,
उपाध्यक्ष
आगरा विकास प्राधिकरण

विषय : आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा गैर पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया की शिकायत

महोदय

1. मैं, अनुज अग्रवाल, मौलिक भारत नामक गैर सरकारी संगठन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, जो पारदर्शिता लाने के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हमारा संगठन देश में भ्रष्टाचार का खुलासा करने में सबसे आगे रहता है और अदालत के अंदर और बाहर भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे संघर्ष के कारण ही न केवल नॉएडा के प्रभावी और भ्रष्ट पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह को सलाखों के पीछे जाना पड़ा और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे इस संघर्ष का ही परिणाम है आज नॉएडा का डीएनडी टोल मुक्त हो सका है।

2. हम निविदा संख्या आरएफपी संख्या एडीए/17-18/कॉम्पटीटेटिव बिडिंग/टोल प्लाजा रहाकालन/दिनांक 17.07.2017 के माध्यम से आपका ध्यान रहाकालन टोल प्लाजा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हमारी शिकायत है कि उक्त टोल की पूरी की पूरी बोली प्रक्रिया अनावश्यक जल्दी बाजी में पूरी की गयी है और यह केवल एक खास टोल परिचालक को अनावश्यक लाभ देने के लिए ही जैसे आयोजित की गयी है। बोली प्रक्रिया का संचालन एक खुली नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। जबकि राज्य की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा हाल ही में प्रक्रिया को ई-निविदा प्रक्रिया में बदला गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं सभी राज्य सरकार अपने टोल ई-निविदा के आधार पर देती हैं।

3. इस बोली प्रक्रिया के अंतर्गत टोल का निर्धारण टोल बूथ, टोल बैरियर, पावर, ऑफिस, टॉयलेट आदि सुविधाओं को ध्यान में रखे बिना और बिना किसी आधारभूत संरचना कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराए बिना भी कर दिया गया। सामान्यतया हर टोल परिचालक की रूचि पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने में नहीं होती है क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य कम से कम निवेश में अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है।

4. आर.एफ.पी. की बोली दस्तावेज में अनुच्छेद 1.4 में दिए गए प्रभारी के मोबाइल नंबर पर हमारे द्वारा बार बार फोन करने पर भी किसी ने फोन नहीं उठाया।

5. यह टोल आगरा का प्रवेश द्वार है, जहां से ताजमहल देखने के लिए अधिकतर पर्यटक गुजरते हैं। आगरा आने वाले पर्यटक को शहर के प्रवेश द्वार पर यदि रुकना पड़े और वहां पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा न हो तो न केवल हमारे शहर बल्कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की भी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी।

6. अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उस टोल पर पहले विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएं, और तभी बोली की प्रक्रिया को आरम्भ किया जाए और वह भी मात्र ई-निविदा के आधार पर।

भवदीय

अनुज अग्रवाल, राष्ट्रीय महासचिव, मौलिक भारत

प्रति: क. श्री योगी आदित्य नाथ, माननीय मुख्यमंत्री-उत्तर प्रदेश
ख. श्री सुरेश खन्ना, शहरी विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश
ग. श्री राम शंकर कठेरिया, सांसद-आगरा

केजरीवाल अपने अपराध स्वीकार कर माफी मांगे - मौलिकभारत

मौलिक भारत संस्था के ट्रस्टी नीरज सक्सेना ओर अनुज अग्रवाल द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद अपने वकील राहुलराज मलिक के माध्यम से पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सन 2013 के विधानसभा चुनावों में नामांकन के साथ दाखिल शपथपत्र को चुनौती दी हुई है। मौलिक भारत ने केजरीवाल द्वारा दी गयी अनेक सूचनाओं व जानकारियों को फर्जी बताया और अदालत को इस संबंध में ठोस सबूत दिए, जिनके आधार पर न्यायलय ने केजरीवाल को प्रथम द्रष्टयता दोषी माना और केजरीवाल के खिलाफ सम्मन जारी किए। मौलिक भारत के आरोप हैं कि केजरीवाल ने अपनी संपत्ति के पते और कीमत छुपाई ओर फर्जीवाड़े करके खुद को दिल्ली का नागरिक बता दिल्ली से चुनाव लड़ा, जबकि वो उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के निवासी थे। काफी हील हुज्जत के बाद केजरीवाल को अन्तता 10 हज़ार रुपये के निजी मुचलके पर कोर्ट में पेश होकर जमानत करवानी पड़ी और अब केस में बहस/ ट्रायल 5 अगस्त ,2017 से शुरू हुई है। चूंकि मौलिक भारत द्वारा दिये गए सबूत पुख्ता है और मुख्यमंत्री की गद्दी जिसने के साथ केजरीवाल के जेल जाने और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध की पूरी संभावना है इस कारण मामले को उलझाने और लंबा करने के इरादे से केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय से गुहार लगाई है कि मौलिक भारत द्वारा झूठे सबूतों के आधार पर ओर राजनीतिक कारणों से उन पर आरोप लगाए हैं। अत: उन पर दर्ज मुकदमा रद्द किया जाए। इस मामले पर 4 अगस्त 2017 को दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। इस मामले में मौलिक भारत ने पुख्ता सबूतों के साथ केजरीवाल के झूठे दावो का विरोध किया।

मौलिक भारत के ट्रस्टी नीरज सक्सेना आदि ने केजरीवाल के सन 2014 के दिल्ली विधानसभा सभा चुनावों में भी झूठा शपथ पत्र भरने की शिकायत राष्ट्रपति से की थी जो चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय होते हुए जांच के लिए दिल्ली पुलिस तक आ गयी है। दिल्ली पुलिस शीघ्र ही इस मामले की जॉच कर रिपोर्ट गृह मंत्रालय के माध्यम से चुनाव आयोग को भेज सकती है। इसी कारण केजरीवाल घबराए हुए हैं। मौलिक भारत की केजरीवाल से अपील है कि वो दिल्ली की जनता और न्यायालय से अपने अपराध कबूल करते हुए माफी मांगे ओर जो कानून सम्मत सजा उन्हें मिलती है, उसे स्वीकार करें।

केजरीवाल फुस्स: दिल्ली उच्च न्यायलय ने केजरीवाल के विरुद्ध मौलिक भारत द्वारा दायर आपराधिक मामले में स्टे देने से इंकार किया। 2 फरवरी,18 को मौलिक भारत को दाखिल करना होगा उच्च न्यायालय में केजरीवाल के आरोपों का जबाब।

रंग लाया न्याय भूमि और मौलिक भारत का संघर्ष

ओला और उबेर के खिलाफ न्यायालय हुआ सख्त

1. बिना लाइसेंस टैक्सी चलाने का आरोप
2. यात्रियों से अधिक पैसे वसूलने का भी आरोप
3. कोर्ट के अनुसार पहली नजर में परमिट उल्लंघन का मामला बनता है

एप आधारित कैब सेवा प्रदाताओं ओला और उबेर के खिलाफ न्यायभूमि संगठन का संघर्ष रंग लाया जब दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी के तौर पर तलब किया। उन्हें शहर में बिना लाइसेंस के कथित तौर पर टैक्सियां चलाने और यात्रियों से अधिक पैसा वसूलने को लेकर तलब किया गया है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने अपने आदेश में साफ कहा दोनों ही सेवा प्रदाताओं पर अधिक किराया वसूलने को लेकर इन फर्मों के खिलाफ परमिट उल्लंघन का मामला बनता है। यह खुले तौर मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

अदालत ने ओला का संचालन करने वाली कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और टैक्सी फॉर श्योर का संचालन करने वाली सेरेंडिपिटी इन्फोलैब्स प्राइवेट लिमिटेड को अदालत में तलब किया और उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा।

न्यायभूमि की अर्जी पर अदालत ने आदेश दिया

अदालत का आदेश एनजीओ न्यायभूमि की याचिका पर आया। ऑटो हितों के लिए संघर्ष करने वाले संगठन न्यायभूमि का एप आधारित कैब सेवाओं के खिलाफ संघर्ष बहुत पुराना है। सचिव न्याय भूमि एवं ट्रस्टी, मौलिक भारत श्री राकेश अग्रवाल ने तीनों फर्मों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाने की मांग की थी। न्यायभूमि ने यह याचिका अधिवक्ता सुमित कुमार के जरिये दायर की थी।

अदालत ने कहा कि एमवी अधिनियम की धारा 93 (1) (आई) को यह आदेश दिया गया है कि एक एजेंट जो ग्राहकों को सार्वजनिक सेवा वाहन (पीएसवी) के लिए अनुरोध करता है, उसे कानून के अंतर्गत एक लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। यह नोट किया गया है कि ये कंपनियां संविदा गाड़ी के आधार पर सार्वजनिक सेवा वाहन चला रही हैं।

उत्तरदाता (फर्म) एक एग्रीगेटर के रूप में काम कर रहे हैं जो ड्राइवरों, ग्राहक आवंटन, किराए, एसओएस प्रोटोकॉल और अन्य प्रशासनिक मुद्दों का निर्णय ले रही हैं। यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली में सार्वजनिक सेवा वाहन चलाने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा एमवी अधिनियम की धारा 93 के तहत कोई लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया है, जो कि शहर टैक्सी योजना, 2015 और एमवी अधिनियम की धारा 93 का उल्लंघन है।

अदालत ने पाया कि एनजीओ ने जिन रिकॉर्ड दस्तावेजों पर दस्तखत किए हैं, वे यह दावा करते हैं कि ये सभी फर्म ग्राहकों से अधिक किराया ले रही हैं।

अदालत ने यह भी संज्ञान लिया कि 20 जून, 2013 की एक अधिसूचना के अनुसार दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने किराए पर फैसला किया है। यह प्रति किलोमीटर किराया, रात का किराया, इंतजार करने का किराया और फ्लैग डाउन किराए का निर्धारण करता है।

इस फैसले का स्वागत करते हुए न्यायभूमि के सचिव श्री राकेश अग्रवाल ने कहा कि एप आधारित कैब सेवाओं ने ग्राहकों को न केवल लूटा है बल्कि उन्होंने देश की संपदा पर भी हमला किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ये सेवाएं बिना लाइसेंस के सेवा प्रदान कर रही हैं। दिल्ली में जब गैस से ही टैक्सी सेवा प्रदान की जा सकती हैं, तो उसमें ये डीजल वाली गाड़ियों का भी प्रयोग कर रहे हैं। यह भी एक उल्लंघन है। और दूसरा उल्लंघन ये कंपनी किराया तय करने में करती हैं, क्योंकि दिल्ली में किरायामीटर के हिसाब से तय किया जाता है जबकि ये एप के हिसाब से और अपने अनुसार ही किराया तय करती हैं। ये परमिट की शर्तों का उल्लंघन है। हमारा संघर्ष कई वर्षों से चले आ रहे इस घोटाले से है। और इस सम्बन्ध में हमने 8 जून 2016 को दिल्ली के मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा था। इन दोनों ही सेवा प्रदाताओं ने वर्ष 2016 तक तेरह करोड़ ट्रिप की हैं। और हर ट्रिप में कम से कम एक चलान हुआ है, तो अगर देखा जाए तो 26,000 करोड़ जुर्माना तो यही हो गया और अगर उसमें परमिट की शर्तों के उल्लंघन के पार्टी उल्लंघन 5000 रूपए के चलान को और जोड़ा जाए तो कुल 65,000 करोड़ का जुर्माना यह हुआ। तो अभी तक ओला और उबेर लगभग 91,000 करोड़ का जुर्माना घोटाला कर चुकी हैं।

हमने कोर्ट से इस विषय में पर्याप्त कदम उठाने का अनुरोध किया है। ■

उच्चतम न्यायालय ने लिया मौलिक भारत के ईमेल का संज्ञान

मौलिक भारत के ट्रस्टी नीरज सक्सेना ओर अनुज अग्रवाल द्वारा सांसदो ओर विधायकों के शपथपत्रों की जांच कराने की मांग कुछ माह पूर्व ही चुनाव आयोग ने मान सी बी डीटी को जाँच के आदेश दिए थे। 30 सितंबर तक यह जांच पूरी होनी है। उच्चतम न्यायालय में एक अन्य मामले में सी बी डी टी ने जो अंतरिम रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है उसमें यह तथ्य सामने आने लगे हैं कि हमारे देश में चुनाव लड़नेवाले तथाकथित माननीय झूठे शपथपत्र भरते हैं।अभी और भी बहुत से बड़े खुलासे होते जाएंगे। बस धैर्य और दबाब बनाये रखें। इसी मुद्दे पर कुछ माह पूर्व एक चैनल को दिए गए मेरे साक्षात्कार का लिंक भी नीचे है –

http://dialogueindia.in/open-court-debate-show-with-anuj-a.../

केंद्र सरकार से माननीयों के द्वारा चुनाव के समय भरे गए शपथपत्रों में वर्णित संपत्ति की जाँच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से करानेके चुनाव आयोग के तरीके को एक तरीके से मान्यता देते हुए आगे की बात कहीहै। न्यायलय ने कहा कि जांच में जिस किसी भी निर्वाचित सांसद और विधायक कीचल व अचल संपत्ति शपथ पत्र में दिए गए विवरण से अधिक पायी जाए उन पर आगे कीकानूनी कार्यवाही हेतु त्वरित अदालतों के गठन केंद्र सरकार करे ताकि इन जनप्रतिनिधियों को शीध्र अति शीघ्र सजा दी जा सके।

उल्लेखनीयहै प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने लोकसभा चुनावों के बाद घोषणा की थीकि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की शीघ्र सुनवाई हेतू वेजल्द ही त्वरित अदालतें गठित करंगे किंतु ऐसा कुछ उनकी सरकार ने किया नहीं।

मौलिकभारत चुनाव के समय भरे जाने वाले शपथ पत्रों की जांच के लिए एक जांचएजेंसी बनाने की मांग सन 2013 से करता आया है और इस संदर्भ में चुनाव आयोग, अदालतों, संसदीय समिति और विभिन्न जांच एजेंसियों के पास कई बार शिकायतेंदर्ज करवा चुका है। मौलिक भारत की शिकायत पर ही चुनाव आयोग ने लोकसभा केचुनावों के समय सीबीडीटी से चुनाव लड़ने वालों के शपथपत्रों की जांच की बातकही थी और हाल ही में पांच राज्यो के चुनावों के समय हमारी शिकायत पर लिखितरूप से हमे सूचित किया था कि आयोग में पाँचों राज्यों के सभी निर्वाचितप्रतिनिधियों की चल –अचल संपत्ति की जांच 30 सितंबर 2017 तक पूरी कररिपोर्ट देने के आदेश दे दिए हैं।

सच्चाई यह है कि अगर गहराई से जांच कीजाए तो 80प्रतिशत शपथ पत्रों में गड़बड़ी मिलेंगी। उच्चतम न्यायालय ने मात्रसंपत्ति की जांच के लिए त्वरित न्यायलय बनाने के निर्देश दिए हैं लेकिनआपराधिक मुकदमों के नहीं, ऐसा क्यों? मौलिक भारत की जांच समिति ने पाया हैकि अक्सर कई मुकदमों की, चल अचल संपत्ति की सूचना तो छुपाई ही जाती है, साथही अधूरा पता, फर्जी तरीके से जाति, आयु प्रमाणपत्र ओर वोट बनवाने के खेलभी खेले जाते हैं। ये सब जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार गैरकानूनी है औरइसमें दोषी पाए जाने पर न केवल चुनाव रद्द हो जाता है वरन जेल भी होती है।साथ ही 5 से 7 बर्षो तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लग जाता है।

ऐसे में मौलिक भारत उच्चतम न्यायालय से मांग करता है कि

1) एक स्थायी जांच एजेंसी बनाई जाए जो पंचायत से लेकर राष्ट्रपति तक किसी भीप्रकार का चुनाव लड़ने वालों के शपथपत्र की समग्र जांच करने के लिए अधिकृतहो। यह जांच एजेंसी अपने निष्कर्षों के अनुरूप जिलेवार त्वरित अदालतों कोअपनी जांच रिपोर्ट सौपे ओर फिर उन पर अदालतें उचित कार्यवाही करें।

2) कोई भी भारत का नागरिक जो किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने को इच्छुक हो, वहचुनाव बिशेष से छः माह पूर्व ही अपना शपथ पत्र चुनाव कार्यलय में जमा कराएओर चुनाव कार्यालय 90 दिनों में जांच कर उसे सार्वजनिक कर ताकि जनता के पासस्वच्छ और निष्पक्ष चरित्र के जनप्रतिनिधियों को चुनना संभव हो सके। ■

तीनों प्राधिकरणों की जांच में पूरी निष्पक्षता बरते सीएजी

– मौलिक भारत

अंततः मौलिक भारत की वर्षो से उठाई जा रही मांग को मानते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अभी तक सीएजी ऑडिट से बाहर रहे गौतमबुद्ध नगर के तीनों विकास प्राधिकरणों की सीएजी से जांच के आदेश दे ही दिए। हमारी मांग यह भी है कि सीएजी के साथ कालाधन पर उच्चतम न्यायालय की निगरानी में बनी एसआईटी के द्वारा भी तीनों प्राधिकरणों की जांच की जाए। हमें आंतरिक सूत्रों से डी एन डी पुल की सीएजी ऑडिट से संबंधित जो सूचनाएं मिल रही हैं उनसे लगता है कि डीएनडी कम्पनी ने सीएजी की जांच टीम को मैनेज कर लिया है। ऐसे में लाखों करोड़ के घोटाले वाले नोयडा, ग्रेटर नोयडा और यमुना प्राधिकरण की जांच मात्र सीएजी के भरोसे छोड़ना मूर्खता ही होगी। हमारी सी ए जी से अपील है कि तीनों प्राधिकरणों की जांच समयबद्ध तरीके से करे और इसकी निष्पक्षता बनी रहे। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से अपील है कि अपनी अन्य सभी जांच एजेंसियों को भी समानांतर तीनों प्राधिकरणों के सन 2003 से अभी तक के निर्णयों, ठेके, नियुक्तियों, प्लाट ओर धन के आबंटन की जांच कराए।

विमुद्रिकरण (नोटबंदी) के रहस्यमयी आंकड़ों की दुनिया

जब विमुद्रिकरण या नोटबंदी की बातें हो रही हों तो इससे प्रभावित लोगों सेमेरा मतलब उन 1त्न लोगों से है जिनके पास देश की 85 से 90त्न ज्ञात धन संपदाहै। नोटबंदी की लाइनों में लगे शेष 99प्रतिशत जनता के 10प्रतिशत प्रतिनिधियों के कष्ट और संघर्ष सचमुच प्रेरणादायक हैं, जिन्होंने मोदी सरकार की 1प्रतिशत तथा कथित संभ्रांत मगर लुटेरे वर्ग की नाक में नकेल डालने के लिए हर कदम पर साथ दिया। मौलिक भारत के माध्यम से हमने भी कदम कदम पर इस कार्य को सुचारू रूपसे सम्पन्न करने में सरकार को हर संभव मदद की थी। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार और लूट के कारण ठगे आम भारतीयों का मोदी सरकार के साथ खड़े होनेका ही परिणाम था कि भारत मे बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ एक रक्तहीन क्रांति सफल हो सकी।

रिजर्व बैंक द्वारा 30 अगस्त को नोटबंदी के परिणामस्वरूप देश के बैंकों में जमा 500 और 1000 के नोटों के जो आँकड़े जारी किए गए उनका मख़ौल उड़ाते इसी 1 प्रतिशत लुटेरे बुर्जुआ वर्ग की तीखी ओर भद्दी प्रतिक्रियाओ की झड़ी सी लग गयी मीडिया और सोशल मीडिया पर।

क्या सच में नोटबंदी असफल हो गयी और मोदी सरकार ने देश को बेबकूफ बनाया? नहीं बिल्कुल नहीं, सच्चाई बहुत गहरीओर भयावह है। जी हां कपा देने वाली। अगर मोदी सरकार नोटबंदी के बाद प्राप्तआंकड़ों, तथ्यों और सबूतों को सार्वजनिक कर दे तो इस 1 प्रतिशत वर्ग के अधिकाँशलोगों को जेलों में ठूंसना पड़ेगा और भारत में आज के मुकाबले कई गुना जेलेंबनाकर भी काम नहीं चलेगा।

डायलॉग इंडिया नोटबंदी से अब तक पूरे घटनाक्रम पर पैनी नज़र रखे हुए है और हमारी जांच पड़ताल कुछ और ही रहस्यों को उजागर कर रही है।

1) देश की 99प्रतिशत जनता जिसके पास देश की कुल धन संपदा का मात्र 10 से 15प्रतिशत है, कोहम भ्रष्ट नहीं कह सकते। उसको शेष 1त्न लोग ही दबाब डालकर भ्रष्ट बनाते हैं।इस 99प्रतिशत जनता का पैसा पूरी ईमानदारी से बैंकों ने जमा किया और उनसे संबंधितरिजर्व बैंक के आंकड़े बिल्कुल सही हैं।

2) खेल देश की 1प्रतिशत समृद्ध जनता का है। इसमें राजपत्रित सरकारी कर्मचारी, नेतागण, जनप्रतिनिधियों की जमात, उद्योग, व्यापार, ठेके से जुड़े लोग, प्रमुख वकील, जज, मीडिया हाउस, धर्मगुरु और सामाजिक और धार्मिक संगठन और संस्थाएं हैं।

3) जब हमने अनौपचारिक रूप से इस समृद्ध तबके को कुरेदा तो सैकड़ों ने स्वीकार किया कि उनके पास करोड़ दो करोड़ से लेकर हज़ारों करोड़ तक पुरानी करेंसी अभी भी पड़ी है या नष्ट कर दिया है जो कालाधन होने के कारण बैंकों में जमा नहीं कर पाए। अगर आंकलन किया जाए तो यह नष्ट की गई या जमा न होने वाली राशि कुल जमाराशि से दुगनी है। यानी देश मे नकली, अवैध या एक ही नम्बरों के दो नोट भारीमात्रा में उपलब्ध थे जो मुद्रा प्रसार को बढ़ा देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे थे।

4) देश मे अवैध एवं नकली मुद्रा विदेशी दुश्मन देशोद्वारा, अंतरराष्ट्रीय माफिया द्वारा ओर देश मे फैले नकली मुद्रा के संगठितअपराधियों द्वारा (पाकिस्तान, बांग्लादेश, दाऊद इब्राहिम गैंग, सीआईएआदि) फैलाई गई थी और एक ही नम्बर के दो दो नोट निश्चित रूप से वित्तमंत्रालय, रिजर्व बैंक और करेंसी छापने से जुड़ी प्रेस के कर्मचारियों केसिंडिकेट के द्वारा फैलाए गए थे(तेलगी घोटाल, चिदम्बरम पर अवैध करेंसीछापने के आरोप)।

5) नोटबंदी के दौरान उत्तर प्रदेश में मुलायम, माया, बेब समूह ओर जेपी ग्रुप सहित सभी बड़े बिल्डरों के पास 10-20-50 हज़ार करोड़ रुपये नकद होने की खबरें आई थी। अधिकांश नौकरशाहो की भी 60 से 70 प्रतिशत रकम बैंकिंग तंत्र में नही आ पायी थी। महाराष्ट की बात करें तो शरद पवार सहित अनेक राजनेताओं और बिल्डरों के पास नकदी होने के आंकड़े उत्तर प्रदेशसे टेरन गुने थे। यही खबरे दिल्ली में गांधी परिवार और उनके भाजपा वकांग्रेसी सहित राजनीतिक दलों के नेताओ,चेन्नई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, बंगलोर आदि दर्जनों शहरो के हैं। बुंदेलखंड खण्ड के बीहड़ों, गोदामों, नदियों, तहखानों से लेकर कूड़े के ढेरों के अंदर की अगर ठीक से तलाशी ली जाए तो अमीर वर्ग द्वार लाखों करोड़ नष्ट किये या छुपाए गए नोटो के निशान मिल जाएंगे। निश्चित रूप से यह अवैध गहन 30 से 40 लाख करोड़ रुपयों से कम नहीं है।

6) सच्चाई तो यह है कि रिजर्व बैंक को भी नहीं पता कि उसके पासआये नोटो में कितने नकली हैं या कितने दो नम्बर वाले। इसीलिए 99प्रतिशत जनता द्वारा ईमानदारी से जो भी जमा किया गया बिना किसी हील हुज्जत के स्वीकार कर लिया गया और 1 प्रतिशत समृद्ध वर्ग के लोगों से

अनोपचारिक डील के हिसाब से। यानि जितना अकाउंट में नम्बर एक मे पिछले बर्षो में टर्नओवर दिखाया उसी के आसपासस्वीकार किया जाएगा। शेष पर टैक्स ओर पेनल्टी ही इतनी थी कि अधिकांश नेपोल खुलने के डर से नष्ट करना या छुपाना ही उपयुक्त समझा।

7) नोटबन्दीके उपरांत देश मे आतंकी ओर नक्सली नेटवर्क बुरी तरह टूट गया है।साम्प्रदायिक ओर जातीय दंगे दस गुना कम हो गए हैं। राजनीतिक उत्पात अब 2 से 3 घण्टों में नियंत्रित हो जाते हैं। देश के अंदर होने वाले चीन, पाक, चर्च ओर कट्टरपंथी उत्पात अब सीमा पर होने लगे और पाक ओर चीन की सेनाओं कोस्वयं मोर्चा संभालना पड़ा है जिससे उनकी पोल तो खुली ही , अन्तर्राष्ट्रीयमंचो पर किरकिरी भी हुई है। देश में 15 से 20 प्रतिशत तो ही वेध रूप सेहोने वाले आंतरिक ओर विदेश व्यापार अब 50 से 60 प्रतिशत तो वैध हो गए हैंऔर निकट भबिष्य में ये 80 प्रतिशत तो वैध होते जाएंगे। इससे सरकारी आमदनीतेजी से बढ़ने की उम्मीद है और कर दरों के उत्तरोत्तर कम होने की भी।

8) देश में जमीनों ओर मकानों के दाम कम या स्थिर हो गए हैं। कई लाख फर्जीकम्पनियों को बंद कर दिया गया है। आधार कार्ड, पेन नम्बर ओर बैंक अकाउंटजोड़े जा रहे हैं। सम्पतियों को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ाबा दिया जा रहा है।डॉलर के दाम 69 रुपये से घटकर 63 रुपयों तक आ गएहैं। अगले 6 माह में जी एस टी पूरी तरह लागू होने के बाद कीमतों में स्थिरता आती जाएगी। अब सरकारी धन की लूट संभव नहीं क्योंकि डिजिटल पेमेंट और ई टेंडरिंग ने खेल बदल दिए हैं। देश में जिस तीव्र गति से ढांचागत विकासहो रहा है वह अगले कुछ बर्षो में तीव्र औधोगिकरण का मार्ग प्रशस्त कर रहाहै, जी निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी का कारक तो बनेगा ही भारीमात्रा में रोजगार भी पैदा करेगा।

9) अब सवाल दोषियों को दंड दिए जानेकी भी है। जब सरकार को पता है कि किन किन के पास अवैध धन था तो उनके खिलाफकार्यवाही क्यो नही? जबाब सीधा साधा है। चूंकि देश मे पिछली सत्तारुढ़सरकारों ने परोक्ष रूप से देश को लूटने ओर भ्रष्टाचार की संस्कृति को बढ़ाबादिया ऐसे में क्या अपना ओर क्या पराया सबने खुले हाथों लूटा। अब किस किसको पकड़े? पूरे कुए में ही भांग पड़ी है। बेहतर है कि उनकी काली कमाई कोबेकार कर दो और जिन जिन रास्तों का वो प्रयोग करते थे उन्हें बंद कर दो।बेचारे सारे लुटे पिटे बैठे हैं, सालो साल जो सरकार और जनता को लूटा सब कुछही पलों में ढेर हो गया। आने वाले समय मे कमा कर छुपाने के या खपाने केरास्ते ही सीमित हो जाएंगे फिर आटे में नमक जितना ही खेल बचेगा। बाकी सबूतभी हैं और गवाह भी सरकार के पास और सरकार ने कब कहा कि वो कार्यवाही नहींकरेगी या दोषियों को दंड नहीं देगी?

10) बहुत तेजी से दोषियों कोलपेटने को सरकार भी उतावली नहीं। उसे पता है अर्थव्यवस्था दबाब में है औरज्यादा सख्ती एक साथ करने पर बिखर सकती है। पहले अर्थव्यवस्था रास्ते परलाओ, फिर चाबुक घुमा दो। और जिन जिन पर पड़ रही है इस चाबुक की मार वो ही तोअसफल ठहरा रहे हैं इस नोटबंदी को।

अंत मे महत्वपूर्ण बात, अगर सरकार नेकुछ बदमाशी की है, तथ्य छुपाए है , आंकड़ों में हेराफेरी की है, राजनीतिक फायदे उठाये हैं, दोषियों को बचाया है या ढीली पड़ गयी है उनके खिलाफ इसलिएतो यह हट जानी चाहिए। मगर बात तो नीयत की है। यूपीए की लुटेरी सरकारलोकपाल, आर टी आई, बिसिल ब्लोअर बिल ओर न जाने कितने कानून लायी एमजीआर लूटकम न हुई और मोदी की एनडीए सरकार ने इन सभी कानूनों को लागू नहीं किया फिरभी लोग भ्रष्टाचार करने से घबरा रहे हैं। कुछ बात तो है दोस्तों।

नोटबंदी, करेंसी माफिया और लैंडफिल

दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े का ढेर यानि लैंडफिल जो निस्तारण के अभाव में पहाड़ साबन गया उसका एक हिस्सा दो दिन पहले यकायक टूटकर गिर गया। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद इसका कारण मीथेन गैस बनने और उस कारण विस्फोट होना बता रहे है किंतु डायलॉग इंडिया की जांच कुछ और ही कहानी बता रही है।

पिछले वर्ष जब मोदी सरकार ने नोटबंदी की थी तो उससे सबसे ज्यादा परेशान लोगों में सोनिया,ममता,माया, चिदंबरम, शरद पवार, करुणानिधि,लालू और मुलायम के साथसाथ केजरीवाल भी थे। यूपीए के पुराने नेता तो घाघ थे इसलिए उन्होंने अपनीफर्जी कम्पनियों में अपनी काली विरासत ठिकाने लगा दी मगर नए नए राजनीतिकमुल्ला बने केजरीवाल ऐसा नहीं कर पाए थे। कम्पनियों ओर प्यादों के बीचकरेंसी खपाने के बाद भी देश मे सभी नेताओं, नोकरशाहो, न्यायधीशो,

उद्योगपति, व्यापारियों, ठेकेदारों, बिल्डरों आदि के पास पर्याप्त मात्रामें ऐसी करेंसी बच गयी जो कहीं भी नहीं खप सकी। इनमें जाली या नकली नोट केसाथ अवैध नोट भी थे जो बैंकिग सिस्टम में जा ही नहीं सकते थे।

देशमें नकली या जाली मुद्रा का कारोबार तेलगी घोटाले के समय सामने आया था जबनासिक प्रेस से पुरानी डाई चुराकर तेलगी ने कई लाख करोड़ के नकली स्टाम्पपेपर और करेंसी बाजार में चला दी थी। लॉई डिटेक्टर टेस्ट में तेलगी ने शरदपवार का नाम अपने बॉस के रूप में लिया था। एक दर्जन से ज्यादा प्रदेशों मेंहुए इस घोटाले में कई लाख राज्य कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आयी थी।इसी कारण इस घोटाले की जांच आजतक अंजाम तक नहीं पहुंची।

पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के साथ अमेरिका भी भारत में जाली करेंसी भिजवाता है।पश्चिमी बंगाल से भारी मात्रा में दाऊद इब्राहिम गैंग के माध्यम से नकलीकरेंसी पहुँचवायी जाती है। पहले वामपंथी ओर अब ममता इस खेल का अंजामपहुचाने में बड़े मददगार रहे हैं। इसी कारण इस गैंग द्वारा कलकत्ता मेंलाखों पोंजी कम्पनियों को रजिस्टर्ड कराया गया है ताकि आने वाली जालीकरेंसी इन कम्पनियों के बैंक खातों के माध्यम से बाज़ार में पहुंच जाए।

सेकुलरयूपीए की सरकार में वित्त मंत्री चिदंबरम पर भी 18 हज़ार करोड़ रुपयों कीऐसी करेंसी छापने का आरोप आया जिसमें डॉट लगा कागज करेंसी के लिए कागज देनेवाली कंपनी द्वारा भारत भेजा गया और उसको सरकार द्वारा स्वीकार नहीं कियागया। आरोप है कि चिदंबरम ने इस कागज़ को वापस नही भिजवाया ओर सोनिया- मनमोहनकी सहमति से छपवा कर अपनी पोंजी कम्पनियों के माध्यम से बाजार में चलवादिया, आरोप यह भी है कि इन नोटों पर अधिकृत नोटो वाले ही नम्बर डलवाए गएयानि एक ही नम्बर के दो नोट, वो भी 18 हज़ार करोड़ रुपयों के।

पश्चमीबंगाल के माल्दा जिले में बहुतायत जनता नकली नोटों का ही कारोबार करती थी।बांग्लादेश देश की सीमा पर स्थित इस जिले से सबसे अधिक नकली करेंसी देशमें खपाई गयी और इस खेल की संरक्षक ममता बनर्जी थीं। आप यह कह सकते हैं किममता नकली नोटों के ढेर पर बैठी थीं। इन्हीं नोटो के सहारे वो भारत कीप्रधानमंत्री बनना चाहती थीं। इस सपने को साकार करने के लिए ही उन्होंनेदिल्ली में केजरीवाल से हाथ मिलाया था। अति महत्वाकांक्षी केजरीवाल जोराजनीति में नए थे और ईमानदारी का ठप्प लगे होने के कारण

बांग्लादेश देश की सीमा पर स्थित इस जिले से सबसे अधिक नकली करेंसी देशमें खपाई गयी और इस खेल की संरक्षक ममता बनर्जी थीं।

खुलकर पैसा नहींबना पा रहे थे कि मदद ममता ने भरपूर की ओर जाली नोटों से केजरीवाल कोमालामाल कर दिया गया। चुनावों से पूर्व दाऊद के हेडक्वार्टर दुबई की केजरीवाल की यात्रा को भी आप इससे जोड़कर देखें तो सारा खेल समझ जाएंगे।

अगर आप किसी भी तथाकथित पैसे वाले से बातचीत करेंगे तो वह बता देगा कि देश मे यूपीए के समय नेताओं, मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों को जो रिश्वत दीजाती थी उसमें 10, 20 से 50 प्रतिशत तक जाली नोट हुआ करते थे। देश की सेकुलर राजनीति जाली नोटों के सहारे चल रही थी। दाऊद 300 रूपये में 1000 का और 200 रुपये में 500 का नोट सप्लाई करता था। यानि सिस्टम से जुड़े लोग बड़ी आसानी से अपनी रिश्वत की रकम को रातोंरात से तीन गुना कर लेते थे। यही हराम की कमाई देश मे बांटो ओर राज करो के खेल को आगे बढ़ाती थी। इसीलिए देश मे आतंकी हमले, नक्सली हिंसा, धार्मिक, जातीय और भाषायी दंगे आम बात हो गयीथी। देश मे 800 से अधिक फर्जी आंदोलन इसी नकली करेंसी और विदेशी सीएसआर फंड की बदौलत खड़े किए गए थे।

जब मोदी सरकार ने नोटबंदी अकस्मात घोषणा की तो यह हराम की कमाई वालों पर वज्रपात की तरह था। स्पेक्ट्रम ओर खनिज संसाधनों की लूट के साथ ही सरकारी प्रोजेक्ट्स में दुगनी तिगुनी लागत दिखा मोटी कमाई करने वाले और बैंकों सेलाखो करोड़ कर्ज लेकर डकारने वालों ने देश के साथ ही विदेशों में भी अपनीनकद असली/जाली करेंसी ठिकाने लगा रखी थी। देश में मुद्रा प्रसार बहुत अधिकहो गया था और जमीन, सोना, शेयर बाज़ार , विटीकोइन सब महंगे होते जा रहे थे क्योंकि सब अपनी काली कमाई जल्द से जल्द खपाने को आतुर थे। देश में औसतन 10 प्रतिशत ही लेनदेन बैंकिंग सिस्टम से यानि वैध तरीके से हो रहा था बाकी 90 प्रतिशत अवैध था जो कालाधन पैदा कर रहा था। सबसे बड़ी बात कि आंकडो में बहुत ही बड़ाअमाउंट होने के बाद भी यह लेनदेन देश की 1 प्रतिशत समृद्ध आबादी के बीच ही था और देश की 99 प्रतिशत आबादी से इसका कोई मतलब नहीं था। इस धन से कुछ भी उत्पादक कार्यनहीं हो रहे थे बल्कि कुछ वस्तु बिशेष जैसे जमीनें, मकान और ऑफिस आदिमहंगे ओर महंगे होते जा रहे थे। इस कारण भारत मे उत्पादन लागत महंगी होतीजा रही थी और महंगाई बढ़ रही थी या फिर आयात। इस काले धन को सफेद बनाने केलिए पोंजी कम्पनियों ओर स्कीमों का बड़ी मात्रा में सहारा लिया गया। सहारा, पर्ल ओर शारदा चिट फंड कम्पनियों जैसी सैकड़ो कम्पनियों में फर्जी खाते खोलकर इन धन को सफेद बनाया गया। मोदी सरकार ने जब इन कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही की तो इन कम्पनियों से जुड़े कर्मचारियों पर रोजगार का संकट आ गया। कुछ ऐसा ही बिल्डरों से जुड़े प्रोजेक्ट्स ओर कर्मचारियों के साथ हुआ। मगर अब जब अर्थव्यवस्था को ढर्रे पर लाया जा

रहा है और काली कमाई ओर जालीनोटों का खेल कई गुना घट गया है तो कुछ समय में देश की आंतरिक ताकत बढ़नी तय है। मोदी सरकार इंफ्रास्टक्चर पर आशातीत खर्च कर रही है। सरकारी धन कीलूट कई गुना तक कम हुई है, जीएसटी लागू होने के बाद कर चोरी को विराम लगा है , डिजीटलीकरण से जाली नोटों का खेल रूका है और बैंकिंग व्यवस्था फिर से मजबूत हो रही है। इसका फायदा अगले वित्त बर्ष से देशवासियों को मिलना तय है।

अब बात गाजीपुर के लैंडफिल की। नोटबंदी के बाद वे सभी जिनके पास बैंकिंग सिस्टम में खपाने के बाद भी भारी मात्रा में कालाधन व नकली नोट बच गए उन्होंने या तो उन्हें जला दिया या नदियों में बहा दिया। कुछ के गोदामोंमें अभी भी भरे पड़े हैं तो कुछ ने महानगरों के लैंडफिल यानी कूड़े के पहाड़ोमें खुदाई करवाकर भरवाया ओर पेट्रोल छिड़काव करवाकर आग लगवा दी। इस आग ने कूड़े के पहाड़ को अंदर से खोखला कर दिया और अनेक जगह धसक गया या गिर गया। गाजीपुर में चूंकि सड़क किनारे वाला पहाड़ धसक कर गिरा इसलिए शोर मच गया।

यूं तो केजरीवाल ने एक्सिस बैंक में अपने सीनियर पोजिशन वाले मित्र की सहायता से काफी असली मगर काली पुरानी करेंसी को नई करेंसी में बदलबा लिया था किंतु ममता दीदी और दाऊद से मिले नकली नोट इन लैंडफिलो में ही दबबा कर जलबाएहोंगे जैसे माया ने बुंदेलखंड के बीहड़ों में जलवाए थे। भारत को हाल ही में जिस भी किसी अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन ने सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश का दर्जा दिया वह गलत नहीं है क्योंकि नोटबंदी के बाद देश के हर सरकारी और गैर सरकारी पैसे वाले ने बैंकिंग सिस्टम में अपनी काली करेंसी डलवाने के लिए हर संभव खेल खेला। परंतु अनजाने में ही देश मे एक पारदर्शी अर्थव्यवस्था की जोबुनियाद रख दी है उसका मजा ओर फायदा आने वाली पीढ़ी लेंगी। बाकि इनकारगुजारियों को अंजाम देने वाले चाहे वो किसी भी दल से जुड़े हो, वह यह न सोचें कि वे बच जाएंगे। उनका अपराध सबूतों सहित सरकार को पता है, बस कार्यवाही की देरी है। ■

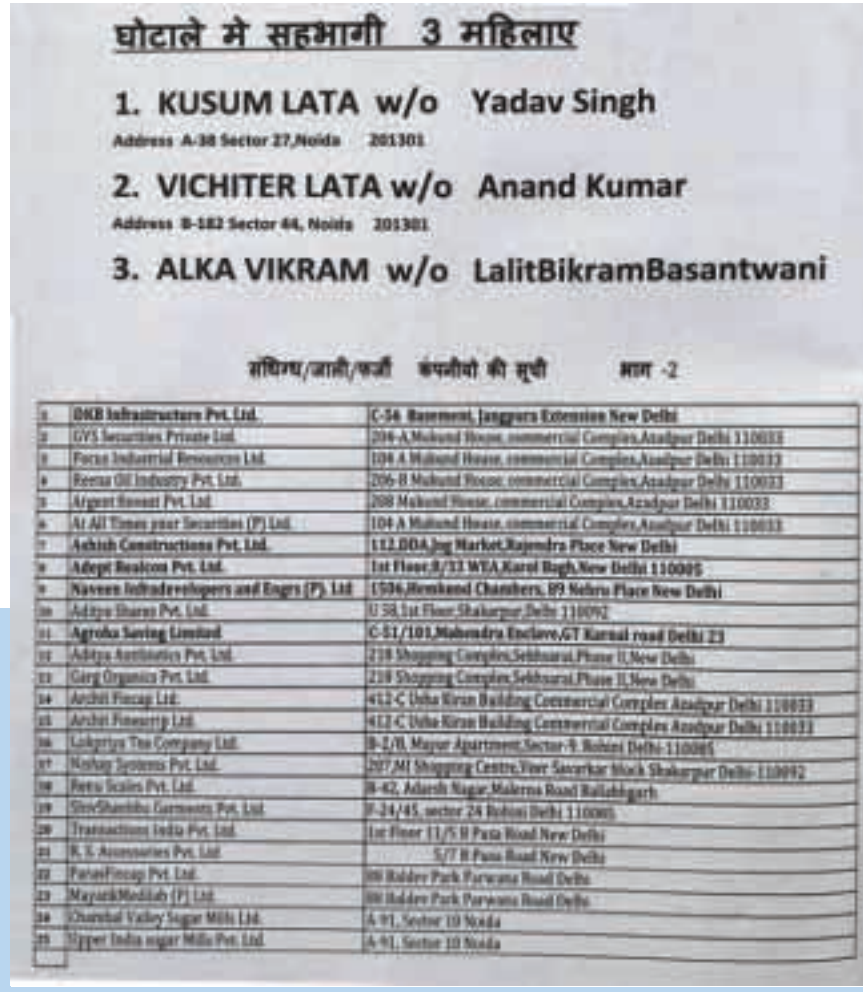

घोटाले मे सहभागी 3 महिलाए

1. KUSUM LATA w/o Yadav Singh
Address A-38 Sector 27,Noida 201301

2. VICHITER LATA w/o Anand Kumar
Address B-182 Sector 44, Noida 201301

3. ALKA VIKRAM w/o LalitBikramBasantwani

संदिग्ध/जाली/फर्जी कंपनीयो की सूची भाग -2

1	DKB Infrastructure Pvt. Ltd.	C-54, Basement, Janpura Extension New Delhi
2	GVS Securities Private Ltd.	204-A,Mukund House, commercial Complex,Azadpur Delhi 110033
3	Focus Industrial Resources Ltd.	104 A Mukund House, commercial Complex,Azadpur Delhi 110033
4	Reena Oil Industry Pvt. Ltd.	206-B Mukund House, commercial Complex,Azadpur Delhi 110033
5	Argent Rewest Pvt. Ltd.	208 Mukund House, commercial Complex,Azadpur Delhi 110033
6	At All Times your Securities (P) Ltd.	104 A Mukund House, commercial Complex,Azadpur Delhi 110033
7	Ashish Constructions Pvt. Ltd.	112,DDA,Jog Market,Rajendra Place New Delhi
8	Adept Realcon Pvt. Ltd.	1st Floor,B/33 WEA,Karol Bagh,New Delhi 110005
9	Naveen Infradevelopers and Engrs (P). Ltd	1506,Hemkund Chambers, 89 Nehru Place New Delhi
10	Aditya Shares Pvt. Ltd.	U 58,1st Floor,Shakarpur,Delhi 110092
11	Agroha Saving Limited	C-51/101,Mahendra Enclave,GT Karnal road Delhi 23
12	Aditya Antibiotics Pvt. Ltd.	218 Shopping Complex,Sekhsurai,Phase II,New Delhi
13	Garg Organics Pvt. Ltd.	218 Shopping Complex,Sekhsurai,Phase II,New Delhi
14	Archit Fincap Ltd.	412-C Usha Kiran Building Commercial Complex Azadpur Delhi 110033
15	Archit Finserrp Ltd.	412-C Usha Kiran Building Commercial Complex Azadpur Delhi 110033
16	Lokpriya Tea Company Ltd.	B-2/B, Mayur Apartment,Sector-9, Rohini Delhi-110085
17	Kishay Systems Pvt. Ltd.	207,M1 Shopping Centre,Veer Savarkar Block Shakarpur Delhi-110092
18	Retro Scales Pvt. Ltd.	B-42, Adarsh Nagar,Mahrna Road Ballabhgarh
19	SivaShambhu Garments Pvt. Ltd.	F-24/45, sector 24 Rohini Delhi 110085
20	Transactions India Pvt. Ltd.	1st Floor 11/5 B Pusa Road New Delhi
21	K. S. Accessories Pvt. Ltd.	5/7 B Pusa Road New Delhi
22	PatelFincap Pvt. Ltd.	100 Balder Park Parwana Road Delhi
23	MayankMedilab (P) Ltd.	100 Balder Park Parwana Road Delhi
24	Chambal Valley Sugar Mills Ltd.	A-91, Sector 10 Noida
25	Upper India sugar Mills Pvt. Ltd.	A-91, Sector 10 Noida

यादव सिंह सिंडीकेट पर सीबीआई का जोक ऑफ द सेंचुरी
– मौलिक भारत

सीबीआई तो खुद को मजाक की पात्र बन रही है। सीबीआई कोर्ट में यादव सिंह परिवार पर आय से मात्र पांच गुनी सपंत्ति होने का आरोप चार्जशीट में लगाया है वो भी मात्र 3 फर्जी कम्पनियों के द्वारा। नोयडा के बच्चे बच्चे को मालूम है कि यादव सिंह सिंडिकेट ने लाखों करोड़ के घोटालों को अंजाम दिया है जिसके मास्टमाइंड मुलायम और मायावती के परिवार थे। नोयडा, ग्रेटर नोयडा ओर यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरणों का पिछले दो दशकों में हर बड़ा अधिकारी सेकड़ो करोड़ का मालिक बन बैठा किंतु किसी पर कोई कार्यवाही नहीं। यादव सिंह की दर्जनों शेल कम्पनियों की लिस्ट मौलिक भारत ने कई वर्ष पहले जारी कर सभी जांच एजेंसियों तक पहुंचाई थी किंतु लगता है सब मैनेज हो गए। 25 कम्पनियों की लिस्ट और कुछ घोटालेबाजो के नाम नीचे दिए हैं। लगता है योगी सरकार भी माया – मुलायम कुनबे से मैनेज हो गयी है, ऐसे में सीबीआई की बिसात ही क्या।

सुशासन के लिए वितरण प्रणाली की समाभिरूपता

ग्रामीण भारत के विकास का समग्र दृष्टिकोण

देश में 200 बर्ष पहले तक कृषि और कृषि आधारित उद्योग और व्यापार के कारण पर्याप्त आर्थिक समृद्धि थी और विश्व व्यापार में भारत का 30 प्रतिशत तक हिस्सा था। अंग्रेजों की ड्रेन ऑफ वेल्थ की नीतियों ने देश के परंपरागत समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ढांचे को तोड़ दिया था। उसके बाद से भारत की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्र बिखराब के दौर में आते गए। अब समय इसको पुनर्जीवित किए जाने का है। योजनाओं के किर्यान्वयन का काम जिले से लेकर ब्लॉक नगरपालिकाओं और पंचायतों को दिया जाना जरूरी है। अगर जिले ही समाप्त कर दिए जाएं तो यह देश के समग्र विकास के लिए बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा। ग्रामीणों और किसानों के परिवारों का शिक्षण, प्रशिक्षण, पंचायतीराज अधिनियम के अनुरूप पंचायतों को अधिक अधिकार और फंड के साथ ही उनकी परंपरागत कृषि, व्यापार और कुटीर उद्योगों की शैली को पुनर्जीवित करने का कार्य समय की आवश्यकता है। किसानों के बच्चों को देश के तकनीकी संस्थान ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परंपरागत मोडल और आधुनिक तकनीक के मिश्रण को लेते हुए विशेष कोर्स करा प्रशिक्षित करें और देशभर में कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो भी अभिनव प्रयोग हुए हों या किए जा रहे हों उनको राष्ट्रीय पटल पर लाने का कार्य सरकार, मीडिया और समाज सबको करना होगा। मौलिक भारत के ट्रस्टी एवं पूर्व सचिव भारत सरकार **डॉ. कमल टॉवरी** के विभिन्न अनुभवों एवं आलेखों का संकलन कर एक समग्र कार्ययोजना प्रस्तुत करती है **सोनाली मिश्रा** की एक रिपोर्ट

संकल्पना:

महात्मा गांधी के अनुसार उत्पादकता कुछ और नहीं बल्कि किसी व्यक्ति के समय और प्रतिभा को अधिकतम करना और आसपास के पूरे वातावरण को ऊर्जाकृत करना, जिससे पुरुष और महिलाओं को प्रेरित और उत्प्रेरित किया जा सके; यह कि उनका अधिकतम उपयोग किया जा सके, फिर चाहे वे व्यक्तिगत या समाज के सदस्य के रूप में, रहने, सोचने और कार्य के हर स्थान पर हो; फिर चाहे वह राजनीति हो, या अर्थव्यवस्था, या घर, गाँव या कारखाना, स्थूल या सूक्ष्म जीवन।

ग्रामीण क्षेत्र परम्परागत रूप से जाति आधारित, निरक्षरता, गरीबी, हर तरफ से पिछड़े हुए हैं, जहां आधारभूत संरचना, बिजली, पीने का पानी, आदि सभी गायब है। यह तथ्य रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र खुद की मार्केटिंग करने में विफल रहे हैं। यदि समग्र विकास के लिए हम मार्केटिंग को एक पैमाना माने तो यह कहा जा सकता है कि कई कारणों से ग्रामीण क्षेत्र अपनी मार्केटिंग करने में कई कारणों से बहुत ही बुरी तरह से विफल रहा है। स्थान, उत्पाद, लक्ष्य समूहों, विचारों, द्रष्टिकोण, समस्याओं, प्रफि याओं, प्रणालियों, और यहाँ तक कि मंशा को भी मार्केटिंग की कामकाजी अवधारणा से मापा गया है। मार्केटिंग की संकुचित परिभाषा कि मार्केटिंग केवल उत्पादों की ही हो सकती है, ने बहुत नुकसान किया है। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में, स्थानीयकरण के लिए बाध्यता बहुत ही आवश्यक है और इन परिवर्तनों को सावधानीपूर्वक देखा जाना चाहिए।

ग्रामीण भारत के सन्दर्भ में समाभिरूपता के व्यवहारिक और दार्शनिक आयामों को दुर्भाग्य से अभी तक देखा भी नहीं गया है। कार्यक्रमों, सुविधाओं, सेवाओं आदि की समाभिरूपता को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा बिना अंतिम सफलता के केवल ऊपर ऊपर से करने का प्रयास किया गया है। यह बहुत अच्छा शब्द हो सकती है, मगर इसके लिए स्पष्टता चाहिए कि लोगों की समझ में यह आ सके। ग्रामीण जनता एक लक्ष्य समूह के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शहरी जनता

विजय तिवारी एवं डॉ. कमल टॉवरी

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को तकनीकी संस्थानों से जोड़ने के लिए की जा रही राष्ट्रीय कांन्फ्रेंस की तैयारियों को अंतिम रूप देते एआईसीटीई, आईईसीएसएमई एवं मौलिक भारत के अधिकारीगण

के लिए सिंगल विंडो सेवा के माध्यम से समाभिरूपता जहां उपलब्ध है और सुस्थापित बड़े उद्योग शहरी जनता के लिए जहां एक सच्चाई बन गए हैं, वहीं जब ग्रामीण जनता की बात आती है तो समाभिरूपता अभी भी किसी मृगतृष्णा से कम नहीं है।

विकासः

विकास की सभी बाते, और ख़ास तौर से असंगठित ग्रामीण क्षेत्र के बारे में विकास अभी तक एक मिथक ही रहा है। विकास का अर्थ कई लोगों के लिए कई चीज़ों से रहा है। और इस प्रकार कई लोगों ने आगे कदम बढाए हैं और विकास किया है। मगर हम यह महसूस कर सकते हैं कि हमारा विकास एक सार नहीं है, उसमें कई छोटी छोटी विसंगतियां हैं, यहाँ तक कि वह उल्टी दिशा में चला गया है, उसे यह पता ही नहीं है पर्यावरण संरक्षण सहित प्रकृति को चाहिए क्या। खुशी, संतुष्टि, और मानसिकता की कुल गुणवत्ता के आधार पर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि हमने अभी तक वास्तविक प्रगति नहीं की है।

ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण प्रणाली के आयाम

हम जब वितरण प्रणाली को किसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो हम जानते हैं कि वितरण प्रणाली का उत्पादन, सेवा, प्रशासन और शैक्षणिक क्षेत्रों के लिए पुनर्प्रस्तुतीकरण, जिसमें प्रबंधन, नियोजन और समाभिरूपता में लोग शामिल नहीं होते हैं, वह कभी भी सफल नहीं हो सकता है। विभिन्न सेवा प्रदाताओं या वितरण प्रणाली को एक साथ लेन की जिम्मेदारी केवल सरकारी नौकरों और राशि पर ही नहीं छोड़ी जा सकती है। केंद्रीयकृत ऊपर से नीचे के नियोजन में सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से ही डिलीवरी पर भरोसा होता है। हालांकि फिर चाहे वह कृषि हो, उद्योग हो, बैंकिग ऋण हो, शिक्षा हो, संस्कृति हो, खेल हो, पारिवारिक कल्याण हो, भूमि रिकोर्ड हो, नागरिक आपूर्ति हो, पुलिस और क़ानून व्यवस्था हो या कोई और अन्य मुद्दा हो, अपेक्षा की जाती है कि यह सरकारी नौकरों और योजनाओं के द्वारा ही दी जाएगी। कुछ क्षेत्रों में यह सफल हुई है, मगर समय आ गया है कि इन क्षेत्रों को निम्न की रोशनी में जांचा जाए कि क्या वे इन चुनौतियों को लेने में सफल हुए हैं-

- वृहद जागरूकता
- पिछले विकास मॉडल की असफलता – सफलताओं और असफलताओं के उदाहरण का उचित दस्तावेजीकरण जिससे आप सीख सकें,

हमारे पास पहाड़ी क्षेत्रों में गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए कार्ययोजना के साथ निम्न योजना है:

- पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करना
- जिन गावों से पलायन हो चुका है, उनकी पहचान करना और निम्न तरीकों से पूलिंग/साझे संसाधनों के द्वारा क्लस्टर आधारित नेटवर्किंग के बारे में और पता करना
- भूमि पंचायत, प्रखंड, जिला परिषद, राज्य निजी पक्षों के द्वारा प्रदान की जाएगी
- सड़क, पानी, बिजली आदि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी
- इमारत, फर्नीचर, पुस्तकालय, जिम आदि के लिए स्थानीय और अन्य निवेशक।
- स्थानीय क्षेत्र से शिक्षक, प्रबंधक, कोच। वे सहयोगी, फंडर और संसाधन प्रदाताओं के रूप में कार्य कर सकते हैं।

1. उपरोक्त क्लस्टर आधारित अभिसरण और समुदाय आधारित अभियान न केवल शिक्षा प्रदान करेंगे बल्कि वे प्रशिक्षण और सलाह के द्वारा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कार्य करेंगे। स्कूल केवल शुल्क पर ही आधारित नहीं होंगे बल्कि वे नेटवर्किंग और कार्यरत अधिकारियों/प्राधिकरण, पंचायत राज संस्थान, स्थानीय निकाय, आध्यात्मिक संस्थान, उद्योग, और सरकार के चालू कार्यक्रम के द्वारा संसाधन उत्पन्न करेंगे।
2. मेरा अनुरोध केवल अकेले ही काम करने का नहीं है, बल्कि संलग्न समस्याओं के लिए एक समग्र, राष्ट्रीय और तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है
3. सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के संचालन की लागतों की तुलना एक समग्र रूप में की जानी चाहिए। इस बात की भी सीमा है कि आखिर हर प्रकार की कुल शिक्षा को बेहतर करने के लिए व्यक्ति कितना कर भुगतान कर सकते हैं। उन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है, जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से न केवल सहायता दी जाती है, बल्कि निरीक्षण और दिशानिर्देश दिया जाता है? क्या यह नहीं हो सकता कि हम अपने खुद के घर को सुधारें और फिर उन क्षेत्रों के विषय में बात करना, सुधारने और नियंत्रित करने की बात करना, जिनपर पहले ही से कानूनों का इतना बोझ है।

- मानवीय नीतियों, मानवता और मानव अधिकारों की अनदेखी कभी भी न हो
- स्थापित संस्थानों का अतिरेक
- हर स्तर पर सरकारी संस्थानों पर भरोसा न होना
- राज्य के कम होते संसाधन
- राज्य संस्थानों में अधिक कर्मी और खराब कार्य संस्कृति
- सामुदायिक मूल्यों और परम्परागत पदानुक्रम प्रक्रियाओं की उपेक्षा
- यह महसूस करना कि एक संतुलित समाज धार्मिक कारकों के द्वारा नहीं चल सकता है
- वैश्विक दृष्टिकोण और स्थानीय कदम की बाध्यता
- महिलाओं और उपेक्षित/शोषित समूहों की जागरूकता
- विकास, पर वित्तीय मुद्दों का प्रभाव, जिसमें वृद्धावस्था में सुरक्षा भी शामिल है (बीमा)
- लोगों, समुदायों, और सभी हितधारकों को जोड़ने की जरूरत
- ग्रामीण युवाओं के लिए स्थाई परिप्रेक्ष्य (जैसे नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि)

इनमें से कई चुनौतियां ख़ास और असमानांतर हैं। इनमें कोई भी ऐतिहासिक साम्यता नहीं है तो हमें प्रभावी काम करने के लिए सभी समेकित विकास संभावनाओं के प्रयोग से प्रभावी कार्यप्रणाली, समय से सुधार और खुद का समर्थन करने वाली योजनाओं और शोध प्रणाली को देखना होगा।

अतीत से सबक-

चाहे यह सामाजिक आर्थिक हो या कोई भी और क्षेत्र, हम पाते हैं कि वितरण का प्रबंधन, वित्त प्रबंधन, प्रशिक्षण और निगरानी निहायत ही वर्गीकृत तरीके से हुआ है और यह एकदम ही निष्प्रभावी रहा है। संयुक्त सचिव सिंड्रोम। पंचायती राज संस्थान, पहली बार अब समाभिरूपता को सुनिश्चित करने आए हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, एक कदम आगे बढे हैं, और उन्होंने ग्रामीण अधिकारियों को सिंगल विंडो सेवा प्रदाता के रूप में एक साथ लाने की कोशिश की है। यह समाभिरूपता के लिए बिना किसी बजट में वृद्धि के साथ और बिना किसी मानवश्रम में वृद्धि के साथ हुआ है। केवल समाभिरूपता के द्वारा ही एक गाँव के पास अब एक या दो सेवा प्रदाता ऐसे हो गए हैं, जो गाँव में दस से बारह विभिन्न विभाग में जा रहे हैं। कई आपत्तियां भी उठाई जा चुकी हैं। मगर यह तथ्य तो रह ही जाता है कि अगर हम चाहते हैं कि प्रणाली सही से प्रबंधित हो और उसमें हस्तक्षेप न के बराबर हो, तो अब यह समझने का समय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समाभिरूपता की आवश्यकता को समझा जाए। और गाँव के स्तर पर कार्य और अनुभव का स्तर इतना मूल है कि किसी भी ख़ास सेवा प्रदाता की आवश्यकता नहीं है। एक प्रावधान यह भी हो सकता है कि स्थानीय पंचायत स्थानीय विशेषज्ञों की सेवा भी जरूरत पड़ने पर लें। इससे यकीनन ही ग्राम स्वराज के तरफ कदम बढ़ेगा, यदि निम्न नीतिगत मुद्दों को देखा जाता है:

1. समग्र सिद्धांतों के बाद ही प्रशिक्षण अर्थात सबके साथ
2. दान और अनुदान से बढ़कर एक मजबूत, व्यवहारिक, व्यवहार्य, गैर व्याख्यात्मक,

स्थाई उपक्रमों की तरफ जाना.

3. स्व रोज़गार और ग्रामीण निवेश मॉडल
4. प्रदर्शन/योग्यता के अनुसार इनाम
5. स्थानीय संसाधनों का प्रयोग
6. गुणवत्ता उत्पाद सेवाएं और स्थानीय मांग
7. बैंक की क्षमता, गुणवत्ता और तकनीक की कुशलता जैसे मुद्दों पर स्पष्टता
8. निरंतर सुधार प्रक्रियाओं के साथ अतीत से सीखना
9. आम लाभकारी संस्थाओं के क्लस्टर का विकास करना जैसे ग्रामीण गोदाम और स्थानीय सलाहों का निर्माण वैश्विक द्रष्टिकोण और स्थानीय कदम के साथ करना
10. छिपे हुए निवेश योग्य संभावित सत्ता संस्थानों, ज्ञात निवेश योग्य सत्ता संस्थानों, और खतरे में निवेश योग्य सत्ता संभावित संस्थानों पर नियमित रूप से ध्यान देना
11. परम्परागत विशेषज्ञता की उपेक्षा और कम लागत पर स्थानीय सेवाओं की महत्ता की उपेक्षा से अब तक काफी हानि हो चुकी है.
12. पिछले दशक में विकसित स्थानीय नेताओं की भूमिका को अनुदान से व्यापार पर जाना चाहिए या लालच या लूट से समानता की तरफ. यहाँ नीतियों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।
13. उम्मीद जगाने वाले सिग्नल या पैरामीटर को निरंतर ही खोजना चाहिए। क्या कोई भरोसा कर पाएगा कि उत्तर प्रदेश में हजारों गाँव ऐसे हैं जहाँ पर क़ानून व्यवस्था की समस्या ही नहीं है? क्या कोई भरोसा करेगा कि वहां के लिए किसी भी प्रकार का इनाम, सम्मान या प्रोत्साहन भी नहीं दिया गया है, तारीफ़ भी नहीं की गयी है? अच्छे कार्यों को सम्मान देने के क्षेत्रों को सराहने की प्रक्रिया करनी चाहिए और इसे प्रेरणा और उम्मीद का निर्माण करने के किए इस्तेमाल करना चाहिए।
14. स्थाई प्रशासनिक अधिकारियों और उनकी कार्य संस्कृति को ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण प्रणाली की समाभिरूपता के सन्दर्भ में जमीनी स्तर के कोण से पढ़े जाने की जरूरत है। राज्य को सरकारी कर्मचारियों के कैडर के निर्माण और अन्य सभी दायित्व लेने के लिए प्रोत्साहित करने से लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट सिस्टम विकास पर कोई असर नहीं पड़ा है। यहाँ तक कि इस कुव्यवस्था से स्वैच्छिक संगठन प्रणाली भी प्रभावित हो चुकी है।
15. राज्य से सभी चीज़ों के लिए अत्यधिक निर्भरता को भी रातो रात नहीं बदला जा सकता है। वर्तमान नीतियाँ इस प्रकार की रही हैं कि निर्भरता हमेशा ही रहेगी। यहाँ तक कि बैंक से ऋण भी वापस न किया जाना भी एक आदत सी है, मगर अब यह सही समय है कि हम इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता के लिए उचित नीतियों के माध्यम से बदलें। आखिर समूह इनाम और समूह दंड क्या हैं?

पंचायतों की भूमिकाः

पंचायती राज की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इसलिए सभी प्रणालियों को संगठित होना चाहिए और उन्हें काम करने, प्रगतिशील, विश्लेषणयोग्य और सभी स्थानीय नागरिकों में आत्मविश्वास निर्माण के सभी कदम उठाने में सक्षम करना चाहिए। पंचायतों को अभी तक केवल शोषण की प्रणाली के विस्तार के रूप में ही देखा गया है। अब समय आ गया है कि पंचायत निम्न स्तर में संवैधानिक शासन में एक महत्वपूर्ण साथी के रूप में विकसित हो और इसे ऐसे ही स्वीकार किया जाए। इसका अर्थ प्रभावी विकेन्द्रीयकरण, प्रतिनिधित्व, वित्त प्रबंधन और बेहतर नीति और उचित प्रशिक्षण के साथ समाभिरूपता के लिए प्रोत्साहन। कई स्तरों पर इस विषय में यह अहसास बढ़ रहा है, मगर समस्या की मुख्य जड़ है कि इसे कैसे करें? उदाहरण के लिए जब क़ानून व्यवस्था या पुलिस की बात आती है तो क्या हम इन गाँव वालों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार हैं, जिनका अब तक का अपराध मुक्त रहने का रिकोर्ड रहा है। या अगर किसी गाँव में कोई बीमारी नहीं हुई है या ऋण समय पर चुकाए गए हैं तो क्या हम उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए तैयार हैं? यही बात

बेरोजगारी, दो दाम, आधारभूत संरचना के साथ है, कि क्या हम प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं? क्या हम क़ानून, नियम और निगमन को लागू करने के लिए पूरी तरह से बदल सकते हैं? क्या यह तथ्य नहीं है कि कोई भी अपनी सत्ता और अधिकार को साझा नहीं करना चाहता है? इसलिए क्या हम सही जिम्मेदारी और दायित्वबोध के साथ चीज़ों को बेचने योग्य बनाने के बारे में सोच सकते हैं, जो संस्थान प्रतिनिधित्व करने के लिए बाध्य हों और पंचायतों के साथ न केवल संसाधन बल्कि जिम्मेदारी भी साझा करें। क्या अच्छा प्रदर्शन करने वाले ग्रामीण संसथान, या गाँव या समूहों को स्व-सहायता तक सीमित किया जा सकता है? क्या वित्त प्रणाली को इस तरह विकसित

शिक्षा के क्षेत्र में आमूल्चूक परिवर्तन के लिए हम कैसे पैटर्न को अपना सकते हैं?

सीबीआई - कम्युनिटी और कास्ट बेस्ड इंस्टीट्यूशन
एसबीआई - स्पिरिच्युलिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन
पीआरआई - पंचायती राज संस्थान
एबीआई - एक्स्ट्रा आधारित संस्थान- (सीए, कॉस्ट एकाउंटेंट, एमसीआई)
डब्ल्यूआईआईपी - वार्ड इन्क्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्लानर
बीआईआईपी - ब्लॉक इन्क्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्लानर
डीआईआईपी - डिस्ट्रिक्ट इन्क्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्लानर

जमीन पर लोगों को इसके माध्यम से परिवर्तन महसूस होगा और यह सिविल सोसाइटी का हिस्सा होगी.

क्या किया जाए ?

1. डिमिस्टीफिकेशन- (रहस्य को खोलना) कैसे टेंडर खोले जाते हैं? किस प्रकार निरीक्षण किए जाते हैं? पत्रों और सुझावों के साथ हो क्या रहा है? अभियान गहरे विचारों के साथ ही शुरू होने चाहिए.
2. सीएससी (समुदाय आधारित केंद्र) और साढ़े तीन लाख पंचायत के पास कंप्यूटर होने चाहिए. हम कैसे सरकारी सहायता के बिना गति हासिल कर सकते हैं?
3. हर किसी को छोटा खूबसूरत है, की अवधारणा पर काम करना चाहिए.
4. विकास या विध्वंस, सम्पन्नता, संतोष, बढ़िया लाभ, स्वार्थ की परिभाषा हर किसी के लिए बदलनी चाहिए. अप्पो दीपोभवः
5. बिना किसी लागत के चेन के हर स्तर पर, भूतपूर्व सैनिकों और पेंशनर के रूप में वोलंटियर को बढाया जा सकता है.
6. लागत को कैसे कम किया जाए, हैं प्रकार सरकारी विभाग की यूटिलिटी को बढाया जाए, हम इस विषय में कई प्रकार के सुझाव दे सकते हैं.
7. प्रशिक्षण और शोध केंद्र किस प्रकार आत्म निर्भर बन सकते हैं और जनता के साथ काम कर सकते हैं. हम इस विषय में सुझाव चाहते हैं.
8. व्यक्तिगत रूप से 6500 ब्लाक को समग्र रूप से विकसित किया जा सकता है, जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर, आईआईटी, आईआईएम, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक और धार्मिक संस्थान, एनआरआई, एनजीओ सहभागियों को और पी6 मॉडल को सेटल किया जा सकता है.
9. कंप्यूटर/टैबलेट/स्मार्ट फोन ने नेटवर्क का विस्तार किया है, उनके प्रयोग को गाँव की योजना बनाया जा सकता है और उन्हें पर्यावरण अनुकूल व्यापार जोड़कर सक्षम किया जा सकता है. इसे स्थानीय प्रोजेक्ट मैनेजर को डिलीवर किया जा सकता है.
10. सचिव और संयुक्त सचिव एक और सीमित दिशा और आयाम में काम करते हैं, उन्हें अपनी सोच और काम करने की प्रक्रिया को बदलना है. हर मंत्री/सचिव समूह चर्चा (चर्चा समूह), को प्रतिभागिता और आत्मविश्वास की संस्कृति का विकास करने के लिए अपने कामकाज और पद्धति में परिवर्तन करना चाहिए.
11. आरटीआई एक्ट सफलता मानकों के अंतर्गत सभी विभाग खोले जाने चाहिए और उन्हें जनता के सामने तुरंत ही और आवश्यक रूप से रखा जाना चाहिए.
12. देशी भाषा, स्थानीयकरण, या देशी गाय, देशी बीज, देशी विचार, देशी भाषा, देशी जीवनशैली, पारंपरिक जानकारी और रोज़गार के स्रोत हैं.

मैं और हमारी विशेषज्ञ टीम आपसे मिलकर इन सब मुद्दों पर चर्चा चाहती है, इसके लिए हमने देश हित में वैकल्पिक योजना आयोग का गठन किया है. हम आपसे इस विषय में सहायता चाहते हैं.

किया जा सकता है कि प्रदर्शन को इनाम मिले, और जिनका प्रदर्शन उम्मीदों से कम हो उन्हें दंड मिले? हम पारदर्शिता, बैंकयोग्यता, व्यवहार्यता, और सही द्रष्टिकोण के साथ काम को सीखने के मुद्दे को किस प्रकार देख सकते हैं? जानकारी या प्रणाली के हस्तांतरण की प्रणाली जहां आश्रमव्यवस्था जाति से परे प्रशिक्षण, शोध की निरंतरता को जारी जाता है, को जांचने की आवश्यकता है। क्या शिक्षक के रूप में स्वयंसेवक हो सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत विकास, निर्णय लेने की क्षमता, चुनौतियों को देखने के लिए क्षमताओं का निरंतर अपग्रेडेशन और बिना अवरोध के लिए प्रणाली का विकास करना और जीवन में सभी क्षेत्रों में जानकारी का हस्तान्तरण संभव है? इन प्रश्नों को आज ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण प्रणाली की समाभिरूपता के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है।

स्वरोजगार- ग्रामीण निवेश और प्रभावी वितरण प्रणाली लागत क्षमता के साथ-

राज्य आधारित विस्तार, गोदाम, आधारभूत संरचना, प्रशिक्षण, विपणन, उत्पादन और कई अन्य क्षेत्रों पर जोर ने लोगों को राज्य पर पूरी तरह से निर्भर कर दिया है। किसी भी व्यक्ति को यह अहसास हो सकता है, पूरा आत्मविश्वास और स्व-रोज़गार की क्षमता में क्षरण हो गया है। जाहिर है ये सब हो गया है तो राज्य की सभी नीतियाँ फिर चाहे वे नीतिगत हों, वित्त आधारित हों, इनाम सम्बन्धित हों, दंड आदि से सम्बन्धित हों, इन्हें आगे चाहिए।

कई प्रगतिशील और विकासशील राज्यों में, सरकार पर निर्भरता सिंड्रोम बहुत हो गया है। कई कंपनी कम लागत की व्यावहारिक सलाह देने के लिए अपनी उग्र मार्केटिंग के हिस्से के रूप में, अपने डीलर और स्टॉकिस्ट को प्रशिक्षित कर रही हैं। एलसीपीसी का कैडर न केवल लक्ष्य समूह के नज़दीक है बल्कि, यह हमेशा ही नए विकासों के साथ प्रयोग करने और सीखने के लिए तैयार रहता है। स्थानीय एजेंटों को इन लाइन पर प्रशिक्षण देना चाहिए क्योंकि एलसीपीसी केवल अपनी संबंधित गैर स्थानीय, शहर आधारित कम्पनी के हितों का ही बखान करती हैं।

निम्न महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जहां पर स्व-रोज़गार और ग्रामीण निवेश की संभावना को नीतिगत समर्थन के द्वारा उचित रूप से प्रोत्साहित किया गया है।

- पशुपालन और सम्बन्धित क्षेत्र
- कृषि और सम्बन्धित क्षेत्र (मूल्य संवर्धन गतिविधियाँ)
- जैविक खेती। (जैव आधारित उपक्र म)
- पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धित मुद्दे (नवीकरण ऊर्जा, अपशिष्ट से संपत्ति, बायोमास संयंत्र, रिसाइक्लिंग)
- पानी का संरक्षण और खेती
- सूचना तकनीक
- स्वास्थ्य मुद्दे (विस्तारित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, खेल पोषण, स्वच्छता, स्वच्छ भारत.....)

- प्रशिक्षण, शोध और विस्तार
- वित्त और जमा
- बीमा और परियोजना निर्माण
- विपणन और आधारभूत संरचना प्रावधान (आईटी के माध्यम से दलालों को निकालना)

- माइनर इरिगेशन और विनिर्माण
- रखरखाव
- जैविक आवास और
- हर प्रकार की शिक्षा (प्राथमिक से आगे)
- संभावित विकास के कई और क्षेत्र जहां वैश्विक द्रष्टि और स्थानीय कदम व्यवहार्य हो जाएं.

एक्शन और दस्तावेजीकरण के लिए प्रशिक्षण, शोध की भूमिका:

जहां अतीत के सबक हमें भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए मदद करते हैं, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य या कोई और क्षेत्र, यह देखा जाए कि प्रशिक्षण वाला हिस्सा किसी भी तरह से प्रभावित न हो। यह एक तथ्य है कि इस पहलू पर अभी तक वांछित ध्यान नहीं गया है। हो सकता है कि व्यवस्था से ही कुछ ऐसा विकास हुआ हो जो सबको साथ न लेकर चलने वाला है, जो शोषण करने वाला है और जो व्यवस्थागत खामियों को पैदा करने वाला है. आरक्षण प्रणाली के अनुचित लाभों पर प्रश्न उठाए बिना ग्रामीण जनसँख्या के लिए वितरण प्रणाली की प्रतिभागिता और नियंत्रण के लिए नए निर्देश और पद्धतियों ने यह जरूरी बना दिया है कि आरक्षण प्रणाली को समाप्त होना चाहिए. जिससे स्थाई विकास हो सके. हम उन स्थितियों में आगे बढ़ने की कल्पना ही नहीं कर सकते जो विकास में बाधा उत्पन्न कर रही हैं, और जो अवरोध हैं.

परिवर्तन लाने में अवरोध और उपाय

जब हम लक्षित समूहों की प्रवृत्ति, अतीत के सबकों, राजनेताओं की बाध्यताओं आदि को

लाखों की माँ गाय

व्यवहार्य पर्यावरण अनुकूल निवेश अवसरों के साथ

भारतीय गायों ने खुद की अपनी विशेषताएं विकसित कर ली हैं, जिनकी सराहना पूरी दुनिया में उनके ख़ास गुणों के कारण होती है. अपनी पीठ पर सोलर पल्स के माध्यम से ऊर्जा का अवशोषण करके भारतीय गाय उत्कृष्ट गुणवत्ता का दूध देती हैं, जो इंसान की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, और प्रकृति के साथ आध्यात्मिक कल्याण में वृद्धि करने के लिए अलौकिक विशेषताओं से भरपूर होता है.

विदेशों में रूचि का बढ़ना:

भारत की देशी गाय के मूल्यों ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है और पूरी दुनिया भर से लोग भारतीय देशी गायों की प्रजातियों को अपने देश लेकर गए हैं और गुजरात की गिर प्रजाति की गायों से ब्राजील में हजारों गायों की ब्रीडिंग कराई गयी है, और इसीके साथ ही आन्ध्र प्रदेश की ओंगोले गाय की हजारों गायों को पैदा किया गया है, और इसी प्रकार न्यूजीलैंड निवासियों ने भारतीय वीचर प्रजाति को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने ब्राह्मण प्रजाति को विकसित किया है. भविष्य में अस्तित्व और वृद्धि के लिए, यह हम सभी के लिए आवश्यक हो गया है कि हम गंभीरता से भारतीय गायों की रक्षा और प्रोत्साहित करें.

गाय और स्वास्थ्य:

बेचैनी और तनाव से अधिकतर आम बीमारियाँ होती हैं, जो जैविक असंतुलन के कारण हो सकते हैं. गाय के उत्पादों को तनाव को कम करने के लिए और योग तकनीकों के साथ बीमारियों को सही करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए.

सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य:

कैदी, रिमांड होम वाले, द्रष्टिहीन, मानसिक रूप से दिव्यांग आदि को प्रभावी रूप से गाय से सम्बंधित जीवनशैली के साथ न्यायिक गतिविधियों के समन्वय के साथ जोड़ा जा सकता है. इस प्रकार की जीवन शैली दोषों को दूर करती है, और दिव्यता स्थापित करने के साथ ही आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करती है.

गाय, अर्थव्यवस्था और जैव विकास:

अपने में पूर्ण संस्था के रूप में गाय : गाय जब दूध देती है, तब तो उपयोगी होती ही है, मगर जब वह दूध नहीं देती है, तब यह कहना गलत है कि वह अनुपयोगी है. हाल के शोध यह दिखाते हैं कि यह गौमूत्र और गोबर के माध्यम से किसानों को खूब धन दे सकती हैं.

अधिक धन देने वाले साधन के रूप में गाय : गाय आधारित कृषि अपनी शक्ति के माध्यम से अधिक धन दे सकती है, और इस बारे में उत्पाद शोध को भी इसी ट्रैक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

गाय आधारित कृषि : गौमूत्र और गोबर के प्रयोग से जैविक और आध्यात्मिक कृषि उपकरण अपनी लागत प्रभावोत्पादकता के कारण लोकप्रिय हो रही है, और उपज भी बढ़ रही है.

गाय और विविध अनुप्रयोग:

गाय और संस्कृति : त्योहारों में हमारी संस्कृति के रूप में गाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे गृह प्रवेश, पूजा यज्ञ आदि.

गाय और तकनीक : हर पीढी में बैलों की खेती के स्थान पर ट्रैक्टर से खेती, पानी भरने वाले उपकरण और जैव ऊर्जा के उपकरणों को बदला जा सकता है.

गाय की खाद पर के प्रयोग पर सही जानकारी को विविध केन्द्रों से हासिल किया जा सकता है. गाय के उत्पादों खास तौर पर गाय फर्मासिटिकल के लिए मांग में वृद्धि हो रही है. स्वास्थ्य उत्पादों को समय की जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए ख़ास तौर पर व्यवहार्य निवेश अवसरों से आंकने की आवश्यकता होती है.

समझ चुके हैं, तो हमें उन अवरोधों को समझने में बिलकुल भी अटकना नहीं चाहिए, जो इन्हें लाने की प्रक्रिया में आते हैं। संभावित परिवर्तन एजेंट के पास हमेशा ही खुली चर्चाएँ, लचीलापन, लागत कुशलता, और किसी भी परिवर्तन उपायों में समेकित द्रष्टिकोण होना चाहिए। चलिए हम अनुकूल पहलुओं की पहचान करते हैं, जो इस परिवर्तन को लाने में मदद करेंगे या फिर बाध्य करेंगे। इनके बीच राज्य, कार्य करने की खराब संस्कृति, राज्य मे विश्वास का अभाव, और कुल द्रष्टिकोण परिवर्तन को स्वीकारने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इसी समय प्रदर्शन न करने वालों से, खराब जिम्मेदारी से, मार्केटिंग संस्कृति के अभाव से, राज्य पर निर्भरता से, अनियोजित क्षेत्र में अपरिवर्तन से, अज्ञानता आदि तथ्यों को दिमाग में रखना चाहिए। निहित स्वार्थ, सुनियोजित मतदाता और लोबिंग एक ऐसा क्षेत्र है, जो अवरोधों का काम करती हैं।

अनियोजित या संवितरित या विकेंद्रीयकृत की संभावना पंचायती राज अभियान की सक्रिय संलग्नता से और भी मजबूत हो सकती है। महिलाएं, स्व-रोजगारी, अनियोजित आदि को जब अपने अन्दर की संभावनाओं का पता चलेगा, तब उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। प्रशासनिक प्रणाली जो केवल कुछ ही के लिए जिम्मेदार है,वह अप्रत्यक्ष रूप से खुद के प्रति जिम्मेदार हो गयी है। प्रबंधन में गरीबों का खुद के संस्थानों और संगठनों के माध्यम से भाग लेना, और उपेक्षित क्षेत्रों पर ध्यान देने पर काम किया जा सकता है। यहाँ पर फिर से स्वैच्छिक संस्थानों, सेवा निवृत्त लोगों, पैरा प्रोफेशनल और अन्य सामुदायिक प्रतिबद्धताओं को प्रभावी तौर से इकट्ठा किया जा सकता है और वितरण प्रणाली को और प्रभावी और आत्म-समर्थन करने वाली बनाने के लिए एक

ग्रामीण विकास और उच्च शिक्षा संस्थान

देश मे मौजूद 40000 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थान हैं किंतु कुछ कृषि संस्थानो को छोड़ सभी कहीं न कही देश के औधोगिक और व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम करते हैं। इन संस्थानों की सबसे बड़ी कमी यह है कि ये पूर्णतः विकसित देशों और उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था को आदर्श मान उसको मापदंड बना काम करते हैं। यह आम बात है कि इन संस्थानों में आधे से अधिक छात्र छात्राएं ग्रामीण पृष्ठभूमि और कृषक परिवारों से हैं और इन सबकी उच्च शिक्षा के लिए इनके किसान माँ बाप ने अपनी खेती की जमीनें गिरवी रखी या बेची हैं। इतने कड़े संघर्ष और बलिदानो के बाद भी इनकी संताने अक्सर खेती किसानी को उपेक्षा की नज़र से देखते हैं और कारपोरेट हित में कृषक विरोधी काम करते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश मे आधे से अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त यह वर्ग ठीक से पढ़ भी नहीं पाता और न ही कोई नोकरी ले पाता है। कारपोरेट दुनिया के बदलते स्वरुप में यह पूरा क्षेत्र ऑटोमेशन के दौर में आ चुका है जिससे नोकरियों में भारी कमी होते जाना निश्चित है। ऐसे में सेकड़ो की संख्या में उच्च शिक्षा संस्थान या तो बंद होते जा रहे हैं या बंद होने की कगार पर हैं। ऐसे में सरकार और नीति निर्माताओ को अपनी योजनाओं और दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन करने होंगे। इस दिशा में मौलिक भारत के निम्न सुझाव हैं -

1. देशभर के ग्रामो को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उच्च शिक्षा की स्पष्ट भूमिका तय होनी चाहिए।
2. उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने अपने स्तर पर कृषि, ग्रामीण कृषि आधारित परंपरागत और सामयिक कुटीर , मध्यम और लघु उद्योगों पर आधारित विशेष पाठ्यक्रम वाले कोर्स, डिप्लोमा,डिग्री कार्यक्रम चलाने होंगे।
3. ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एवं अन्य कोर्सेस में ग्रामीण और कृषक परिवारों के बच्चों का ही प्रवेश हो ।
4. कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान कुछ ग्राम गोद ले और उन ग्रामो की वास्तविक स्थिति का समग्र अध्ययन, सर्वेक्षण और शोध कर आगामी विकास की दीर्घकालिक योजनाएं बनाए और उनके प्रभावी किर्यान्वयन का रोडमेप भी दे।
5. निश्चित अवधि में ग्राम बिशेष का समग्र विकास और इसके लिए सभी सरकारी और सामाजिक संस्थाओं का समन्वय उच्च शिक्षा संस्थानों की जिम्मेदारी होगी।
6. रोजगार, आत्मनिर्भरता, लोकतंत्र और सहकारिता इस मूलमंत्र के साथ किसान द्वारा किसान का विकास, किसान के लिए इसे व्यवहार में लाना संबंधित उच्च शिक्षा संस्थान की जिम्मेदारी होगी।
7. उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक निश्चित रकम इस दिशा में खर्च करना अनिवार्य हो क्योंकि बंद होते संस्थानों में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित नए पाठ्यक्रमों से न केवल उन्हें नए प्रवेश मिलेंगे वरन वे खासे लाभ की स्थिति में आते जाएंगे।

शुरुआत में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को जोड़ने का जो सफल प्रयास मौलिक भारत के ट्रस्टी और पूर्व सचिव , भारत सरकार ने किया उसके पीछे पिछले कई वर्षो की अनथक मेहनत और देश की वास्तविक स्थिति का जमीनी सर्वेक्षण है। तकनीक और प्रबंध का उचित प्रयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की राह खोल देगा यह हमारा गहन अध्ययन कहता है।

साथ लाया जा सकता है। हर पीढी को अपने देश के लिए सर्वश्रेष्ठ खोजना होता है। इसलिए परम्परागत प्रणालियों पर प्रश्न नहीं लगाया जा सकता है। जहां एक तरफ परम्परागत प्रणालियों की समीक्षा एक वैज्ञानिक और तार्किक प्रक्रिया के माध्यम से होती है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण प्रणाली की समाभिरूपता के लिए लागत प्रभावी, स्थानीय, खुद स्थाई प्रणालियों के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। सभी विभागों और संस्थानों को शून्य आधारित बजट संभावनाओं को तलाशना होगा। निर्ममता से कांटछांट, विकेन्द्रीयकरण और बेहतर प्रणाली प्रबंधन सबसे आवश्यक है। लोगों के पास जिम्मेदारी लेने की ताकत होनी चाहिए और इस सशक्तिकरण के लिए उचित प्रणाली विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है।

कदम उठाने के लिए आवश्यक बिंदुः

जब बात आती है, भूत, वर्तमान और भविष्य के सही संदर्भों में प्रतिबिम्बता की तो यह महसूस किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों पर अभी तक उचित तरीके से ध्यान नहीं दिया गया है। बात केवल कार्यक्रमों या प्रोग्राम की ही नहीं है, मगर सवाल पूरे द्रष्टिकोण का है, सवाल नीतियों का है, सवाल तकनीक का है और उन प्रणालियों का है कि क्या उन्हें सशक्त किया गया है। चूंकि कई कार्यक्रम अब बाज़ार आधारित होते जा रहे हैं और अर्थव्यवस्था के खुलने से अनुदान में कमी आई है और आत्मनिर्भरता बढ़ी है और इससे लाभ एक प्रेरक तत्व हो गया है। और यही कारण है कि इनमें प्रतियोगिता, सक्षमता, कौशल, और नित नए अवसरों की तलाश करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इन कार्यों को केवल सरकार पर या अनुदान आधारित गैर सरकारी संगठनों पर नहीं छोड़ा जा सकता है। बहुत ही जरूरी है कि नए निवेश अवसरों, नए स्थानीय संसाधन के लिए निरंतर खोज की जाए और मजबूत नेटवर्किंग की जाए और हर प्रकार की रोजगार संभावनाओं को सक्रिय किया जाए। मूल की तरफ लौटें, परिचालन में उत्कृष्टता, अभिनवता के लिए आदर, संगठन में हर प्रकार की ताकतों के लिए समायोजन, सहयोग के लिए मानसिकता, और प्रतिस्पर्धा, सामाजिक रूप से उपेक्षित समूहों के लिए प्राथमिकता के साथ कदम के सक्षम क्षेत्रों के लिए निरंतर खोज बहुत महत्वपूर्ण है। छिपी संभावनाओं का पता लगाना

और ऊर्जावान लोगों का पता लगाना कुछ प्रदर्शन योग्य मॉडल हो सकते हैं। वे क्षेत्र जिन पर अभी तक नज़र नहीं पड़ी है, या जिन्हें अभी तक कम ग्लैमराइज़ किया गया है, या फिर स्थानान्तरण में अधिक महत्व नहीं दिया गया है, उनका दस्तावेजीकरण किये जाने की आवश्यकता है। सतर्कता कोण को भी रक्षात्मक से सक्रियता की तरफ आना है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, जो निरंतर ही वर्तमान परिस्थितियों में भ्रष्ट रहे हैं। कई क्षेत्र हमेशा ही अनाकर्षक रहेंगे। हम कैसे इसका विश्लेषण सतर्कता के कोण से कर सकते हैं? क्या हमारे पास वे स्वैच्छिक क्षेत्र हो सकते हैं, जहां ज्ञान और संपत्ति बिना किसी दानं के साझी की जा सकती है? क्या लाभ आधारित व्यापार सबके लिए हैं? क्या सार्वजनिक कल्याण और निजी कल्याण को एक साथ लाया जा सकता है? क्या आतंरिक संसाधन निर्माण की मात्रा के माध्यम से सुप्त संस्थानों को पुनर्जीवित किया जा सकता है?

एक कहावत है जब चलना कठिन हो जाता

छिपी संभावनाओं का पता लगाना और ऊर्जावान लोगों का पता लगाना कुछ प्रदर्शन योग्य मॉडल हो सकते हैं।

है तो कठिनाइयां चली जाती हैं। शायद अब समय आ गया है कि जब कठिनाइयों को आने वाले चुनौतीपूर्ण समय के लिए सरल बना लेना चाहिए। गोपनीयता और देरी, अज्ञानता और असंवेदनशीलता तब एकदम गायब हो जाएगी, जब क्रियान्वयन योग्य विचारों को क्रियान्वित किया जाएगा। बात करने से लेकर कदम उठाने तक, सोचने से लेकर क्रियान्वित करने तक, मरने से लेकर जिंदा रहने तक, अप्राकृतिक से प्राकृतिक तक, परिवर्तन प्रक्रियाएं आने को है। उन लोगों को प्रोत्साहित करने की बहुत ही अधिक आवश्यकता है जो स्थाई विकास को अब तक बनाए रखे हुए हैं, और उन सभी का विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है। चलिए इसके लिए हम हम तैयार होते हैं। हम ऐसा माहौल बनाते हैं, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के पास हमें आरोप देने के लिए कोई कारण न हों। समाभिरूपता और आत्मविश्वास निर्माण के साथ क्षमता एक प्रक्रिया है जो पूरे सेट अप को बदल सकती है।

समय और लहरें किसी का इंतज़ार नहीं करती हैं। भारत एक बहुत ही भाग्यशाली देश है, जहाँ परम्परा और आधुनिकता को एक साथ बहुत ही आसानी से जोड़ा जा सकता है। डीएडीआई (द्विन्डिलंग एक्सेप्टेड डाउन इन्वेस्टमेंट) को बहुत अधिक देखा और महसूस किया गया है। विविध परिवर्तनयोग्य कार्यक्रमों को परम्परागत तरीके से करने वाले लोगों के निम्न-लागत-अधिक प्रभाव वाकई में ही उच्च गुणवत्ता वाला जीवन हासिल कर सकते हैं। सरल लोग, सरल समाधान, सरल तकनीकों को वितरण प्रणालियों की समाभिरूपता में सरल नीतियों के साथ शामिल कर सकते हैं। समाभिरूपता की प्रक्रिया में निम्न कारकों को महत्ता दी जानी चाहिए:

- आतंरिक संसाधनों का पैदा होना
- जनसंख्या नियंत्रण
- मूल शिक्षा
- स्व-रोज़गार
- ग्रामीण कच्चे माल स्थानीय भंडारण की मूल्य संवृद्धि
- क़ानून व्यवस्था- अपराध मुक्त गाँव या कोई मुकदमा न होना या कोई एफ़आईआर न होना
- खिलाड़ियों और कलाकारों को मान्यता
- गरामीन संसाधनों का प्रयोग, एनआरआई संलग्नता, विशेषज्ञ, कुल साक्षरता, हर पहलुओं में महिलाओं के लिए समान अवसर
- वरिष्ठ नागरिकों की संलग्नता
- पर्यावरण कारक, जैसे सामाजिक वृक्षारोपण, नवीकरण ऊर्जा, जल संरक्षण,

जैविक उत्पादन, स्वच्छ भारत आदि।

- अधिक भूमि का प्रयोग

निष्कर्षः

ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण व्यवस्था आवश्यक है, और इसके लिए नियोजन कदम, शोध, वर्गीकरण, विस्तार और ऋण देने में मुद्दों की पूरी समझ के लिए बहुत ही उच्च स्तर से नए कदम उठाए जाने की जरूरत है। यह कहने की जरूरत नहीं कि कई मूल रूप से अच्छे अभियान आगे जाकर विफल हुए हैं, क्योंकि इनमें पारदर्शिता नहीं थी। इसका अर्थ है, कि ऊपर से नीचे तक हर कोई इस प्रक्रिया में संलग्न है जिससे गति पारदर्शिता के कारण मंद न हो। इस प्रकार सांसद, अधिकारी, जनाधिकरी, सेवानिवृत्त लोग, और पंचायत राज अधिकारी, बैंकर, चार्टेड एकाउंटेट, बीमा कम्पनियों, को तुरंत ही आम हितों को हासिल करने के लिए एक साथ आगे आ सकें। उचित गुणवत्ता प्रशिक्षण इन सभी को साथ लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

योजना आयोग : असंवेदनशील और अवास्तविक नियोजन

हम जमीनी स्तर पर एक समग्र और स्थाई ग्रामीण विकास के लिए उपरोक्त वर्णित संगठनों में काम कर रहे हैं, और हम वाकई चिंतित है कि किस प्रकार इस महान देश में नियोजन किया जा रहा है और निगरानी की जा रही है। नियोजन के पिछले छह दशकों का अनुभव यह बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि हमारी नियोजन प्रक्रियाओं ने लोगों को पूरी तरह से या तो सरकारी अनुदान या सरकारी छूटों पर निर्भर कर दिया है, उसे आत्मनिर्भरता से दूर किया है।

वे सभी संस्थान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, जिनका मुख्य कार्य था लोगों को आत्मनिर्भर बनाना या लोगों पर निर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण करना और आत्मनिर्भर जीवनयापन का निर्माण करना। इसने जमीनी स्तर पर न केवल लोगों के आत्मविश्वास को प्रभावित किया है बल्कि सरकार पर निर्भरता को बढ़ाया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि हम समग्र द्रष्टिकोण से देखें तो संकट के संकेत हमें किसानों की आत्महत्या, पानी के स्तर के कम होने, अत्यधिक जनसंख्या, जैव विविधता की हानि और बेफिक्र असंवेदनशील शासन से दिखाई दे रहे हैं और यह सब कुल असुरक्षा और क्षरण होते हुए क़ानून और न्याय व्यवस्था स्थिति में को पैदा कर रहे हैं।

हमारा मानना है कि यह सब केवल उस योजना प्रक्रिया के कारण हो रहा है जो हमारे देश में योजना आयोग के गठन के बाद आरम्भ हुई है। हमारा यह भी मानना है कि असंवेदनशील और अवास्तविक नियोजन मॉडल और प्रक्रियाओं ने एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया है जहां पूरा देश जाति, धर्म, रंग, निहित राजनीतिक हितों और प्रशासन के बड़े हिस्से में लूट आधारित द्रष्टिकोण को देखने के लिए बाध्य है जिसने सत्ता में बैठे हुए संगठित समूहों के द्वारा मानव और संसाधनों के शोषण का रास्ता साफ़ किया है।

केंद्र सरकार का योजना आयोग और राज्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस शोषण को सुगम बना रहे हैं। इस प्रकार देश को विकसित करने के लिए बनाए गए सभी क़ानून जो लोकतांत्रिक और सभ्य परम्पराओं पर बनाए गए थे, वे अब नियोजन प्रक्रियाओं की कमजोरी के कारण शोषकों के हाथ के हथियार बन रहे हैं। इसके साथ ही निगरानी प्रक्रि याओं को हर स्तरों पर सुधारात्मक कदमों के साथ निबटने के लिए तैयार नहीं किया गया है।

यह इस लिए हो रहा है क्योंकि योजना आयोग इस समय पूरी तरह से आउटडेटेड, असंवेदनशील, अवास्तविक और जमीनी हकीकतों से दूर हो गया है। कई प्रकार की आधारभूत संरचनाएं हैं जैसे स्कूल, अस्पताल, अतिथिगृह, पर्यटन स्थान, औद्योगिक एस्टेट, गोदाम, प्रशिक्षण केंद्र, सरकारी कर्मी, शोध केंद्र, मार्केटिंग क्लस्टर आदि जो या तो आधे प्रयोग हो रहे हैं, या बिलकुल ही प्रयोग नहीं हो रहे हैं। योजना आयोग और मंत्रालयों द्वारा लाए गए सभी दस्तावेज रटे रटाए तरीकों की बात करते हैं, और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सफलता के मानकों की बात करता हो, जो शानदार उपलब्धियों की बात करता हो, जो लागत कम करने वाले प्रयासों की बात करता हो, जो सही से कर्मियों के प्रयोग की बात करता हो, और हर उस चीज़ को प्रयोग करने की बात करता हो जो अब तक सही से प्रयोग में नहीं लाई गयी है या उसकी मार्केटिंग सही से नहीं हुई है।

हम कुछ सुझाव दे रहे हैं, जिन्हें यदि क्रियान्वित किया जाता है, तो वे जनता का कल्याण कर सकते हैं और वे आत्मनिर्भरता, उद्यमिता की भावना और वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए कुल क्षमता विस्तार के युग का आरम्भ कर सकते हैं।

कार्ययोजनाः

- सभी मंत्रियों और विभागों को कम से कम अपना दस प्रतिशत बजट कम करना चाहिए और इसके साथ ही अपने कर्मियों का भी बजट दस प्रतिशत कम करना चाहिए और यह कार्यबल और कार्यस्थान की संरचना को दोबारा आयोजित करने के द्वारा किया जाना चाहिए। निरंतर संगठन विकास प्रक्रियाएं बहुत ही आवश्यक हैं।
- मंत्रालयों को सर्वश्रेष्ठ और सबसे निम्न प्राथमिकता कार्यक्रम/व्यय को पहचानना चाहिए, और इसे जमीनी स्तर पर लोगों के प्रति केन्द्रित करना चाहिए और उसमें 6 पी (पब्लिक प्राइवेट पंचायत प्रोग्रेसिव प्रोफिटेबल पार्टनरशिप) बनाम भ्रष्टाचार आधारित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल की अवधारणा होनी चाहिए।

ग्रामीण भारत के समग्र विकास के लिए मेरे ओर से सुझाव

ग्राम पंचायतो मे हर माह ग्राम सभा का ग्रामीण जन स्व स्फूर्तः आयोजित करें।

- प्रत्येक परिवार के सदस्य का युवा शक्ति एवं नारी शक्ति के 20 परिवार का एक समूह बने। जिसका एक मुखिया चयन करेगे एवं वार्ड समिति के लिए एक व्यक्ति का चयन करेगे।
- प्रत्येक वार्ड मे परिवार समूह के मनोनित सदस्य का वार्ड समूह बने।वार्ड समुह ग्राम समिति के लिए एक व्यक्ति को मनोनित करेगे।
- ग्राम समिति मे वार्ड समिति के मनोनित सदस्यो को मिला कर ग्राम विकास समिति बनाया जाना प्रस्तावित होगा।
- ग्राम समिति ही तय करेगी कि ग्राम विकास की अल्प कालीन दीर्घ कालीन कार्य योजना क्या हो । सभी विभाग के मैदानी अमला ग्राम विकास समिति के सदस्य माने जायेगे।

- विभिन्न विभाग के विकास योजना में हितग्राही का चयन ग्राम विकास समिति के द्वारा किया जाना प्रस्तावित होगा ।
- ग्राम विकास समिति का बैठक ही आम सभा माना जाना प्रस्तावित होगा जिसकी अध्यक्षता ग्राम का सबसे पढा लिखा अनुभवी व्यक्ति या शिक्षक के द्वारा किया जाना प्रस्तावित होगा।
- ग्राम विकास समिति के द्वारा अपने युवा शक्ति एवं नारी शक्ति सदस्यो से एक तय राशि की सदस्यता शुल्क लेगे जिससे बहुद्देशिय सहकारी समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित हो।
- बहुद्देशिय सहकारी समिति स्वामी विवेका नंद जी के द्वारा सर्व प्रथम गठित समिति
- मनबोधि का गठन ग्राम स्तर से लेकर जनपद स्तर ,जिला स्तर ,संभाग स्तर,राज्य स्तर एवं अखिल भारतीय स्तर पर किया जाना प्रस्तावित हो ।
- सहकारी बहुद्देशिय समिति निम्न कार्य करेगा।
- ग्राम मे सर्व सुविधा युक्त कक्षा प्रथम से आठवी तक स्कूल का प्रावधान बनायेगा ,जिसमे प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक का प्रावधान हो ।
- ग्राम का इतिहास लेखन जिसमे वहा के लोगो को कृषि आयुर्वेद संस्कृति समृद्धि की जानकारी हो सके उसके अनुरुप योजना बनाना।
- गौ पालन केन्द्र
- बीज उत्पादन केन्द्र
- कृषि उत्पादन एवं विपणन केन्द्र
- उपभोक्ता एवं उत्पादक मे सामांजस्य स्थापित करना उसके अनुसार उत्पादन करना
- फलोउद्यान का चिन्हाकन कर उत्पादन
- जडी बूटीयो का उत्पादन एवं वैद्यों का चिन्हाकन कर उनकी जानकारी को लोगो तक पहुचाना।
- स्थानीय किसान एवं भूमि के आधार पर उत्पादन का निर्धारण कर अधिक उत्पादन कराना।
- आयुर्वेद ,प्रकृति चिकित्सा केन्द्र स्थापित करना।
- ग्रामीण डिपाटमेंटल स्टोर खोलना।
- जैविक खाद उत्पादन एवं विपणन केन्द्र।
- कपास उत्पादन एवं उन्नत तकनिक से धागा बनाना एवं कपडा बुनाई केन्द्र स्थापित कराना।
- सहकारिता पूर्ण ग्रामीण यातायात व्यवस्था बनाना।
- ग्रामीण शीतगृह केन्द्र सह गोदाम निर्माण कराना।

- दान से आत्मनिर्भरता, सक्षमता और आत्मविश्वास निर्माण प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण और टर्नकी सलाह महत्वपूर्ण हैं। पेशेवर इकाइयों जैसे चार्टेड एकाउंटेंट, आल इंडिया चेंज प्रोवाइडर को चुनौतियों का सामना करने के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रेरित करें।
- स्व-रोज़गार, दिखाई देने वाला निवेश, और नीति पॅकेज इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पंचायती राज संस्थान, गैर सरकारी संगठन, आईटी प्रदाता, बैंक सभी पेशेवर प्रशिक्षण संस्थान और सभी मीडिया को मानव के स्थाई विकास के लिए एक साथ हाथ मिलाना चाहिए। क्लस्टर में व्यवहार्य निवेश के हिस्से के रूप में छोटे और ग्रामीण उपक्रमों के लिए निधे और क्रेडिट डिपोजिट अनुपात की समय के मुद्देके लिए एक नया और समग्र द्रष्टिकोण चाहिए। हम निम्न लागत-उच्च प्रभाव-स्थाई गुणवत्ता प्रणाली विकास के प्रभाव को हासिल करने के लिए एसईसीई (स्व-रोज़गार परिवर्तन उपक्रमी) जैसे मॉडल का विकास कर रहे हैं।
- योजना प्रक्रिया को गाँवों और ब्लॉक स्तर में कार्य, रचनात्मकता, और आत्म पहल में एक अभियान देना चाहिए, उनमें उम्मीद जगानी चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि समाज के निचले वर्ग में लोगों द्वारा योजना बनाई जानी चाहिए न कि ऊपर से योजनाएं नीचे लोगों के लिए आएं। भारत सरकार के 500 संयुक्त सचिव और लगभग 105 सचिव सभी सेवाओं से आते हैं, मगर अधिकतर आईएएस अधिकारियों को अपनी समस्याओं का आंकलन करना होता है और अपनी समस्याओं के हल के लिए योजना आयोग की तरफ देखना होता है।
- सबसे बड़ी समस्या है समन्वय का अभाव, भ्रष्टाचार, संस्थानों और राजनीति में नेतृत्व का निम्न स्तर। इससे आदेश अधीनता, ब्यूरोक्रेट होने, विभागीयकृत होने, और अंत में पूरी तरह से खराब प्रदर्शन की कार्य संस्कृति का विकास होता है। हमें योजना और निगरानी प्रक्रिया में एक प्रभावी और इन बिल्ट प्रणाली की आवश्यकता है जो व्यवहार्य व्यापार मॉडल को प्रोत्साहित करे और जिसमें बैंक और पेशेवर लोगों के

साथ वे भी साथ आएं, जो अभी तक दूर थे।

- समग्र द्रष्टिकोण और कदमों पर आधारित संगठनों का एकीकरण और सामंजस्य हमें अपने आप ही संलग्न होने के लिए प्रेरित करता ही है, मगर साथ ही समुदाय, धर्म और आध्यात्मिक आधारित संस्थान को बाज़ार आधारित रोज़गार कार्यक्रमों को विक्सित करने के लिए अपनी जानकारी और अनुभवों को एक साथ लाना होगा।
- भारतीय स्थितियों की कुल विविधता के लिए हमें भारत के बाहर के देशों पर एक नज़र डालनी होगी। अधिक से अधिक निजीकरण, मुक्त व्यापार और गतिविधि, कानूनों का सरलीकरण को जमीनी स्तर की सशक्तिकरण नीतियों के साथ जोड़ा जा सकता है और इससे भारत त्वरित वाइब्रेंट पारदर्शी बनेगा और आगे जाकर भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा।
- सभी कार्यक्रमों में जहां पर 100प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, वहां पर अधिक से अधिक भरोसा कोर्पोरेट क्षेत्र को संलग्न करने पर होना चाहिए और साथ ही मुख्य परिवर्तन कर्ताओं को साथ लाने पर होना चाहिए। इस सन्दर्भ में, हम 100त्न अनुदान पर निर्भर न होने की सलाह देते हैं, मगर हम जोर देते हैं कि हितधारकों को जमीनी स्तर पर निवेश के हिस्से पर अधिकार जमाने के लिए एक साथ जोड़ा जाए।
- अखिल भारतीय सेवाओं पर और उसके साथ ही सरकारी ब्यूरोक्रेसी पर अत्यधिक निर्भरता के चलते शिक्षा की गुणवत्ता में वृहद समस्याओं, निवेश पर लाभ, स्वास्थ्य, सड़कें, जैव विविधता, कुल संरचना, ऊर्जा उपभोग और नुक्सान, अपशिष्ट प्रबंधन, लिंग संवेदनशीलता आदि की स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। इसका अर्थ है कि विधायक, सांसद, और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक समन्वित तरीके से जिम्मेदार और पेशेवर बनाया जाए। नियोजन प्रक्रिया में निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा वैश्वीकरण की चुनौतियों को प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए बेहतर नेतृत्व प्रदर्शन को जोड़ा बढ़ने जाना चाहिए।
- जमीनी स्तर की सक्रियता और परिचालनात्मक परिवर्तन के लिए समग्र द्रष्टिकोण के लिए एक खुले और जीवंत सोच की आवश्यकता होती है। परम्परागत जानकारी और ज्ञान के धारकों को सभी नियोजन प्रक्रियाओं में सम्मिलित किया जाना चाहिए ख़ास तौर पर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। नियोजन और विकास के पश्चिमी मॉडल हमारी भारतीय स्थितियों के अनुकूल नहीं होते हैं। इस प्रकार हमें अपने कुशल और प्रभावी नियोजन और निगरानी की आवश्यकता होगी, मगर इसमें दूसरे देशों से अनुभवों लेते हुए।
- विकास, रोज़गार मानकों, जीडीपी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सफलता पैरामीटर, और यहाँ तक की अल्पसंख्यक और पिछड़ी स्थिति को दोबारा परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार हमें अपनी आरक्षण नीति को परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है और इसीके साथ कुल प्रदर्शन/जिम्मेदारी मानकों को परिभाषित करना चाहिए।
- क्या हम गांधी जी और विनोबा भावे के उस ऊर्जावान और शक्तिशाली भारत के सपने को अनदेखा कर सकते हैं, जो विकेन्द्रीयकरण, शांति, और अहिंसा पर आधारित है जो हर किसी को समान और वहनीय अवसर प्रदान करते हैं? इस प्रकार मानवता, समानता, प्रकृति के नियम, मानवीय कमियों के मूल सिद्धांतों पर आधारित पूरी योजना आयोग की योजना बनाना आवश्यक है और इसके साथ ही उनके बढ़ने की अपेक्षाओं के आधार पर योजना आयोग को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है।

• अप्रवासी भारतीयों, सेवानिवृत्त व्यक्तियों, शिक्षकों, स्व-सहायता समूह, पेशेवर भी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, बशर्ते योजना प्रक्रियाओं में उन्हें जोड़ा जाए और उन्हें एक योग्य, पारदर्शी और प्रबंधन में सरल ग्रेडिंग प्रणाली द्वारा एक प्रभाव बनाने में सक्षम किया जा सके'।

• आपदाओं के संकेत कई वजहों से दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यही कारण है कि भारत के एक तिहाई से अधिक जिले नक्सलियों के प्रभाव में हैं और या फिर होने की कगार पर हैं। अगर यह जारी रहता है तो एक दिन पूरा भारत माफियाओं की गिरफ्त में होगा। इस प्रकार एक समग्र द्रष्टिकोण जिसमें जीवन, अर्थव्यवस्था, शासन, प्रशिक्षण आदि लोगों की सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं को उभारेगा। मगर इसके लिए ट्रस्टीशिप और नेतृत्व पर आधारित मानसिकता और द्रष्टिकोण में बदलने की जरूरत होगी।

हमने आपदा सुरक्षा बनाम आपदा प्रबंधन,और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र बनाम विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा का विकास किया है।

- समुदाय पोलिसिंग, अपराध मुक्त गाँव, शान्ति, रचनात्मक नियोजन, व्यवहार्य निवेश, पर्यावरण रक्षा, वेस्ट टू वेल्थ, लागत सजगता और क्षरण, विकेन्द्रीयकरण जैसे कार्यक्रमों को नियोजन और प्रशिक्षण के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।
- कई संस्थानों को या तो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है, वे अपनी आयु पूरी जी चुके हैं और उन्हें अब या तो बंद किया जाना चाहिए या ऊपर दिए गए 6 पी की अवधारणा का विकास करना चाहिए। हर विभाग स्वतंत्र रूप से सरकार के रूप में काम करना चाहिए।
- प्रशासनिक सेवाओं में हर प्रकार के स्थाई और अस्थाई कर्मियों को वास्तविक विश्वस्तरीय पेशवरों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए जो संविधान की शपथ लें न कि व्यक्तिगत बॉस की। इसका अर्थ है कि पूरी मानसिकता में ही बदलाव किया जाना चाहिए। इसमें कार्य मूल्यांकन की संस्कृति का विकास किया जाना चाहिए। उन्हें कोर्पोरेट में काम करने देना चाहिए क्योंकि होता यह है कि 38 वर्षों तक एक ही प्रकार की कार्यसंस्कृति में काम करते करते वे बाहर की दुनिया से जुड़ नहीं पाते हैं। और उनके द्वारा उठाए गए अस्थाई क़दमों से समाज का कोई कल्याण नहीं हो पाता है। प्रशासनिक सेवाओं में बहुत ही अधिक सुधार की आवश्यकता है, इन्हें लोकतांत्रिक और कार्य करने वाली बनाना है और इसे परिवर्तन लाने वाली सेवाओं के रूप में ही लाना है।
- सभी प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रबंधन, और संचालन 6 पी के साथ उसी तरह किया जाना चाहिए, जिसमें वे सभी सम्मिलित हों, जिनकी रूचि इस क्षेत्र में है। सभी उत्पादक संस्थानों को भारत जैसे विविधतापूर्ण देश की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम एकीकृत प्रणालियों द्वारा प्रदर्शन किया जाना चाहिए।

हम समग्र भारत बनाने के लिए अपने देश का निर्माण करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को नहीं तोड़ना चाहिए। सभी दल एक वाइब्रेंट इंडिया की बात तो करते हैं, मगर शायद स्थाई विकास का सपना कहीं पीछे छूट गया है। आइये हम लोगों से पूछें और नियोजन और क्रियान्वयन की सभी प्रक्रियाओं में संलग्न लोगों के साथ काम करने दें। केवल सरकारे ही ज्ञान की इकलौती ठेकेदार नहीं हो सकती हैं। देश के सभी लोगों को यह अधिकार है कि वे अपने विकास की प्रक्रि या के साथ जुड़ सकें। और प्रशिक्षण, सलाह, परिवर्तन और उक्त सुझावों को पेशेवर तरीके से लागू करने के लिए काम कर सकें, सलाह दे सकें। बार बार होने वाली गलतियों, विफलता के लिए हर किसी को दोषी ठहराना, और बहाने खोजना आदि को सरकार के हर स्तर पर हटाया जाना चाहिए और हमें एक नया भारत बनने की तरफ कदम बढ़ाना होगा। यह संभव है और वैश्वीकरण के इस युग में, इसे स्थानीयकरण के साथ किया जाना चाहिए। ■

उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग का कारनामा

अधूरे शपथपत्र भरवाए उम्मीदवारों से

मौलिक भारत ने दर्ज की शिकायत, भेजा प्रतिवेदन

मौलिक भारत संस्था ने अपने सदस्यों नीरज सक्सैना (एडवोकेट), अनुज अग्रवाल, संजीव गुप्ता (इंजीनियर), विक्रम चौधरी, घनश्याम लाल शर्मा, एवं तिलक राम पांडेय के द्वारा उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को कल एक शिकायत दर्ज कराई और आयोग द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा अधूरे शपथ पत्र भरवाने पर आपत्ति दर्ज की। मौलिक भारत ने केंद्रीय चुनाव आयोग के शपथ पत्र और राज्य चुनाव आयोग के शपथ पत्र का तुलनात्मक अध्ययन देते हुए स्पष्ट किया कि किन किन बिंदुओ पर प्रदेश का चुनाव आयोग उम्मीदवारों से जानकारी लेने में असफल रहा है, जो कि एक प्रकार से मतदाता के साथ धोखा है। संस्था के ट्रस्टी नीरज सक्सेना और अनुज अग्रवाल ने बताया कि शपथपत्र भरवाने का उद्देश्य यह होता है कि मतदाता अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की वास्तविक स्थिति जांचकर सही उम्मीदवार को वोट दे सकें। किंतु जब आयोग ही सारी जानकारी नहीं ले पा रहा तो ऐसे में मतदाता किस प्रकार उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव कर पायेगा। ऐसे में अक्षम और अयोग्य लोग चुन लिए जाएंगे जो लोकतंत्र और देश के संविधान के प्रति अन्याय होगा।

इसीलिए संस्था मांग करती है कि सभी उम्मीदवारों से केंद्रीय चुनाव आयोग के शपथ पत्र के प्रारूप के अनुरूप शपथपत्र भरवाए जाएं। लोकसभा, विधान सभा, राज्य सभा इत्यादि चुनावों से पूर्व प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा नामांकन भरते समय शपथ पत्र (AFFIDAVIT) भरना अनिवार्य है। शपथ पत्र में प्रत्याशी आपराधिक मुकदमों, अपनी व् परिवार के सदस्यों की आयकर सम्बंधित जानकारी, व्यापार /पेशा, अपनी शैक्षणिक योग्यता , अपनी व परिवार के सदस्यों (पत्नी एवं आश्रितों) की चल अचल संपत्ति जैसे कि नकद धनराशि, बैंक एवं अन्य संस्थान में जमा धनराशि, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बांड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, म्युचुअल फंड, राष्ट्रीय बचत योजना, पोस्ट आफिस जमा, बीमा पॉलिसी, प्रोविडेंट फंड इत्यादि का मूल्य, वाहन, सोना, चांदी, अन्य कीमती वस्तुएं का मूल्य, विरासत में मिली संपत्ति का पता, पूर्ण माप एवं बाजारू मूल्य, अचल संपत्ति जैसे कि कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि, व्यावसायिक भवन, रिहायशी भवन, फ्लैट, इमारत इत्यादि का (पता सहित) खरीदे जाने की तिथि पर मूल्य, का वर्तमान बाजारू मूल्य, चल अचल सम्पत्तियों में हित (INTEREST) तथा प्रत्याशी द्वारा लिए गए ऋण व सरकारी देनदारियों एवं अन्य कई जानकारियां शपथ पर घोषणा करना अनिवार्य होता है और विभिन्न निर्वाचन आयोगों का दायित्व होता है कि समय रहते प्रत्याशियों की सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइट समेत सभी माध्यमों से मतदाता तक पहुँच जाय जिससे कि वह निर्वाचन में सही उम्मीदवार का चुनाव कर सके और निर्वाचन आयोग की संस्तुति पर (पूर्व निश्चित मानदंडों पर आधारित) प्रत्याशियों के शपथ पत्रों में घोषित संपत्ति की आयकर विभाग द्वारा जाँच की जा सके।

तीनों चरणों में नगर निकाय निर्वाचन-2017 की मतगणना/परिणाम (दिनाँक 01-12-2017) को घोषित किये जाने से पूर्व चुनाव में नामांकन भरने वाले सभी प्रत्याशियों से संशोधित प्रपत्र-7 शपथ पत्र पुन: भरवाया जाय और आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाएँ जिससे कि मतदाता और गैर-राजनैतिक संगठन सभी शपथ पत्रों की सत्यता की जाँच करे सकें और झूठे पाए जाने पर न्यायालयों में मुकदमा/चुनाव याचिका दर्ज करवा सकें।, उसी अनुरूप सजा के प्रावधान हो (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा 48 निर्वाचन अपराध के अंतर्गत The Representation of the People Act, 1951 की धारा 125A (झूठा शपथ पत्र दाखिल करने

Sl. No.	उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का शपथ पत्र	भारत निर्वाचन आयोग, नयी दिल्ली का शपथ पत्र	विसंगतियाँ Our Observations
1	पैरा 4(अ) चल संपत्ति का विवरण बिंदु 5. मोटर वेहिकिल्स (मेक) इत्यादि का विवरण	Para (7) A : of ECI Affidavit Details of movable assets (vi) Motor Vehicles/ Aircrafts/Yathts/Ships (details of Make, Registration No. Etc, Year of Purchase and amount)	प्रत्याशी से वाहन का मेक, रजिस्ट्रेशन नंबर, खरीदे जाने का वर्ष एवं कीमत का उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ब्यौरा नहीं माँगा गया है
2	बिंदु 6. जेवरात (भार और मूल्य का विवरण)	(vii) Jewellery, bullian and valuable things (give details of weight and value)	प्रत्याशी से BULLION (सोने/चांदी की ईंट या सिक्के) या अन्य कोई कीमती धातु अथवा वस्तुओं का विवरण एवं उनका मूल्य नहीं पूछा गया है।
3	बिंदु 7. अन्य परिसंपत्तियां जैसे क्लेम का मूल्य /ब्याज	(viii) Any other assets such as value of claims/interest	चल संपत्ति के संदर्भ में शब्द 'interest' का हिंदी भाषा में अनुवाद 'ब्याज' गलत किया गया है। 'ब्याज' के स्थान पर चल अचल संपत्ति में दावा /हित का मूल्य का ब्यौरा माँगा जाना चाहिए था (Refer Transfer of Property Act-1882)
4	पैरा 4(ब) अचल संपत्ति का विवरण बिंदु 1. कृषि भूमि स्थिति (स्तिथियां),सर्वे संख्या/संख्याएँ, विस्तार(पूर्ण माप), वर्तमान बाजार मूल्य	Para 7 B : of ECI Affidavit Details of Immovable assets: i) Agricultural Land Location(s) Survey number(s)	प्रत्याशी से ब्यौरा माँगा गया है
		Area (Total measurement in acres)	प्रत्याशी से ब्यौरा माँगा गया है
		Whether inherited property (Yes or NO)	प्रत्याशी से विरासत में मिली कृषि भूमि का ब्यौरा नहीं माँगा गया है
		Date of purchase in case of self acquired property	प्रत्याशी से स्व-अर्जित कृषि भूमि (क्रय)खरीदे जाने की तिथि का ब्यौरा नहीं माँगा गया है
		Cost of Land (in case of purchase) at the time of purchase	प्रत्याशी से कृषि भूमि (क्रय) खरीदे जाने की तिथि पर मूल्य का ब्यौरा नहीं माँगा गया है
		Any investment on the land by way of development, construction etc.	प्रत्याशी से कृषि भूमि पर किये गए निर्माण, विकास रूपी निवेश का ब्यौरा नहीं माँगा गया है
		Approximate Current market Value	प्रत्याशी से ब्यौरा माँगा गया है
5	बिंदु 2 . अकृषि भूमि स्थिति, सर्वे नंबर, विस्तार(पूर्ण माप), वर्तमान बाजार मूल्य	(ii) Non Agricultural Land Location(s) Survey number(s)	प्रत्याशी से ब्यौरा माँगा गया है
		Area (Total measurement in sq. ft.)	प्रत्याशी से ब्यौरा माँगा गया है
		Whether inherited property (Yes or NO)	प्रत्याशी से विरासत में मिली अकृषि भूमि का ब्यौरा नहीं माँगा गया है
		Date of purchase in case of self-acquired property	प्रत्याशी से स्व-अर्जित अकृषि भूमि(क्रय) खरीदे जाने की तिथि का ब्यौरा नहीं माँगा गया है

पर छह महीने तक का कारावास) के दंड का प्रावधान शामिल किया जाय।) ,

साथ ही उनके जांच की जो प्रक्रिया केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने तय की है उसे भी स्थानीय निकायों के चुनावों में लागू किया जाए (भारत निर्वाचन आयोग, नयी दिल्ली के संलग्नक 3 – पत्र संख्या 76/ECI/LET/EEM/EL.Ex/IED/EEPS/2017Vol-I दिनांक 23-3- 2017की तर्ज पर नगर निकाय निर्वाचन-2017 में भाग लेने वाले सभी प्रत्याशियों के शपथ पत्रों में घोषित सम्पत्तियों की निश्चित मानदंडों पर जाँच किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयकर विभाग से निवेदन किया जाय।) ताकि झूठी सूचना दे चुनाव जीतने वाले पकड़े जा सके और उनको सजा दिलवाई जा सके। साथ ही आयोग यह भी सुनिश्चित करे कि सभी शपथ पत्र आयोग की वेबसाइटों पर जनता के लिए उपलब्ध हों। संस्था इस शिकायत पत्र को सभी केंद्रीय विभागों सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भी भेज रही है। ■

विकसित गांव विकसित राष्ट्र

धारा की दिशा बदलने का भागीरथी प्रयास

● एडीएन

मौलिक भारत के ट्रस्टी और भारत सरकार के पूर्व सचिव डॉ कमल टावरी एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं। बड़े जीवट के व्यक्ति डॉ टावरी अपनी प्रशासनिक सेवा के लंबे दौर में ग्रामीण विकास, कृषि, कुटीर उद्योगों , किसान, मजदूर और कामगारों से अधिक जुड़े रहे जो सिविल सेवा में एक अपवाद जैसा है। देश की दो तिहाई ग्रामीण आबादी को देश की मुख्यधारा में लाने के लिए अपने सेवानिवृत्त जीवन के पिछले एक दशक में उनकी कोशिशें और प्रयास भी उसी गति से जारी रहे किंतु कभी उनकी दिशा भटकी तो कभी सरकार का सहयोग नहीं मिला। लेकिन वो पूरे देश मे ऐसे लोगों का समूह बनाते रहे जो भारत की मिट्टी, संस्कृति और मौलिक जीवन धारा से जुड़े थे। मौलिक सोच और जमीनी काम वाले हजारों जुझारू लोगों का नेटवर्क अब उनके साथ है। हमारे काम और चिंतन से खासे प्रभावित तो वे वर्षों से थे पर पिछले दो वर्षो में वे डायलॉग इंडिया और मौलिक भारत से औपचारिक रूप से जुड़ गए। डायलॉग इंडिया की उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए की जाने वाली रैंकिंग से जब वे नजदीक से जुड़े तो उनको उच्च शिक्षा संस्थानों और ग्रामीण भारत के पुनरुत्थान के बीच एक कड़ी दिखी जिसकी उन्होंने कई बार मुझसे विस्तार से चर्चा की। उनकी दृष्टि और कार्ययोजना ने मुझे प्रभावित किया। पिछले एक बर्ष में उन्होंने अपने पूरे नेटवर्क को मथा और सभी से विस्तृत चर्चा कर ग्रामीण भारत के सम्पूर्ण काया पलट की कार्ययोजना बनायी। उन्होंने देश की पंचायतों, किसान नेताओं,लघु व मध्यम उद्योगों, बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़कर मानव संसाधन मंत्रालय को अपनी कार्ययोजना समझायी। इसके बाद मंत्रालय की सहमति से हमने तो अपने साथ जुड़े संगठन इंडो यूरोपियन कंफेडरेशन ऑफ स्माल एन्ड मीडियम इंडस्ट्री का आल इंडिया कॉउन्सिल ऑफ टेक्निकल एडुकेशन के साथ एक समझौते को अंजाम दिया गया। मौलिक भारत, डायलॉग इंडिया और राष्ट्रीय पंचायत परिषद इसमें सहभागी बन गए और आगाज हुआ एक क्रांतिकारी पहल का।

जी हाँ, देश भर में एआईसीटीई से जुड़े दस हज़ार से भी अधिक तकनीकी संस्थान हैं जिनमें 80 लाख विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं। इसके अलावा 3 करोड़ से अधिक एल्युमनी भी हैं। इनमें आधों को भी कारपोरेट और सरकारी क्षेत्र नोकरी नहीं दे पाते और देश मे शिक्षित बेरोजगारों की बाढ़ आई हुई है। एक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दशा बिगड़ी हुई है और दूसरी ओर शहर अत्यधिक जन दबाब में बिखर गए हैं। यह देश के लिए अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देश की वर्तमान सरकार इस स्थिति को बदलना चाहती है। सरकार के समर्थन से देश के 6 ।5 लाख ग्रामो को तकनीकी रूप से शिक्षित युवाओं की फौज से जोड़ने के लिए एक संकल्प हम सबने मिलकर लिया। इसी संकल्प के तहत विकसित गांव विकसित राष्ट्र विषय पर एआईसीटीई मुख्यालय में दो दिन की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमे हमने पिछले दो वर्षो के अपने अथक परिश्रम, देश भर के सेकड़ों दौरों, बैठकों से एकसूत्र में पिरोए गए पूरे देश से जमीनी काम करने वाले लोगों को

केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग राज्य मंत्री गिरिराज सिंह

केंद्रीय जल संसाधन, गंगा एवं संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

दिल्ली में बुलाया ताकि वे एआईसीटीई के प्रबंधकों और विशेषज्ञों के सामने कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़े बदलावो के लिए किए गए सफल प्रयोगों का प्रस्तुतिकरण किया गया। सभी संबंधित केन्द्र सरकार के मंत्रालयों को भी बुलाया गया और सांसद आदर्श ग्राम योजना को आधार बनाकर आगे की कार्ययोजना बनाई गई।

इस आयोजन की निम्न उपलब्धि रहीं-

1) पूरे देश से लगभग 600 लोग इस आयोजन में अपने खर्चे पर आए। इनको आने जाने, रहने खाने का कोई खर्च नहीं दिया गया। यानि जमीनी काम करने और उसे आगे बढ़ाने वाले संस्थान, संस्था और लोगों को ही आमंत्रित किया गया।

2) लगभग 150 से अधिक सफल प्रयोगों को इस कांफ्रेंस में प्रदर्शित किया गया। अब इनको एक पोर्टल पर एक साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

3) कांफ्रेंस की सफलता से प्रभावित होकर एआईसीटीई ने औपचारिक रूप से घोषणा कर दी कि शुरुआत में एक हज़ार और अगले दो से तीन वर्षो में पचास हज़ार तक गाँव अपने से संबद्ध संस्थानों को गोद मे लेने की कार्ययोजना बनाई है।

4) अब तकनीकी संस्थानों के लिए एक अवसर है जो गोद लिए गावों का सर्वे और मैपिंग कर कृषि, कुटीर उद्योगों और व्यापार के नए अवसरों को तलाशे और गाँव के लोगों से अपने विद्यार्थियों को जोड़े। यह विन विन सिचुएशन जैसा होगा यानि शुभ लाभ जिसमें ग्रामीणों को भी अपनी कमाई बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों की मदद मिलेगी और विशेषज्ञों को भी संबंधित क्षेत्र में नोकरी या अपना काम शुरू करने के अवसर। साथ ही सभी प्रकार की सरकारी एजेंसियों को इस कार्य में सहभागी बनने का स्पष्ट रोडमैप।

5) तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सामने आ गए हैं, जिनसे उनके अनिश्चितता भरे भविष्य के लिए नए अवसर खुल गए हैं। रोजगार न दे पाने के कारण बंद होते उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए यह पहल एक संजीवनी जैसी है। इसी कारण सरकार सभी स्तरों पर इस पहल को आगे बढ़ाने की इच्छुक है।

6) हम सभी समाजसेवियों के लिए यह अवसर है कि देश में फैले हुए 40 हज़ार से भी अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों को देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने, संस्था के संचालकों और विद्यार्थियों को इस दिशा में प्रेरित और प्रशिक्षित करने के लिए ताकि अगले कुछ वर्षो में ग्रामीण भारत की आमदनी दोगुनी या अधिक हो सके और उसका ढांचागत विकास व्यवस्थित तरीके से हो सके।

ऐसे में जबकि सरकार की नीतियों में व्यवहार में कारपोरेट क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र की कीमत पर आगे बढ़ाने का खेल चलता रहा है, पहली बार हम सबके प्रयासों से औपचारिक और व्यवहारिक रूप से सरकार की नीतियों में 360 डिग्री का परिवर्तन आया है। अब हम सबकी कोशिश यही होनी चाहिए कि इसकी दिशा न बदले और गति तीव्र होती जाए। इस पहल का व्यापक बनाने के लिए 20 समाजसेवी लोगों ने अवैतनिक पूर्णकालिक रूप से समय देने का निर्णय लिया है। हम अगले तीन महीने पूरे देश को पुन: मथने जा रहे हैं और उसके बाद पुन: एक बार दिल्ली में एकत्र होंगे अपनी उपलब्धियों और कमियों की समीक्षा के लिए।

महाअभियान का शुभारंभ

विकसित भारत -विकसित गाँव पर दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मुख्यालय में 29 और 30 अक्टूबर 2017 को किया गया। इस आयोजन में पूरे देश से सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया और ग्राम विकास पर उठाए गए कदमों पर चर्चा की। दो दिनों तक चले इस विचारों के महाकुम्भ का आरंभ दीप प्रज्जलवन के द्वारा हुआ। आयोजन के उद्घाटन सत्र में मध्य प्रदेश के सागर से सांसद श्री लक्ष्मी नारायण, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष डॉ0 एम पी पुनिया, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्त्रबुद्धे, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरिराज सिंह, बाहरी दिल्ली से सांसद श्री रमेश विधूड़ी, इंडो यूरोपियन कंफेडरेशन ऑफ स्माल एन्ड मीडियम इंडस्ट्री के अध्यक्ष श्री विजय तिवारी आदि सम्मिलित हुए थे।

आयोजन के उद्घाटन सत्र में सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए **परिषद के उपाध्यक्ष डॉ एमपी पुनिया** ने भारतीय गाँवों की विशिष्टताओं का बखान करते हुए कहा कि हम

दो हजार वर्ष पूर्व हमारे विकसित गावों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज शहर पर दबाव बढ़ रहा है, गाँव में रोजगार की कमी के कारण शहरों में गाँवों से पलायन हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के जिस स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाया है, वह तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक गावों से पलायन न रोका जाए। हम स्लम को बढ़ने से नहीं रोक पा रहे हैं। रोज ही कई झुग्गी झोपड़ियां बढ़ जाती हैं और यह सब शहर पर बोझ हैं। हमारी परिषद के साथ दस हजार से भी अधिक तकनीकी संस्थान हैं जिनमें 80 लाख विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं। मगर यह आवश्यक नहीं है कि इनसे उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्रों को नौकरी मिल ही जाए। तो मैं परिषद से जुड़े हुए संस्थानों से पांच पांच गाँव गोद लेने का आग्रह करता हूँ, जिनसे हम गाँवों में ही रोजगार के उन अवसरों को प्रदान कर पाएं, जिनकी तलाश में रोज ही लाखों की संख्या में लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं। आज भी हम गाँवों की कई समाजगत विशेषताओं पर नजर डालें पता चलेगा कि कई कौशल परिवारों में पीढ़ीगत हुआ करते थे। पिता अपनी संतान में वह कौशल दे देता था, पहले का लोहा कितना परिष्कृत और उन्नत लोहा हुआ करता था कि आज भी हमें उसके बनाए स्तम्भ परिलक्षित होते हैं, मगर हमने हर उस कला को समय के साथ खो दिया जो हमारी पहचान हुआ करती थी और बेतरतीबी से हुए शहरीकरण में शहर पर बोझ बढ़ा लिया। हमारा यह प्रयास है कि हम वापस गाँवों की तरफ जाएं और रोजगार के अवसर वहीं उपलब्ध कराएं। डॉ. पुनिया ने कई प्रकार के पुरस्कारों की भी घोषणा उन संस्थानों के लिए की, जो गाँवों में रोजगार उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे भारत सरकार के पूर्व सचिव डॉ कमल टावरी के साथ गाँवों में गए। उन्होंने उपलब्ध आधारभूत संरचना के बारे में भी अपनी बात रखते हुए कहा कि आज हमारे पास काफी इन्फ्रा तैयार खड़ा है और अब केवल शिक्षा पर ध्यान देना है। जिस प्रकार सीएसआर है उसी प्रकार शिक्षण संस्थाओं की भी सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने ग्रामीण एकात्म की अवधारणा को सामने रखा। किसानों के साथ साथ गाँवों की भी आय में वृद्धि हो। देश के जीडीपी मॉडल को गाँव में भी लागू किया जा सकता है। उन उत्पादों की मार्केटिंग की जाए, जिनकी मार्केटिंग नहीं की गयी है। गाँव की आय को दोगुना करें, गाँव में नए उपक्रम लगाएं, स्थाई जल मॉडल लगाने वाले को सम्मानित करें। ऊर्जा खपत को कम करने वाले उत्पादों को लाएं, कम से कम 100 लोगों को कौशल प्रदान करें, जिनमें 30 प्रतिशत महिलाएं हों। कम लागत वाली आवास तकनीक को लाएं। इसी के साथ महिलाओं के बीच पूरी दुनिया भर में घटने वाले घटनाक्रम और घटनाओं पर चर्चा करें। शिक्षण संस्थानों से उन्होंने अपशिष्ट निस्तारण प्रणालियों को भी आगे लाने की अनुशंसा की।

इसी सत्र में अपनी बात रखते हुए **इंडो यूरोपियन कंफेडरेशन ऑफ स्माल एन्ड मीडियम इंडस्ट्री के अध्यक्ष श्री विजय तिवारी** ने मंत्री जी का धन्यवाद करते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सांसदों ने और मंत्रियों ने गाँव गोद तो ले लिए मगर मूल समस्या तो जस की तस ही है। उन्होंने अपने संगठन के द्वारा किए जा रहे कामों की चर्चा की और उसके साथ ही वे जिस जिस गाँव में गए, उस गाँव में उठाए गए कदमों के विषय में विस्तार से बात की। उन्होंने गाँवों की सामाजिक संरचना पर भी बात करते हुए उन समस्याओं पर चर्चा की जो सामाजिक संरचना के कारण उत्पन्न होती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि काफी कदम उठाए जा रहे हैं, फिर भी कई स्तर पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। गाँवों में छोटे छोटे मुद्दों पर बड़े झगड़े हो जाते हैं। आम लक्ष्यों और उद्देश्यों का अभाव है। शिक्षा के अभाव के साथ-साथ व्यवहारिक शिक्षा का भी अभाव है। जाति प्रथा, जो इस समय सबसे बड़ी कुरीति के रूप में उभर कर आई है। गरीबी, आय के स्रोत, सूचना का अभाव और सबसे बड़ी बात उनका दुनिया के हर हिस्से से कटा होना और समय के साथ खुद को अपग्रेड करने में विफलता भी एक समस्या है। उन्होंने पंचायती राज के 29 विषयों पर बात की। जिनमें मुख्य है कृषि, भूमि सुधार, भूमि और मृदा संरक्षण, छोटी जोत की खेती, जल प्रबंधन और वाटरशेड विकास, पशु पालन, दुग्ध उत्पाद, मत्स्य पालन, सामाजिक वृक्षारोपण और कृषि वृक्षारोपण, ग्रामीण आवास, पेय जल, ईंधन और चारा, ग्रामीण विद्युतीकरण सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। महिला और बाल विकास, समाज के कमजोर तबके का विकास और खास तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति का विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव। श्री विजय तिवारी ने इस स्थिति से निबटने के लिए कई उपाय भी सामने प्रस्तुत किए जिनमें गाँवों के अप्रयुक्त संसाधनों को खोजकर उनकी उपयोगिता की योजना बनाना और उनमें उद्यमिता अवसरों की खोज करना, पहचाने गए संसाधनों और परियोजनाओं की साथ आरंभ की जाने वाली योजना, और सफल कहानियों को और संस्थाओं के साथ साझा करना सम्मिलित था।

इस अभियान के रचनाकार **पूर्व सचिव, भारत सरकार श्री कमल टावरी** ने मार्केटिंग पर जोर देते हुए कहा कि हमें आगे बढ़कर उन चीजों की मार्केटिंग करनी चाहिए जिनपर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया

है। गाँव इसलिए नहीं पिछड़ा है क्योंकि वहां पर रोजगार के अवसर कम है, वे इसलिए भी पिछड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर उतनी मार्केटिंग नहीं हुई है। हमें गाँवों के उत्पादों की मार्केटिंग का प्रयास अपने हर गावों में करना चाहिए। हमें सरकार से अपनी चिंता के बिन्दुओं का बांटना चाहिए। हमें सरकार के द्वारा चलाई जा रही हर योजना के विषय में पता होना चाहिए। हर योजना में अधिकतर राशि सरकार के पास वापस चली जाती है, हर योजना में कितनी राशि सरकार से आवंटित हुई, यह गाँव में या तो पंचायत स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर पता होनी चाहिए। जो काम सरकार सौ रूपए में करा रही है, क्या हम उसे कम रूपए में कर सकते हैं? क्या हम उन लोगों को खोज सकते हैं, जो काम कर रहे हैं और जिन्होनें सरकार से एक भी पैसे की मदद नहीं ली है? क्या हम ऐसे लोगों को खोजकर उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं? क्या हम उन्हें ग्लैमराइज कर सकते हैं? श्री कमल टावरी ने नकारात्मकता को त्यागने की बात की और कहा कि हमें संवेदनशील होकर न केवल काम करना है बल्कि सकारात्मक मुद्दों पर बात करनी है। हमें रोना धोना बिलकुल भी नहीं है, संसाधनों के अभावों की बात न करते हुए हमें उपलब्ध संसाधनों की बात करनी है। हमें केवल उन्हीं योजनाओं पर काम करना है, जिनसे हमें लाभ हो। हम कदम उठाएं, मार्केटिंग करें। जितना हो सकता है, हाइप बनाएं। उन्होंने सरकारी अधिकारियों के संवेदनशील होने पर भी बात की और कहा कि अधिकारियों को संवेदनशील होकर ब्लॉक तक के स्तर पर काम करना होगा। श्री टावरी ने गाँव के लिए सभी की सामूहिक जिम्मेदारी की बात की।

पाकिस्तान सीमा से सटे हुए **बाड़मेर से सांसद श्री कर्नल सोनाराम चौधरी** ने कहा कि बाड़मेर पाकिस्तान सीमा पर है, अधिकतर अकाल रहता है। आदर्श गाँव के अन्दर क्या हो, क्या सुविधाएं होनी चाहिए, यह सब निर्धारण

होना चाहिए। बहुत कुछ हो गया है, मगर बहुत कुछ होना बाकी है। भारत सरकार आदर्श गाँव को कई सुविधाएं देती है। यह हमारा दायित्व है कि हम उन सुविधाओं का उपयोग करें। गाँव के लिए इस सरकार के द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। और उन्होंने इस सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह सरकार बहुत ही अच्छे कदम उठा रही है और यदि क्रि यान्वयन सही से किया जाए तो यह काफी काम हो सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना काफी अच्छी योजना है, हालांकि योजना के क्रियान्वयन के सही दिशा में न जाने पर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया और कहा कि देश के विकास के लिए गाँव का विकास बहुत ही अधिक आवश्यक है।

मध्य प्रदेश के **सागर से सांसद रहे लक्ष्मी नारायण यादव** ने कहा कि ग्रामीण परिवेश के

साथ पढ़ाई को जोड़ने की पहल बहुत ही अच्छी है। पैरामीटर बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने इसके साथ एक और पैरामीटर जोड़े जाने की अनुशंसा की। उन्होंने कहा कि हालांकि योजनाएं तो बहुत हैं, मगर लोगों में आगे बढ़कर योजना का लाभ उठाने की प्रवृत्ति नहीं है तो एक ग्रुप ऑफ लीडर बनाया जाए। सरकार दे तो रही है, मगर लोगों को मिल नहीं पा रहा है और खुदकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए गाँवों में से ही कुछ युवाओं में ग्रुप ऑफ लीडर का गठन किया जाना चाहिए।

बाहरी दिल्ली से सांसद श्री रमेश विधूड़ी ने इस मंच का सदुपयोग करते हुए सांसद आदर्श ग्राम योजना में क्रियान्वयन की परेशानियों को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यदि अधिकारियों

की मनमानी के कारण सांसदों को इस हद तक परेशानी हो रही है, तो आम जनता को कितनी परेशानी होती होगी। अधिकारी राजा होते हैं और योजना के क्रियान्वयन न होने पर नेताओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

एनआरडीसी से डॉ एच पुरुषोत्तम ने अपने विभाग की उपलब्धियों पर बात करते हुए कहा कि अब तक कई तकनीकों को गाँव तक वे हस्तांतरित कर चुके हैं। और उनके साथ तीन

हजार से अधिक तकनीशियन काम कर रहे हैं। उन्होंने श्री विजय तिवारी जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गाँव की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का काम एनआरडीसी कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वे गावों में उद्यमिता का विस्तार कर रहे हैं।

बांग्लादेश से आए हुए **सीएमडी ग्रुप ऑफ कम्पनीज के श्री नुर्जुर्मान** ने इन कदमों के उठाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की और उन्होंने मंत्री जी का शुक्रिया अदा किया।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के

अध्यक्ष श्री अनिल सहस्त्रबुद्धि ने इस आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब हमने इसके विषय में सोचा था तब

हमसे कहा गया कि परिषद और गाँव के बीच क्या रिश्ता? आखिर तकनीकी शिक्षा और गाँव का आपस में क्या सम्बन्ध हो सकता है? मगर सच बात तो यह है कि हमारी परिषद् का ही रिश्ता है गाँवों से। आखिर जब गाँवों का विकास होगा तभी हम विकसित भारत की बात कर सकते हैं। विकसित देश विकसित गावों की नींव पर ही बना होता है। और गाँव केवल तकनीकी शिक्षा के साथ ही समृद्ध हो सकते हैं। हमने अपनी

परिषद से जुड़े हुए सभी संस्थानों से पांच पांच गावों को गोद लेने का आग्रह किया है, छात्रों को क्लास रूम की शिक्षा ही न दें, बल्कि गाँव में जाकर इंटर्नशिप करें। उन्होंने तकनीक के आधार पर जोड़ने की बात करते हुए कहा कि देखा जाए कि क्या सड़क बनी है, क्या बिजली पहुँची है, यदि पहुँची है तो कहाँ पर और यदि नहीं तो क्यों नहीं, उसके लिए क्या किया जा रहा है या क्या किया जाए? यह सब प्रश्न हम सबको उठाने होंगे! स्मार्ट सिटी की बात करते हुए उन्होंने स्मार्ट विलेज की भी बात की और उन्होंने कहा कि हमें स्मार्ट विलेज की तरफ भी देखना होगा। जब तक गाँव स्मार्ट नहीं होगा तब तक शहर और अंततः देश का विकास नहीं हो सकता है। उन्होंने कई कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि उद्यमिता पर कई कदमों को उठाया गया है और पूरे भारत में स्टार्ट अप पालिसी को शुरू किया है। और यह शुभकार्य आदरणीय राष्ट्रपति के द्वारा आरम्भ किया गया है। एनआरडीसी के साथ मिलकर गाँव में तकनीकें जोड़ रहे हैं। गाँव गोद लेना केवल सांसदों का ही कर्तव्य नहीं है, बल्कि हमारी परिषद से सम्बद्ध सभी तकनीकी संस्थान भी देश के तकनीकी विकास हेतु गाँव गोद लेंगे।

सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद पहले तो इस पहल के लिए बधाई की पात्र है। उन्होंने नीति और नियत की बात करते हुए कहा कि नीति नियत से बनती है और नियत इस आयोजन के आयोजकों के द्वारा स्पष्ट परिलक्षित हो रही है कि श्री एमपी पुनिया, श्री सहस्त्रबुद्धि, कमल

तावरी एवं विजय तिवारी, सभी की नियत देश के विकास की है। नीति में नियत के साथ इमोशन, और डिवोशन दोनों ही होने चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में हुए शोध जमीनी स्तर पर भी जाएं, इस बात का ध्यान रखा जाए। देश कभी एक से तरक्की नहीं करता है, बल्कि जब पूरे एक सौ पैंतीस करोड़ भारतवासी तरक्की करेंगे तो पूरा देश चलेगा। सब एक एक कदम बढ़ाएंगे तो सब आगे बढ़ेंगे, और जब तक शांत रहेंगे, तब तक शांत ही रहेंगे।

अगर हमारे देश में गाँवों को सुधारने का संकल्प 8 मिलियन युवा ले लें, तो इतने तो गाँव भी हमारे नहीं हैं। उन्होंने हर बात में राजनीति को लाने का विरोध करते हुए कहा कि हमारी आदत पड़ गयी है, हर बात में राजनीति खोजने की। हमारे पास पूरे विश्व की आबादी का 18प्रतिशत, जमीन का ढाई प्रतिशत और पानी का 4प्रतिशत है, ऐसे में संसाधनों का उचित उपयोग हमें करना होगा। हमने अस्थाई विकास किया, तीन सौ साल पहले तक हम पूरी तरह से ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था थे। जबकि अब हमारे गाँव एकदम विकास की दौड़ में पीछे हो गए हैं। आजाद होते समय भी हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 55प्रतिशत था। आजादी के बाद हमने जो भी रास्ते अपनाए, वह केवल और केवल अनुकरण के रास्ते थे। हमने केवल अनुकरण किया, मैं यह नहीं कहता कि अनुकरण नहीं करना चाहिए, हमें अनुकरण और अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि तकनीक से दूर रहकर हम किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। गाँव के लोगों को रोजगार देना जरूरी है। गाँव की जीडीपी को शीर्ष पर ले जाना जरूरी है। सांसद ग्राम योजना पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना अपने आप में एक सरदर्द है क्योंकि हमें नियत समय में काम पूरा करके देना होता है। अधिकारियों में उत्तरदायित्व होना चाहिए। नौकरी के बारे में उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग और एमबीए वाले बच्चे भी पन्द्रह से बीस हजार तक की नौकरी चाह रहे हैं। उन्होंने जॉब सीकर की तुलना में जॉब गिवर के लिए काउंसिलिंग के एक अलग सत्र की भी बात की। सामाजिक उद्यमिता हो, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगआगे आएं। गावों से होने वाला पलायन कम हो। यूथ का सशक्तिकरण हो। उन्होंने सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों की भी बात करते हुए कहा कि सड़क निर्माण की गति बढ़ी है। पंचायतों को वाईफाई से जोड़ा जा रहा है, गरीबी वही जानेंगे जो जिन्होंनें खुद गरीबी देखी है। हमें गरीबी हटाने के लिए खुद को तकनीकों के साथ जोड़ना होगा। नौकरी से हटकर रोजगार पैदा करना होगा। हर किसी को रोजगार से जोड़ेंगे। उन्होंने अपने द्वारा चलाए जा रहे इलेक्ट्रिक चरखे वाली योजना के विषय में भी बात की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेकार मानव बालों से उन्होंने अमीनो एसिड बनवाया है और इसके प्रमोटर गडकरी जी हैं। उन्होंने सोलर चरखे की भी बात की और उसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि हमें उन खाद्यान्नों को उगाना चाहिए, जिन्हें हम बाहर निर्यात कर सकें। हमें कच्चे माल से उद्योग धंधे स्थापित करना होगा। हमें अपना काम करने के लिए हिम्मत जुटानी होगी और हमें उद्यमों के द्वारा अपना गौरवशाली अतीत वापस लाना होगा।

पहले दिन के आखिरी सत्र में इस आयोजन के मीडिया सहयोगी **डायलॉग इंडिया के ग्रुप एडिटर अनुज अग्रवाल** ने भी ग्राम विकास पर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए कहा कि देश में मौजूद 40000 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थान हैं किंतु कुछ

कृषि संस्थानों को छोड़ सभी कहीं न कहीं देश के औद्योगिक और व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम करते हैं। इन संस्थानों की सबसे बड़ी कमी यह है कि ये पूर्णत: विकसित देशों और उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था को आदर्श मान उसको मापदंड बना काम करते हैं। यह आम बात है कि इन संस्थानों में आधे से अधिक छात्र छात्राएं ग्रामीण पृष्ठभूमि और कृषक परिवारों से हैं और इन सबकी उच्च शिक्षा के लिए इनके किसान माँ -बाप ने अपनी खेती की जमीनें गिरवी रखी या बेची हैं। इतने कड़े संघर्ष और बलिदानो के बाद भी इनकी संताने अक्सर खेती किसानी को उपेक्षा की नजर से देखती हैं और कॉरपोरेट हित में कृषक विरोधी काम करती हैं।

यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश मे आधे से अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त यह वर्ग ठीक से पढ़ भी नहीं पाता और न ही कोई नौकरी ले पाता है। कारपोरेट दुनिया के बदलते स्वरुप में यह पूरा क्षेत्र ऑटोमेशन के दौर में आ चुका है जिससे नौकरियों में भारी कमी होते जाना निश्चित है। ऐसे में सैकड़ो की संख्या में उच्च शिक्षा संस्थान या तो बंद होते जा रहे हैं या बंद होने की कगार पर हैं। ऐसे में सरकार और नीति निर्माताओं को अपनी योजनाओं और दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन करने होंगे। इस दिशा में मौलिक भारत के निम्न सुझाव हैं -

- देशभर के ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उच्च शिक्षा की स्पष्ट भूमिका तय होनी चाहिए।
- उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने-अपने स्तर पर कृषि, ग्रामीण कृषि आधारित परंपरागत और सामयिक कुटीर , मध्यम और लघु उद्योगों पर आधारित विशेष पाठ्यक्रम वाले कोर्स, डिप्लोमा,डिग्री कार्यक्रम चलाने होंगे।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एवं अन्य कोर्सेस में ग्रामीण और कृषक परिवारों के बच्चों का ही प्रवेश हो ।
- कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान कुछ ग्राम गोद ले और उन ग्रामों की वास्तविक स्थिति का समग्र अध्ययन, सर्वेक्षण और शोध कर आगामी विकास की दीर्घकालिक योजनाएं बनाए और उनके प्रभावी क्रियान्वयन का रोडमैप भी दें।
- निश्चित अवधि में ग्राम विशेष का समग्र विकास और इसके लिए सभी सरकारी और सामाजिक संस्थाओं का समन्वय उच्च शिक्षा संस्थानों की जिम्मेदारी होगी।
- रोजगार, आत्मनिर्भरता, लोकतंत्र और सहकारिता इस मूलमंत्र के साथ किसान द्वारा किसान का विकास, किसान के लिए इसे व्यवहार में लाना संबंधित उच्च शिक्षा संस्थान की जिम्मेदारी होगी।
- उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक निश्चित रकम इस दिशा में खर्च करना अनिवार्य हो क्योंकि बंद होते संस्थानों में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित नए पाठ्यक्रमों से न केवल उन्हें नए प्रवेश मिलेंगे वरन वे खासे लाभ की स्थिति में आते जाएंगे।
- हर उच्च शिक्षा संस्थान में एक क्लब या सोसाइटी बने जिसके सदस्य वो विद्यार्थी हो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रुचि रखता हो।
- लिंकडिन की तरह ग्रामीण एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े लोगों का एक सोशल नेटवर्किंग साइट एआईसीटीई बनाए।
- एआईसीटीई के पूर्व छात्रों यानि एलुमनाई को भी इस मुहिम से जोड़ा जाए।

शुरुआत में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को जोड़ने का जो सफल प्रयास मौलिक भारत के ट्रस्टी और पूर्व केन्द्रीय सचिव डॉ. कमल टावरी जी ने किया, उसके पीछे पिछले कई वर्षो की अनथक मेहनत और देश की वास्तविक स्थिति का जमीनी सर्वेक्षण है। तकनीक और प्रबंध का उचित प्रयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की राह खोल देगा, यह हमारा गहन अध्ययन कहता है।

इस आयोजन में दो दिनों तक कई पेपर प्रस्तुत हुए एवं ग्राम विकास पर कई प्रेजेंटेशन हुए। आयोजन के समापन सत्र में दो दिनों में प्रस्तुत हुए पेपर का सार प्रस्तुत किया गया। इस सत्र में **विख्यात उद्योगपति श्री संदीप मारवाह** ने गाँवों को तकनीक से जोड़ने की इस पहल का स्वागत किया और उन्होंने अपनी तरफ से हर सम्भव मदद देने का आश्वासन दिया। उन्होंने रेडियो नॉएडा में इस अभियान से जुडी खबरों को जगह देने की बात की और इसके साथ ही उन्होंने अपने अखबार में इस अभियान के लिए एक कॉलम भी दिए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने अपनी वेबसाईट पर रोज इस अभियान की एक खबर प्रकाशित करने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि लोग काम शुरू नहीं करना चाहते हैं। लोग विफल होने से डरते हैं। जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे तो सफलता और विफलता के बारे में कैसे पता चलेगा।

डॉ. पुनिया ने एक बार फिर से कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बदलाव आना चाहिए, गाँवों को विकास की

मुख्य दौड़ में सम्मिलित करना चाहिए। शहर पर बढ़ रहे बोझ के विषय में बात करते हुए उन्होंने नई दिल्ली में ओबामा के दौरे का जिक्र किया। जिसमें उन्होंने वायु प्रदूषण की बात की और कहा कि पहले तो ओबामा जी तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि उन्हें वायु प्रदूषण का खतरा था, मगर किसी तरह वे तैयार हुए और भारत आए। जब वे यहाँ से वापस गए तो उनके स्वास्थ्य की जांच करने के बाद यह कहा गया कि भारत में वायु प्रदूषण के कारण ओबामा जी के जीवन के छः मिनट कम हो गए। तो वायु प्रदूषण के कारण हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि भी खराब होती है। इस सत्र के मुख्य अतिथि रहे केंद्रिय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की सादगी की तारीफ करते हुए डॉ0 पुनिया ने उनके सामाजिक पहलू की तरफ भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अर्जुन राम मेघवाल हर वर्ष गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह कराते हैं। पिछले ही वर्ष उन्होंने 224 लड़कियों का विवाह कराया। हम लोगों ने उनके पतियों के लिए स्किल डेवलपमेंट का पाठ्यक्रम आरम्भ करवाया। और अब ग्रामीणों के लिए AICTE धरातल पर काम कर रहा है। दरअसल धरातल पर काम करना बहुत कठिन होता है। उदघाटन सत्र में की गयी सभी घोषणाओं को उन्होंने एक बार फिर दोहराते हुए सभी इनामों और सम्मानों की बात की।

डॉ. कमल टावरी ने इस आयोजन में प्रस्तुत पेपर के आधार पर एक रूपरेखा प्रस्तुत की कि आने वाले समय में क्या किया जा सकता है और क्या किया जाना है। बहुत ही जल्द जिन लोगों ने अपने अपने लक्ष्य दिए हैं, उनसे इन लक्ष्यों के बारे में पूछा जाएगा। यह निर्णय लिया गया है कि एक विशेष जिले में स्थित एआईसीटीई अनुमोदित संस्थान, स्थानीय रोजगार, अभिसरण, लागत में कमी, पंचायती राज, युवा और महिला भागीदारी आदि के लिए संवैधानिक प्रावधानों का पूर्ण उपयोग की पहचान करके समग्र परिवर्तन के लिए तकनीकी हस्तक्षेप और नेटवर्किंग के लिए सैगी के अंतर्गत गोद लिए गांव के साथ जुड़ा होगा। विद्यार्थी 7 आई पर काम करेंगे - Innovative, implementable, investigative, and inclusive ideas for India; और इसके साथ ही छह P पर भी काम करेंगे अर्थात: Public, Private, Panchaya! Profitable, Progressive, Partnership.

कई मुद्दों पर समर्थन की भी कार्ययोजना बनाई गयी जैसे:

- आईईसीएसएमई इस पहल के लिए अपने सभी नेटवर्क और नॉलेज पार्टनर्स के साथ बात करेगा।
- राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ज्ञान साझीदार के रूप में ईडीपी कार्यक्रमों के साथ सभी अनुसंधान और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
- अफ्रीकी-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन सदस्य देशों की सही प्रक्रियाओं को साझा करेगा।
- निजी विश्वविद्यालयों को संबद्ध करने के लिए एआईसीटीई के साथ पूरे कार्यक्र म को आगे बढ़ाने के लिए, ग्राम स्वराज को गति दी जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 8000 ब्लॉकों में सालाना न्यूनतम बीस से 25 रोजगार सृजन हर वर्ष होगा।

इसके साथ ही अखिल भारतीय पंचायत परिषद के साथ मिलकर पंचायती राज के सभी 29 विषयों के क्रियान्वयन के लिए सक्रिय सहयोग के भी सहयोग की बात है।

इसके साथ ही उन्होंने इस कार्ययोजना में कई कदमों को उठाए जाने के बारे में कहा:

- स्थानीय ग्रामीण समस्याओं के लिए समाधान खोजने के लिए ग्रामीण हैकथॉन (तकनीकी हस्तक्षेप) का संचालन करना
- गोद लिए गांवों पर काम करने के लिए निम्न कार्यों के लिए छात्र, वरिष्ठ नागरिक, शिक्षक, संस्थान आदि को पुरस्कार आदि देना।
- 25 से अधिक नौकरियों का निर्माण, कम से कम 4 श्रेणियों में
- 12 वीं के परिणाम 100प्रतिशत प्राप्त करने के लिए और उच्च / तकनीकी / व्यावसायिक शिक्षा में उनके नामांकन में स्थानीय स्कूलों में सहायता करना
- ग्राम आय को दोहरीकरण के लिए एक कार्रवाई योग्य डीपीआर तैयार करना
- निरंतर जल प्रबंधन प्रणाली को समर्पित करना
- एक वर्ष में लगभग 5 युवकों को वापस शहर से गाँव की रिवर्स प्रवृत्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य
- कम लागत वाली स्वच्छता सुविधाओं का विकास और क्रि यान्वयन
- पर्यटन संवर्धन अभिनव दृष्टिकोण
- तीन उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का संवर्धन
- कम से कम 25प्रतिशत तक ऊर्जा खपत में प्रति व्यक्ति कमी
- 100 से कौशल [न्यूनतम 30 लड़कियां] लोग जिनका परिणाम रु.। 6,000 तक की नौकरी हो
- घरेलू लागत में 50 प्रतिशत तक की कमी के लिए स्थानीय तकनीक का विकास करना

- 100प्रतिशत डिजिटलीकृत धन लेनदेन की सुविधा
- सामाजिक और आर्थिक समस्याओं में योगदान के लिए अग्रणी महिलाओं के लिए सूचना क्लब की स्थापना
- कुशल कचरा डिस्पोजेबल सिस्टम का विकास करना और प्रबंध करना

इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि एआईसीटीई और आईईसीएसएमई राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एआईसीटीई द्वारा गठित विस्तारित समिति द्वारा स्थापित दिशानिर्देश के तहत इस कार्यक्रम का समन्वय करेंगे। स्वयंसेवकों की पहचान की जाएगी और घोषणा के अनुसार उन्हें हमारे उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि हम सैगी के पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। स्थानीय कार्यशालाओं, समय-समय पर चर्चा सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि इन संयुक्त कदमों को आगे बढ़ाया जा सके। पंचायतों के साथ स्थानीय योजना बनाने और उनकी निगरानी करने के लिए 6 पी के मॉडल पर मौजूदा प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों की सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा। मॉडल गांवों, एमपीलाड, मेरा गांव मेरा गौरव इत्यादि जैसी योजनाओं के लिए सभी प्रशिक्षण केंद्र ग्रामपंचायत या ब्लॉक को अपनाने और टर्नकी परामर्श पर आय अर्जित कर सकते हैं। स्वयंसेवी एक्शन सेल [वीएसी] प्रभाग, पंचायती राज सलाहकार, नीती एआईओजी के ग्रामीण विकास सलाहकार, अन्य लोगों के साथ एसओपीपी मॉडलों का दस्तावेजीकरण करने के लिए स्टीयरिंग समूह में शामिल होना चाहिए। गैर-ऑपरेटिव योजनाएं या पिछड़े क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों के रूप में भारत के कमजोर क्षेत्रों को संयुक्त योजना और प्रतिकृति के लिए एक्शन रिसर्च के लिए लिया जा सकता है। इन सभी कदमों को स्थानीय नेताओं के द्वारा उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग के लिए और संभावित बाजारों को खोजने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

डॉ अनिल सहस्त्रबुद्धि ने इस पूरे आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा कार्यक्रम 224 गावों में शुरू होना चाहिए। देश बदल रहा है,हमें गावों की तरफ देखना होगा। हम अपने से जुड़े सभी संस्थानों से अनुरोध करते हैं कि वे कम से कम पांच पांच गावों को गोद लें। समाज के प्रति लगाव होना आवश्यक है। हर गाँव में पच्चीस से लेकर तीस नौकरियों का सृजन करना होगा। रिवर्स माइग्रेशन करना होगा, यही हमारी सफलता है। पुनिया जी और टावरी जी ने सरकारी दान पर निर्भर न होने की जो वकालत की है, वह हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। हम जल्द ही वे सभी सम्मान आरम्भ करेंगे जो हमने कहे हैं।

समापन सत्र के **मुख्य अतिथि केंद्रिय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल** ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की घोषणा के साथ ही हमारे गाँवों का विकास आरम्भ हो गया है। यह बहुत ही अच्छा विषय है, गाँव गाँव की बात तो हम सभी करते हैं, मगर हम गाँव के लिए कर क्या रहे हैं, यह देखना होगा! हर समर्थ को एक एक गाँव गोद लेना होगा। सांसद, विधायक, आईएएस, आईपीएस, प्रवासी भारतीय आदि सभी को एक न एक गाँव गोद लेना होगा, गाँव गोद लेना कोई महज एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है, और हमें इस जिम्मेदारी को अपने कन्धों पर उठाना है। इतना ही नहीं, निजी कम्पनियों को भी

किसी न किसी गाँव को गोद लेना होगा। हमें भारत को सफल बनाना है। श्री मेघवाल ने कहा कि भारत को सफल बनाना है और सफल बनाने के लिए हर प्रकार के कदम उठाए जाएंगे। शराब की दुकानों को बंद करना होगा। हमें सांस्कृतिक मूल्यों का पुनर्निर्माण करना होगा। शिक्षा को ज्ञान से जोड़ना होगा। केवल नौकरी को ही ध्येय मानना बंद करना होगा। हमें इतिहास से जुड़ना होगा। और हमें पारिवारिक मूल्यों की तरफ भी ध्यान देना होगा। मैं अपने द्वारा गोद लिए गांवों में पारिवारिक कलह को भी निपटाने के लिए कदम उठाता हूँ, एक जन प्रतिनिधि होने के नाते यह हम सभी का फर्ज है कि हम कानून का पालन करने वाले नागरिक बनें और उसके साथ ही अपने सामाजिक तानेबाने से विलग न हों। दहेज के मुकदमे का त्वरित निस्तारण हो। वर्ष 2022 तक हर गाँव का विकास होगा। सबके लिए छत का सपना जो है वह पूरा होगा। गंगा की सफाई होनी चाहिए। गंगा की सफाई होते ही भारत आधा तो साफ हो ही जाएगा।

दो दिन के इस आयोजन में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ और परिषद के इस कदम से प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए कदमों को गति मिलेगी, गाँव अपने पैरों पर खड़े होंगे और विकास की एक नई परिभाषा इन गावों में लिखी जाएगी। जैसा गांधी जी का सपना था। स्वराज और सुराज दोनों का ही लक्ष्य गाँवों के विकास के माध्यम से हासिल हो सकता है। इस आयोजन में फिल्मी दुनिया से भी कई हस्तियाँ मौजूद थीं, जिन्होंनें इस अभियान को कला के क्षेत्र तक भी ले जाने का वादा किया। ■

विकसित गांव : विकसित राष्ट्र - बढ़ते कदम

गिरिराज सिंह ने सराहा डायलॉग इंडिया को

विकसित गांव-विकसित राष्ट्र बिषय पर पिछले दिनों आयोजित राष्ट्रीय कॉफ्रेंस के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी (मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय) थे। जब मैंने उन्हें डायलॉग इंडिया का नवंबर अंक दिया और बताया कि इस विषय पर हमने विशेषांक निकाला है तब उन्होंने कहा हाँ मंच पर ही यह पत्रिका मुझे मिल गयी थी और जब अन्य लोग भाषण दे रहे थे तब में इसको ही पढ़ रहा था। बहुत गहन और सारगर्भित कार्य किया है आपकी पत्रिका ने, जो इस अभियान से जुड़ने वाले लोगों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा।

साथ आयेगा उन्नत भारत अभियान

अचानक भारत सरकार के उन्नत भारत अभियान के अध्यक्ष आदरणीय विजय भटकर जी का फोन आया। भटकर जी से मेरी हाल ही में ही कमल टावरी जी के साथ एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी। आई आई टी दिल्ली के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान में नालन्दा विश्वविद्यालय के कुलपति भारत में सुपर कम्प्यूटर परम के सृजनकर्ता है और पदमविभूषण से अलंकृत है। वर्तमान में देश में आईआईटी और अन्य उच्च तकनीक संस्थानों को ग्रामीण विकास से जोड़ने के उन्नत भारत मिशन के अध्यक्ष भटकर जी को किसी परिचित ने मौलिक भारत की एआईसीटीई के साथ विकसित गाँव -विकसित भारत पहल पर लिखा मेरा मेल फॉरवर्ड किया था। जिसको पढ़कर वे बहुत प्रभावित हुए और इस अभियान को अपना समर्थन देने का वचन दिया और अब तक किए गए कार्य की सराहना की। भटकर जी की विनम्रता एवं तत्परता ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। इससे हमें अपने अभियान के सफल होने का और अधिक भरोसा भी पैदा हुआ।

मेरे प्रेरक और मुझे हमेशा अपना मार्गदर्शन देने वाले प्रो एस के काक (पूर्व कुलपति यूपीटीयू ,चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी एवं जे पी यूनिवर्सिटी) से विकसित गाँव विकसित भारत पर आयोजित राष्ट्रीय कांफ्रेंस में लंबे समय बाद यादगार भेंट हुई।

उत्तराखंड में भी प्रारंभ हुआ विकसित गांव अभियान

उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के ट्रस्टी ललित जोशी जी के सहयोग से मौलिक भारत के ट्रस्टी पूर्व सचिव भारत सरकार डॉ. कमल टावरी जी ने उत्तराखंड के विकास के लिए उद्धत लोगों को अपने अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया था। इस आयोजन में मौलिक भारत की ओर से मैने, हमारे ट्रस्टी और पूर्व सांसद प्रदीप गांधी जी ने, उमेश गौड़ जी ने और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी जी ने भाग लिया और अपने विचार रखे। विकसित ग्राम –विकसित राष्ट्र की अवधारणा को उत्तराखंड में साकार करने के इस प्रयास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि गाय, सौर ऊर्जा और स्किल डेवलपमेंट आदि से जुड़े देश के लगभग 50 विद्वानों , पूर्व सांसदों, उद्यमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकार से जुड़े उच्च स्तरीय लोगों, आई टी विशेषज्ञ , पत्रकारों आदि ने भाग लिया। बिना किसी सरकारी अनुदान के रोजगार और कृषि व्यापार आदि बढ़ाने के सफल प्रयोग तो सबने सांझा किये ही साथ ही आगे की कार्ययोजना भी बनाई।

अभियान से जुड़ा कृषि मंत्रालय

विकसित गांव – विकसित राष्ट्र अभियान को आज बड़ा बल मिला जब केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा राज जी ने AICTE - IECSME (सहयोगी मौलिक भारत एवं डायलॉग इंडिया) एवं उनके मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से इस अभियान को चलाने के लिए अपनी सहमति दे दी। मंत्री जी से भेंट करते हुए हमारे शिष्टमंडल के सदस्य विजय तिवारी, लक्ष्मी ठाकुर, माननीया मंत्री जी एवं अनुज अग्रवाल।

शुरू हुए केरल एवं कर्नाटक में प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारतीय संस्कृति की जड़ों से ही निकलेगा पर्यावरण प्रदूषण का हल

सदियों से चली आ रही कई सामाजिक परम्पराएं न केवल हमारी धरोहर हैं बल्कि उनमें छिपे संदेश मानव जीवन पद्धति की रीढ हैं। वे देश, काल, धर्म एवं सम्प्रदाय से परे होती हैं। परम्पराओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखना मानवता और समाजिकता के लिए जरूरी है क्योंकि परम्पराएं न केवल देश बल्कि पूरे विश्व के लिए संदेशवाहक होती हैं। भारतीय परम्पराएं आध्यात्मिकता की आड़ में विश्व कल्याण की आकांक्षा लिए होती हैं। ओम में जो नाद है, वह पूरी सृष्टि के लिए नवजीवन और नवसृजन का नाद समेटे है। भारतीय संस्कृति कभी मैं की बात नहीं करती, वह हम और सर्व की बात करती है। 'वसुधैव कुटुम्बकम' की बात करने वाली भारतीय संस्कृति हर प्रकार के प्रदूषण का निस्तारण करने में सक्षम है। भारतीय संस्कृति में गांधी हैं, गांधी की बातें हैं और उसके साथ ही महात्मा गांधी का वह वृहद दृष्टिकोण है जो समभाव के सिद्धांत पर आधारित है। पूरी भारतीय संस्कृति ही समानुभूति पर आधारित संस्कृति है। महात्मा गांधी ने इसी समानुभूति के सहारे न केवल समाज के एक बड़े तबके में अपनेपन का भाव उत्पन्न किया बल्कि साथ ही उनके अन्दर आत्मसम्मान की भावना को भी विकसित किया। भारतीय संस्कृति चूंकि सहानुभूति नहीं, बल्कि समानुभूति की बात करती है। और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति से दूर होते ही हमारे देश पर हर तरह के प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि हुई है। फिर चाहे वह भौतिक प्रदूषण हो या नैतिक प्रदूषण। पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमें न केवल संयमित होना पड़ेगा, बल्कि हमें अपनी पारंपरिक संस्कृति की तरफ भी वापस आना होगा और संस्कृति के संरक्षण के साथ ही पर्यावरण का संरक्षण हो सकेगा।

इसी विचार को आत्मसात करते हुए करियर प्लस एजुकेशनल सोसायटी और पर्यावरण एवं भू-सूचना संस्थान ने गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण की उपलब्धियां, संभावनाएं एवं चुनौतियां और गांधीवादी विचारों की प्रासंगिकता विषय पर नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 14 और 15 दिसंबर को किया था। 14 दिसंबर को कन्स्टीट्यूशन क्लब में आयोजित उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा राज ने प्रदूषण के कारणों और समाधानों पर विचार करते हुए कहा कि भारतीय परम्पराओं से विमुखता ही प्रदूषण का मुख्य कारण है। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर भारतीय परम्पराओं की तरफ लौटने का आह्वान किया। इस संगोष्ठी के आयोजन में सीसीओबीएस, मौलिक भारत, डायलॉग इंडिया, सेवा, आईसीएसमई, अरण्या, मिशन-ए-सफाई आदि संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश में स्वच्छता आंदोलन के प्रतीक बन चुके और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉ. विन्देश्वर पाठक, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष श्री मनहर वलजी भाई झाला और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉ. स्वराज विद्वान विशिष्ट अतिथि थे। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव श्री अतुल कोठारी, आचार्य शैलेश तिवारी, कैरियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी के निदेशक अनुज अग्रवाल, महासचिव नीरज कुशवाहा एवं आईईजी के अध्यक्ष डॉ. प्रमोद प्रवीण सहित देश के कोने-कोने से आए लोग सम्मिलित थे। अन्य प्रमुख वक्ताओं में राष्ट्रीय कवि गजेंद्र सौलंकी, पर्यावरणविद अरुण तिवारी, कमांडर वीरेंद्र जेटली शामिल थे। इस अवसर पर मिशन-ए- सफाई की पत्रिका का विमोचन भी किया गया।

दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारम्भ अतिथियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्जल्वित कर किया। इसके बाद **विशिष्ट अतिथि आचार्य शैलेश तिवारी** ने मंत्रोच्चार और शंखनाद कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। भारतीय संस्कृति में न केवल दीप प्रज्वलन बल्कि उसके साथ ही शंखनाद की भी परम्परा है, क्योंकि कहा जाता है कि शंखनाद से वायु में उपस्थित कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। आचार्य शैलेश ने वैदिक मन्त्रों के साथ इस आयोजन का शुभारम्भ करते हुए इस आयोजन हेतु आयोजकों

का आभार व्यक्त किया और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण में कई प्रकार की समस्याएं हैं, जो सिर उठा रही हैं, कई समस्याएं हैं जो आज के आधुनिक समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचा रही हैं। आज प्रदूषण के कारण दिल्ली के साथ-साथ कई महानगरों में भी जीवन जटिल होता जा रहा है। ऐसे में बहुत ही आवश्यक है कि हम न केवल समस्याओं पर बल्कि समाधानों पर भी चर्चा करें। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज इस आयोजन के अंत में हम सभी किसी संकल्प के साथ ही घर जाएंगे और वह संकल्प होगा, प्रदूषण को समाप्त करने का।

• • •

मुख्य अतिथि केन्द्रीय मंत्री श्रीमती कृष्णा राज ने भारतीय परम्पराओं की महत्ता पर बात करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं। आज भारत ऐसी स्थिति में है, जहां पर वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत एक वैश्विक नेता बनकर उभर रहा है। भारत न केवल आर्थिक, सामरिक और सैन्य शक्ति बनकर उभर रहा है, बल्कि वह पर्यावरण संरक्षक के रूप में भी उभर रहा है। हमारी संस्कृति में कुछ ऐसे तत्व समाहित हैं, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। उन्होंने ओम पर बोलते हुए कहा कि आज ओम पर कई प्रकार के शोध हो रहे हैं। नासा शोध कर रहा है। ओम सृष्टि की संरचना है, नाद है, हमारा शरीर ओम की संरचना के अनुसार ही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए आध्यात्म की तरफ लौटना ही होगा। यह आध्यात्म ही है जो इस प्रकार की अन्य समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं। उन्होंने भारतीय परम्पराओं की वैज्ञानिकता पर अपने विचार रखते हुए कहा कि हमारे पूर्वज अधिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने हमारी परम्पराओं को प्रकृति के आसपास ही समेटा। पीपल जैसे चमत्कारी वृक्ष को धरोहर बनाया और उसे सहेजने के लिए धर्म से जोड़ दिया। तुलसी, बरगद, आदि सभी आवश्यक पेड़-पौधों को पूजापाठ से जोड़ा और उनके संरक्षण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी दु:ख की बात है कि जैसे ही हम अपनी उन परम्पराओं से दूर हुए, जैसे ही हमने उन्हें पुराना समझकर कथित अंधाधुंध विकास की तरफ कदम बढ़ाया, हम अपनी बाज़ी हारने लगे। हमने जैसे ही प्रकृति पर प्रहार किया, प्रकृति ने हमपर प्रहार किया। हमने अपनी पुरातन व्यवस्था पर वार किया और व्यवस्था ने मानव को उसका स्थान दिखाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रकृति के संरक्षण के लिए हमें अपनी परम्पराओं को न केवल कथित आधुनिकता से बचाना है बल्कि हमें उन्हें रूढ़ियों के जाल में भी फंसने से बचाना है। हमें उनकी वैज्ञानिकता को जीवित रखना है।

• • •

आयोजन में मुख्य वक्तव्य देते हुए **श्री अतुल कोठारी** ने ओम शांति मन्त्र के महत्व से अपनी बात आरम्भ करते हुए गांधीवादी विचारों की प्रासंगिकता को बतलाया। उन्होंने कहा कि हम आध्यात्मिकता के माध्यम से ही पर्यावरण की समस्याओं का सामना कर सकते हैं। आध्यात्मिकता और भारतीय परम्पराओं की बात हमेशा महात्मा गांधी ने की। उन्होंने भी हमेशा हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजते हुए कुरीतियों पर वार किया था। एक प्रकार से उन्होंने सांस्कृतिक और नैतिक प्रदूषण को जड़ से मिटाने का आन्दोलन किया था। प्रदूषण पर श्री कोठारी ने बात करते हुए कहा कि आज दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है। आज समाचार पत्र और पत्रिकाओं के साथ साथ समाचार चैनल भी प्रदूषण के आंकड़ों से भरे हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार हर तीसरा व्यक्ति गंदा पानी पी रहा है। दिल्ली में हर रोज़ 1050 मिलियन गैलन पानी की आवश्यकता होती है जबकि दिल्ली को केवल 831 मिलियन गैलन पानी ही मिल पाता है। यह संकट केवल भारत का तो है नहीं। यह संकट पूरे विश्व पर है। आज केवल दिल्ली पर ही इस धुन्ध ने अपना कहर नहीं बरपाया है बल्कि पूरी दुनिया इसी धुंध की चपेट में है। ओज़ोन में छिद्र हो रहे हैं। गर्मी बढ़ रही है। और यह गर्मी वैश्विक गर्मी में बदल रही है। छोटे छोटे देश टापू बने जा रहे हैं। वे डूब रहे हैं। आज यह संकट पूरी दुनिया में है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इस समस्या के समाधान पर चर्चाएँ हो रही हैं, विमर्श हो रहे हैं, सम्मलेन हो रहे हैं। परन्तु यह भी सोचना चाहिए कि क्या इन सबसे कोई हल प्राप्त हो पा रहा है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री कोठारी ने सम्मेलनों की निरर्थकता पर भी प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि जितने भी सम्मलेन होते हैं, उनमें उपायों की चर्चाएँ होती हैं, तमाम बड़े क़दमों पर बात होती है, मगर चाय को थर्माकोल के कप में दिया जाता है, हर वक्ता की मेज पर सामने ही प्लास्टिक की बोतल होती है। जबकि पर्यावरण प्रदूषित करने में प्लास्टिक के योगदान से सभी भलीभांति परिचित हैं। हम यह सब भूल गए कि आखिर धरती को माता क्यों कहा करते थे? जब से हमने धरती को केवल एक ग्रह की तरह मानना शुरू किया, और माता का दर्जा छीना, वैसे ही धरती कुपित होने लगी है। हमने अपनी संस्कृति को छोड़कर

भोगवादी संस्कृति का दामन थाम लिया है। हमें इस भोगवादी संस्कृति से बचना होगा। विकास के बारे भी बोलते हुए उन्होंने कहा कि विकास की अंधी दौड़ में हमें यह भी सोचना होगा कि आखिर हमें कैसा विकास चाहिए और विकास की यह अंधी दौड़ हमें कहाँ लेकर जा रही है। आज विकास की इस अंधाधुंध दौड़ में हमें सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से बच्चों में पैदा होते ही समस्या पैदा हो रही है। आज बच्चा माँ के गर्भ से ही रोग लेकर पैदा हो रहा है। और इसकी वजह और कुछ नहीं केवल पर्यावरण और प्रकृति के साथ की जा रही छेड़छाड़ है। प्रकृति को हम बिगाड़ तो सकते हैं, मगर उसे संवारने के लिए हमने कोई कदम नहीं उठाए हैं। हमें प्रकृति को संवारने के लिए भी कई कदम उठाने होंगे। दिल्ली के आधिकारिक पक्षी गौरैया के बहाने उन्होंने गौरैया जैसी आम चिड़िया के विलुप्त होने की समस्या पर भी बात की। उन्होंने परम्पराओं की वैज्ञानिकता का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय परम्पराओं में न केवल वैज्ञानिकता थी बल्कि उनमें सर्व कल्याण की भी भावना थी। उन्होंने सफाई कर्मियों को सबसे अधिक सम्मान दिए जाने की बात भी उन्होंने की, उन्होंने कहा कि देश के लिए न केवल सेना का जवान अपनी जान जोखिम में डालता है, बल्कि सफाई कर्मी भी अपनी जान की परवाह न करते हुए देश को साफ़ रखते हैं। तो क्या ऐसे में हमारा यह दायित्व नहीं है कि हम सफाई के पुनीत कार्य को खुद करें। हमें सफाई की शुरुआत खुद से करनी चाहिए।

श्री कोठारी ने कहा कि गांधी जी का स्वच्छ भारत का स्वप्न तभी सफल होगा जब हम खुद सफाई करेंगे। उन्होंने प्लास्टिक का विरोध करने के लिए कहा। पर्यावरण को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बताते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण को पढाया जाना चाहिए। प्लास्टिक के बारे में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक की बोतलों में न तो पानी पीना चाहिए और न ही दवाइयों को प्लास्टिक की बोतल में रखना चाहिए। पश्चिम के अनुसरण की हमारी आदतों के बारे में भी उन्होंने बात की। इस विषय पर बोलते हुए श्री कोठारी ने कहा कि हमने पश्चिम की गंदगी तो स्वीकार कर ली, मगर पश्चिम की अच्छाइयां नहीं लीं। पर्यावरण पर बातें करने करने के स्थान पर एक ठोस योजना का निर्माण करना होगा। हमें क्या करना है और किस प्रकार करना है, यह सोचना होगा। पर्यावरण को पश्चिमी द्रष्टि से देखने के स्थान पर हमें भारतीय द्रष्टिकोण को विकसित करना होगा। क्योंकि यदि हम अपने मंत्रों की तरफ नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि हमारे मन्त्रों में वह सभी शक्तियां और सूक्तियां हैं जिनसे पर्यावरण संरक्षण जैसी कोई समस्या आएगी ही नहीं। हमें लुक ईस्ट अर्थात पूर्व की तरफ देखो की नीति की तरफ देखना होगा। पूर्व ही है जो पूरे विश्व को दिशा दिखाएगा।

• • •

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य और **उत्तराखंड सरकार की ब्रांड अम्बेसडर रहीं डॉ. स्वराज विद्वान** ने भारतीय पारंपरिक संस्कृति को ही पर्यावरण समस्या का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति पशु और पक्षियों को साथ लेकर चलने वाले संस्कृति है। आज हर

तरफ कूड़े का पहाड़ बनता जा रहा था। उसके आसपास का क्षेत्र प्रदूषित है। उसके आसपास रहने वाले लोग कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। उन लोगों का जीवन कई खतरों से पीडित हैं। उससे बचने के लिए हमें कई कदम उठाने हैं। डॉ. स्वराज ने सुलभ इंटरनेशनल द्वारा चलाए जा रहे क़दमों की भी सराहना की। सुलभ इंटरनेशनल जिस तरह से नदियों को साफ़ करने के कार्य को कर रहा है और उसके इन प्रयासों के चलते नदी के किनारे रहने वालों की ज़िन्दगी भी बदल रही है। भारत विविध प्रकार की जलवायु वाला क्षेत्र है, और यह अपनी संस्कृति के कारण विश्वगुरु था। मगर जीवनशैली में परिवर्तन के चलते यहाँ पर कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और उन्होंने प्रकृति के साथ किए जा रहे छेड़छाड़ पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रकृति खुद ही असंतुलन दूर करेगी।

• • •

ओज रस के वरिष्ठ कवि गजेन्द्र सोलंकी ने पर्यावरण पर अपनी कविताओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने पंचतत्वों के विषय में बात करते हुए कहा कि पंच तत्वों में से चार तत्व प्रदूषित हो चुके हैं केवल अग्नि तत्व ही बचा है। उन्होंने जनसंख्या घनत्व के भी बारे में बात करते हुए कहा कि धर्म के कारण जनसंख्या नियंत्रण न हो पाना संभव नहीं हैं। लोग जनसँख्या को धर्म के साथ जोड़ लेते हैं और किसी भी तरह के उपाय उठाने से डरते हैं। हमें सबसे पहले इसी से लड़ने की जरूरत है। प्रदूषण के विभिन्न प्रकार पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज हमें न केवल जलवायु प्रदूषण से लड़ना पड़ रहा है,बल्कि हमें नैतिक और आर्थिक प्रदूषण से भी लड़ना पड़ रहा है। आज नैतिक शिक्षा समाप्त प्राय- है, उपभोग संस्कृति के चलते आज कोई भी संयम और नैतिक जीवन नहीं जीना चाहता है, आज केवल और केवल लेने की प्रवृत्ति चरम पर है, जबकि प्रकृति और देश को देने की आदत गायब होती जा रही है। शहरीकरण पर भी

उन्होंने प्रहार किया। उन्होंने कहा कि शहरीकरण हमारे गावों को खा रहा है। यह विनाश का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया पर बुरे लोगों से ख़तरा नहीं है, बल्कि खतरा उन अच्छे लोगों से हैं, जो चुप रहते हैं। हमें प्रकृति और पर्यावरण को शुद्ध करना होगा।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष श्री मनहर वलजी भाई झाला ने आयोजकों को बधाई देते हुए इस प्रकार के आयोजनों की संख्या को और बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अभी स्वच्छता पर और चर्चा की आवश्यकता है। अभी भी लोग सफाई की महत्ता को समझते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम जितना प्रकृति से दूर होते गए, प्रकृति प्रदूषित होती गयी। हम मूल्यों से दूर होते गए, परम्पराओं से दूर होते गए और स्वच्छता से दूर होते गए। हमारे सामने कई तरह के संकट उत्पन्न होते गए। हमारी संस्कृति में तो प्रकृति के साथ कदमताल करने वाले आवास थे, जिनमें पशु और पक्षियों सबका ध्यान रखा जाता था। अहाते होते थे जिनमें गौरैया के लिए भी जगह होती थी और बाकी सबके लिए भी। एक जो समस्थान और समभाव की भावना भारतीय संस्कृति में थी, उसी संस्कृति का आधार लेकर गांधी जी ने एक सपना देखा और उन्होंने वह सपना पूरे भारत की आँखों में दिया था, वह सपना था स्वच्छ भारत का। गांधी जी एक ऋषि थे, जिन्होनें भारत भूमि की संस्कृति को उस समय एक नया रूप दिया जब लोगों का आत्मबल एक लम्बी मानसिक गुलामी से टूट गया था। उन्होंने स्वच्छता और निर्मलता के महत्व को समझाया और सफाई कर्मियों को सम्मान दिया।

श्री मनहर भाई ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रमोदी को भी एक ऋषि बताया जो उन लोगों के लिए नई नई योजनाएं लेकर आए, जो सदियों से उपेक्षित थे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नया मंत्रालय भी आरम्भ किया। उन्होंने खुद भी झाड़ू लगाने से परहेज नहीं किया। श्री मनहर भाई ने भी समाज के लिए दो लोगों को महत्वपूर्ण बताया अर्थात एक तो सेना के जवान और दूसरे सफाई कर्मी। सफाईकर्मियों के विषय में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह अजीब बात है कि जो गंदगी हम छूना और देखना भी पसंद नहीं करते हैं, सफाई कर्मी उसी गंदगी में उतर कर उसे साफ़ करते हैं। वे उसी कचरे में रहने से परहेज नहीं करते, जो कचरा हम लोग फ़ेंक देते हैं। उन्होंने प्रश्न उठाया कि जो व्यक्ति इतना आवश्यक कार्य करते हैं, तो क्या यह जरूरी नहीं है कि हम उन लोगों को सम्मान प्रदान करें। उन लोगों में आत्मसम्मान के भाव को उत्पन्न करें। और इन लोगों के बीच आत्मसम्मान उत्पन्न करने का कार्य सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था और उसके उपरान्त इस सपने को जमीन पर अपने दम पर उतारने का कार्य सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉ. विन्देश्वर पाठक कर रहे हैं।

संगोष्ठी के बीच में पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय और अविस्मरणीय कार्यों के लिए पर्यावरण रत्न सम्मान 2017 से निम्न विभूतियों को सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाली हस्तियों की सूची इस प्रकार है-

1. डॉ. विंदेश्वर पाठक, संस्थापक अध्यक्ष, सुलभ इंटरनेशनल,
2. डॉ. सत्य प्रकाश मेहरा, राजपुताना सोसायटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री
3. श्री विनीत नारायण, ब्रज फाउंडेशन
4. श्री दीपांकर ज्ञान श्री, निदेशक, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति
5. श्री आर के गुप्ता, सीएमडी, वाप्कोस
6. श्री संजय कश्यप, अरण्या फाउंडेशन
7. श्री राजेश गोयल, आईआईपी फाउंडेशन (गारबेज टू गार्डेन)
8. श्रीमती उषा ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता
9. डॉ. सुमेर सिंह, कुलपति, संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा
10. श्री विक्रांत तोगड़े, पर्यावरण एक्टिविस्ट
11. श्रीमती उषा शुक्ला, सामाजिक कार्यकर्ता
12. श्री मृत्युंजय कुमार, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा
13. श्री कौशलेन्द्र कुमार, कौशल्या फाउंडेशन
14. श्री अरुण तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार
15. श्री प्रशांत वत्स, संपादक, हरनंदी
16. डॉ. मनोज कुमार, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा
17. डॉ. राज्यवर्धन कुमार, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, के आर मंगलम यूनिवर्सिटी, गुड़गांव
18. श्री निखिल सरोज, स्टार्ट अप इन्टरप्रेन्योर
19 गीता रतौला
20 अमिता रानी

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए **सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉ. विन्देश्वर पाठक** ने सबसे पहले इस आयोजन के आयोजकों का शुक्रिया अदा करते हुए इस प्रकार के आयोजनों की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने परिश्रम पर बल देते हुए कहा कि कार्य करने में परिश्रम लगता है और हमें परिश्रम करना है। उन्होंने कहा कि हर चीज़ के लिए डिजाइन महत्वपूर्ण होती है और समाज की सामाजिक संरचना (डिजाइन) पर बात की। उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर बात करते हुए कहा कि जब वर्ण व्यवस्था का निर्माण हुआ होगा, तब यह शायद सोचा ही नहीं होगा कि

आगे जाकर यह व्यवस्था बिगड़ जाएगी। चूंकि यह व्यवस्था बनी कि क्षत्रिय ही युद्ध करेंगे तो हुआ यह कि जब आक्रमण हुए तो उनसे युद्ध करने के लिए केवल गिने चुने ही क्षत्रिय थे जिनके कारण बाकी लोगों ने युद्ध नहीं किया और इसी का परिणाम यह हुआ कि हम लोग युद्ध पर युद्ध हारते रहे और समाज की संरचना और बिगडती ही रही। हमारे यहाँ संरचना थी कि ब्राह्मण सफाई नहीं करेंगे, जितनी भी गंदगी बनी रहे, शूद्र ही सफाई करेंगे, और शूद्र के न होने पर गंदगी ही बिखरी रहेगी। धीरे धीरे व्यवस्था में और भी विचलन होता गया और इस विचलन के परिणाम स्वरुप जहां केवल शूद्र सफाई कर्मी बने रहे वहीं समाज में कटुता भी आती गयी। या कहें सामाजिक प्रदूषण उत्पन्न होता गया। सामाजिक प्रदूषण और इस व्यवस्थागत प्रदूषण से लड़ने में सबसे पहले महात्मा गांधी ने आवाज़ उठाई। दुर्भाग्य है कि आज हमने उनके बताए क़दमों पर चलना बंद कर दिया है और हम पर्यावरण को नष्ट करने की होड़ में आगे हो गए हैं।

पाठक ने पर्यावरण में ह्रास के लिए तीन चीज़ों को जिम्मेदार ठहराया, बम, औद्योगीकरण और शहरीकरण। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, पानी समाप्त होगा, समस्या बढेंगी। जीवन का निर्माण करने वाले पंच तत्व प्रदूषित हो चुके हैं। वृक्ष हम काट रहे हैं, नए नहीं लगा रहे। यदि एक वृक्ष काटते हैं, तो हमें कम से कम दस नए वृक्ष लगाने चाहिए। सभी तत्वों की परस्पर निर्भरता के विषय में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यदि वृक्ष नहीं तो जल नहीं होगा, जल नहीं तो जीवन नहीं, और आग नहीं तो कुछ भी नहीं। तो हमें इन सभी को बचाने के विषय में कदम

उठाने के लिए तैयार रहना होगा। आज अखबार तमाम तरह के आंकड़ों से भरे रहते हैं, उनमें समस्याएँ बहुत होती हैं, मगर हल नहीं होता। वे समाधान प्रस्तुत नहीं करते, बस अपनी नकारात्मकता को बेचने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं।

अपने समाचार पत्र के विषय में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमने जब सुलभ के समाचार पत्र के विषय में सोचा तो हमने यही कहा कि इनमें कोई भी नकारात्मकता नहीं होगी। महज़ सनसनी फ़ैलाने के लिए हम कुछ भी नहीं छापेंगे। हम समाज के उन पहलुओं को सामने लेकर आएँगे जो सकारात्मक हैं, जो प्रेरणास्पद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्होंने यह करने का निश्चय किया तो उनका बहुत मज़ाक उड़ा और उनसे कहा गया कि आखिर आपको पढ़ेगा कौन? उन्होंने कहा कि समाचारपत्र का उद्देश्य है समाज में प्रतिभाओं को आगे लाना। अपने मिशन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब उन्होंने काम शुरू किया तो उन्होंने देखा कि स्कूलों और घरों में शौचालय नहीं था। और लड़कियां स्कूल से निकल जाती थीं।आज भी कई स्कूल ऐसे थे जिनमें शौचालय न होने के चलते लड़कियां प्रवेश नहीं लेती हैं। हमने सुलभ शौचालय खोले। सुलभ शौचालय की वजह से आई क्रान्ति के विषय में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब हमने सुलभ शौचालय बनाए तो उसके बाद मैला ढोने की प्रथा कम हुई और धीरे धीरे समाप्त है। मिशन और प्रोफेशन के बारे में अंतर स्पष्ट करते हुए डॉ. पाठक ने कहा कि हमने बहुत काम किये, मगर हमने कभी पेटेंट नहीं किया। हमने तालाब और कुओं के पानी को शुद्ध करने के लिए काम किया। हमने जाति व्यवस्था की रूढ़ियों पर भी वार किया। जाति और धर्म के विषय में भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार व्यक्ति अपना धर्म बदल लेता है, उसे दूसरे धर्म में जाने की स्वतंत्रता होती है वैसे ही एक ही धर्म में जातियों के बदलने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इससे न केवल धर्म परिवर्तन में कमी आएगी बल्कि साथ ही सामाजिक समरसता का और भी निर्माण होगा।

आयोजन में प्रेरक वक्ता कमांडर वीके जेटली ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने प्रदूषण से लड़ने के लिए छह मुख्य बिंदु गिनाए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो सभी सड़कों पर झाड़ू लगाने से परहेज किया जाए, दूसरा उन्होंने कहा कि लगभग हर चौराहे पर फुव्वारा लगना चाहिए, जो कम से कम बीस

फीट ऊंचा हो और उसका दायरा भी बीस फुट का हो क्योंकि फुव्वारे में अधिकतर पानी दोबारा इस्तेमाल हो जाता है। दिल्ली की लगभग पचास प्रतिशत सड़कों पर अभी भी इतनी जगह है जिनमें पेड़ लग सकते हैं इसके साथ ही जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, उनकी छतों से सड़कों पर पानी की फुहार की जा सकती है, और वह पानी पौधों को पानी देने के काम आए। इसके साथ ही दिल्ली में सभी बस और ट्रक में पीछे एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंकलर पाईप फिट होना चाहिए। जैसे ही वह ट्रक या बस किसी धूल वाले क्षेत्र से गुजरे, ड्राइवर धूल को बैठाने के लिए तीस सेकण्ड से लेकर एक मिनट तक पानी का छिड़काव करे। अंतिम और छठे बिंदु के रूप में उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिजली के खम्भों की ऊंचाई पेड़ों से नीचे होना चाहिए।

संगोष्ठी के पहले दिन के सत्र के अंत में **कैरियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी के निदेशक अनुज अग्रवाल** ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। धन्यवाद ज्ञापन में उन्होंने पर्यावरण में क्षति के लिए दो मुख्य बिन्दुओं को उत्तरदायी ठहराया, और उन्होंने कहा कि यदि इन दो क़दमों पर काम हो तो पर्यावरण का संरक्षण बहुत ही आराम से किया जा सकता है। पहला कदम तो है दिल्ली और एनसीआर में नए वाहनों का पंजीकरण रोकना और दूसरा कदम है विकास माफियाओं पर रोक लगाना। उन्होंने तमाम तरह की अंधाधुंध विकास की योजनाओं को पर्यावरण के लिए घातक कदम बताया। दिल्ली और एनसीआर में अनियंत्रित विकास को रोके जाने की आवश्यकता पर विचारों के साथ ही दिन के सत्र का समापन हुआ।

भारतीय परम्पराओं से ही होगा पर्यावरण संरक्षण

दूसरे दिन का आयोजन मुखर्जी नगर स्थित कैरियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी के कार्यालय में हुआ। इस सत्र में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र उपस्थित थे। दूसरे दिन की शुरुआत पहले दिन के मुख्य बिन्दुओं को दोहराते हुए हुई। दूसरे दिन के आयोजन में ओज के राष्ट्रीय कवि श्री गजेन्द्र सोलंकी, स्वच्छ भारत के युवा आइकन हिमाद्रिश सुवान, दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफ़ेसर डॉ. राजेन्द्र एवं उमेश चन्द्र गौड़ सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति उल्लेखनीय थी।

दिन की शुरुआत **श्री गजेन्द्र सोलंकी** की ओजपूर्ण वाणी में कविताओं से हुई। दरअसल कवि अपनी संवेदनशीलता से जटिल से जटिल और नीरस से नीरस विषयों में भी रस उत्पन्न कर देता है और समाज को सोचने का एक नज़रिया दे देता है। और यदि कविताओं में ओज हो तो उन कविताओं की बात ही कुछ और होती है, शायद यही कारण था कि राजदरबार में ओज रस के कवियों का विशिष्ट स्थान हुआ करता था। श्री सोलंकी ने भी अपनी काव्यधारा से विद्यार्थियों को स्वच्छता के फायदे समझाए। सबसे पहले तो उन्होंने पश्चिम के भौतिकवाद पर बात की उन्होंने कहा कि हमने पश्चिम के भौतिकवाद की सभी बुराइयां ले लीं, उनका खानपान ले लिया, उनकी उपभोग संस्कृति ले ली, मगर जो लेना चाहिए था, जैसे पर्यावरण के प्रति प्रेम, सामाजिक मूल्य, एवं नदियों से प्रेम, और सामाजिक उत्तरदायित्व, तो वो हमने नहीं लिए बल्कि अपनी संस्कृति में उपभोक्तावादी संस्कृति लाकर अपनी संस्कृति को ही प्रदूषित कर दिया। धरती पर मानव और पशुओं के बीच बढ़ते असंतुलन के विषय में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज से दस हज़ार साल पहले 99 प्रतिशत पशुधन था और 1 प्रतिशत मानव, जबकि आज मानव ने पशुओं और वन की सभी सीमाओं का अतिक्रमण कर लिया है और वह 99 प्रतिशत पर और पशु 1 प्रतिशत भूभाग पर रह गए हैं। तो आखिर इस असंतुलन की कीमत तो चुकानी ही होगी। उन्होंने संसाधनों की सीमितता की भी बात की। उन्होंने कहा कि पहले हमारे यहाँ कुछ ही करोड़ लोग थे, जबकि आज अखंड भारत में दो सौ करोड़ से भी अधिक लोग हैं। आज चूंकि वृक्ष नहीं हैं तो पानी बरसता है तो बह जाता है। हम सभी पर्यावरण के ही अंग हैं। हमारे सारे तत्व प्रदूषित हो चुके हैं, पृथ्वी तत्व प्रदूषित है, जल तत्व प्रदूषित है, प्राणतत्व प्रदूषित है, वायु तत्व प्रदूषित है। विकास के भौतिक पायदान तो हम पार कर रहे हैं, मगर नैतिक पायदान पर हम अटक गए हैं और नैतिक पायदान से नीचे गिरने का ही नतीजा है यह प्रदूषण।

श्री सोलंकी ने अपने उद्बोधन में युवाओं से स्वच्छता के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया और उन्होंने इस पर्यावरण में हर प्राणी की भूमिका को समझने के लिए कहा। चूंकि सभी में एक सोच होती है, एक बौद्धिक क्षमता होती है और वह बौद्धिक क्षमता किसी से कम नहीं होती। व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वार्थ होता है जो उसे समाज से दूर ले जाता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि समाज के हितों का दुरूपयोग न हो और साथ ही विकसित देशों के पीछे भागने की अपनी प्रवृत्ति को भी कम करना चाहिए। क्योंकि हर विकसित देश किसी न किसी विकासशील देश की कीमत पर बना है। चूंकि विकासशील देश में भावनाएं प्रधान होती हैं, तो विकसित देश उनका दोहन करने से बाज नहीं आते। वे विकासशील देशों की कमजोरी का लाभ उठाते हुए अमीर होते जाते हैं। और यही हाल मानवों का है। भावनात्मक व्यक्ति पीछे रह जाता है और व्यवहारिक व्यक्ति आगे बढ़ जाता

है। उन्होंने हर चीज़ में संतुलन की बात की। उन्होंने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन आवश्यक है। यदि संतुलन नहीं होगा तो हम डगमगा जाएंगे, जैसे अभी पर्यावरण डगमगा रहा है। युवाओं से एक बार फिर आगे आने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को एक कोर्पोरेट सोसाइटी का गठन करना चाहिए। और हर युवा केवल खुद तक ही सीमित न रहे, बल्कि वह समाज के हर तबके के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए समाजसेवी बने। समाज सेवा के लिए समय निकाले। सभ्यता के साथ जटिलताएं बढ़ रही हैं और हममें से सभी को उन जटिलताओं से लड़ने के लिए खुद को तैयार करना होगा। विद्यार्थियों को उनके दायित्वबोध का अहसास कराते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि आप सभी आने वाले समय के अधिकारी हैं, तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे अधिकारी बनना चाहते हैं। अधिकारी ही हैं, जो देश चलाते हैं, नेता तो हर पांच साल बाद बदलते रहते हैं, मगर अधिकारी पूरे जीवन भर देश के लिए काम करते हैं। तो अधिकारियों को जनता के प्रति संवेदनशील होना अधिक आवश्यक है। अधिकारियों का समाज की समस्याओं के प्रति जागरूक होना अति आवश्यक है, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा।

स्वच्छ भारत के युवा आइकन हिमाद्रिश सुवान ने स्वच्छ भारत की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आज भारत की छवि दुनिया के सबसे गंदे देश की बन गयी है। और हमें इससे लड़ने के लिए खुद में एक लीडरशिप का विकास करना होगा। स्वच्छ रहने के तीन चरण होते हैं, स्वच्छ मन, स्वच्छ विचार और स्वच्छ व्यापार। हमें कूड़े का निस्तारण करना है और अपने स्वच्छ भारत के अभियान को पूरा करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रमोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान की तारीफ़ करते हुए हिमाद्रिश ने कहा कि आज देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो देश को आगे ले जा सकता है और हमें उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए अपने देश की हर समस्या का हल निकालना है, जिसमें एक सबसे बड़ी समस्या अपशिष्ट निस्तारण की है।

पर्यावरण में **शोध उपाधि प्राप्त और पर्यावरण एवं भू-सूचना संस्थान के अध्यक्ष डॉ. प्रमोद प्रवीण** ने अपने विचारों को रखते हुए कहा कि वे अपने संस्थान में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए दो टीटीटी पर काम करते हैं। ट्रेन द ट्रेनर और ट्रेन द टीनएजर। उन्होंने कहा कि हमें अपने युवाओं को तनाव का प्रबंधन करने में सक्षम करना होगा। उन्होंने भी नेताओं और अधिकारियों के दायित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लोकतंत्र में जहाँ नेता केवल पांच वर्ष के लिए चुना जाता है वहीं अधिकारी तो पूरे जीवन भर के लिए देश सेवा का प्रण लिए नियुक्त होता है। उन्होंने कहा कि योजनाओं और उसके मसौदों में नेता कुछ नहीं कर सकते हैं। नेता तो आएँगे और जाएंगे मगर योजनाओं पर छाप तो अधिकारियो की ही होगी। हमें पर्यावरण पर होने वाले बदलाओं पर बात करनी होगी। अधिकारियों के रूप में आपको जनता को जागृत करना होगा। कई लोग पूछते हैं कि पर्यावरण की चिंता आज क्यों? तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि आज नहीं तो कब? आखिर हम प्रदूषण के जिस स्तर पर पहुँच चुके हैं, वहां से वापस आना अब संभव नहीं है। अब तो हमें इस राक्षस से लड़ने के लिए हर प्रकार का कदम उठाना ही होगा। आज लोग क्यों चीख रहे हैं? हकीकत यह है कि इस कथित विकास ने हमें अन्दर तक खोखला कर दिया है। इस कथित विकास ने हमें जिस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया हैं, वहां से वापस जाना आज कितना कठिन है, यह हमें समझ नहीं आ रहा है। इस अनियंत्रित विकास ने पर्यावरण को मरणासन्न स्थिति में पहुंचा दिया है, जबकि यह स्थिति खुद मानव के अस्तित्व के किए कितनी कठिन है, यह भी देखना होगा। उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण का हवाला देते हुए पटाखों पर प्रतिबन्ध की बात की।

उन्होंने इस विषय में भी चिंता व्यक्त की कि न्यायालय के आदेश के बाद भी पटाखे चले। प्रदूषण से हम सबका स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। छोटे बच्चों और वृद्धों में सबसे अधिक समस्या है। हमारे शरीर में पहले से ही इतना जहर भर गया है, कि हम और अधिक प्रदूषण झेलने की स्थिति में नहीं है। हमें परिस्थिति तंत्र को और मजबूत करना होगा। हमें संवर्धन करना होगा, हमें संरक्षण करना होगा। हमें उन पद्धतियों का संरक्षण करना होगा जो हमारी परम्पराओं में थीं। चिंतन के तौर पर हम भारतवासी पहले से ही बहुत विकसित हैं, यह हमारे चेतन का ही परिणाम है कि हम आज आध्यात्मिकता में विश्व गुरु बनने की कगार पर हैं। यह हमारे ग्रंथों में पहले से ही लिखा हुआ है कि हमारा शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन वह मिट्टी में ही मिल जाएगा। यही बात आधुनिक विज्ञान जैविकता और अजैविकता में बांटकर कहता है। प्राचीन ऋषि ज्ञान के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारे ऋषि पहले ही वृक्षों की महत्ता के बारे में कई बातें बता चुके हैं। उन्होंने पीपल के बीज का उदाहरण देते हुए कहा कि पीपल पर्यावरण के लिए सबसे आवश्यक वृक्ष है और पीपल का बीज लगाना सबसे कठिन होता है। चूंकि वह इतनी जटिल प्रक्रिया से होकर अंकुरित होता है कि न तो पीपल के बीज को हम लगा सकते हैं और न ही उसकी कलम लगा सकते हैं। वह

पक्षियों और खासकर कौवे के पेट में एक खास तापमान पाकर ही आगे प्रक्रियागत होता है। और यही कारण है कि पीपल का पेड़ कभी किसी पेड़ की ओट में या किसी छत आदि पर दिखाई देता है। तो इस जटिल प्राणदायक वृक्ष को धर्म से जोड़कर इसके संरक्षण के लिए हमारे ऋषियों ने कहा। इसी तरह औषधि वाले पौधे तुलसी के संरक्षण की भी बात की, इसी प्रकार आम, बरगद आदि सभी को किसी न किसी त्यौहार से जोड़ा और उनकी महत्ता को स्थापित किया।

रूढ़िवादिता और परम्परा का अंतर स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि वे सभी परम्पराएं जिनमें विज्ञान (विशेष ज्ञान) छिपा है, कोई कारण हैं वे सभी परम्पराएं हैं। इन्हें हमें अपनाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना तार्किकता के जो परंपराएं चली आ रही हैं वे रूढ़िवादिता हैं। उन्होंने कहा कि हर धर्म की अपने उद्गम स्थान के अनुसार ही परम्पराएं होती हैं, जैसे इस्लाम की हैं। तो दूसरे भू-भाग पर उन परम्पराओं को ज्यों का त्यों अपनाना रूढ़िवादिता है। हर परम्परा स्थानीय जलवायु के अनुसार होती है। उन्होंने छठ पर्व का भी उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे सभी पर्व नदियों पर आधारित हैं, क्योंकि भारत नदी और तालाबों का देश है। आवश्यकता और लोभ के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए उन्होंने कहा कि सामंजस्य से ही आगे बढ़ा जा सकता है। विकास की अंधी दौड़ के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज हम विकास की प्रतिस्पर्धा में हैं, कहीं मेक इन इंडिया है तो कहीं कुछ। मगर हमें समेकित विकास के लिए कदम उठाने होंगे। समाज को विकास की धारा से हमें हटाना नहीं है, बल्कि हमें समाज उन तकनीकों को अपनाना हैं, जो समाज को साथ लेकर चलें। हमें उत्पादन में वृद्धि करनी होगी और जमीन पर जो भार बढ़ रहा है उसी के अनुसार कदम उठाने होंगे।

विकास की बात करते हुए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विकास तो हो, मगर पर्यावरण की कीमत पर नहीं, विद्यार्थियों से बात करते हुए उन्होंने फिर एक बार इस बात पर बल दिया कि अधिकारी जब डीपीआर बनाएं तो इस बात को जरूर ही ध्यान में रखें कि वे पर्यावरण के तमाम पहलुओं के बारे में सोचें। गाजीपुर लैंड साइट के पास रहने वालों की परेशानियों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि आज वहां पर न केवल गरीब व्यक्ति परेशान है बल्कि उसके आसपास बसी हुई बहुमंजिला इमारतों से भी लोग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार पर भी उस कूड़े से निकलने वाली गैस का साया नज़र आने लगा है। जिस फ़्लैट की कीमत करोड़ों में हुआ करती थी, वह अब घट गयी है। उन्होंने प्रदूषण को साइलेंट किलर बताते हुए कहा कि यदि हमें लू लग जाती है तो वह तो दिखाई देती है मगर प्रदूषण का आघात नजर नहीं आता, वह केवल तब नज़र आता है जब एकदम से व्यक्ति उसकी चपेट में आ जाता है। भू-सूचना के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब बहुत ही आवश्यक हो गया है कि हमारे पास भूमि की हर सूचना हो। लैंडफिल के आसपास तीन किलोमीटर तक कोई सड़क न हो, आसपास बस्ती न हो। लोगों को कूड़े से निकलने वाली गैस से बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब यह नुकसान पहुंचाती है तो एक आयामी न होकर बहुआयामी नुकसान होते हैं। जैसे जमीन के दामों में कमी आना, लोगों का किसी क्षेत्र से पलायन करना। प्रदूषण के कारण न तो उद्योग ही आएँगे और न ही विकास होगा। तो विकास के बेताल से पर्यावरण को बचाए रखने की आवश्यकता है।

आयोजन सत्र में **दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफ़ेसर डॉ. राजेन्द्र** ने अपने विचार रखते हुए कहा कि सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि पर्यावरण आखिर शब्द आया कहाँ से? परि+आ+वरण अर्थात हमारे आसपास का वह क्षेत्र जिसे हम स्वीकार करते हैं। जैसे जन्मते ही हम शरीर का वरण कर लेते हैं। पर्यावरण का हमने कितना उपयोग किया कितना दुरूपयोग किया सवाल यही है। और प्रदूषण में भ्रष्टाचार को भी लें, जो नैतिक प्रदूषण है और जो सांस्कृतिक रूप से भी प्रदूषित कर रहा है। हमने जब से खुद तक ही खुद को सीमित कर दिया है, तब से प्रदूषण बढ़ने लगा है। जैसे विद्यार्थी को लगता है कि उसका अपना तो कमरा साफ़ हो, मगर बाहर वह गंदा कर देता है। पर्यावरण किसी एक का दायित्व न होकर सामूहिक दायित्व है, वह सामूहिक प्रक्रिया है। तो जब तक सामूहिकता की भावना का विकास नहीं होगा तब तक स्वच्छता बोध भी विकसित नही होगा।

आयोजन में आगे बोलते हुए **श्री उमेश चन्द्र गौड़** ने कहा कि समेकित विकास इस समय संयुक्त राष्ट्र का मुद्दा है। हर दस साल एक मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्थाएं काम करती हैं। जैसे पिछले दस वर्ष एचआईवी एड्स के थे तो ये दस वर्ष समेकित विकास के हैं। वर्ष 2022 तक हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है। ग्रामीण विकास वेदों में है, जिसे संस्कृति पर होने वाले आक्रमणों ने कमजोर कर दिया। हमें प्राचीन मूल्यों को अपनाने की आवश्यकता है। हम ऐसी संस्थाओं को एक छत के नीचे ला रहे हैं, जो किसी से अनुदान लिए बिना काम कर रही हैं। हम अब तक पांच हजार संस्थाओं को एक साथ ला चुके हैं और हमें अब आगे बढ़ना है।

सत्र के अंत में **कैरियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी के निदेशक श्री अनुज अग्रवाल** ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और साथ ही उम्मीद की कि इस आयोजन में व्यक्त विचारों से हमारी संस्था में पंजीकृत विद्यार्थियों ने काफी कुछ सीखा होगा और वह उनके अच्छे अधिकारी बनने की दिशा में मदद करेगा। ■

दिव्यांगता अभिशाप नहीं,

सोशल एम्पावरमेंट विलेजर्स एसोसिएशन (सेवा) द्वारा कैरियर प्लस एजुकेशनल सोसायटी, मौलिक भारत, डायलॉग इंडिया एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय दिव्यागंता दिवस पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री ने कहा की हमारी संस्था विकलांगों की सेवा में सदा तत्पर रहती है यंहा जो लोग जुड़े हैं मैं साथ मिलकर कार्य को आगे बढ़ाऊंगा। ग्रीन हाइवे डिवीजन के हेड एके भट्टाचार्य ने कहा की ज्यादातर लोग जो विकलांग हो रहे हैं उसका कारण सड़क के नियमों का पालन नहीं करना है और सामाजिक मूल्यों की अनदेखी करना है। उन्होंने लोगों को प्रेरित करते हुए सड़क पर चलने के नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और उसके पालन करने की बात कही। समाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्री के निजी सचिव अजय कुमार ने सामाजिक और गैर सरकारी संगठनों को आह्वान किया कि मंत्रालय में बहुत सारी योजनाएं दिव्यांगों से सम्बंधित है। वे इसका लाभ उठाकर सशक्त हो सकते हैं और मैं उनका भरपूर सहयोग करूँगा। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल श्रीकांत पाणिग्रही ने कहा कि सारे सामाजिक संगठन जिनको किसी भी कदम पर जरुरत हो दिव्यांगों की सेवा में मैं सदैव तत्पर

सशक्तिकरण जरुरी : कृष्णा राज

रहूंगा। सांसद डॉ अरुण कुमार ने कहा की विक्लांगों में एक बड़ी संख्या मानव निर्मित विकलांगता की है। हिरोशिमा नागासाकी की घटना , भोपाल गैस कांड इनसे जो लोग और उनकी आने बलि पीढ़ी विकलांग हुये यह मानव निर्मित विकलांगता के अव्यव है। मानवीय सूझ बुझ से ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है

कृषि राज मंत्री श्रीमति कृष्णा राज ने कहा की दिव्यांगता अभिशाप नहीं है बल्कि सशक्तिकरण द्वारा उसे दूर किया जा सकता है और वर्तमान सरकार विकलांगों के लिए बहुत काम कर रही है।

इस अवसर पर सेवा के सचिव राकेश कुमार ने कहा कि संस्थाओं और सरकार को सामूहिक रूप से मिलकर दिव्यांगों की बेहतरी के लिए प्रयास की जरुरत है। साथ ही ग्लोबल स्पोर्ट्स के चेयरमैन ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम पुरे देश में लगातार होने चाहिए।

इस अवसर पर विभिन संस्थाओं के बच्चों ने रंगा रंग कार्यक्रम प्रस्तुत किये। कैरियर प्लस के निदेशक अनुज अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार की एक नई पहल में शिक्षित दिव्यांगो को सरकारी नौकरियों में भागीदारी बढ़ाने के लिए उनकी संस्था के माध्यम से नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था की है। उन्होंने सभी से उनकी जानकारी में जो भी शिक्षित विकलांग हो उसे इस योजना से जोड़ने की कोशिश करने की अपील की

इतने अपराधी ! मात्र एक वर्ष के लिए 12 फास्ट ट्रेक कोर्ट से क्या होगा मीलार्ड ? - मौलिक भारत

सामाजिक संस्थाओं और सुप्रीम कोर्ट के लगातार दबाब के बाद अंतत: केंद्र सरकार ने दागी जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध चल रहे मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए 12 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने हेतु 7.80 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने की बात कोर्ट से कही साथ ही ऐसे मुकदमों को छांटने के लिए कुछ समय भी मांगा है। याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय के अनुसार देश के 1581सांसदों और विधायकों के खिलाफ संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के कुल 13680 मुकदमे चल रहे हैं (जिसकी सूची भी कोर्ट में जमा की गई है)। व्यवहार में एक जज एक बर्ष में 200 से अधिक मुकदमे नहीं निबटा सकता। ऐसे में 12 कोर्ट एक वर्ष में ज्यादा से ज्यादा 2400 मामले ही निबटा पाएंगे। ऐसे में कायदे से 100 कोर्ट बनाने जरूरी हैं और कम से कम अगले तीन वर्षो के लिए क्योंकि कई राज्यो और लोकसभा के चुनाव भी अकेले एक दो वर्षो में होने वाले हैं। यानि केंद्र सरकार मामले को सुलझाने की जगह टालने की कोशिश में अधिक है।

ज्ञात रहे मौलिक भारत के लगातार दबाब, शिकायतों और प्रतिवेदनों के बाद ही चुनाव आयोग ने सीबीडीटी को निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथपत्रों में दिखलाई संपत्ति की जांच के आदेश दिए थे और इसके लिए एक प्रक्रिया भी निर्धारित की थी। इसी के आधार पर अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर कोर्ट ने चुनाव आयोग और सीबीडीटी से आपराधिक और झूठे शपथपत्रों को देने वाले जनप्रतिनिधियों के आंकड़े मांगे थे। जिनमें से कुछ के ही आंकड़े सीबीडीटी ने कोर्ट को दिए है और बाकी दिए जाने बाकी है। एडीआर संस्था ने भी अपनी जांच के आधार पर आपराधिक मुकदमे झेल रहे जनप्रतिनिधियों के डाटा जारी किए हैं।

सीबीडीटी द्वारा कोर्ट को आंकड़े देने और कोर्ट द्वारा उन मामलो की जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के आदेश देने के बाद मौलिक भारत के महासचिव अनुज अग्रवाल और ट्रस्टी नीरज सक्सेना ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को एक मेल किया था जो कोर्ट ने याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया था, जिसमे वित्तीय अपराधों के साथ ही अन्य आपराधिक मामलों को भी फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वारा निबटाये जाने का अनुरोध किया गया है।

ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा सीमित संख्या और अल्प मात्रा में धनराशि जारी करने की बात सुप्रीम कोर्ट को हजम नहीं होनी चाहिए। मौलिक भारत की सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि इस दिशा में स्पष्ट निर्देश केंद्र सरकार को जारी करे और पर्याप्त संख्या में स्थायी प्रकृति के फास्ट ट्रैक कोर्टो का गठन करवाए। साथ ही चुनाव पूर्व ही चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के शपथपत्रों की जांच की प्रक्रिया भी निर्धारित करे। ताकि जनता योग्य और ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव कर सके। ■

फास्ट ट्रैक कोर्ट : प्रभावशाली लोगों पर कार्यवाही और न्याय संभव

केन्द्र सरकार के द्वारा नेताओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के बनाए जाने को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा सकता है इस ताजा फैसले से वे लोग बहुत ही खुश हैं जो राजनीतिक के अपराधीकरण से दशकों से पीड़ित या परेशान रहे हैं. क्योंकि मुकदमे के ज्यादा दिनों तक खिंचने के कारण गवाहों के लिए मुसीबत उत्पन्न हो जाती है। इस मामले में जे.जयललिता के मुकदमे को लिया जा सकता है कि उनके खिलाफ जारी मुकदमों पर अदालती कार्रवाई तार्किक परिणति तक इसलिए भी पहुंच पाई क्योंकि सुनवाई तमिलनाडु के बदले कर्नाटक हुई थी. जानकार लोग बताते हैं कि हत्या और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जिन माननीयों के खिलाफ अदालतों में लंबित हैं, उन मामलों का राज्य से बाहर स्थानांतरित किया जाना या गवाहों के लिए सुरक्षा की पक्की व्यवस्था करना जरूरी है। मगर यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने दागी सांसदों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। जिसमें कहा गया है कि सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित पड़े आपराधिक मामलों के तेज निपटारे के लिए 12 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे।केंद्र सरकार ने दायर हलफनामे में बताया कि 12 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए 7.80 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में देश के जनप्रतिनियों के खिलाफ दर्ज कराए गए 1500 से अधिक मामलों की सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इन मामलों की सुनवाई जल्द पूरी करने को कहा है। अदालत ने बीजेपी नेता अश्वनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर की गई उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही जिसमें उन्होंने आपराधिक केस दर्ज होने वाले सभी सांसदों और विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई थी।

ग्रामीण भारत के लिए बड़ी खुशखबरी

मौलिक भारत एवं डायलॉग इंडिया के सहयोग से AICTE : IECSME द्वारा विकसित गाँव: विकसित राष्ट्र अभियान को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान के साथ मिलाकर इसे बड़ा रूप दे दिया है। अब पहले चरण में देश के 8250 संस्थानों के 20 लाख विद्यार्थी मिलकर 40000 गाँवो का कायाकल्प करेंगे। आई आई टी दिल्ली के नेतृत्व में चलने वाले इस प्रोजेक्ट की निगरानी AICTE- IECSME करेंगे। सुखद है कि हम लोगों के इस दिशा में पिछले दो महीनों से चल रहे प्रयास भारत सरकार ने स्वीकार कर लिए।

संस्थान भी बटाएंगे हाथ

लेंगे मदद

- उन्नत भारत अभियान के तहत 8250 संस्थानों ने दिखाई रुचि
- पहले फेज में 40 हजार से ज्यादा गांवों में चलेगा अभियान

अरविंद पांडेय • नई दिल्ली

गांव में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने में जुटी सरकार अब इस काम में देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की भी मदद लेगी। ये संस्थान गांवों में जाकर विकास का एक नया एजेंडा तय करेंगे। साथ ही ग्रामीण जनजीवन में बदलाव की मशाल जलाएंगे।

सरकार ने इस काम के लिए देश को करीब 8250 संस्थानों को चिह्नित किया है। इन्हें पहले चरण में 40 हजार गांवों में काम करने और उनके सुधार का जिम्मा दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऐसे संस्थानों के कामों को प्रमोट करने के लिए 85 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस पूरे अभियान में उच्च शिक्षण संस्थानों के करीब 20 लाख छात्रों की मदद ली जाएगी। ये छात्र इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट आदि से जुड़े होंगे। संस्थानों को इस दौरान गांव के विकास को लेकर शोध, नई पहल आदि जैसे कामों के लिए पैसा भी मिलेगा। प्रोजेक्ट के चयन का जिम्मा आइआइटी दिल्ली को सौंपा गया है। वहीं इस पूरे अभियान की निगरानी आल इंडिया काउंसिल आफ टेक्नीकल एजुकेशन (एआइसीटीई) करेगा। मंत्रालय ने इस अभियान के लिए जिन 8250 संस्थानों का चयन किया है, उनमें ज्यादा निजी क्षेत्र से जुड़े संस्थान हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। उन्नत भारत अभियान को लेकर पिछले दिनों में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे मंजूरी दी गई है।

गांवों में रहने वालों को इस दौरान सरकार की योजनाओं को लेकर जागरूक भी किया जाएगा। खासकर ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन शिक्षा, मिड-डे मील, सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित होने वाले कार्यक्रम इसमें शामिल होंगे।

विकसित गाँव: विकसित राष्ट्र अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर

दक्षिण दिल्ली से सांसद श्री रमेश बिधुड़ी

विकसित गाँव : विकसित राष्ट्र अभियान को आगे बढ़ाने के लिए पश्चिमी बंगाल के शिक्षा समूह टेक्नो इंडिया ने बड़ी पहल की। डायलॉग इंडिया एवं मौलिक भारत की संस्तुति पर देश भर के 20 से अधिक राजनीति, सिविल सेवा, उद्योग, व्यापार, साहित्य, पत्रकारिता व समाज सेवा से जुड़ी समाजोन्मुखी व्यक्तित्वों को मानद उपाधि देने की प्रक्रिया शुरू की। आशय यह है कि ये लोग अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बन इसे आगे बढ़ाएंगे। इनमें से 9 लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। जिनके नाम निम्न प्रकार है -

रमेश विधूड़ी सांसद, रविंद्र पांडे सांसद, श्रीमती रश्मि सिंह आईएएस, सरोज कुमार आईएएस, राघवेंद्र पाल सिंह आईआरएस, राहुल चौधरी निदेशक, सीजी कॉर्प ग्लोबल, आर.के. महतो चेयरमैन जीटीसी ग्रुप, नरेंद्र अग्रवाल निदेशक, डेअरसेल समूह, कवि गजेंद्र सोलंकी व अनुज अग्रवाल, संपादक डायलॉग इंडिया।

इस हेतू टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी ने 16 जनवरी को अपने कलकत्ता के निकट स्थित जल्द शुरू होने वाले अंतरराष्ट्रीय केम्पस में इन सभी लोगों का सम्मान किया व ग्रुप के चेयरमैन गौतम राय चौधरी ने अपनी कार्ययोजना सबके सामने रखी। यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव है कि जिन प्रतिष्ठित लोगों को वह मानद डॉक्टरेट दे वे ग्रामीण विकास व गरीबी दूर करने के उनके मिशन व महाअभियान में सलाहकार व प्रोफेसर एमेरिटस के रूप में कार्य करें। इसी लिए यूनिवर्सिटी ने पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की भी स्थापना की है।

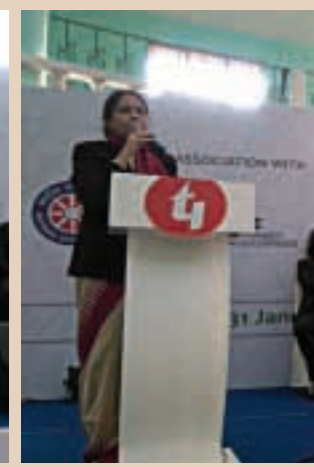

केसरीनाथ त्रिपाठी जी का अदभुत व्यक्तित्व

हाल ही के कलकत्ता दौरे में सबसे यादगार व रोमांचक बैठक पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल महामहिम केसरीनाथ त्रिपाठी जी से रही। मौलिक भारत के संयोजक व प्रसिद्ध कवि गजेंद्र सोलंकी जी का त्रिपाठी जी से खासा गहरा परिचय था। उन्होंने यकायक महामहिम जी को फोन लगाया तो उतनी ही तत्परतापूर्वक त्रिपाठी जी ने उन्हें राजभवन में आमंत्रित कर लिया। लगे हाथ उन्होंने हम मित्रों को भी साथ लाने की अनुमति ले ली। हम शारजाह से आए उद्योगपति आर के महतो, आई आर एस राघवेंद्र सिंह, लखनऊ के मित्र एस पी सिंह व अमर सिंह पटेल व दिल्ली से जितेंद्र तिवारी आदि देर शाम हम लोग अति भव्य पूर्व वायसराय भवन यानि राजभवन पहुंचे। सामान्य औपचारिकताओं के बाद जब त्रिपाठी जी हम लोगों से मिलने आए तो बहुत ही सहज थे। सोलंकी जी से उनकी आत्मीयता खासी गहरी थी और चूंकि त्रिपाठी जी भी राजनेता व विधिवेत्ता के साथ कवि भी है और दोंनो कई बार कवि सम्मेलनों में मंच भी सांझा कर चुके है तो शीघ्र ही वार्तालाप बहुत ही सहज स्तर पर पहुंच गया। अपने राजनीतिक जीवन के उतार चढ़ाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आई चुनोतियाँ, सपा और बसपा की राजनीति की अंदरूनी बातों और अनेक अंदरखाने की रहस्यमयी बातों को वे सिलसिलेवार बताते गए और हम हतप्रभ उसे सुनते रहे। अपने इन अनुभवों व विस्फोटक रहस्यों को वे अपनी आत्मकथा में लिखने जा रहे हैं इसलिए इनका जिक्र करना उपयुक्त नहीं होगा, मगर पश्चमी बंगाल की राजनीति व हालात के बारे में उन्होंने कई चौकानें वाली बातें बताई जैसे कि :

1. सरकारी सूचना के अनुसार प बंगाल से प्रतिवर्ष 25 लाख गायें बांग्लादेश अवैध रूप से जा रही हैं और इस कारण बांग्लादेश बीफ निर्यात के बड़े देशों में उभर चुका है। बिना ममता बनर्जी सरकार के समर्थन के यह संभव नहीं।
2. मुर्शिदाबाद और माल्दा जिले बांग्लादेशी मुस्लिम बहुल हो चुके हैं और वहाँ हिन्दुओ के लिए जीना मुहाल है।
3. कलकत्ता के मुस्लिम बहुल इलाकों में हिन्दू महिलाओं का शोषण आम बात है।
4. वो लगातार इन सभी मुद्दों पर ममता सरकार पर कदम उठाने के लिए दबाब बनाए रहते हैं।

कुल मिलाकर एक राष्ट्रवादी,कवि, ज्ञानी, विद्वान, संविधानविद, व्यावहारिक समझ वाले, सरल और सहज व्यक्तित्व से 90 मिनिट की यह मुलाकात का प्रभाव और इसकी यादे अमिट रहेंगी मेरे मानस पटल पर।

डायलॉग इंडिया के संपादक भी हुए सम्मानित

डायलॉग इंडिया पत्रिका के समूह सम्पादक श्री अनुज अग्रवाल की उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जुड़ी जब एआईसीटीई - आईईसीएसएमई सैगी की पहल से उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर उनके नाम की अनुशंसा टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, पश्चिम बंगाल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को एमेरिटस प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा की और इसके साथ ही यूजीसी के दिशा निर्देशों के आधार पर उन्हें डी. एस.सी (डॉक्टर ऑफ साइंस) और डी. लिट. (डॉक्टर ऑफ लिटरेचर) की मानद उपाधि प्रदान करने की अनुशंसा यूजीसी और पश्चिम बंगाल के माननीय गवर्नर से की । श्री अनुज अग्रवाल को विश्वविद्यालय के कोलकता परिसर में16 जनवरी 2018 को एक सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया.

मौलिक भारत ने की केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही की मांग

प्रतिष्ठा में,

आयुक्त

दिल्ली पुलिस

दिल्ली

विषय : मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार के विरुद्ध आपराधिक षडयंत्र के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही के संबंध में

महोदय,

मौलिक भारत सुशासन, पारदर्शिता, चुनाव सुधार, विकेंद्रीकरण व व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्षरत राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। देश के अनेकों प्रबुद्ध लोग संस्था से जुड़े हैं। संस्था के कार्यो के बारे में निम्न लिंक पर जाकर जान सकते हैं- संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की पुस्तिका-http://maulikb-harat.co.in/activity/

महोदय, मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा 19 फरवरी, 2018 की मध्यरात्रि को दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को अपने घर बुलाकर स्वयं व पार्टी विधायकों के द्वारा डराया धमकाया व पीटा गया। सरकारी अस्पताल द्वारा की गई मेडिकल जांच में भी मारपीट को पुष्टि हुई है।ऐसा कृत्य अत्यंत निंदनीय व अक्षम्य है। देश की राजधानी में राज्य सरकार के सबसे बड़े अधिकारी ही जब सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी। ऐसे में मौलिक भारत की मांग है कि सुनियोजित तरीके से आपराधिक षडयंत्र व साजिश कर अपनी ही सरकार के मुख्य सचिव को आधी रात अपने घर बुलाकर स्वयं व अपने ही विघायको से धमकाने व पिटवाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। उनका यह कृत्य असाधारण अपराध की श्रेणी में आता है इसलिए तुरंत उनकी गिरफ्तारी व उनकी सरकार की बर्खास्तगी भी होनी चाहिए। यह आश्चर्यजनक है कि दिल्ली पुलिस ने मुख्य अपराधी व षडयंत्रकर्ता से अभी तक न ही कोई पूछताछ की और न ही उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज की। हमारा मानना है कि संवैधानिक पद की आड़ में केजरीवाल की पार्टी एक संगठित गिरोह बनती जा रही है। उनकी पार्टी दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनोती बन गयी है। केजरीवाल व उनकी पार्टी के विघायको के विरूद्ध विभिन्न अदालतों में बहुत अधिक मात्रा में आपराधिक मुकदमें चल रहे हैं व स्वयं केजरीवाल अनेकों मामलों में जमानत करवाए हुए हैं। मौलिक भारत ने भी केजरीवाल द्वारा चुनावों के समय भरे जाने वाले शपथपत्र को पटियाला हाउस कोर्ट में चुनोती दी हुई है ,जिसमे प्रथम द्रष्टयता आरोप सही पाए गए व केजरीवाल को जमानत लेनी पड़ी है।

ऐसे में पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की ढिलाई या छूट एक बड़ी परेशानी बन सकती है। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र उचित कार्यवाही की जाए।

धन्यवाद।

भवदीय

अनुज अग्रवाल

महासचिव, मौलिक भारत

OFFICE OF THE CHIEF SECRETARY, DELHI

Yesterday, i.e. on 19.2.2018, I was informed on telephone around 8.45 p.m. by Advisor to Chief Minister Shri V.K. Jain that I have to reach CM's Residence at 12.00 midnight to discuss with Chief Minister and Deputy Chief Minister the issue of difficulty in release of certain TV Advertisements relating to completion of three years of current Government in Delhi. I suggested that meeting could be held on 20.02.2018 in the morning. However, it was reiterated by Advisor to CM at 9.00 p.m. and again at around 10.00 p.m. that the meeting has been scheduled by CM at 12 midnight. Prior to this message from Advisor to CM, the Dy. CM had also called me at around 6:55 p.m. and had informed that if the matter of release of TV Advertisement is not resolved by the evening, I should reach CM Residence at 12.00 midnight to discuss the issue. I had already explained to Dy. CM earlier that any advertisement to be released should not be in contravention of Supreme Court guidelines.

2. Advisor to CM again called me around 11.20 p.m. to confirm that I had left for CM's residence for the meeting. Thereafter, I left my residence in my official car and driver along with my PSO and reached CM Residence at midnight.

3. On arrival at CM's Residence, I met Shri V.K. Jain, Advisor to CM and thereafter both of us were taken to the front room where Chief Minister (Shri Arvind Kejriwal) and Deputy Chief Minister (Shri Manish Sisodia) and around 11 MLAs / persons were present. CM told me that persons present in the room were MLAs and they had come to ask him about Government's publicity programme on completion of three years. One of the MLAs firmly shut the door of the room. I was made to sit in between Shri Amanatullah Khan and another person/ MLA on a 3 seater sofa. CM directed me to answer the MLAs and explain the reasons for delay in release of the TV Campaign. I explained to them that the officers were bound by guidelines laid down by Hon'ble Supreme Court and any advertisement to be released must be in consonance with the said guidelines.

4. The MLAs started shouting at me and abused me while blaming me and the bureaucracy for not doing enough for publicity of the Government. One MLA, whom I can identify, threatened that I will be confined in the room for the entire night unless I agree to release TV campaign. A threat was made that I will be implicated in false cases including under the SC/ST Act. The MLAs whom I can identify became more aggressive and abusive extending threat to my life. Then suddenly Shri Amanatullah Khan, MLA and the person / MLA on my left side, whom I can identify, without any provocation from my side, started hitting and assaulting me and hit several blows with fists on my head and temple. My spectacles fell on the ground. I was in a state of shock. With difficulty I was able to leave the room and get into my official car and leave CM residence. At no stage did I retaliate or provoke any person in the room despite confinement, criminal intimidation by extending threat to my life, and assault by several MLAs while I was discharging my official duties.

5. I request you to take action as per law as the assault was premeditated and in conspiracy of all present with intention to criminally intimidate, cause hurt with motive to deter me from discharge of my lawful duty and compel me to follow unlawful directions. None of the persons present in the room made any effort to save me.

(Anshu Prakash)
Chief Secretary
20.02.2018

DCP (North)

मौलिक भारत के चुनाव सुधार अभियान की सबसे बड़ी जीत

मौलिक भारत, लोक प्रहरी, एडीआर, इलेक्शन वाच व अश्वनी उपाध्याय ये ही गिने चुने नाम है जो देश मे चुनाव सुधारों के लिए संघर्षरत है। एडीआर के प्रयासों से उम्मीदवारों के लिए चुनाव में शपथपत्रों का भरना अनिवार्य हुआ था । मौलिक भारत के नीरज सक्सेना व अनुज अग्रवाल ने शपथपत्रों में दी सूचनाओं को चुनोती देने के मुद्दे को जन आंदोलन बनाया व मौलिक भारत के प्रयासों से ही चुनाव आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आयोग को सांसदों व विधायकों के शपथ पत्र में वर्णित संपत्ति की जांच के आदेश दिए। जांच में संदिग्ध पाए गए इन जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग लोक प्रहरी ने उच्चतम न्यायालय से की जिसमें मौलिक भारत ने उच्चतम न्यायालय को शपथपत्रों की जांच की स्थायी व्यवस्था बनाने की मांग की थी, इस पत्र को न्यायालय ने लेटर पिटीशन के रूप में स्वीकार कर लिया था। अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर कोर्ट दागी जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के आदेश पहले ही दे चुकी है जो अप्रैल 2018 से शुरू होने जा रहे हैं। सभी के संयुक्त प्रयासों का ही नतीजा है जो उच्चतम न्यायालय ने कल यह आदेश दिया कि चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को अपनी व परिवार के सदस्यों की चल अचल संपत्ति के स्रोत भी बताने होंगे व सरकार को आदेश दिया कि चुनाव लड़ने व जीतने वालों के शपथपत्रों की जांच के लिए स्थायी व्यवस्था करे। जनहित व लोकतंत्र की दिशा में यह अब तक कि सबसे बड़ी जीत है।

देश के सभी शिक्षा संस्थानों में भारतीय त्यौहारों के अनुरूप सत्रों के संचालन के संदर्भ में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध

प्रतिष्ठा में,
आदरणीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री
भारत सरकार, शास्त्री भवन
नई दिल्ली

विषय : देश के सभी शिक्षा संस्थानों में भारतीय त्यौहारों के अनुरूप सत्रों के संचालन के संदर्भ में अनुरोध

माननीय महोदय,

मौलिक भारत देश के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों का संगठन है जो भारतीय पद्धतियों के अनुरूप व्यवस्थाएं लागू कराने, व्यवस्था में पारदर्शिता लागू कराने व उसे भ्रष्टाचार से मुक्त करने के साथ ही चुनाव सुधारों के लिए संघर्षरत है। पिछले पांच वर्षों की हमारी उपलब्धियों को www.maulikbharat.co.in पर देखा जा सकता है।

महोदय, हम आपका ध्यान देश के शिक्षा संस्थानों में ब्रिटिश राज से चल रहे शिक्षा सत्रों की संरचना की ओर कराना चाहते हैं। देश की अधिकांश जनसंख्या भारतीय पंचांगों के अनुरूप अपने त्यौहार मनाती है किंतु शिक्षा सत्रों के संचालन में इस तथ्य की पूर्णत: उपेक्षा की जाती है।

इस संदर्भ में हमारी निम्न मांगों पर अविलंब विचार कर लागू किया जाए

1) जब देश की 85 प्रतिशत आबादी के सभी प्रमुख त्यौहार अक्तूबर व नवंबर माह में पड़ते हैं तो शिक्षा संस्थानों में मई व जून में छुट्टियां क्यों होती है? हमारी सरकार से मांग करनी चाहिए कि नवरात्रों से लेकर गंगा स्नान तक शिक्षा संस्थानों में 45 दिनों का अवकाश करे न कि मई-जून में।

2) भारतीय पंचांग व त्यौहारों की वैज्ञानिकता पर विशेष पुस्तक छपनी चाहिए जिसका पठन पाठन सभी शिक्षा संस्थानों में अनिवार्य हो।

धन्यवाद।

भवदीय
अनुज अग्रवाल
महासचिव, मौलिक भारत

राष्ट्रविरोधी शक्तियों के मुंह पर बड़ा तमाचा है मिशन वंदेमातरम - रमेश विधुड़ी

चन्द्रशेखर आजाद के राष्ट्रप्रेम व बलिदान को व्यर्थ न जाने देंगे, जन जन में उनके देशप्रेम के भाव को अंदर तक भर देंगे। इस भाव को लेकर काम कर रहे मिशन वंदेमातरम के चन्द्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम व स्वराज रक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में न्याय मूर्ति ज्ञानसुधा जी, सांसद रमेश विधुड़ी जी, प्रो पी डी शर्मा (उपकुलपति, एमिटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम), आईपीएस जितेंद्र मणि जी, कवि राजेश चेतन जी व राधाकांत जी, शिक्षाविद ईश्वरदयाल जी व राश्मीजी, मौलिक भारत के महासचिव अनुज अग्रवाल जी, मिशन वंदेमातरम के संयोजक जितेंद्र जी, अधिवक्ता सुनील मग्गो जी व अश्विनी दुबे जी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर न्यायमूर्ति ज्ञानसुधा मिश्रा जी ने कहा कि इस तरह के आयोजन बहुत ही आवश्यक हैं और समाज को किसी मुद्दे पर जागृत करने व एकमत कर उसे समाज व व्यवस्था द्वारा स्वीकार्य जनमत व विचार बनाने के लिए ये मंथन जरूरी हैं और इसके लिए मिशन वंदेमातरम बधाई का पात्र है। दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश विधुड़ी ने कहा कि मिशन वंदेमातरम द्वारा आज राष्ट्रव्यापी संगठन व कार्यक्रम जितनी प्रखरता से चलाए जा रहे हैं वे राष्ट्रविरोधी शक्तियों व तथाकथित सेकुलरपंथियों के मुंह पर बड़ा तमाचा है। मिशन के संयोजक जितेंद्र तिवारी ने बताया कि उनकी संस्था आगामी वर्षों में विद्यार्थियों के बीच गहनता से कार्यक्रम चलाएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय, एंड्रयूज गंज के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।

युवाओं व किशोरों में देशभक्ति व राष्ट्रीयता के भाव का प्रसार करने हेतु कार्यरत हमारी संस्था 'मिशन वंदेमातरम' मौलिक भारत के सहयोग से गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अमर बलिदानी क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान दिवस पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन 27 फरवरी 2018 को शाम 3 बजे से स्पीकर हाल, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, रफी मार्ग, नई दिल्ली मे आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्र के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले लगभग तीस लोगों को 'स्वराज रक्षक सम्मान – 2018' से भी सम्मानित किया गया। ■

'वीर बलिदानियों के पदचिन्हों पर चलें युवा'

स्वतंत्रता संग्राम के महावीर योद्धा राष्ट्रनायक 'पंडित चंद्रशेखर आजाद जी' के बलिदान से प्रेरित वीर स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण नमन करने हेतु मिशन वन्दे मातरम फाउंडेशन एवं केंद्रीय विद्यालय एंड्रयूज गंज के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रनायक चित्रकला प्रतियोगिता का प्रथम आयोजन विद्यालय परिसर में किया गया जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी के 100 से ज्यादा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया।

7 फरवरी को इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती रश्मि मिश्रा ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा इस देश के निर्माण में अनेकों अनेक क्रांतिकारियों, महापुरुषों के बलिदान शामिल हैं जिसे किसी भी कीमत पर नहीं भुलाया जा सकता। देश की युवा पीढ़ी को वीर बलिदानियों के पदचिन्हों पर चल कर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी होगी।

नयी कार्यकारणी व नव मौलिक भारत का राष्ट्रीय

मौलिक भारत की स्थापना,व्यवस्था परिवर्तन, चुनाव सुधार, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम तरह के आंदोलनों का संचालन करने वाली बौद्धिक व सामाजिक संस्था मौलिक भारत का छठा स्थापना दिवस समारोह और द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में दिनांक 3 फरवरी 2018 को अत्यंत गरिमापूर्ण वातावरण व सारगर्भित कार्ययोजनाओ पर चर्चा के साथ सम्पन्न हुआ। समारोह में संस्था के महासचिव श्री अनुज अग्रवाल ने गत दो वर्षो में संस्था द्वारा किये गए बीस बड़े कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। संस्था से जुड़े सदस्यों ने कई मुद्दों पर कार्य किया है और वे आज भी कर रहे हैं, श्री अनुज अग्रवाल ने संस्था के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कुछ वर्ष पूर्व जब पूरा देश यूपीए के द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों से त्रस्त था, देश में असंतोष बढ़ रहा था, और जनता अपनी जड़ों की तरफ लौटने की फिराक में थी, ऐसे में जब इतने आंदोलन हो रहे थे और कुछ आंदोलन विदेशी हितों से संचालित हो रहे थे। तब राष्ट्रवादी विचारों और राष्ट्रवादी उद्देश्यों को लेकर हमने मौलिक भारत की स्थापना की, समान विचार वाले लोग साथ आए और संस्था का जन्म हुआ। आयोजन में संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की पुस्तिका का अनावरण किया गया।संस्था के किये गए मुख्य कार्यों में हैं कैप्टन विकास गुप्ता द्वारा डीएनडी टोल ब्रिज को हटवाना, अनुज अग्रवाल और नीरज सक्सेना द्वारा चुनाव सुधारों के लिए संघर्ष, जिनमें अरविंद केजरीवाल द्वारा झूठा शपथपत्र दिया जाना हो, और चुनाव लड़ने वालों द्वारा गलत शपथपत्र भरे जाने के लिए संघर्ष, अश्वनी उपाध्याय द्वारा भ्रष्ट नेताओं के लिए 12 फास्ट ट्रैक न्यायालय, और हालिया मौलिक भारत के ट्रस्टी प्रशांत पटेल द्वारा आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द कराने का मुकद्दमा हो। मौलिक भारत ने विकसित गांव और विकसित राष्ट्र की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। पूर्व सचिव भारत सरकार श्री कमल टावरी के मार्गदर्शन में यह अभियान अब एआईसीटीई के साथ विभिन्न राज्यों में संचालित हो रहा है। इसी प्रकार पिंकी चौधरी द्वारा सनातन संस्कृति की रक्षा हेतू हजारो युवकों को एकजुट करने का कार्य किया गया।आयोजन में नयी कार्यकारणी की भी घोषणा की गई।

राष्ट्रीय कार्यकारणी

- राष्ट्रीय संयोजक : पवन सिन्हा
- राष्ट्रीय अध्यक्ष : गजेंद्र सोलंकी
- राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष : कमल टावरी
- राष्ट्रीय संगठन मंत्री : विकास गुप्ता
- राष्ट्रीय महासचिव : अनुज अग्रवाल

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष :

- उमेश गौड़ (प्रशासनिक मामले),
- नीरज सक्सेना जी (घोटाला खोल एवं प्रशासनिक सुधार),
- श्रीमती उषा ठाकुर (महिला मामले),
- राकेश अग्रवाल, (दिल्ली बचाओ मोर्चा का समन्वय)
- डॉ. सुनील मग्गू , (संगठन विस्तार)

मुख्य सलाहकार

- कर्नल देवेंद्र सेहरावत जी (प्रशासनिक मामले)
- श्री प्रदीप गांधी, पूर्व सांसद(संसदीय मामले)
- श्री सुदेश अग्रवाल, (राजनीतिक मामले)

संकल्पों के साथ सम्पन्न हुआ अधिवेशन व स्थापना दिवस

- अनंत त्रिवेदी जी ,(चुनाव सुधार , संगठन विस्तार)
- श्री ईश्वर दयाल कंसल (लोकपाल एवं मुख्य पर्यवेक्षक, कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण)
- **सचिव** : सुसज्जित कुमार
- **कोषाध्यक्ष :** श्री अमरनाथ ओझा
- **सह कोषाध्यक्ष :** राकेश सिंह
- **राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी :** प्रमोद सैनी
- **राष्ट्रीय कार्यालयप्रमुख :** गोपाल प्रसाद
- **राष्ट्रीय जनसंपर्क प्रमुख :** उषा शुक्ला
- **कानून एवं विधि सलाहकार :** राहुल राज मलिक एवं प्रशांत पटेल
- **आई टी एवं सोशल मीडिया:** शुभम मंगला , **सह संयोजक :** जतिन गोयल
- **धार्मिक मामले** : जितेंद्र खुराना
- **राज्य संयोजक** : रणवीर सिंह (हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश,), जितेंद्र तिवारी(दिल्ली), अश्वनी शंकर, अरविंद मोदी(बिहार एवं झारखण्ड), नाजरीन कृष्णामूर्ति (तमिलनाडु एवं केरल) रामस्वरूप रावत्सरे(राजस्थान), राजस्थान अध्यक्ष : मनोज यादव , संजीव चिकोटिया (मध्य प्रदेश), मनोज खंडेलवाल (उत्तर पूर्व), राजीव कुमार सिंह(पश्चिम बंगाल), हरियाणा प्रांत अध्यक्ष : प्रदीप पंवार,उत्तर प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष : अवनीश सिंह , महासचिव : पिंकी चौधरी, ,अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश: संजीव वर्मा
- **आरटीआई प्रकोष्ठ**- संजीव गुप्ता
- **संयोजक :** महिला मोर्चा इंदु सिंह
- **संयोजक, युवा मोर्चा** : प्रशांत पटेल
- **महासचिव युवा मोर्चा:** एस पी सिंह

नवनिर्वाचित सभी सदस्यों ने संस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता हेतु शपथ भी ली।

आयोजन में संस्था से जुड़े हुए उन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया जो मौलिक भारत के निर्माण में निरन्तर योगदान कर रहे हैं।

सम्मानित होने वाले व्यक्ति थे

डॉ. कमल टाबरी, प्रशांत पटेल,अश्वनी उपाध्याय, विकास गुप्ता, पिंकी चौधरी, नीरज सक्सेना, संदीप देव।

इस अवसर पर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर परिचर्चा का आयोजन भी किया गया जिसमें संस्था के प्रमुख लोगो ने मिलकर आगे की कार्ययोजना का ढांचा प्रस्तुत किया।

भारतीय शिक्षा, संस्कृति व भाषाओं का संरक्षण कैसे हो

(प्रतिभागी-पवन सिन्हा, अमरनाथ ओझा, गजेंद्र सोलंकी, सीमा गुप्ता)

सुशासन, भ्रष्टाचार उन्मूलन व पारदर्शिता के लिए चुनाव सुधार

(प्रतिभागी- कैप्टन विकास गुप्ता, डॉ. सुनील मग्गू, राकेश अग्रवाल, संजीव गुप्ता , प्रशांत पटेल)

विकसित गाँव से कैसे होगा विकसित भारत?

(प्रतिभागी-डॉ कमल टावरी, गोपाल प्रसाद, , उमेश गौड़, अनुज अग्रवाल, सुसज्जित कुमार,)

संविधान की कथा सुनाने वाले पूर्व चीफ कमिश्नर आयकर श्री गिरीश पांडे जी के उदबोधन से सभी बहुत प्रभावित हुए। आयोजन में आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा, ओज के कवि श्री गजेंद्र सोलंकी, श्री राजेश गोयल, जितेंद्र तिवारी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

चुनाव आयोग से मौलिक भारत के गंभीर प्रश्न

सेवा में,
जन सूचना अधिकारी,
भारत निर्वाचन आयोग,
अशोक रोड,
नयी दिल्ली-110001.

विषय : प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6 सहपठित धारा 2 (j) (i),(ii), सूचना अधिकार अधिनियम - 2005

संदर्भ : आयकर विभाग द्वारा गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन -2017 एवं (02) अमृतसर लोक सभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा एफिडेविट (शपथ पत्रों) में घोषित चल एवं अचल सम्पत्तियों की जांच

महोदय,

'मौलिक भारत' एक गैर-राजनैतिक संगठन है एवं इसके सदस्य नीरज सक्सैना (एडवोकेट), संजीव गुप्ता (इंजीनियर), जगदीश चौहान (एडवोकेट), अनुज अग्रवाल, विक्रम चौधरी, घनश्याम लाल शर्मा, एवं तिलक राम पांडेय भारतवर्ष में चुनाव सुधार, सुशासन, पारदर्शिता एवं के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों की जनता के प्रति जवाबदेही के लिए कार्यरत हैं।

'मौलिक भारत' संगठन के सदस्यों द्वारा दिनाँक 17.01.2017 को भारत के तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री नसीम ज़ैदी को चुनाव सुधार के लिए पत्र/ज्ञापन लिखकर आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया था कि चुनाव लड़ने वाले सभी प्रयाशियों द्वारा (Conduct of Election Rules-1961) के नियम 4ए के अंतर्गत नामांकन पत्र के साथ (फॉर्म-26) में भरे जाने वाले शपथ पत्रों प्रत्याशियों द्वारा बयान किये गए तथ्यों की सत्यता की जाँच चुनाव आयोग द्वारा की जानी चाहिए।

तदोपरांत संगठन सदस्यों द्वारा दिनाँक 23.01.2017 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सम्बोधित करते हुए Online ज्ञापन संख्या PRSEC/E/2017/01012 एवं PRSEC/E/2017/01016 (एवं दिनाँक 24.01.2017 को राष्ट्रपति सचिवालय में प्रेषित) कर प्रार्थना की गयी थी कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को उचित दिशा निर्देश इस आशय से जारी किए जाय कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों एवं शपथ पत्रों के तथ्यों की जाँच करे। भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय द्वारा संगठन सदस्यों के पत्र दिनांकित 17.01.2017 (उपरोक्त) एवं ONLINE RTI दिनाँक 10.02.2017 पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का जवाब/सूचना संगठन सदस्यों को नहीं दी गयी। अंततोगत्वा संगठन सदस्यों द्वारा (पूर्वप्रेषित) RTI दिनाँक 10.03.2017को प्रेषित कर (प्रश्न बिंदु-9) के अंतर्गत सूचना माँगी कि चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों द्वारा (Conduct of Election Rules-1961) के नियम 4ए के अंतर्गत नामांकन पत्र के साथ (फॉर्म 26) में भरे जाने वाले शपथ पत्रों में बयान किये गए तथ्यों की सत्यता की जाँच निर्वाचन आयोग द्वारा की जानी चाहिए पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोई कार्यवाही की गयी हो तो प्रार्थीगण को सूचित करें और सम्बंधित दस्तावेज़ों की सत्यापित प्रति भी उपलब्ध करवाएँ।

भारत निर्वाचन आयोग के जन सूचना अधिकारी अवर सचिव श्री कुमार राजीव द्वारा अपने पत्र संख्या F.No. 4/RTI/PB/2017/NS-I/183 दिनांक 30.3.2017 के माध्यम से RTI Application के प्रश्न (बिंदु क्रमांक 9) के जवाब में प्रार्थीगण को सूचित किया कि भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय द्वारा पत्र संख्या 76/ECI/LET/EEM/EL.E&/IED/EEPS/2017Vol-I दिनांक 23.3.2017 के माध्यम से निदेशक (अन्वेषण-V) (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड), भारत सरकार, राजस्व मंत्रालय, नयी दिल्ली एवं निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) कोलकाता, निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) उत्तर प्रदेश, निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण)चंडीगढ़ एवं निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) कर्नाटक से निवेदन किया गया है कि वर्ष 2017 में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान सभा और अमृतसर (02) संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्रों में घोषित की गयी चल-अचल सम्पत्तियों की जाँच (चुनाव आयोग एवं CBDT) के मध्य (पत्रांक संदर्भ 282/62/2013-IT (Inv. V) दिनाँक 23.10.2013) के अनुसार दिनाँक 03.06.2013 एवं दिनांक 19.06.2013) को सम्पन्न हुई मीटिंग में स्वीकृत किये गए निम्न मापदंडों के आधार पर की जाये।

(श्रेणी -A) : विशिष्ट मामले जिन्हे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अग्रसारित किया जाय।

(Category -A) : Specific Cases forwarded by Election Commission of India).

(श्रेणी -B): वे मामले जिनमे प्रत्याशी द्वारा वर्तमान चुनाव में दिए गए शपथ पत्र की पिछले चुनाव में दिए गए शपथ पत्र से तुलना किये जाने पर यदि चल अचल संपत्ति में बेतहाशा (अप्रत्याशित) वृद्धि नज़र आती है।

(Category - B) :Cases witnessing phenomenal growth when the current affidavit is compared to that filed during the previous elections, if any).

(श्रेणी -C) : वे मामले चुनावों में विजयी होने वाले सभी प्रत्याशियों के चुनावी शपथ पत्र में घोषित चल-अचल संपत्ति की सत्यता उनकी आयकर विवरणी से मिलान करके पता लगाई जाय (यदि उनके द्वारा आयकर विवरणी दाखिल की जाती है) ।

(Category – C : Cases of winning Candidates and the veracity of the affidavits compared to the returns of income, if any filed by them.)

(श्रेणी - D) : वे मामले जहाँ पर आयकर स्थाई खाता संख्या (PAN) नहीं दिया गया है किन्तु चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी द्वारा चल-अचल संपत्ति 5 करोड़ से अधिक घोषित की गयी है।

(Category-D) : Instances where there was no PAN but movable/immovable asset disclosed were in e×cess of Rs. 5 Crore).

(श्रेणी - E) : वे मामले जहां पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के वर्तमान चुनाव में भरे गए शपथ पत्र में दर्शायी गयी अचल संपत्ति में पिछले चुनाव में भरे गए शपथ पत्र में दर्शायी गयी अचल संपत्ति की तुलना में 2 करोड़ रूपये से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई हो और आयकर विभाग को यदि जांच के दौरान प्रत्याशी द्वारा छुपाई गयी संपत्ति का पता लावे अथवा आयकर विभाग द्वारा छुपाई गयी संपत्ति आकलन की गयी हो तो उसे भारत निर्वाचन आयोग को छह (6) महीनों के भीतर अर्थात माह सितंबर 2017 तक सूचित करें।

(Category-E) : Cases where addition of new immovable assets above a threshold say Rs. 2 crore vis-a-vis last affidavit, if any, was witnessed and to report additional concealment detected/estimated by Income Tax Department within 6 months i.e. September 2017).

महोदय भारत निर्वाचन आयोग के पत्र76/ECI/LET/EEM/EL.E×/IED/EEPS/2017Vol-I दिनांक 23 March 2017 के अनुपालन में निदेशक (अन्वेषण-V) (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) भारत सरकार, राजस्व मंत्रालय नयी दिल्ली एवं निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) कोलकाता, निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) उत्तर प्रदेश, निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण)चंडीगढ़ एवं निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) कर्नाटक द्वारा गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान निर्वाचन-2017 और अमृतसर (02) संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्रों में घोषित की गयी चल-अचल सम्पत्तियों की स्वीकृत पाँच मापदंडों [(श्रेणी -A), (श्रेणी -B), (श्रेणी -C), (श्रेणी - D), एवं (श्रेणी - E)] के आधार पर की गयी जाँच (जो कि समय सीमा सितंबर 2017 तक पूर्ण हो चुकी है) के सन्दर्भ में निम्न प्रश्न-बिंदुओं पर सूचना प्रदान करें।

प्रश्न-बिंदु 1 : (श्रेणी A-विशिष्ट मामले) के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चिन्हित कर आयकर विभाग को जाँच हेतु भेजे गए पाँचों राज्यों गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2017 और अमृतसर (02) संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशियों के नाम विधान सभावार बताएं ?

प्रश्न-बिंदु 2 : (श्रेणी-B) के अंतर्गत गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2017 के उन प्रत्याशियों के नाम विधान सभावार बताएं जिनके द्वारा वर्तमान चुनाव में दिए गए शपथ पत्र की पिछले चुनाव में दिए गए शपथ पत्र की आयकर विभाग द्वारा जाँच के दौरान तुलना किये जाने पर यदि चल अचल संपत्ति में बेतहाशा (अप्रत्याशित) वृद्धि का खुलासा हुआ हो।

प्रश्न-बिंदु 3 : (श्रेणी-C) के अंतर्गत गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2017 में विजयी होने वाले उन प्रत्याशियों के नाम विधान सभावार बताएं जिनके द्वारा चुनावी शपथ पत्र में घोषित चल-अचल संपत्ति की आयकर विभाग द्वारा जाँच के दौरान उनकी आयकर विवरणी से मिलान करने पर विसंगति (असत्यता) पाई गयी है ?

प्रश्न-बिंदु 4 : (श्रेणी-D) के अंतर्गत गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2017 राज्यों के उन प्रत्याशियों के नाम विधान सभावार बताएं जिनके द्वारा चुनावी शपथ पत्र में आयकर स्थाई खाता संख्या (PAN) नहीं दिया गया है किन्तु उनके द्वारा शपथ पत्र में चल-अचल संपत्ति 5 करोड़ से अधिक घोषित की गयी है ?

प्रश्न-बिंदु 5 : (श्रेणी-E) के अंतर्गत गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2017 और अमृतसर (02) संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उन प्रत्याशियों के नाम विधान सभावार बतायें जिनके द्वारा वर्तमान चुनाव में भरे गए शपथ पत्र में दर्शायी गयी अचल संपत्ति में पिछले चुनाव में भरे गए शपथ पत्र में दर्शायी गयी अचल संपत्ति की तुलना में 2 करोड़ रूपये से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है?

प्रश्न-बिंदु 6 : गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2017 और अमृतसर (02) संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उन प्रत्याशियों के नाम विधान सभावार बताएं जिनकी आयकर विभाग द्वारा की गयी जांच के दौरान छुपाई गयी अतिरिक्त चल-अचल संपत्ति प्रकाश में आयी हो अथवा आयकर विभाग द्वारा आकलन (ESTIMATE) की गयी हो ?

प्रश्न-बिंदु 7 : गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2017 और अमृतसर (02) संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्रों में घोषित की गयी चल-अचल सम्पत्तियों की स्वीकृत पाँच मापदंडों (श्रेणी-A), (श्रेणी-B), (श्रेणी-C), (श्रेणी-D),

एवं (श्रेणी- E) के अंतर्गत जांच उपरांत चिन्हित/उल्लंघन करने वाले/दोषी पाए गए प्रत्याशियों के विरुद्ध यदि भारत निर्वाचन आयोग नयी दिल्ली द्वारा कोई दंडात्मक कार्यवाही की गयी हो अथवा किसी सक्षम न्यायालय में कोई वाद योजित किया हो तो कृपया विस्तृत सूचना प्रदान करें।

प्रश्न-बिंदु 8 : भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 76/ECI/LET/EEM/EL.E×/IED/EEPS/2017Vol-I दिनांक 23 March 2017 के अनुपालन में निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) कोलकाता, निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) उत्तर प्रदेश, निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) चंडीगढ़ एवं निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) कर्नाटक द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित की गयी जाँच रिपोर्ट (आख्या) का सूचना प्रार्थीगण को [धारा 2 (j) (i),(ii), सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत] निरिक्षण हेतु अनुमति प्रदान करें एवं निरक्षण उपरांत रिपोर्ट(आख्या)/दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतिलिपि नियम अनुसार प्रदान करें (जिसके लिए सूचना प्रार्थीगण नियमानुसार शुल्क देने को तैयार हैं।

प्रश्न-बिंदु 9 : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 282/62/2013-IT (Inv. V) दिनाँक 23.10.2013 के संदर्भ/अनुपालन में दिल्ली, छत्तीसगढ़, मिज़ोरम, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान विधान सभा निर्वाचन-2013 एवं दिल्ली विधान सभा निर्वाचन-2015में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्रों में घोषित की गयी चल-अचल सम्पत्तियों की स्वीकृत पाँच मापदंडों (श्रेणी-A), (श्रेणी-B), (श्रेणी-C), (श्रेणी-D) एवं (श्रेणी-E) के अंतर्गत जाँच उपरांत चिन्हित उल्लंघन करने वाले/दोषी प्रत्याशी यदि पाए गए हों तो उनके विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग नयी दिल्ली द्वारा कोई दंडात्मक कार्यवाही अथवा किसी सक्षम न्यायालय में कोई वाद योजित किया हो तो कृपया विस्तृत सूचना प्रदान करें।

प्रश्न-बिंदु 10 : भारत निर्वाचन आयोग, नयी दिल्ली के पत्रांक 76/Instructions/2014/EEPS/Vol.I दिनाँक 07.3.2014 के अनुपालन में (16th लोकसभा चुनाव) एवं वर्ष 2014 उपरान्त अन्य सभी राज्यों में संपन्न हुए विधान सभा, विधान परिषदों, राज्य सभा, उप-चुनावों में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्रों में घोषित की गयी चल-अचल सम्पत्तियों की स्वीकृत पाँच मापदंडों [(श्रेणी-A), (श्रेणी-B), (श्रेणी-C), (श्रेणी-D), एवं (श्रेणी- E)] के अंतर्गत जाँच उपरांत चिन्हित उल्लंघन करने वाले/दोषी प्रत्याशी यदि पाए गए हों तो उनके विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग नयी दिल्ली द्वारा कोई दंडात्मक कार्यवाही अथवा किसी सक्षम न्यायालय में कोई वाद योजित किया हो तो कृपया विस्तृत सूचना प्रदान करें।

सूचना हेतु शुल्क : रूपये 10.00 भारतीय पोस्टल ऑर्डर संख्या 41F 889966 द्वारा प्रदत्त है।

प्रार्थी गण
सदस्य : मौलिक भारत संगठन

उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित की गयी फ़ास्ट ट्रैक अदालतों ने शुरू किया काम

मौलिक भारत का झूठे शपथपत्र का मामला हुआ ट्रांसफर

मौलिक भारत के ट्रस्टी नीरज सक्सेना व अनुज अग्रवाल द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दायर किया गया झूठे शपथपत्र का मामला अब उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित त्वरित अदालत को स्थानांतरित हो गया और 23 मार्च को इस मामले पर फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। पहले यह सुनवाई 7 जुलाई को होनी थी मगर कोर्ट ने इसे जल्द सुनवाई पर ले लिया है। उल्लेखनीय है कि केजरीवाल ने इस मामले को रद्द करने के लिए उच्च न्यायलय में याचिका लगाई है जिसमें मौलिक भारत ने तर्कों व सबूतों के आधार पर खारिज करने का उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है व कुछ और आपराधिक धाराएं जोड़ने का अनुरोध किया है जिसको 27 मई की सुनवाई में स्वीकार करने की उम्मीद है। इसके बाद 31 मई को पटियाला हाउस स्थित फास्टट्रैक कोर्ट द्वारा केजरीवाल पर चार्जेस तय होने की उम्मीद है। अब इस बात की पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में केजरीवाल अपराधी साबित होकर अगले 6 वर्ष चुनाव लड़ने से तो अयोग्य हो ही जायेंगे,साथ ही उनको झूठी सूचनाएं देने व फर्जीवाड़े में जेल भी जाना पड़ सकता है।

मौलिक भारत ने प्रस्तुत की उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की संकल्पना व कार्ययोजना

23/7/2018 प्रेस क्लब ,लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में मौलिक भारत के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व सचिव भारत सरकार डॉ.कमल टावरी, संस्था के महासचिव अनुज अग्रवाल, नीम फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ डी के सिंह आदि ने उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की नई संकल्पना व कार्ययोजना प्रस्तुत की। व्यापक जन सहभगिता से ग्रामीण व कृषि पर केंद्रित विकास जिसमें प्रदेश के हर व्यक्ति की सहभागिता व भागीदारी के माध्यम से प्रकृति से संतुलन बना हर समस्या के व्यवहारिक समाधान की रुपरेखा मीडिया के सामने रखी। संस्था के महासचिव अनुज अग्रवाल ने बताया कि अगले कुछ महीनों में प्रदेश की हर कमिश्नरी में एक बड़ा आयोजन कर कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अभिनव व सफल प्रयोग करने वाले लोगों को जोड़ा जाएगा व क्षेत्रवार विकास की समग्र कार्ययोजना बना सरकार, शिक्षण संस्थानों व जनभागिता के सामंजस्य से क्रियान्वयित किया जाएगा। यह कार्ययोजना निम्न संकल्पना पर आधारित होगी।

हमारे सपनों का उत्तर प्रदेश - संकल्पना

1. एक ऐसा प्रदेश जिसमें धार्मिक सद्भाव हो, एक दूसरे की संस्कृति व धर्म-सम्प्रदाय का सम्मान हो। जातीय हिंसा व भेदभाव न हो व सबको आगे बढ़ने के समान अवसर हो।
2. एक ऐसा प्रदेश जिसमें भारतीयता, वैदिक संस्कृति, आध्यात्म, योग व आयुर्वेद का बोलबाला हो। गौ-ग्राम-गंगा का संरक्षण व संवर्धन हो। सभी धर्म व संप्रदायों में आपसी संवाद व समन्वय हो। पूरा प्रदेश पुन: ज्ञान व आध्यात्म परंपरा का प्रदेश बन जाए।
3. ऐसा प्रदेश जहां लोकतंत्र अपने वास्तविक अर्थों में परिलक्षित हो। सभी राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र हो, परिवारवाद, भाई भतीजावाद व जाति धर्म से परे आम जन के हित में परस्पर संवाद से, पारदर्शी वातावरण में निर्णय लिए जाएं। कोई भी उम्मीदवार हाईकमान से थोपा न जाए वरन उसका चयन कार्यकर्ताओं द्वारा मतदान के माध्यम से किया जाए।
4. प्रदेश में सम्पूर्ण चुनाव सुधार लागू हो, लोकसभा, विधानसभा व पंचायत चुनाव एक साथ हो। मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाए व प्रत्याशियों की घोषणा चुनाव से 6 माह पूर्व हो जाए। किसी भी तरह के अपराध के आरोपी का चुनाव में लड़ना प्रतिबंधित हो। चुनाव सरकारी खर्च पर हो।
5. पूरे प्रदेश का 10 से 12 उपराज्यों में प्रशासनिक दृष्टि से विभाजन हो। न्यायिक, पुलिस व प्रशासनिक सुधार लागू हो। सभी सरकारी कर्मियों के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी हो व कार्य निष्पादन पर आधारित हो। सभी सरकारी कर्मियों की धन संपत्ति की 6 माह में जांच हो और भ्रष्ट व अयोग्य कर्मियों की बर्खास्ती हो व उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही हो। प्रदेश सरकार की पारदर्शी ट्रांसफर नीति हो। सरकार हर आपदा में जनता के साथ 24×7 खड़ी नज़र आए व जनता के सभी काम निश्चित समय सीमा में किसी भी प्रकार की रिश्वत दिए बिना दिए पूरे हो सके।
6. पूरे प्रदेश से आरक्षण व्यवस्था समूल रूप से खत्म हो व शोषित, पीड़ित, वंचित व कमजोर, आर्थिक, सामाजिक व शारीरिक रूप से कमजोर लोगों, वृद्धों, बच्चों व बेसहारा स्त्रियों के लिए विशेष आवासीय विद्यालय व कुटीर उद्योग निर्मित हो। शिक्षा, स्वास्थ्य व न्याय व्यवस्था का बाजारीकरण बंद होकर इनका भारतीयकरण हो।
7. पूरे प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी निर्माण बिना सरकारी मंजूरी के न हो व इसके लिए एक से नियम व मापदंड हो। सभी अवैध निर्माण गिराए जाए व सीवर, बिजली, पानी, सड़क, पार्क, स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक भवन, बाजार व सीवेज व सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के कोई कॉलोनी स्वीकृत न हो। पुलिस, ट्रैफिक, बैंक, डाकघर, कम्युनिटी सेवाएं जनसंख्या के अनुपात में उपलब्ध हो।
8. पूरे प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था व कृषि को केंद्र में रख विकास की योजनाएं बनें। कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारित, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को बढ़ाने पर जोर हो। ग्रामीण व कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित उच्च शिक्षा संस्थानों, प्रशिक्षण , सहकारी बैंकिंग, सहकारी संस्थाओं, विपणन, संस्करण व मंडियों की श्रृंखला का विकास हो।
9. पूरे प्रदेश में उद्योग व व्यापार के संवर्धन, संरक्षण व विकास के लिए विश्व स्तरीय ढांचा हो। रिसर्च, इन्नोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, सिंगल विंडो क्लेरेंस, संतुलित कर, लालफीताशाही व इंस्पेक्टर राज से मुक्त सकारात्मक माहौल हो।
10. महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों व असक्तों का सम्मान, गरिमा, भागीदारी व उनको हर स्तर व क्षेत्र में प्राथमिकता सरकार व समाज का लक्ष्य हो।

प्रतिष्ठा में,

श्री नितिन गडकरी जी एवं **श्री योगी आदित्यनाथ जी**
केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री — मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार
भारत सरकार, नई दिल्ली — लखनऊ

बिषय : कंपनी गर्वित इन्नोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड द्वारा की जा रही लूट व घोखाधड़ी की जांच व कार्यवाही के संबंध में

माननीय महोदय,
हमारी संस्था पिछले पांच से अधिक बर्षो से भ्रष्टाचार के खिलाफ व देश – समाज मे सुशासन एवं पारदर्शिता की स्थापना के लिए संघर्ष कर रही है। डीएनडी टोल लूट को उजागर करने व यादव सिंह सिंडिकेट के घोटालों को उजागर करने सहित अनेक बड़े घोटालों को संस्था ने उजागर कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करवाई है।

महोदय, हमारी संस्था के संज्ञान में आया है कि नोयडा स्थित गर्वित इन्नोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड (Garvit Innovative promoter rs Ltd) नाम की कंपनी द्वारा 'बाइक टैक्सी' के नाम पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की जा रही है । इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लिया जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग के नए नए तरीके और प्लान बना कर आम भारतीय की बेरोजगारी का फायदा उठा कर कुछ ठग मानसिकता के लोग आम जनता का बहुत बार ठग लेते है । ये लोग नए तरीके से ओर तेजी से पैसा दुगना करने का लालच देकर अपने जाल में फँसा लेते है। हाल ही में 'बेब बर्क्स' व 'सोशल ट्रेड' नाम की कंपनी भी इसी प्रकार से जनता के सेकड़ो करोड़ रुपए लूट कर भागी थी। कुछ इसी तरह इस बार 'बाइक वोट' के नाम से ये खेल तैयार किया गया है।

इस योजना के संचालक संजय भाटी कहते है कि हम इस योजना में सदस्यता ग्रहण करने वाले व्यक्ति से 62100/– रुपये लेकर उसे 9765/– के हिसाब से 12 महीने में 117180/– रुपये वापस करेंगे। जिसको ये बाइक का किराए का नाम दे रहे है । संस्था को दी गयी जानकारी जो उनके द्वारा दी गयी है केअनुसार अभी तक कंपनी के पास लगभग 15000 से 20000 लोग बाइक के पैसे जमा कर चुके है (यानि 900 से 1200 करोड़ रुपए कम्पनी एकत्र कर चुकी है) और कंपनी ने बामुश्किल 600 बाइक भी नहीं खरीदी है इसके बाबजूद ये लोग रुपए 9765/– महीने के हिसाब से सभी सदस्यों को दे रहे है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब कंपनी के पास पर्याप्त बाइक ही नही है तो ये सदस्यों को किराया कैसे दे पा रहे हैं ? यानि कंपनी का उद्देश्य बाइक सेवा चलाने में नहीं बल्कि उसकी आड़ में जनता से मोटी रकम इकट्ठी कर भाग निकलने में अधिक लग रहा है।

योजनाबद्ध तरीके से व्यापक प्रचार कर लोगों को बहला फुसलाकर व लालच देकर सदस्य बनाया जा रहा है और पिछले सदस्यता शुल्क का कुछ पैसा लौटा दिया जाता है जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी करती हैं। कुल खेल तेजी से पैसा इकठ्ठा कर भाग जाने का है। संस्था का मत है कि यह बहुत बड़ा मनी लांड्रिंग का खेल है जो आगे जाकर लोगों व सरकार को पता चलेगा। अपने एजेंटो को बड़े बड़े लालच और प्रलोभन देकर तेजी से बाइक किराए के नाम पर धनराशि इक्कठा की जा रही है , ऐसे में लोगो के धन के साथ एकबार फिर और खिलवाड़ ना हो जाये, इसलिए इस घोटाले व लूट पर तुरंत रोक लगाकर जांच कराई जाए तथा दोषियों को दंड देते हुए जनता को उसकी गाड़ी कमाई वापस की जाए ।

महोदय, दु:खद यह भी है कि इस खेल में ये लोग केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के नाम का भी खूब प्रयोग कर रहे है। उनके एक बयान को दिखा कर लोगो को भृमित भी करते है। इस लूट के खेल के सभी संबंधित दस्तावेज भी संलग्न है। हमें लगता है कि सोशल ट्रेड ओर वेब वर्क की तरह एक और बड़ा घोटाला पक रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। यह बड़ा घोटाला न बने इससे पहले ही सरकार को इसकी जांच करा रोक लगा लेनी चाहिए। साथ ही ऐसे उपाय भी करने चाहिए जिससे भविष्य में ऐसे गलत कार्य व लूट संभव ही न हो पाए।

भवदीय
अनुज अग्रवाल, महासचिव
राहुल गोपाल, सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी
मौलिक भारत
A–74, सेक्टर 2, नोयडा (गौतम बुद्ध नगर)
मोबाइल – 9811424443
www.maulikbharat.co.in

BIKE BOT - THE BIKE TAXI
POWERED BY
GRAVIT INNOVATIVE PROMOTERS LTD.
WHAT COMPANY WILL DO FOR YOU
• BIKE PURCHASE
• COMMERCIAL REGISTRATION
• COMMERCIAL INSURANCE
• ROAD PERMIT
• ROAD TAX
• GPS & GST
• 2 HELMET
• 1 YEAR MAINTENANCE & SERVICE
• ARRANGE DRIVER
• WITH AGREEMENT

BIKE BOT - THE BIKE TAXI
POWERED BY
GRAVIT INNOVATIVE PROMOTERS LTD.
COST FOR THREE BIKE
Rs - 1,86,300/-
Rs - 13,770/- Rent (Per Month)
Rs - 15,525/- Bike Cost (Per Month)
29,295/- Per Month
+ 4,590/- One Bike Rent as Bonus
Total = 33,885/- Per Month
Rs - 33,885 x 12 = Rs 4,06,620/-
(In One Year)

GRAVIT INNOVATIVE
COST OF ONE BIKE
Rs - 62,100/-
Rs - 4,590/- Rent (Per Month)
Rs - 5,175/- Bike Cost (Per Month)
Rs - 4,590 x 12 = Rs 55,080
Rs - 5,175 x 12 = Rs 62,100
Total = Rs 1,17,180
(In One Year)

powered by GIPL
बोट टैक्सी के फायदे
Promoted by
Sanjay Bhati
MOBILE APP BASED BIKE TAXI
HEAD OFFICE : SEC. 2, B-12, NOIDA
BRANCH OFFICE : RANA COMPLEX, NEAR FLYOVER, ROORKEE ROAD, MODIPURAM, MEERUT
CALL FOR MORE DETAILS : 7500 830 833, 9837561819, 7302739595
www.mybikebot.com

8:13
26%
Search
BikeBot.....
POWERED BY GIPI
62,100/-
9765/-
Ringtone
+3
Lalit Gurjar and 48 others
4 Comments
Like
Comment

विशिष्ट रही यह योग कार्यशाला

योगकार्यशाला का उद्घाटन व दीप प्रज्वलन फ्रांस से आए योगप्रेमी महमानों द्वारा

मिशन वन्देमातरम फाउंडेशन, मौलिक भारत व कैरियर प्लस की दिल्ली पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में विशेष योग प्रशिक्षण कार्यशाला फ्रांस के श्रेष्ठ योगाचार्य श्री शम्मी हरित जी द्वारा परम आदरणीय श्री जितेंद मणि त्रिपाठी डिप्टी कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस(आईपीएस) की अध्यक्षता में।

राष्ट्रीयता के भाव को मजबूत करने व भारतीय योग आयुर्वेद आदि के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यरत है मिशन वन्देमातरम फाउंडेशन, मौलिक भारत व कैरियर प्लस

योगाचार्य शम्मी हरित जी (फ्रांस)

योग वेलनेस आदि को विश्व पटल पर जिस प्रकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया और दुनिया विश्व योग दिवस मनाने लगी है, साथ आयुष्मान भारत योजना द्वारा भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग पर जोर दिया गया है, इस प्रयोजन की सिद्धि हेतु मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन एवं सहयोगी संस्था कैरियर प्लस, मौलिक भारत के निरंतर चलने वाले कार्यक्रम की श्रृंखला में 1 नवंबर 2018 को दिल्ली पुलिस सातवीं बटालियन नई दिल्ली स्थित हौज खास पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मालवीय नगर के पुलिस कर्मियों के मध्य एक योग शिविर व कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें बटालियन के वरिष्ठ अधिकारियों सैंकड़ों जवानों, सीएडब्लूएस की महिला पुलिसकर्मियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

इस कार्यशाला को फ्रांस में योग का डंका बजाने वाले प्रख्यात योगाचार्य योगी शम्मी हरित व उनके फ्रांसीसी शिष्यों द्वारा संचालित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए योगगुरु शम्मी हरित जी ने कहा कि भारत में योग के नाम पर लोग व्यायाम सिखाते हैं व सीखते हैं। वास्तविक योग इससे बहुत अलग व प्रभावी होता है। अगर इसे सही ढंग व विधि से किया जाए तो व्यक्ति की अधिकांश स्वास्थ्य समस्याओं का अंत हो जाएगा। उन्होंने अल्प समय में ही जिस तरीके से योग

दिल्ली पुलिस उपायुक्त श्री जितेंद्रमणि जी के साथ फ्रांस से आया योग शिष्टमंडल व योगकार्यशाला के आयोजक जितेंद्र तिवारी व अनुज अग्रवाल।

सिखाया उससे सभी प्रतिभागी बहुत प्रभावित व लाभान्वित हुए।

कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री जितेंद्र मणि त्रिपाठी जी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमारे पुलिसकर्मियों को मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में उपयोगी योग आसनों का अभ्यास कराया, पुलिस कर्मियों के लिए ऐसे आयोजन का होना अति आवश्यक है जिससे वह तनाव भरे पुलिस के जीवन में कुछ देर अपने लिए निकाल कर अपने तन और मन को शांत और स्वस्थ रख सकते हैं। इनके अतिरिक्त वीर सिंह जी एसीपी, श्री विजय सिंह जी एसीपी व दर्शना त्यागी जी ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम प्रबंधन में श्री कमल चिव, संरक्षक मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन, श्री राजेश तिवारी संगठन मंत्री का विशेष योगदान रहा। मौलिक भारत के महासचिव व कैरियर प्लस के अध्यक्ष अनुज अग्रवाल ने सभी योगाचार्यों व पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रनायक चंद्रशेखर आजाद स्वराज रक्षक स्मृति चिन्ह भेंट किए व धन्यवाद ज्ञापन दिया। कार्यक्रम के संयोजक श्री जितेंद तिवारी, अध्यक्ष, मिशन वंदेमातरम फाउंडेशन रहे।

योगगुरु शम्मी हरित जी उनकी टीम व दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन।

मिशन वन्देमातरम फाउंडेशन, मौलिक भारत व कैरियर प्लस की दिल्ली पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में विशेष योग प्रशिक्षण कार्यशाला फ्रांस के श्रेष्ठ योगाचार्य श्री शम्मी हरित जी द्वारा, परम आदरणीय श्री जितेंद मणि त्रिपाठी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस(आईपीएस) की अध्यक्षता में।

फ्रांस के सर्वश्रेष्ठ योगाचार्य योगी शम्मी हरित जी की दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए आयोजित योगकार्यशाला। आयोजन मिशन वंदेमातरम, कैरियर प्लस व मौलिक भारत।

अपने देश काल को जानें

● डॉ. कुसुमलता केडिया

सर्वप्रथम अपने देश और अपने समय को जानना आवश्यक है। उसके विषय में सूत्र रूप में कुछ बातें हम बताएंगे।

पहला तो यह कि कम्युनिस्ट देशों के अतिरिक्त केवल भारत ही इस समय विश्व में अकेला ऐसा राष्ट्र है जहां केवल राज्य को ही समस्त शक्तियां प्राप्त है जबकि विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में राज्य के अतिरिक्त समाज की विभिन्न संस्थाओं को अधिकृत रूप से और विधिक रूप से अनेक शक्तियां प्राप्त हैं।

उदाहरण के लिए बौद्ध देशों में धर्म संघ को और यूरोपीय देशों में ईसाइयत के किसी ना किसी चर्च को अधिकृत रूप से राजकीय संरक्षण और विधिक अधिकार प्राप्त है। दूसरी बात यह है कि भारत में राज्य को जो सर्वाधिकार प्राप्त हैं, वैसा समस्त भारतीय इतिहास में कभी भी नहीं था। यहां तक कि 15 अगस्त 1947 तक आधुनिक कम्युनिस्ट किस्म का कोई राज्य भारत में नहीं था।

राज्य ही धर्म, आध्यात्मिक केंद्र, शिक्षा, संचार, परंपरा, रीति-रिवाज, विधि सभी का अंतिम निर्णायक होगा तथा वह समाज की परंपराओं को कुछ भी नहीं गुनेगा, विशेषत: जो यहां का मुख्य समाज है हिंदू समाज, उसकी किसी भी परंपरा को अधिकृत नहीं मानेगा अपितु ईसाई कानूनों को और उनके निर्णयों को और उनके द्वारा बताई गई प्रथाओं को ही समस्त राष्ट्र के लिए काम्य मानेगा और बलपूर्वक उन्हें देश में लागू करेगा ऐसा पहले कभी मान्य नहीं था।

यद्यपि मुसलामानों ने प्रयास किए कि उनका शासन मुस्लिम शरिया से चले परन्तु हिन्दुओं ने उन्हें बार बार धूल चटाई और समझौते को विवश कर दिया। भारत में मुस्लिम शासन केवल हिंदुओं से समझौता करते हुए ही चल पाया और भारत में ब्रिटिश शासन भी हिंदुओं से समझौता करके ही चल पाया।

यह पहली बार हुआ है कि 70 वर्षों से भारत में स्वयं को हिंदू कहने वाले ऐसे लोगों का शासन है जो हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू परंपरा, हिन्दू प्रथाएं, हिंदू न्याय संहिता, हिंदू विधि परंपराओं को कुछ भी नहीं मानते और जो विचित्र से उन्माद के साथ हिंदू समाज को बदल डालने के लिए बेचैन जीवात्मा हैं। एक विशाल राजनीतिक ढेर में बदल गया है यह उन्माद, जिसके तरह-तरह के गुट हैं। इसलिए हमें यह आवश्यक लगता है कि नई पीढ़ी में जो लोग सचमुच कुछ प्रबुद्ध हो और जीवन में कुछ सार्थक करना चाहते हो उन्हें कुछ राजनैतिक सत्य भी बता दें।

जो सबसे पहले जानने योग्य सत्य है वह यह है कि जिसे विचारधारा कहकर भारत में प्रचारित किया जाता है विशेषकर 1960 के बाद से, वह आईडियोलॉजी नामक अंग्रेजी पद का हिंदी अनुवाद है और विश्व में आज तक कहीं भी कोई भी राजनीति आईडियोलॉजी के आधार पर नहीं हुई है। आईडियोलॉजी को आड़ बनाकर अवश्य राजनीति हुई है। पर जो लोग सच में मानते हैं कि कोई विचारधाराओं का संघर्ष चल रहा है राजनीति में, वे राजनीति के लिए दयनीय रूप से अज्ञानी और अनाड़ी हैं और उनका कुछ नहीं किया जा सकता। परंतु ऐसे लोग जो सचमुच जिज्ञासु हैं और सत्य को जानना चाहते हैं, उन्हें हम यह सत्य अवश्य बताएंगे। संसार में सचमुच आइडियोलॉजी के आधार पर कोई वर्तमान दल नहीं चलता। चल ही नहीं सकता। यह अवश्य है कि बुद्धि से कुछ कमजोर और मंद लोगों को राजनीतिक दल लगभग मुफ्त के या बहुत कम पैसे देकर जुटाए गए सेवक बनाने के लिए

अवश्य राजनीतिक विचारधारा का शोर मचाते हैं।

अगर आप सचमुच उसी स्तर के हैं तो हमें कुछ भी नहीं कहना। लेकिन अगर आपको सत्य जानना है तो फिर सत्य जितना हम जानते हैं उसे पहले सुन ले और फिर संसार की और सूचनाएं संग्रहित करके उसे जांच लें कि हम सच बता रहे हैं या नहीं।

तो पहला सत्य यह है कि कम्युनिस्ट पार्टियों ने सबसे पहले ईसाई चर्च की नकल में ईसाइयत की थियोलॉजी की जगह आईडियोलॉजी को अपना आदर्श बताया और यह कार्ल मार्क्स और एंजेल्स की परिकल्पना थी क्योंकि वे दोनों ईसाइयत से अत्यधिक अभिभूत थे और उस से बाहर की दुनिया से लगभग अपरिचित थे। इसलिए उन्होंने यह बचकानी बातें कहीं और पूरी निष्ठा से कहीं। उनकी निष्ठा में कमी नहीं थी उनका ज्ञान अत्यंत अल्प और संकीर्ण था।

इसके बाद कुछ धूर्त राजपुरुषों ने सोवियत संघ रूस और चीन में मार्क्स और एंगेल्स की इन बातों का सहारा लेकर अपनी सत्ता की रणनीति बनाई और उसमें विरोधियों के सफाए के लिए, विरोधियों के साथ निर्मम और नृशंस अत्याचार करने के लिए विचारधारा यानी आईडियोलॉजी को आड़ बनाया क्योंकि वह काम इतना भयंकर था कि उसके लिए आड़ आवश्यक लगी।

इस से पहले ईसाईयों ने वहीं हत्याएं, नीचताएं और अत्याचार किए थे यह कहकर कि जीसस गॉड नामक किसी सत्ता का इकलौता बेटा है और वही सच्चा प्रकाश है और इसलिए उस प्रकाश को दुनिया में फैलाना हमारा कर्तव्य है। यह हमारा गॉड से करार है और गॉड के इस करार के अनुसार प्रकाश फैलाने के लिए हमें चाहे जो अत्याचार करने का अधिकार है और वह अत्याचार नहीं है बल्कि अंधकार में ग्रस्त जीवों के प्रति करुणा है जो हम या तो उन्हें ईसाई बनाते हैं या मार डालते हैं।

बाद में इसी की नकल इस्लाम के नाम पर की गई कि हम आपको इसलिए मुसलमान बनाएंगे क्योंकि यही एक सच्चा मजहब है और इसी में आपको सच्चा प्रकाश मिलता है। यही अल्लाह ताला का हुकुम है और नहीं तो हम आपको मार डालेंगे।

इस की नकल में कम्युनिस्टों ने यह पैंतरा लिया कि एक सही विचारधारा है जो हमारी है और दूसरी गलत विचारधारा है क्योंकि वह दूसरों की है और उनकी जो न माने, जो मनमानी के विरोध में कुछ बोले, उसे हम मार डालेंगे। तो आईडियोलॉजी का यह सारा विरोध परिकल्पित हुआ। इसे आप नहीं जानते तो आप राजनीति के लायक नहीं हैं। परंतु इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति कैसे चल रही है? चलिए आईडियोलॉजी तो आड़ है, मान लिया।

भारत में राजनीति का अर्थ था जो कुछ समाज में शोभा दे, जिसे संपूर्ण समाज सुंदर और शोभामय माने, वही राजनीति है वही राजधर्म का अंगभूत राजनीति है और इसीलिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करना और कराना राज्य का सर्वोपरि धर्म है। राज्य कोई मनमाना कानून नहीं बना सकता। राज्य केवल इतना कानून बना सकता है कि जो प्रथाएं हैं, समाज की जो परंपराएं हैं, जो समाज के अलग-अलग समूहों के आपसी व्यवहार के नियम हैं, उनका पालन हम सुनिश्चित करेंगे और उनका उल्लंघन करने वालों को इसलिए दंड देंगे कि उससे समाज बिखरता है। समाज बिखरे नहीं इसलिए हम उन प्रथा और परंपराओं का उल्लंघन करने वाले को दंड देंगे इसके अतिरिक्त हम राजद्रोहियों को भी दंड देंगे और अपने राज्य की सबसे रक्षा भी हमारा सर्वोपरि धर्म है। यही परंपरा से भारत में राजनीति का अर्थ रहा है।

परंतु आधुनिक राजनीति ईसाईयत या मुस्लिम मिल्कियत या कम्युनिज्म की धारणा से निकली है और इसलिए उसमें अपने राजनीतिक विरोधियों का क्रूरता और भयंकर कठोरता के साथ सफाया पहले एक नियम था।

बाद में दुनिया के अनेक समूहों से पिटने के बाद यूरोप के लोग जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग शामिल हैं, उन्होंने अपने कारनामों को बहुत ही सूक्ष्म कर दिया व गहरा कर दिया जिससे विशेष प्रबुद्ध लोग ही उन्हें समझ सकते हैं और अब वे ऐसी ही चालें चल रहे हैं। तो अगर आपको सचमुच अपने राष्ट्र से कुछ इस प्रकार का प्रेम है कि आप उसके लिए कुछ कर भी गुजरना चाहते हैं तो आपको इन नियमों को, दुनिया की प्रवृत्तियों को जानना होगा।

आज बहुत कम लोगों को यह स्मरण है कि यह जो तुर्की या तुर्किस्तान कहा जाता है, वह भारत के तुरुष्क क्षत्रियों का स्थान है। तुरुष्क स्थान को ही तुर्किस्तान कहा गया था। शताब्दियों तक यह हिंदू धर्म का बड़ा केंद्र रहा है जिसका उल्लेख हम लोगों ने संकेत रूप में अपनी पुस्तक 'कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत' में किया है।

मुसलमान बनने के बाद भी यह तुरुष्क स्थान या तुर्किस्तान या तुर्की एक शक्तिशाली केंद्र रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध तक यह एक बहुत बड़ा शक्ति केंद्र था और इसे नष्ट करने या बिखेर देने के लिए यूरोपीय लोगों ने बहुत सी चालें चली जिन पर चर्चा हम क्रमश: करेंगे।

अभी मुख्य बात जो जानने की है कि जो सफल लोग हैं, जो इस समय दुनिया के मुख्य देशों के मुखिया हैं, वे कितने डरे हुए लोग हैं, अन्यों से सदा आशंकित लोग हैं, इसीलिए वह अपनी सत्ता का स्रोत सार्वभौम सुशासन के नियमों को न मानकर अपनी कुचालों को अपनाते भी हैं और उनके खोखलेपन से डरे हुए हैं तथा डरते ही रहते हैं और इसीलिए अपनी हुकूमत बनाने और बनाए रखने के लिए कैसी चालें चलते हैं इसकी कुछ झलक हम लोगों को मिले, यह मेरा प्रयास है।

पहले तो हमें यह अच्छे से जानना चाहिए कि संसार में जो भी इस समय सरकारों में बैठे लोग हैं, राजनीति में उनमें से जो लोग सक्रिय हैं, उनका लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना और सत्ता को बढ़ाते जाना होता है। जैसे जो लोग धन के क्षेत्र में शक्तिशाली हैं उनका लक्ष्य धन को बढ़ाते जाना होता है, पहलवानों का लक्ष्य अपनी पहलवानी को बढ़ाते जाना होता है, खिलाड़ियों का लक्ष्य खेल की अपनी क्षमता को बढ़ाना और विद्वानों का लक्ष्य विद्या को बढ़ाते जाना होता है।

इसी प्रकार राजनीति के शक्तिशाली लोगों का लक्ष्य अपनी शक्ति को बढ़ाते जाना होता है। यही विश्व का सत्य है। अन्य विचार कोई भी विचार की आड़ ले सकता है, उसका सहारा लिया जा सकता है, अगर वह सत्ता की प्राप्ति में सहायक बने। परंतु कौन सा विचार सहायक बनेगा, यह किसी भी क्षेत्र या समाज या राष्ट्र में चल रही विराट प्रवृत्तियों के संघात से बनता बिगड़ता रहता है। इसे ही हमारे यहां काल प्रवाह कहा गया है।

अत: समाज को किधर जाना है, इसकी साधना तो मुख्यत: धर्म क्षेत्र में और समाज के संस्कारों और विद्या के क्षेत्र में ही होती है। राजनीति सत्ता प्राप्ति का क्षेत्र है, सत्ता प्राप्ति की नीति है। तो जो सत्ता में बैठे लोग इस समय यूरोप और अमेरिका के हैं (अमेरिका भी यूरोपीय लोगों का ही एक समूह है, काफी निचले स्तर के लोगों का समूह था परंतु अब थोड़ा बेहतर हो गया है), यूरोप के इन सभी भयभीत और भीतर से कमजोर

सत्तारूढ़ लोगों की निरंतर एक ही नीति रही है जिसे हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं। वह यह है कि जो सचमुच हमारा प्रतिस्पर्धी दिखे, जिससे हमें खतरा हो, उसकी ओर से लोगों का ध्यान कुछ इस प्रकार हटाए कि या तो उधर ध्यान ही न जाए, लोग मानें कि वह मानो न कुछ है या कुछ है भी तो किसी गणना योग्य नहीं है और फिर भी अगर ध्यान जाए तो उसका उपहास उड़ा कर उसे हास्यास्पद दिखा दे, उसे दीन हीन दिखा दे, गलत दिखा दे और उसके विरुद्ध अत्यंत कमजोर लोगों को क्रमशः खड़ा करें जो कि हमारे कठपुतली बन सके, हमारे इशारे पर चल सके और इस प्रकार हमारी शक्ति बनी रहेगी।

बहुत समय से यूरोपीय राजनेताओं की ये ही चालें रही। वे भारत में भी वही करते हैं।

जो भारत का वस्तुतः शक्तिशाली समाज है जो धर्म निष्ठ हिंदू हैं, वहीं भारत की वास्तविक शक्ति हैं तो फिर उनको नगण्य दिखाना या उनको हास्यास्पद बताना और कभी कोई केजरीवाल, कभी कोई कन्हैया कुमार, कभी कोई जिग्नेश मेवानी, कभी कोई हार्दिक पटेल, ऐसे लोगों को खड़ा कर देना जिनमें से कुछ की ताकत थोड़ी अधिक होती है जैसे केजरीवाल की थी, और कुछ की ताकत बहुत ही थोड़ी होती है, परंतु कुल मिलाकर ये लोग बहुत कमजोर लोग होते हैं, अपने समाज की मुख्यधारा से भटके हुए लोग होते हैं और उनको खड़ा किया जाता है, पूरी शक्ति लगा कर उन्हें बड़ा दिखाया जाता है ताकि उनके द्वारा शक्तिशाली समाज को नियंत्रण में लाया जा सके।

भारत के विषय में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उस्मान को ऑटोमन और तुर्की को यूरोप का रुग्ण भाग क्यों कहा? पिद्दी पिद्दी इलाके के नेशन स्टेट क्यों बनाए? तुर्की के साथ इन भयभीत लोगों ने क्या किया? यह जानने पर इनकी विचित्र हरकतों की एक झलक मिलेगी।

पहले तो उसका नाम ही मिटा देने की कोशिश की। एक बादशाह तुर्की का हुआ था उस्मान। उसके नाम पर और उसके नाम को बिगाड़ कर तुर्की की जगह उसे ऑटोमन साम्राज्य कहा गया। ताकि तुर्कों का भय यूरोपियों के चित्त से हटे किसी प्रकार।

मंगोल और तुर्क मूलतः भारतवंशी क्षत्रिय हैं और इन्होने क्रिश्चियन यूरोप को खूब रौंदा है इसलिए ये लोग दोनों की स्मृति को अपने चित्त से मिटाना चाहते थे। पर ध्यान रहे, वे सब कोई एकजुट समूह नहीं हैं, उनमे भी भिन्न भिन्न मत रहे हैं और हैं। राजनीति में कोई स्थायी शत्रु मित्र नहीं होता।

ज्यादातर लोग जो भारत में और ऐसे अन्य देशों में हैं, उन्हें तो यह पता ही नहीं कि ऑटोमन नाम का कोई साम्राज्य कभी था ही नहीं और वह तो उस्मान नामक एक राजा का राज्य था जिसे उस्मान साम्राज्य कहने की जगह उन्होंने जानबूझकर ऑटोमन साम्राज्य कहा और तरह तरह की भ्रांतियां रचीं और फिर तुर्किस्तान का नाम मिटा डालने की कोशिश की यद्यपि पूर्ण सफल नहीं हुए। प्रयास किया कि उसकी शक्ति विश्व राजनीति में कार्यरत और सक्रिय लोगों की दृष्टि से ओझल हो जाए, जब तक कि कोई उसे विशेष पुरुषार्थ करके सत्य को जानने का प्रयास न करें।

तो तुर्की को मटियामेट करने के लिए तरह-तरह की चालें चली गई और उसे यूरोप का बीमार समूह या बीमार मनुष्य इन यूरोपियों द्वारा प्रचारित किया जाता है, उसी प्रकार जैसे संसार के सबसे शक्तिशाली मंगोलों को जो भारतवंशी क्षत्रिय ही हैं, उन्हें हीन दिखाने के लिए कमजोर बच्चों को मनोरोगी के अर्थ में मंगोलियन चाइल्ड कहा जाता है। तुर्की के साथ भी यही चाल चली गयी। जबकि सच्चाई यह है कि यदि भारत की सेना नहीं होती, भारत के वीर राजपूतों ने तथा अन्य वीर नरेश ने और भारत के परंपरागत वीर सैनिकों ने वहां जाकर मोर्चा नहीं संभाला होता तो तुर्की से इंग्लैंड और फ्रांस कभी जीत ही नहीं सकते थे।

इसका बदला लेने के लिए उन्होंने तरह-तरह की चालें चली और उसे हर प्रकार से कमजोर किया।

पहले तो उन्हें भारत आने के लिए अटलांटिक महासागर से चलकर फिर घूमते हुए आना पड़ता था, बीच में भूमध्य सागर, फिर लाल सागर और हिंद महासागर तक पहुंचते थे। प्रथम और द्वितीय महायुद्ध के बीच की अवधि में उन्होंने स्वेज नहर का मार्ग बनाया और उससे होकर सीधे आने लगे हिंद महासागर में। फिर उन्होंने प्रयास किया कि खलीफा का पद समाप्त हो जाये। यह खलीफा लोग होते थे जो मुसलमानों का मार्गदर्शन करते थे। प्रारंभ के चार खलीफा के बाद अरब तो तुर्कों के अधीन ही हो गए थे। टर्की ही खलीफाओं का केंद्र रहा है तो इस्लाम को ढहाने के लिए, कमजोर करने के लिए, वशवर्ती करने के लिए उन्होंने पहले तो वहां का नाम लोप किया, उसे ऑटोमन साम्राज्य कहा। फिर धीरे-धीरे उसे हीन दिखाया और प्रथम महायुद्ध के बाद ही उसे तोड़ दिया। तोड़ने के लिए कई चालें चली ताकि खलीफा की गद्दी समाप्त हो, खलीफा का कोई केंद्र दुनिया में नहीं बचे जिससे कि इस्लाम एकजुट हो सके।

फिर उन्होंने कोशिश की कि जिसे अरब कहा जाता है वहां इस्लाम की मुख्यधारा के लोगों का वर्चस्व नहीं हो और तब उन्होंने एक छोटे से परिवार को पहले तो दबाव बनाया क्योंकि वह वहाबी था और वह किसी भी तरह संपूर्ण सऊदी अरब क्षेत्र का शासक नहीं बनना चाहता था। पुस्तकों में यह सारे तथ्य प्रकाशित हैं कि किस प्रकार वह बार-बार रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि हमारी तो आप अरब के मुसलमानों से रक्षा कीजिए और हम वहाबी लोग बिल्कुल अलग हैं, हमारी शियाओं और सुन्नियों से रक्षा कीजिए लेकिन इंग्लैंड और यूरोपीय शक्तियों ने उस पर दबाव डाला कि नहीं या तो तुम हमारे इशारे पर खड़े हो और संपूर्ण सऊदी अरब सम्भालो हमारे अनुसार, अन्यथा हम तुम को नष्ट हो जाने देंगे।

तब अपनी रक्षा के लिए इंग्लैंड की सहायता से सऊदी परिवार खड़ा हुआ जो मुख्यतः एक वहाबी परिवार है और उसने सऊदी अरब नाम का राज्य रचा और यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का सच्चा मित्र बना।

इसके बाद उन्हें लगा कि उसे और थोड़ा तोड़ा कुचला जाना चाहिए विशेषकर जब से तेल की खोज हुई, तेल की संभावना दिखी, तब से उन्होंने उस इलाके में जहां थोड़े से तेल कुएं थे, उनको अलग राज्य बना दिया और वहां किसी साधारण से आमिर को वहां का शासक बना दिया और उस इलाके में कहीं हजार, कहीं लाख की जनसंख्या के राष्ट्र बना दिए।

उस क्षेत्र में जिसे मुस्लिम क्षेत्र कह सकते हैं, छोटे-छोटे तथाकथित राज्यों की भरमार है, जो यूरोप के शक्तिशाली लोगों ने रची है और उसका उद्देश्य तुर्की को कमजोर करना, तुर्की की शक्ति को मिटाना है। उनके लिए यह सब मुस्लिम राष्ट्र अपने खेल के उपकरण हैं।

अब भारत के लोगों को यह पता ही नहीं है कि हम निरर्थक भय और चिंता के शिकार हो जाएं, इसकी मुख्य कोशिश अंग्रेजों ने और बाद में अंग्रेजों के उत्तराधिकारियों ने भारत में की है तो वे निरर्थक चिंता में डूबे ही रहेंगे यद्यपि इससे भारत का वास्तविक बल घटने वाला नहीं है। ■

लो उड़ गई चिड़िया - भाग गया बाईक बोट का मालिक संजय भाटी

सरकार की नाकामी व नेताओं की मिलीभगत है यह - मौलिक भारत

● अनुज अग्रवाल

विजय माल्या, नीरव मोदी आदि सैंकड़ों लुटेरों की तरह अब हजारों लोगों को सैकड़ों करोड़ों का चूना लगाकर बाइक बोट कंपनी का मालिक व बसपा नेता संजय भाटी कनाडा भाग गया। उल्लेखनीय है कि कई महीनों पूर्व ही मौलिक भारत की ओर से मैंने इस घोटालेबाज की करतूतों की शिकायत पूरे दस्तावेजों सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से की थी। तब मौलिक भारत की ओर से सारे मीडिया को भी जानकारी प्रेषित की गई थी। किंतु कुछ कार्यवाही नहीं की गई, उल्टा भाटी के आदमी मुझे अक्सर फोन करके धमकाने लगे। अंततः दिखावे के लिए आयकर छापा भी डाला गया। अनेक निवेशकों ने शिकायतें भी की किंतु शासन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। हां, चर्चा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने उल्टे गौतमबुद्ध नगर से लोकसभा का टिकिट देने के लालच में 21 करोड़ रुपए जरूर झटक लिए। सपा बसपा गठबंधन के बाद भी अनेक लोगों ने माया व अखिलेश को मौलिक भारत द्वारा किए गए खुलासे की खबर भेजी तो यह खबर आई कि

10 हजार मासिक रिटर्न का दावा करती है बाइक बोट

ऐसे चल रहा बाइक बोट कंपनी में खेल

नए निवेशक लाने पर पुराने निवेशक को कंपनी की तरफ से मिलता है इंसेंटिव

संजय भाटी

ऐसे हुआ कंपनी का गठन

10 दिन में बसपा प्रभारी पद से हटाया

बाइक बोट कंपनी मालिक बसपा नेता समेत 6 पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज

दादरी। पुलिस ने जौटी रोड स्थित बाइक बोट कंपनी के मालिक व बसपा नेता संजय भाटी तथा पांच अफसरों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की है। भाटी के कनाडा भागने की चर्चा है।

जयपुर के जगतपुर निवासी सुनील कुमार मीणा का आरोप है कि संजय ने 2018 में जयपुर में किराये पर बाइक चलवाने के लिए 34 लाख रुपये निवेश कराकर कहा था कि 51 बाइक व ड्राइवर दिए जाएंगे। बाइक नहीं चलेंगी तो भी प्रति बाइक 200 रुपये मासिक खर्चा मिलेगा। कंपनी ने एक साल में 74 लाख रुपये वापस मिलने का आश्वासन दिया था। अनुबंध में संजय भाटी के अलावा 5 अन्य अफसरों ने भी हस्ताक्षर किए थे।

जयपुर निवासी ने दर्ज कराया धोखाधड़ी का मामला, 34 लाख का निवेश, 74 लाख वापसी का था वादा

शिकायतकर्ता ने बताया कि दो महीने तो समय पर किस्त दी गई। उसके बाद किस्त देनी बंद कर दी गई। मीणा ने धोखाधड़ी का आरोप लगते हुए संजय भाटी, राजेश भारद्वाज, सुनील कुमार प्रजापति, दीपि चहल, सचिन भाटी व करनपाल के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी, पर एसएसपी से मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की गई। पूरी >> ऐसे चल रहा था खेल : पेज 3

संजय भाटी का टिकट कट गया। इसी बीच बढ़ते दबाव के बीच राजनेताओं ने मोटा माल लेकर उसे कनाडा भेज दिया और फिर एफआईआर दर्ज की ताकि जनता भी शांत हो जाए व भाटी पर भी आंच न आए। उल्लेखनीय है कि इन दिनों आर्थिक संकट से गुजर रहे कनाडा में 10 करोड़ रुपए का निवेश लेकर जाने वाले के लिए नागरिकता खोल रखी है और भारत से सैंकड़ों घोटालेबाज उधर निकल गए हैं।

रोजर वेली व शारदा चिट फंड घोटाले पर कार्यवाही करने वाली मोदी सरकार आज तक चिट फंड कम्पनियों के खेल को रोकने के लिए कोई कानून नहीं बना पाई है। दिखावे के लिए बिल का मसौदा कैबिनेट की पिछली बैठक में जरूर पास किया गया है। इस बीच पिछले दो दशकों में जनता की जेब से 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लूट हो चुकी है।

महासचिव, मौलिक भारत

चेतना की व्याख्यानमाला

राम मंदिर से राम राज्य तक

● अनुज अग्रवाल

सुप्रसिद्ध संस्था चेतना जिसके अध्यक्ष प्रसिद्ध कवि राजेश चेतन हैं, के द्वारा दिल्ली के क्राउन प्लाजा होटल में आयोजित वयाख्यान-माला 'राम मंदिर से राम राज्य तक' में राजनेता सुब्रमण्यम स्वामी जी प्रमुख वक्ता थे। साथ मे संघ के क्षेत्रीय संघ चालक व विद्वान बजरंग लाल गुप्ता जी व योगगुरु पदमश्री भारत भूषण जी भी इस विषय पर बोले।

विषय की प्रस्तावना प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गयी थी। जो मैंने इस प्रकार रखी। किंतु मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि तीनों प्रबुद्ध वक्ता मिलकर भी मेरे उठाए सामान्य से प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सके। मेरे सहित सदन में उपस्थित प्रत्येक श्रोता को यह बात महसूस हुई व कार्यक्रम के बाद सभी ने मुझसे यह बात कही भी। मेरी प्रस्तावना कुछ इस प्रकार थी –

चेतना के इस मंच पर हम उस चेतना की बात कर रहे हैं जिसको जगाने के लिए राष्ट्र की अवधारणा सामने आई।

1, जब पूरी पृथ्वी पर मानव विकास अपने संक्रमण काल मे था तब भारत का मानव जाग्रत हो चुका था।

2 मैं कौन हूँ और इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ यह जिज्ञासा उसके मन में जाग गयी थी।

3 बहुत शीघ्र ही हमारे पूर्वज जान चुके थे कि वे एक क्रमिक चक्र में अनेकों योनियों से होते हुए मानव योनि में जन्म ले पाए हैं और अन्य जीवों से अलग उनको एक विशिष्ट अंग प्रकृति ने दिया है और वह है मस्तिष्क।

4 वे यह भी जान गए कि इस मस्तिष्क व उनको मिली ऊर्जा का अगर सही दिशा में प्रयोग किया जाए तो वे जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं।

5 मुक्ति का यह मार्ग आसान रास्ता नहीं था वरन अनेक संसाधन व गहन साधना की मांग करता था।

6 इस रास्ते पर प्रत्येक मानव को बढ़ाने के लिए व उसको आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एक व्यवस्थित समाज की आवश्यकता है व यह व्यवस्थित समाज बिना राज्य की अवधारणा के विकास के संभव नहीं।

7 इसीलिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि यानि राज्य की संकल्पना का साकार रूप दिया व उनकी अगली 37 पीढ़ियों ने वे सभी जरूरी संसाधन जुटाए जो व्यक्ति के समग्र विकास के लिए आवश्यक थे। अंततः अयोध्या नगरी राज्य के इस महान प्रयोग का केंद्र बन गयी।

8 ब्रह्मा जी की 39वीं पीढ़ी के रूप में श्री राम का जन्म हुआ और यह वह बड़े युगांतरकारी परिवर्तनों का काल बना।

9 ये परिवर्तन क्या थे कि राम हमारे आदर्श पुरुष व आराध्य बन गए।

आदरणीय मंच व सुधी श्रोताओं, मानवता व सनातन संस्कृति के विकास में अयोध्या नगरी सबसे बड़ा पड़ाव है। हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व आध्यात्मिक विकास को समग्र रूप देने का महत्वपूर्ण कार्य का केंद्र यही नगरी रही है।

अयोध्या किस साजिश का शिकार हुई कि दुनिया को आदर्श राज्य की कल्पना का साकार रूप दिलाने वाली नगरी सुलगने लगी? इसे किसने बांट दिया मंदिर और मस्जिद के खेमे में? आम राय तो यही है कि भगवान श्रीराम की नगरी में विवाद का बीज 5 सौ साल पहले मुगल शासक बाबर ने बोया। उसी के शासन में राममंदिर तोड़ा गया और इसकी जगह मस्जिद बनवाई गई। यहीं से नफरत का बीज पनपा और समाज दो खेमों में बंट गया। मुगलिया इतिहास की तारीखें ये बताती है कि बाबर मार्च 1526 में हिंदुस्तान आया था। मात्र 12 हजार सैनिकों के साथ उसने पानीपत में दिल्ली के बादशाह इब्राहिम लोदी के साथ जंग लड़ी थी। 20 अप्रैल को इब्राहिम लोदी का कत्ल करने के एक हफ्ते बाद दिल्ली में उसकी ताजपोशी हुई। उसके आयोध्या आने की बात 1528 में की जाती है। राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात इसी साल की जाती है, बाबर एक

आक्रमणकारी के तौर पर अयोध्या आया, यहां एक लाख 74 हजार हिंदुओं का नरसंहार कराया और उनके अराध्य का मंदिर तोड़कर अपने नाम से मस्जिद बनवाई। निश्चित रूप से इस्लामी धर्म गुरुओं व राजाओं को यह लगता था कि सनातन धर्म व संस्कृति को मिटाकर इस्लामी साम्राज्य की स्थापना अगर भारत में करनी है तो हिंदू धर्म के मर्मस्थलों, गुरुकुलों, पुस्तकों व मान बिंदुओं को मिटाना होगा। इन सबमें राम सर्वोपरि थे। ऐसा क्यों है?

लब्धप्रतिष्ठ विद्वान, महान राजनेता व हिन्दू धर्म व संस्कृति की खोयी प्रतिष्ठा को पुन: स्थापित करने के लिए संघर्षरत महान योद्धा राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आज के विषय को विस्तार से समझाने के लिए हम उनके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ रहे हैं। हमें उम्मीद हैं कि जब हम यहां से उठेंगे तो हमारी हर जिज्ञासा शांत हो चुकी होगी।

1. हिंदू चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो बस एक ही संबोधन से एक दूसरे से आत्मीयता महसूस करता है और वो है 'राम -राम'। यह कैसे दो शब्द हैं जो रोम रोम पुलकित कर देते हैं। दिलों को जोड़ देते हैं व अपना बना लेते हैं। दक्षिण, पश्चिम, उत्तर व पूर्व हर जगह हर संस्कृति में राम गहराई से विद्यमान हैं। ऐसा क्या है राम में?
2. राम के व्यक्तित्व में ऐसा क्या था कि वे समग्र व्यक्तित्व बन आदर्श पुरुष यानि पुरुषोत्तम बन गए?
3. ब्रह्मा की 39वीं पीढ़ी के रूप में राम त्रेता युग में पैदा हुए किंतु कलयुग में भी प्रासंगिक व कालजयी हैं क्यों?
4. राम चन्द्र जी के पूर्व की 38 पीढ़ियों ने प्रकृति व मानव के बीच सामंजस्य बैठाकर व्यक्ति, परिवार, कुटुंब, समाज व राज्य की संरचना का कार्य किया व मानव को सही अर्थों में सामाजिक प्राणी बनाया, तब फिर राम ने क्या किया?
5. हिंदू संस्कृति में 33 कोटि देवी देवता हैं, फिर राम के प्रति यह दीवानगी क्यों?
6. मंदिर हजारों तोड़े इस्लामी आक्रांताओं ने मगर पुन: निर्माण की बात राम, कृष्ण व शिव के मंदिरों की क्यों?

7. राम 32 गुणों से युक्त थे वे कौन से ऐसे गुण थे जिनसे पूरे भारतीय समाज ने प्रेरणा लेकर स्वयं को सभ्य व संपूर्ण बनने के लिए प्रेरित किया?
8. राम ने ऐसा क्या किया जिससे माता पिता, परिजनों, गुरुओं, विवाह, पति - पत्नि, भाइयों, परिवार के संबंधों के आदर्श स्वरूप की स्थापना हुई?
9. राम ने समाज को एकजुट करने, उसमें आत्म सम्मान का भाव जगाने, उसकी शक्तियों का अहसास दिलाने, उसको सभ्य बनाने, उसकी संस्कृति का विकास करने, परस्पर संबंधों को पारिभाषित करने के लिए ऐसा क्या किया जो वे आज भी हमारे आराध्य हैं?
10. एक राजपुरुष व राजा के रूप में देश को एक करने, राक्षसों व दुश्मनों से लड़ने के लिए सैन्य संगठन की स्थापना में, विदेश नीति, कूटनीति, अर्थव्यवस्था, कानून-व्यवस्था, आयुर्वेद, योग, आध्यात्म, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक व रोजगार आदि के क्षेत्र में क्या विशिष्ट किया कि उनके राज्य को आदर्श राज्य कहा जाने लगा?
11. धर्म सत्ता, राज सत्ता, अर्थसत्ता व समाजसत्ता के संतुलन को आदर्श रूप में स्थापित करने के लिए ऐसा क्या किया राम ने जो हमारे आराध्य बने और उनकी जन्मभूमि पर उनका मंदिर बनवाने के लिए प्रत्येक हिंदू अपने प्राणों के बलिदान करने को भी उद्दत रहता है?
12. क्या राम मंदिर का निर्माण ही राम राज्य का रास्ता प्रशस्त कर सकता है?

आप भी इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ■

चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा एफिडेविट (शपथ पत्रों) में घोषित चल एवं अचल सम्पत्तियों की जांच हेतु पत्र

सेवा में,
जन सूचना अधिकारी,
भारत निर्वाचन आयोग,
अशोक रोड,
नयी दिल्ली-110001.

विषय : प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6 सहपठित धारा 2 (j) (i),(ii), सूचना अधिकार अधिनियम - 2005

संदर्भ : आयकर विभाग द्वारा गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन -2017 एवं (02) अमृतसर लोक सभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा एफिडेविट (शपथ पत्रों) में घोषित चल एवं अचल सम्पत्तियों की जांच

महोदय,

'मौलिक भारत' एक गैर-राजनैतिक संगठन है एवं इसके सदस्य नीरज सक्सैना (एडवोकेट), संजीव गुप्ता (इंजीनियर), जगदीश चौहान (एडवोकेट), अनुज अग्रवाल, विक्रम चौधरी, घनश्याम लाल शर्मा एवं तिलक राम पांडेय भारतवर्ष में चुनाव सुधार, सुशासन, पारदर्शिता एवं विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों की जनता के प्रति जवाबदेही के लिए कार्यरत हैं।

'मौलिक भारत' संगठन के सदस्यों द्वारा दिनांक 17.01.2017 को भारत के तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री नसीम ज़ैदी को चुनाव सुधार के लिए पत्र/ज्ञापन लिखकर आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया था कि चुनाव लड़ने वाले सभी प्रयाशियों द्वारा (Conduct of Election Rules-1961) के नियम 4ए के अंतर्गत नामांकन पत्र के साथ (फॉर्म-26) में भरे जाने वाले शपथ पत्रों प्रत्याशियों द्वारा बयान किये गए तथ्यों की सत्यता की जांच चुनाव आयोग द्वारा की जानी चाहिए।

तदोपरांत संगठन सदस्यों द्वारा दिनांक 23.01.2017 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सम्बोधित करते हुए ऑनलाइन ज्ञापन संख्या PRSEC/E/2017/01012 एवं PRSEC/E/2017/01016 (एवं दिनांक 24.01.2017 को राष्ट्रपति सचिवालय में प्रेषित) कर प्रार्थना की गयी थी कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को उचित दिशा निर्देश इस आशय से जारी किए जाये कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों एवं शपथ पत्रों के तथ्यों की जांच करे। भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय द्वारा संगठन सदस्यों के पत्र दिनांकित 17.01.2017 (उपरोक्त) एवं ONLINE RTI दिनांक 10.02.2017 पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का जवाब/सूचना संगठन सदस्यों को नहीं दी गयी। अंततोगत्वा संगठन सदस्यों द्वारा (पूर्वप्रेषित) RTI दिनांक 10.03.2017को प्रेषित कर (प्रश्न बिंदु-9) के अंतर्गत सूचना मांगी कि 'चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों द्वारा (Conduct of Election Rules-1961) के नियम 4ए के अंतर्गत नामांकन पत्र के साथ (फॉर्म 26) में भरे जाने वाले शपथ पत्रों में बयान किये गए तथ्यों की सत्यता की जांच निर्वाचन आयोग द्वारा की जानी चाहिए' पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोई कार्यवाही की गयी हो तो प्रार्थीगण को सूचित करें और सम्बंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति भी उपलब्ध करवाएं।

भारत निर्वाचन आयोग के जन सूचना अधिकारी अवर सचिव श्री कुमार राजीव द्वारा अपने पत्र संख्या F.No.4/RTI/PB/2017/NS-I/183 दिनांक 30.3.2017 के माध्यम से RTI Application के प्रश्न (बिंदू क्रमांक 9) के जवाब में प्रार्थीगण को सूचित किया कि भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय द्वारा पत्र संख्या

चुनाव आयोग की प्रेसवार्ता में मेरे द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न

आपने लखनऊ में हाल ही में अपनी प्रेसवार्ता में कहा था कि लोकसभा चुनावों में खड़े होने वाले उम्मीदवारों व उनके परिवारों की देश विदेश में मौजूद चल अचल संपत्ति का पिछले पांच साल का विवरण शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य है व इनकी जांच आयकर विभाग करेगा और अगर कुछ गलत पाया गया तो उसका विवरण आयोग की वेबसाइट पर डाला जाएगा।

इस संबंध में मेरे प्रश्न है -

1) ऐसी घोषणा पिछले चुनावों के समय भी की गई थी और सीबीडीटी को लोकसभा चुनावों के छह माह के अंदर जांच करने के लिए कहा गया था। वह जांच रिपोर्ट कहां है व उस पर क्या कार्यवाही की गई?
2. इन लोकसभा चुनावों से पूर्व भी अगर जांच नहीं कि गयी और गलत व्यक्ति चुना गया तो चुनावों का मतलब ही बेमानी हो जाएगा। ऐसे में आयोग त्वरित जांच व उसको मतदाता तक पहुंचाने की क्या व्यवस्था कर रहा है?
3) उम्मीदवारों के शपथपत्र प्रत्येक मतदाता तक पहुंचाने के लिए क्या उपाय आयोग कर रहा है?

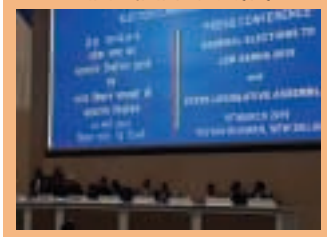

76/ECI/LET/EEM/EL.Ex/IED/EEPS/2017Vol-I दिनांक 23.3.2017 के माध्यम से निदेशक (अन्वेषण-V) (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड), भारत सरकार, राजस्व मंत्रालय, नयी दिल्ली एवं निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) कोलकाता, निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) उत्तर प्रदेश, निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण)चंडीगढ़ एवं निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) कर्नाटक से निवेदन किया गया है कि वर्ष 2017 में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान सभा और अमृतसर (02) संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्रों में घोषित की गयी चल-अचल सम्पत्तियों की जांच (चुनाव आयोग एवं CBDT) के मध्य (पत्रांक संदर्भ 282/62/2013-IT (Inv. V) दिनांक 23.10.2013) के अनुसार दिनांक 03.06.2013 एवं दिनांक 19.06.2013) को सम्पन्न हुई मीटिंग में स्वीकृत किये गए निम्न मापदंडों के आधार पर की जाये।

(श्रेणी -A) : विशिष्ट मामले जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अग्रसारित किया जाये।

(Category -A) : Specific Cases forwarded by Election Commission of India).

(श्रेणी -B) : वे मामले जिनमें प्रत्याशी द्वारा वर्तमान चुनाव में दिए गए शपथ पत्र की पिछले चुनाव में दिए गए शपथ पत्र से तुलना किये जाने पर यदि चल अचल संपत्ति में बेतहाशा (अप्रत्याशित) वृद्धि नज़र आती है।

(Category - B) : Cases witnessing phenomenal growth when the current affidavit is compared to that filed during the previous elections, if any).

(श्रेणी-C) : वे मामले जिनमें चुनावों में विजयी होने वाले सभी प्रत्याशियों के चुनावी शपथ पत्र में घोषित चल-अचल संपत्ति की सत्यता उनकी आयकर विवरणी से मिलान करके पता लगाई जाये (यदि उनके द्वारा आयकर विवरणी दाखिल की जाती है)।

(Category – C : Cases of winning Candidates and the veracity of the affidavits compared to the returns of income, if any filed by them.)

(श्रेणी - D) : वे मामले जहां पर आयकर स्थाई खाता संख्या (PAN) नहीं दिया गया है किन्तु चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी द्वारा चल-अचल संपत्ति 5 करोड़ से अधिक घोषित की गयी है।

(Category-D) : Instances where there was no PAN but movable/immovable asset disclosed were in excess of Rs. 5 Crore).

(श्रेणी - E) : वे मामले जहां पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के वर्तमान चुनाव में भरे गए शपथ पत्र में दर्शायी गयी अचल संपत्ति में पिछले चुनाव में भरे गए शपथ पत्र में दर्शायी गयी अचल संपत्ति की तुलना में 2 करोड़ रूपये से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई हो और आयकर विभाग को यदि जांच के दौरान प्रत्याशी द्वारा छुपाई गयी संपत्ति का पता लगे अथवा आयकर विभाग द्वारा छुपाई गयी संपत्ति आंकलन की गयी हो तो उसे भारत निर्वाचन आयोग को छह (6) महीनों के भीतर अर्थात माह सितंबर 2017 तक सूचित करें।

(Category-E) : Cases where addition of new immovable assets above a threshold say Rs. 2 crore vis-a-vis last affidavit, if any, was witnessed and to report additional concealment detected/estimated by Income Tax Department within 6 months i.e. September 2017).

महोदय भारत निर्वाचन आयोग के पत्र76/ECI/LET/EEM/EL.Ex/IED/EEPS/2017Vol-I दिनांक 23 March 2017 के अनुपालन में निदेशक (अन्वेषण-V) (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) भारत सरकार, राजस्व मंत्रालय नयी दिल्ली एवं निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) कोलकाता, निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) उत्तर प्रदेश, निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण)चंडीगढ़ एवं निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) कर्नाटक द्वारा गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान निर्वाचन-2017 और अमृतसर (02) संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्रों में घोषित की गयी चल-अचल सम्पत्तियों की स्वीकृत पांच मापदंडों [(श्रेणी-A), (श्रेणी-B), (श्रेणी-C), (श्रेणी-D), एवं (श्रेणी-E)] के आधार पर की गयी जांच (जो कि समय सीमा सितंबर 2017 तक पूर्ण हो चुकी है) के सन्दर्भ में निम्न प्रश्न-बिंदुओं पर सूचना प्रदान करें।

प्रश्न-बिंदु 1 : (श्रेणी A-विशिष्ट मामले) के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चिन्हित कर आयकर विभाग को जांच हेतु भेजे गए पांचों राज्यों गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2017 और अमृतसर (02) संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशियों के नाम विधान सभावार बताएं।

प्रश्न-बिंदु 2 : (श्रेणी-B) के अंतर्गत गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2017 के उन प्रत्याशियों के नाम विधान सभावार बताएं जिनके द्वारा वर्तमान चुनाव में दिए गए शपथ पत्र की पिछले चुनाव में दिए गए शपथ पत्र की आयकर विभाग द्वारा जांच के दौरान तुलना किये जाने पर यदि चल अचल संपत्ति में बेतहाशा (अप्रत्याशित) वृद्धि का खुलासा हुआ हो।

प्रश्न-बिंदु 3 : (श्रेणी-C) के अंतर्गत गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2017 में विजयी होने वाले उन प्रत्याशियों के नाम विधान सभावार बताएं जिनके द्वारा चुनावी शपथ पत्र में घोषित चल-अचल संपत्ति की आयकर विभाग द्वारा जांच के दौरान उनकी आयकर विवरणी से मिलान करने पर विसंगति (असत्यता) पाई गयी है।

प्रश्न-बिंदु 4 : (श्रेणी-D) के अंतर्गत गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2017 राज्यों के उन प्रत्याशियों के नाम विधान सभावार बताएं जिनके द्वारा चुनावी शपथ पत्र में आयकर स्थाई खाता संख्या (PAN) नहीं दिया गया है किन्तु उनके द्वारा शपथ पत्र में चल-अचल संपत्ति 5 करोड़ से अधिक घोषित की गयी है।

प्रश्न-बिंदु 5 : (श्रेणी-E) के अंतर्गत गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2017 और अमृतसर (02) संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उन प्रत्याशियों के नाम विधान सभावार बतायें जिनके द्वारा वर्तमान चुनाव में भरे गए शपथ पत्र में दर्शायी गयी अचल

संपत्ति में पिछले चुनाव में भरे गए शपथ पत्र में दर्शायी गयी अचल संपत्ति की तुलना में 2 करोड़ रूपये से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई है।

प्रश्न-बिंदु 6 : गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2017 और अमृतसर (02) संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उन प्रत्याशियों के नाम विधान सभावार बताएं जिनकी आयकर विभाग द्वारा की गयी जांच के दौरान छुपाई गयी अतिरिक्त चल-अचल संपत्ति प्रकाश में आयी हो अथवा आयकर विभाग द्वारा आंकलन (ESTIMATE) की गयी हो।

प्रश्न-बिंदु 7 : गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन 2017 और अमृतसर (02) संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्रों में घोषित की गयी चल-अचल सम्पत्तियों की स्वीकृत पांच मापदंडों (श्रेणी-A), (श्रेणी-B), (श्रेणी-C), (श्रेणी- D), एवं (श्रेणी-E) के अंतर्गत जांच उपरांत चिन्हित/उल्लंघन करने वाले/दोषी पाए गए प्रत्याशियों के विरुद्ध यदि भारत निर्वाचन आयोग नयी दिल्ली द्वारा कोई दंडात्मक कार्यवाही की गयी हो अथवा किसी सक्षम न्यायालय में कोई वाद योजित किया हो तो कृपया विस्तृत सूचना प्रदान करें।

प्रश्न-बिंदु 8 : भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 76/ECI/LET/EEM/EL.E&/IED/EEPS/2017Vol-I दिनांक 23 March 2017 के अनुपालन में निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) कोलकाता, निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) उत्तर प्रदेश, निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) चंडीगढ़ एवं निदेशक आयकर विभाग (अन्वेषण) कर्नाटक द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित की गयी जांच रिपोर्ट (आख्या) का सूचना प्रार्थीगण को [धारा 2 (j) (i),(ii), सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत] निरिक्षण हेतु अनुमति प्रदान करें एवं निरक्षण उपरांत रिपोर्ट(आख्या)/दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतिलिपि नियम अनुसार प्रदान करें (जिसके लिए सूचना प्रार्थीगण नियमानुसार शुल्क देने को तैयार हैं।

प्रश्न-बिंदु 9 : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 282/62/2013-IT (Inv. V) दिनांक 23.10.2013 के संदर्भ/अनुपालन में दिल्ली, छत्तीसगढ़, मिज़ोरम, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान विधान सभा निर्वाचन-2013 एवं दिल्ली विधान सभा निर्वाचन-2015 में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्रों में घोषित की गयी चल-अचल सम्पत्तियों की स्वीकृत पांच मापदंडों (श्रेणी-A), (श्रेणी-B), (श्रेणी-C), (श्रेणी-D) एवं (श्रेणी-E) के अंतर्गत जांच उपरांत चिन्हित उल्लंघन करने वाले/दोषी प्रत्याशी यदि पाए गए हों तो उनके विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग नयी दिल्ली द्वारा कोई दंडात्मक कार्यवाही अथवा किसी सक्षम न्यायालय में कोई वाद योजित किया हो तो कृपया विस्तृत सूचना प्रदान करें।

प्रश्न-बिंदु 10 = भारत निर्वाचन आयोग, नयी दिल्ली के पत्रांक 76/Instructions/2014/EEPS/Vol.I दिनांक 07.3.2014 के अनुपालन में (16th लोकसभा चुनाव) एवं वर्ष 2014 उपरान्त अन्य सभी राज्यों में संपन्न हुए विधान सभा, विधान परिषदों, राज्य सभा, उप-चुनावों में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्रों में घोषित की गयी चल-अचल सम्पत्तियों की स्वीकृत पांच मापदंडों [(श्रेणी-A), (श्रेणी-B), (श्रेणी-C), (श्रेणी-D) एवं (श्रेणी-E)] के अंतर्गत जांच उपरांत चिन्हित उल्लंघन करने वाले/दोषी प्रत्याशी यदि पाए गए हों तो उनके विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग नयी दिल्ली द्वारा कोई दंडात्मक कार्यवाही अथवा किसी सक्षम न्यायालय में कोई वाद योजित किया हो तो कृपया विस्तृत सूचना प्रदान करें।

सूचना हेतु शुल्क : रूपये 10.00 भारतीय पोस्टल ऑर्डर संख्या 41F 889966 द्वारा प्रदत्त है।

प्रार्थी गण
सदस्य : मौलिक भारत संगठन

मौलिक भारत की बड़ी जीत : मौलिक भारत के दबाव में आई भारत सरकार व चुनाव आयोग

कानूनी रूप से अनिवार्य हुई उम्मीदवारों द्वारा परिवार की पांच वर्ष की आय व संपत्ति का विवरण व आयकर विभाग द्वारा जांच। मगर समय सीमा तय नहीं।

मात्र आय व संपत्ति की ही जांच क्यों? - मौलिक भारत

अंततः मौलिक भारत के दबाव में कानून मंत्रालय ने बड़ी व्यवस्था देते हुए यह अनिवार्य कर ही दिया कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार को अपनी व अपने परिवार की पांच वर्षों की आय व संपत्ति का ब्यौरा एक शपथपत्र के माध्यम से निर्वाचन आयोग को देना होगा व आयोग इसकी जांच सीबीडीटी/आयकर विभाग से करवाएगा और अगर इसमें कोई गड़बड़ी या विसंगति पाई गई तो अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा।

पिछले वर्ष उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से माननीयों के द्वारा चुनाव के समय भरे गए शपथ पत्रों में वर्णित संपत्ति की जांच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से कराने के चुनाव आयोग के तरीके को एक तरीके से मान्यता देते हुए आगे की बात कही थी। न्यायालय ने कहा था कि जांच में जिस किसी भी निर्वाचित सांसद और विधायक की चल व अचल संपत्ति शपथ पत्र में दिए गए विवरण से अधिक पायी जाए, उन पर आगे की कानूनी कार्यवाही हेतू 'त्वरित अदालतों' के गठन केंद्र सरकार करे ताकि इन जनप्रतिनिधियों को शीघ्र अति शीघ्र सजा दी जा सके।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने लोकसभा चुनावों के बाद घोषणा की थी कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की शीघ्र सुनवाई हेतू वे जल्द ही त्वरित अदालतें गठित करंगे किंतु ऐसा कुछ उनकी सरकार ने किया नहीं था, अंततः वह भी झुक गई है व जनहित में उसने उम्मीदवार को अपनी व परिवार की आय व संपत्ति की जानकारी देना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया है।

मौलिक भारत चुनाव के समय भरे जाने वाले शपथ पत्रों की जांच के लिए एक जांच एजेंसी बनाने की मांग सन 2013 से करता आया है और इस संदर्भ में चुनाव आयोग, अदालतों, संसदीय समिति और विभिन्न जांच एजेंसियों के पास कई बार शिकायतें दर्ज करवा चुका है। मौलिक भारत की शिकायत पर ही चुनाव आयोग ने लोकसभा के चुनावों के समय सीबीडीटी से चुनाव लड़ने वालों के शपथपत्रों की जांच की बात कही थी और हाल ही में पांच राज्यों के चुनावों के समय हमारी शिकायत पर

प्रत्याशियों के शपथ पत्रों में घोषित सम्पत्तियों की जांच/सत्यापन से आम मतदाताओं को अवगत करवाने हेतु पत्र

समक्ष

माननीय प्रधान न्यायाधीश,
सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया,
नयी दिल्ली - 110001.

विषय : मतदाता जागरण हेतु 17th लोकसभा चुनाव में मतदान से पूर्व भारत निर्वाचन आयोग को उचित दिशा निर्देश जारी किये जाने हेतु, (पत्र द्वारा प्रेषित) जनहित याचिका सन्दर्भ 16th लोकसभा चुनाव एवं वर्ष 2014 उपरांत विभिन्न विधान सभा एवं लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के शपथ पत्रों में घोषित सम्पत्तियों की जांच/सत्यापन से आम मतदाताओं को अवगत करवाने हेतु

महोदय,

मौलिक भारत एक गैर-राजनीतिक संगठन है एवं इसके सदस्य नीरज सक्सैना (एडवोकेट), संजीव गुप्ता (इंजीनियर), अनुज अग्रवाल, जगदीश सिंह चौहान (एडवोकेट), विक्रम चौधरी, घनश्याम लाल शर्मा, एवं तिलक राम पांडेय भारतवर्ष में चुनाव सुधार, सुशासन, पारदर्शिता एवं भारत वर्ष के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों की जनता के प्रति जवाबदेही के लिए कार्यरत हैं। पूर्व में भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32के अंतर्गत याचिगण द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका W.P.(C) 377/2013 Neeraj Saxena & Anr. Versus Election Commission of India दाखिल की गयी थी।

चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं भारतवर्ष के आम मतदाता को जागरूक बनाने के दृष्टिकोण से याचिगण/प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 27.02.2018 को भारत निर्वाचन आयोग, नयी दिल्ली के समक्ष सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था। प्रार्थना पत्र के माध्यम से 10 प्रश्न बिन्दुओं पर विभिन्न विधान सभा एवं लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्रों में घोषित सम्पत्तियों की आयकर अन्वेषण विभाग द्वारा की गयी जांच/सत्यापन की रिपोर्टों के निरीक्षण एवं सत्यापित दस्तावेजों की मांग की गयी थी । जांच उपरांत चिन्हित उल्लंघन करने वाले/दोषी प्रत्याशी, यदि पाए गए हों तो उनके विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यदि कोई दंडात्मक कार्यवाही अथवा किसी सक्षम न्यायालय में कोई वाद योजित किये जाने से सम्बन्धित विस्तृत सूचना मांगी थी।

चूंकि भारत निर्वाचन आयोग, नयी दिल्ली द्वारा (16th लोकसभा आम चुनाव) के लिए दिनांक 05.3.2014 को आदर्श आचार संहिता लागू किये जाने के पश्चात आयोग के सचिव श्री S.K. Rudola ने पत्रांक 76/Instructions/2014/EEPS/Vol.I दिनांक 07.3.2014 के (Para 4g.) के अंतर्गत (Directorate General of Income Tax) Investigations आयकर अन्वेषण विभाग को आदेश किया था कि लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के शपथ पत्रों को विभिन्न राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट से डाउनलोड कर उनके द्वारा घोषित Assets एवं Liabilities का सत्यापन कर अपनी जांच रिपोर्ट चुनाव तिथि से 6 माह के भीतर निर्वाचन आयोग को सौंप दे।

लोकसभा आम चुनाव-2014 में विभिन्न संसदीय क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्रों में घोषित की गयी चल-अचल सम्पत्तियों की जांच केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) राजस्व मंत्रालय के पत्रांक 282/62/2013-IT (Inv. V) दिनांक 23.10.2013 के अनुसार चुनाव आयोग एवं CBDT के मध्य दिनांक 03.06.2013 एवं दिनांक 19.06.2013 को सम्पन्न हुई मीटिंग में स्वीकृत किये गए निम्न श्रेणीबद्ध मापदंडों के आधार

लिखित रूप से हमे सूचित किया था कि आयोग में पांचों राज्यों (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा,मणिपुर) के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों की चल-अचल संपत्ति की जांच 30 सितंबर 2017 तक पूरी कर रिपोर्ट देने के आदेश दे दिए थे। किंतू इस जांच के क्या परिणाम निकले व किस किस माननीय के खिलाफ जांच हुई व कानूनी कार्यवाही की गयी, यह आज तक सीबीडीटी/आयकर विभाग या चुनाव आयोग ने नहीं बताया। मौलिक भारत ने इस संबंध में चुनाव आयोग से सूचना के अधिकार के अंतर्गत यह सूचना भी मांगी मगर आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। अंततः मौलिक भारत अपने सदस्यों नीरज सक्सेना व संजीव गुप्ता के माध्यम से केंद्रीय सूचना आयोग में भी गया किंतू उसने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। सच्चाई यह है कि अगर गहराई से जांच की जाए तो 80 प्रतिशत शपथ पत्रों में गड़बड़ी मिलेंगी। उच्चतम न्यायालय ने मात्र संपत्ति की सूचना देने हेतू कानूनी प्रावधान व जांच के लिए त्वरित न्यायालय बनाने के निर्देश दिए हैं लेकिन आपराधिक मुकदमों के नहीं, ऐसा क्यों? मौलिक भारत की जांच समिति ने पाया है कि अक्सर कई मुकदमों की, चल अचल संपत्ति की सूचना तो छुपाई ही जाती है, साथ ही अधूरा पता, फर्जी तरीके से जाति, आयु प्रमाणपत्र और वोट बनवाने के खेल भी खेले जाते हैं। ये सब जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार गैरकानूनी है और इसमें दोषी पाए जाने पर न केवल चुनाव रद्द हो जाता है वरन जेल भी होती है। साथ ही 5 से 7 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लग जाता है।

ऐसे में मौलिक भारत, भारत सरकार व चुनाव आयोग से मांग करता है कि

1) एक स्थायी जांच एजेंसी बनाई जाए जो पंचायत से लेकर राष्ट्रपति तक किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने वालों के शपथपत्र की समग्र जांच करने के लिए अधिकृत हो। यह जांच एजेंसी अपने निष्कर्षों के अनुरूप जिलेवार त्वरित अदालतों को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपे और फिर उन पर अदालतें उचित कार्यवाही करें।

2) कोई भी भारत का नागरिक जो किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने को इच्छुक हो, वह चुनाव विशेष से छः माह पूर्व ही अपना शपथ पत्र चुनाव कार्यालय में जमा कराए और चुनाव कार्यालय 90 दिनों में जांच कर उसे सार्वजनिक करे ताकि जनता के पास स्वच्छ और निष्पक्ष चरित्र के जनप्रतिनिधियों को चुनना संभव हो सके।

3. सीबीडीटी द्वारा पहले की गई जांच व उस पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।

4. चूंकि वर्तमान लोकसभा चुनावों की घोषणा शीघ्र होने जा रही है ऐसे में आपातकालीन व्यवस्था करते हुए इसमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के शपथपत्र अतिशीघ्र लेकर व सीबीडीटी द्वारा जांच करवाकर चुनावों से पूर्व ही सार्वजनिक किए जाएं ताकि जनता व मतदाता को सही उम्मीदवार के चयन में सुविधा हो जाए।

पर की गयी थी।

(श्रेणी-A) = विशिष्ट मामले जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अग्रसारित किया जाये।

(Category -A) : Specific Cases forwarded by Election Commission of India).

(श्रेणी -B) : वे मामले जिनमे प्रत्याशी द्वारा वर्तमान चुनाव में दिए गए शपथ पत्र की पिछले चुनाव में दिए गए शपथ पत्र से तुलना किये जाने पर यदि चल अचल संपत्ति में बेतहाशा (अप्रत्याशित) वृद्धि नज़र आती है।

(Category - B) :Cases witnessing phenomenal growth when the current affidavit is compared to that filed during the previous elections, if any).

(श्रेणी-C) : वे मामले जिनमें चुनावों में विजयी होने वाले सभी प्रत्याशियों के चुनावी शपथ पत्र में घोषित चल-अचल संपत्ति की सत्यता उनकी आयकर विवरणी से मिलान करके पता लगाई जाये (यदि उनके द्वारा आयकर विवरणी दाखिल की जाती है)।

(Category – C : Cases of winning Candidates and the veracity of the affidavits compared to the returns of income, if any filed by them.)

(श्रेणी-D) = वे मामले जहां पर आयकर स्थाई खाता संख्या (PAN) नहीं दिया गया है किन्तु चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी द्वारा चल-अचल संपत्ति 5 करोड़ से अधिक घोषित की गयी है।

(Category-D) : Instances where there was no PAN but movable/immovable asset disclosed were in excess of Rs. 5 Crore).

(श्रेणी-E) : वे मामले जहां पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के वर्तमान चुनाव में भरे गए शपथ पत्र में दर्शायी गयी अचल संपत्ति में पिछले चुनाव में भरे गए शपथ पत्र में दर्शायी गयी अचल संपत्ति की तुलना में 2 करोड़ रूपये से अधिक की बढ़ोत्तरी हुई हो और आयकर विभाग को यदि जांच के दौरान प्रत्याशी द्वारा छुपाई गयी संपत्ति का पता लगे अथवा आयकर विभाग द्वारा छुपाई गयी संपत्ति आंकलन की गयी हो।

(Category-E) : Cases where addition of new immovable assets above a threshold say Rs. 2 crore vis-a-vis last affidavit, if any, was witnessed.

प्रार्थीगण/याचिगण के सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 27.02.2018 के प्रश्न बिंदु संख्या 10 के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग के जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण को सूचना प्रदान न करने के दृष्टिकोण से आयोग द्वारा स्वघोषित ढाल (Self Proclaimed Shield/Protection) का दावा किया गया है कि निर्वाचन आयोग को CBDT/DGIT से प्राप्त सभी सूचनाएं/जांच रिपोर्ट जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 24 एवं धारा 8(1)(h), 8(1)(g) के अंतर्गत सूचना प्रकटन से छूट प्राप्त है।

याचिगण/प्रार्थीगण द्वारा माननीय केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष दिनांक 14.9.2018 को दाखिल द्वितीय अपील डायरी संख्या 631444/2018 के (पृष्ठ 10 पैरा 4) में याचीगण द्वारा अपील की गयी थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Resurgence India verses Union of India and Anr. [W.P. (CIVIL) No. 121 of 2018] पैरा 27 के उप पैरा (i) में दिए गए दिशानिर्देश (Direction) के प्रकाश में माननीय केंद्रीय सूचना आयोग उचित आदेश पारित कर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सृजित/दावा की जा रही (स्वघोषित ढाल) (Self Proclaimed Shield/Protection) को असंवैधानिक घोषित किया जाये, एवं जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत (a)प्रार्थना पत्र के प्रश्न बिंदु संख्या 10 से सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचनाएं, (b) भारत निर्वाचन आयोग एवं CBDT/DGIT के मध्य विभिन्न निर्वाचनों में प्रत्याशियों द्वारा दाखिल किये गए शपथ पत्रों के जांच/सत्यापन से सम्बंधित सभी पत्रव्यवहार, (c) CBDT/DGIT द्वारा निर्वाचन आयोग को प्रेषित (प्रत्याशियों के खिलाफ आयकर अधिनियम में की गयी दंडात्मक कार्यवाही) की सभी जांच रिपोर्टों को भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.nic.in पर भी अपलोड किया जाये। जिससे मतदाता जागरूक हो सके और अपने मत का उचित प्रत्याशी को चुनने में प्रयोग कर सके और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झूठे शपथ पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ जन प्रतिनिधि अधिनियम-1951 की धारा 125A के अंतर्गत कोई दंडात्मक कार्यवाही/मुकदमा दर्ज न करवाए जाने की स्थिति में आम नागरिक/मतदाता/गैर-राजनैतिक संगठनों के कार्यकर्ता सक्षम न्यायालय में मुकदमा दर्ज़ करवा सके।

मुख्य सूचना आयुक्त श्री सुधीर भार्गव के समक्ष दिनांक 11.02.2019 को द्वितीय अपील संख्या CIC/ECOMM/A/2018/63144 में सुनवाई के दौरान याचीगण द्वारा अपील की गयी थी कि मतदाता हित में उचित आदेश पारित कर केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को निर्देशित किया जाये कि आयकर महानिदेशालय (अन्वेषण) से प्राप्त जांच रिपोर्टों को भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाये।

द्वितीय अपील संख्या CIC/ECOMM/A/2018/63144 में सुनवाई उपरांत दिनांक 12.02.2019 को माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, नयी दिल्ली द्वारा पारित किये गए आदेश के पैरा संख्या 9 में व्यवस्था दी है अत: आयकर महानिदेशालय (अन्वेषण) से सम्बन्धित ऐसी कोई जांच रिपोर्ट यदि भारत निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध भी है, उसे प्रदान नहीं किया जा सकता है। अत: प्रस्तुत मामले में आयोग के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

इस पत्र याचना से सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेज़ एवं न्यायशुल्क एवं शपथ पत्र याचीगण/प्रार्थीगण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करने को तैयार हैं।

प्रार्थना/याचना

अत: याचीगण/प्रार्थीगण माननीय सर्वोच्च न्यायालय से याचना करते हैं कि WRIT PETITION (C) No. 536 OF 2011 Public Interest Foundation & Ors. Versus Union of India & Anr. में दिनांक 25.9.2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिशानिर्देश के प्रकाश में मतदाता के सूचित होने के अधिकार 'A voter is entitled to have an informed choice' को मद्देनजर रखते हुए एवं मतदाता जागरण हित में उचित रिट, आदेश अथवा दिशा निर्देश जारी कर भारत निर्वाचन आयोग को निर्देशित किया जाये कि निर्वाचन आयोग को आयकर महानिदेशालय (अन्वेषण) से प्राप्त चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संपत्तियों की सभी सत्यापन/जांच रिपोर्टों को भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in पर अपलोड किया जाये।

सदस्य : मौलिक भारत संगठन

मौलिक भारत व मिशन वन्देमातरम के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में 'राष्ट्र के लिए मतदान' अभियान का शुभारंभ किया गया। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है - देश की संसद व विधानमण्डलों में वे लोग ही चुनकर आए जो निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर 'राष्ट्र प्रथम' के भाव से काम कर सकते हैं।

अमित त्यागी को मिला स्वराज रक्षक सम्मान 2019

अनुज अग्रवाल एवं मौलिक भारत की टीम रख रही देश मे राष्ट्रवाद की आधारशिला

मौलिक भारत के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के. विकास गुप्ता जी को अध्यक्ष 'उप्र कृषि अनुसंधान परिषद्' (समकक्ष केबिनेट मंत्री) बनाये जाने पर मा. योगी आदित्य नाथ जी मुख्यमंत्री उप्र का हार्दिक धन्यवाद।

देश प्रथम व 100 प्रतिशत मतदान - मौलिक भारत

हाल ही में कांग्रेस व अन्य सेकुलर दलों से जुड़े 600 बुद्धिजीवियों ने मोदी सरकार को देश की एकता व साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा बताया था। उन लोगों को देवबन्द की रैली में मुसलमानों से एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ मतदान करने के आह्वान में कुछ भी साम्प्रदायिक नज़र नहीं आता और न ही अमेठी में हार के डर से घबराए राहुल गांधी के मुस्लिम व ईसाई बहुल सीट वायनाड से चुनाव लड़ने में कुछ आपत्तिजनक लगता है। इंदिरा जी की मौत के बाद दिल्ली व अन्य शहरों में सिखों का नरसंहार, कश्मीर घाटी से हिंदुओं का पलायन, गोधरा में हिन्दू कारसेवकों को जिंदा जलाने व कैराना से

हिंदुओं के पलायन पर यह लोग गूंगे क्यों हो जाते हैं? न तो इन लोगों का कोई ईमान-धर्म दिखता है और न ही इनके सेकुलर नेताओं का। आजकल यह चुटकला आम हो चला है कि कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी वायनाड में यह न कह दे कि राहुल गांधी सुन्नी गोत्र के ईसाई ब्राह्मण हैं। हिंदुओ को जाति में बांटकर लड़ाने वाले और अल्पसंख्यकों को डराने वाले इस गैंग को देश की जनता द्वारा आगामी लोकसभा चुनावों में उत्तर दिया जाना जरूरी है। देश सर्वोपरि, देश प्रथम यही भाव और 100 प्रतिशत मतदान, यही है इस गैंग को सही उत्तर।

माननीयों को पड़ेगा भारी चुनाव में खर्च, संपत्ति का ब्योरा हुआ तलब, आयकर ने भेजे नोटिस

माननीयों द्वारा चुनाव में किया गया खर्च अब उन्हें भारी पड़ने वाला है। आयकर विभाग ने इन्हें रडार पर ले लिया है। सात जिलों के 32 विधानसभा क्षेत्रों के 200 से ज्यादा प्रत्याशियों को अपनी आय व्यय व संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इसके लिए आयकर विभाग ने उन्हें नोटिस जारी किया है।

आयकर विभाग ने नोटिस में पूछा है कि 2017 में हुए चुनाव में दिए शपथ पत्र में उनकी घोषित चल व अचल संपत्ति 2012 की तुलना में इतनी कैसे बढ़ी? उन्होंने बढ़ी संपत्ति व आय की तुलना में वेल्थ टैक्स जमा किया या नहीं? उनके परिवार के नाम दर्ज संपत्ति का स्रोत क्या है? साथ ही उनकी कंपनियों में भागीदारी, जमीन में हिस्सेदारी व गहने खरीदने आदि जानकारी भी विभाग ने मांगी है। प्रत्याशियों की संख्या दो सौ से अधिक है।

कई विधायकों को दोबारा नोटिस

आयकर विभाग ने विधायकों को पूर्व में नोटिस जारी किया था, उनसे 2012-13 और 2017-18 के आयकर रिटर्न में क्या-क्या शामिल किया और क्या नहीं, इसकी जानकारी मांगी थी। कई विधायकों ने जवाब भेजे, लेकिन विभाग संतुष्ट नहीं हुआ। सभी को दोबारा नोटिस जारी किया है।

इन्हें भेजे गए नोटिस

विभाग की रेंज में आगरा के नौ, मथुरा के पांच, फीरोजाबाद के पांच, औरैया के तीन, झांसी के पांच, ललितपुर के दो व इटावा के तीन विधानसभा क्षेत्र हैं।

इसलिए हो रही कार्रवाई

विभाग यह कार्रवाई इसलिए कर रहा है क्योंकि ज्यादातर प्रत्याशियों ने अपने आयकर रिटर्न में विभाग को वह ब्यौरा दिया ही नहीं, जो चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र में बताया था।

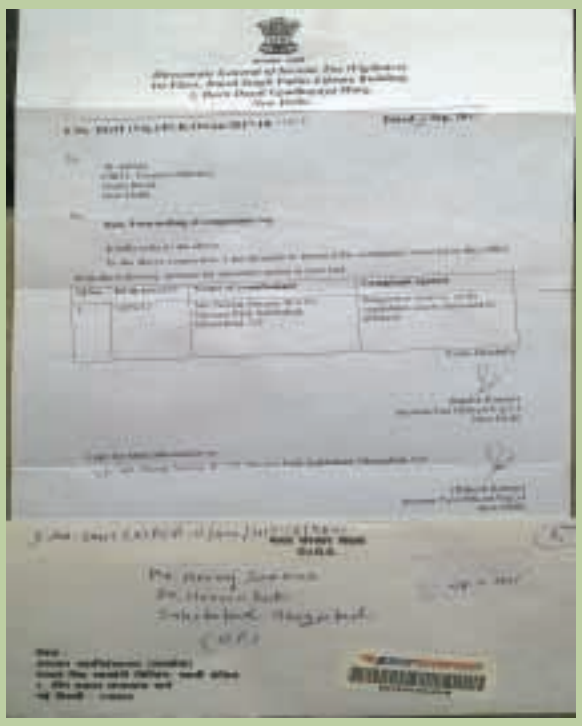

मौलिक भारत के चुनाव सुधार अभियान को मिली बड़ी सफलता। कई वर्षों से हमारे द्वारा की जा रही मांग के अनुरूप आयकर विभाग ने उठाए कदम। होगी माननीयों की संपत्ति की गहन जांच। वैसे बताते चले कि भारत मे इस लोकसभा चुनावों में सभी राजनीतिक दल व उम्मीदवार कुल जमा दो लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रहे हैं या करने जा रहे हैं।

Career Plus
EDUCATIONAL SOCIETY
आमंत्रण
कैरियर प्लस व आँचल न्यास
के संयुक्त तत्वावधान में
आँचल
विशेष योग प्रशिक्षण कार्यशाला
योगाचार्य : योगी शम्मी 'हरित' द्वारा (फ्रांस के विख्यात व सर्वश्रेष्ठ योग गुरु)
दिनांक : 25 अप्रैल, 2019, प्रातः 9 बजे से
आँचल न्यास, धंधारसी गाँव,
निकट जिन्दल नगर, हापुड़ रोड, गाजियाबाद
दिनांक : 26 अप्रैल, 2019, प्रातः 11 बजे से
कैरियर प्लस, 301/ 37-38-39 अंसल बिल्डिंग,
कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स, डी. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
सहयोगी संस्थाएं :
मीडिया सहयोगी :
डायलॉग इंडिया DIALOGUE INDIA
कार्यक्रम संयोजक : अनुज अग्रवाल, अध्यक्ष कैरियर प्लस, सम्पर्क : - 9891086463 5, 9811069629

यह कैसा न्याय मीलोर्ड, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी? - मौलिक भारत

प्रतिष्ठा में,
मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय
प्रधानमंत्री, भारत सरकार
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार

माननीय महोदय,

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर द्वारा 42000 लोगों को फ्लैट बनाकर देने के नाम पर हज़ारों करोड़ रूपयों की लूट पर जो निर्णय दिया है वह बहुत ही असंतोषजनक व आधा अधूरा है। मौलिक भारत इस संदर्भ में माननीय न्यायालय, भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार से यह पूछता है कि–

1) जब फोरेंसिक ऑडिट में नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, बैंकों, राजनेताओं व नौकरशाहो की बिल्डर माफिया से खुली सांठगांठ सामने आ गयी है व पूरी लूट के जिम्मेदार लोग भी चिन्हित हो चुके हैं तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही का आदेश क्यों नहीं दिया गया? औद्योगिक उपयोग की भूमि को आवासीय भूमि में बदलने की साजिश के अपराधियों पर न्यायायल क्यों चुप है? जो लाखों करोड़ रुपए यह माफिया लूट चुका है इसकी वसूली के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
2) बिना पर्याप्त ढांचागत सुविधाओं के ही और 32000 फ्लैट आम्रपाली बिल्डर को आबंटित जमीन पर एनबीसीसी द्वारा बनाकर हुए नुकसान की भरपाई का जो आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है उसका क्या आधार है? क्या इस क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण, सुगम यातायात, सड़क, जल, सीवर, बिजली आदि सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में वर्तमान सीमित ढांचे पर बिना अतिरिक्त दबाव डाले दे पाना संभव है? क्या पहले के सभी आबंटन सभी पहलुओं का ध्यान रखकर किए गए? इसकी कोई समीक्षा की गई? क्या एनबीसीसी इस जिम्मेदारी को लेने के लिए सक्षम व तैयार है?
3) माननीय न्यायायल ने इस क्षेत्र के 400 अन्य बिल्डर प्रोजेक्ट्स जिनमें लाखों अन्य खरीदार फंसे हुए हैं, के लिए आम्रपाली मामले जैसी गाइडलाइंस क्यों नहीं जारी की?
4) आम जनता से जुड़ी ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में गड़बड़ी करने वाले अपराधियों को मात्र आर्थिक अपराधी न मान देशद्रोही की श्रेणी में क्यों नहीं मान उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है? इतने वर्षों से लगातार लूट व अपराध करने के बाद भी जिस तरह ये अपराधी खुले आम घूम रहे हैं व विदेश भाग गए हैं और सरकार व न्यायायल खामोश है, यह चिंताजनक है।
5) देशभर के सभी बिल्डर प्रोजेक्ट्स में नेताओं व सरकारी अधिकारियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी की गहन जांच के लिए उच्चतम न्यायालय की निगरानी में एक विशेष जांच दल बनाया जाना चाहिए व इसके द्वारा चिन्हित लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए।

मौलिक भारत का माननीय न्यायालय, केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखकर विस्तृत दिशानिर्देश जारी करे व अपराधियों के खिलाफ अतिशीघ्र कड़ी कार्यवाही करे।

भवदीय
अनुज अग्रवाल
महासचिव, मौलिक भारत

उत्तर प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के मामलों में ढिलाई के संदर्भ में

प्रतिष्ठा में,
योगी आदित्यनाथ जी
माननीय मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

विषय : उत्तर प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के मामलों में ढिलाई के संदर्भ में

माननीय महोदय,

यहां संलग्न वह पत्र है जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2017 में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को नोएडा प्राधिकरण के खातों की ऑडिट करने के लिए लिखा था व इसके कुछ समय बाद ही ऑडिट की प्रक्रिया शुरू भी हो गयी थी। उल्लेखनीय है कि सन 2013 से 2017 के बीच मौलिक भारत लगातार यह खुलासा करता रहा कि नोएडा प्राधिकरण में सभी ठेकों, नियुक्तियों,आबंटन व भुगतान में बड़ी हेराफेरी, लूट व जालसाजी होती रही है इसलिए मायावती, मुलायम व अखिलेश सरकार के समय के सभी उपरोक्त कार्यों की सीबीआई जांच व खातों का ऑडिट करवाया जाए। स्वयं भाजपा ने सन 2012 में नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण के लाखों करोड़ रुपए के घोटालों की दस्तावेजों सहित खुलासा किया था। मौलिक भारत ने भी ऐसे ही दर्जनों घोटालों का समय समय पर पर्दाफाश किया। किंतु भाजपा की सरकार आने के ढाई वर्ष बाद भी इन सभी खुलासों पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई।

1. लंबे समय बाद आज भी नोएडा प्राधिकरण का सीएजी ऑडिट जारी है। कहने को इसका दायरा बढ़ गया है मगर अभी तक बड़ी हेराफेरी सामने आने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई? उल्टे पिछले महीने नोएडा प्राधिकरण में आग लगने से हज़ारों फाइलें जलकर खाक हो गईं और न जाने कितने घोटाले राख हो गए। प्रश्न यह है कि क्या सीएजी की जांच टीम दबाव व समझौते का शिकार हो गयी? यह विस्तृत जांच व तीव्रतम कार्यवाही का प्रश्न है।

2. ग्रुप हाउसिंग घोटाले के कारण तीनों प्राधिकरणों में सैकड़ों बिल्डरों द्वारा लाखों लोगो से फ्लैट आवंटन/खरीद के नाम पर अरबों रुपए की लूट की गई व आज भी अधिकांश आवंटी बिना मकान दर दर की ठोकर खा रहे हैं व प्रदेश सरकार तमाम बड़ी बड़ी बातों के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही है। बिल्डर, प्राधिकरणों के अधिकारियों, नौकरशाह व नेताओं के गठजोड़ के कारण आम जनता रोज मूर्ख बनाई जा रही है। सब जानते हैं कि अधिकांश प्रोजेक्ट्स नौकरशाह व नेताओं के हैं और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या इस गठजोड़ के खिलाफ आपकी सरकार कोई कड़ी कार्यवाही कर सकती है?

3. प्रदेश में व प्राधिकरणों में जिन नौकरशाहों, नेताओं, ठेकेदारों व अधिकारियों ने लूट मचाई व घोटाले किए उनके नाम व काम सबूतों के साथ सरकार, मीडिया व जनता सबको पता है मगर कुछ पर राजनीतिक या कुछ दिखावी कार्यवाही के अलावा कुछ नहीं हुआ। लगता है अंदरखाने समझौता हो गया है व अनेक घोटालेबाज आज भी सरकार में प्रमुख पदों पर हैं। ऐसा क्यों व किन मजबूरियों के तहत किया जा रहा है?

4. हाल ही में अखिलेश सरकार के समय के खनन घोटाले की जांच के सिलसिले में बुलंदशहर के डीएम के घर व अन्य अधिकारियों के घर पर सीबीआई ने छापा डाला व लाखों रुपए की नकदी बरामद की। यह साधारण बुद्धि वाले को भी समझ आ जायेगा कि छापे में प्राप्त रकम खनन घोटाले की कमाई नहीं है बल्कि जिलाधिकारी को रोजाना होने वाली रिश्वत की कमाई का हिस्सा है। ऐसी कमाई प्रदेश के काफी जिलाधिकारी करते होंगे। आवश्यकता सभी पर छापे मारने की है न कि मात्र एक दो पर कार्यवाही करने की। मगर सरकार मौन है। ऐसा क्यों?

5. जिला गौतम बुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश के सभी प्राधिकरण आज भी घोटाले व अराजकता का शिकार हैं। नोएडा का स्टेडियम तो उजाड़ पड़ा है मगर हर वर्ष इसमें अरबों रुपयों का खर्च पुनर्निर्माण के नाम पर दिखा कर लूट लिया जाता है। उस पर इस शहर में नगर निगम तक नहीं, जिस कारण हर स्तर पर भयंकर गड़बड़ी, लूट व अराजकता है। इसका कोई इलाज क्यों नहीं है आपकी सरकार के पास?

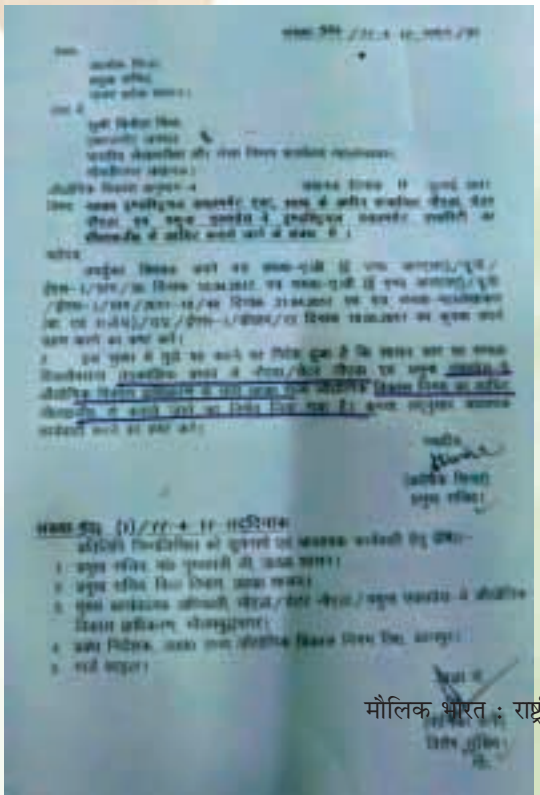

माननीय, आपसे अनुरोध है कि इन मुद्दों के निस्तारण की दिशा में ईमानदारी से कदम उठाएं ताकि प्रदेश की जनता राहत महसूस करे व प्रदेश विकास की मुख्यधारा में आ सके।

धन्यवाद।

भवदीय
अनुज अग्रवाल
महासचिव, मौलिक भारत

गौतमबुद्ध नगर में बिल्डरों की लूट
मौलिक भारत ने लिखे राष्ट्रपति को दो शिकायती पत्र

प्रतिष्ठा में,
आदरणीय रामनाथ कोविंद जी
महामहिम राष्ट्रपति महोदय
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय- नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस प्राधिकरणों में चल रही अनियमितताओं व अराजकता के संदर्भ में शिकायत व मांगपत्र

परम आदरणीय,
मौलिक भारत संस्था विगत 6 वर्षों से देश में सुशासन, पारदर्शिता को लाने व भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारी यादव सिंह सिंडिकेट व डीएनडी टोल पर चल रही लूट का खुलासा करने व यादव सिंह को जेल में डलवाने एवं डीएनडी ब्रिज को टोलमुक्त करवाने में संस्था की प्रमुख भूमिका रही। जिला गौतम बुद्ध नगर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे तीनों प्राधिकरणों में चलती रही अनियमितताओं, भ्रष्टाचार व लूट के विरुद्ध हमारी संस्था ने निरंतर संघर्ष किया व अनेक अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही भी करायी। सुशासन, पारदर्शिता व चुनाव सुधारों पर हमारी संस्था के प्रयास व विश्वसनीयता असंदिग्ध है।

माननीय महोदय, इन प्राधिकरणों में चल रही लूट के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने सन 2010 में बड़ी मुहिम चलाई थी व प्रदेश के लोकायुक्त को शिकायत दर्ज कराई थी। आज केंद्र व राज्य दोनों में भाजपा की ही सरकार है, ऐसे में अपेक्षित है कि इन प्राधिकरणों के घोटालों की विस्तृत जांच व दोषियों को सख्त सजा मिले। प्रदेश में निवेश के बेहतर वातावरण बनाने के लिए भी जरूरी है कि निवेशकों के हितों की प्राथमिकता के आधार पर रक्षा हो। स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दो वर्ष पूर्व घोषणा की थी कि अगले 100 दिनों में इस जिले में कम से कम एक लाख निवेशकों को उनके मकानों का आबंटन कर दिया जाएगा मगर आज दो वर्ष बाद भी ऐसा नहीं हुआ और कई लाख और निवेशक बड़ा पैसा खर्च करने के बाद भी मकान के लिए दर दर भटक रहे हैं।

इस पत्र में हम हाल ही में गौतम बुद्ध नगर में चल रहे आम्रपाली बिल्डर के प्रोजेक्ट्स के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में कुछ सुझाव आपके माध्यम से भारत सरकार को देना चाहते हैं। संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति व व्यापक जनहित में इन सुझावों पर गहराई से विचार व त्वरित कार्यवाही अतिआवश्यक है। यह एक सही दिशा में लिया गया निर्णय है यद्यपि हमारे विश्लेषण के अनुसार जनहित में इस निर्णय में और सुधार की आवश्यकता है।

विगत 23 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने तीन दर्जन से अधिक याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों को संबोधित करते हुए सरकार के स्वामित्व वाली नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी (एनबीसीसी) को नोएडा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आम्रपाली ग्रुप से 42,000 अधूरे घर लेने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्देश के बाद इससे संबंधित कई प्रासंगिक सवाल सामने आए।

क्या एनबीसीसी के पास इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक धन है? विचार करने योग्य सवाल है कि एनबीसीसी कितनी परियोजनाओं को और कैसे पूरा करेगी। 31 मार्च, 2019 तक एनबीसीसी के पास 1,384 करोड़ रुपये रिजर्व और बचत थे, जबकि मौजूदा देनदारी 6,637 करोड़ रुपये थी। आम्रपाली समूह की अधूरी इकाइयों को पूरा करने की लागत 7,700 करोड़ रुपये से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पर कतार में इंसाफ के लिए वे लोग भी खड़े हैं, जिन्होंने जेपी और यूनिटेक की करीब 85,000 रुकी हुई परियोजनाओं में निवेश किया है।

सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पर लगी कतार उस बीमारी का संकेत है, जिसने घर खरीदने वालों को अधर में छोड़ दिया है और अर्थव्यवस्था को डुबो दिया है। रियल्टी सलाहकार कंपनी एनारॉक का अनुमान है कि 1.77 लाख करोड़ रुपये की कीमत वाले 1.74 लाख घरों के साथ 220 परियोजनाएं केवल सात शहरों में पूरी तरह से ठप हैं। यह अपने आप में परिदृश्य की गंभीरता बताता है। जेएलएल इंडिया नामक परामर्शी कंपनी के अनुसार, 1.5 लाख करोड़ रुपये कीमत की लगभग 2.2 लाख इकाइयां वर्ष 2011 से ठप हैं और यह संकट सबसे अधिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे क्षेत्रों में दिखाई देता है। यह परिदृश्य आर्थिक और व्यवस्थागत जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें खरीदार बिना संपत्ति के हैं और बिल्डर अधूरी परियोजनाओं के साथ।

कर्ज और उसे चुकाने में विफलता रियल्टी सेक्टर और बैंकों को गर्त में ले जा रही है। बैंकों का निवेश करीब 1.8 लाख करोड़ रुपये है और एनबीएफसी (गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान) का यह आंकड़ा 1.7 लाख करोड़ रुपये का है। कुल मिलाकर 3.5 लाख करोड़ रुपये का सार्वजनिक धन एक ऐसे क्षेत्र में लगा है, जो संकट में है और मंदी की तरफ बढ़ रहा है।

इस संदर्भ में हमारे निम्न सुझाव हैं

1) तीनों प्राधिकरणों के सैकड़ों हाउसिंग व कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स में लाखों लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार की विश्वसनीयता के आधार पर ही सरकार द्वारा सूचीबद्ध बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स में निवेश किया था। ऐसे में अगर बिल्डर पैसा लेकर भागे या समय पर फ्लैट आदि नहीं दे रहे हैं तो इसमें सीधा सीधा दोष उत्तर प्रदेश सरकार का है जिसके मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश पर तीनों प्राधिकरण बिल्डरों को निर्धारित शर्तों को बदलकर व मास्टर प्लान के विरुद्ध प्लाट आबंटित कर रहे थे। ऐसे में तत्कालीन मुख्यमंत्री,अधिकारियों व बिल्डरों से हुए नुकसान की वसूली कर अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे करवाए जाएं न कि निवेशकों को शेष राशि उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करवाने के लिए कहा जाए। अगर वसूली में देरी हो रही हो तो आवश्यक रकम उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध

करवाए व निवेशकों से प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद उसको हुए नुकसान की रकम कम कर शेष राशि ही वसूली जाए।

2) सन 2001 से लेकर अब तक तीनों प्राधिकरणों के सभी प्रकार के निर्णयों पर उत्तर प्रदेश सरकार को श्वेत पत्र जारी करने के निर्देश दिए जाएं व हुई कुल गड़बड़ियों को चिन्हित कर सभी दोषियों के विरुद्ध अति शीघ्र सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए।

माननीय महोदय, दिल्ली से सटे इस जिले गौतमबुद्ध नगर में तीव्र औद्योगिक विकास व रोजगार के सृजन हेतू उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रमशः नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरणों की स्थापना पिछले चार दशकों में की, यद्यपि यह कार्य एक ही प्राधिकरण कर सकता था। इन नव विकसित शहरों में कोई नगर पालिका या निगम भी नहीं बनाया गया व इनको संचालित करने वाली नौकरशाही को विशेषाधिकार दिए गए ताकि इस क्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास हो सके। किंतु पिछले एक दशक में जिस प्रकार से इन तीनों प्राधिकरणों के खिलाफ जनता की शिकायतें आयी हैं उनसे यह स्पष्ट हो चुका है कि ये तीनों ही प्राधिकरण अपनी स्थापना के मूल उद्देश्यों से पूरी तरह भटक चुके हैं व राजनेताओं, नौकरशाहों, बिल्डर सिंडिकेट के अतिशय घोटालों, लूट व अराजकता का शिकार हो गए हैं। इन प्राधिकरणों द्वारा किए गए आबंटन के बाद आबंटी द्वारा समय से भुगतान व प्रोजेक्ट का निर्माण, शर्तों के पालन की जांच व सख्त कार्यवाही जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। सभी अधिकारी व कर्मचारी लूट में हिस्से को ज्यादा आतुर रहे व अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे। ऐसे में क्यों न इनको भंग कर नगर निगमों में बदल दिया जाना चाहिए व इन तीनों प्राधिकरणों की लूट की जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल से करायी जाए?

अपनी इस मांग के समर्थन में हम निम्न तथ्य व साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं -

- तीनों ही प्राधिकरण अपने मूल उद्देश्य यानि 'औद्योगिक विकास' व 'तीव्र रोजगार सृजन' में आंशिक रूप से भी सफल नहीं हो पाए हैं व बिल्डर माफिया के साथ मिलकर इन्होंने औद्योगिक विकास के लिए चिन्हित ग्रामीणों व किसानों की जमीनों को 'आपातकालीन धाराएं' लगा कर बहुत सस्ते में अधिग्रहित किया व ऊंची दरों पर 'आवासीय इकाइयों' के निर्माण के लिए आबंटित कर दिया। आबंटी बिल्डर इसे कई गुना दाम पर आगे बेच देते हैं। ऐसे में जमीन का मूल मालिक किसान स्वयं को ठगा सा महसूस करता है। जन औद्योगिक प्लाट्स का आबंटन भी पिछले 15 वर्षों में किया गया है। उन आबंटियो की उद्योगपति के रूप में पहचान संदिग्ध ही है व उन्होंने आबंटन के लिए फर्जी दस्तावेजों, किराए की मशीनों व प्लांट व कच्चे निर्माण की संरचना दिखलाई। आईटी पार्कों को भी बहुत बड़े बड़े प्लाट्स का आबंटन निर्धारित मापदंडों को दरकिनार कर किया गया व अधिकांश आबंटी बिल्डर माफिया ही हैं व आबंटियों को जिस प्रकार घर व ऑफिस दोनों बनाने की छूट दे गयी व मनमाना एफएआर बढ़ाया गया वह एक महाघोटाले की कहानी कह रहा है। इन आबंटनों की प्रक्रिया में पूरी तरह धांधली की गई व निविदा प्रक्रिया को फिक्स कर मनचाहे व्यक्ति या संस्था को प्लाट आबंटित किए गए। इन सभी आबंटनों में प्लाट की कीमत तक कमीशन लिया गया व राजनेताओं को 10 से 20 प्रतिशत तक हिस्सेदारी दी गयी।
- उद्योग लगाने के लिए प्लाट आबंटन की दरें बहुत अधिक रखी जाती रहीं व आबंटित प्लाट की कीमत के आसपास कमीशन भी लिया जाता रहा। आबंटन की प्रक्रिया में भी घोर अनियमितताएं रहती आई है। ऐसे में महंगी जमीनों के कारण उत्पादन लागत बढ़ गई व अधिकांश उद्योग बाज़ार की प्रतिस्पर्धा में पिछड़कर बंद होते गए। औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाओं का अभाव, खराब आधरभूत संरचना, बिजली,पानी, सीवर, सड़कों, ट्रांसपोर्ट आदि की खराब हालत, इंस्पेक्टर राज, ऊंची कर दरे व राजनीतिक हस्तक्षेप ने स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ दिया।
- आबंटित आवासीय भूखंडों में भी व्यापक मनमानी की गई। पूरी प्रक्रिया मुख्यमंत्री कार्यालय से नियंत्रित रहती आई है व शासनादेशों से संचालित रही है। आबंटन की निर्धारित प्रक्रिया का कभी पालन नहीं हुआ व पूरी तरह मनमानी की गई जिससे सरकार को व्यापक राजस्व की हानि हुई। बिल्डरों का ग्रुप हाउसिंग के लिए आबंटित प्लॉट्स मूलतः औद्योगिक इकाइयों के लिए निर्धारित थे। बड़ी मात्रा में प्लाट की कीमत का मात्र 10 प्रतिशत धनराशि लेकर ही आबंटन कर दिया गया। बिना अतिरिक्त कीमत लिए व ढांचागत सुविधाओं के विकास के एफएआर कई गुना तक बढ़ा दिया गया। तीनों ही प्राधिकरणों में एक ही प्रकार से घोटाले अंजाम दिए जाते रहे, टेंडर की घोषणा की जाती, बोली फिक्स कर दी जाती, खाली प्रतिस्पर्धा न हो इसलिए टेंडर फार्म की उपलब्धता ही नहीं करवाई जाती रही, जिस बिल्डर के साथ लेनदेन की सेटिंग हो जाती उसकी सुविधा के अनुरूप नियमों में फेरबदल किया जाता रहा। एक लाख रुपए की चुकता पूंजी वाले बिल्डर को 20-25 एकड़ जमीन आबंटित कर दी जाती व ऐसे सैकड़ों आबंटन किए गए। लागत के मात्र 10 प्रतिशत ही देने के बाद आबंटित प्लाट पर बिल्डर बड़ी लूट शुरू कर देता व कई बैंकों से लोन लिए जाते, प्रोजेक्ट लांच, प्री लांच व अन्य तरीकों से मकान के इच्छुक लोगों से बड़ी मात्रा में निवेश कराकर अन्य प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया गया व कई जगह से बड़ी मात्रा में धन बटोरकर अन्य व्यापार, उद्योग व विदेशों में हवाला या अन्य तरीकों से डाइवर्ट कर दिया गया, निवेशक को फ्लैट या मकान का आबंटन नहीं किया गया।
- सभी ठेकों, आबंटनों, भुगतान, निर्माण आदि में अनियमितता, घोर भ्रष्टाचार, लूट, अपारदर्शी प्रक्रिया व अपार राजस्व की हानि होती रही है। निविदा व आबंटन की प्रक्रिया में इतनी धांधली रही कि माननीय उच्चतम न्यायायल ने जिस 'नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन' को अब अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे करने की जिम्मेदारी दी है वह भी कभी इन प्राधिकरणों से ग्रुप हाउसिंग योजना का एक भी निविदा फार्म तक नहीं ले पाया। नोएडा स्पोर्ट्स सिटी, फार्म हाउस, सिटी सेंटर, ग्रेट इंडिया पैलेस, जेपी स्पोर्ट्स क्लब, फार्मूला वन कॉम्प्लेक्स, यमुना एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के आबंटन व्यापक धांधली की यही कहानी कहते हैं, जिनमें पूरी तरह नियमों की अवहेलना हुई व जनता के हित के नाम पर चंद लोगों ने बड़ी लूट की।
- एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के स्पष्ट निर्देश कि 'हर हालात में कुल

सेवा में,
महामहिम राष्ट्रपति जी
राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल्स
नई दिल्ली-110 001

दिनांक: 20/8/2019

विषय: आम्रपाली के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय : उद्देश्यों से भटकाव

आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी
सादर नमस्कार
देश में रीयल इस्टेट क्षेत्र इस समय अत्यधिक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप मकानों के लाखों निरपराध खरीददारों को फ्लैटों पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 23 जुलाई, 2019 को एक ऐतिहासिक एवं युगान्तरकारी निर्णय दिया है। यह निर्णय बिक्रम चटर्जी व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में आया है, जिसके माध्यम से उन 42,000 मकान खरीददारों की समस्या को हल किया गया है, जिन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सक्रिय आम्रपाली समूह के करीब 20 प्रोजेक्टस में पैसे का निवेश किया था।

अत्यंत आदर व सम्मान के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय से असहमति व्यक्त करते हुए हम निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।

- देश में माननीय उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायिक ज्ञान का भंडार है और न्यायालय कक्ष से निकला प्रत्येक शब्द सभी के लिए एक ऐसा पवित्र आदेश है जिसका पालन करना ही है। वर्तमान निर्णय में माननीय न्यायाधीशों ने बहुत ही स्पष्ट ढंग से अपनी राय व्यक्त की है जिसमें कहा गया है कि-

(अ) जिस मकान के लिए मकान खरीददार ने पैसे का निवेश किया है उस मकान को प्राप्त करने का अधिकार नोएडा, जीएनआईडीए, वाईईआईडीए जैसी वित्तीय एवं विकास संस्थाओं से भी पहले खरीददार का है।

(ब) जो पैसा वित्तीय व विकास संस्थाओं की निगरानी में दूसरी गतिविधियों में लगाया गया है अथवा जिस पैसे में बेईमानी हुई है, चूंकि वह पैसा मुख्य रूप से मकान खरीददारों का है, इसलिए वित्तीय एवं विकास संस्थाओं की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे मकान खरीददारों को फ्लैटों की डिलीवरी सुनिश्चित करें। इसलिए वित्तीय एवं विकास संस्थाओं से पहले मकान खरीददारों का अधिकार बनता है।

(स) सभी मकान खरीददारों को गुणवत्तायुक्त फ्लैटों की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने एनबीसीसी को 'प्रोजेक्ट कंसल्टैंट' नियुक्त किया है, जिसे प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाली राशि से कुछ भुगतान किया जाएगा।

(द) आम्रपाली समूह की 'लीज डीड' रद्द कर जमीन नोएडा, जीएनआईडीए, वाईईआईडीए सहित उन संस्थाओं को वापस नहीं की गयी है जिन्होंने एक दशक पहले जमीन आम्रपाली को आबंटित की थी। इन संस्थाओं ने हमेशा स्वयं जमीन का असली मालिक होने का दावा किया है (क्योंकि इन्होंने जमीन लीज पर दी थी) और पिछले एक दशक में इन्होंने आम्रपाली से 'प्रीमियम' और 'लीज रेंट' के रूप में काफी पैसा वसूल भी लिया है जो मुख्य रूप से मकान खरीददारों का ही पैसा है। आम्रपाली ने यह पैसा भोले-भाले किसानों से जमीन हथियाने के लिए खर्च किया।

(क) वित्तीय संस्थाओं ने भी पिछले एक दशक में करीब-करीब उतनी ही राशि ब्याज के रूप में आम्रपाली समूह से वसूल ली है जो इन्होंने आम्रपाली समूह को मूलधन के रूप में उधार दी थी।

(ख) मकान खरीददार पहले ही फ्लैट की करीब 60 प्रतिशत राशि गृह ऋण के माध्यम से भुगतान कर चुके हैं। इस समय वे दोहरा नुकसान झेल रहे हैं। एक तरफ वे हर महीने अपने मकान का किराया भरते हैं और दूसरी तरफ हर महीने गृह ऋण की किश्तें चुका रहे हैं। उन्हें अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि वे अब फ्लैट की शेष राशि माननीय न्यायालय की निगरानी में गठित 'एस्क्रौ अकाउंट' में जमा करें।

- माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस फैसले में जिस वाणिज्यिक सूझ-बूझ का परिचय दिया है हम उससे सहमत नहीं हैं। यह निर्णय अव्यावहारिक, अपूर्ण, अनिर्णीत एवं असंगत है। यह न तो निर्दोष गृह क्रेताओं को मकान दिलाता प्रतीत होता है और न ही भविष्य में जालसाजी की ऐसी किसी अन्य घटना को रोकने में कामयाब होता दिखायी देता है। इस संबंध में हमारी दलीलें इस प्रकार हैं-

(क) इस बात को समझना चाहिए कि गृह क्रेताओं को अपने निवेश पर एक भी पैसा अभी तक वापस नहीं मिला है जबकि दो अन्य प्रभावित पार्टियों यानि विकास एजेंसियों तथा बैंकों को कम से कम उनके निवेश की मूल राशि वापस मिल चुकी है। इसके बावजूद गृह क्रेताओं को ही मकानों की शेष राशि 'एस्क्रौ अकाउंट' में जमा करने का आदेश दिया गया है। विकास संस्थाओं तथा बैंकों के निकम्मेपन के कारण पहले निरीह गृह क्रेताओं को लूटा गया और अब उन्हें दंडित किया जा रहा है। यह किसी भी प्रकार से औचित्यपूर्ण नहीं है।

(ख) गृह ऋण की किश्तों और मकान के किराये के बोझ तले दबे गृह क्रेता खुद को लुटा हुआ महसूस करते हुए आठ साल से मकान की उम्मीद में इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं। बिल्डर से मकान मिलने की वे उम्मीद खो चुके हैं। जरूरत उनकी उम्मीद को फिर से कायम करने की है। इस भरोसे को कायम करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को खरीददारों पर अधिक भरोसा करना चाहिए। इसलिए फ्लैटों का निर्माण खरीददारों से और राशि लिये बगैर प्रारंभ होना चाहिए और खरीददारों से शेष राशि तभी ली जाए जब उन्हें तैयार मकान पर कब्जा मिल जाए। उससे पहले किसी भी हालत में शेष राशि न ली जाए। हमें लगता है कि माननीय न्यायालय से यहां चूक हुई है।

(ग) इसके विपरीत निर्माण कार्य को फिर से शुरू करने और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी विकास संस्थाओं तथा बैंकों पर होनी चाहिए। जिस प्रकार एनबीसीसी को तकनीकि निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है उसी प्रकार विकास संस्थाओं को आदेश दिया जाए कि वे इस प्रोजेक्ट को शुरू करने और उसे पूर्ण करने के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करें। इस निर्णय में 'बेसिक प्लान ऑफ रेज़ूलूशन' की कमी है। बिना धन की व्यवस्था किये महज एनबीसीसी को निर्देश देने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला। इस संबंध में एक व्यावहारिक और लागू किये जाने लायक व्यवस्था बनायी जाए ताकि पूरे प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके।

(घ) आम्रपाली समूह में 40 कंपनियां शामिल हैं जो मकान खरीददारों को मकान उपलब्ध कराने में असफल रही हैं। यही कंपनियां बैंकों का ऋण चुकता करने में असफल रही हैं और इन्होंने ही जमीन की एवज में भुगतान नहीं किया है। इसलिए आईबीसी कोड 2016 के तहत इसे समूह दिवालियेपन का मामला मानना चाहिए। इसके तहत माननीय उच्चतम न्यायालय तीनों विकास संस्थाओं यानि नोएडा, जीएनआईडीए तथा वाईईआईडीए को अपनी निगरानी में एक विशेषज्ञ इंप्लीमेंटेशन कमेटी गठित कर 'सोल रेज़ूलूशन एप्लीकेंट' माने।

(च) जिन तीन संस्थाओं पर मकान खरीददारों के हितों के संरक्षण की जिम्मेदारी थी उन्हें ही अब इस समस्या के समाधान हेतु एनबीसीसी के प्रतिनिधियों, वित्तीय संस्थानों, विकास संस्थाओं, गृह क्रेताओं, न्यायालय द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों, एमीकस क्यूरी तथा अन्य रीयल इस्टेट उद्योग के विशेषज्ञों को मिलाकर एक समाधान समिति बनानी चाहिए और उस योजना को मूर्त रूप देने के लिए वित्त का भी प्रबंध करना चाहिए।

(छ) समाधान समिति को ऐसी योजना तैयार करनी चाहिए जिससे सभी 40 कंपनियों के लंबित प्रोजेक्टस को पूरा करने के लिए लागू किया जा सके। इन सभी 40 कंपनियों की संपत्ति को 'रेज़लूशन इस्टेट' के तहत एकत्र किया जाए, उनके बोर्ड को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और सभी 40 कंपनियों का नियंत्रण समाधान समिति को सौंपा जाए।

(ज) जब तक विस्तृत और बारीकी से पूरी योजना तैयार नहीं होती तब तक व्यावहारिक समस्याओं, बाधाओं तथा प्रोजेक्टस को पूरा करने के लिए आवश्यक धन का आंकलन नहीं किया जा सकता। तभी वास्तव में प्रोजेक्टस को पूरा करने की समयावधि, विभिन्न स्टेकहोल्डर्स को मिलने वाली छूट अथवा कटौती आदि का पता चल सकेगा।

(झ) सभी 40 कंपनियों के कारण जो अव्यवस्था पैदा हुई है जब तक उन्हें लेकर एक प्रभावी योजना तैयार नहीं हो जाती तब तक माननीय न्यायालय के सभी निर्देश और निर्णय निष्प्रभावी सिद्ध होंगे।

(ट) इस प्रकार गठित होने वाली 'रेज़लूशन इस्टेट' को आईबीसी-2016 के प्रावधानों के तहत इस बात के लिए अधिकृत किया जाए कि वे 40 कंपनियों की पूरी संपत्ति को लिक्विडेट कर सके ताकि किसी भी स्टेकहोल्डर की तरफ से किसी प्रकार की परेशानी अथवा देरी न की जा सके। इस समस्त प्रक्रिया का उद्देश्य सभी प्रोजेक्टस को पूरा करने और खरीददारों को तैयार मकान सौंपना होना चाहिए।

हमारा मत है कि यदि उपरोक्त कदम उठाये जाते हैं तो इससे न केवल मकान खरीददारों का व्यवस्था पर से खोया विश्वास फिर बहाल होगा, बल्कि इस पूरी समस्या का एक व्यावहारिक समाधान भी हो सकेगा।

- अब हम इस निर्णय के आपराधिक पक्ष पर आते हैं। निर्दोष मकान खरीददारों के पैसे को जिस प्रकार दूसरी गतिविधियों में 'डायवर्ट' किया गया है (जिसका क्रॉसहोल्डिंग्स और स्वामित्व के कारण सही आंकलन अभी तक नहीं हो सका है) वह एक सुनियोजित और दिन दहाड़े किया गया वित्तीय अपराध है। इस अपराध में संलिप्त सभी दोषियों को कड़ा दंड दिया जाना चाहिए।

(अ) माननीय न्यायालय के इस निर्णय में सभी 40 कंपनियों के निदेशकों तथा ज्यादातर स्टेकहोल्डर्स को अपने पदों तथा स्वामित्व से तत्काल और स्पष्टतया वंचित कर दिया जाना चाहिए था। उनकी निजि संपत्तियों को भी जब्त कर 'रेज़लूशन इस्टेट' में समाहित कर देना चाहिए था।

(ब) चूंकि आम्रपाली प्रबंधन ने अपना अपराध लगभग स्वीकार कर लिया है (जिसकी महज मात्रा अभी तय होनी शेष है), इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की दया नहीं दिखायी जानी चाहिए थी। अपराध की मात्रा तय होने से पहले ही अपराध की सजा सुनायी जानी चाहिए थी ताकि आम्रपाली समूह द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का किसी प्रकार से दुरूपयोग न किया जाए।

(स) धन को दूसरी गतिविधियों में डायवर्ट करने का काम निश्चित रूप से नोएडा, जीएनआईडीए और वाईईआईडीए के अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है। इसलिए इनके प्रमुखों को उनके पदों से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। आबंटन प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों व निगरानी तथा रिकवरी प्रक्रिया के प्रमुखों को जिम्मेदारी मानकर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

(द) यहां इस बात का उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि जो धृष्टता नोएडा, जीएनआईडीए और वाईईआईडीए के अधिकारियों ने पिछले आठ साल से मकान खरीददारों द्वारा की जा रही शिकायतों को अनसुना करके और आम्रपाली घोटाले पर पर्दा डालकर की है वह राजनीतिक संरक्षण के बगैर नहीं हो सकती। इसलिए इस घोटाले में जो भी राजनीतिज्ञ शामिल हैं उनकी पहचान कर उन्हें दंडित किया जाए।

- भूमि आबंटन, जमीन का प्रीमियम एकत्र करने, डवलेपर के चयन, नोएडा, जीएनआईडीए और वाईईआईडीए की व्यवस्था को दूषित करने की पूरी प्रक्रिया गलत है जिसमें से भ्रष्टाचार और छल-कपट की बू आती है तथा वह इस प्रकार के बड़े घोटालों के पनपने के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराती है। यदि आज इस प्रक्रिया को जारी रहने दिया गया और उसे रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाये गये तो आने वाले दिनों में आम्रपाली जैसे और भी अनेक बड़े घोटाले सामने आएंगे। इसलिए आज तीनों विकास संस्थाओं यानि नोएडा, जीएनआईडीए और वाईईआईडीए की उपयोगिता, उद्देश्यों, जिम्मेदारियों, प्रबंधन तथा जवाबदेही पर फिर से विचार करने की जरूरत है। माननीय न्यायालय को इस पूरी गंदगी को साफ करने के अवसर को नहीं गंवाना चाहिए।

इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस परिस्थिति की गंभीरता को समझें और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने और गलती सुधारने का निर्देश दें। आपकी थोड़ी सी मदद सभी 42,000 मकान खरीददारों के अपने मकान के स्वप्न को साकार करने में मददगार साबित होगी।

भवदीय

अनुज कुमार अग्रवाल (महासचिव, मौलिक भारत)

पंकज सरौगी (सदस्य, राष्ट्रीय कार्यसमिति, मौलिक भारत)

अनिल के. गर्ग (सदस्य, राष्ट्रीय कार्यसमिति, मौलिक भारत)

नीरज सक्सेना (सदस्य, राष्ट्रीय कार्यसमिति, मौलिक भारत)

आवासीय इकाइयों का 20 से 25 प्रतिशत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए होना चाहिए' के बाद भी किसी भी ग्रुप हाउसिंग में एक भी मकान इस वर्ग के लिए नहीं बना। इस कारण जिले के सैकड़ों गांव इस वर्ग की आबादी के बोझ के कारण स्लम में बदल गए।

- बिल्डरों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक फ्लैट बनाने, एक ही प्रोजेक्ट के लिए कई बैंकों से ऋण लेने, अपनी किश्त न चुकाने, प्रोजेक्ट का पैसा अन्य प्रोजेक्ट्स में लगाने या मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा विदेश ले जाने, फर्जी कम्पनियों में लगाने, आबंटियों से मनमानी वसूली करने व समय से आबंटन न देने, गैरकानूनी तरीके से प्रोजेक्ट कई भागों में बांटकर आउटसोर्स करने के खिलाफ किसी भी प्राधिकरण, जिला प्रशासन या प्रदेश सरकार द्वारा कोई सख्त कार्यवाही नहीं की गई।
- अधिकांश आबंटन ऐसी कम्पनियों को किए गए जिनका इस क्षेत्र में कार्य करने का कोई अनुभव नहीं था। ऐसी कम्पनियों का वास्तविक मालिकाना राजनेताओं, नौकरशाहों व प्राधिकरण कर्मियों के पास था। खादर की , गांवों की व मास्टर प्लान से बाहर की भूमि को भी बेचने,

खाली कराने व बेचने के बहुत खेल किए जाते रहे हैं व प्राधिकरणों की ज़मीनों पर अवैध कब्जे कर बेचने का खेल भी संगठित रूप से चलता आ रहा है। शाहबेरी गांव का अवैध निर्माण इसका ज्वलंत उदाहरण है व अन्य अधिकांश ग्रामों में यही खेल किए गए जिनकी गहन जांच बहुत जरूरी है।

- तीनो प्राधिकरणों की कुल लूट लाखों करोड़ रुपयों की है और इनकी जांच के लिए सन 2011 में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दे दिए थे। इसके अलावा अनेक दिखावटी जांच भी की गई व सैकड़ों दोषी राजनेताओं, नौकरशाहों, कर्मचारियों, बिल्डरों, ठेकेदारों के नाम भी सामने आए मगर इक्का दुक्का दिखावटी कार्यवाही के अतिरिक्त कभी कुछ नहीं हुआ और लूट जारी रही।

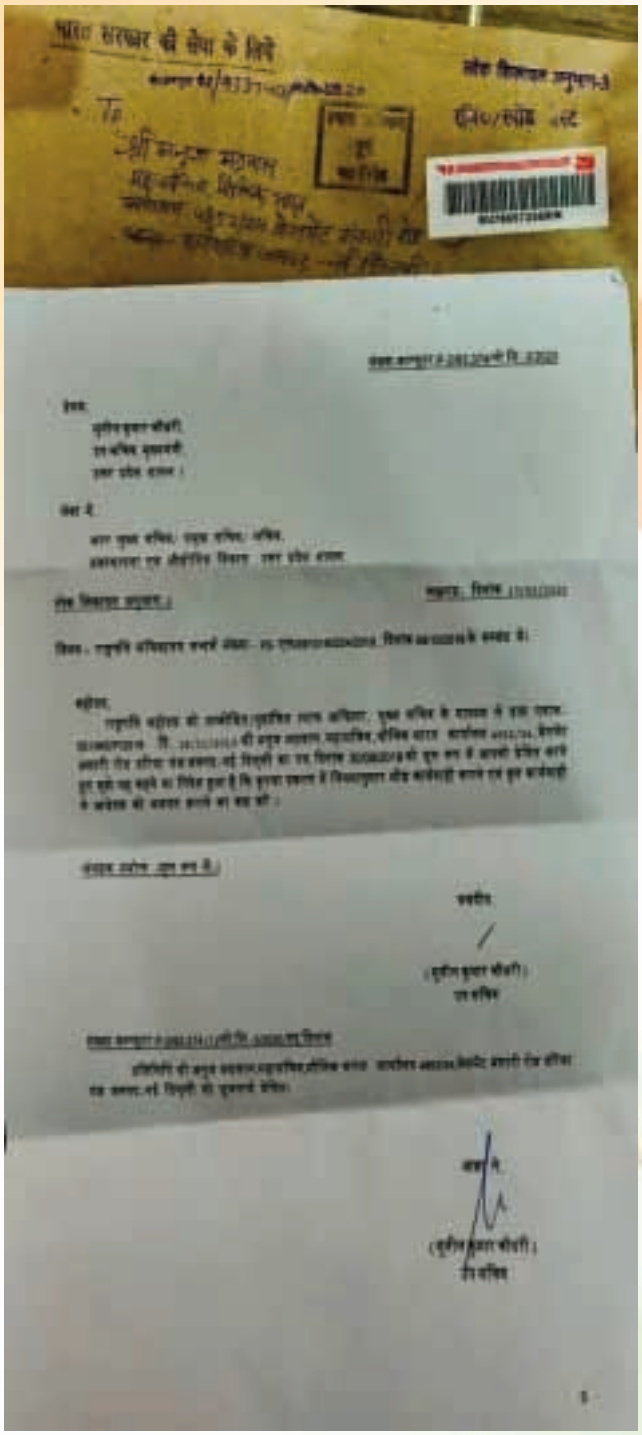

- आम्रपाली बिल्डर द्वारा की गई अनियमितताओं पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वह हमारे उपरोक्त सभी आरोपों की पुष्टि करता है। ऐसे में इस तरह की लूट को 'पोंजी स्कीम' के दायरे में माना जाए व उसके कानून के अनुरूप ही लुटेरे बिल्डरों व उनके सहयोगियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए।
- उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सन 2016 से नोएडा प्राधिकरण के खातों की जांच चल रही है किंतु आज तक इस जांच की आंशिक या पूर्ण रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है और न ही किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई।
- पिछले एक दशक में समय समय पर केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच एजेंसियों, उच्चतम न्यायालय, उत्तर प्रदेश सरकार, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त व अन्य सभी उपलब्ध फोरम पर इन तीनों प्राधिकरणों में चल रहे घपलों, लूट, अराजकता, घोटालों आदि के विरुद्ध हजारों शिकायतें दर्ज कराई गईं मगर कुछ एक फौरी व दिखावटी कार्यवाही के अतिरिक्त आज तक कुछ भी नहीं हुआ।

ऐसे में हम आपके माध्यम से भारत सरकार, उच्चतम न्यायालय व उत्तर प्रदेश सरकार से निम्नलिखित मांग करते हैं :

- चूंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस वे तीनों प्राधिकरण अपनी स्थापना के मूल उद्देश्य से पूर्णत: भटक चुके हैं इसलिए इनको तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए। तीनों प्राधिकरणों की जगह एक नगर निगम को स्थापित किया जाए ताकि इस क्षेत्र के विकास में व्यापक जनभागीदारी व पारदर्शिता आ सके।
- मकान व फ्लैट की चाह में निवेश करने वाले वाले लाखों बुरी तरह परेशान निवेशकों से बची हुई धनराशि वसूलने से पहले बिल्डरों, सरकारी कर्मचारियों व राजनेताओं से की गई लूट वसूली जाए व उसको लंबित प्रोजेक्ट्स में लगाया जाए। अगर उसके बाद भी प्रोजेक्ट पूरा करने में धन की कमी हो तो निवेशकों से वसूला जाए।
- उच्चतम न्यायालय की निगरानी में एक विशेष जांच दल बनाया जाए जो इन तीनों प्राधिकरणों के निर्माण से लेकर आज तक के सभी निर्णयों, अधिग्रहण, आबंटन, ठेकों, आमदनी व भुगतान की जांच व समीक्षा निर्धारित समय में करे व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोषियों व अनियमितताओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्यवाही करे।
- तीनों प्राधिकरणों के वर्तमान व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की व यहां पोस्टिंग पर रहे अधिकारियों की एक मकान या प्लाट के अतिरिक्त आबंटित सभी आबंटन रद्द किए जाए व इन सभी की परिवार सहित संपत्तियों की जांच हो साथ ही सभी पुराने कर्मचारियों का यहां से स्थानांतरण हो।
- सभी पूरे हो चुके अथवा निर्माणाधीन ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में अनिवार्य रूप से 25 प्रतिशत मकान आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आबंटित/निर्माण करने के आदेश तुरंत जारी किए जाएं।

प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था मौलिक भारत को किया गया जेपी अवार्ड से सम्मानित

देश की प्रतिष्ठित व जयप्रकाश नारायण जी के कार्यों को आगे बढ़ाने में कार्यरत एकमात्र विश्वसनीय संस्था 'लोकनायक जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय अध्ययन विकास केंद्र' दिल्ली ने 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत संस्था 'मौलिक भारत' को उसके सुशासन, चुनाव सुधार, विकेंद्रीकरण, ग्राम स्वराज व सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए 'जयप्रकाश सम्मान - 2019' से सम्मानित किया। यह सम्मान श्री महेंद्र नाथ पांडेय, माननीय कौशल विकास मंत्री भारत सरकार, डॉ मृदुला सिन्हा, राज्यपाल गोवा, वाल्मिकी प्रसाद (पूर्व राज्यपाल सिक्किम), भाजपा उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने दिया। संस्था की ओर से महासचिव अनुज अग्रवाल, वरिष्ठ सदस्य अमरनाथ ओझा व नीरज सक्सेना ने सम्मान प्राप्त किया।

अधिवेशन व सम्मान समारोह अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय सभागार, जनपथ, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। उल्लेखनीय है कि मौलिक भारत पिछले छः वर्षों से सुशासन, चुनाव सुधार, विकेंद्रित विकास, सामाजिक सेवा के साथ ही भारत मे भारतीयता की स्थापना के लिए संघर्षरत है। इस अवसर पर संस्था के महासचिव अनुज अग्रवाल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सम्मान मौलिक भारत के सभी सदस्यों का सम्मान है जिन्होंने हर मुश्किल लड़ाई मिलकर साथ लड़ी है व संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिन रात कभी सामने तो कभी पर्दे के पीछे रहकर संघर्षों में हमारा साथ दिया। हमारे संघर्षों की सार्थकता को समझ लोकनायक जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय अध्ययन विकास केंद्र ने जो 'जयप्रकाश सम्मान' देने का निर्णय किया है उसके हम चयन समिति व संस्था के महासचिव अभय सिन्हा जी के आभारी हैं। इस सम्मान से हमारी हमारे उद्देश्यों के प्रति संघर्ष की दृढ़ता और मजबूत होगी।

अनुज अग्रवाल
महासचिव, मौलिक भारत

- विभिन्न जांचों में चिन्हित दोषियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कानूनी कार्यवाही की जाए व इस प्रकार के अपराधों को देशद्रोह की श्रेणी में रखा जाए। रेरा कानून को और प्रभावी बनाया जाए।
- पूरे जिले में नए प्रोजेक्ट्स के निर्माण पर रोक लगे, पुराने अधूरे प्रोजेक्ट्स सरकार अपनी जिम्मेदारी पर पूर्ण करवाए। निवेशकों से पूरे पैसे लेकर समय पर आबंटन नहीं देने से हुए नुकसान की भरपाई की प्रक्रिया निर्धारित हो।
- जो भी दोषी पाए जाएं उनको उचित सजा के साथ ही उनसे लुटे हुए धन की वापसी/वसूली की प्रक्रिया भी निर्धारित हो व एक विशेष कोष बनाकर वसूला धन उसमें जमा हो व उससे अधूरे प्रोजेक्ट पूरे कराए जाएं।
- तीनो प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के अवैध निर्माण गिराए जाएं व इनमें रह रही अतिरिक्त आबादी जो अधिकांशतः उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी है, को विकसित व व्यवस्थित स्थानों पर बसाया जाए।
- इन प्राधिकरणों में काम करने वाले बड़े बिल्डरों विशेष रूप से आम्रपाली, गौड़, सुपरटेक, गार्डेनिया, थ्री सी, लोजिक्स, बेब, बीपीटीपी, जेपी, व यूनीटेक जिनकी धांधलियों की लगातार शिकायतें आ रही हैं, के विरुद्ध विशेष जांच करायी जाए व इनके सभी आबंटन रद्द किए जाएं व इनके व अन्य सभी घपलेबाज बिल्डरों, सरकारी कर्मचारियों, ठेकेदारों व राजनेताओं के विरुद्ध देशद्रोह के मुकदमे दर्ज कर कार्यवाही की जाए।

आपसे अपेक्षा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जनहित के इस अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर त्वरित कार्यवाही हेतु यथोचित दिशानिर्देश जारी करेंगे। इस संदर्भ में किसी भी स्पष्टीकरण व सलाह के लिए हमारी संस्था सदैव उपलब्ध है।

आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस दिशा में ठोस व निर्णयकारी कदम उठाएंगे।

भवदीय

अनुज अग्रवाल, महासचिव, मौलिक भारत
अनिल गर्ग, सदस्य, केंद्रीय कार्यकारणी, मौलिक भारत
पंकज सरावगी, सदस्य, केंद्रीय कार्यकारिणी, मौलिक भारत
नीरज सक्सेना, सदस्य, केंद्रीय कार्यकारिणी, मौलिक भारत

प्रति प्रेषित -

1) प्रधानमंत्री, भारत सरकार
2) मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय
3) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार
4) शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार

माननीय उच्चतम न्यायालय ने मौलिक भारत की दोनों शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए उनको 'लेटर पिटीशन' के रूप में स्वीकार कर लिया

गत 2 सितंबर, 2019 को मौलिक भारत ने महामहिम राष्ट्रपति जी को दो शिकायती पत्र व दस्तावेज भेजे थे। इन पत्रों की कॉपी व दस्तावेज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, शहरी विकास मंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी भेजे थे। यह सुखद है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी दोनों शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए उनको 'लेटर पिटीशन' के रूप में स्वीकार कर लिया है व इस संबंध में हमको निम्न जानकारी भेजी।

1) Your Grievance/Communication has been successfully registered as Diary No.49892/SCI/PIL(E)2019 For status, kindly logon to http://sci.gov.in and go to Grievance Management option in Case Information Tab.
2) Your Grievance/Communication has been successfully registered as Diary No.49896/SCI/PIL(E)2019 For status, kindly logon to http://sci.gov.in and go to Grievance Management option in Case Information Tab.

संस्था का सभी संवैधानिक संस्थाओं से अपील है कि इस संवेदनशील व असाधारण जनमहत्व के मुद्दे से जुड़ी हमारी शिकायतों व मांगों पर गहराई से विचार कर उचित कार्यवाही करे। मौलिक भारत इस मुद्दे को परिणाम तक पहुंचाने के लिए सभी उचित कदम उठायेगा।

मौलिक भारत की मांग है कि दो दशकों से नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरणों के सभी घोटाले व आरोपों की समयबद्ध रूप से विस्तृत जांच हो व इसके लिए उच्चतम न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल बने। आम्रपाली मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार हो।

राष्ट्रपति जी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में बड़ा निर्णय लें।

प्रतिष्ठित संस्था मौलिक भारत ने दिनांक 2 सितंबर को नोएडा के अग्रसेन भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में उन दो प्रतिवेदनों को मीडिया को जारी किया जो संस्था ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरणों में पिछले दो दशकों से चल रही लूट के खेल को विस्तार से उजागर करते हुए राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को लंबे मांगपत्र के साथ भेजे हैं। 300 से भी अधिक पृष्ठों के दस्तावेज सहित इस प्रतिवेदन की प्रतियां प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, शहरी विकास मंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी भेजी गयी हैं। बेहद विस्तृत व सनसनीखेज इस प्रतिवेदन पर संस्था की ओर से महासचिव अनुज अग्रवाल व केंद्रीय कार्यकारणी के वरिष्ठ सदस्यों अनिल गर्ग, पंकज सरागवी व नीरज सक्सेना ने हस्ताक्षर किए। इन सभी ने आज की प्रेसवार्ता में प्रतिवेदन के प्रमुख बिंदुओं के बारे में विस्तार से मीडिया को बताया। संस्था का आरोप है कि सन 2010 से ही इन प्राधिकरणों के घोटाले उजागर होने के बाद भी पिछले एक दशक में दर्जनों विभिन्न प्रकार की जांच व कार्यवाही के नाटकों के बाद भी घोटाले की मूल वजहों को दुरस्त करने व मुख्य किरदारों के खिलाफ कार्यवाही करने के कोई प्रयास नहीं किए गए। लोकायुक्त, सीबीआई, सीएजी, ईडी व उच्च व उच्चतम न्यायालयों व प्रदेश सरकार की जांच व कार्यवाही के बाद भी न घोटाले रुके न निवेशकों को इंसाफ मिला और न ही व्यवस्थाएं दुरुस्त व पारदर्शी हो पाई। ऐसे में संस्था ने दर्जनों मांग की है जो अलग अलग पहलू को दुरुस्त करने से संबंधित हैं जिनमें प्रमुख निम्न प्रकार हैं–

1. दो दशकों के सभी घोटाले व आरोपों की समयबद्ध रूप से विस्तृत जांच हो व इसके लिए उच्चतम न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल बने। इस जांच दल को पिछले दो दशकों में सरकार, संवैधानिक संस्थाओं व जांच दलों को मिले सभी दस्तावेज व जांच परिणाम भी सौंपे जाएं।
2. पूरे घोटालों में राजनेताओं व नौकरशाहों की जवाबदेही भी तय की जाए व दोषी को उचित व कठोर दंड दिया जाये।
3. आम्रपाली मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार हो व निवेशकों की जगह राज्य सरकार को धन उपलब्ध करवाकर प्रोजेक्ट्स पूरे करने के निर्देश जारी हो। संस्था भी इसके लिए उच्चतम न्यायालय में अपील करने जा रही है।
4. प्राथमिकता के आधार पर तीनो प्राधिकरणों के सभी पूरे हो चुके व निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स में आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के लिए 25 प्रतिशत मकान बनाए जाएं।

संस्था को आशा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी इस मामले को संज्ञान लेते हुए अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में बड़ा निर्णय लेंगे।

नोट : दोनों प्रतिवेदनों का मसौदा नीचे वर्णित है। अगर कोई पत्रकार बन्धु प्रतिवेदन में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन करना या फोटोकॉपी करवाना चाहते हैं तो वे हमारे 07, अपर ग्राउंग फ्लोर, ओसियन प्लाजा, सेक्टर18, नोएडा स्थित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

आमजन की यह त्रासद व दारुण कथा व सत्ता के शीर्ष संस्थानों का मौन - मौलिक भारत

सत्ता के शीर्ष संस्थानों के बीच जब लूट की राज व्यवस्थाओं पर जब मौन सहमति हो जाए और न्यायपालिका स्वयं ही न्याय का गला घोट दे तो जनता जाए कहां? नोयडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरणों की 'किसान व निवेशक लूट नीति' जो तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती, मुलायम सिंह व अखिलेश यादव के समय परवान चढ़ी उस पर एक तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय ने मुहर लगा दी है। शाहबेरी व आम्रपाली के दो मामले खुली लूट के उन सैकड़ों मामलों में से कुछ ऐसे ही हैं जिसमें राजनेताओं, नौकरशाहों, प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारियों, बिल्डरों, बैंकों व मीडिया के सिंडिकेट ने दोनों हाथों से किसानों व फ्लैट/

तीनों प्राधिकरणों के घोटालों का इतना सा गणित और मौलिक भारत की मांग की सार्थकता

पहले प्राधिकरणों ने किसानों से जबर्दस्ती जमीनें ख़रीदी वो भी 500 से 2000 रुपए मीटर की दर से और फिर 20 हज़ार रुपए मीटर की दर से बिल्डरों को बेच दी। नेताओं, नौकरशाहों व प्राधिकरण अधिकारियों ने 10 से 20 हज़ार रुपए प्रति मीटर की दर से अंडर टेबल रिश्वत ली अलॉटमेंट के लिए वो भी मात्र 10 प्रतिशत की राशि पर। एफआर भी बढ़ा दिया कई गुना, बिना किसी खास शुल्क के और प्लाट की बाकी कीमत चुकाने के लिए भी लंबा समय दे दिया। बिल्डरों ने यही भूमि विकसित कर फ्लैट देने के नाम पर 50 हज़ार से एक लाख रुपए मीटर के हिसाब से निवेशकों को बेची। अब बीच मे आए बैंक। उन्होंने बिल्डर को भी लोन दिए व फ्लैट की चाहत रखने वालों को भी। मात्र दस प्रतिशत मूल्य देने पर ही प्लाट के मालिक बने बिल्डरों ने बैंक अधिकारियों से मिलीभगत कर बड़े बड़े लोन ले लिए और उधर फ्लैट बायर्स से भी किश्तें लेनी शुरू कर दी। हराम के आए अंधाधुंध पैसों से लालच बढ़ गया और फिर पोंजी कम्पनियों के निर्माण कर और प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन ले ली फिर वही बैंक लोन व निवेशकों की किश्तों की कमाई, मनी लांड्रिंग के खेल व पैसा विदेशों में खपाना शुरू यानि क्रोनी कैपिटलिज्म। प्रोजेक्ट पूरा करने की क्या जरूरत। बस माल इकठ्ठा करो व भाग निकलो। 2700 प्रोजेक्ट्स में यूपी में विशेषकर गौतम बुद्ध नगर में यही हुआ है।

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरणों द्वारा बिल्डरों को आबंटित ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में निवेश करने वाले लाखों लोगो की जीवनभर की कमाई डूब गई व वे बर्बाद हो गए है। नेताओं, नौकरशाहों, बिल्डरों बैंकों व प्राधिकरणों के अधिकारियों सभी ने फर्जी कम्पनियों का निर्माण कर लाखों करोड़ रुपए बैंको व जनता के डायवर्ट कर दिए। इधर बैंकों के डूबते कर्ज को भारत सरकार जनता के टैक्स से चुका रही है यानि खुली डकैती को संरक्षण दे रही है और उधर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर निवेशकों को फ्लैट चाहिए तो वह बाकी किश्तों की रकम उसके अकाउंट में जमा करे तो वो एनबीसीसी से कहकर उनके फ्लैट बनवा देंगे। अब जो लूट का पैसा पूरा सिंडीकेट खा पीकर हज़म कर गया उसको तो सुप्रीम कोर्ट वसूलने के लिए कह नहीं रहा और न ही दोषियों को कोई दंड दे रहा ऐसे में मौलिक भारत अगर यह मांग करता है कि निवेशकों से पैसे न लेकर सिंडिकेट से वसूले जाएं तो क्या गलत है?

प्लाट के लिए निवेश करने वालों को लूटा और फिर सूली पर टांग दिया। इंसाफ की गुहार लगा रहे इन निवेशकों को न्यायपालिका ने भी ठेंगा दिखा दिया है मानो वो भी इस सिंडिकेट की हिस्सेदार बन गयी हो। ऐसे में ये निवेशक जाए कहां? रक्षकों के भक्षक बनने पर भी कोई उनके विरुद्ध कार्यवाही करने को तैयार नहीं क्योंकि उनके पास लूट की रकम है जो वे कार्यवाही करने वालों के साथ साझा कर रहे हैं। मोदी राज में भी आम जनता के साथ इस सांझी लूट पर कोई कार्यवाही न होना बहुत ही दु:खद है जबकि मौलिक भारत सभी सबूतों सहित सत्ता के शीर्ष संस्थानों से न्याय की गुहार लगा लगाकर थक गया है। यह कुछ वैसा ही है जैसे भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण के समय पूरा राजदरबार खामोश था। क्या महाभारत फिर दोहराया जाएगा?

https://youtu.be/0yoEBqtaDgk

सच न डरता है, न दबता है और न ही छुपता है। राष्ट्रपति जी को भेजी नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरणों के घोटालों की जानकारी के साथ हमारी प्रमुख मांगों को राष्ट्रीय मीडिया में बड़ी कवरेज किंतु स्थानीय मीडिया आया सरकार व प्रशासन के दबाव में।

Uttar Pradesh govt should fund remaining Amrapali projects, not buyers: NGO
https://realty.economictimes.indiatimes.com/…/utta…/70953479
https://www.business-standard.com/…/up-govt-should-fund-rem…
Uttar Pradesh govt should fund remaining Amrapali projects, not buyers: NGO - https://www.moneycontrol.com/…/uttar-pradesh-govt-should-fu…
Uttar Pradesh govt should fund remaining Amrapali projects, not buyers: NGO
https://www.indiatoday.in/…/up-govt-should-fund-remaining-a…
https://newsdig.in/…/UP-government-should-fund-remaining-Am…
http://nampa.org/index.php…
PTI release news of Maulik Bharat today's press conference
https://www.outlookindia.com/…/up-govt-should-fund…/1610318…
UP govt should fund remaining Amrapali projects, not buyers: NGO - https://www.devdiscourse.com/…/655637-up-govt-should-fund-r…
http://www.pninews.in/maulik-bharat-open-secrets-of-noida-…/
https://youtu.be/zhm3ohTu1jA
https://youtu.be/FtFYLt15mus
http://nampa.org/index.php…
https://www.thequint.com/…/latest-news-breaking-news-2-sept…
मौलिक भारत की प्रेस विज्ञप्ति का लिंक
http://dialogueindia.in/%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%8F%E0%A4%…/
मौलिक भारत की प्रेस विज्ञप्ति का लिंक
http://maulikbharat.co.in/…/%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%8f%e0…/

भवदीय
अनुज अग्रवाल,महासचिव, मौलिक भारत
अनिल गर्ग, सदस्य, केंद्रीय कार्यकारणी, मौलिक भारत
पंकज सरावगी, सदस्य, केंद्रीय कार्यकारिणी, मौलिक भारत
नीरज सक्सेना, सदस्य, केंद्रीय कार्यकारिणी, मौलिक भारत
मौलिक भारत

मौलिक भारत ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती व स्थानांतरण की एक समान नीति बनाने की मांग की

देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में फैल रही अराजकता, हिंसा व राष्ट्र विरोधी नारेबाज़ी को रोकने व पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण बनाने व विश्वविद्यालय परिसरों में राष्ट्रप्रेम के साथ ही सभी स्तरों पर गरिमापूर्ण, सद्भावपूर्ण और न्यायोचित व्यवस्था व सुशासन के साथ स्वायत्तता बनाए रखने के लिए मौलिक भारत ने अपने अध्यक्ष गजेंद्र सोलंकी व महासचिव अनुज अग्रवाल के माध्यम से देश के मानव संसाधन मंत्री जी के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी को अनेक महत्वपूर्ण सुझाव भेजे हैं, जिनमें सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों व विद्यार्थियों के चयन, स्थानांतरण व विभिन प्रकार के शुल्क आदि की एक समान व्यवस्था बनाने की मांग की है। मूल पत्र की कॉपी नीचे दो हुई है।

प्रतिष्ठा में,
आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री
भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली
विषय- केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के लिए चयन व स्थानांतरण नीति बनाने के लिए अनुरोध
माननीय महोदय,

देश में इस समय 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं व इनमें हजारों अध्यापक नियुक्त किए गए हैं, किंतु आज तक इनकी चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और स्थायी, एडहॉक व गेस्ट टीचरों की मनमानी भर्ती की जाती है। यह भारत सरकार की स्थापित नीति है कि सभी प्रकार की केंद्रीय सेवाओं की नियुक्ति में नियमित अंतराल के उपरांत सभी प्रकार के कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाता है। किंतु आश्चर्यजनक रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यह नीति लागू नहीं की गई है। यही स्थिति विभिन्न पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के प्रवेश को लेकर भी है जिसमें कोई स्पष्ट सर्वमान्य व पारदर्शी नीति विकसित नहीं की गयी है। पिछले कुछ वर्षों में अनेक केंद्रीय विश्वविद्यालय देशविरोधी नारे, प्रदर्शन, हिंसा व राष्ट्र के प्रति दुराग्रह जैसी चिंताजनक स्थितियों से दोचार हुए हैं जो अत्यंत ही चिंताजनक है। विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम व सकारात्मक सोच के बीज डालने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के शिक्षकों की होती है और अधिकांश मामलों में वे इस कार्य में असफ़ल रहे।

ऐसा लगता है कि एक ही स्थान पर कार्य करते रहने व विचारधारा विशेष से जुड़े रहने के कारण उनकी सोच व विचारों में जड़ता आ गयी है व वे संविधान की मूल भावना व अपने उत्तरदायित्वों का सही से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। तालाब के ठहरे हुए पानी जैसे ही उनके विचारों व सोच में भी ठहराव आ गया है और इससे उनके शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। परस्पर स्थानांतरण से यह जड़ता टूटेगी व वैचारिक प्रवाह बढ़ेगा जिसका लाभ देश, समाज व विद्यार्थियों सबको मिलेगा। इसको निम्न प्रकार रेखांकित कर सकते हैं।

1) बौद्धिक अध्ययन- अध्यापन में विविधता
2) सांस्कृतिक व वैचारिक आदान प्रदान
3) विचार विनमय के अधिक अवसर व विविधता
4) प्रशासनिक गतिविधियों, कार्यों व निर्णयों को लागू करने में सुगमता
5) कट्टरवादी विचारों का विकेंद्रीकरण व सर्वसमावेशी विचारों की ओर रुझान

संक्षिप्त रूप से कहा जाए तो हमारी मांग है कि

1) केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों व स्थानांतरण दोनों के लिए एक स्वायत्त बोर्ड का गठन तुरंत किया जाए।
2) विभिन्न प्रकार के कोर्सेस में विद्यार्थियों के चयन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा ली जाए।
3) देश के सभी स्वायत्त शैक्षणिक संस्थानों, डीम्ड, राज्य व निजी विश्वविद्यालयों में भी इसी तरह की प्रक्रिया प्रारंभ करने के दिशा निर्देश जारी किए जाएं।
4) सभी केन्दीय विश्वविद्यालयों में लिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के शुल्क एवं सुविधाओं की भी एकसमान नीति लागू की जाए।

हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप यथाशीघ्र उपरोक्त सुझावों व मांगो को पूरा करने की दिशा में आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेंगे।

धन्यवाद

भवदीय
अनुज अग्रवाल
महासचिव (मौलिक भारत)
प्रति प्रेषित
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली

विक्रम संवत

1. चैत्र	2. वैशाख
3. ज्येष्ठ	4. आषाढ़
5. श्रावण	6. भाद्रपद
7. अश्विन	8. कार्तिक
9. मार्गशीर्ष	10. पौष
11. माघ	12. फाल्गुन

पुनर्जागरण, ग्रेगोरियन कैलेंडर व विक्रम संवत

● **अनुज अग्रवाल**

पुनर्जागरण उस बौद्धिक आन्दोलन का नाम है जिसने रोम और यूनान की प्राचीन सभ्यता-संस्कृति का पुनरुद्धार कर नयी चेतना को जन्म दिया। वास्तव में यह ईसाइयत, चर्च व पोप के विरुद्ध विद्रोह था। पुनर्जागरण द्वारा जटिल साहित्य, विज्ञान, कला एवं बौद्धिक जागृति ने सर्वसाधारण जनता को एक नयी स्फूर्ति, स्पंदन और चिंतन से अनुप्राणित कर दिया। अत: सदियों से प्रचलित कैथलिक धर्म के निर्देशों एवं अधिकारों का पालन करने के लिए अब लोग तैयार नहीं थे। अब वे कैथलिक चर्च के अधिकारों एवं निर्देशों का विरोध करने लगे, क्योंकि कैथलिक चर्च का नैतिक स्तर काफी नीचे गिर गया था, अब चर्च की कटुआलोचनाएं होने लगीं एवं चर्च के विरूद्ध आक्षेप एवं आरोप होने लगे। यद्यपि प्रारंभ में चर्च ने अलोचकों या विरोधियों को नास्तिक कहकर धर्म से निष्कासित किया तथा उन्हें समाज-शत्रु कहकर मृत्यु दण्ड प्रदान किया, परंतु चर्च के विरूद्ध आलोचनाएं निरंतर बढ़ती ही गयीं। वस्तुत: चर्च के विरूद्ध आलोचनाएं आधुनिक युग के आगमन एवं मध्ययुग की समाप्ति की सूचक थीं। सोलहवीं सदी के प्रारंभ तक यूरोप में सर्वथा नवीन वातावरण उत्पन्न हो चुका था। अब संदेहवाद एवं नास्तिकता की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी, जो कालांतर में कैथलिक ईसाई-जगत के लिए बड़ी घातक सिद्ध हुई। सोलहवीं सदी के प्रारंभ में उत्पन्न हुई नवीन जागृति ने एक महान धार्मिक क्रांति उत्पन्न कर दी, जिसके परिणामस्वरूप कैथलिक ईसाई चर्च के परम्परागत अधिकारों के विरूद्ध सशस्त्र तथा सक्रिय विरोध-आंदोलन प्रारंभ हो गया। जिससे ईसाई धर्म कैथोलिक व प्रोस्टेन्ट दो भागों में बंट गया व राजनीतिक रूप से चर्च व पोप की भूमिका राजव्यवस्था से खत्म कर दी और धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा अस्तित्व में आयी।

यह विद्रोह परंपरागत ग्रेगोरियन कैलेंडर के विरुद्ध भी हुआ क्योंकि पुराना कैलेंडर अवैज्ञानिक था। ग्रेगोरियन कैलेंडर (Gregorian calendar) 'ग्रेगोरी कालदर्शक', दुनियाड्ड में लगभग हर जगह उपयोग किया जाने वाला कालदर्शक या तिथिपत्रक है। यह जूलियन कालदर्शक (Julian calendar) का रूपान्तरण है। इसे पोप ग्रेगोरी (Pope Gregory XIII) ने लागू किया था। इससे पहले जूलियन कालदर्शक प्रचलन में था, लेकिन उसमें अनेक त्रुटियां थीं, जिन्हें ग्रेगोरी कालदर्शक में दूर कर दिया गया। यद्यपि यह दावा ग़लत है। फिर भी धीरे धीरे सभी ईसाई देशों ने इसको स्वीकार कर लिया। ग्रेगोरी कालदर्शक की मूल इकाई दिन होता है। 365 दिनों का एक वर्ष होता है, किन्तु हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है जिसे अधिवर्ष (लीप का साल) कहते हैं। सूर्य पर आधारित पंचांग हर 146,097 दिनों बाद दोहराया जाता है। इसे 400 वर्षों में बांटा गया है और यह 20871 सप्ताह (7 दिनों) के बराबर होता है। इन 400 वर्षों में 303 वर्ष आम वर्ष होते हैं, जिनमें 365 दिन होते हैं। और 97 लीप वर्ष होते हैं, जिनमें 366 दिन होते हैं। इस प्रकार हर वर्ष में 365 दिन, 5 घंटे, 49 मिनट और 12 सेकेंड होते है। वर्तमान आर्थिक व कारपोरेट दुनिया में पश्चिमी जगत हावी है और पूरी दुनिया उसके पीछे चलती है जिस कारण अधिक वैज्ञानिक भारतीय विक्रमी संवत को अनदेखा किया जा रहा है। पुनर्जागरण के बाद मानवतावादी, नास्तिक व वैज्ञानिक होने का दावा करने वाला पश्चिमी जगत न जाने क्यों आज भी अवैज्ञानिक ईसाइयत व उसके प्रतीक चिन्हों को ढोता जा रहा है और दुनिया पर भी थोप रहा है?

विक्रम संवत् एक प्राचीन हिन्दू कालगणना प्रणाली है जो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित रही है। यह नेपाल का आधिकारिक पंचांग है। भारत में यह अनेकों राज्यों में प्रचलित पारम्परिक पंचांग है। इसमें चान्द्र मास एवं सौर नाक्षत्र वर्ष (solar sidereal years) का उपयोग किया जाता है। इसका प्रणेता सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है। कुछ आरम्भिक शिलालेखों में ये वर्ष 'कृत' के नाम से आये हैं। 8वीं एवं 9वीं शती से विक्रम संवत का नाम विशिष्ट रूप से मिलता है। संस्कृत के ज्योतिष शास्त्रीय ग्रंथों में यह शक संवत से भिन्नता प्रदर्शित करने के लिए यह सामान्यत: केवल 'संवत' नाम से प्रयोग किया गया है। यह संवत 57 ई.पू. आरम्भ होती है (विक्रमी संवत = ईस्वी सन + 57)। इस संवत का आरम्भ गुजरात में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से और उत्तरी भारत में चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से माना जाता है। बारह महीने का एक वर्ष और सात दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन विक्रम संवत से ही शुरू हुआ। महीने का हिसाब सूर्य व चंद्रमा की गति पर रखा जाता है। यह बारह राशियां बारह सौर मास हैं। जिस दिन सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है उसी दिन की संक्रांति होती है। पूर्णिमा के दिन, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उसी आधार पर महीनों का नामकरण हुआ है। चंद्र वर्ष, सौर वर्ष से 11 दिन 3 घाटी 48 पल छोटा है, इसीलिए प्रत्येक 3 वर्ष में इसमें 1 महीना जोड़ दिया जाता है (अधिमास, देखें)। जिस दिन नव संवत का आरम्भ होता है, उस दिन के वार के अनुसार वर्ष के राजा का निर्धारण होता है।

भारत के संविधान के निर्माण के समय विक्रम संवत का प्रयोग किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में संविधान को लागू करने की तिथि को विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार बताया गया है। जिससे इस कैलेंडर का महत्व के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आजादी के बाद नेहरू सरकार ने भी सेकुलर दिखने के चक्कर में ग्रेगेरियन कैलेंडर के साथ विक्रमी संवत से मिलते जुलते शक संवत को ही सरकारी संवत के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि भारत का आमजन व हिंदू विक्रमी संवत को ही मानते है। शक संवत और विक्रम संवत के महीनों के नाम एक ही हैं और दोनों संवतों में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी हैं। अंतर सिर्फ दोनों पक्षों के शुरू होने में है। विक्रम संवत में नया महीना पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष से होता है जबकि शक संवत में नया महीना अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष से शुरू होता है।. इसी कारण इन संवतों के शुरू होने वाली तारीखों में भी अंतर आ जाता है। शक संवत में चैत्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, उस महीने की पहली तारीख है जबकि विक्रम संवत में यह सोलहवीं तारीख है। विक्रमी संवत ही पूर्णरूप से वैज्ञानिक व भारतीयों की संस्कृति व जीवनशैली से जुड़ा है। आशा है सनातन संस्कृति को पुन: प्रतिष्ठित करने में रत मोदी सरकार आगामी वर्षों में विक्रम संवत को उसका खोया हुआ सम्मान पुन: देगी। ■

Before:

Hon'ble Chief Justice of India,
Supreme Court of India,
New Delhi-110009.

Ref. : Diary No. 27169/SCI/PIL(E)/2019 dated 11.6.2019 in Neeraj Saxena and ORS
Regarding : माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP(C) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr. में दिनांक 25.9.2018को मतदाता जागरण हेतु दिए गए दिशानिर्देशों का अपराधिक पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों एवं उनसे सम्बद्ध राजनैतिक दलों द्वारा अक्षरश: (in Letter and Spirit) पालन करवाए जाने के सन्दर्भ में

आदरणीय महोदय,
'मौलिक भारत' एक गैर-राजनैतिक संगठन है एवं इसके सदस्यगण अनुज अग्रवाल, घनश्याम लाल शर्मा, संजीव गुप्ता एवं नीरज सक्सेना भारतवर्ष में चुनाव सुधार, सुशासन, पारदर्शिता एवं विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों की जनता के प्रति जवाबदेही के लिए कार्यरत रहते हैं। दिनांक 10.3.2019 को लोकसभा आम चुनाव-2019 की घोषणा के पश्चात विभिन्न चरणों में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा दाखिल किये गए शपथ पत्रों को भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर समय-समय पर अपलोड किया गया था। इन शपथ पत्रों में प्रत्याशियों द्वारा घोषित अपराधिक विवरण, चल-अचल सम्पत्ति इत्यादि विवरणों का 'मौलिक भारत' संगठन द्वारा लगातार विश्लेषण किया गया ।

चुनाव सुधारों को लेकर पूर्व में भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32के अंतर्गत प्रार्थी/याचिगण द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका W.P.(C) 377/2013 Neeraj Sa&ena & Anr. Versus Election Commission of India दाखिल की गयी थी । निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी शपथ पत्रों की जाँच हेतु कड़ी से कड़ी प्रक्रिया (Stringent Procedure/Mechenism) बनाये जाने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (PIL) W.P.(C) 443/2014 (Maulik Bharat Trust through founder trustee Anuj Aggarwal and Neeraj Saxena verses Election Commission of India and others) दाखिल की गयी थी ।

महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP(C) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.) में दिनांक 25.9.2018 को मतदाता जागरण हेतु दिए गए दिशानिर्देशों जारी किये गए थे । इन दिशानिर्देशों का आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों एवं उनसे सम्बद्ध राजनैतिक दलों द्वारा (in Letter and Spirit) अक्षरश: पूर्णतया पालन करवाए जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ प्रधान सचिव श्री के0एल0 विल्फ्रेड ने पत्र संख्या 3/4/2017/SDR/Vol.II दिनांकित 10.10.2018 द्वारा सभी राजनैतिक दलों सूचित किया था कि आगामी लोकसभा निर्वाचन2019 के दौरान आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सभी अभ्यर्थियों (Candidates) को उनके खिलाफ लंबित अपराधिक मुकदमों (Pending Criminal cases) एवं/अथवा पूर्व में दोषसिद्ध (Conviction) वाले मुकदमों की घोषणा (Declaration) अभ्यार्थी द्वारा उस लोक सभा क्षेत्र में सर्वाधिक पड़े जाने वाले अखबार में (12 Font size) में, नामांकन वापसी की अंतिम तिथि के अगले दिन से लेकर मतदान तिथि से दो दिन पूर्व तक तीन बार Format C-1 में प्रकाशित करवानी होगी। अपराधिक पृष्ठभूमि वाले सभी प्रत्याशियों को Format C-1की घोषणा सम्बन्धित राज्य के टीवी चैनलों पर तीन विभिन्न तिथियों पर मतदान खत्म होने से 48 घंटे पूर्व प्रसारण करवाना होगा।

महोदय, लोकसभा आम चुनाव-2019 के दौरान 'मौलिक भारत' टीम द्वारा विभिन्न टी वी चैनलों के प्रसारणों, सभी राजनैतिक दलों की अधिकारिक Websites को लगातार निगरानी में रखा गया और हिंदी एवं अंग्रजी भाषा में प्रकाशित होने वाले अधिकांश दैनिक समाचारपत्रों एवं उन समाचार पत्रों की वेबसाइट पर प्रकाशित e-edition को भी खंगाला गया। परन्तु अपराधिक पृष्ठभूमि (Criminal Antecedents) वाले किसी भी प्रत्याशी (Candidate) द्वारा घोषित Format C-1 अथवा किसी भी राजनैतिक दल द्वारा घोषितFormat C-2 दृष्टिगोचर नहीं हुआ।

महोदय, दिनाँक 22.5.2019 को 'मौलिक भारत' संगठन की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, अशोक रोड, नयी दिल्ली को सम्बोधित करते हुए पत्र/ज्ञापन आयोग के सचिवालय में प्रेषित कर मांग की थी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनाँक 10.10.2018 जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन न करने वाले अपराधिक पृष्ठभूमि (Criminal Antecedents) वाले अभ्यर्थियों एवं/अथवा राजनैतिक दल जिनके द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के चलते Format C-1, Format C-2 का प्रचार प्रसार न किया गया हो एवं चुनाव समाप्ति अर्थात 27.5.2019 से 30 दिनों पश्चात Format C-4 एवं Format C-5 जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित न किये जाने की अवस्था में अथवा प्रेषित किये गए Format C-4एवं Format C-5 जांच उपरांत (Frivolous) झूठे/छद्म पाए जाने की अवस्था में उन सभी अभ्यथियों एवं/अथवा राजनैतिक दलों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जावे ।

महोदय, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रेषित पत्र/ज्ञापन उपरोक्त दिनांकित 22.5.2019 को आयोग की ईमेल complaints@eci.gov.in पर भी भेजा गया था, परन्तु आज दिनाँक 28.01.2020 तक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रार्थीगण के पत्र/ज्ञापन उपरोक्त के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनाँक10.10.2018 जारी दिशा निर्देशों का अपराधिक पृष्ठभूमि (Criminal Antecedents) वाले अभ्यर्थियों एवं/अथवा सम्बन्धित राजनैतिक दलों के खिलाफ कृत कार्यवाही से प्रार्थीगण को अवगत नहीं करवाया गया है।

महोदय, भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में प्रार्थीगण द्वारा प्रेषित पत्र/ज्ञापन उपरोक्त दिनांकित 22.5.2019 की एक प्रति 'मौलिक भारत' संगठन की ईमेल id : maulikbharat@gmail.com द्वारा

माननीय प्रधान न्यायधीश, सर्वोच्च न्यायालय की ईमेल id: supremecourt@hub.nic.in एवं supremecourt@nic.in पर भी प्रेषित की गयी थी जिसे सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा Diary No. 27169/SCI/PIL(E)/2019 dated 11.6.2019 in Neeraj Saxena and ORS के अंतर्गत दर्ज किया गया । सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर उक्त Diary No. 27169/SCI/PIL(E)/2019 का जिसका स्टेटस आज दिनाँक 28.01.2020 को 'Under Process' प्रदर्शित हो रहा है ।

महोदय जैसा कि दिनाँक 25.01.2020 को समाचार पत्र 'THE HINDU' शीर्षक Candidates with criminal past should not get ticket, Election Commission of India tells Supreme Court के अंतर्गत प्रकाशित समाचार के अनुसार (खबर का सम्भावित अनुवाद)-सर्वोच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा निर्वाचन आयोग के वरिष्ट वकील श्री विकास सिंह एवं याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील श्री गोपाल संकरानारायणन एक सप्ताह के भीतर खंडपीठ के सम्मुख विस्तार पूर्वक एक संयुक्त प्रस्ताव (रूपरेखा) प्रस्तुत करें जिसके अनुसार यह सुनिश्चित किया जा सके कि किस प्रकार राजनीतक दल अपराधिक इतिहास वाले प्रत्याशियों को चुनावी प्रफिया से दूर रख सकते हैं "come up with a joint proposal detailing how it can be ensured that parties did not fall in with criminal politicians. Justice Nariman, speaking for the Bench, said just a move to steer politics away from the denizens of the criminal world would definitely serve national and public interest. The court gave the two senior lawyers a week's time to come up with their proposal.

अत: माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से करबद्ध याचना है कि माननीय न्यायमूर्ति आरएफ नरिमन एवं न्यायमूर्ति एस रविन्द्र भट्ट की खंडपीठ के सम्मुख सुनवाई की जा रही CONMT.PET.(C) No. 2192/2018 in W.P.(C) No. 536/2011 RAM BABU SINGH THAKUR VERSES SUNIL ARORA & ORS. एवं CONMT.PET.(C) No. 428/2019 in W.P.(C) No. 536/2011 (PIL-W) एवं CONMT.PET.(C) No. 464/2019 in W.P.(C) No. 536/2011 (PIL-W) सभी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान चुनाव सुधार (राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने) हेतु सुझावों को माननीय खंडपीठ के सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु 'मौलिक भारत' संगठन की ओर से दर्ज डायरी संख्या Diary No. 27169/SCI/PIL(E)/2019 dated 11.6.2019 को जनहित याचिका का दर्जा प्रदान करने हेतु आदेश पारित करें।

लोकतंत्र हित में ।

नीरज सक्सेना (एडवोकेट) एवं अनुज अग्रवाल
सदस्य : मौलिक भारत संगठन
301/A-37,38,39,
Ansal's Building Commercial Comple&,
Mukherjee Nagar,Delhi – 110009.
Dated : 28.01.2020
email : maulikbharat@gmail.com
संलग्न : 1 (ECI Letter No. 3/4/2017/SDR/Vol.II की फोटोप्रति)
(मौलिक भारत का दिनाँक 22.5.2019 का पत्र/ज्ञापन)

विधान सभा दिल्ली निर्वाचन-2020 के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP(C) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.) में जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन न करने वाले अपराधिक पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही हेतु

प्रतिष्ठा में,

श्री सुनील अरोड़ा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त,

भारत निर्वाचन आयोग,

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नयी दिल्ली -110001

डॉ. रनबीर सिंह, मुख्य निर्वाचन अधिकारी-दिल्ली,

पुरानी सेंट स्टीफेन कॉलेज बिल्डिंग,

कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

विषय - माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.9.2018 को WP(C) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.) में जारी दिशानिर्देशों का विधान सभा NCT दिल्ली निर्वाचन-2020 में चुनाव लड़ने वाले (Criminal Antecedents)आपराधिक पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों द्वारा अनुपालन करते हुए Format C-1 एवं राजनैतिक दलों द्वारा Format C-2 में समाचार पत्रों, टीवी चैनलों एवं वेबसाइट पर घोषणा किये जाने के सन्दर्भ में

आदरणीय महोदय,

'मौलिक भारत' एक गैर-राजनैतिक संगठन है एवं इसके सदस्यगण अनुज अग्रवाल, घनश्याम लाल शर्मा, संजीव गुप्ता एवं नीरज सक्सेना भारतवर्ष में चुनाव सुधार, सुशासन, पारदर्शिता एवं विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों की जनता के प्रति जवाबदेही के लिए कार्यरत रहते हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांकECI/PN/4/2020 दिनांक 06.01.2020 द्वारा सामान्य निर्वाचन विधान सभा NCT दिल्ली-2020 की घोषणा के पश्चात चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा दाखिल किये गए शपथ पत्रों को भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। इन शपथ पत्रों में प्रत्याशियों द्वारा घोषित आपराधिक विवरण, चल-अचल सम्पत्ति इत्यादि विवरणों का 'मौलिक भारत' संगठन द्वारा लगातार विश्लेषण किया गया। (संलग्नक1 : ECI/PN/4/2020 दिनांक 06.01.2020)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP(C) No. 536 of 2011 (Public Interest Foundation & Ors. Vs. Union of India & Anr.) दिनांक 25.9.2018 को मतदाता जागरण हेतु दिए गए दिशानिर्देशों का अपराधिक पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों एवं उनसे सम्बद्ध राजनैतिक दलों द्वारा अक्षरशः (in Letter and Spirit) पालन करवाए जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ प्रधान सचिव श्री के एल विल्फ्रेड ने पत्र संख्या 3/4/2017/SDR/Vol.II दिनांकित 10.10.2018 द्वारा सभी राजनैतिक दलों सूचित किया था कि-

1. आगामी लोकसभा एवं विधान सभा निर्वाचन के दौरान आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सभी अभ्यर्थियों को उनके खिलाफ (Pending Criminal cases) लंबित आपराधिक मुकदमों एवं/अथवा पूर्व में (Conviction) दोषसिद्ध मुकदमों की (Declaration) घोषणा उस लोक सभा अथवा विधान सभा चुनाव क्षेत्र में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले अख़बार में (12 Font size) में, नामांकन वापसी की अंतिम तिथि के अगले दिन से लेकर मतदान तिथि से दो दिन पूर्व तक तीन बार Format C-1 में प्रकाशित करवानी होगी। उपरोक्त सभी प्रत्याशियों को Format C-1की घोषणा का प्रसारण सम्बन्धित राज्य के टीवी चैनलों पर तीन विभिन्न तिथियों पर मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व करवाना होगा।

2. आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रकाशित अख़बारों की प्रतियां एवं टीवी चैनलों पर प्रसारण का विवरण, एवं अख़बारों एवं टीवी प्रचार पर किए गए खर्चे एवं प्रसारण-समय का विवरण Format C-4 में चुनाव सम्पन्न होने के पश्चात जनप्रतिनिधि अधिनियम-1951 की धारा 78 के अंतर्गत 30 दिनों के भीतर चुनावी खर्चों के विवरण के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल करना होगा।

3. यदि चुनाव में किसी राजनैतिक दल द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि (Criminal Antecedents) वाले प्रत्याशी/प्रत्याशियों को खड़ा किया गया है तो उस प्रत्याशी/प्रत्याशियों के खिलाफ (Pending Criminal cases) लंबित आपराधिक मुकदमों एवं/अथवा पूर्व में (Conviction) दोषसिद्ध मुकदमों की घोषणा के प्रचार हेतु उस राजनैतिक दल द्वारा Format C-2 का (12 Font size) में का प्रकाशन उस लोक सभा अथवा विधान सभा क्षेत्र में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले अख़बार में नामांकन वापसी की अंतिम तिथि के अगले दिन से लेकर मतदान तिथि से दो दिन पूर्व तक तीन बार करवाना होगा। उस राजनैतिक दल को Format C-2 अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा तथा सम्बन्धित राज्य के टीवी चैनलों पर Format C-2 का प्रसारण तीन विभिन्न तिथियों पर मतदान ख़त्म होने से 48 घंटे पूर्व करवाना होगा।

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार को क्यों दिया टिकट ? वेबसाइट पर बताएं

सियासी दलों को वेबसाइट, न्यूजपेपर और सोशल मीडिया पर यह बताना होगा कि उन्होंने ऐसे उम्मीदवार क्यों चुनें जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं

राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर देश का सुप्रीम कोर्ट सख्त नज़र आया है। कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को आदेश दिया है कि उसे अपने उम्मीदवारों के आधिकारिक मामलों का रिकॉर्ड अपनी वेबसाइट पर दिखाना होगा। साथ ही यह भी आदेश जारी किया कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को वो टिकट क्यों दे रहे हैं, इसकी वजह बतानी होगी और जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सियासी दलों को वेबसाइट, न्यूजपेपर और सोशल मीडिया पर यह बताना होगा कि उन्होंने ऐसे उम्मीदवार क्यों चुनें जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सियासी दलों को ऐसे उम्मीदवार को चुनने के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी जिसके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। जिन उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं उनके बारे में अगर राजनीतिक दल न्यायालय की व्यवस्था का पालन करने में असफल रहते हैं तो चुनाव आयोग इसे शीर्ष अदालत के संज्ञान में लाए।

न्यायालय ने एक अवमानना याचिका पर यह आदेश पारित किया। उस याचिका में राजनीति के अपराधीकरण का मुद्दा उठाते हुए दावा किया गया था कि सितंबर 2018 में आए शीर्ष अदालत के निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है जिसमें सियासी दलों से अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करने को कहा गया था।

न्यायमूर्ति रोहिन्टन फली नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सियासी दल उम्मीदवारों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की विस्तृत जानकारी फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्षेत्रीय भाषा के एक अखबार और एक राष्ट्रीय अखबार में प्रकाशित करवाएं। न्यायालय ने कहा कि सियासी दलों को ऐसे उम्मीदवार को चुनने के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी जिसके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि जिन उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं उनके बारे में अगर राजनीतिक दल न्यायालय की व्यवस्था का पालन करने में असफल रहते हैं तो चुनाव आयोग इसे शीर्ष अदालत के संज्ञान में लाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रतीत होता है कि बीते चार आम चुनाव से राजनीति में अपराधीकरण तेजी से बढ़ा है।

कई याचिकाकर्ताओं में से बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वह राजनीतिक दलों पर दबाव डाले कि राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को टिकट न दें। ऐसा होने पर आयोग राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई करे।

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण को समाप्त करने को लेकर फ्रेमवर्क तैयार करने का चुनाव आयोग को निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति रवीन्द्र भट की पीठ ने आयोग से कहा था, 'राजनीति में अपराध के वर्चस्व को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए।' न्यायालय ने इस पर जवाब के लिए आयोग को एक सप्ताह का समय भी दिया था। न्यायालय ने राजनीति के अपराधीकरण पर सख्त टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि देश में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए कुछ तो करना ही होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव लड़ने वाले तमाम उम्मीदवारों द्वारा उनकी आपराधिक रिकॉर्ड देने मात्र से समस्या हल नहीं हो सकती।

आयोग ने न्यायालय के वर्ष 2018 में दिए गए उस फैसले की याद दिलाई जिसके तहत उम्मीदवारों से उनके आपराधिक रिकार्ड को इलेक्ट्रॉनिक एवम् प्रिंट मीडिया में घोषित करने को कहा गया था। आयोग ने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण रोकने में उम्मीदवारों द्वारा घोषित आपराधिक रिकॉर्ड से कोई मदद नहीं मिली है। साल 2018 के सितंबर माह में 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह गंभीर अपराध में शामिल लोगों के चुनाव लड़ने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर रोक लगाने के लिए तत्काल कानून बनाए।

आयोग ने सुझाव दिया कि उम्मीदवारों से आपराधिक रिकॉर्ड मीडिया में घोषित करने के बजाए ऐसे उम्मीदवारों को टिकट से वंचित कर दिया जाना चाहिए जिनका पिछला रिकॉर्ड आपराधिक रहा हो।

देश के मुख्य दस राजनीतिक दलों में आपराधिक छवि के नेता

भाजपा	116	कांग्रेस	29
जदयू	13	द्रमुक	10
तृणमूल	09	एलजेपी	06
बसपा	05	सपा	02
एआईएमआईएम	02	एनसीपी	02

10 प्रमुख सांसदों पर हत्या के मामले

साध्वी प्रज्ञा सिंह (भोपाल), भाजपा
निसिथ प्रमाणिक (कूच बिहार), भाजपा
अजय कुमार मिश्र (खीरी), भाजपा
छतर सिंह दरबार (धार), भाजपा
अतुल राय (घोसी), बसपा
अफजाल अंसारी (गाजीपुर), बसपा
नाबा कुमार सरानिया (कोकराझार), कांग्रेस
कुरुवा गोरान्तला माधव (हिन्दुपुर), वाईआरसीपी

4. सभी राजनैतिक दलों को चुनाव सम्पन्न होने के 30 दिनों के भीतर (Criminal Antecedents) आपराधिक पृष्ठभूमि के सभी अभ्यर्थियों से सम्बन्धित Format C-2 के अख़बार में प्रकाशन की प्रतियां एवं खर्चे का विवरण, Format C-2 का वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करने का विवरण एवं Format C-2 का टीवी पर प्रचार किए जाने हेतु खर्चे एवं प्रसारण-समय का विवरण को Format C-5 में राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहां दाखिल करना होगा।

5. भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 3/4/2017/SDR/Vol.II दिनांक 10.10.2018 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन न किये जाने की अवस्था में paragraph-16A of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत वैधानिक निर्देश का उल्लंघन माना जायगा। पैराग्राफ 16-A निम्न उधृत है -

[16A. Power of Commission to suspend or withdraw recognition of a recognised political party for its failure to observe Model Code of Conduct or follow lawful directions and instructions of the Commission. Notwithstanding anything in this Order, if the Commission is satisfied on information in its possession that a political party, recognised either as a National Party or as a State Party under the provisions of this order, has failed or has refused or is refusing or has shown or is showing defiance by its conduct or otherwise (a) to observe the provisions of the Model Code of Conduct for Guidance of Political parties and "Candidates" as issued by the Commission in January, 1991 or as amended by it from time to time, or (b) follow or carry out the lawful directions and instructions of the Commission given from time to time with a view to furthering the conduct of free, fair and peaceful elections or safeguarding the interests of the general public and the electorate in particular, the Commission may, after taking into account all the available facts and circumstances of the case and after giving the party a reasonable opportunity of showing cause in relation to the action proposed to be taken against it, either suspend, subject to such terms as the Commission may deem appropriate, or withdraw the recognition of such party as the National party or, as the case may be, the State party.]

(संलग्नक 2 : ECI Letter No. 3/4/2017/SDR/Vol.II dt. 10.10.18 की फोटोप्रति)

6. महोदय, दिनांक 22.5.2019 को 'मौलिक भारत' संगठन की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, अशोक रोड, नयी दिल्ली को सम्बोधित करते हुए एक पत्र/ज्ञापन आयोग सचिवालय, नयी दिल्ली में प्रेषित किया गया था एवं आयोग की ईमेल complaints@eci.gov.in पर भेज कर मांग की थी कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2019 के चलते भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10.10.2018 जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन न करने वाले आपराधिक पृष्ठभूमि (Criminal Antecedents) वाले अभ्यर्थियों एवं/अथवा राजनैतिक दलों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जावे। परन्तु आज दिनांक 10.02.2020 तक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि (Criminal Antecedents) वाले अभ्यर्थियों एवं/अथवा सम्बन्धित राजनैतिक दलों के खिलाफ कृत कार्यवाही से प्रार्थीगण को अवगत नहीं करवाया गया है।

(संलग्नक 3 : मौलिक भारत द्वारा प्रेषित का पत्र/ज्ञापन dt. 22.5.2019)

अत: मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नयी दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन आधिकारी-दिल्ली से लोकतंत्र हित में निवेदन है कि सामान्य निर्वाचन विधान सभा NCT दिल्ली -2020 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 3/4/2017/SDR/Vol.II दिनांकित 10.10.2018 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन न करने वाले अपराधिक पृष्ठभूमि (Criminal Antecedents) वाले अभ्यर्थियों एवं/अथवा राजनैतिक दल जिनके द्वारा द्वारा Format C-1, Format C-2 का प्रचार प्रसार न किया गया हो एवं चुनाव समाप्ति अर्थात 13.02.2020 से 30 दिनों पश्चात Format C-4 एवं Format C-5 जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित न किये जाने की अवस्था में अथवा प्रेषित किये गए Format C-4 एवं Format C-5 जांच उपरांत (Frivolous) झूठे/छद्म पाए जाने की अवस्था में उन सभी अभ्यथियों एवं/अथवा राजनैतिक दलों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की जावे।

लोकतंत्र हित में

प्रार्थी/याचिगण

सदस्य : मौलिक भारत संगठन

सादर प्रति प्रेषित

माननीय मुख्य न्यायधीश,

सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया,

तिलक मार्ग, नयी दिल्ली

कोरोना वायरस नहीं तीसरे विश्वयुद्ध का सूर्यग्रहण

● अनुज अग्रवाल

यह मेरी समझ से बाहर है कि क्यों अभी तक नाटो देशों ने औपचारिक रूप से नहीं घोषित किया कि तीसरा विश्वयुद्ध प्रारंभ हो चुका है। जबकि इसका आरंभ तो अमेरिका द्वारा उत्तरी कोरिया व ईरान के विरूद्ध उठाए गए कदमों के साथ ही हो चुका था। बुरी तरह उलझे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वस्तुत: एक ही बार मे यह समझ पाना मुश्किल होता है कि कौन सा देश किसके खेमे में है। किंतु कोरोना वायरस के विश्वव्यापी संफमण के खतरनाक रूप से शिकार विश्व में विभिन्न राष्ट्रों की प्रतिफिया व उठाए जा रहे कदमों से स्पष्ट हो चुका है कि दुनिया फिर से दो खेमों में बंटने जा रही है अमेरिकी व चीनी।

सन 1989 तक विश्व जिसमें बाज़ारबादी अमेरिका व साम्यवादी सोवियत संघ के दो खेमें थे , वे 1989 में अमेरिका द्वारा सोवियत संघ के बिखराब व अवसान के बाद समाप्त हो चुके थे व सन 1990 से सन 2019 तक अमेरिका दुनिया की एक मात्र महाशक्ति था। किंतु अब यह समीकरण बदल चुका है व चीन ने सोवियत संघ की जगह ले ली है और रूस , उत्तरी कोरिया व ईरान उसके साथ हैं।

पूरी दुनिया के निर्माण की फैक्ट्री चीन ने अब दुनिया की एक मात्र महाशक्ति बनने की ठानी है और इसके लिए उसने अपनी लेबोरेट्री में कृत्रिम रूप से म्यूटेशन की प्रफिया द्वारा (जेनेटिकली मोडीफाईड।) विकसित कोरोना वायरस का सोची समझी रणनीति बना पूरी दुनिया में प्रसार कर दिया जिसके कारण रोजाना हजारों मौत हो रही है व वायरस के कुचक्र से घबराई हुई दुनिया लॉकडॉउन हो गयी है। अमेरिका, इंग्लैंड, इटली व स्पेन जैसी महाशक्तियां व बड़ी अर्थव्यवस्थाएं असहाय व बर्बादी के कगार पर हैं तो बाकी दुनिया की क्या बिसात। इस अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित जैविक, आर्थिक व मानसिक महायुद्ध से चीन ने नाटो देशों की कमर तोड़ दी है। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद कि विश्व व्यवस्था जिसको अमेरिका के नेतृत्व में बना संगठन नार्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (नाटो) अब बिखरने के कगार पर है। दुनिया भर के शेयर बाजार फेश हो चुके है , बड़ी बड़ी कंपनिया दिवालियेपन की ओर है। पूरी दुनिया के उद्योग व व्यापार ठप्प हैं। कोई दवा, उपाय व तकनीक काम नहीं आ रही। अगले 60 दिनों तक इस स्थिति में कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद भी कम ही है।

चीन जिसके वुहान शहर से यह वायरस पूरी दुनिया मे फैला अब सामान्य होता जा रहा है व अप्रैल तक पूरा चीन पुन: व्यवस्थित होकर पुराने स्वरूप में आ जाएगा व बड़ी मात्रा में उत्पादन शुरू कर देगा। एक ओर जहाँ कहीं पूरी दुनिया के कोरोना से त्रस्त देशों को इलाज, तकनीकी, आर्थिक सहायता, व वैक्सीन आदि देकर मदद पहुंचा अपने पाले में करने की कोशिश करेगा वहीं फार्च्यून 500 कंपनियों पर अपने कब्जे करता जाएगा। आने वाला अप्रैल का महीना ढहते हुए अमेरिकी वर्चस्व व बिखरते हुए नाटो संगठन की कहानी सुनाएगा, वही तेल के धरातल पर आए दामो के बीच अरब व इस्लामिक राष्ट्रों के धराशायी होने की भी। ऐसे में अंतत: अमेरिका अपने वर्चस्व की वापसी के लिए अपने परमाणु व जैविक हथियारों, युद्धक विमानों, पोतों व अंतरिक्ष मे स्थित सेटेलाईटस को भी मैदान में उतारेगा और पूरी पृथ्वी भीषण तबाही की गवाह बन सकती है।

याद रखो मित्रों, पहला विश्वयुद्ध 4 बर्ष चला था और दूसरा 6 बर्ष, किंतु तीसरा कुछ ही महीनों में सब कुछ बर्बाद कर देगा। इतनी बर्बादी कि मानव जाति का अंत न हो जाए कहीं।

भारत की इस पूरे खेल में वहुत विचित्र स्थिति है। वह औपचारिक रूप से नाटो संगठन का एसोसिएट मेंबर है और अमेरिका का पिट्ठू है , किंतु चीन से बड़ी मात्रा में आयात करता है। रूस से भी भारत के संबंध संतुलित है और वीटो पावर वाले अन्य दो देशों इंग्लैंड व फ्रांस से भी। शीत युद्ध तक भारत व 100 से अधिक देश अमेरिका व सोवियत खेमों से बराबर की दूरी बना गुटनिरपेक्ष बने रहे किंतु अब ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। टैब यह भी यक्ष प्रश्न होगा कि हम किसके साथ खड़े होंगे अमेरिका के या चीन के?

टूटती, बिखरती व आत्मघाती इस वर्चस्व की जंग में कोई बड़ी व निर्णायक भूमिका निभा पाना भारत के लिए मुश्किल ही है। अपने लोगों व हितों की कम से कम हानि वो करवा पाया तो यही अपने आप मे बड़ी बात होगी।हाँ, पाकिस्तान भारत के लिए कोई चुनौती शायद ही रह पाए इस महायुद्ध के बाद।किंतु इस सब के बीच भुखमरी, महामारी, बेरोजगारी, बेकारी, लूट, दंगे व बर्बादी के नित नए सूर्यग्रहणों से साक्षात्कार करने की नियति हमें शक्ति दे बस यही प्रार्थना है।

जैविक युद्ध- साम्यवादी रहे विश्व का बाज़ारबादी विश्व से बदला - अनुज अग्रवाल, संपादक, डायलॉग इंडिया

चीन द्वारा छेड़े गए तीसरे जैविक विश्व युद्ध जिसमें आंतरिक रूप से अमेरिकी हाथ होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, के बाद दुनिया अनिश्चितताओं व अराजकता के भंवर में फंस चुकी है। रोज़ हज़ारों मोत इस वायरस के कारण हो रही हे और यह संख्या 15 से 20 लाख तक जा सकती हे।लगभग 50त्न लोगों की नोकरी व रोजगार समाप्त हो गए है या होने जा रहे हैं और बाकी लोगों के वेतन, आमदनी व खर्च आधे।भारत सहित अनेक देश आर्थिक

आपातकाल लगाने की स्थिति में आने जा रहे हे।सबसे बड़ा नुकसान सामाजिक संबंधों व तानेबाने को होने जा रहा है। समाज भले ही रहे किंतु सामाजिकता को बहुत चोट पहुँचेगी। धर्म भले ही रहे मगर धार्मिकता कम होती जाएगी।दुनिया अब तक कि सबसे भयानक मंदी के दौर में फंस चुकी है। इस खेल में मोटा माल कमाने की आशा करता चीन भी बड़े नुकसान झेलने वाला है क्योंकि जब दुनिया में मांग ही नहीं होगी तो उसका वह अपना बनाया माल बेचेगा किसको? कोरोना वायरस के संफ्मण ने सबको हिला ही नहीं दिया बल्कि अंदर से तोड़ भी दिया है। दुनिया की नई महाशक्ति बन चुके चीन जिसके साथ इस, ईरान , उत्तरी कोरिया व पाकिस्तान के साथ कुछ अफ्रीकी देश भी हैं अब पश्चिमी देशों से पुरानी खुंदक व बदले खुलकर निकाल रहे हैं। अब दुनिया की दूसरी महाशक्ति हो गए अमेरिका की इतनी फजीहत व नुकसान बिना एक गोली चलाए ही चीन ने कर दिया और इस सबके बाद भी अमेरिका, चीन के आगे घुटने टेककर गिड़गिड़ा रहा है और लाचार यूरोप अपने नागरिकों की लाशें गिन रहा है।

राष्ट्रपति ट्रंप की 卐 अमेरिका फर्स्ट卐 की नीतियां अमेरिका के गले पड़ गयी और चोट खाये रूस के कंधे पर बंदूक रखकर महत्वाकांक्षी व धूर्त चीन अमेरिका को आसानी से बर्बाद करता चला गया। सन 2016 में जिस तरह से रूसी राष्ट्रपति पुतिन रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप का साथ दे रहे थे ,कायदे से अमेरिका के रणनीतिकारों को उसी समय सतर्क हो जाना चाहिए था , किंतु चीन की शह पर रूस आगे बढ़ता रहा और अनेकों प्रपंच कर ट्रंप को चुनाव जितवा दिया गया। इससे अमेरिकी समाज बुरी तरह विभाजित हो गया। यहाँ तक की डेमोफेटिक पार्टी रूस से सहायता लेने के आरोप में ट्रंप के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव तक ले आयी। इसी विभाजन के बीच अमेरिका में कोरोना वायरस उन शहरों व प्रांतों में फैलता गया जहां जहाँ डेमोफेटिक पार्टी के समर्थकों की संख्या काफी ज्यादा है। यह चीन व ट्रंप की मिलीभगत हो सकती है।चीन और रूस ने अमेरिका तो आंतरिक रूप से वैचारिक युद्ध मे उलझा कर बुरी तरह तोड़ दिया। इस जुगलबंदी के बाद क्या अमेरिका ट्रंप के रहते चीन को खुलकर युद्ध छेड़ने का दोषी ठहरा पाएगा और अमेरिका औपचारिक रूप से चीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर पाएगा यह कहना मुश्किल है। इसी बर्ष अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है और बदली परिस्थितियों में ट्रंप का चुनाव जीतना मुश्किल है। हो सकता है जनदबाव में वे कुछ आफ्मक कदम उठाए मगर ये सीधे चीन के विरुद्ध हो ऐसा मुमकिन कम ही दिखाई दे रहा है। हाँ अगर अमेरिका डेमोफेटिक पार्टी की सरकार आ गयी तब हालात बिगड़ने की पूरी उम्मीद है।

यह कुछ वैसा ही था जैसा सोवियत संघ के विभाजन से पूर्व अमेरिका ने सोवियत संघ को भीतर से तोड़ तत्कालीन सोवियत सुप्रीमो मिखाइल गोर्बाचेव को साम्यवादी किले को तोड़ने पर विवश कर दिया था। इसके बाद पिछले तीन दशकों में दुनिया को दो बड़े दर्दनाक तोहफे अमेरिका व उसके पिछलग्गू यूरोप ने दिए। एक तो ग्लोबलाइजेशन व खुली अर्थव्यवस्था के नाम पर बाज़ार का नंगा नाच और दूसरा साम्यवादी किले के ढहने के कारण खाली व दिशाहीन इस्लामिक देशों में साम्यवाद के विरुद्ध खुली जंग कर रहे आतंकी संगठनों की विश्वव्यापी हैवानियत। कब यह इस्लामिक आतंकवाद शिया- सुन्नी, हिन्दू - मुसलमान व मुस्लिम- ईसाई संघर्ष में बदलता गया , पता ही नहीं चला। हाँ, इस पूरे बदलते खेल पर सऊदी अरब व कतर के माध्यम सेअमेरिका का ही नियंत्रण रहा।पूरी दुनिया इन तीस बर्षों में अमेरिका की रिपब्लिकन व डेमोफेट पार्टियों के गुटों में बंटती गयी। सभी देशों के राजनीतिक दल, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, आतंकी संगठन और अंडरवर्ल्ड सभी दो गुटों में बंट गए। कोई रिपब्लिकन पार्टी के साथ तो कोई डेमोफेट के साथ। भारत के राजनीतिक दल भी इसका अपवाद नहीं।

इन तीन दशकों में साम्यवाद न बढ़े व रूस को नीचा दिखाने के साथ ही चीन भी साम्यवादी खेमे से निकल बाजारवाद की ओर खिसके, इसीलिए नाटो देशो ने चीन को अपनी फैक्टरी बना लिया और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ निवेश किया। चीन की साम्यवादी सरकार भी बाज़ारबादी समाजवाद की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ती गयी। इतनी आगे की अब पूरा पश्चिमी जगत हर छोटे बड़े सामान के लिए उस पर निर्भर है और उसके पास आज प्रचुर मात्रा में डॉलर, यूरो व पोंड का भंडार है। इतना कि जब भी वह बाज़ार में इनको फेंकेगा इन देशों की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएंगी, जो कोरोना वायरस के कारण टूटने के कगार पर हैं ही। पश्चिमी देशों के सबसे बड़े पिट्ठू तेल उत्पादक अरब देशों को भी चीन रूस के माध्यम से ठिकाने लगा रहा है। पिछले एक दशक में रूस ने अपने यहाँ तेल व गैस की खोज व उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया है और चीन के इशारे पर ही रूस ने कोरोना संकट के समय तेल की विश्वयापी मांग में कमी आने के बाबजूद तेल के उत्पादन में कमी करने से इंकार कर दिया जिसके कारण तेल के प्रति बैरल दाम 25 डॉलर प्रति बैरल पर आ गए है और अरब देशों की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह चरमरा गई है। इस कारण अरब देशों में एक करोड़ नोकरी समाप्त हो गई हैं। यूरोप व अमेरिका में भी करोड़ नोकरी दांव पर है तो भारत सहित शेष विकासशील देशों में भी। चीन स्वयं भयंकर मंदी का शिकार हो सकता है।

दुनिया से कुछ बर्षो या सदा के लिए के लिए दर्जनों तरह के उद्योग, व्यापार व सेवा क्षेत्र समाप्त होने जा रहे हैं और दुनिया की एक तिहाई आबादी का भबिष्य अनिश्चितता के गर्त में फंस चुका है। यह साम्यवादी रहे विश्व का बाज़ारबादी विश्व से बदला है जो बदले से अधिक खुंदक में बदल गया है और पूरी मानव जाति को विनाश के गर्त में ले जा रहा है।

जब तक अगले दो तीन बर्षो में सरकारें व अर्थव्यवस्थायें कुछ संभल भी पायीं तो भी करोड़ों लोगों को भूख, गरीबी, बेरोजगारी व महामारी से जान गंवानी पड़ सकती है। इससे भी बड़ी आपदा दूसरे रूप में सामने आने जा रही है और वो है कोरोना संफमण से प्रभावित व बर्बाद होते देशों की प्रतिफिया व चीन व उसके समर्थक देशों पर कार्यवाही, प्रतिबंध व आफमण या फिर बर्बाद हो रहे देशों में आंतरिक गृहयुद्ध व तख्ता पलट। यह सब छोटे बड़े युद्ध, नरसंहार, महामारियों व व्यापक संसाधनों और धन की हानि के संकेत हैं। इन सबसे बचना अब संभव नहीं। चीन ने इंडोनेशिया, मलेशिया व पाकिस्तान का इस्तेमाल कट्टरपंथी इस्लाम को हथियार बनाकर भी करना शुरू कर दिया है जो तबलीगी जमात के माध्यम से किया जा रहा है। उधर ईरान व उत्तरी कोरिया को भी युद्ध आंतरिक तैयारियां में लगा रखा है। क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव जीतने के लिए चीन पर सीधा हमला न कर इन देशों पर किसी बहाने हमला कर सकते हैं। बहुत मुमकिन हो कि ईरान द्वारा कोरोना संफमण से बीमार लोगों व मृतकों की सूचनाएं झूठी हो।

कोई भी देश अनंत काल तक स्वास्थय संकट , लॉकडॉउन व नकारात्मक आर्थिक वृद्धि से नहीं झेल सकता। अगर दुनिया मे लॉकडॉउन लंबा खिंचा जैसा कि लग रहा है तो जनता मानसिक विकार, अलगाव व विकृति के साथ ही सैकड़ो अन्य रोगों से ग्रसित हो सकती है। सरकारें आमदनी न होने की स्थिति में लंबे समय तक आर्थिक पैकेज , धन व भत्ते नहीं दे सकती। भारत , यूरोप, अमेरिका , चीन या फिर अन्य अधिकांश देश , सभी मे 50 से 70 प्रतिशत तक आबादी जितना खर्च करती है बस उतना ही कमाती है। ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में लोगो की आमदनी घटने य समाप्त होने के कितने विनाशकारी प्रभाव पड़ेंगे यह वर्णित करना ही बहुत कठिन है।

लगता है दुनिया खुली बाज़ारबादी व समाजवादी बाज़ारबादी लालची भेड़ो की अनियंत्रित दौड़ का शिकार हो गयी है और 卐सर्वोत्कृष्ट की उत्तरजीविता卐 का सिद्धांत पुन: स्थापित हो गया है। बेहतर हो अगर सभी देश अपनी अपनी सीमाएं अगले कुछ बर्षो के लिए पूर्णत: बंद कर ले व अपने अपने आंतरिक संसाधनो के दाम पर ही अपना गुजर बसर व विकास करें। अंतरराष्ट्रीयकरण आत्मघाती हो चुका है अपने अपने मौलिक स्वरूप में अपनी अपनी संस्कृति के अनुरूप अपना विकास ही ऐसा मार्ग है जो दुनिया को बड़ी तबाही से बचा सकता है। भारत व हमारी सनातन संस्कृति, योग, आयुर्वेद, आध्यात्म व प्रकृति केंद्रित विकास इसमें अग्रणी व प्रेरक बन सकता है।

अकेले चीन ही नहीं पश्चिमी देशों के कुकर्मों का परिणाम भी है कोरोना वायरस का संकट

दुनिया को बाज़ार बना कर लूटने के पश्चिमी देशों के षड्यंत्रों का पिछले 500 बर्षो से दुनिया गवाह रही है। तीसरी दुनिया का हर नागरिक इस दर्द की पीड़ा की जानता है। आज कोरोना वायरस का प्रकोप दुनिया के 200 देशों तक फैल चुका है। दुनिया इसके लिए चीन को दोषी ठहरा रही है मगर उसके साथ पश्चिमी देश भी उतने ही दोषी है। इसके लिए पिछले कुछ दशकों के दुनिया के घटनाफमो को समझना होगा।

1) इसमें पहला चरण एशिया, अफ्रीका व लेटिन अमेरिकी देशों को गुलाम बनाकर लूटने का रहा जो इन देशो में पिछले 100 सालों में आयी जनजागृति के कारण आजादी के आंदोलनों में बदल गया और अंतत: इन देशों को मुक्त करना पड़ा। मगर आजादी देने से पूर्व 卐 ड्रेन ऑफ वेल्थ卐 की रणनीति पर अमल करते हुए 400 बर्षो तक इन देशों का यथासंभव शोषण व लूट के खेल चलते रहे। विकसित देशों की प्रचुर दौलत व शानदार इंफ्रास्ट्रख्र के पीछे यही लूट का माल है। जितने भी पिछली पीढ़ी के प्रवासी नागरिक आज इन देशों में है वे सब पुराने समय मे गुलामों के रूप में लाये गए लोग ही हैं।

2) बाज़ार के विस्तार व प्रचुर लाभ के लालच में इन देशों ने तीसरी दुनिया के देशों पर परोक्ष नियंत्रण के लिए 卐जैसा अन्न, वैसा तन और वैसा ही मन 卐 जो किसी भी मानव के विकास का मूल मंत्र है, पर नियंत्रण की चाल खेली। यानि मानसिक गुलाम बनाकर व अपनी संस्कृति व जीवन शैली थोपकर इन देशों पर नियंत्रण। बाजारवादी पश्चिमी ताकतों ने सुदृढ़ तन व समृद्ध मस्तिष्क वाले एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के लोगों को फमिक रूप से बदलने के लिए 卐अन्न卐 बदलने का खेल खेला। पोषक तत्वों से भरपूर जैविक कृषि से उत्पादित अनाज कब हरित फांति के नाम पर मशीनीकरण, खाद, केमिकल व वसा युक्त हो कई गुना होने लगा पता ही न चला। किंतु साथ लाया एशिया में सीमित बुद्धि व कमजोर इम्यून सिस्टम व शरीर वाली अपार जनसंख्या यानि जनसंख्या विस्फोट। इससे अमेरिका, यूरोप व अन्य विकसित देशों को कई फायदे हुए। एक तो सस्ती लेबर व मेन पावर उपलब्ध हुई दूसरा अपनी फैक्ट्रियों के लिए बहुत बड़ा बाजार मिल गया। अपनी अय्याश जीवन शैली को बनाए रखने के लिए उनको यही चाहिए था भी। दुनिया भर में नारीवादी आंदोलन के पीछे भी यही बाजारू ताकते रही जिनको यही दो लालच थे - सस्ता श्रम व नया बाजार। नारी को काम धंधों में लगाकर एक कर जहाँ उनको लेबर व मैनपावर की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में मिलने लगी वहीं उसकी कीमत भी कम रही और बाद उपभोक्ता वर्ग भी मिल गया। इस कारण उनकी कंपनियों को प्रचुर लाभ की। संभावनाएं बनी रही। एशिया के देशों में पिछले 50 बर्षो में यूरोप व अमेरिकी कंपनियों ने प्रचुर मात्रा में उद्योग लगाए। जापान को पीछे छोड़ चीन तो 卐 विश्व की फैक्ट्री卐 के रूप में ही उभर कर सामने आया, तो दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई व भारत आदि भी एशिया में बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे। अपने

देशों को पर्यावरण के प्रदूषण से बचाने कर लिए भी अय्याश पश्चिम ने एशिया, दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका का उपयोग किया। किंतु इन देशों पर नियंत्रण रखने के लिए इनके आपसी विवादों व आंतरिक अशांति को बढ़ावा देते रहे व सुलह सफाई और मध्यस्थता के नाम पर यूएनओ और नाटो की आड़ में समस्त दुनिया मे अपने सैनिक अड्डे बना नियंत्रण करते रहे । पश्चिमी एशिया में इजरायल अरब संघर्ष व दक्षिण एशिया में भारत पाक संघर्ष भी इसी खेल का हिस्सा है। नाटो देशो ने अमेरिका के नेतृत्व में पूरी दुनिया की नोसेनाओ द्वारा व परमाणु हथियारों द्वारा भी नोकाबन्दी की हुई है व अंतरिक्ष से निगहबानी व नियंत्रण भी। मगर इसकी आड़ में जो हथियारों व सैन्य सामानों जो बाज़ार खड़ा कर दुनिया को नृशंस तरीके से लूटा गया वो अलग ही कहानी है।

3) साम्यवादी व समाजवादी सोच व सरकार वाले विस्तारवादी सोवियत संघ और चीन को अपने लिए खतरा समझ इनके विरुद्ध बाजारवादी पश्चिमी देशों ने लगातार प्रत्यक्ष व प्रोक्सी वॉर छेड़े रखी और अंततः सन1980 से 1990 के बीच जहाँ वे चीन को बाज़ारबादी समाजवाद की ओर मोड़ ले गए वहीं सोवियत संघ को टूटने पर मजबूर कर उसे व उसके खेमे के देशों को भी अपने बाजारवादी तंत्र में शामिल कर लिया। साम्यवादी फांति को रोकने के लिए दुनिया मे इस्लामिक आतंकवाद व कट्टरपंथी बहाबी इस्लाम को पैदा करने व बढ़ाबा देने के पीछे यही पश्चिमी बाज़ारबादी ताकते है , जिसके दंश पूरा विश्व व स्वयं पश्चिमी देश आज भी झेल रहे हैं। इस खेल पर अपना नियंत्रण रखने के लिए नाटो देश शेयर बाजार, विश्व बैंक व आईएमएफ को तो हथियार के रूप में प्रयोग करते ही है , मगर उनका सबसे बड़ा हथियार है करेंसी वार। दूसरे देशों के उत्पादन को खरीदने से पहले उनकी शर्त होती है कि लेनदेन डॉलर , पोंड य यूरो में ही कियस जायेगा। ये करेंसी का खेल उनको कई गुने फायदे बिना कुछ करे धरे ही दिलवा देता है।

4) पश्चिम का नियंत्रण अब दुनिया की सोच, जीवन शैली, उपभोग के साथ शिक्षा व स्वास्थ्य पर भी हो चुका है। अरब देशों के साथ मिलकर जहाँ इन्होंने इस्लामी आतंकवाद को बढ़ावा दिया वहीं 卐 तेल के खेल卐 खेले। पूरी दुनिया को उपभोक्तावादी बना ऑटोमोबाइल के आकर्षण में फंसा दिया और दुनिया मे यातायात के साधनों का अंबार लग गया। पश्चिमी बाज़ारबादी ताकतों ने रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मानव की बुनियादी आवश्यकताओं के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य व न्याय जैसी बुनियादी आवश्यकताओ को भी उपभोग व बाज़ार का हिस्सा बना दिया और दुनिया के लोग इनको पाने के चक्कर में ही अपना जीवन उलझा बैठे। बाजार नित नए लूट के चमक दमक भरे खेल इन उपभोक्ताओं के सामने फेंकता रहता है और दुनिया उनके भ्रम जाल में चकरघिन्नी बनी रहती है।

5) बाज़ार पर कब्जे की होड़ में पश्चिमी देशों व दुनिया की कंपनियों में भी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा व गुटबाजी है। उपभोक्ताओं की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माल बनाने व बेचने से यह दौड़ बहुत आगे निकल गयी है व गलाकाट होड़ में बदल गयी है। अब दुनिया के लोग या तो मानव संसाधन बन गए है या उपभोक्ता में बदल चुके है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां इनको अपने मायाजाल में उलझाए रखने के लिए तरह तरह के उत्पादों के जाल में उलझाए रखने के खेल खेलती रहती हैं। इसके लिए ये दुनिया भर में सरकारों को कमीशन देती है, लॉबिंग करती है व अपने उत्पादों के लिए बाजार बनाने में लगी रहती हैं। इनके लाभ भी मूल लागत के दो से लेकर बीस गुने तक होते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच ऐसे क्षेत्र खोजे जाते है जिनमे अधिकतम लाभ कमाया जा सके। 卐 जीवन की रक्षा卐 एक ऐसा विषय है जिसपर दुनिया का कोई भी व्यक्ति कोई समझौता नहीं कर सकता। इसलिए स्वास्थ के क्षेत्र में कई गुने लाभ की हमेशा संभावना रहती है। अमेरिका व यूरोप की कंपनियों ने दवाओं, वैक्सीन व जीवन रक्षक उपकरणों, स्वास्थ्य शिक्षा व सेवाओं के नाम पर हमेशा बड़ी लूट मचाई है व अपरिमित लाभ कमाया है। इस खेल में वे अनेक देशों की सरकारों, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सक संघों व चिकित्सको के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन, शोध संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों को भी नेटवर्क में रखती है। इसके अतिरिक्त अनेक देशों में नोकरशाही, न्यायपालिका, एनजीओ, बुद्धिजीवियों व मीडिया को भी मोटा पैसा दिया जाता है। यह कह सकते है कि यह 卐सामुहिक लूट卐 का एक विश्व्यापी सुनियोजित खेल है जिसमे हर विश्वसनीय संस्थान हिस्सेदार होता है।

6) स्वास्थ्य के क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा वायरस व बैक्टीरिया फैलाकर बीमारियों को पैदा करना व व फिर उनके जांच, इलाज व निदान के लिए किट, वैक्सीन व दवाई, सेवाएं व उपकरण बेचने का धंधा दुनिया मे आम है । अभी तक इस खेल में पश्चिमी जगत की कंपनियों का कब्जा था जो कोरोना वायरस के खेल में अब चीन के कब्जे में आ गया।

7) पिछले तीस वर्ष में चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र बन चुका है और महत्वाकांक्षी भी। उसके पास प्रचुर मात्रा में विदेशी मुद्रा विशेषकर डॉलर , पोंड व यूरो हैं, सबसे बड़ी व अत्याधुनिक हथियारों से लैस सेना है। चोट खाए रूस का साथ है और पश्चिमी देशों के शोषण, धूर्तता व लूट हज़ारों किस्सों की दर्द भरी कसक भी। अब वह महाशक्ति बनना चाहता है और सोवियत संघ के अवसान के बाद उभरे एक ध्रुवीय विश्व मे शक्ति संतुलन पुनः स्थापित करने की कोशिश में है। इसीलिए उसने एक वायरस 卐 कोरोना卐 को प्रयोगशाला में म्यूटेशन द्वारा घातक बनाकर और प्रसारित कर बाज़ार से माल कमाने के साथ ही पश्चिमी देशों को सबक सिखाने व अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए 卐 जैविक

हथियार卐 के रूप में प्रयोग किया है। उसका यह प्रयोग सफ़ल होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। आज यूरोप व अमेरिका बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। रोज हज़ारों लोगों की मौत हो रही है, पूरी दुनिया लॉक डॉउन है, अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो रही हैं और इसके बाबजूद नाटो देशों के हथियार शांत है और वे घुटने पर हैं, वे खुलकर चीन को दोषी भी नहीं ठहरा पा रहे है उस पर हमला करना तो दूर की बात। इतना विवश पश्चिम शायद ही किसी ने देखा हो और इन सबके बीच चीन ही अकेला ऐसा देश है जो आगे बढ़ता मोह चिढ़ाता दिख रहा है मानो पश्चिम से कह रहा हो देख 卐 मियां की जूती मियां के सर卐।

अब बात इस घटनाफ्म के दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव की। चोट खाया पश्चिम देर सवेर चीन से बदला लेने की कोशिश अवश्य करेगा। वह बाज़ार पर अपने कब्जे को नहीं छोड़ना चाहेगा व अमेरिका भी पुलिस मेन बने रहने की कोशिश करेगा। ऐसे में विश्वयुद्ध छिड़ने की पूरी संभावना है। जिसमें भहरी जनधन व संसाधनो की हानि होनी तय है। नयी टेक्नोलॉजी व पर्यावरण की बढ़ती समस्या अब बाज़ार की पुनर्परिभाषित करने की कोशिश कर रही है। आईटी व कृत्रिम बुद्धि के विकास ने अब उद्योग धंधों में मैनपावर की आवश्यकता को सीमित कर दिया है। उधर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी तेल से बिजली पर जा रही है और लगातार बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं संसाधनो के सीमित उपयोग पर जोर दे रही है। ऐसे में अब बहुराष्ट्रीय कंपनियो को अधिक व सस्ते मानव संसाधन नही चाहिए और न ही बड़ा उपभोक्ता बाजार। इसीलिए टेक्नोलॉजी आधारित विकसित जीवन शैली वाले व वर्तमान विश्व की जनसंख्या के एक तिहाई या आधे लोग ही इनके लिए पर्याप्त बाजार हो सकते हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने लिए अब चीन व तीसरा विश्व युद्ध ही बाजार का नेता या हथियार हो सकते हैं। देखते है कब तक यह युद्ध चलेगा व क्या क्या व कौन कौन बचेगा ?

मौलिक भारत के सुझाव

एमएसपी की जगह किसान को अगर अपनी फसल का मनमाना दाम चाहिए तो उनको ये काम करने पड़ेंगे

- अनुज अग्रवाल, महासचिव, मौलिक भारत

1) सामान्यतः देश को जितनी आवश्यकता है उससे दोगुना अनाज उगाया जा रहा है। ऐसे में अनाज गोदामों में सड़ता है व शराब बनाने वाली कम्पनियां उनको सस्ते में ख़रीद लेती हैं। बेहतर हो कि किसान कम मात्रा में उगाए किंतु अच्छी गुणवत्ता का अनाज उगाए व ज़ैविक कृषि की ओर बढ़े तो उसको अपनी फसल के दाम मनचाहे मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे अनाज की मांग अधिक होगी व आपूर्ति काम तो दाम बढ़ेंगे।

2) किसान देश में मांसाहार पर प्रतिबंध लगाने अथवा सीमित करने की मांग करे क्योंकि इसके कारण लोग अनाज कम खाते हैं व किसान का अनाज सस्ते में बिकता है। मांसाहार पर प्रतिबंध लगने से अनाज की मांग बढ़ जाएगी व दाम भी।

3) किसान नक़दी फसलें, फल व सब्ज़ी का उत्पादन बढ़ाए जो उसको अतिरिक्त आमदनी करवाएंगे। इसके साथ ही पूर्व की तरह गाय, भेंस आदि दूध देने वाले पशुओं का पालन पुन शुरू करें जो उनकी सेहत भी सुधरेगा और आमदनी भी।

4) छोटे किसान पंचायत स्तर सहकारी समिति बनाकर अपने गांव, ब्लॉक ,तहसील व ज़िले में अपने उत्पादों की दुकाने खोले यानि जो उगाए उसे बिना बिचोलियो के अपने स्टोर्स पर स्वयं बेचे जिससे उनको अपने उत्पाद के सही दाम मिलने लगेंगे। इसमें सरकार की पूरी मदद ली जाए तो अच्छा होगा।

5) किसान ज़ैविक कृषि व मोटे अनाज का उत्पादन जेसे जैसे बढ़ाएंगे व लोग उसका प्रयोग बढ़ाएंगे तो आम जनता बीमार होना कम होती जाएगी यानि सभी का बीमारियों का खर्च कम होता जाएगा जिससे जनता व किसान सभी की बचत होगी।

6) किसान याद रखें एमएसपी उनको सरकारी ख़रीद में ही सीमित मात्रा में आमदनी की गारंटी हो सकती है किंतु अगर मांग बढ़ेगी तो वे मनचाहे दाम नहीं बढ़ा पाएंगे।

7) किसान याद रखें अच्छी गुणवत्ता का अनाज, डाक, सब्ज़ी व दूध उनके दामन की अंतरराष्ट्रीय मांग बढ़ाता जाएगा और उनकी आमदनी भी।

8) दूरगामी योजना के अनुरूप किसान अपने परिवार के एक सदस्य को कृषि उत्पादन व प्रबंधन से जुड़े कोर्स अवश्य करवाए व स्वयं कृषि संबंधित उद्योग लगाए जिसमे भरपूर सरकारी सहायता, अनुदान व ऋण ले ।

मौलिक भारत मानता है कि बेशक आंदोलन कई बार ज़रूरी होते हैं किंतु किसान आंदोलन का इतिहास रहा है कि इनके नेता हर बार राजनीतिक दलो की चाल में फंसकर टूट व बिखर जाते है या फिर बिक जाते है या फिर सरकारें इनको कुचल देती हैं। कोरोना संकट ने विकास के वर्तमान मॉडल पर प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए हैं व कृषि, ग्रामीण उद्योग, प्रकृति केंद्रित जीवन शेली की ओर लोटने की बातें मुख्यधारा में तेही से उठी हैं। ऐसे में किसान आंदोलन राजनीति का शिकार बने बिना एक वेकल्पिक मॉडल पर मंथन कर देश, समाज व सरकार के सामने रखे तो उस पर सर्व स्वीकृति बनने में देर नहीं लगेगी अन्यथा छल, बल व भ्रम का शिकार होकर इस आंदोलन का बिखरना तय है।

अनुज अग्रवाल
महासचिव, मौलिक भारत

ज़्यादा अनाज उगाने के लालच में अधिकतर किसान सरकारो और कारपोरेट कम्पनियां द्वारा दिया गया ज़हर (ज़हरीले बीज, खाद व कीटनाशक) अनाज उगाते समय मिलाते हैं व घटिया अनाज उगाते हैं। पूरा देश उनको खाता है और। बीमार बनता रहता है। इसके बाद डॉक्टर, अस्पताल, फ़ार्मा व वेक्सीन कम्पनियां उसकी कमाई को दुह लेती हैं। यही आधुनिक विकास व जीडीपी का माडल है। अब यह समझ नहीं आता कि मैं किसके साथ खड़ा हूं ? जो हमारे सनातन संस्कृति के ज़ैविक कृषि के माडल पर काम करेगा मेरा समर्थन उसी के साथ।

- मौलिक भारत अभियान

लॉकडाउन से अनलॉक के बीच मौलिक भारत की सरकार से मांग

लॉकडाउन से अनलॉक के बीच जो बड़ी मुसीबत देश के लोग सामना कर रहें हैं मगर केंद्र हो या राज्यों की सरकार, कोई इनका समाधान करने को तैय्यार नहीं। मौलिक भारत की माँग है कि सरकार इन मुद्दों को गंभीरता से ले और इनका निदान करे :

1) करोड़ों लोग जिन्होंने फेक्टरी, शोरूम, गोदाम, शेड या आवासीय इकाई किराए पर ली हुई है बे लोग अपनी आमदनी घटने या बंद हो जाने के कारण किस फ़ार्मूले के अंतर्गत मकान मालिकों से अपने किराए को माफ़ या काम करवाए क्योंकि वर्तमान किराया क़ानून मकान मालिकों के पक्ष में है और सामान्यत: मकान मालिक व किरायेदार के बीच हुए किराया- समझोते में आपदा से निबटने से संबंधित प्रावधान नहीं लिखे जाते।

2) जब किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई गतिविधि नहीं चल रही और सीमित मात्रा में ऑनलाइन पढ़ाई ही कराई जा रही है तब अभिभावको को पूरी फ़ीस देने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है। सरकार इस समस्या के समाधान के लिए कोई दिशा निर्देश क्यों नहीं दे रहीं?

3) इस आपदा के समय ग़रीबों को मदद करने वाली दो सबसे बड़ी योजनाएँ मनरेगा व खाद्य सुरक्षा में जो कई लाख करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है उसमें से आधे से अधिक भ्रष्टाचार और फ़ज़ीबाड़े की भेंट चढ़ रहा है ,इसको रोकने के कोई उपाय क्यों नहीं किए जा रहे हैं?

4) सरकार ने उन नोकरीपेशा लोग जो रू 3000/ प्रति माह से रू 30000/ प्रतिमाह के बीच कमाते थे और बड़ी मात्रा में इस आपदा व महामंदी के कारण उनकी नोकरी चली गयीं हैं के लिए किसी सहायता या पैकेज की घोषणा क्यों नहीं की ?

अनुज अग्रवाल
महासचिव, मौलिक़ भारत

क्या होना चाहिए शिक्षा सत्र का इस वर्ष

कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न शिक्षा संस्थानो में पढ़ रहे 30 करोड़ छात्र छात्राऐ अनिश्चय के दौर से गुज़र रहे हैं। इनमे से बारहवीं तक के तीन चौथाई को तो ऑनलाइन शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है, तो उच्च शिक्षा में यह आँकड़ा लगभग आधे का है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सामान्यत: अप्रेल से अगस्त तक प्रवेश चलते हैं व इनके बीच जुलाई व अगस्त में कक्षायें प्रारम्भ हो जाती हैं। इस बर्ष स्थिति बिगड़ी हुई है। उच्च शिक्षा संस्थानो में नए प्रवेशों का टोटा है। बड़ी मुश्किल से विभिन्न शिक्षा बोर्डों के बारहवीं के परिणाम आए हैं किंतु छात्र व उनके माता पिता धर्म संकट में हैं। वे अपने बच्चो को उच्च शिक्षा संस्थानो में प्रवेश दिलाने से हिचक रहे हैं क्योंकि -

1) उनको डर है कि कॉलेज में सत्र शुरू होने पर कोरोना संकट के कारण वे अपने बच्चे को केम्पस में केसे भेजें?

2) उनको लग रहा है कि ये संस्थान उनसे प्रवेश के समय पूरी फ़ीस ले लेंगे किंतु उनके बच्चे को आधी अधूरी ऑनलाइन शिक्षा ही दे पाएँगे।

3) कोरोना संकट के कारण लोगों की नोकरी व व्यवसाय पर घना संकट है। यह भी नहीं स्पष्ट कि यह संकट चलेगा कितना लंबा। ऐसे में वे अपने सीमित धन को कैसे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए निवेश कर दें?

4) कोरोना ने दुनिया की अर्थव्यव्स्थाव प्राथमिकताए बदल दी हैं किंतु शिक्षा संस्थानो के कोर्स पुरानी आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। जब तक नए पाठ्यक्रम व कोर्स न आ जाए तब तक अनुपयोगी कोर्सेस में प्रवेश से अच्छा है कि बच्चे को घर बैठकर रखा जाए।

5) उच्च शिक्षा संस्थानो के पिछले वर्ष के छात्रों की परीक्षा अभी तक नहीं हो पायी है व अनेक प्रवेश परीक्षाएँ अभी लंबित हैं और उनकी तिथियाँ बार बार आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में अपने बच्चे को प्रवेश दिलाना संभव ही नहीं दिख रहा।

स्कूलों में तो अप्रेल में सत्र शुरू होते ही लॉक डाउन लग गया और वे अभी तक बंद हैं और अगले तीन चार महीने खुलने मुश्किल ही हैं। ऐसे में उनके लिए इस वर्ष शिक्षा सत्र चला पाना लगभग नामुमकिन सा ही है। वैसे भी थोड़ा बहुत ऑनलाइन पढ़ाकर या दो तीन महीने कक्षाओं में बुलाकर आधी अधूरी या बिना परीक्षा लिए विद्यार्थियों को पास कर देने के कोई मायने भी नहीं।

ऐसे में बेहतर होता अगर सरकार प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के इस अकादमिक सत्र को शून्य ही घोषित कर देती। हाँ शिक्षा क्षेत्र से जुड़े नोकरीपेशा लोगों के लिए अभिभावको, संस्थान के प्रबंधकों व अपनी ओर से मिलाकर सरकार को एक राहत पैकेज की घोषणा कर देना चाहिए। निजी संस्थानो के प्रबंधन के लिए भी एक पेकेज अलग से होना चाहिए।इस बिषय पर सरकार का मौन सभी अभिभावको को चुभ रहा है। यह चुभन सभी सत्तारूढ़ दलो का गंभीर राजनीतिक नुक़सान भी कर सकती है।

अनुज अग्रवाल
महासचिव, मौलिक़ भारत

सेवा में
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ,
प्रधानमंत्री, भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय- फ़िल्म उद्योग में 'लीगल मनीलौंड्रिंग' व अन्य आरोपों की जाँच के संबंध में

भारत के फ़िल्म उद्योग का इस्तेमाल चीन कितनी चालाकी से '**लीगल मनीलोंड्रिंग**' के माध्यम से भारत में अपनी पकड़ व प्रेशर ग्रूप बनाने के लिए कर रहा है यह निर्भीक, निडर व खोजी पत्रकार यशवंत चौधरी के इस खुलासे से होता है।
देखें लिंक -
https://www.facebook.com/v{~}®y~|®®yxzy}}/posts/w|ww{|v}y|~|xw{x/?vh=e&e&tid=WlegrawmXr®ZtVqy&d=n

इस खोजी व तथ्यपरक रिपोर्ट को देखकर आप समझ चुके होंगे कि चीन कितनी चालाकी से भारत के फ़िल्मउद्योग में घुसपैठ बना चुका है व भारत के अनेक प्रसिद्ध फ़िल्मी कलाकार चीन की कठपुतली बन भारत के विरुद्ध चीन का साथ दे रहे हैं।
मेरी भारत सरकार से माँग है कि

1) आमिर खान, सलमान खान, आयुष्मान खुराना आदि अन्य सभी फ़िल्मी उद्योग से जुड़े लोग जिनकी फ़िल्मों के प्रदर्शन चीन में हुए हैं व उनको अप्रत्याशित लाभ हुआ है, कि प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग व न्यायिक जाँच करवायी जानी चाहिए ताकि फ़ज़ी तरीक़े से करोड़ों अरबो रुपए '**लीगल मनी लौंड्रिंग**' द्वारा भारत में लगातार लाए जा रहे हैं उनका क्या उद्देश्य है यह स्पष्ट हो ।
2) किस प्रकार इस धन का भारत में अभी तक प्रयोग किया गया है व उससे भारत विरोधी फ़िल्म प्रचार सामग्री या किसी भारत विरोधी संगठन व आतंकी गुट को सहायता तो नहीं दी गयी है?
3) फ़िल्म उद्योग में कलाकारों व प्रोडक्शन से जुड़े लोगों का क्या इस तरह के धन के माध्यम से शोषण तो नहीं किया जा रहा है?
4) क्या अन्य क़ानूनी व ग़ैर क़ानूनी श्रोतो से भी और धन आ रहा है इसकी भी जाँच होनी चाहिए।
5) फ़िल्म उद्योग में भारतीय संस्कृति विरोधी फ़िल्म बनाने, नशे, ड्रग्स , खुलेपन पाश्चात्यकरण करने व व्यभिचार को बढ़ाने व जनता में सरकार विरोधी माहोल बनाने मे तो इस धन का उपयोग नहीं हाई रहा?
6) फ़िल्म उद्योग के लोगों के चीन, पाकिस्तान व तुर्की आदि भारत विरोधी देशों से व्यापारिक के साथ साथ अन्य किसी तरह के रिश्ते तो नहीं जिसके माध्यम से वे देश विरोधी व राष्ट्र द्रोही गतिविधियों को अंजाम दे रहे हों?

मेरी प्रधान मंत्री जी , ग्रह मंत्री , सूचना प्रसारण मंत्रीवित्त मंत्री व विदेश मंत्री ,भारत सरकार व देश की सभी जाँच एजेंसियों से अनुरोध है किउपरोक्त मामले की गहन जाँच व दोषियों को दंड देने का कार्य तुरंत प्रभाव से कराया जाए।

धन्यवाद

भवदीय
अनुज अग्रवाल
संपादक, डायलाग इंडिया
www.dialogueindia.in
9811424443

नोयडा की प्रमुख संस्थाओ का बिजली आपूर्ति में चल रही गड़बड़ियों को लेकर मुख्य अभियंता को ज्ञापन

नोयडा शहर में बिजली आपूर्ति में अत्यधिक गड़बड़ी व भ्रष्टाचार के विरुद्ध नोयडा की प्रमुख संस्थाओं नोयडा लोक मंच से महेश सक्सेना, नोयडा एंटेरप्रेनर असोसिएशन से विपिन मल्हन , फोनरवा से शर्मा, मौलिक भारत से अनुज अग्रवाल व उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से नरेश कुच्छल , ने विभाग के मुख्य अभियंता बी एन सिंह को आज चार अगस्त को उनके कार्यालय में एक विस्तृत ज्ञापन सोपा। बिजली की आपूर्ति में बाधा से होने वाले नुक़सान को बिंदुवार बताते हुए इस ज्ञापन में इससे उद्योगो, आइटी व मीडिया कंपनियों, ऑनलाइन पढ़ने वाले विध्यर्थियो व वर्क फ़्रोम होम करने वाले लाखों लोगों को होने वाली परेशानियों व इनके लिए विभाग को जिम्मेदार बताया गया है। नोयडा लोक मंच के महेश सक्सेना ने बताया कि ज्ञापन में माँग की गयी है कि बिजली आपूर्ति बिना किसी बाधा के अनवरत की जाए व लॉकडाउन के कारण ख़राब आर्थिक स्थिति के बीच फ़िक्स चार्ज व न्यूनतम चार्ज न लेने कल्कि भी माँग की गयी है।

ज्ञापन का प्रारूप निम्न प्रकार है :

प्रति,
श्री बी एन सिंह
मुख्य अभियंता
पश्चिमांचल विद्युत निगम लिमिटेड
सेक्टर 16, नोयडा, (गौतमबुद्ध नगर)

विषय- नगर की बिगड़ती बिजली वितरण की व्यवस्था की शिकायत व लॉकडाउन के कारण ख़राब आर्थिक स्थिति के बीच फ़िक्स चार्ज व न्यूनतम चार्ज न लेने की माँग हेतु प्रतिवेदन

माननीय महोदय,

हम सभी नोयडा के सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक व उधोग से जुड़ी संस्थाएँ आपके संज्ञान में शहर की बिजली व्यवस्था की आपूर्ति में आ रही चिंतनीय बाधाओं को लाना चाहते हैं। विभाग के मुखिया होने के नाते आप भी जानते है कि नोयडा शहर की बिजली आपूर्ति की व्यवस्था इन दिनो बुरी तरह चरमराई हुई है। आमजन बार बार बिजली की ट्रिपिंग, लंबे समय तक बिजली न आने व अनपेक्षित बिजली बिल आने की समस्या से परेशान हैं। बार बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने पर वे ऊपर के आदेश के कारण सप्लाई न होने का बहाना बना देते हैं। घर , व्यापार व उद्योग सभी दिन में दर्जनो बार ट्रिपिंग से त्रस्त हैं।

महोदय, हम सभी कोरोना आपदा काल से गुज़र रहे है और उद्योग व्यापार ठप्प होने व नोकरिया छिन जाने या वेतन कम हो जाने के कारण सभी लोग आर्थिक तंगी में हैं। ऐसे समय में भी सभी लोग अपने बिजली के बिल समय से दे रहे हैं किंतु भारी मात्रा में राजस्व प्राप्ति के बाद भी विभाग की सेवाए व सुविधाएँ ख़स्ताहाल हैं। आपके संज्ञान में निम्न बिंदु लाना चाह रहे हैं-

1) कम माँग व उत्पादन के बीच बिजली आपूर्ति में बाधा व अधिक बिल आने से उधोगो को चलाए रखना चुनोतीपूर्ण हो गया है। अगर विभाग का यही हाल रहा तो अनेक उद्योगों को बंद करने की नोबत आ जाएगी। ऐसे में प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान का क्या होगा ? क्या इसी प्रकार शहर की विश्व स्तरीय छवि बन पाएगी व विदेशी निवेश यहाँ आ पाएगा ?
2) शहर में सभी प्रमुख आइटी कम्पनियाँ व मीडिया हाउस स्थापित है व इन दिनो सभी के कर्मचारी वर्क फ़्रोम होम कर रहे हैं। बिजली आपूर्ति में बाधा आने के कारण उनको कार्य करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है जो उचित नहीं।
3) प्रदेश व देश के सभी शिक्षा संस्थान इन दिनो बंद है व विद्यार्थी घर से हो ऑनलाइन कक्षायें ले रहे हैं। बिजली ठीक प्रकार से न आने के कारण उनकी पढ़ाई बुरी तरह बाधित हो रही है। यह सर्वथा अनुचित है।
4) अधिकांश घरों में लॉकडाउन के कारण बच्चों व बुजुर्ग लोगों को घर से बाहर निकलना मना है। अनेक कोरोना पीड़ित भी होम आइसोलेशन में हैं। बिना बिजली के उनको सामान्य जीवन जीने व मेडिकल सुविधाएँ लेने में बहुत परेशानी हो रही है , जिसको सहन नही किया जा सकता।
5) बार बार बिजली जाने व वोल्टेज कम ज़्यादा होने के कारण बिजली उपकरण व मशीने ख़राब हो रही हैं और दुर्घटना भी बढ़ रही हैं। इनका निदान ज़रूरी है।

इन सभी परिस्थियो में हम सभी को संयुक्त माँग है -

1) लॉकडाउन के समय के बिजली के बिलों को माफ़ किया जाए व उसके बाद जब तक अर्थव्यवस्था सुचारु रूप से नही शुरू हो जाती , तब तक सभी प्रकार के उपभोक्ताओं से फ़िक्स चार्ज व न्यूनतम चार्ज नहीं लिया जाए।
2) ट्रिपिंग का मूल कारण स्थानीय कर्मचारियों का भ्रष्टाचार, अक्षमता व लापरवाही है जिसको तुरंत दूर किया जाए व ज़िम्मेदार कर्मचारियों के ख़िलाफ़ उचित क़ानूनी कार्यवाही की जाए।
3) पूरे शहर व ज़िले में 24 × 7 बिजली की आपूर्ति सुनिचित की जाए।
4) सभी बिजली उपकेंद्रो पर ट्रिपिंग के रिकार्ड्स को रखा जाए जो विभाग के पोर्टल पर हमेशा उपलब्ध रखा जाए।
5) बिजली विभाग की शहर के लिए हेल्पलाइन अधिक प्रभावी बनायी जाए।

आशा है कि आप तुरंत इन बिंदुओ पर कार्यवाही करेंगे।इस संदर्भ में हमारे प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय दिया जाए ताकि इन समस्याओं के बारे में गहराई से बता सके।

धन्यवाद।

भवदीय

नोयडा लोक मंच , नोयडा एंटेरप्रेनर असोसिएशन, फोनरवा,
मौलिक भारत, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, नोयडा इकाई

प्रति प्रेषित

1) योगी आदित्यनाथ जी , माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश
2) प्रमुख सचिव ऊर्जा , अटर प्रदेश सरकार
3) श्रीकांत शर्मा जी , माननीय ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश
4) आलोक टंडन जी ,चेयरमैन, नोयडा प्राधिकरण
5) रितु माहेश्वरी जी , सीईओ, नोयडा प्राधिकरण
6) सुहास एलवाई जी , ज़िलाधिकारी, गौतमबुध नगर

रंग ला रहे हैं मौलिक भारत के प्रयास
आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रकाशन के लिए समयसीमा

ईसीआई द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ ही ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने वाले राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रकाशन के मसले पर 10.10.2018 और 06.03.2020 को जारी विस्तृत निर्देशों के म में आज आयोग की बैठक में विस्तार से विचार विमर्श किया गया है। आयोग ने ऐसे उम्मीदवारों और उनको चुनाव में उतारने वाले राजनीतिक दलों के संबंध में आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रकाशन से संबंधित निर्देशों को अधिक सुव्यवस्थित करने का फैसला किया है। आयोग ने हमेशा से ही चुनावी लोकतंत्र के व्यापक बेहतरी के लिए इस नैतिक मापदंड पर हमेशा से ही जोर दिया है।

संशोधित निर्देशों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

प्रकाशन की संशोधित समयसीमा

संशोधित दिशानिर्देश के तहत, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के साथ-साथ उन्हें चुनाव में उतारने वाले राजनीतिक दलों को उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि होने की स्थिति में निम्नलिखित तरीके से इसका प्रकाशन समाचार पत्रों और टेलीविजन पर करना होगा :

पहला प्रकाशन : नाम वापसी की अंतिम तारीख से पहले 4 दिनों के भीतर।

दूसरा प्रकाशन : नाम वापसी की अंतिम तारीख से 5 से 8 दिनों के भीतर।

तीसरा प्रकाशन : 9वें दिन सेप्रचार के अंतिम दिन तक (मतदान के दो दिन पहले तक)

इस समयसीमा से मतदाताओं को ज्यादा सोच समझकर अपनी पसंद तय करने में सहायता मिलेगी।

निर्विरोध जीतने वाले उम्मीदवारों के साथ ही उनका नाम तय करते समय राजनीतिक दलों से संबंधित प्रकाशन पर यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्विरोध जीतने वाले उम्मीदवारों के साथ उन्हें उतारने वाले राजनीतिक दलों को भी उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि होने पर इसके बारे में अन्य उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को सुझाई गई प्र या के तहत प्रकाशन करना होगा।

आयोग द्वारा लिए गए फैसले के तहत, हितधारकों के फायदे के लिए इस मामले में अभी तक सभी निर्देशों और प्रारूपों के संकलन को प्रकाशित किया जा रहा है। इससे मतदाताओं और हितधारकों को ज्यादा जागरूक बनाने में सहायता मिलेगी। इस संबंध में सभी निर्देशों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों और उन्हें चुनाव में उतारने वाले राजनीतिक दलों द्वारा संकलन किया जाना चाहिए। ये संशोधित निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

लोकतंत्र की लाश पर रुदन करता अमेरिका

मुझे याद है कुछ वर्ष पूर्व मौलिक भारत के हमारे कार्यों से प्रभावित होकर रिपब्लिकन पार्टी के भारत आए एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत में लोकतंत्र को मज़बूत करने के हमारे कार्यों को सहयोग व समर्थन के साथ आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव दिया था। चूँकि विदेशी सहायता लेकर अपने देश में काम करना हमारी संस्था के सिद्धांतों के विरुद्ध था व भारत की हज़ारों वर्ष पुरानी लोकतांत्रिक पद्धतियाँ में हमारा विश्वास अधिक गहरा था , तो हमने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। लोकतंत्र सामान्यतः किसी देश पर शासन की चाह रखने वाले दो या अधिक गुटों के बीच सत्ता संघर्ष का रक्तहीन रास्ता है व समवेधानिक तरीक़ों से शासन की पद्धति है। मगर इतिहास गवाह है कि सत्ता की ललक का पौधे का बीज बिना रक्त की सिंचाई के पुष्पित - पल्लवित नहीं होता। चुनाव व लोकतांत्रिक तरीक़े मात्र इस रक्त संघर्ष को काम ही कर पाते हैं समाप्त नहीं। भारत में बंगाल व केरल में इन दिनो इस खेल को आसानी से देखा व समझा जा सकता है तो वैश्विक पटल पर अमेरिका इसका ताज़ा उदाहरण है। अमेरिका के वास्तविक मालिक होने का दावा करने वाले मूलतः सफ़ेद यूरोपियन व अनीर लोगों की रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े अमेरिकन चुनाव हार चुके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र्म्प के नेतृत्व में , गुलाम बनाकर लाए गए या प्रवासी बनकर आए बाहरी लोगों (गोरे व काले दोनो) जो अब अमेरिका के नागरिक बन चुके हैं व जिनका प्रतिनिधि डेमोपेटिक पार्टी व नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाईडन करते है को सत्ता सौंपने को तैयार नहीं। यह प्रतिकार अब खूनी संघर्ष में बदल गया है। दुनिया भर में लोकतन्त्र का सबसे बड़ा प्रवक्ता होने का दावा करने वाला अमेरिका अब मज़ाक़ का पात्र बन रहा है और ग्रहयुद्द की ओर बढ़ चुका है। हर दूसरे अमेरिकन ने हथियार ख़रीद लिए हैं व पिछले कुछ महीनो में दोनो धड़ों में आपसी संघर्षों की सेकड़ो वारदातें हो चुकी हैं। डेमोपेट पार्टी में कुछ वर्षों पूर्व तक यूरोपियन मूल के लोगों का प्रभुत्व था , ऐसे में सत्ता हस्तांतरण आसानी से हो जाता था मगर पिछले कुछ दशकों में करोड़ों अप्रवासियों की नागरिकता देते जाने से समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। पिछले तीन दशकों में अमेरिका अधिकांश ज़रूर्रत की चीजों के लिए चीन पर निर्भर होता गया है जिससे वहाँ बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। कोरोना संकट में यह विकराल रूप ले चुकी है। अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी चीन की कंपनियों की शेयर होल्डिंग बढ़ी है व चीन भी अमेरिका में चल रहे आंतरिक संघर्ष को बढ़ाने में लगा हुआ है , वह नहीं चाहता कि अमेरिका में मज़बूत व स्थिर सरकार आए। क्योंकि मज़बूत व स्थिर सरकार चीन के ख़िलाफ़ कोरोना संपमण से तबाही फैलाने के आरोप में बड़ी कार्यवाही कर सकती है । चीन बदली परिस्थितियों में विश्व व्यवस्था को तहस नहस कर अमेरिका के स्थान पर दुनिया का पुलिसमेन बनना चाहता है।जिसके कारण भी अमेरिकियो में असंतोष व आपोश है। अमेरिका में चल रहे इस संघर्ष के परिणाम पूरी दुनिया को झेलने पड़ेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे का घटनापम क्या मोड़ लेता है। हाँ अब पूरी दुनिया को अमेरिकन लोकतंत्र का खोखलापन अवश्य समझ आ रहा होगा । आज लोकतंत्र की लाश पर रुदन करता अमेरिका हमें डरा रहा है क्योंकि यह लाश लोकतंत्र के साथ साथ पूंजीवाद व बाज़ारवाद के उस माडल की भी है जिसको दुनिया पर जबरन थोपा गया है। भारत के लिए यही समय है जब वह अपने हज़ारों वर्षों के परखे हुए मौलिक सनातन माडल को दुनिया के सामने रखे व उसे पुनः स्थापित करे।

अनुज अग्रवाल
महासचिव, मौलिक भारत

मौलिक भारत का पूर्ण समर्थन

मुख्य सचिव ने नोएडा में आकर सुनी फ्लैट ऑनर्स की समस्याएं

नोएडा, 6 मार्च। नोएडा के सेक्टर 6 इंदिरा गांधी कला केंद्र में आज मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश आर0 के0 तिवारी ने जनपद के फ्लैट ओनर्स की समस्याओं को सुना जिसमे जनपद की एसोसिएशन के सभी प्रतिनिधयों ने भाग लिया।फ्लैट बॉयर्स एसोसिएशन नेफोमा ने

मुख्य सचिव के सामने सात सूत्रीय मांगों को रखा व ज्ञापन दिया जिसमें से प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं

1. जनपद के नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा में पिछले 10 वर्षों से दर्जनों बिल्डर प्रोजेक्ट में हजारों फ्लैट बॉयर्स को फ्लैट नहीं मिले हैं बिल्डर आधे अधूरे फ्लैट बनाकर गायब है फ्लैट बायर्स दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं

2. बिल्डर द्वारा औथोरिटी की land पेमेंट नहीं करने से फ़्लेट बॉयर्स की रजिस्ट्री क्यों रुकी है, बॉयर्स की क्या गलती है। अधिकतर बिल्डर प्रोजेक्ट में बिल्डर द्वारा फ्लैट बॉयर्स की रजिस्ट्री नहीं की जा रही है जिससे फ्लैट बायर्स काफी आहत है, बिल्डरों पर सरकार द्वारा दबाव बनाया जाए कि वह लाखों फ़्लेट बॉयर्स की रजिस्ट्री करे ।

3. रजिस्ट्री ऑफिस दादरी के बजाय पुनः ग्रेटर नोएडा में किया जाए क्योंकि दादरी बिल्कुल ही एकांत में पड़ता है हजारों फ्लैट निवासियों को रजिस्ट्री करवाने जाते समय बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है ग्रेटर नोएडा में रजिस्ट्री होने से जो फ्लैट बॉयर्स जो दूसरे

प्रदेशों से आते हैं वह एक ही दिन में रजिस्ट्री करा कर वापस चले जाते हैं जबकि दादरी में रजिस्ट्री होने से बहुत समय लगता है और पैसे ले जाने वक़्त भी डर लगता है

4. रेरा रियल एस्टेट कानून में फ्लैट बॉयर्स की हजारों की संख्या में पेमेंट रिकवरी आरसी पेंडिंग है जिसकी बिल्डरों द्वारा रिकवरी नहीं होती है ना ही इस संदर्भ में कोई ठोस कदम बिल्डरों पर उत्तर प्रदेश रेरा व सरकार द्वारा उठाया जाता है

5. बिल्डर द्वारा स्नस्स्थ सुपर एरिया पर OSD GH द्वारा रजिस्ट्री क्यों कराई जा रही है जबकि सुपर एरिया तो कोई एरिया होता ही नहीं है, ना ही औथोरिटी सुपर एरिया certify करती है, औथोरिटी अगर 'कवर्ड एरिया' को certify करदे तो 25 प्रतिशत

ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़े, तथा बायर्स के 50000 से लाख रुपये बच सकते हैं।

6. बिल्डर्स 5-5 साल तक एसोसिएशन को प्रीपेड सहित कॉमन एरिया का रखरखाव हैंडओवर नहीं करते अपार्टमेंट एक्ट CL 14.5 के मुताबिक, करोड़ों का IFMS नहीं देते बिल्डर्स एओए को, तो सोसाइटी कैसे चलेंगी।

मौलिक भारत द्वारा उजागर किए गए हज़ारों करोड़ रूपयों के बाइक बोट घोटाले की जाँच अब अंजाम तक पहुँचने लगी है। अगर मौलिक भारत द्वारा जाँच की माँग के साथ ही कार्यवाही शुरू हो जाती तो घोटाले का आकार काफ़ी काम होता। अब तथाकथित सफ़ेदपोशो पर भी पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। मुख्य आरोपी संजय भाती व उसकी टीम को पुलिस ने पहले ही गिरफ़्तार कर रखा है। मगर असली डॉन " भाईसाहब" शायद कभी पकड़ न आए।

बाइक बोट घोटाला : मौलिक भारत की मेहनत रंग ला रही मगर

बाइक नोट घोटाले के बारे में सबसे पहले अप्रैल 2018 में मौलिक भारत ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी व यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को की थी। बसपा का नेता व आनंद का खास संजय भाटी इतना प्रभावशाली था कि सरकारों को कोई भी कदम उठाने में ही महीनों लग गए। हमारी संस्था के लोगों को भाटी व उसके गुर्गे लगातार धमकी देते रहे मगर हम डरे नहीं। शुरुआती दिनों में तो पुलिस प्राथमिकी तक दर्ज नहीं कर रही थी। मंत्री से लेकर संतरी तक सभी भाजपा का राज होने के बावजूद बहनजी के दबाव में थे। अन्तत मौलिक भारत को कोशिशें रंग लायी व निरंतर बनते जनदबाव में आके सरकार को कार्यवाही करनी पड़ी। परत दर परत खुलने पर सरकार ने माना कि 1.75 लाख लोगों से 3400 करोड़ रुपए लूटे गए। हमारा अनुमान इससे दोगुनी लूट का है। इस लूट के पैसों से जगह जगह निवेश कर इतनी ही और कमाई की गयी। सरकारी जाँच एजेंसियों की ढिलाई देखिए कि अब घोटाले के दो साल बाद जाकर ईडी ने छापे मारने शुरू किए है। कब लूटी गयी संपत्ति सरकार वसूलेगी व कब निवेशकों को अपना पैसा वापस मिलेगा इसका आज भी कुछ पता नहीं। सरकारें जवाबदेही कब लेना शुरू करेंगी?

मौलिक भारत अभियान

मौलिक भारत द्वारा सर्वप्रथम उजागर किए गए

नोएडा के बाइक बोट घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई -

- ईडी ने मुख्य आरोपी संजय भाटी और उसकी कंपनी की 104 करोड़ की संपत्ति की सीज
- नोएडा गाजियाबाद बुलंदशहर कानपुर और इंदौर की 19 संपत्ति सीज
- 7 संपत्ति अन्य लोगों के नाम खरीदी गई वह भी सीज
- संजय भाटी और उसकी गर्वित इन्नोवेटिव के नाम 26 कीमती प्लाट फ्लैट को द्रस्र ने किया सीज
- संजय भाटी के 22 बैंक खातों को भी किया गया सीज
- 101.45 करोड़ के मकान फ़्लैट, प्लाट और बैंक में जमा 2.28 करोड़ सीज
- ईडी ने बाइक बोट घोटाले में 12 जगहों पर छापेमारी कर जुटाए बेनामी संपत्ति के दस्तावेज
- नोएडा कोऑपरेटिव बैंक से बड़े पैमाने पर पकड़ी गई धांधली*
- बैंक कर्मियों की मिलीभगत से संजय भाटी ने *मनी लॉन्ड्रिंग का खुला खेल किया
- ईडी ने बाइक बोट घोटाले के मास्टरमाइंड संजय भाटी पर शुरू किया शिकंजा कसना। कुल 3500 करोड़ से भी ज़्यादा के इस घोटाले की सर्वप्रथम शिकायत मौलिक भारत द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गड़करी को की गयी थी ।

बाइक बोट मामले की 19 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

माई सिटी रिपोर्टर

ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी फाउंडेशन के संयोजक ने दायर की थी याचिका

पैसे दोगुने करने का दिया था लालच

मौलिक भारत संस्था द्वारा नोयडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरणों में अभी भी चल रही व पूर्व की अनियमितताओं व अराजकता के संदर्भ में शिकायत

प्रतिष्ठा में,
योगी आदित्यनाथ जी
माननीय मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

बिषय = नोयडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे वे प्राधिकरणों में अभी भी चल रही व पूर्व की अनियमितताओं व अराजकता के संदर्भ में शिकायत व प्रभावी कार्यवाही हेत्तु मांग पत्र

परम आदरणीय,

मौलिक भारत संस्था विगत 8 बर्षों से अधिक समय से देश मे सुशासन, पारदर्शिता को लाने व भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य कर रही है।उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारी यादव सिंह सिंडिकेट व डीएनडी टोल पर चल रही लूट का खुलासा करने व यादव सिंह को जेल में डलवाने एवं डीएनडी ब्रिज को टोलमुक्त करवाने एवं गौतम बुध नगर जिला में प्राधिकरण में नियुक्त अधिकारी एवं नौकरशाह के साथ भू माफिया बिल्डर्स गतिविधियों का खुलासा करने में संस्था की सतर्कता पूर्वक प्रमुख भूमिका रही।

जिला गौतम बुद्ध नगर के नोयडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस वे तीनों प्राधिकरणों में चलती रही अनियमितताओं , भ्रष्टाचार व लूट के विरुद्ध हमारी संस्था ने निरंतर संघर्ष किया व अनेक अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही भी करायी। सुशासन, पारदर्शिता व चुनाव सुधारों पर हमारी संस्था के प्रयास व विश्वसनीयता असंदिग्ध है।

नोएडा, ग्रेटर नोयडा व यमुना एकप्रेसवे प्राधिकरण अपनी मूल भूमिका व उद्देश्यों से भटक गये व एक प्रॉपर्टी डीलर व भू माफिया के ₹ड्डठ्ठद्दह्यह्लद्गद्दह्य रूप में बदल चूके है व नौकरशाह-राजनीतिज्ञ द्वारा व्यक्तिगत लाभ हेतु संरक्षित बिल्डर माफिया के द्वारा नियंत्रित हो गए । आपके नेतृत्व में पिछले लगभग चार वर्षों के कार्यकाल में भी आपकी सरकार के अथक प्रयासों के बाद भी तीनो प्राधिकरणों की कार्यशेली में किंचित बदलाव भी नहीं आया यद्यपि अनियमितताओं में विस्तार ही हुआ है । आज भी पिछले गड़बड़ी व घोटालों पर कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई एवं बिल्डरों की मनमानी निरंतर जारी है, निवेशक त्रस्त है व विभिन्न जाँच आयोगों, जाँच शिकायतों व सीएजी आदि की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। लंबे समय बाद आज भी नोयडा प्राधिकरण का सीएजी ऑडिट जारी है। कहने को इसका दायरा बढ़ गया है मगर अभी तक बड़ी हेराफेरी सामने आने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई ? उल्टे पिछले वर्ष नोयडा प्राधिकरण में आग लगने से हज़ारों फाइलें जलकर खाक हो गईं या कर दी गई और जिसके साथ ही न जाने कितने घोटाले राख हो गए। प्रश्न यह है कि क्या सीएजी की जांच टीम दबाव व समझौते का शिकार हो गयी ? यह विस्तृत जांच व तीव्रतम कार्यवाही का प्रश्न है।

ग्रुप हाउसिंग घोटाले के कारण तीनों प्राधिकरणों में सैकड़ों बिल्डरों द्वारा लाखो लोगो से फ्लैट आवंटन/ खरौद के नाम पर अरबों रुपए (लाखों करोड़) की लूट हुई व आज भी अधिकांश आवंटी सिर पर बैंकों का कर्ज लेकर बिना मकान दर- दर की ठोकर खा रहे व प्रदेश सरकार तमाम बड़ी बड़ी बातों के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही है। बिल्डर, प्राधिकरणों के अधिकारियों, नौकरशाह व नेताओं के व्यक्तिगत स्वार्थ एवं लाभ के अंतर्गत सांठगांठ गठजोड़ के कारण आम जनता रोज मूर्ख बनाई जा रही। सर्वविदित हैं कि अधिकांश प्रोजेक्ट्स नोकरशाह व नेताओं के हिस्सेदारी में काले धन - हवाला सम्मत गुप्त-बेनामी निवेश है और अभी तक कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका.. क्या इस सांठगांठ गठजोड़ के खिलाफ आपकी सरकार से कोई कड़ी कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा की जा सकती है ?

हमारे बिंदुबार आरोप आपके संज्ञान एवं समय रहते निवारण हेतू निम्न प्रकार हैं =

1) तीनो प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न प्रख्यात एवं डिफॉल्टर बिल्डर्स = यूनिटेक, आम्रपाली, बेब, लोजिकस, थ्रीसी-द्यश्ह्लह्य , बीपीटीपी, जेपी, गौड़ संस, सुपरटेक, ⁄ड्ढरूस्ट्ठ₹ड्डह्स्त्रद्गठ्ठद्बड्ड, पंचशील व अनन्य सभी बिल्डरों को बिल्डर भूखंड आवंटित किए गए या लाभकारी नीति के अंतर्गत सैकड़ों एकड़ आवंटित भूखंडों का टुकड़ों में विभाजन करने की अनुमति देकर अनधिकृत लाभ पहुंचाया गया। आबँटी बिल्डर्स द्वारा प्राधिकरण की मिलीभगत से नियमो में निजी हित व निवेशकों को लूटने के लिए मनमर्ज़ी से बदलाव करवाए गए व उल्लेखित नियमों व देयता का निरंतर उल्लंघन करते हुए रिशेडुलमेंट की अनावश्यक पुनरवृत्ति कर बिना देयता भुगतान के अनेकों अनेक समय विस्तार सहायता की गयी जिसका आपकी सरकार के कार्यकाल में भी अनेको बार प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा पेडाई, ह्रष्ठश्वष्टह्र बिल्डर नेतृत्व द्वारा की गई सांठगांठ संस्तुति पर बोर्ड मीटिंगो के निर्णयों के द्वारा अवांछित लाभ दिया गया व दिया जा रहा है जो कि क़ानून व न्याय की दृष्टि से गैर कानूनी एवं अनियमितता का परिचायक है। आपके बार बार आदेश देने व आश्वासन के बाद व अनेक न्यायालयों के निर्णयों के बाबजूद भी क्यों आपकी सरकार, तीनो प्राधिकरण , रेरा घर ख़रीदने वालों द्वारा पूरा पेसा देने के वर्षों बाद भी मकान/ फ़्लैट नहीं दे पा रहे हैं ? क्या इतने उत्पीड़न के बाद भी इन निवेशकों से पूरी स्टांप फ़ीस लेना उचित है ? क्या यह फ़ीस रू 1000/ मात्र व पंजीकरण शुल्क रू 10000/ मात्र नहीं किया जा सकता ?

2) नॉएडा प्राधिकरण द्वारा मुआवज़े के रूप में दिए जाने वाले 5त्न प्लॉट का आवंटन भारी अनियमितता का शिकार हैं। पिछले 20 वर्षों में जिन किसानो की ज़मीन अधिग्रहीत की गयी उनमें से अधिकांश को अभी तक प्लॉट का आवंटन नहीं किया गया है किंतु पिछले 10ड्ड12 वर्षों में अधिग्रहित ज़मीनो के चुनिंदा राजनीतिक प्रभाव एवं नौकरशाह साथ साठगांठ से वरीयता को दरकिनार कर आवंटित किए गए

एवं 5त्न प्लॉट देने की योजना में ऐसे बहुत से लोगों को प्लॉट आवंटित किए गए हैं जो मूल कृषक नहीं हैं व सेकेंड बायर हैं। यह सब बंदर बांट लूट का बड़ा खेल है। मात्र मूल कृषक को ही 5त्न प्लॉट देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। यह एक बड़ा घोटाला है जिसमें बड़ी मात्रा में रिश्वत एवं पुन: खरीद-फरोख्त द्वारा भू माफिया-राजनीतिज्ञों-नौकरशाह की तूती बोल रही है। वरीयता नियम विरुद्ध इस ज़मीन की आवंटन के साथ ही बाज़ार में बिफी की जा रही व अवैध निर्माण व अनियंत्रित वाणिज्यिक कार्यों में उपयोग किया जा रहा जो पूर्णत गैर क़ानूनी है जिसको बोर्ड मीटिंग में अवंटी मांग बनाकर मान्यता देने का षड्यंत्र चल रहा है । संबंधित अनियमितताओं एवं षड्यंत्र को रोककर उचित क़ानूनी कार्यवाही की जाए व नई पारदर्शी व्यवस्था बनाई जानी वर्तमान आवश्यकता जिससे यह कहीं नासूर बनकर ना उभर जाए.

3) प्राधिकरणों द्वारा उद्योग, व्यावसायिक, ग्रामीण व प्राधिकरण कर्मचारियों के लिए वरीयता स्तर पर आवासीय भूखंड आरक्षित श्रेणी में आवंटन हेतु योजना सन 2004 व 2006 में निकाली गयी थी उसके बाद से व्यावसायिक व उद्योग के वंचित आवेदकों को आज तक कोई आवंटन योजना नहीं किया गया यद्यपि गोपनीय रूप से नोयडा प्राधिकरण के समस्त कर्मचारियों को ग्रेटर नोयडा प्राधिकरण में आरक्षित भूखंड आवंटित किए गए। इसी फ्म में सन 2011 में कृषक वर्ग के लिए आवासीय भूखंड योजना का प्रावधान किया गया जिसका अनुपालन अभी भी लंबित है व वर्तमान वर्ष में होने की संभावना है परंतु शेष दो वर्गों के वंचित आवेदकों (व्यवसायिक एवं उद्योग) के लिए आज तक भी कोई योजना प्रावधान नहीं किया गया। यह प्राधिकरण की तुग़लकी कार्यशेली का नमूना है व्यवसायिक एवं औद्योगिक श्रेणी के अवंटी नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के विकास के आधारभूत स्तंभ रहे हैं.. तदनुसार वंचित व्यवसायिक एवं औद्योगिक आवंटी के लिए एक निष्पक्ष व पारदर्शी नीति बनाकर आवासीय भूखंड आवंटन योजना एवं उसका अनुपालन अविलंब सुनिशचित किया जाए।

4) वर्तमान सरकार के वर्तमान कार्यकाल प्रारंभ 2017-18 अंतर्गत नोयडा प्राधिकरण द्वारा 2018 से नोएडा आवासीय भूखंड योजना निविदा प्रफि्या के अंतर्गत जारी की गयी है । जो निरंतर सन 2018, 2019, 2020 एवं 2021 में लायी गयी आवासीय भूखंड योजना.. आवंटन निविदा प्रफि्या के नियमो एवं वरीयता का खुला उल्लंघन , मनमर्ज़ी, जातिगत एवं व्यक्तिगत व व्यक्ति विशेष हित में लिया गया दिखता है। यद्यपि ऐसी किसी प्रणाली के अंतर्गत ग्रेटर नोयडा व यमुना एक्प्रेसवे प्राधिकरण द्वारा कोई आवासीय भूखंडों का आवंटन नहीं किया गया। इसकी न्यायिक जाँच व समय अनुसार उचित कार्यवाही आवश्यक है।

5) पिछले वित्त वर्ष में व वर्तमान कोरोना काल में जनसुविधा के नाम पर किए गए कार्य घोर अनियमित्तता का उदाहरण हैं। इस काल में लगभग हर विकास कार्य ठेके में मनचाहे रेट पर घोर अनियमितता व मनमानापन किया गया व अनेक अनावश्यक कार्यों को भी किया गया जिसमें बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन की बर्बादी की गयी (उदाहरणार्थ - अनाप शनाप रेट पर पूरे शहर के खंबों पर तिरंगी चीन निर्मित लाइटों का लगाना, सेक्टरों में किए गए नाली निर्माण-रखरखाव, फुटपाथ व टाइलों के नवीनीकरण अनेकों बार पुनरावृति, पार्कों , सड़कों, चौराहे, प्रमुख स्थलों आदि के सौंदर्यकरण (गमले व वर्टीकल गार्डन)आदि विभिन्न अस्थायी निर्माण कार्य किए गए जिनके चलने की भी कोई अवधि गारंटी भी नहीं बल्कि मृग मरीचिका सम्मत सौंदर्य करण व्यवस्था.. ये सभी वर्तमान समय में गहन जाँच व उचित व कड़ी क़ानूनी कार्यवाही के विषय हैं।

6) बिना किसी पूर्व आँकलन व तकनीकी और वित्तीय समर्थता के स्पोर्ट सिटी के नाम पर नोयडा प्राधिकरण द्वारा फ़र्ज़ी योजना बनाकर भू माफिया के हित में साँठगाँठ कर बड़ी मात्रा में ज़मीन का आवंटन किया गया यद्यपि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में विकसित अपने स्टेडियम का चालीस वर्षों से विकसित करने के नाम पर लगभग 1000 करोड़ रुपया लगाने के उपरांत भी तकनीकी स्तर पर अपेक्षित समय अनुसार उपयोग नही किया जा सका व खेल व संबंधित गतिविधियाँ सामान्य रूप से नहीं चल पाई.. यह स्वत: उदाहरण है कि कैसे प्राधिकरण के अधिकारी असमर्थ बिल्डर्स को सपोर्ट सिटी प्लॉट आवंटित व विकसित करने की आड़ में भू माफिया से मिलकर बिल्डर हाउसिंग प्रोजेक्ट खड़े कर मोटा मुनाफ़ा कमाने में ज़्यादा इच्छुक रहे.. इसी कारण स्पोर्ट सिटी के नाम पर बड़ा गड़बड़झाला-खेल किया गया एवं भूखंड का अधिकतम भाग छोटे-छोटे बिल्डर भूखंड बनाकर लाभ नीति के अंतर्गत अनन्य बिल्डर्स को पुनर विफ्य कर अंतरण किया गया.. उपरोक्त भू माफिया-नौकरशाही मिलीभगत के कारण किसी भी दोषी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही का प्रयास नहीं किया गया.. नव षड्यंत्र के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा एक कमेटी बनाकर स्पोर्ट सिटी अवंतीओं का पुनरुद्धार करने के लिए प्राधिकरण बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव लाया गया..

7) प्राधिकरण अधिकारियों एवं राजनीतिकट्ठभूमाफिया मिलीभगत के कारण पार्किंग माफिया व रेहड़ी पटरी माफिया को लगातार शह दी जा रही.. जिसके कारण पूरा शहर निवासी त्रस्त है। प्राधिकरण के %पूर्व पुलिस अधिकारी-एचवीएस भदोरिया% के कार्यकाल में 20बी शताब्दी के प्रारंभ से निरंतर 2 दशकों से से अधिक समय से व्यक्तिगत धनशोधन-उगाही लाभ व्यवस्था का विस्तार किया गया संबंधित अधिकारी वर्तमान सरकार के आते ही सेवानिवृत्ति पत्र अंतर्गत निवृत्त हो गया जिसकी जाँच भी चल रही है लेकिन अनियमित कार्यप्रणाली के प्रचलन वर्तमान अधिकारियों के व्यक्तिगत लाभ के अंतर्गत अभी भी जारी है व प्राधिकरण अधिकारियों के संरक्षण के कारण अधिक विकराल रूप नासूर बन गया है। इसको कड़ाई से रोकने व दोषियों की कड़ा दंड देना अत्यंत आवश्यक है। वेंडर को व्यवस्थित करना जिला प्रशासन और पुलिस के कार्य क्षेत्र मे होना चाहिए। पहली बार इन गरीब मेहनती लोगों को भारत के सरकार ने अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग माना है इसके लिए सरकार का बहुत बहुत आभार। लेकिन जैसा कि नोएडा मे आये दिन समाचार पत्रों के माध्यम से देखने को मिलता है कि इस अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग के साथ प्राधिकरण के कर्मचारी और आफिसर किस प्रकार से इनका उत्पीड़न करते है। ऐसे में नोएडा मे वेंडर व्यवस्थित करने की कार्य को जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र मे रखी जानी चाहिए।

8) आदरणीय, बिल्डरों भू माफिया एवं नौकरशाह द्वारा नीति अनियमितताओं पर नज़र रखने के लिए स्वायत्त व प्रभावी स्थायी निगरानी तंत्र की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। आइटी/आइटीस प्रोजेक्ट की ज़मीन प्राधिकरण

बिल्डर गठजोड़ की भेंट चढ़ चुकी है । रेफि एशन पार्क , इंटेरटेनमेंट पार्क , स्पोर्ट सिटी व आइटी पार्क आदि सभी के लिए आवंटित ज़मीने सन 2002 से 2017 के बीच ग़लत लोगों को अलॉट की जा चुकी हैं जो वर्तमान में भी नियमित है। ये सभी अलॉटी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, नियमो पर खरे नहीं उतरते व निविदा की शर्तों का खुल्लम खूल्ला उल्लंघन कर और स्नद्यड्डह्ल ख़रीदने वालों व निवेशकों को खुलेआम लूट रहे हैं मगर आपके सख़्त निर्देशो के बाद भी तीनो प्राधिकरणों का योजना व वित्त एवं प्रशासनिक विभाग इनके ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं करता ? दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ सख़्त से सख्त कदम उठाए जाना एवं प्राधिकरण को हो रही वित्त एवं विकास हानि को लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है।

9) तीनो प्राधिकरणों से जुड़े नोकरशाहों के साथ अधिकांश अधिकारी व कर्मचारी भी भ्रष्ट हैं व अनेक जाँचो में दोषी भी पाए गए हैं। किंतु थोड़े समय के लिए निलंबित या आपस में ट्रांसफ़र आदि करके इनको बनाए रखा गया हुआ है। अधिकांश की भर्ती तत्कालीन सरकारों के द्वारा 2002 से 2017 के मध्य भ्रष्ट राजनीतिक परिवारों के सदस्यों की नियुक्ति की गयी है व अनेक भ्रष्ट लोगों को रिटायरमेंट के उपरांत सलाहकार बनाकर रखा गया है । ये सभी अपनी दीर्घकालीन निपुणता से दलाली व भ्रष्टाचार में संलिप्त है व इनके ख़िलाफ़ आवश्यक सख़्त कार्यवाही ज़रूरी है। इनकी व इनके परिवार की सन 2000 से अब तक अर्जित धन व संपत्ति की जाँच अनिवार्य होना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि पूर्व 20 – 22 वर्षो बेनामी संपत्तियों का खरीद-फरोख्त वृहत्तर रही.. वर्तमान आवंटित 5त्न आवासीय पुनर्स्थापना भूखंड की आवंटन के उपरांत खरीद फरोख्त एवं हस्तांतरण जीता जागता उदाहरण है..

10) बिल्डरों से अतिरिक्त कमाई के नाम पर प्राधिकरण अतिरिक्त स्नफ बेचते हैं तभी भी बिल्डर अपनी देनदारी, बढ़े स्नफ का मूल्य व स्टाम्प डयूटी कुछ भी नहीं चुकाते और अनजान ग्राहकों को झूठ बोलकर फ़्लैट बेच देते हैं इस गैर क़ानूनी खेल व स्टाम्प डयूटी की चोरी पर ज़िला प्रशासन का भी मौन रहना सांठगांठ एवं मिलीभगत होने का परिचायक है.. यह भी शासन स्तर पर त्वरित निर्णय लेकर गहन जाँच का विषय है।

11) नोटिफ़ाइड क्षेत्र के गाँवों के आसपास की भूमि के ई ग्रहण लिए आजतक तीनो प्राधिकरणों व ज़िला प्रशासन ने कोई योजना गंभीर नहीं बनाई। इस कारण ये गाँव अराजकता व अवैध निर्माण का अड्डा बन गए हैं। बिना नक़्शे के कई कई मंज़िले हज़ारों घर व कोमर्शियल भवन, अवैध बिजली, पानी, सीवर आदि के कनेक्शन योजनावद्ध लूट, भ्रष्टाचार व घोटालों की कहानी बता रहे हैं व किसी भी समय बड़ी महामारी एवं दुर्घटनाओं के शिकार होने की संभावना भी बता रहे हैं। इस पर विस्तृत जाँच व कार्यवाही अपेक्षित है।

12) एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के स्पष्ट निर्देश कि 卐हर हालात में कुल आवासीय इकाइयों का 20 से 25त्न आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए होना चाहिए卐 के बाद भी किसी भी बिल्डर्स ग्रुप हाउसिंग में एक भी मकान इस वर्ग के लिए नहीं बनाया गया.. इस कारण जिले के सैकड़ों गांव इस वर्ग की आबादी के बोझ के कारण स्लम में बदल गए एवं पर्यावरण की दृष्टि से भी गंभीर दुर्दशा का परिचायक है.. सामाजिक संस्था राइट इनिशिएटिव ने 卐जहां उच्च न्यायालय के आदेश स्नह्ल.21 ह्रष्ह्ल2011 के अनुपालन में जांच रिपोर्ट है卐 के संबंध में मामला उठाया।लेकिन कोई जवाब नहीं। और किसी भी भ्रष्ट अधिकारी अधिकारियों और राजनेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, 卐माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जांच रिपोर्ट कहां है स्नह्ल.21 ह्रष्ह्ल2011 के बारे में मामला उठाया.14.12.2018 को, फ्ढ्ढस्श्व ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक ज्ञापन / प्रतिवेदन भेजा।लेकिन कोई कार्यवाही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक खबर एनबीटी में प्रकाशित हुई थी 23.02.201 9 को कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दो न्यायाधीश इस मामले की जाँच करेंगे।. अब तक, इंम्यारी रिपोर्ट नहीं आयी ?

13) उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सन 2016 से नोयडा प्राधिकरण के खातों की जांच चल रही है किंतू आज तक इस जांच जांच की आंशिक बातें तो सामने आयीं हैं पर पूर्ण रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है और न ही किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई।

14) पिछले एक दशक में समय समय पर केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच एजेंसियों, उच्चतम न्यायालय,उत्तर प्रदेश सरकार,उच्च न्यायालय, लोकायुक्त व अन्य सभी उपलब्ध फोरम पर इन तीनों प्राधिकरणों में चल रहे घपलों, लूट, अराजकता, घोटालों आदि के विरुद्ध हजारों शिकायतें दर्ज कराई गईं मगर कुछ एक फौरी व दिखाबटी मृग मरीचिका सम्मत कार्यवाही के अतिरिक्त आज तक कुछ भी नहीं हुआ।

ऐसे में हम आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से निम्नलिखित मांग करते हैं –

1) चूंकि नोयडा, ग्रेटर नोएडा वे तीनों प्राधिकरण अपनी स्थापना के मूल उद्देश्य से पूर्णत: भटक चुके हैं इसलिए इनको तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए एवं प्राधिकरणों की जगह नगर निगम व्यवस्था को स्थापित किया जाए ताकि इस क्षेत्र के विकास में व्यापक जन भागीदारी व पारदर्शिता आ सके।

2) तीनों प्राधिकरणों के सैकड़ों हाउसिंग व कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स में लाखों लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार की विश्वसनीयता के आधार पर ही सरकार द्वारा सूचीबद्ध बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स में निवेश किया था। ऐसे में अगर बिल्डर पैसा लेकर भागे या समय पर फ्लैट आदि नहीं दे रहे हैं तो इसमें सीधा सीधा दोष उत्तर प्रदेश सरकार का है जिसके मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश पर तीनों प्राधिकरण बिल्डरों को निर्धारित शर्तों को बदलकर व मास्टर प्लान के विरुद्ध प्लाट आबंटित करतेरहे। ऐसे में तत्कालीन मुख्यमंत्री,अधिकारियों व बिल्डरों से हुए नुकसान की वसूली कर अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे करवाए जाएं न की निवेशकों को शेष राशि उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करवाने के लिए कहा जाए। अगर वसूली में देरी हो रही हो तो . आवश्यक वित्त व्यवस्था वित्त व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाए व निवेशकों से प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद उसको हुए नुकसान की रकम कम कर शेष राशि ही वसूली जाए।

2) मकान व फ्लेट की चाह में निवेश करने वाले वाले लाखों द्धद्यड्डह्ल ड्ढह्व4द्गह्ह्यबुरी तरह परेशान निवेशकों से बची हुई धनराशि वसूलने से पहले बिल्डरों, सरकारी कर्मचारियों व राजनेताओं द्वारा की गई लूट वसूली जाए व उसको लंबित प्रोजेक्ट्स में लगाया जाए। अगर उसके बाद भी प्रोजेक्ट पूरा करने में धन की कमी हो तो निवेशकों से बच्ची राशि की मांग की जाए।

3) उच्च न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल बनाया जाए जो सीएजी द्वारा की गयी जाँच रिपोर्ट व इन तीनों प्राधिकरणों के विगत 2017 से आज तक फेडाई, ह्रफष्ठश्वष्टह्र की सलाह/संस्तुति पर बोर्ड मीटिंग़ो के सभी निर्णयों, अधिग्रहण, आबंटन, ठेकों, आमदनी व भुगतान की जांच व समीक्षा निर्धारित समय में करे व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोषियों व अनियमितताओ को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्यवाही करे।

4) तीनों प्राधिकरणों के वर्तमान व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की व यहाँ पोस्टिंग पर रहे अधिकारियों एवं उनके परिवार को पूर्व 30 वर्षों में एक मकान या प्लाट के अतिरिक्त खरीदे एवं

आबंटित सभी आबंटन रद्द किए जाए व इन सभी की परिवार सहित सम्पत्तियों की जांच हो साथ ही सभी पुराने कर्मचारियों का यहाँ से स्थानांतरण हो। पूर्व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात सलाहकार के रूप में नियुक्ति न हो। पूर्व की सभी भर्तियों की जाँच की जाए। प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी एवं अधिकारियों को निश्चित अवधि के पश्चात वापस उनके मूल विभाग में भेजा जाए एवं नए कार्यकुशल ढ्ढढ्ढरू-ढ्ढढ्ढभ्- शिक्षित निपुण व ईमानदार कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए।

5) सभी पूरे हो चुके अथवा निर्माणाधीन ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में अनिवार्य रूप से 25त्न मकान आर्थिक एवं जातिगत रूप से पिछड़े लोगों के लिए आबंटित/ निर्माण करने के आदेश तुरंत जारी किए जाएं।

6) विभिन्न जांचों में चिन्हित दोषियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कानूनी कार्यवाही की जाए व इस प्रकार के अपराधों को देशद्रोह-राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में रखा जाए। रेरा कानून को कड़ाई से प्रभावी किए जाएं।

7). पूर्व ग्रुप हाउसिंग बिल्डर भूखंड आवंटन द्वारा प्रथम दृष्टया अनियमितता पाए जाने पर काली सूची में डाला जाए एवं उनको उनके परिवार एवं संबंधित कंपनियों को भविष्य में किसी भी आवंटन की वरीयता ना दी जाए और यदि ऐसा पाया जाता है तो उनकी जमा राशि को शासन के हित में जप्त कर लिया जाए..

8). नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र के गांव में अनधिकृत निर्माण के अंतर्गत बहुमंजिला ख्ह्वद्वद्यस्रद्गह्र स्रद्यड्डह्लह्य बनाया जाना प्राधिकरण की कबूतर नीति का परिणाम है प्राधिकरण द्वारा बनाया गया ह्रभ्क्क्ष्ट मार्ग पर ऊपर गामी मार्ग के दोनों ओर ग्रामीण क्षेत्र में किए गए अतिफ्मण को प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा गोपनीय व्यक्तिगत लाभ नीति के अंतर्गत अनदेखा किया गया जिस की पुनरावृति दादरी रोड पर बन रहे श्वद्यद्ग1ड्डह्लद्गस्र फ्श्ड्डस्रट्ठ ऊपरगामी पथ के दोनों और अगापुर से लेकर बरोला-भंगेल -सलारपुर ग्रामीण क्षेत्र में निरंतर वृहद स्तर पर अतिफ्मण कर अनियमित निर्माण किया जा रहा है जिसमें प्राधिकरण एवं शासकीय स्तर पर अधिकारियों की व्यक्तिगत धन लाभ के अंतर्गत मिलीभगत-साठगांठ है..हाजीपुर (सेक्टर 104) एवं बहलोलपुर (सेक्टर 62) एवं होशियारपुर (सेक्टर 51) एवं सरफाबाद (सेक्टर 72-73) छलेरा-सदरपुर (सेक्टर 44-45) एवं नयाबास हरौला अट्टा क्षेत्र में पूर्ववत अनधिकृत व्यवसायिक भवन निर्माण अतिफ्मण का विकराल रूप धारण किए हुए है.. जिसका नाजायज फायदा वर्ग विशेष द्वारा नोएडा फेस 2 होजरी कंपलेक्स दादरी मुख्य मार्ग पर विकराल मस्जिद इमारतें विस्तारीकरण गतिमान है.. जोकि उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सर्वदा उल्लंघन है.

9) पूरे जिले में नए प्रोजेक्ट्स के निर्माण पर रोक लगे, पुराने अधूरे प्रोजेक्ट्स सरकार अपनी जिम्मेदारी पर पूर्ण करवाए। निवेशकों से पूरे पैसे लेकर समय पर आबंटन नहीं देने से हुए नुकसान की भरपाई की प्रफिया निर्धारित हो।

10) जो भी दोषी पाए जाएं उनको उचित सजा के साथ ही उनसे लुटे हुए धन की वापसी/वसूली की प्रफिया भी निर्धारित हो व एक विशेष कोष बनाकर वसूला धन उसमें जमा हो व उससे अधूरे प्रोजेक्ट पूरे कराए जाएं।

11) तीनो प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाले ग्रामो के अवैध निर्माण गिराए जाएं व इनमें रह रही अतिरिक्त आबादी जो अधिकांशत: उधोगों में काम करने वाले कर्मचारी है को विकसित व व्यवस्थित स्थानों पर बसाया जाए।साथ ही आगे के लिए ज़रूरी दिशा निर्देश जारी किए जायें।

12) इन प्राधिकरणों में काम करने वाले बड़े बिल्डरों विशेष रूप से आम्रपाली, गौड़, सुपरटेक, गार्डेनिया, थ्री सी, लोजिक्स, बेब, बीपीटीपी, जेपी, व यूनीटेक जिनकी धांधलियों की लगातार शिकायतें आ रही के विरुद्ध विशेष जांच की गयी हैं व उच्चतम न्यायालय द्वारा भी समय समय पर दिशा निर्देश दिए गए है। कति़ु अभी तक भी निवेशकों को कुछ ख़ास लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में इनके सभी आबंटन रद्द किए जाएं व इनके व अन्य सभी घपलेबाज बिल्डरों, सरकारी कर्मचारियों, ठेकेदारों व राजनेताओं के विरुद्ध देशद्रोह के मुकदमे दर्ज कर कार्यवाही की जाए व यूपी सरकार इन प्रोजेक्ट को अपने हाथों में लेकर पूरा करे।

13. ओधोगिक सेक्टरों (सेक्टर 2,3,4,5,6,7,8 व अन्य सेक्टर के आवासीय भूखंडों पर भी त्वरित दुरुपयोग वाणिज्यिक गतिविधियों को रोकने के लिए आज तक कोई नीति नहीं बनाई गयी। यूपी इंडस्ट्रीयल ऐक्ट 1976 के अंतर्गत ओधोगिक इकाइयों को लगाने के लिए आवंटित यह भूमि अधिकारियों, नोकरशाह व व्यापारियों की मिलीभगत, लूट व उगाही का ज्वलंत उदाहरण है।इनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए व एनईए और उधोग विभाग की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

भारत राष्ट्र के उत्तर प्रदेश राज्य के इस अंतरराष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र जिला गौतम बुध नगर को देश विदेश के बड़े निवेश का हब बनाने, यहाँ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, फ़िल्म सिटी, खेल संस्कृति, उद्योग, व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाने का आपका आपकी सरकार व प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना एवं धरातल पर फियान्वयन हेतु प्रयास केवल सपना ही रह जाएगा।

आपसे अपेक्षा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जनहित के इस अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर त्वरित कार्यवाही हेतू यथोचित दिशानिर्देश जारी करेंगे। इस संदर्भ में किसी भी स्पष्टीकरण व सलाह के लिए हमारी संस्था सदैव उपलब्ध है।

आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस दिशा में ठोस व निर्णयकारी कदम उठाएंगे।

भवदीय

- **अनुज अग्रवाल, महासचिव, मौलिक भारत**
- **महेश सक्सेना (अध्यक्ष , नोयडा लोक मंच) सदस्य, केंद्रीय कार्यकारिणी, मौलिक भारत**
- **अनिल गर्ग, सदस्य, केंद्रीय कार्यकारणी, मौलिक भारत**
- **संजय शर्मा, सदस्य, केंद्रीय कार्यकारिणी, मौलिक भारत**

आज से लगभग एक वर्ष पूर्व मौलिक भारत ने सबूतों सहित जिन घोटालों के आरोप नॉएडा प्राधिकरण पर लगाए थे व राष्ट्रपति जी से इनकी विस्तृत जाँच की माँग की थी उनकी हमारी ही माँग पर की गयी सीऐजी की जाँच में उन्ही आरोपों की पुष्टि हुई है। अब सरकार से अनुरोध है कि बिना किसी विलंब के दोषियों पर सख़्त क़ानूनी कार्यवाही करे।

गड़बड़झाला : बिल्डरों को बेच डाली उद्योगों के हिस्से की जमीन

शासन-प्राधिकरण से कैग की रिपोर्ट पर होंगे सवाल-जवाब

मौलिक भारत की एक और जीत। मौलिक भारत द्वारा पूर्व में लगाए गए आरोपों को सही ठहराते हुए सीएजी ने माना कि ग्रेटर नॉएडा के स्पोर्ट सिटी आवंटन में मायावती सरकार द्वारा की गयी थी भारी लूट।

स्पोर्ट्स सिटी के आवंटन में हुई गड़बड़ी पर सीएजी सख्त

ग्रेनो प्राधिकरण से मांगा जवाब, डिविजन और सब-डिविजन करने की हो रही जांच

2017 में हुआ था सीएजी ऑडिट का फैसला

विकसित की जानी थी खेल सुविधाएं

1.20 लाख वर्गमीटर में प्रस्तावित थी स्पोर्ट्स सिटी

10% रकम लेकर जमीन देने पर भी आपत्ति

निजीकरण बनाम समाजवाद

● शरद सिंह

नेहरू युग से इस देश में समाजवाद इतना महामंडित हुआ कि समाजवाद का नाम सुनते ही देश के हर नागरिक को लगता है गोया अलादीन का चिराग हाथ लग गया हो , सारी समस्याओ का हल मिल गया हो।

मगर सत्य तो यह है कि समाजवाद वैचारिक धरातल पर भले कितना ही हसीन लगे, यथार्थ में दीमक की तरह देश को खोखला करता रहता है। इसमें एक ऐसा तंत्र विकसित हो जाता है जो निकम्मेपन और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है।

हर सरकारी संस्थान, अफसरों और मंत्रियो के लिए, दलालो के लिए, चरागाह बन जाते है। फिर इसी के साथ आपसी स्वार्थो से जुड़े समूह पनपने लगते है जो इस व्यवस्था के गुण गाते रहते है, जिससे लोगो और सरकार पर उस व्यवस्था को जारी रखने का दबाव बना रहे। इसलिए हर वह देश जहाँ समाजवाद का बोलबाला रहा, पिछड़ता चला गया।

यही इस देश के साथ हुआ कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक ऐसा मायाजाल फैला कि फिर उद्योगपति होना एक अपराध सा हो गया, उद्योगपति को शोषण का पर्याय मान लिया गया और सरकारी तंत्र दूध का धुला बन बैठा।

ईमानदारी , मूर्खता का पर्याय हो गई और मेहनत से पैसा कमाने वालो की बजाय , मलाई खाने वाले सरकारी कर्मचारी, समाज में ज्यादा सम्मान पाने लगे।

लेटलतीफी, लालफीताशाही और लचर प्रबंधन के चलते , ये संस्थान विश्व अर्थव्यवस्था में पिछड़ते चले गए , मगर वोट बैंक की राजनीति और what goes from my pocket, सोच के चलते, इन संस्थानों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया गया।

सैय्या भये कोतवाल तो फिर डर काहे का, की तर्ज पर सरकारी कर्मचारी और नेतागण किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं रहे, सरकारी संस्थान, घाटे का सौदा बनते चले, लोग सुविधाओं के लिए तरसते रहे और सरकार प्रशासन की बजाय मलाई खाने और बांटने में व्यस्त रही।

बल्कि सरकारी मलाई खाने के चक्कर में, सरकार हर उस क्षेत्र में दखल देने लगी जहाँ सरकारी उपस्थिति की कोई जरुरत ही नहीं थी। इसी का परिणाम यह हुआ की जहां 1952 में इनकी संख्या पांच थी 2014 तक आते आते 300 से ज्यादा हो गई। इस में से एक तिहाई से ज्यादा आज घाटे में चल रहे है और बाकी संस्थान का मुनाफा भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ज्यादातर तो लागत पूंजी पर ब्याज भी नहीं कमा पाते है। मगर राजनैतिक इच्छाशक्ति के अभाव में

सरकारे, इन संस्थानों को बंद या बेचने से कतराती रही है।

हम भूल गए कि घाटे के इन संस्थानों में नेताओ और अधिकारियो की नहीं बल्कि ईमानदार करदाताओं के गाड़े पसीने की कमाई लगी है। हम यह भी भूल गए कि इन संस्थानों के बढ़ते घाटे से जनकल्याणकारी योजनाओ के लिए फिर धन की कमी हो जाएगी। हम इस बात से भी बेखबर रहे कि there is no free lunch और घाटे की अर्थव्यवस्था हमे एक दिन दिवालिया बना देगी। दादा खाये और पोते भुगतान करे, ऐसी व्यवस्था के चलते, 1991में देश कटोरा लेकर IMF के दरवाजे पर खड़ा था, मगर हम फिर भी नहीं चेते।

केंद्रीय और राज्य सरकारे, अर्थव्यवस्था मजबूत करने की बजाय लोकलुभावन घोषणाओं का सहारा लेते रहे। 'दादा खाये, पोता भुगतान करे', व्यवस्था के चलते, आज हालत इतने बदतर है कि केंद्र और राज्य सरकारों पर कर्ज, देश की जीडीपी का 68% है।

72 सरकारी संस्थानों का वार्षिक घाटा 31 हज़ार करोड़ है। कई ऐसे संस्थान है जहां वर्षो से कोई उत्पादन नहीं हुआ मगर आज भी सभी लोगो की नौकरी बदस्तूर जारी है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, सरकारी बैंक की सेहत सुधारने के लिए जरुरी है। ये सभी पैसे करोडो लोगो के लिए उपयोगी कल्याणकारी योजनाओ की बजाय इन संस्थानों के कुछ लाख लोगो की नौकरी बचाये रखने में काम आएंगे और यह एक वर्ष की बात नहीं है बल्कि यह सिलसिला हर वर्ष चलता रहेगा।

सरकार को उस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए जहाँ उसके पास अनुभव और प्रबन्धन क्षमता न हो। यदि वे किसी क्षेत्र में पर्याप्त मुनाफा कमाने में असफल रहे, तब भी सरकार को उस क्षेत्र से हट जाना चाहिए। जिस क्षेत्र में निजी संस्थान बेहतर प्रदर्शन कर रहे हो, उन क्षेत्रो में भी सरकार की उपस्थिति जरुरी नहीं है।

व्यापार और उद्योग ,निजी क्षेत्र चलाये और ये सभी कानूनों का पालन करे यह सरकार सुनिश्चित करे।

ऐसा नहीं है कि सरकारी संस्थानों का कोई औचित्य नहीं है, कई क्षेत्र ऐसे है जहाँ सरकार की उपस्थिति जरुरी है। फिर कई उद्योगपतियों को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना अभी बाकी है, मगर यहाँ दोष उद्योगपतियों से ज्यादा सरकारी तंत्र का है जो कानून का पालन करवाने में असफल रहते है।

सरकार का व्यापार करने से ज्यादा सरकार को सुचारु रूप से चलाना जरुरी है, यही उसका मूल कार्य है और यही उसकी प्राथमिकता भी होना चाहिए। ■

रामेश्वर मिश्र
पंकज

राष्ट्रभक्त रहें, मोदी भक्त या भाजपा भक्त नहीं,

भाजपा समर्थक और मोदी समर्थक रहें

यह स्पष्ट निर्णय तो कर लेना चाहिए कि अभी कुछ वर्षों तक जब तक भारतीयों का, विशेष कर, हिंदुओं के प्रबुद्ध वर्ग का, अधिक सशक्त और सक्षम प्रतिनिधि, सचमुच का धर्मनिष्ठ और सदाचारी प्रतिनिधि समूह सामने नहीं आता, तब तक अभी के विद्यमान दलों में एकमात्र समर्थन के योग्य दल भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी श्री अमित शाह जी की जोड़ी है।

इसमें मेरी बुद्धि से कहीं कोई शंका का अवसर नहीं है। परंतु यहीं तक सीमित रहना बौद्धिक संकीर्णता तो है ही, राष्ट्र के विषय में प्रमाद भी है और सनातन धर्म को नष्ट करने को तत्पर तत्वों के प्रति लापरवाही भरी उदासीनता भी है ।

यह जो घटनाएं घट रही हैं यह बताती हैं कि इन दिनों प्रत्येक घटना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही है।। जिस प्रकार दूसरे देशों के लोग खुलकर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं – कभी मानवाधिकार के नाम पर, कभी मानवता के नाम पर, कभी किसी अन्य समूह के नाम पर, कभी अल्पसंख्यक के नाम पर आदि, आदि, उससे स्पष्ट है कि इस समय का वैश्विक परिदृश्य कैसा है।

भारत की सरकार को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफिय होना ही पड़ेगा। ऐसा न करेंगे तो वे भारत के प्रति और सनातन धर्म के प्रति तथा भारत के बहुसंख्यक समाज के प्रति दोषी सिद्ध होंगे।

एक तो भारत सरकार को यह संकल्प पारित करना चाहिए और घोषित करना चाहिए कि हम मानवता के हित में काम करेंगे और जहां भी मानवता पर किसी भी प्रकार का आघात होगा, भारत सरकार उसके लिए यथाशक्ति प्रयास करेगी और विधिक,नैतिक तथा राजनैतिक तीनों स्तरों पर प्रयास करेगी।

यह घोषणा करनी चाहिए ।।

ऐसी स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन सहित सभी देशों के संबंधों में प्रभावी हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त हो जाएगा।

भारत के आधारभूत और बहुसंख्यक समाजके लोगों के साथ विश्व में जहां कहीं भी अन्याय होगा उसमें प्रभावी हस्तक्षेप कर न्याय के लिए संबंधित पक्षों को विवश करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं के साथ न्याय के प्रश्न उठाना भारत सरकार का प्रमुख कर्तव्य है।

यह बात केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश अफगानिस्तान की नहीं है अपितु संपूर्ण विश्व में जहां कहीं भी हिंदुओं के हितों पर आक्षेप हो, भारत सरकार का यह सर्वोपरि कर्तव्य है कि वह अपने समाज के साथ विश्व में कहीं भी अन्याय नहीं होने दे।

अभी तक सभी प्रमुख पार्टियां द्विज जातियों के साथ अन्याय करने के लिए इतिहास को झूठा प्रस्तुत करती रही है और बिना किसी प्रमाण के द्विज जातियों द्वारा कथित अनुसूचित जातियों पर अन्याय का मिथ्या आक्षेप लगाती रहती है जो कि मुख्य तो कांग्रेस पार्टी के लिए कलंक है और उस कलंक को सभी पार्टियां ही ढोती रही हैं।

अत: सभी पार्टियों को इस कलंक से मुक्त होने का अभिक्रम करना चाहिए और इसमें भारतीय जनता पार्टी को सर्वप्रथम यह घोषणा करनी चाहिए कि कोई भी अन्यायकारी कानून नहीं लाएंगे और अनुसूचित जातियों के लोगों के द्वारा झूठी शिकायत करने पर भी समाज के अन्य बहुसंख्यक लोगों को दंडित करने वाली अन्याय पूर्ण व्यवस्था को तत्काल समाप्त करे।

न्याय का आवरण लेकर कांग्रेस पार्टी निरंतर सामाजिक अन्याय को बढ़ाती रही है।

उस अन्याय को बढ़ाने में भाजपा कांग्रेस से अब और होड़ करने लगी है और हाल ही में बहुत ही भयंकर मानव विरोधी कानून पारित हुए हैं और उसके लिए इतिहास के एक काल्पनिक और निराधार तथा अप्रमाणित कथित अन्याय का हवाला दिया जाता है जिसका कहीं कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

भाजपा को इस पाप से मुक्त होना चाहिए। अन्यथा वह राष्ट्र में विभेद की दोषी पार्टी सिद्ध होगी।

हमें हिंदुओं के पक्ष में और भारत के बहुसंख्यक लोगों के पक्ष में संपूर्ण विश्व में प्रभावी हस्तक्षेप करना होगा और विश्व में जहां कहीं मानवाधिकारों का हनन हो या किसी भी औद्योगिक कर्मचारी अथवा अन्य समूहों के साथ अन्याय हो, वहां प्रभावी हस्तक्षेप की घोषणा भारत शासन को करनी चाहिए अथवा यदि फिलहाल भारत शासन इसकी घोषणा की स्थिति में नहीं हो क्योंकि इससे युद्ध की संभावना बढ़ती है तो भारत के प्रभावी समूहों को इसकी पहल करनी चाहिए ।

विशेषकर कनाडा अथवा पाकिस्तान बांग्लादेश इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी इंग्लैंड सहित सभी देशों में वहां के आंतरिक मामलों में भारत के प्रबुद्ध नागरिकों को सक्रिय रुचि लेनी चाहिए और जहां कहीं अन्याय दिखाई दे, उसके लिए प्रभावी हस्तक्षेप करना चाहिए ।

इस विषय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोदी सरकार की सीमाएं स्पष्ट हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थक इसे बहुत बड़ा संगठन बताते है,, जबकि इतने विशाल देश में उसके पास 25 से 50 हजार भी ऐसे प्रबुद्ध और प्रभावी बौद्धिक नहीं है और अगर होंगे तो उनको विश्व पटल पर आवश्यक महत्व दिलाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोई अभिफम नहीं किया है।

साथ ही ,हिंदू पक्ष को प्रस्तुत करने वाले पर्याप्त चैनल नहीं खड़े किए हैं ।

कोई समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रभावी रूप में नहीं खड़ी की हैं और उसके बाद भी इस पर संकोच करने की जगह अथवा अत्यंत विनय भाव रखने की जगह (संघ के शीर्ष पदाधिकारी तो अहंकार नहीं दिखाते परंतु)

उसके समर्थक एक दर्प का प्रदर्शन करते

हैं, जिस दर्प के पक्ष में कोई भी प्रमाण भारत में उपस्थित नहीं है।

अन्यथा क्या बात है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद भी तरह-तरह के भुट्टाचोरों और लुच्चों को यह हिम्मत होती है कि वे हिंदू समाज के विरुद्ध प्रलाप करें और संघके तथाकथित घोर समर्थक लोग मुलुर मुलुर देखते रहते हैं।

इस पर न तो उन्हें लाज आती और ना ही संकोच होता।।

इसी प्रकार हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय के लिए मोदी शासन ने अभी तक कोई प्रभावी हस्तक्षेप पाकिस्तान बांग्लादेश तथा अन्य क्षेत्रों में नहीं किया है ।।

इसके लिए उसे संकोच करना चाहिए और विनम्र रहना चाहिए ।।

इन सब सीमाओं को बारंबार बताते रहना और नीतिगत सत्य तथा न्याय के पक्ष में निर्णय लेने के लिए मोदी शासन पर दबाव डालते रहना, हम सब का कर्तव्य है और उतना ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है अन्य पार्टियों के विरुद्ध पूरी तरह भाजपा शासन और मोदी शासन के साथ खड़े होना। संकल्पित खड़े होना।

खड़े होने का अर्थ यह नहीं होता है कि उनके गम्भीर दोष न दिखाएं ।दोष भी दिखाना हमारा कर्तव्य है और हमें उस स्थिति में इसका अधिकार भी मिल जाता है, जब हम देश का अहित करने वाले तत्वों के विरुद्ध पूरी तरह एकजुट होकर मोदी शासन के साथ खड़े हों।

समर्थन का अर्थ चाटुकारिता नहीं होता है। भक्ति हमें केवल राष्ट्र की करनी है ।।

राष्ट्र की भक्ति का एक लक्षण इस समय मोदी शासन और भाजपा शासन का पक्ष लेना है।। इसलिए अपने कर्तव्य के प्रति उसकी चूक भी निरंतर दिखाते रहना हम सब का कर्तव्य है।

ज़्यादा अनाज उगाने के लालच में अधिकतर किसान सरकारो और कारपोरेट कम्पनियाँ द्वारा दिया गया ज़हर (ज़हरीले बीज, खाद व कीटनाशक) अनाज उगाते समय मिलाते हैं व घटिया अनाज उगाते हैं।पूरा देश उनको खाता है और। बीमार बनता रहता है। इसके बाद डॉक्टर, अस्पताल, फ़ार्मा व वेक्सीन कम्पनियाँ उसकी कमाई को दुह लेती हैं। यही आधुनिक विकास व जीडीपी का माडल है। अब यह समझ नहीं आता कि मैं किसके साथ खड़ा हूँ? जो हमारे सनातन संस्कृति के ज़ेविक कृषि के माडल पर काम करेगा मेरा समर्थन उसी के साथ। - मौलिक भारत अभियान

विषय : कोंट्रेक्ट फ़ार्मिंग (अनुबंध पर खेती) से जुड़े भारत सरकार के विधेयक पर मौलिक भारत की आपत्तियाँ/ सुझाव

प्रतिष्ठा में
श्री नरेंद्र तोमर जी
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

परम आदरणीय,
व्यापक विचार विमर्श के उपरांत हमारी संस्था मौलिक भारत कोंट्रेक्ट फ़ार्मिंग (अनुबंध पर खेती) से जुड़े उपरोक्त विधेयक के संबंध में कुछ आवश्यक सुझाव/ व आपत्तियाँ दे रही है। आपसे अपेक्षा है कि व्यापक जनहित को देखते हुए इन पर विचार कर विधेयक में आवश्यक सुधार करेंगे।

1) कोंट्रेक्ट फ़ार्मिंग (अनुबंध पर खेती) से पूर्व सभी ग्राम पंचायतों में बड़े व छोटे किसानो की अलग अलग दो सहकारी समितियों का गठन होना चाहिए।

2) छोटे व अनपढ़ किसानो को समझोते की क़ानूनी भाषा समझ आना मुश्किल है और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में क़ानूनी लड़ाई लड़ना और भी मुश्किल। समझौता स्थानीय भाषा में होना चाहिए व एक किसान से न होकर एक पंचायत के स्तर पर बनी सहकारी समिति से होना चाहिए। इस समिति को पर्याप्त सरकारी सहायता व क़ानूनी विशेषज्ञ व सलाहकार उपलब्ध होने चाहिए।

3) सहकारी समिति के सदस्यों में से कितने अपनी ज़मीन कोंट्रेक्ट पर देना चाहते हैं यह उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए।

4) जो भी किसान समझोते का हिस्सा बनते हैं उनकी फसल उगाने, काटने व बेचने संबंधी सभी कार्यों में सफ्रिय सहभागिता होनी चाहिए व सब्ज़ी, फल आदि जो अतिरिक्त फसलें वे उस ज़मीन पर अपनी अतिरिक्त आमदनी या आवश्यकताओं के लिए उगाते हैं , वेसा करने का उनका उनका अधिकार बना रहना चाहिए ताकि महामारी युद्ध व आपात स्थिति में उसके जीवन यापन सम्बंधी कोई समस्या न आए।

5) नक़दी फसलों के दाम बाज़ार में हर साल माँग व आपूर्ति के खेल में गिरते उठते रहते हैं ऐसे में बीटी कोटन व अंगूर की खेती आदि में कोंट्रेक्ट फ़ार्मिंग किसानो के लिए घाटे का सोदा रही है। इसलिए नए क़ानून में किसानो का कोई अहित न हो इसका स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए।

6) कोंट्रेक्ट फ़ार्मिंग (अनुबंध पर खेती) करने वाली संस्था ज़ेविक कृषि, शून्य लागत कृषि, मोटे अनाज के उत्पादन आदि पर अधिक ज़ोर दे ऐसे प्रावधान होने चाहिए।

7) गाँवों में कृषि आधारित उध्योगो को प्राथमिकता से लगाने का कार्यवाही व उनके अनिवार्य रूप से छोटे कृषकों के परिवार के सदस्यों की भागीदारी व शेयर होल्डिंग का प्रावधान हो।

8) किसी भी स्थिति में विदेशी बीज , खाद व रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम हो।

9) यह सुनिश्चित होना चाहिए कि अनुबंध पर खेती देने के बाद किसान का परिवार निठल्ला व नशेडी न हो पाए व किसी भी हालात में ज़मीन से उसका मालिकाना न छिन पाए। किसान किसी भी प्रकार से क़र्ज़ के जाल में न फँस सके।

10) बड़े कारपोरेट घरानो, राजनेताओ, नोकरशाहों व दबंगो को इस काम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का अधिकार न हो।

शीघ्र क्रियान्वयन की अपेक्षा के साथ
भवदीय
अनुज अग्रवाल
महासचिव, मौलिक भारत
9811424443

आप सभी से दो अनुरोध है

1) क़ोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपने शरीर की प्रतिरोधक बनाए रखें व इसके लिए ऐसा भोजन ले जिसमें विटामिन C की मात्रा अधिक हो।
2) देशबंदी के इस दौर में यह ख्याल रखें कि आपके आसपास किसी भी गरीब को दो वक्त के भोजन हेतु आवश्यक अनाज उपलब्ध होता रहे।

– मौलिक भारत अभियान

लॉकडाउन से अनलॉक के बीच जो बड़ी मुसीबत देश के लोग सामना कर रहें हैं मगर केंद्र हो या राज्यों की सरकार, कोई इनका समाधान करने को तैयार नहीं। मौलिक भारत की मांग है कि सरकार इन मुद्दों को गंभीरता से ले और इनका निदान करे

1) करोड़ों लोग जिन्होंने फेक्टरी, शोरूम, गोदाम, शेड या आवासीय इकाई किराए पर ली हुई है बे लोग अपनी आमदनी घटने या बंद हो जाने के कारण किस फ़ार्मूले के अंतर्गत मकान मालिकों से अपने किराए को माफ़ या काम करवाए क्योंकि वर्तमान किराया कानून मकान मालिकों के पक्ष में है और सामान्यत: मकान मालिक व किरायेदार के बीच हुए किराया- समझोते में आपदा से निबटने से संबंधित प्रावधान नहीं लिखे जाते।
2) जब किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई गतिविधि नहीं चल रही और सीमित मात्रा में ऑनलाइन पढ़ाई ही कराई जा रही है तब अभिभावको को पूरी फ़ीस देने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है । सरकार इस समस्या के समाधान के लिए कोई दिशा निर्देश क्यों नहीं दे रहीं?
3) इस आपदा के समय ग़रीबों को मदद करने वाली दो सबसे बड़ी योजनाएँ मनरेगा व खाद्य सुरक्षा में जो कई लाख करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है उसमें से आधे से अधिक भ्रष्टाचार और फ़ज़ीबाड़े की भेंट चढ़ रहा है ,इसको रोकने के कोई उपाय क्यों नहीं किए जा रहे हैं?
4) सरकार ने उन नोकरीपेशा लोग जो रू 3000/ प्रति माह से रू 30000/ प्रतिमाह के बीच कमाते थे और बड़ी मात्रा में इस आपदा व महामंदी के कारण उनकी नोकरी चली गयीं हैं के लिए किसी सहायता या पैकेज की घोषणा क्यों नहीं की ?

अनुज अग्रवाल
महासचिव, मौलिक़ भारत

हर युवा को काम, किसान को सही दाम, नारी का सम्मान
शिक्षा व स्वास्थ्य, सबको एक समान

राष्ट्र के लिए मतदान

मतदाता जागरूकता अभियान

पहल –

राष्ट्रीयता का बोध भारतीयता से ओतप्रोत

मौलिक भारत

राष्ट्र के व्यक्तित्व व व्यवस्था परिवर्तन हेतु आन्दोलन

A Movement for the Change in System

अभियान का सदस्य बनने के लिए सम्पर्क करें :

www.maulikbharat.co.in

राष्ट्रीयता का बोध

भारतीयता से ओतप्रोत

मौलिक भारत MAULIK BHARAT

राष्ट्र के नवनिर्माण व व्यवस्था परिवर्तन हेतु आन्दोलन

A Movement for the Change in System

Head Office/ केन्द्रीय कार्यालय

306/ए, 37-38-39, अंसल बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स, डॉ मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

वेबसाइट : www.maulikbharat.co.in, E-mail : maulikbharat@gmail.com

सम्पर्क सूत्र : 011-27652829, 9811424443

MEMBER'S INTRODUCTORY FORM /सदस्य परिचय फार्म

1. Name /नाम .....
2. Address /पता .....

   .....
3. Phone / फोन (Home/आवास) ..... Office/कार्यालय .....

   Mobile/मोबाईल ..... Email/ईमेल .....
4. Age /उम्र ..... Sex /लिंग ..... Education /शिक्षा .....
5. Profession /व्यवसाय .....
6. Specialty & Interest /विशेषता व रुचि .....
7. How much time you may give? आप कितना समय दे सकते हैं .....
8. Are you attached with any NGO? If yes, Please provide details:

   क्या आप किसी गैरसरकारी संस्था से जुडे है? यदि हाँ तो उसका विवरण

   .....

   .....
9. Are you attached actively with any Political Party? If yes, Please provide details:

   क्या आप सक्रिय तौर पर किसी राजनैतिक दल से जुडे हैं? यदि हाँ, तो उसका विवरण:

   .....

   .....

NOTE/ नोट

I have read & understood all things related to *Maulik Bharat* and agreed in my full strength. I am excited to serve the country with money, soul & body through *Maulik Bharat*. I will be obliged if accepted as a member of *Maulik Bharat*. Annual Membership Fee only Rs. 100/- is attached.

मैंने *मौलिक भारत* से संबंधित सभी बातें पढ़ व समझ ली है और मैं सभी बातों से पूर्णतः सहमत हूं। मैं तन-मन-धन से *मौलिक भारत* के माध्यम से देश की सेवा करने को उत्सुक हूं। मुझे खुशी होगी यदि मुझे *मौलिक भारत* के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाए। वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/- रूपये मात्र संलग्न है।

Date/ दिनांक ..... **Signature/हस्ताक्षर** .....

Note : Please Attached your Photo ID/Residential Proof नोट: कृपया अपना फोटो पहचान पत्र / आवास प्रमाण पत्र संलग्न करें

संघर्ष के आठ वर्ष

- सरकार पर जनता की कमान
- विकेन्द्रिकरण, सहकारिता, पारदर्शिता, व सुशासन बने देश की पहचान
- बाजारूपन, अश्लीलता व नशे की रोकथाम
- भ्रष्टाचार, कालेधन पर लगाम
- हर युवा को काम, नारी को सम्मान

मौलिक भारत

- तकनीक में स्वदेशी और विदेश नीति में स्वहित व आत्मसम्मान
- शिक्षा, स्वास्थ्य व न्याय सबको एक समान
- किसान को सही दाम, पर्यावरण-संरक्षण का ध्यान
- ध्यान, योग, अध्यात्म को जीवन में प्रमुख स्थान

सूचनार्थ

जैसा कि सर्वसाधारण को सूचित किया जा चुका है कि मौलिक भारत की राष्ट्रीय व राज्यों की कार्यकारिणी का कार्यकाल दिनांक 2 फरवरी 2021 को पूर्ण होने के उपरांत स्वतः ही विघटित / भंग हो गयी थी व दिनांक 10 फरवरी 2021 को ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को भी बोर्ड के संस्थापक के अतिरिक्त अन्य सभी ट्रस्टीगण द्वारा त्यागपत्र देने के कारण भंग कर दिया गया था।

आवश्यक संशोधनों के साथ ट्रस्ट डीड का नवीनीकरण किया गया है। नए संशोधनों के उपरांत संस्था के संस्थापक अनुज कुमार अग्रवाल अब मौलिक भारत के नए अध्यक्ष होंगे। अन्य सूचनाएँ निम्न प्रकार हैं –

1) संस्था की सदस्यता का अभियान दिनांक 10 मार्च 2021 से प्रारंभ किया जा रहा है जो 30 दिन तक चलेगा। उसके उपरांत सलाहकार, राष्ट्रीय व राज्यों की कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। 13 अप्रेल 2021, वर्ष प्रतिपदा से नयी कार्यकारिणी अपने गठन के उपरांत कार्य प्रारंभ कर देगी।

2) संस्था के पंजीकृत कार्यालय / मुख्य कार्यालय के पते को बदला गया है। नया पता व अधिकृत बेबसाइट, मेल आइडी व फोन नंबर लेटर पैड पर नीचे अंकित हैं।

3) बिना अध्यक्ष की लिखित अनुमति के संस्था के नाम से कोई भी व्यक्ति जो संस्था से पूर्व में या वर्तमान में जुड़ा है या था या कोई ओर, किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया अकाउंट, मेल आइडी, बेबसाइट, कार्यालय आदि नहीं बनाएगा और न ही किसी भी प्रकार से कोई गतिविधि करेगा व लैटर पेड, किसी भी प्रकार के साहित्य का उपयोग नहीं करेगा। अन्यथा उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

4) संस्था अपने ट्रस्ट डीड में वर्णित व समय समय पर निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करती रहेगी।

5) जिस भी पूर्व ट्रस्टी, पूर्व पदाधिकारी व पूर्व सदस्य पर संस्था से जुड़ा कोई भी दस्तावेज आदि हैं वे उसे सात दिन के अंदर रजिस्टर्ड डाक / व्यक्तिगत रूप से संस्था के कार्यालय पर भेज दे / जमा करवा दें। अन्यथा संस्था उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी।

धन्यवाद।

भवदीय

अनुज कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष एवं संस्थापक
मौलिक भारत (ट्रस्ट)
दिनांक 10 / 03 / 2021

सूचनार्थ नोटिस

विषय- पुनर्गठन हेतु मौलिक भारत (ट्रस्ट) के बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टी, राष्ट्रीय व राज्य कार्यकारिणी के भंग करने की सूचना के संदर्भ में सूचनार्थ ट्रस्ट के संस्थापक अनुज अग्रवाल के आदेशानुसार अपना कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद दिनांक 3 फ़रवरी 2021 से मौलिक भारत की राष्ट्रीय व राज्य कार्यकारिणी स्वत: ही भंग हो गयी है। जिनके पुनर्गठन की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जा रही है। ट्रस्ट के संस्थापक के अतिरिक्त अन्य सभी ट्रस्टियों द्वारा त्यागपत्र देने के कारण दिनांक 10 फ़रवरी 2021 से ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टी को भी भंग कर दिया गया है। आवश्यक संसोधनो के उपरांत ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाएगा।

धन्यवाद।
भवदीय
अनुज अग्रवाल
संस्थापक, मौलिक भारत (ट्रस्ट)
10/2/2021

केन्द्रीय कार्यालय
306/ए, 37-38-39, अंसल बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स, डॉ मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
वेबसाइट : www.maulikbharat.co.in, E-mail : maulikbharat@gmail.com
सम्पर्क सूत्र : 011-27652829, 9811424443

थोड़ी मस्ती थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूँ.....
ये क्या कम है कि अपनी पहचान बचा पाया हूँ.....!!
जिस जमाने में किस्तो में देते हैं सब घाँव.....
मै वहाँ मरहम पट्टी की दुकान बचा पाया हूँ.....
कुछ उम्मीदें, कुछ सपने, कुछ महकती यादें.....
जीने के लिये मैं इतना ही सामान बचा पाया हूँ.....!!
सरकती है जिंदगी की ट्रेन यादों की पटरी पर
आँखों में नमी और होठों पर मुस्कान बचा पाया हूँ....!
दाग लगने न दिया हमने अपने दामन में.....
काजल के कोठरी में भी अपनी शान बचा पाया हूँ.....!!

वाणी के ओ कलम धुरंधर ,
शब्दों में धार बनाओ रे !!
परिवर्तन की अलख जगाओ ,
अन्याय को काट भगाओ रे !!
माँग रही बदलाव धरा ,
तुम अपना फर्ज निभाओ रे !!
नैन अधर के पाश से निकलो ,
कलम से आग लगाओ रे !!
मौलिक भारत बनाओ रे।।

स्वः भाषा अभियान

स्वतंत्र भारत में अभी भी कई लोग मानसिक दासता से ग्रस्त हैं ऐसे लोगो के मन में अंग्रेजो के चले जाने के बाद भी अंग्रेजी भाषा का बहुत महत्व हैं। उनके विचार से भारत में कोई ऐसी भाषा नहीं हैं जो राष्ट्रभाषा बनने के योग्य हो। ऐसे लोग प्राय यह पूछते हैं के हर वर्ष अंग्रेजी में इतने शब्द जोड़े गए हैं , हिंदी भाषा में कितने शब्द जोड़े गए हैं। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा हैं जिसमे विस्तार की कोई क्षमता नहीं हैं। जब के हिंदी भाषा में अशंख्या नए शब्द बनाए जा सकते हैं जब के अंग्रेजी भाषा एक भिखारी भाषा हैं। अंग्रेजी भाषा में कई कमिया हैं , किन्तु परस्थियाबस यह विश्व की प्रमुख भाषा बन गई हैं किन्तु फिर भी भारत के लोगो को चाहिए के वह लोग हिंदी को भारत की राष्ट्र भाषा बना दे। हिंदी भाषा में शब्दों की कोई कमी नहीं हैं। अपनी भाषा मे शिक्षा प्राप्त करने से जीवन जीने के तरीके भी बच्चों मे स्वत: विकसित होते हैं । हां, अन्य भाषाओं का ज्ञान भी बहुत आवश्यक है , बच्चो के बहुमुखी विकास के लिए , जैसा की लेख मे समाहित है । जब बालक – बालिका अपनी भाषा में पाठशाला मे नहीं पढ़ते तब उनमें अव्यावहारिक संस्कार जन्म लेते हैं, और कभी कभी अपने माता –पिता , सगे सम्बंन्धी , दादा दादी , नाना –नानी , अपना खान –पान , अपनी वेश –भूषा , अपने देश और संस्कृति को नीचा समझने लगते हैं । आगे चलकर यही लोग बड़े होकर स्वयं , अपने परिवार , समाज , देश के लिए उचित कार्य नहीं करते ।

प्रत्येक भाषा अपने संस्कार और संस्कृति को लिए हुए होती है, अत: प्रथम हमें अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करना चाहिए । बाद में एक विषय के रूप में अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना उचित होगा ।

शिक्षा का माध्यम अपनी भाषा ही होनी चाहिए । – मौलिक भारत अभियान

मौलिक भारत के महत्वपूर्ण लक्षणों मैं हैं सनातन संस्कृति की स्थापना, सैन्य रूप से अत्यधिक मज़बूत देश जहाँ बेसिक ढाँचागत सुविधाओं का समुचित विस्तार हो व उसके विकास के अधिकतम आयामों मै स्वदेशी तत्व की प्रधानता हो। भारत केंद्रित शिक्षा व प्रकृति केंद्रित विकास के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य व न्याय का बाज़ारीकरण से दूर सामुदायिक सहयोग से समाज हित में संचालन। व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक रोटी , कपड़ा और मकान की समुचित व्यवस्था व जाति पर कर्म की प्रधानता। विदेश नीति में देश हित की प्रधानता व सभी देशों व महाशक्तियों से सौहार्दपूर्ण संबंध मगर कपटी व धूर्त राष्ट्र को सबक़ सिखाने का माद्दा भी। सौभाग्य से मोदी सरकार उपरोक्त बहुत सारे बिंदुओ पर अपनी नीतियो में आमूलचूल परिवर्तन कर उनको समयानुकूल बना रही है। हमारी रक्षा, शिक्षा, वाणिज्य, पर्यावरण, आर्थिक व विदेश नीतियो में जो क्रांतिकारी सुधार किए जा रहे हैं ये अगले एक दशक में देश को एक नए धरातल पर खड़ा कर देंगे व राम राज्य की ओर देश को ले जाएँगे। अनेक बिंदुओ पर अभी काम बाक़ी हैं जो उम्मीद है आने वाले कुछ समय में क्रमिक रूप से पूरा किया जाएगा।

राष्ट्रीयता का बोध

भारतीयता से ओतप्रोत

'भारतीयता' मौलिक भारत की संकल्पना का मूलाधार है।

'भारतीयता' उन दस लक्षणों का संगम है, जिन्हें लगभग सभी धर्म व संप्रदायों में धर्म का लक्षण माना गया है। इन दस लक्षणों की पालना न करना अधर्म कहा जाता है:

धृति, क्षमा, दमोस्तेयं, शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम्।।

कहना न होगा कि 'भारतीयता' गुण, विचार व व्यवहार का एक ऐसा संगम है, जो राष्ट्र के सम्मान को अपना संकल्प और विश्व के प्रत्येक प्राणी के कल्याण को अपना अंतिम लक्ष्य मानता है। गौरतलब है कि प्रत्येक प्राणी का मतलब सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि प्रकृति का रचा प्रत्येक जीवन है; साथ ही विश्व का मतलब सिर्फ सभी देश नहीं, पूरी प्रकृति है।

मौलिक भारत

राष्ट्र के नवनिर्माण व व्यवस्था परिवर्तन हेतु आन्दोलन

A Movement for the Change in System

हर युवा को काम, नारी का सम्मान - शिक्षा व स्वास्थ्य, सबको एक समान

Head Office/ केन्द्रीय कार्यालय

306/ए, 37-38-39, अंसल बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स,
डॉ मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

306/A, 37-38-39, Ansal Building, Commercial Complex,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

वेबसाइट : www.maulikbharat.co.in, E-mail : maulikbharat@gmail.com

सम्पर्क सूत्र : 011-27652829, 9811424443